पंचदश माला, खंड 9, अंक 25

बुधवार, 28 अप्रैल, 2010
8 वैशाख, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 21 से 32 तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Acc No. 79(2.11)(12)
Dated 11/10/2011

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे. पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

राजीव शर्मा
सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2010/1932 (शक)]

अंक 25, बुधवार, 28 अप्रैल, 2010/08 वैशाख, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 464	3–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 465 से 480	31–188
अतारांकित प्रश्न संख्या 5255 से 5484	188–524
सभा पटल पर रखे गए पत्र	524–540
संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबंध अस्थाई समितियों से भिन्न) कार्य का सारांश	540
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी अस्थाई समिति 39वां से 42वां प्रतिवेदन	541
मंत्री द्वारा वक्तव्य	541–542
(एक) प्रवासी भारती कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी अस्थाई समिति के पहले प्रतिवेदन में अंर्तविष्ट कार्यों का कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।	
श्री वायालार रवि	541–542
कार्यमंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	542
विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में	542–543
नियम 377 के अधीन मामले	547–556
(एक) सभी राज्यों द्वारा समयबद्ध रूप से अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	547
(दो) केरल में भारी आंधी और वर्षा के कारण प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत दिए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	548
(तीन) आंध्र प्रदेश में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेज-2 की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश कुमार शेटकर	548–549
(चार) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नासिपुर और अजीमगंज के बीच भागीरथ नदी पर रेल पुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	549

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में बुनकरों के लाभ हेतु कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. निर्मल खत्री	549–550
(छह) सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के अंतर्गत एलपीजी की एजेंसियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री नारनभाई कछाड़िया	550
(सात) बिहार के नवादा जिले में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ढाढर और तिलैया नदियों पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. भोला सिंह	550–551
(आठ) सन् 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय से ही लापता असम रेजिमेंट के कैप्टन कल्याण सिंह, हरी सिंह राठौर के बारे में जानकारी प्राप्त किए जाने की आवश्यकता।	
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	551
(नौ) चुरू से होकर जोधपुर और दिल्ली को जोड़ने वाली जोधपुर मेल को फिर से चलाए जाने और सराय रोहिल्ला (दिल्ली) और सादुलपुर के बीच रत्नगढ़ तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता।	
श्री राम सिंह कस्वां	551–552
(दस) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।	
श्री शैलेन्द्र कुमार	552
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।	
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	552–553
(बारह) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने तथा इसके समग्र विकास हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।	
श्री अर्जुन राय	553
(तेरह) पश्चिम बंगाल में आम आदमी की सेवा करने वाले संगठन 'कृषि विकास शिल्प केन्द्र' को फिर से चालू करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता।	
श्री गोविन्द चन्द्र नास्कर	553–554
(चौदह) दियासलाई उद्योग को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता।	
श्री एस.आर. जयदुरई	554–555
(पन्द्रह) लोकप्रिय मलयालम समाचार पत्र 'केरल कौमुदी' की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर एक स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता।	
श्री ए. सम्पत	555
(सोलह) पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलूरघाट में नई एलपीजी एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता।	
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	555–556
(सत्रह) केरल के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन का नवीकरण कार्य आरंभ कराए जाने की आवश्यकता।	
श्री चार्ल्स डिएस	556

विषय	कॉलम

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-08 557–558

श्री प्रणब मुखर्जी 557–558

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2010 558–559

सदस्यों द्वारा निवेदन

आईपीएल में अनियमितताओं और कदाचार तथा राजनीतिक नेताओं के कथित फोन टेप किए जाने की जांच करने हेतु संयुक्त समिति की मांग के बारे में 560–563

वित्त विधेयक, 2010 563–635

विचार करने के लिए प्रस्ताव 563

श्री प्रणब मुखर्जी 564–568

श्री हरिन पाठक 568–577

श्री संजय निरुपम 577–591

श्री शैलेन्द्र कुमार 591–595

श्री बंसगोपाल चौधरी 595–599

श्री भर्तृहरि महताब 599–606

श्री एस. सेम्मलई 606–609

श्री प्रबोध पांडा 609–611

श्री निशिकांत दुबे 611–625

श्री भक्त चरण दास 625–629

श्री नरहरि महतो 630–631

श्री अर्जुन राम मेघवाल 631–635

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 651–652

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 652–662

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 663–664

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 663–666

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 28 अप्रैल, 2010/8 वैशाख, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों मुझे सभा को अपने एक पूर्व साथी श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुरिया के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुरिया 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड में है के नैनीताल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

पहले, 1980 से 1984 तक श्री गुरिया उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे थे। 1984 के दौरान श्री गुरिया ने उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना, सिंचाई तथा उद्योग उपमंत्री के रूप में काम किया।

पेशे से पत्रकार श्री गुरिया ने चार वर्षो तक जिला पत्रकार संघ, काशीपुर के अध्यक्ष के रूप में सेवा की। उन्होंने कुमाऊं विकास निगम, नैनीताल के निदेशक तथा गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नैनीताल के प्रबंधन बोर्ड; उदयराज हिन्दू इंटर कॉलेज, काशीपुर, नैनीताल तथा श्री हिन्दी प्रेम सभा काशीपुर, नैनीताल की प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

साहित्यिक व्यक्तित्व के धनी श्री गुरिया तीन दशक से भी अधिक समय तक हिन्दी साप्ताहिक लोकतंत्र के संपादक रहे।

श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुरिया का देहावसान 77 वर्ष की आयु में 24 अप्रैल, 2010 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने साथी के न रहने पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना संप्रेषित करने में पूरा सदन मेरा साथ देगा।

दिवंगत आत्मा की स्मृति में अपना श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सभा थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल।

प्र.सं. 461–श्री महेन्द्र कुमार राय

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय, श्री सी. शिवासामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया वापिस अपने स्थान पर चले जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापिस चले जाएं। कृपया कागज न दिखाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप इसे 'शून्यकाल' में उठा सकते हैं। परंतु किसी पर कोई आक्षेप न लगाएं, ये नियमों के विरुद्ध है और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इसलिए मैं आपको यह मुद्दा 'शून्यकाल' में उठाने की अनुमति दूंगी। कृपया प्रश्न काल चलने दें।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदया, एक सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप है *...(व्यवधान)* यह बात पत्रों में ''टैप्ड एंड ट्रैप्ड'' शीर्षक

से आई है। इसके कारण राजकोष को एक लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी कारण से हम यहां पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* बाद में कभी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। सीबीआई जांच चल रही है परंतु इसी बीच अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया। इसलिए हम प्रधानमंत्री से यह जानना चाहते हैं कि इस मामले में क्या चल रहा है; सीबीआई ने क्या निष्कर्ष निकाला? अधिकारी को स्थानांतरित क्यों किया गया? यह एक गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमें यह मामला उठाने की अनुमति दें ताकि मंत्री के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। मंत्री अभी तक भी पद पर क्यों बने हुए हैं? इसका औचित्य क्या है? ...*(व्यवधान)*। इससे राजकोष को तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। फोन टैप करने का समाचार सभी समाचार पत्रों में आया है ...*(व्यवधान)* आबंटन किस प्रकार किया गया था?

अध्यक्ष महोदया: मैं आपको 'शून्य काल' में अनुमति दूंगी। प्रश्न काल चलने दें।

श्री एस. सेम्मलई: सीबीआई को पक्के सबूत मिल गए हैं। परंतु सरकार ने उसे मामले की विस्तृत जांच करने की अनुमति नहीं दी है ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: फिर भी, महोदया कृपया मुझे 'शून्य काल' में इस मामले को उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदया: बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रश्न काल को जारी रखें।

पूर्वाहन 11.05 बजे

इस समय श्री सी. शिवासामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापिस चले गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसे प्रश्नकाल के बाद शून्य प्रहर में लेंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 461 श्री महेन्द्र कुमार राय।

पर्यावरण और पारिस्थितिकीय क्षति

+
***461. श्री महेन्द्र कुमार राय:**
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हुई क्षति तथा इससे संबंधित कानूनों विशेषकर खनन किए गए क्षेत्रों के सुधार एवं पुनर्वास से संबंधित कानूनों का पालन न किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने अरावली क्षेत्र सहित देश के विभिन्न भागों में खनन कार्यकलापों को स्थगित करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो नाजुक पर्यावरण और पारिस्थितिक के संरक्षण हेतु जारी किए गए निदेशों/आदेशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स को खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर) 1988 के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। एमसीडीआर के नियम 31 से नियम 41 तक विशेष रूप से पर्यावरण से संबंधित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आईबीएम द्वारा 5522 खानों के संबंध में कराए गए निरीक्षण के आधार पर 125 खानों के मामले में विभिन्न तरह के उल्लंघनों की सूचना मिली है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि सुधार और पुन:स्थापन से संबंधित 10 मामले भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर विभिन्न आदेश, निर्देश, फैसले दिए हैं जिनमें देश के विभिन्न भागों में खनन संबंधी कार्यों को निलंबित करने/बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गोवा राज्य भी शामिल हैं। हरियाणा के अरावली क्षेत्र के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8 मई, 2009 के आदेश द्वारा मेवात सहित फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में लगभग 448 वर्ग

कि.मी. क्षेत्र के भीतर हरियाणा राज्य के अंतर्गत आने वाली अरावली हिल रेंज में सभी तरह के खनन कार्यों को तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक कि विभिन्न अधिनियमों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित सांविधिक उपबंधों के अनुसार हरियाणा राज्य, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) और केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा यथा-प्रमाणित सुधार योजना तैयार नहीं कर ली जाती है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य मामले में दिनांक 19 फरवरी, 2010 के अपने आदेश द्वारा राजस्थान राज्य में अरावली में आने वाली सभी तरह की लीजों में खनन कार्यों पर रोक लगा दी है, जिनका नवीकरण लंबित है।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों, निर्देशों, फैसलों का सही रूप में अनुपालन करना आवश्यक है।

श्री महेन्द्र कुमार राय: हम सभी जानते हैं कि पूरे देश को पर्यावरण और पारिस्थितिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप देश को बारम्बार बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन खदानों में कार्यरत कामगारों को अनेक पेशागत बीमारियां हो जाती हैं। राष्ट्र को इससे होने वाली हानि और अनियंत्रित, विवेकहीन और गैरकानूनी, विशेषकर लोहे के खनन और विभिन्न राज्यों में हो रहे खनन पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और इससे बड़े पैमाने पर लोग विशेषकर जनजातीय लोग विस्थापित हो रहे हैं इसे देखते हुए इस संबंध में एक कानून बनाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया प्रश्न पूछें।

श्री महेन्द्र कुमार राय: क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इस संबंध में कोई कानून लाएगी?

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने गैर कानूनी खनन के संबंध में न केवल गैर कानूनी खनन बल्कि पारिस्थितिकी क्षमता से अधिक खनन करने के मामले में भी अत्यन्त कड़ी कार्रवाई की है। उदाहरण के लिए खनन के पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन के तैयार होने तक गोवा में सभी खनन कार्यकलापों पर रोक लगा दी गई है।

मैंने उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश, जहां से गैर कानूनी खनन की सूचना प्राप्त हुई है, के मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखा है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि जब कभी भी गैर कानूनी खनन की सूचना हमारे पास आई है, यदि यह वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में गैर कानूनी खनन है और हमारी ओर से कार्रवाई संभव है, हमने तत्काल कार्रवाई की है। अनेक मामलों में समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि गौण खनिजों के मामले में यह गैर कानूनी होता है। जहां तक गौण खनिजों का संबंध है खनन के निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। उदाहरण के लिए अरावली में। जब तक राज्य कड़ी कार्रवाई नहीं करती है केन्द्र सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती है।

श्री महेन्द्र कुमार राय: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। यदि हां, तो सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

श्री जयराम रमेश: महोदया, मैं यह नहीं जानता कि किस मामले विशेष का माननीय सदस्य हवाला दे रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जहां कभी भी उच्चतम न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश दिया है, हमने निष्ठापूर्वक उसे कार्यान्वित किया है लेकिन हमने उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने की प्रतीक्षा नहीं की है। जहां कहीं से भी गैर कानूनी खनन की सूचना प्राप्त हुई हमने स्वमेव कार्रवाई की है। जैसा कि मैंने कहा केवल गैर कानूनी खनन के विरुद्ध ही नहीं बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी की क्षमता से ज्यादा खनन के मामले में भी कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां: महोदया, अवैध खनन का कारोबार पूरे देश में बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। इससे पर्यावरण को बहुत भारी क्षति पहुंच रही है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए कई बार निर्देश जारी किए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी आदेश जारी किए हैं कि अरावली क्षेत्र के मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद जिलों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। राजस्थान की 153 खानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मैं सम्मानित मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन आदेशों का पालन कहां तक हुआ है और राज्य सरकारों ने क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट पेश की है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। हमने हरियाणा और राजस्थान सरकारों को बार-बार जोर देकर

कहा है जिन्हें उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुपालन में अरावली श्रेणी में खनन कार्यकलापों को रोकने की निगरानी के लिए सभी अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं, बार-बार इस बारे में आगाह किया है। हरियाणा सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि जहां तक हरियाणा का संबंध है वे इस पर रोक लगाने जा रहे हैं। उन्होंने सभी खनन कार्यकलापों पर रोक लगा दी है और वे खनन पट्टे के आबंटन की प्रणाली को बदलने जा रहे हैं।

मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के भी संपर्क में हूं। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि जहां तक अलवर जिले का संबंध है यदि उच्चतम न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन होता है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे।

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस संबंध में हमारे साथ धैर्य रखें क्योंकि जिम्मेवारी दो राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार ने निगरानी की शक्ति राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की है क्योंकि खनन पट्टा काफी छोटा होता है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेवारी लेना केन्द्र सरकार के लिए व्यावहारिक नहीं है।

डॉ. ज्योति मिर्धा: हम अपना विकास सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापते हैं। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षय, जल और वायु प्रदूषण, मृदा क्षेत्र इत्यादि की गणना नहीं की जाती है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो यह पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं में गिरावट का लेखा-जोखा नहीं करता है। क्या हमारे पास पर्यावरण गणना के साधन हैं और हम जीपीआई या आईएसईडब्ल्यू सूचकांक जैसे विकास मापन के व्यापक उपाय अपना सकते हैं। चूंकि हमारे पास अनुभवजन्य साक्ष्य हैं कि निर्धनता और पर्यावरण एक-दूसरे पर आश्रित हैं और पर्यावरण की हानि से निर्धनता उत्पन्न होती है, अत: यह भारत के निर्धनता केन्द्रित नीति रूपरेखा के लिए एक सतत विकास सूचकांक अपनाना महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया है। पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका आर्थिक व्यवस्था की मुख्यधारा में होनी चाहिए न कि हाशिये पर और इसका आरम्भ सतत विकास सूचकांक अपनाकर किया जाना चाहिए। अत: विकास के माप का कार्य वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम होना चाहिए।

श्री जयराम रमेश: मैंने बार-बार कहा है कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को बदलकर ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर दिया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय के निरन्तर सम्पर्क में हूं। हमें आशा है कि वर्ष 2015 तक यह देश जीडीपी आंकड़े को सकल घरेलू उत्पाद नहीं बल्कि ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में सूचित करने की स्थिति में होगा। यह कोई आसान कार्य नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। हम राष्ट्रीय आय गणना में पर्यावरण कारकों को किस प्रकार शामिल किया जाए इस पर सलाह हेतु विश्व के बेहतरीन विशेषज्ञों की सेवाएं ले रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्ष 2015 तक हमें आशा है कि इस संबंध में ज्यादा स्पष्टता आ सकेगी।

डॉ. रत्ना डे: कई वर्षों से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को अनवरत नुकसान हो रहा है। हाल के वर्षों में यह और अधिक बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस क्षति को रोक पाने की स्थिति में नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमें अपने सामने पर्यावरण के क्षय को रोकना है तो दंड काफी हद तक निवारक सिद्ध होगा। क्या मंत्री जी ने पिछले पांच वर्षों में पुरानी और नई परियोजनाओं के प्रभाव को जानने के लिए कोई आकलन कराया है।

श्री जयराम रमेश: यह एक व्यापक प्रश्न है। वह यह जानना चाहती हैं कि क्या हमने उन सभी परियोजनाओं का पर्यावरण संबंधी व्यापक आकलन कराया है जो हमने आरंभ की हैं। मुझे खेद है कि, मैं इसका सीधा उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं और केवल यह कहना चाहता हूं कि जहां पर भी यह पता चलता है कि स्थानीय क्षेत्र परियोजनाओं की अधिकता से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है। जैसे कि उत्तरी तीस्ता में नदी घाटी परियोजनाओं के मामले में हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे क्षेत्र की वहनीय क्षमता से अधिक न हों, परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। हम भागीरथी नदी पर हाइडल परियोजनाओं के मामले की समीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको गोवा का उदाहरण पहले ही दे चुका हूं। हम इसे मामला-दर-मामला आधार पर ले रहे हैं। लेकिन, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ विकास के मुद्दे की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। यह पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन है। मेरे लिए प्रत्येक परियोजना को 'ना' कहना बहुत आसान है। लेकिन हमने पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन भी स्थापित करना है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मेरा मूल प्रश्न ''ग'' से है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यमुना नदी के बालू का खनन होता है। इससे पहले नदियों के किनारे बसने वाली बिन्द मल्लाह आदि, इस प्रकार की जो जातियां हैं, जिनका अपना पुश्तैनी धंधा था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री

थे तो उन्होंने इसे गजट करके भी कहा था कि अपने पुश्तैनी धंधो से जोड़ने के लिए खनन में केवल उन्हीं को पट्टा मिलेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खनन माफिया हैं, जब कि खनन मानव द्वारा होना चाहिए, लेकिन वह जे.बी.सी. मशीनों से होता है। ...*(व्यवधान)* आप बैठिए, जब आपका प्रश्न पूछने का नम्बर आएगा तब आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान: शैलेन्द्र जी का यह आरोप गलत है। ...*(व्यवधान)* माफिया आपकी सरकार में थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शैलेन्द्र कुमार जी, आप जल्दी प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: ये लीडर हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उसकी भूमिका में मत जाइए, प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदया, बड़े पैमाने पर, वहां माफिया लोग जे.बी.सी. मशीन से खनन कर रहे हैं स्थिति यहां तक देखी गई है कि वे माफिया, चाहे स्थानीय कोर्ट हो या उच्च कोर्ट हो, उसे भी प्रभावित किए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो अपने पुश्तैनी धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या वे प्रदेश शासन से कोई वार्ता करेंगे, कोई बात करेंगे, क्योंकि यह काम प्रदेश शासन और माफिया की मिलीभगत से हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, कई मुख्यमंत्रियों ने मुझसे खनन कार्य को जारी रखने की अनुमति मांगी है क्योंकि जहां तक राज्य का संबंध है, यह आय का स्रोत है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का मामला है। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का स्पष्ट और सीधा उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं और उन्हें केवल यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस मामले को तत्काल राज्य सरकार के साथ उठाऊंगा तथा उनकी राय को सुनने के पश्चात उन्हें अवगत कराऊंगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट का ढेर लगना

**+
*462. श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री नीरज शेखर:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में भारी मात्रा में प्लास्टिक अपशिष्ट का ढेर लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस पर विशेषकर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों तथा विमानपत्तन पर प्लास्टिक अपशिष्ट के ढेर लगने के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और अध्ययन में किन खामियों का उल्लेख किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके संबंध में संबंधित प्राधिकरियों को कोई निदेश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या उपचारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रतिदिन लगभग 15722 टन प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा होता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "असेसमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट एट एयर पोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन इन दिल्ली" शीर्षक से एक अध्ययन कराया है। इस अध्ययन में यह बताया गया है कि:

(i) दिल्ली में तीन बड़े रेलवे स्टेशनों में पैदा होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन 6758 कि.ग्रा. होती है। दिल्ली में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन 4130 कि.ग्रा. होती है।

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा होने की प्रति व्यक्ति मात्रा रेलवे स्टेशनों में 9 ग्राम/प्रतिदिन और हवाई अड्डों पर इसकी मात्रा 69 ग्राम/प्रतिदिन होती है।

(iii) हालांकि दिल्ली के हवाई अड्डों से प्लास्टिक अपशिष्ट समेत ठोस अपशिष्ट एकत्र करने के कार्य को एक प्राइवेट कांट्रेक्टर के जरिए संगठित रूप दिया जा रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर असंगठित क्षेत्र द्वारा केवल वेल्यू एडेड प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे कि पेट बोटल्स, प्लेट्स, चम्मच, गिलास आदि ही एकत्र किए जा रहे हैं। गैर पुनर्चक्रणीय प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे बहु परतों वाले और धातुओं से बने पाउच जिनको रेलवे स्टेशनों से उठाया नहीं जाता है, इधर-उधर बिखरे रहते हैं।

(ङ) और (च) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर पड़े प्लास्टिक अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए रेलवे और हवाई अड्डों के प्राधिकारियों को इस संबंध में किए गए अध्ययन के निष्कर्षों और सिफारिशों के बारे में तथा उचित पृथक्करण प्रणाली और निपटान प्रणाली से संबंधित सुझावों के बारे में सूचित कर दिया है।

(छ) केंद्र सरकार ने प्लास्टिक बैग के निर्माण, बिक्री, उपयोग तथा पुन: चक्रण को विनियमित करने के लिए पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 (2003 में यथा संशोधित) अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ 20 माइक्रोन से कम की मोटाई वाले और 8×12 इंच से कम के आकार वाले कैरी बैग्स के विनिर्माण, बिक्री तथा उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ राज्यों ने प्लास्टिक बैगों की मोटाई के संबंध में और भी कड़े मानक निर्धारित किए हैं। अथवा पर्यटक/सार्वजनिक स्थलों में प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है।

श्री एस.एस. रामासुब्बू: अध्यक्ष महोदया, आजकल प्लास्टिक अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और इससे पर्यावरणीय प्रदूषण भी हो रहा है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईजीआई एयरपोर्ट के साथ-साथ दिल्ली में तीन प्रमुख रेलवे स्टेशन प्रतिदिन लगभग 11,000 कि.ग्रा. प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं जिसमें से पुन: प्रयोग अथवा पुन:चक्रण हेतु नियमित रूप से 5,200 कि.ग्रा. अपशिष्ट उठाया जाता है। शेष अपशिष्ट में धातु की थैलियां और पतले प्लास्टिक बैग इत्यादि होते हैं। ऐसा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है। इसका अर्थ हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका उत्पादन रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्टो पर होता है, को कभी उठाया ही नहीं जाता है। परित्यक्त प्लास्टिक बैग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं और इससे पर्यावरणीय प्रदूषण भी फैल रहा है। यह स्थिति केवल दिल्ली में नहीं अपितु देश के लगभग सभी रेलवे स्टेशनों में विद्यमान है।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एयरपोर्टों, रेलवे, रेस्टोरेंट तथा शापिंग मॉल इत्यादि को प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए अलग से भंडारण सुविधा का प्रावधान करने के निदेश जारी किए हैं ताकि इनका सुरक्षित ढंग से निपटान किया जा सके।

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न पहले भी सभा में उठाया गया है और मैंने सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि यद्यपि प्लास्टिक चिंता का विषय है तथापि हमें इसके संबंध में कार्रवाई करते हुए थोड़ा सावधान रहना चाहिए; क्योंकि देश में प्लास्टिक थैलियों का चलन वनों के कटान को रोकने के लिए शुरू किया गया था ताकि कागज के थैलों के प्रयोग को रोका जा सके। अब यह आन्दोलन जोर पकड़ रहा है कि हमें प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहां हमें कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है; हमें अवांछनीय वस्तुओं के साथ अमूल्य वस्तुओं को भी नहीं फेंक देना चाहिए। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि प्लास्टिक बैग एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे निगम का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सभी प्लास्टिक बैगों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें।

तथापि, कुछ राज्य सरकारों-हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर इत्यादि ने यह प्रतिबंध लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरबन में इसे प्रतिबंधित किया है तथा तिरूपति जैसे कई तीर्थस्थलों में प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित हैं।

मेरे विचार से केन्द्र सरकार ने जो कार्य किया है वह यह कि उन्होंने न्यूनतम आकार, न्यूनतम मोटाई इत्यादि को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम बनाए हैं। किंतु इन नियमों का प्रवर्तन बहुत ही कठिन है। हमारा देश बहुत बड़ा है। हम जैव अपघटय थैलों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए वास्तविक चुनौती विशेष रूप से हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों के लिए नगर निगमों को यह सुनिश्चित करना है कि प्लास्टिक कचरा उपयुक्त तरीके से एकत्रित किए जाएं और उचित निपटान सुविधाओं तक इसे भेजा जाए। यही सही तरीका है जिसे हमें अपनाना चाहिए।

श्री एस.एस. रामासुब्बू: कई राज्यों ने निम्नस्तरीय प्लास्टिक के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से कई राज्य यह प्रस्ताव लेकर नहीं आए हैं। कुछ अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। यद्यपि कतिपय राज्यों में प्रतिबंध लगाए गए हैं, किंतु कड़ाई से कार्यान्वित नहीं किया गया है। जहां तक निम्नस्तरीय प्लास्टिक थैलों का संबंध है वे राज्य इसका उचित प्रकार से अनुसरण नहीं कर रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार अथवा माननीय मंत्री के पास देश में कम माइक्रोन वाले प्लास्टिक थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई व्यापक कानून लाने का प्रस्ताव है।

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं देश भर में पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हूं। तथापि, हमने नियम बनाए हैं और इन्हें हमने वेबसाइट पर डाल दिया है–ये नियम सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध हैं। हमें आशा है कि हम जल्द ही इन्हें अधिसूचित करेंगे। इन नियमों में न्यूनतम मोटाई और न्यूनतम आकार का वर्णन है और इसमें रंगीन अथवा पुनर्चक्रीय वाले प्लास्टिक के उपयोग पर मनाही है, किंतु अंततः केन्द्र सरकार नियमों को तैयार कर प्रख्यापित कर सकती है परन्तु कार्यान्वयन और निगरानी राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों को करना है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अक्सर राज्य और स्थानीय निकाय इस संबंध में कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि निचले स्तर पर प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में व्यापक संख्या में रोजगार प्रदान किए जाते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, हमें निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए किंतु नियम वही अच्छे जिन्हें कार्यान्वित किया जाए।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि शीघ्र ही अगले कुछ महीनों में हमारे वेबसाइट पर लोक टिप्पणी और चर्चा के लिए उपलब्ध इन नियमों को वास्तविक रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ये नियम बहुत कड़े हैं किंतु हम इनके पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों के सहयोग पर निर्भर होंगे।

[हिन्दी]

श्री नीरज शेखर: अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 15,722 टन प्लास्टिक का हर रोज इस देश में उत्पादन होता है। मैं नहीं चाहता कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि इस पर बैन लगा दिया जाये, क्योंकि आपने सही बोला कि उससे बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, शहरों में, अभी रेलवे की बात हो रही थी, उसमें न केवल स्टेशन पर बल्कि अगर आप शहरों में रेलवे लाइन के बगल में देखेंगे तो बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट आपको दिखाई देगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि विशेषकर ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, क्या उनको इसके बारे में शिक्षित करने का आपका कोई विचार है? उनको बताया जाये कि ज्यादा प्लास्टिक यूज करने से क्या होगा और किस तरह का प्लास्टिक उनको यूज करना चाहिए। क्या उनको शिक्षित करने का आपका कोई विचार है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु अंततोगत्वा जैसा कि हमने कहा, प्लास्टिक कचरे के लिए एकत्र करने की जिस प्रणाली को हमने नियोजित किया है वही हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं निश्चित तौर से जन जागरूकता लाने के बारे में माननीय सदस्य के सुझाव का अनुसरण करूंगा। पहले ही कई राज्य सरकारों ने इस मामले को उठाया है और वे इसका प्रचार कर रहे हैं कि लोगों को प्लास्टिक की सामग्री के उपयोग पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, किंतु माननीय सदस्य के प्रश्न में ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर विशेष चिंता व्यक्त की गई है।

मैं निःसंदेह इस सुझाव को स्वीकार करता हूं किंतु मैं उन्हें पुनः आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक हम लोगों का संबंध है हम स्थानीय निकायों, राज्य सरकारों पर जोर देते रहे हैं कि वे अपने नगर निगम के ठोस कचरे के एकत्र करने की प्रणाली में सुधार लाएं ताकि प्लास्टिक हर जगह नहीं फैले और यह जन स्वास्थ्य के लिए संकट न बने।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: महोदया, मैंने मंत्री महोदय को बहुत ध्यान से सुना है। इसके पहले भी इसी सदन में इन्होंने इस विषय पर बयान दिया था, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। आज भी उन्होंने लगभग इसी बात को दोहराया है। इससे जो खतरे जलवायु के लिए, वातावरण के लिए पैदा हो रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा शायद मंत्री महोदय वाकिफ हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि नीतियां बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका क्रियान्वयन कहां तक सम्भव होगा और अपने अनुभव से भी हमें लाभ उठाना चाहिए। ये जो नियम 1999 बने थे और 2003 में उनका एमेंडमेंट हुआ था, उन नियमों के आधार पर हमारा इतने वर्षों में कुछ अनुभव आया है। अनुभव क्या आया है कि यह जो 20 माइक्रोन थिकनैस का प्लास्टिक बैग बनाना चाहिए, एक सरटेन साइज का बनाना चाहिए, वह नहीं बन रहा है, उससे कम थिकनेस का बन रहा है या उससे कम साइज का बन रहा है। प्लास्टिक बैग में सबसे आसान बात यह होती है कि उसको यूज करो और फेंक दो। उसे फेंकने का ही नतीजा है कि चारों तरफ हम लोग प्लास्टिक बैग्स के अंबार देख रहे हैं। कोई भी इस देश में आता होगा तो यही देखकर उसको सबसे ज्यादा शॉक लगता होगा कि इस देश में क्या हो रहा है।

मैं नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि कहीं-कहीं राज्य सरकारें भी अपना काम नहीं कर रही हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही हैं। ऐसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे? जहां तक इंप्लायमेंट का सवाल है, इसके पहले के सवाल में इल्लीगल माइनिंग की बात हो रही थी, उसमें भी लोगों इंप्लायमेंट मिलता है। इंप्लायमेंट सही हो, गलत स्रोत से इंप्लायमेंट न मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और पुरजोर सिफारिश करूंगा कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर बैन लगाने के बारे में सरकार सोच-विचार करे।

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रश्न को उठाने और पुन: यह कहने का अवसर प्रदान करने के लिए वरिष्ठ सदस्य का आभारी हूं कि स्वाभाविक रूप से प्लास्टिक जन जीवन के लिए खतरनाक नहीं होता है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: आप हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: स्वाभाविक तौर पर प्लास्टिक जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होता है, वह जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं होता है। प्लास्टिक कचरे को एकत्रित नहीं करना हमारी अक्षमता है। दूसरा, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि पुनर्चक्रीय किए गए प्लास्टिक की सामग्री, जो कानून के विरुद्ध है, का उपयोग, निम्नस्तरीय प्लास्टिक का उपयोग कानून के विरुद्ध है और जहां तक मानव जाति और पशुओं का संबंध है, इससे सभी तरह के खतरे उत्पन्न होते हैं।

महोदया, जैसा कि मैंने कहा, मैं पुन: कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की सलाह देना उचित नहीं होगा क्योंकि 20 वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार ने वन कटाई को रोकने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को प्रचारित करने का काम किया था और अब हम कह रहे हैं कि हम वहीं लौट रहे हैं। मैं कुछ सावधानी का आग्रह करूंगा। मैं इसे राज्य सरकारों पर छोडूंगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिक्किम राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू और कश्मीर राज्य ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई राज्यों ने तीर्थस्थलों पर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही रास्ता है। अंतिम जिम्मेदारी राज्य और स्थानीय निकायों की है। केन्द्र सरकार उपयुक्त नियम प्रख्यापित करेगी।

चूंकि माननीय सदस्य वित्त मंत्री रहे हैं, उन्हें यह जानने में रुचि होगी कि हम प्लास्टिक के थैलों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, हमने यह दिखाने के लिए अध्ययन कराया है कि यदि आप प्लास्टिक के थैले की कुछ कीमत बढ़ा दें तो लोग इनके उपयोग से विमुख हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि प्रशासनिक तंत्र की अपेक्षा आर्थिक प्रोत्साहन इन नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अच्छा है। मुझे माननीय सदस्य की भावना से सहानुभूति है कि उनके प्रश्न किस बात पर बल दे रहे हैं किंतु मुझे दुख है कि मैं उनके सुझाव पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं हूं कि हमें प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस समय यह कदम अत्यधिक कड़ा कदम होगा।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर पूर्ण रूप से कहीं-कहीं प्रतिबंध लगा है। जबकि तिरूपति बाला जी, जिसका माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है, वहां भी प्लास्टिक के थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा है, क्योंकि वहां जाने के बाद ऐसा देखने को भी मिला और उसका प्रयोग भी मिला। एक ओर जहां रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों की बात कर रही है, उसके साथ-साथ शहरों में जो छुट्टा पशु घूमते हैं, वे उस प्लास्टिक को खा लेते हैं और उनके पेट से 10 से 15 किलों के बड़े-बड़े ट्यूमर आपरेशन के माध्यम से निकाले गए हैं। इसके साथ ही साथ गांव में, कृषि जो इस देश की अर्थव्यवस्था की मेरूदंड है, वहां भी इसका प्रयोग इतने धड़ल्ले से बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है, वह उससे प्रभावित हो रही है। जो बीज अंकुरित होने चाहिए, प्लास्टिक के बैग की वजह से वे उग नहीं पाते हैं और उपज भी प्रभावित हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का कोई कानून बनाकर उन जीवों का, गाय-भैंस आदि जो इसे खाकर मर रही हैं और जिनके अंदर से ट्यूमर निकल रहे हैं और गांवों में इसका जो धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, उस संदर्भ में कोई नियम कठोरतापूर्वक बनाकर इसके लिए लागू करेंगे?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार हम तिरूपति, द्वारका, वैष्णो देवी जैसे तीर्थस्थलों पर वस्तुत: प्लास्टिक की पैकेजिंग सामग्री पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। यदि माननीय मंत्री ऐसा महसूस करते हैं कि यह सच नहीं है तो निश्चित रूप से मैं संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करके स्पष्टीकरण मांगूगा। परंतु अपनी जानकारी के अनुसार कल

तक मुझे यही बताया गया है कि तिरूपति, द्वारका और वैष्णो देवी तीन बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं जहां प्लास्टिक की सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य: शबरीमाला भी।

श्री जयराम रमेश: शबरीमाला भी। आशा करता हूं कि जहां तक पशुओं का प्रश्न है तो जब मैं यह कहूं कि पशुओं को शहरों में आवारा नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो माननीय सदस्य को बुरा नहीं लगेगा। हम प्लस्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते क्योंकि शहरों में पशु आवारा घूमते हैं। वस्तुत: हमारे पास ऐसी प्रणाली होनी चाहिए ...*(व्यवधान)* अन्यथा इसके अनन्ता लोग कहने लगेंगे कि हमें पशुओं पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमें इसमें नहीं उलझना चाहिए। मैं यह सुझाव दूंगा कि इसका समाधान तो यही है कि हम अपने शहरों में अपने पशुओं के रखरखाव के लिए बेहतर प्रणाली बनाए और यह सुनिश्चित करें कि हम उन्हें अपने नगर और शहरों में खुला न छोड़ें। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का प्रश्न है तो यह निश्चित रूप से सच है कि सिटी है इस बात की संभावना है कि प्लास्टिक हमारे पशुधन की खाने की शृंखला में प्रवेश कर रही है, वहां तक पहुंच रही है। हमें इस संबंध में सावधानी बरतनी होगी। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें अब तक जितनी भी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं वे सभी नगर निगम अपशिष्ट से संबंधित हैं तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों के अपशिष्ट से संबंधित नहीं हैं।

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों का आवंटन

\+
***463. श्री गोपीनाथ मुंडे:**
डॉ. भोला सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन करने संबंधी मानदण्ड कया हैं;

(ख) क्या देश में इस्पात एवं लौह परियोजनाओं को कोयला ब्लॉकों का आवंटन करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों से इस्पात और लौह परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कोयला ब्लॉकों का आवंटन करने के संबंध में विशेष नीति बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) उक्त नीति कब तक बनाये जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं:

(i) **सरकारी कम्पनी वितरण मार्ग:** इस व्यवस्था के तहत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की कम्पनियों/उद्यमों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(i) के तहत राज्य/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जाता है। इस मार्ग के तहत केवल सरकारी कम्पनियों को कोयला ब्लाक आबंटित किए जाते हैं तथा कोई निजी कम्पनी आबंटन के लिए पात्र नहीं है।

(ii) **केप्टिव वितरण मार्ग:** इस मार्ग के तहत, केप्टिव खनन के लिए विद्युत उत्पादन, लोहा और इस्पात उत्पादन, सीमेन्ट उत्पादन तथा कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा सतही) और कोयला द्रवीकरण के द्वारा सिन-गैस के उत्पादन के लिए अनुमोदित अन्त्य उपयोग हेतु आबंटन के वास्ते चिन्हित ब्लाकों के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की कम्पनियों से आवेदन का अनुरोध करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं। प्राप्त हुए आवेदनों को इनकी जांच के लिए जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जांच समिति जो सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी और अन्तर-सरकारी समिति है, की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii) के तहत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के पक्ष में कोयला ब्लाक का आबंटन किया जाता है। इस समिति में विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कोल इंडिया लि.,

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि., नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा संबंधित राज्य सरकार जहां ब्लाक स्थित है, के प्रतिनिधि हैं।

(iii) **टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत कोयला ब्लाकों का आबंटन:** इस मामले में पहचान किए गए कोयला ब्लाकों को विद्युत मंत्रालय को सौंप दिया जाता है, जो पात्र कम्पनियों से आवेदन आमंत्रित करके टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर अवार्ड किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के साथ कोयला ब्लाकों का लिंकेज निर्धारित करता है। विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(3)(क)(iii) के तहत विद्युत मंत्रालयों की सिफारिशों पर टैरिफ के लिए बोली के आधार पर विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला ब्लाकों का आबंटन किया जाता है।

(ख) और (ग) लोहा और इस्पात उत्पादन सहित विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए कोयला ब्लॉकों का आबंटन एक सतत प्रक्रिया है तथा जब कभी आबंटन हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान की जाती है और उन्हें निर्धारित किया जाता है तो इन पर आबंटन हेतु विचार किया जाता है। इस समय आबंटन हेतु किसी कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की पेशकश नहीं की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री गोपीनपथ मुंडे: अध्यक्ष महोदया, देश में बिजली की कमी के कारण प्रदेशों के बिजली कार्पोरेशन के बजाए हमने निजी क्षेत्रों को भी कैप्टिव कोल ब्लॉक दिए हैं। लेकिन वे उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उससे उत्पादन नहीं कर रहे हैं और उत्कलन नहीं कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने कैप्टिव ब्लॉक हैं जिन्हें ऐलॉट करने के बाद भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है? वे समयबद्ध सीमा में कैप्टिव कोल ब्लॉक का उपयोग करें अन्यथा उनका एलोकेशन कैंशिल करके क्या सरकार राज्य के बिजली कार्पोरेशन को कोल ब्लॉक ऐलॉट करने के बारे में सोचेगी?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में जैसे-जैसे औद्योगीकरण हो रहा है, वैसे-वैसे ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। ऊर्जा की आवश्यकताओं के साथ-साथ कोल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारी सरकार ने यह तय किया था कि हम कोल ब्लॉक्स सरकारी क्षेत्र को तो देंगे, साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी देंगे जिससे कोयले का उत्पादन तेजी के साथ बढ़ सके और हमने निजी क्षेत्र को भी कोयला के ब्लॉक का आवंटन किया। इन कोयले के ब्लॉक्स के आवंटन का हमारी मिनिस्ट्री में बाकायदा रिव्यू होता है कि ऐसी कौन सी कम्पनियां हैं जिन्होंने कोल ब्लॉक लिए हैं और उसके बाद भी वे उत्पादन नहीं कर रही हैं। हाल में ही एक कमेटी बैठी थी और उसने यह रिव्यू किया कि लगभग 40 कोल ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बिना कारण उत्पादन नहीं कर रहे हैं। उन्हें नोटिसेज दिए गए हैं। पांच कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द भी किया गया है और कोशिश की जा रही है कि निजी क्षेत्रों को जो कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं, उनसे जल्दी से जल्दी उत्पादन शुरू हो। सच्चाई यह है कि केवल निजी क्षेत्र ही नहीं, सरकारी क्षेत्र में भी जो कोल ब्लॉक्स स्टेट गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट के पीएसयूज को आवंटित किए गए हैं, उनमें भी कोयले का उत्पादन उतनी तेजी के साथ नहीं हो पा रहा है जितनी तेजी के साथ हमने अपेक्षा की थी। हमारी मिनिस्ट्री का यह प्रयास है कि आने वाले समय में तेजी के साथ कोयले का उत्पादन हो। उसके लिए अगर जरूरी होगा, तो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, हम कोल ब्लॉक्स का आवंटन रद्द कर सकते हैं और किये भी हैं।

श्री गोपीनाथ मुंडे: अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र राज्य बिजली कार्पोरेशन के सारे कोल ब्लॉक्स वेस्टर्न कोल फील्ड में आते हैं। आज उनके जो प्रौजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोल कम है। महाराष्ट्र बिजली कार्पोरेशन ने वहां की सरकार द्वारा आपसे महाराष्ट्र बिजली बोर्ड के लिए ब्लॉक्स की मांग की है, लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ है। विदर्भ क्षेत्र में गये पांच साल में लगभग छः निजी क्षेत्रों को क्या ब्लॉक्स अलॉट किये गये हैं? जब भी निजी क्षेत्र और सरकार के बिजली कार्पोरेशन से मांग आती है, तो क्या सरकार स्टेट के बिजली कार्पोरेशन को प्राथमिकता देगी, अग्रक्रम देगी? आज उनके जो प्रौजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोल कम है, ऐसा होते हुए भी निजी क्षेत्रों को एलोकेशन मिल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र बिजली बोर्ड की मांग को आप मान्यता देंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और उसी मांग के साथ-साथ कोयले की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के विषय में बात की है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस कारण वहां कोयले की मांग बढ़ रही है। हमने महाराष्ट्र सरकार को भी कोल ब्लॉक्स आवंटित

किये हैं और वहां पर निजी क्षेत्रों को भी कोल ब्लॉक्स आवंटित किये हैं। उनका उत्पादन भी शुरू हुआ है। आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र सरकार हमसे और भी कोल ब्लॉक्स मांगती है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम महाराष्ट्र सरकार के आवेदन को जरूर कंसीडर करेंगे और जहां तक हो सकेगा, हम उनकी रिक्वायरमैंट को पूरा करेंगे।

डॉ. भोला सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि जो निजी कम्पनियां हैं, जिनके लिए कोयला ब्लॉकों का लिंकेज निर्धारित किया गया है, वे उत्पादन में नहीं जा रही हैं, तो हम उनके लाइसेंस को कैंसिल कर रहे हैं। उनके जवाब के इस आलोक में, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है? आज भी प्राइवेट सैक्टर में दर्जनों ऐसी इस्पात कम्पनियां हैं, जिनको चार-पांच वर्षों से कोयले का आवंटन हो रहा है, लेकिन वे उत्पादन में नहीं जा रही है और आवंटित कोयले को ब्लैक में नेपाल और बंगलादेश में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन सारी चीजों पर क्या वे सीबीआई या किसी अन्य अथॉरिटी से जांच कराने की प्रक्रिया को अपनायेंगे?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जिस बात को पूछा है, उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि निजी क्षेत्र को जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किये गये हैं, वे लोग भरपूर उत्पादन नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि चाहे निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, जितने कोल ब्लॉक्स उनको आवंटित किये गये हैं, वे अपेक्षा के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि हमारी मिनिस्ट्री में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस बात को रिव्यू करती है कि जो कोल ब्लॉक्स आवंटित किये गये हैं, उनमें उत्पादन तेजी से शुरू हो और जो लोग उत्पादन तेजी के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम कार्यवाई करें।

जहां तक माननीय सदस्य ने नेपाल और दूसरे देशों को कोयला जाने की बात कही है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है। अगर माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई जानकारी है, तो वह जानकारी हमें दें। हम उसके लिए राज्य सरकारों से कहेंगे, क्योंकि लॉ एंड आर्डर पूरी तरह से राज्य का विषय है। अगर बिहार या किसी दूसरे सूबे से नेपाल या किसी दूसरे देश को कोयला जा रहा है, तो वहां की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पुलिस और इंटेलीजेंस के माध्यम से इस तरीके से बाहर जाने वाली कार्रवाई को रोके। लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास सूचना है, तो हम भी राज्य सरकारों से कहेंगे कि आप इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।

डॉ भोला सिंह (नवादा): मैडम, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। *(...व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको एक ही पूरक प्रश्न का समय मिलेगा, वह समय आप ले चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको: महोदया, माननीय मंत्री ने कोयला ब्लॉक आबंटन में अपनाये गए मानदंड विस्तार से बताएं हैं। परंतु यह मानदंड इतना व्यापक नहीं है क्योंकि इसमें निर्धारित समय सीमा में दोहन न किए जाने के कारण ब्लाकों के आबंटन को रद्द करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा था कि विद्युत की कमी इस देश की चिरस्थायी समस्या है और विद्युत क्षेत्र की मांग काफी अधिक है। पर्यावरणीय तथा अन्य स्वीकृतियों में देरी के कारण वे पक्ष जिन्हें ये आबंटित किए गए थे, भी पिछले पांच से छः वर्षों तक अनुज्ञापन होने के बावजूद कोयला ब्लाकों का दोहन नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकारी तंत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली बनाई जाएगी कि स्वीकृति समय से प्रदान की जा सके ताकि कोयला ब्लाकों का दोहन समय से किया जा सके तथा क्या सरकार उन कोयला ब्लाकों को रद्द करेगी जिनका निर्धारित समय में दोहन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर चिंता जताई है, मैंने पहले भी अपने जवाब में कहा है कि इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है जो समय-समय पर इसकी स्क्रीनिंग करती है कि कौन से कोल ब्लॉक्स में अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा है, 40 कोल ब्लॉक्स को हमने शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं और पांच कोल ब्लॉक्स हमने रद्द भी किए हैं। आने वाले समय में अगर उन शो-कॉज नोटिसेज के सही जवाब नहीं आए, तो और भी कोल ब्लॉक्स रद्द किए जाएंगे। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, सच्चाई यह है कि हम जो कोल ब्लॉक्स एलॉट करते हैं, उसमें लैण्ड एक्वीजिशन की प्रॉब्लम राज्य सरकार से संबंधित होती है। कहीं-कहीं लैण्ड एक्वीजिशन में भी बहुत समय लग जाता है। फॉरेस्ट्री क्लियरेंस और एनवायरनमेंट्ल क्लियरेंस में राज्य सरकार और एनवायरमैंट मिनिस्ट्री इन दोनों की भागीदारी होती है। उनसे क्लियरेंस लेने में बहुत टाईम लग जाता है। वैसे भी कोल ब्लॉक्स से उत्पादन शुरू करने में तीन से सात वर्षों का समय आवंटित किया जाता है क्योंकि यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को पूरे होने में बहुत समय लगता है लेकिन हम इस बात की क्लोज मॉनीटरिंग कर रहे हैं कि जो लोग

जान-बूझकर कोल ब्लॉक्स में उत्पादन शुरू नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह** (मुंगेर): महोदया, कैप्टिव सेक्टर में सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिजली के उत्पादन क्षेत्र को देने की सरकार की नीति है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह उद्देश्य भी होना चाहिए कि जिन प्रदेशों में बिजली का उत्पादन कम है उनको इसमे प्राथमिकता दें। ये दो तरह से, एक कोल ब्लॉक के माध्यम से और दूसरे कोल लिंकेज के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षेत्र को कोयला देते हैं। बिहार, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं बिजली का कुल उत्पादन आज मात्र 100-105 मेगावाट है। अगर वहां कोई उत्पादन ईकाई लगेगी, तो वह बिना कोयले के संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या कोल ब्लॉक्स या कोल लिंकेज के मामलों में सरकार की कोई भेदभाव बरतने की भी नीति है? यदि नहीं है, तो बिहार के कितने प्रस्ताव लिंकेज या ब्लॉक्स के, आपके यहां लंबित हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, हमारी सरकार किसी भी हाल में, कोई भी भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाती है क्योंकि हम जानते हैं कि बिजली का उत्पादन चाहे बिहार में हो, चाहे झारखण्ड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, उसका 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत शेयर नेशनल ग्रिड पर जाता है। इसलिए हर हाल में हमारा यही प्रयास होता है कि चाहे किसी भी राज्य में उत्पादन हो, उत्पादन बढ़ना चाहिए। जहां तक बिहार की बात है, हमने बिहार सरकार को दो कोल ब्लॉक्स दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी उनसे उत्पादन शुरू नहीं हुआ है जबकि उसके लिए जो टाइम एलॉट किया गया था, वह टाइम एक्सीड कर चुका है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह: मैडम,** माननीय मंत्री जी गलत बात कर रहे हैं। वे ब्लॉक्स बिजली के उत्पादन के लिए नहीं दिए गए हैं। मैं बिजली उत्पादन के बारे में पूछ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्षा जी, अगर पावर हाउस के लिए कोल लिंकेज बिहार सरकार मांगेगी, तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे।

हमारे यहां कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। हमारे यहां जितने भी इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, हम बराबर उनकी आवश्यकता के अनुरूप अलाटमेंट करते जाते हैं। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

श्री बंस गोपाल चौधरी: अध्यक्ष महोदया, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव था, बहुत दिनों से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काफी दिक्कत हो रही है। कोल ब्लॉक्स के सिलसिले में केन्द्रीय मंत्री जी की राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी के साथ, इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ चर्चा हुई थी। इस तरह की जो राज्य सरकार के साथ जो चर्चा हुई, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंत्री जी ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि मेरी वहां के मुख्य मंत्री के साथ बात हुई थी, जब मैं वैस्ट बंगाल गया था। उस समय मैंने उनसे कई अनुरोध किए थे और कहा था कि कोयले की जो चोरी हो रही है, गैर कानूनी रूप से माइनिंग हो रही है, उसे आप अपनी मशीनरी के माध्यम से रोकने का काम करें। लेकिन उस बात का कोई अच्छा असर देखने को अभी तक नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्हें जवाब तो देने दें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आप पहले पूरा जवाब सुन लें। जहां तक कोल ब्लॉक्स की बात है, पश्चिम बंगाल सरकार को जितने ब्लॉक्स दिए गए हैं, उनमें उत्पादन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, यह बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। फिर भी हमारी कोशिश होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बंस गोपाल चौधरी: मैं विरोध करता हूं ...*(व्यवधान)* मैं अपना विरोध दर्ज करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं। मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हमारी सरकार इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती है कि ऐसे राज्य जहां विकास तेजी से नहीं हो पाया है, अगर वे हमसे कोल ब्लॉक्स या कोल लिंकेज मांगते हैं, तो हम प्राथमिकता के आधार पर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि राज्य सरकारों को भी चाहिए कि उन्हें जो कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं, उनमें वे जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करें। इसके अलावा वहां जो कोयले की चोरी होती है, उस पर अंकुश लगाएं। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार हर तरीके से उन्हें मदद करने को तैयार है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न सं. 464

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

प्रदूषणकारी अपशिष्ट उत्पादों का आयात

***464. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**
डॉ. संजय सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, वर्ष-वार, अपशिष्ट का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(घ) उक्त अपशिष्ट की देश में क्या उपयोगिता है;

(ड़) क्या इस प्रकार के अपशिष्ट से देश में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा कोई विनियामक तन्त्र बनाने सहित क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परिसंकटमय अपशिष्टों के उचित प्रबंधन और हथालन के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 अधिसूचित किए हैं। परिसंकटमय अपशिष्टों का सीमापारीय संचलन इन नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। निपटान के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। इनका आयात करने की अनुमति केवल पुन:प्रयोग, पुन:चक्रण अथवा पुन:प्रसंस्करण के संबंध में दी जाती है। आयात किए जाने वाले सामान के साथ मूवमेंट डाक्यूमेंट तथा किसी जानी-मानी प्रयोगशाला से प्राप्त एक टेस्ट रिपोर्ट अथवा किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी का प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट संलग्न करना अपेक्षित है।

परिसंकटमय अपशिष्ट पुन:चक्रणकर्ता और पुन:प्रसंस्करणकर्ता उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत होते हैं। इन उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार कार्य करने की अनुमति तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति से परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, कतिपय पुन:चक्रण/पुन:प्रसंस्करण उद्योगों का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) में पंजीकृत होना आवश्यक है।

प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन संबंधी स्थिति की मॉनीटरिंग संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने परिसंकटमयय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। इस समिति में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीजीएफटी), पोत परिवहन मंत्रालय, सीपीसीबी, चुनिंदा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप अपना पहला पूरक प्रश्न पूछें।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से विदेशों से भारी मात्रा में हमारे देश में रीसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग के नाम पर स्क्रैप के रूप में कबाड़ आ रहा है। इसके कारण हमारा देश आज कूड़ाघर बनता जा रहा है। इस तरह के कबाड़ आने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में मायापुरी इलाके में घटना हुई और जो रेडियोधर्मी पदार्थ आए, उनके रेडिएशन के प्रभाव से छः लोग घायल हो गए तथा एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। जो अधिकारी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जांच करते हैं, उनकी जेबें भर दी जाती हैं, जिसकी वजह से सही रूप से वे जांच नहीं करते। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के कबाड़ को जांचने की ड्यूटी किस अधिकारी की है और ये अधिकारी जांच का काम क्यों नहीं सही ढंग से करते, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: हम अनुमति नहीं देंगे। मुझे कहने दीजिए, क्षेपण भूमि (डम्पिंग ग्राउण्ड) के रूप में हानिकारक अपशिष्टों के आयात में हम अनुमति नहीं देंगे। हम पुनःचक्रण, वसूली तथा पुनः उपयोग के लिए हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार ही आयात की अनुमति देंगे। ई-अपशिष्ट का हम भी निर्यात करते हैं। मैं सदस्य महोदय केवल शुरुआती जानकारी देने का ही प्रयास कर रहा हूं। हमारे पास हानिकारक अपशिष्ट के आयात और निर्यात को शासित करने वाले कड़े नियम हैं। इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। मैं इस तथ्य को भी स्वीकार करता हूं कि इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जब कभी भी ऐसे नोटिस आते हैं जो इन नियमों के उलट हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं तो हम उन पर शीघ्रता से कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि भारत में ऐसे जहाज आते हैं जिन पर हानिकारक अपशिष्ट लदे होते हैं तो हमने इस संबंध में ठोस निवारक कार्रवाई की। मैं माननीय सदस्यों तथा सभा को पुनः आश्वास्त करना चाहूंगा कि हमारे पास ठोस हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम हैं। इन नियमों के क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करने के साथ बेहतर समन्वय करने की आवश्यकता है, जहां जहाजों से माल उतरता है। हमें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी व्यापार नीतियां विशेष आयात-निर्यात नीति अपशिष्टों के निःशुल्क आयात की अनुमति नहीं देती। मैंने यह बात वाणिज्य मंत्री के साथ भी उठाई है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वासन देना चाहूंगा कि हम किसी भी प्रकार से उदारवादी ढंग से अपशिष्ट के आयात को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: यह जो रेडियोधर्मी पदार्थ आ रहे हैं, उनकी सिर्फ भारत द्वारा ही जांच होती है जो सही नहीं है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि देश में कितना कबाड़ आ रहा है, क्या इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं? इन कबाड़ों में से जिस कबाड़ का उपयोग नहीं होगा, उनका क्या किया जाएगा, इस प्रश्न पर सरकार मौन है। जिस कबाड़ का उपयोग नहीं हो पाता है, उसका निपटान किस प्रकार होता है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: सर्वप्रथम हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में जब चिकित्सीय अपशिष्ट, हानिकारक अपशिष्ट तथा ई-अपशिष्ट ही कवर होते हैं। यह रेडियोधर्मी अपशिष्ट को कवर नहीं करता रेडियोधर्मी अपशिष्ट परमाणु उर्जा अधिनियम के अंतर्गत कवर होता है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न है तो हम प्रतिवर्ष तकरीबन 6 मिलियन टन हानिकारक अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं जिसमें से तकरीबन 50 प्रतिशत पुनर्चक्रण के लिए चला जाता है, हमारे पास शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधाओं का व्यापक तंत्र उपलब्ध है। देश भर में हमारे पास इस प्रकार के 25 शोधन, भंडारण और निस्तारण सुविधा केन्द्र हैं तथा शीघ्र ही इस प्रकार के आठ और केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रक्रिया में है। देश में बढ़ते ई-अपशिष्ट के मुद्दे की बढ़ती महत्ता के मद्देनजर हमने अलग से ई-अपशिष्ट नियम बनाएं हैं जिन्हें जल्दी ही अधिसूचित किया जाएगा। हम अलग से भी एक योजना बना रहे हैं जिसके द्वारा हम ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग सुविधाओं की स्थापना करेंगे। जिसके लिए 25 प्रतिशत वित्तपोषण केन्द्र सरकार मुहैया कराएगी, अन्य 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि उद्यमियों द्वारा जुटाई जाएगी।

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह: माननीय महोदया, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट आया नहीं है। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2009 के एक सवाल के जवाब में कहा था कि देश में आज करीब 36.37 हजार ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बहुत खतरनाक वेस्ट उत्पादित करती है। इसके बावजूद हम अपने देश में दुनिया भर का कबाड़ा आने देते हैं। इन्होंने नियम भी बताए हैं और प्रतिबंध भी लगाए हैं, बहुत भारी कमेटी इस बारे में बनी है लेकिन आज भी ग्लोबल वार्मिंग की तरह से, इस वेस्ट की और सारे पॉलिथीन वेस्ट की चर्चा अखबारों में भी होती है, यहां भी होती है और यह समाज की चिंता भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई क्लीयर-कट नीति बनेगी और यह देश इससे चिंता मुक्त हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश: हमारे पास खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम है। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य कि

हमारे पास कोई नीति नहीं है, में कोई सच्चाई नहीं है। हमने गत कुछ वर्षों के दौरान एक स्पष्ट नीति प्रतिपादित की है जिसके द्वारा खतरनाक अपशिष्ट का व्यापार और इन 35,000-36,000 उद्योगों द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हमारे पास पूरे देश में 25 उपचार, भंडारण और निपटान संबंधी सुविधाएं हैं। आठ और ऐसी सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। अभी भी हमारे पास कमी रहेगी। लगभग 3 एमटी खतरनाक अपशिष्ट जिसके शोधन, भंडारण और निपटान की आवश्यकता है, इसके अलावा हमें एक मिलियन टन के शोधन के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक खतरनाक अपशिष्ट का संबंध है केन्द्र सरकार जहां तक संभव हो कठोरतम नियम बनाने की अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि नियम बनाना समीकरण का केवल एक पक्ष है। इन नियमों का कार्यान्वयन और निगरानी हमारे जैसे देश में राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों की जिम्मेवारी है। मैं जिम्मेवारी से बचना नहीं चाहता हूं। मैं स्वयं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूं और मैंने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश दिया है कि जहां कहीं भी खतरनाक प्रबन्धन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन होता है वहां आगे बढ़कर कार्रवाई करें।

मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब भी हम कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं राज्य सरकारों से यह अभ्यावेदन प्राप्त होता है कि कार्रवाई धीमी की जाए या इस संबंध में कड़ा रुख नहीं अपनाया जाए क्योंकि ये लोगों को लाखों की संख्या में रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम कोई बेहतर रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम मायापुरी जैसी सुविधाओं को चलने दे जहां हाल ही में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला। हमें इस संबंध में कड़ा रुख अपनाना होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सक्रिय भूमिका निभाएगी लेकिन अंततः राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आरम्भिक जिम्मेवारी निभानी होगी।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, प्रश्न का संबंध खतरनाक अपशिष्ट के आयात से है। इसका संबंध देश में उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट से नहीं है और मंत्री महोदय ने विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्ष-वार आयात किए गए अपशिष्टों की मात्रा से संबंधित खण्ड का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मुंबई के निकट जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह पर भारत में आयातित अपशिष्ट तेल के 190 कन्टेनर गत 10 वर्षों से पड़े हैं और वे कन्टेनर फूल गए हैं उनसे तेल का रिसाव हो रहा है और कुछ मामलों में उनमें विस्फोट तक हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की थी। समिति के सभापति ने वर्ष 2006 में त्यागपत्र दे दिया था और समिति निष्फल हो गई। गत माह खतरनाक अपशिष्ट नियमों में संशोधन किया गया है। देश में ऐसा समझा जा रहा है और हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी समिति के असफल हो जाने और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा खतरनाक अपशिष्ट नियमों का संशोधन किए जाने के बाद क्या यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी और इस प्रकार किसी की भी जिम्मेवारी नहीं होगी?

अध्यक्ष महोदया: आपके पास काफी कम समय बचा है कृपया जल्दी करें।

श्री भर्तृहरि महताब: क्या यह सरकार के ध्यान में आया है कि गत माह के संशोधन ने भारत आने वाले खतरनाक अपशिष्ट के प्रवाह के नियंत्रण को और भी कठिन बना दिया है? अब व्यापारी खतरनाक अपशिष्ट का आयात कर रहे हैं। पूर्व में यह पुनः चक्रणकर्ताओं की जिम्मेवारी थी कि वे इसे नियंत्रित करें।

श्री जयराम रमेश: महोदया, जहां तक जेएनपीटी मामले का संबंध है, मैं इसका विवरण प्राप्त करूंगा और माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा। जहां तक नियमों में संशोधन का संबंध है, संशोधन धातु स्क्रेप के मामले में किया गया है। अनेक माननीय संसद सदस्य मेरे पास आते हैं और निवेदन करते हैं कि धातु स्क्रेप खतरनाक अपशिष्ट नहीं है। विशेषकर गुजरात से सभी दलों के सदस्यों ने मुझसे निवेदन किया है और विस्तृत जांच के पश्चात मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि वे सही थे और हमारे पास वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ व्यापारियों के लिए धातु स्क्रेप के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। हमने अपनी शर्तों को और कड़ा कर दिया है। अब हम उनसे यह चाहते हैं कि वे केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष अपना पंजीकरण कराएं। संशोधन किसी भी रूप से खतरनाक अपशिष्ट के आयात को उदार नहीं बनाता है बल्कि धातु स्क्रेप के आयात को सुकर बनाता है जिसे विभिन्न संसद सदस्यों से मुझे प्राप्त मांग के आलोक में अब खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

श्री अधीर चौधरी: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारे बंदरगाह हमारे देश में आयात किए जाने वाली खतरनाक सामग्री को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं।

श्री जयराम रमेश: महोदया, ईमानदार उत्तर नहीं है। मैंने अभी हाल ही में माननीय वित्त मंत्री को लिखा है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक संयुक्त तंत्र स्थापित करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र के प्रति सीमा शुल्क को ज्यादा संवेदनशील बनाया जा सके। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री के सहयोग से हम अपनी बंदरगाह प्रक्रियाओं को ज्यादा चुस्त-दुरूस्त बनाने में सफल होंगे ताकि हम खतरनाक अपशिष्ट के आयात पर ज्यादा नियंत्रण लगा सकें।

मैंने वाणिज्य मंत्री को भी लिखा है कि वे सुनिश्चित करें कि यदि खतरनाक अपशिष्ट आयात खुले लाइसेंस (ओजीएल) पर होता है तो हमें खतरनाक अपशिष्ट के निःशुल्क आयात की अनुमति नहीं देनी चाहिए। खतरनाक अपशिष्ट का आयात केवल खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2008 के आधार पर होना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

फर्जी शैक्षिक संस्थाएं

***465. श्री इज्यराज सिंह:**
श्री हरीश चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कतिपय फर्जी एवं गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन शैक्षिक संस्थाओं के कार्यकरण को विनियमित करने वाले कानून/नियम क्या हैं;

(घ) फर्जी/गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के विरुद्ध क्या दांडिक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) देश में इन संस्थाओं की वृद्धि को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने दिनांक 6 जनवरी, 2005 के एआईसीटीई विनियमों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि परिषद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई तकनीकी शिक्षा संस्था शुरू नहीं की जाएगी और कोई नया पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम लागू नहीं किया जाएगा, का उल्लंघन करके तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को संचालित कर रही गैर-अनुमोदित 201 संस्थाओं को अभिनिर्धारित किया है। इस प्रकार की संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 का उल्लंघन करके कार्य कर रही कतिपय संस्थाओं को जाली विश्वविद्यालयों के रूप में अभिनिर्धारित किया है और इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। जबकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियमों में किसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नही की गई है तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस प्रकार की संस्थाओं को दण्डित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों से दण्डात्मक कानूनों के तरह कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करती रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए छः मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। कतिपय अनुचित कार्यों को रोकने से संबंधित एक विधायी प्रस्ताव को संसद में पेश करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रस्ताव में सांविधिक प्राधिकरणों से मान्यताप्राप्त होने का दावा करने वाली गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाओं को दण्ड देने की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार विद्यार्थियों को इनमें दाखिला लेने से रोका गया है।

इस प्रकार की संस्थाओं की वृद्धि को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रतिवर्ष मुद्रित/इलेक्ट्रानिक्स मीडिया और अपनी सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से इस बारे में विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हैं जिसमें विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इस प्रकार की जाली और गैर-अनुमोदित सस्थाओं में दाखिला न लेने के लिए सतर्क किया जाता है। इस संबंध में इस मंत्रालय ने दिनांक 17 जून, 2008 को यह आम 'अपील' जारी की थी कि विद्यार्थियों को इस बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रम प्रासंगिक कानूनों के तरह मान्यताप्राप्त हैं और गुणवत्तामूलक तथा विख्यात हैं और इस बारे में किसी प्रकार का संदेह होने की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे प्रासंगिक सांविधिक निकायों से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। सांविधिक निकायों की भी यह सलाह दी गई है कि इस प्रकार की जाली संस्थाओं के विरुद्ध कारगर अभियान शुरू किया जाए तथा कानून के तहत उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई की जाए, और इसके साथ-साथ मीडिया से भी यह अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रकार की संस्थाओं के भ्रामक विज्ञापनों को प्रकाशित करने से मना कर दे जबकि ऐसा करने से उन्हें विज्ञापन राजस्व की हानि हो सकती है।

विवरण I

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के बिना तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली गैर-अनुमोदित संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	कालेज का नाम	कार्यक्रम
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	ग्रामीण अध्ययन प्रशासन संस्थान, संस्थागत एरिया-1, चौदावरम, गुण्टूर-522019, आंध्र प्रदेश 0863-2288354, 2288454, 2288353 एफ **irsain@sancharnet.in** **http:/www.indianmba.com/andhrapradesh/ANP125/anp125.html** **MGCGV Chitrakot**	(1) एमजीसीजीवी चित्रकूट के साथ संगम ज्ञापन के अंतर्गत चलाए जा रहे ग्रामीण प्रबंधन में पीजी कार्यक्रम (2) एमजीसीजीवी चित्रकूट के साथ संगम ज्ञापन के अंतर्गत चलाए जा रहे ग्रामीण प्रबंधन में फैलोशिप कार्यक्रम (3) डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्फलिक्ट एण्ड फैमिली मैनेजमेंट मे पीजी कार्यक्रम (4) डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्फलिक्ट एण्ड फैमिली मैनेजमेंट में फैलोशिप कार्यक्रम
2.	आईटीएम विजनेस स्कूल 2-1-569/109, राजा पन्नालाल पिट्टी ब्लॉक-बी, यूनिवर्सिटी रोड, नालकुंता, हैदराबाद-500044, आंध्र प्रदेश (040) 27608187, (040) 27676787 एफ **hyderabad@itm.deu** **http://www.itm.edu/EEC/hyderabad/index.php** उपलब्ध नहीं है	(1) फार्मा एण्ड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में मास्टर (2) एमएस (आईटी) टेलीकॉम और नेटवर्किंग (3) फार्मा उद्योग कार्यक्रम में ईएक्सई मास्टर
3.	राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (एनआईसीएमएआर) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश **hyd2_nicmarcb@sancharnet.in** **http://www.nicmar.org/institute/cise.htm** उपलब्ध नहीं है	(1) एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मैं पीजीडी (पीजीडी एसीएम)-2 वर्ष (2) कंस्ट्रक्शन सेफटी मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जीडीसीएसएम)-1 साल एफटी (3) बिल्डिंग सर्विसिस एण्ड फैसिलिटिज मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जीडीबीएसएफएम)-1 साल एफटी
4.	वेंकट शैक्षिक अकादमी दूसरा तल, एडम आरकेड, 40-5-19/20 सिद्धार्थ सर्कल के निकट, मोगल राजापुरम केव्स के सामने, आंध्र प्रदेश उपलब्ध नहीं है (1) अध्ययन केन्द्र कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	(1) एमबीए (2) एमसीए (3) बीटेक और (4) एम.टेक
5.	इण्डो-अमेरिकन टूरिज्म लिमिटेड डोर-# 47-9-14, द्वारका नगर,	(1) होटल एण्ड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में 3 साल का बीए डिप्लोमा

1	2	3
	विशाखापट्टनम-530016, आंध्र प्रदेश 891-2543732 2531046 **http://www.eiahla.org/search_schools-view.asp /id=614** (1) एएचएलए, यूएसए	
6.	नीरज इंटरनेशनल कालेज 44-उमानगर, आर.जे.रोड, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, आंध्र प्रदेश **(1) http://www.nchmct.ac.in/index.html, (2) http:/www.indiaedu.com/career-courses/hotel-management-courses/andhrapradesh.html** (1) वाल्थम फारेस्ट कॉलेज	होटल एण्ड रेस्टोरेंट मैनेजमैंट में 3 वर्ष का बीए और एक वर्ष का डिप्लोमा (1) हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एडेक्सल एचएनडी
7.	भारतीय बिजनेस स्कूल आइएसबी कैम्पस, गाचीबोहली, हैदराबाद-500019, आंध्र प्रदेश उपलब्ध नहीं है **www.isb.edu** (1) केलाग प्रबंधन स्कूल (2) दी वारटन स्कूल (3) लंदन बिजनेस स्कूल (4) दक्षिण न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी (एसएनएचयू), यूएसए	(1) एक साल का पीजी कार्यक्रम (2) पीडी अनुसंधान फैलोशिप कार्यक्रम (3) लघु कालिक ओपन एण्ड कास्टोमाइज ईएक्सई प्रोग्राम
	चण्डीगढ़	
8.	आईसीएआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मोहाली कैम्पस: 2265ए, फेस-7, (फैस-7 और सेक्टर 70 डिवाडिंग रोड) चंडीगढ़: एससीओ 22, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्रों सहित हार्डवेयर और सॉफटवेयर पाठ्यक्रमों में सहयोग	एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमकाम, बीकाम, एमए/बीए
9.	एसीटीएच प्रबंधन चंडीगढ़ एससीओ 139-140, प्रथम तल, सेक्टर-9, मध्य मार्ग चंडीगढ़	
10.	बेल्स शिक्षा एवं अनुसंधान सोसायटी दी माल, बिलोव ट्रिब्यून ऑफिस, शिमला चंडीगढ़: एससीओ-2, सेक्टर-34-सी, चंडीगढ़	एमबीए, बीबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
11.	जीसीएस कम्प्यूटर -एससीओ 162-163, सेक्टर-9, चंडीगढ़	एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, पीजीडीबीएम, बीबीए, बीसीए, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय,जालंधर का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

1	2	3
12.	जीएससी एससीओ 162-163, मध्य मार्ग, सेक्टर-9-सी, चंडीगढ़ सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत ट्रिब्यून में दिनांक 28.9.2006 के विज्ञापन के अनुसार सहयोग	एमबीए, एमसीए
13.	आईसीईआई एससीओ 198-200, सेक्टर 34 ए चंडीगढ़	एमबीए, एमसीए
14.	आईपीएफएआई बिजनेस स्कूल गुड़गांव और चंडीगढ़	एमबीए-एफटी
15.	क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र-दूरस्थ शिक्षा निदेशालय एससीओ 155 एफएफ सेक्टर-37-सी, चंडीगढ़	एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, पीजीडीबीएम, बीबीए, बीसीए मुदरई कामराज विश्वविद्यालय जालंधर का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
16.	वीवीटीएस एससीओ 829, एनसीए, मनीमाजरा, चंडीगढ़ सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत ट्रिब्यून में दिनांक 28.9.2006 के विज्ञापन के अनुसार सहयोग	एमबीए, एमसीए
	दिल्ली	
17.	भारतीय आयोजना एवं प्रबंधन संस्थान, आईआईपीएम टावर, बी-27, कुतूब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016 आईआईपीएम उद्यमशीलता कार्यक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (आईएमआई) यूरोप से अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय एमबीए/बीबीए डिग्री	एमबीए और एमबीई
18.	प्रबंध में इंस्टिट्यूट फार इंटररिलेटिड लर्निंग, लोधी इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली फॉरेन पार्टनर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राडफोर्ड, यूके	बिजनेस और प्रबंधन अध्ययन विदेशी डिग्रीयों में बैचलर्स
19.	एलबीआईआईएचएम बी-98, पुष्पांजलि एंक्लेव, आऊटर रिंग रोड पीतमपुरा, दिल्ली-110088 विदेशी सहयोगी: एएलएचए, यूएसए	होटल और रेस्टोरेंट प्रबंधन में बीएससी (ऑनर्स) डिग्री
20.	पर्ल्स एकेडमी ऑफ फैशन सी-56/2 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस-**II** नई दिल्ली-110020 फारेन पार्टनर: नाटिग्म ट्रेंट युनिवर्सिटी एनटीयू	फैशन टेक्नोलाजी में पीजी डिप्लोमा, फैशन टेक्नोलाजी में अन्य डिप्लोमा
21.	आर.एम. इंस्टीट्यूट एन-13 साऊथ ऑफ सैनिक फार्म, खसरा नं. 18/54 ग्राम-देवली, जिला-महरौली, नई दिल्ली-110062 फारेन पार्टनर: थेम्स वेली युनिवर्सिटी	बीए (ऑनर्स) हास्पिलिटी मैनेजमेंट बीए ऑनर्स इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट

1	2	3
22.	स्काईलाइन बिजनेस स्कूल हौज खास इंक्लेव, नई दिल्ली-110016 फारेन पार्टनर: नेशनल अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यूएसए	मास कम्यूनिकेशन में बीबीए और बीए
23.	वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 24ए, लाजपत नगर, नई दिल्ली फारेन पार्टनर- वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी	बिजनेस अध्ययन में स्नातक एंड मास्टर
24.	दी सीएफए इंस्टीटयूट ऑफ चारलोटीजविले, 560, रे सी. हंट डा. चारलोटीजविले वीए, 22903-2981 यूनाईटेड स्टेट ऑफ अमेरिका	सीएफए कार्यक्रम
25.	भारतीय बिजनेस एवं वित्त स्कूल, ओखला फेस-1, नई दिल्ली-110002 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस के साथ सहयोग	वित्त में पीजी डिप्लोमा
26.	कास्मिक बिजनेस स्कूल कैम्पस बी-1-ई-11, एमटीआईई (नियर समकेन हाऊस एनटीपीसी, बदरपुर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044)	पीजीडीएम-एफटी, एमबीए-एफटी
27.	एफओएसटीआईआईएमए बिजनेस स्कूल 75-76, अमृतनगर, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली-110003	मार्केटिंग, फाईनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, रिटेल, सर्विसेस, हयूमन रिर्सोस, फाईनेंसियल सर्विसिस, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ एमबीए
28.	आईसीएफएआई बिजनसे स्कूल सीपीएडी 504 पांचवा तल, इंदिरा प्रकाशन बिल्डिंग, 21 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रमों को आयोजित करना
29.	आईआईएमआर फार्मा बिजनेस स्कूल, लक्ष्मीनगर, दिल्ली-110092	एमबीए पीजीडीबीएम
30.	आईआईपीएम इंडियन इंस्टियूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट टावर, बी-27 कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016	बीबीए-एमबीए
31.	इण्डस वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110020	पीजीपीएम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मेनेजमेंट
32.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110020	पीजीपी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मैनेजमेंट
33.	इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, 12/1 मथुरा रोड, (दिल्ली-फरीदाबाद बार्डर) दिल्ली	एमबीए-एफटी

1	2	3
34.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एण्ड मीडिया, सातवां तल अग्रवाल मिलेनियम टावर, पीतमपुरा, वजीरपुर डिक्ट्रिक सेंटर, दिल्ली-110034	बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी कार्यक्रम, हयुमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पीजी प्रोग्राम, सप्लाई चेन एण्ड आपरेशन मैनेजमेंट में पीजी प्रोग्राम (केवल इंजीनियरी स्नातकों के लिए)
35.	केआर मंगलम ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेटर कैलाश-**II**, नई दिल्ली-110048	एमबीए, पीजीपीएम, पीजीसीएम
36.	एमएआईआई (केके मोदी ग्रुप) 24ए, लाजपत नगर-**IV** रिंग रोड, नई दिल्ली-110024	
37.	ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज, 505/506, प्रकाशदीप बिल्डिंग टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली	एमबीए
38.	संजना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एसआरआईएम) सेक्टर-7, दूसरी मंजिल, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	एमबीए-एफटी
39.	श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एसआरआईएम) एस.आर.सी.आई.आर एण्ड एच.आर., 4 स्फदर हाशमी मार्ग, मण्डी हाऊस, नई दिल्ली	एमबीए-एफटी
40.	टाइम्स बिजनेस स्कूल कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-48	एमबीए मीडिया एवं कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा
	गोवा	
41.	ऐकेडमी ऑफ क्यूलिनरी एजुकेशन सिडाडे डे गोवा बीच रिजोर्ट, वैन्म्यूजियम बीच, गोवा-403004 विदेशी संबंधन: प्रतिनिधि के माध्यम से एएचएल ए, यूएसए एण्ड क्यलिनरी स्विटजरलैण्ड ज्वायंट डिग्री एण्ड इनपुट।	होटल तथा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में तीन वर्षीय बीए तथा एक वर्षीय डिप्लोमा
42.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट, दी होटल स्कूल, कोलकाता और गोवा पीएच-बैनर्जी-09831483682-क्वीन मारगरेट यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनाइटेड किंग्डम के साथ संबंधन	एचएचसीटी कार्यक्रम
	गुजरात	
43.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम, अहमदाबाद विदेशी संबंधन: ग्रामबलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी एण्ड क्लार्क यूनिवर्सिटी, टविनिंग अरेंजमेंट	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय डिप्लोमा

1	2	3
44.	गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, वेद हाऊस, होम्योपैथी कॉलेज के पीछे, आरसी पटेल एस्टेट के पास, अकोटा पादरा रोड, वड़ोदरा, गुजरात-3900201 विदेशी संबंधनः प्रतिनिधि के माध्यम से एएचएल, यूएसए ज्वायंट डिग्री एण्ड इनपुट	होटल तथा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में तीन वर्षीय बीए तथा एक वर्षीय डिप्लोमा
45.	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड क्यूलिनरी आर्टस, 105, लिलीयर, प्रथम तल आरसी पटेल एस्टेट के सामने, अकोटा पादरा रोड, वड़ोदरा-390020 विदेशी संबंधनः प्रतिनिधि के माध्यम से ज्वांयट डिग्री एण्ड इनपुट एएचएलए, यूएसए	होटल एण्ड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में 3 वर्षीय बीए और 1 वर्षीय डिप्लोमा
46.	एफडीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट रिसर्च, अहमदाबाद	
	हरियाणा	
47.	अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, सेक्टर-55, गुड़गांव-122.00 विदेशी सहभागीः नार्थ दाकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी	एमबीए, बीटेक
48.	कॉलेज ऑफ हास्पीटेलिटी एण्ड टूरिज्म-गुड़गांव 486-487 उद्योग विहार, फेस-**III**, गुड़गांव-122016 विदेशी सहयोगीः एएलएचए, यूएसए कालेज ऑफ हास्पीटेलिटी एण्ड टूरिज्म स्टडीज, 3/311, विशाल खान (सीएमएस के सामने) गोमती नगर, लखनऊ-226010 एएचएलए, यूएसए के साथ सहयोग	होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में बीएससी (ऑनर्स) डिग्री
49.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलाजी, 336, उद्योग विहार, फेस-वीटी, गुड़गांव, हरियाणा, 211001 विदेशी सहयोगः आक्सफोर्ड ब्रोक्स यूनिवर्सिटी	होटल एण्ड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में बीएससी (ऑनर्स) डिग्री
50.	जीडी गोयनका वर्ल्ड इस्टीट्यूट, जीडी गोयनका एजुकेशन सिटी, सोहना-गुड़गांव रोड, हरियाणा लानकास्टर यूनिवर्सिटी, यूके के साथ सहयोग	ग्लोबल एमबीए के साथ वित्त, एचआर, मार्केटिंग एण्ड इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड फमिली बिजनेस एण्ड इण्टरनेशनल बिजनेस (2 वर्षीय)
51.	आईसीएफएआई नेशनल स्कूल, 308, कुतुब प्लाजा, फेस-**I** गुड़गांव	
52.	आईआईएलएम फार हायर एजुकेशन, प्लाट नं 69, सेक्टर-53, गुड़गांव	पीजीडीएम-एफटी

1	2	3
53.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल एरिया, प्लाट नं, 38, सेक्टर-32, गुड़गांव-122002	
54.	जे के बिजनेस स्कूल, एससीओ-25, सेक्टर-14, गुड़गांव-122001	पीजीडीबीएम, एमबीए
55.	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर साइंस, एससीओ 212, दूसरा तल, सेक्टर-14, पंचकुला	बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, एमएससी पीजीडीसीए, एमफिल, आर्टस एण्ड क्राफट में डिप्लोमा-गुरू जम्भेशवर विश्वविद्यालय, हिसार तथा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के अध्ययन केन्द्र में प्रदत्त पाठ्यक्रम
	हिमाचल प्रदेश	
56.	नार्थ इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, गुलमोहर काम्प्लेक्स, जिरकपुर-शिमला हाइवे नियर रेलवे क्रासिंग, जिरकपुर-पीओ-धकोली-140201 चंडीगढ़ विदेशी सहभागी: एएलएच, यूएसए	होटल तथा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में तीन वर्षीय बीए तथा एक वर्षीय डिप्लोमा
	केरल	
57.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेंट, पार्क सेंटर, टेक्नोपार्क कैम्पस, केरल	
	कर्नाटक	
58.	एमएस रमैयया स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, गनांगगंगोत्रे कैम्पस, न्यू बीईएल रोड, बैंगलोर-560054- विदेशी संबंधन: कोवेन्ट्री यूनिवर्सिटी टवींनिंग अरेंजमेंट, विदेशी डिग्री	कम्पीटिटीव मन्युफैक्चरिंग में एमएससी (इंजीरियरिंग) मैनयुफैक्चरिंग मैनेजमेंट, ओटोमेटिक इंजीनियरिंग, कम्यूनिकेशन मैन्युफैक्यरिंग, डिजीटल रिगनल एण्ड इमेज प्रोसेसिंग, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, स्मार्ट सिस्टम डिजाइन, वीएलएसआई सिस्टम डिजाइन, न्यू प्राडक्ट डिजाइन रोटेटिंग मशीनरी डिजाइन एण्ड रियल टाइम एम्बेडिड सिस्टम
59.	इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एण्ड इंटरनेशनल मैनेजमेंट 2461, 24वां क्रास, वीएसआईसी-11 स्टेज, बैंगलोर-560070 फारेन पार्टनर: लिवरपुर जॉन मोरस यूनिवर्सिटी	बिजनेस अध्ययन में मास्टर
60.	मेटस स्कूल ऑफ बिजनेस, मेटस टावर, 319, 17वां क्रास, 25वां मेन, जे.पी. नगर 6वां फेस, बैंगलोर-560078, इएससीपीएयू वित्त के साथ सहयोग	बिजनेस प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीबीएम) पीजीडीबीएम- (इंटरनेशनल बिजनेस)
61.	एमपी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय विद्या भवन, नं. 43, रेस कोर्स रोड, बैंगलोर- फारेन पार्टनर: मार्शल यूनिवर्सिटी, यूएसए	एमबीए

1	2	3
62.	नीटल इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग स्टडीज एण्ड होटल एडमिनीस्ट्रेशन, पम्पवेल सर्कल, कनकानाडी मंगलोर-575002	होटल और रेस्टोरेंट प्रबंधन में बीएससी (ऑनर्स) डिग्री
63.	प्रेजीडेन्सी कालेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, द्वारा रायल आरचिड पार्क प्लाजा #1, गोल्फ एवेन्यू, एडज्योनिंग केजीए गोल्फ कोर्स डायमंड डिस्ट्रीक्ट के पीछे, एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर-560008 दूरभाष 918025202764-95 फैक्स: 2522794 फारेन पार्टनर: एएचएलए, यूएसए	होटल और रेस्टोरेंट प्रबंधन में बीएसी (ऑनर्स) डिग्री
64.	टीएएसएमएसी ट्रेनिंग एण्ड एडवांस स्टडीज इन मैनेजमेंट एण्ड एजुकेशन, टीएएसएमएसी हाऊस, 7/6 बुल टेम्पल रोड, बसवानागुड़ी, बैंगलोर-560019 फारेन पार्टनर: यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स	बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीए (ऑनर्स) इंफारमेशन टेक्नोलाजी में एमबीए, एमएससी
65.	ट्रेनिंग एण्ड एडवांस स्टडीज इन मैनेजमेंट एण्ड कम्यूनिकेशन, (टीएएसएमएसी) लिमिटेड टीएएसएमएसी हाऊस, 7/6 बुल टेम्पल रोड, बसवानागुड़ी, बैंगलोर-560004 युनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, यूके के साथ संबंधन	एमबीए-पूर्ण कालिक (एक वर्षीय)
66.	एकेडमी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म एण्ड रिसर्च, एचटीएमटी के सामने गरवभावीपाल्या, होसुर रोड, बैंगलोर-560068	एमबीए/डाक्टरेट डिग्री (पूर्णकालिक और अंशकालिक)
67.	बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरी एण्ड इंफारमेशन टेक्नोलाजी, सं. 5, एसआएस काम्प्लेक्स, एनजीईएफ लेआउट, 80 फिट रोड, नागरभावी, 4 बैंगलोर-72	एरोनाटिकल इंजीनियरिंग इंफारमेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टैलीकम्यूनिकेशन कैमिकल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मेरिन इंजीनियरिंग
68.	बैंगलोर मैनेजमेंट एकेडमी मरथाहल्ली, बैंगलोर-560037	एमबीए
69.	इण्डियन बिजनेस एकेडमी, लक्ष्मीपुरा थाटागुनी पोस्ट, कनकपुरा मेन रोड, बैंगलोर-560062	पीजीपीएम
70.	इंडियन बिजनेस अकादमी, लक्ष्मीपुरा थाटागुनी पोस्ट, कनकपुरा, मेन रोड, बैंगलोर-560060	प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, रिटेल प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम
71.	भारतीय एयरोनाटिकल एंड मरीन इंजीनियरिंग संस्थान #15/4 गणपति और वेकटेश्वर मंदिर के सामने, 80 फूट रोड, पदमनाभानगर, बैंगलौर-560070	एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इनफारमेशन टेक्नालाजी कम्प्यूटर विज्ञान और तकनीकी, इलेक्ट्रानिक्स और टेलीकम्यूनिकेशन, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग
72.	प्रबंधन और प्रौद्यागिकी संस्थान #44आईबीएमआर हाउस, विलसन गार्डन, 6 क्रास होसुर मेन रोड, बंगलौर-27	एग्जीक्यूटिव एमबीए (एक साल)

1	2	3
73.	बिजनेस मैनेजमेंट और रिसर्च संस्थान #298, 100 फूट रोड, 4 फेज 7 ब्लाक, बानासंकारी 3 स्टेज, बैंगलौर-560085	एमबीए, एमबीएम-टैक्नालाजी, पीजीडीबीएम, पीजीडीएम, एमपीआईबी, बीसीए, बीबीए, बीकाम बीएससी (कम्प्यूटर विज्ञान)
74.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया क्र.सं. 124, यामालूर, मेन रोड, आफ एचएएल, एयरपोर्ट रोड, मराठा हाली कालोनी पोस्ट आफिस, बैंगलौर 560037	
75.	किरलोस्कर इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड मैनेजमैंट स्टडिज हरिहर-577602, कर्नाटक	पीजीडीबीएम, पीजीपीईबी, पीजीडीबीएम (रिटेल), पीजीपीएमएस, पीजीपीआरएम (पैंटालून), पीजीपीडीबी
76.	सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी नं. 1, गोल्फ एवेन्यू, एडज्वाइनिंग गोल्फ कोर्स, एयरपोर्ट रोड, बैंगलौर 560008	एमबीए, एमसीए पीजीडीसीए-पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एक वर्ष) एमबीएआईटी-मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन-इनफारमेशन टेक्नालाजी
77.	सृष्टि इंफोसिस्टम विजयनगर, बैंगलौर	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन
78.	द आईसीएफएआई इंस्टीटयूट आफ साइंस एंड टेक्नालाजी, सीपीएडी, यूनिट नं. 107ए, प्रथम तल, एमबीसी सिम्प्लेक्स, 134, इन्फेक्ट्री रोड, बैंगलौर	बी.टेक. प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इलैक्ट्रीकल और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन इंजीनियरी
79.	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीसीएस नं. 8760 सेक्टर नं. 3, प्रथम तल, प्रहलाद काम्प्लेक्स, नियर स्टेट बैंक आफ इंडिया, एमएम एक्टेंशन, शिवावासवा नगर, बेलगांव	डिग्री कोर्सेस इन एयरोनाटिकल मैकेनिकल कम्प्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रानिक्स और कम्यूनिकेशन इनफारमेशन टेक्नालाजी
80.	एम्पायर इंस्टीट्यूट आफ लर्निंग 414 सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुम्बई-400013 विदेशी सहयोग: यूनिवर्सिटी आफ हडेसफील्ड एंड कारलेटन यूनिवर्सिटी, डीअनाडा टयूनिंग अरेंजमेंट	प्रमोशन (तीन वर्ष), बीए (आनर्स), फैशन डिजाइन (एक वर्ष टापअप) बीए (आनर्स) ग्राफिक डिजाइन (तीन वर्ष) बीए (आनर्स) ग्राफिक डिजाइन (एक वर्ष टापअप) बीए (आनर्स) ग्राफिक डिजाइन (पैकेजिंग) (तीन वर्ष) बीए (आनर्स) ग्राफिक डिजाइन (एडवर्टाइजिंग) (तीन वर्ष)
81.	अरूण मुछाला कालेज आफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग, साईबाबा विहार काम्प्लेक्स, आनंद नगर, ठाणे घोर बंदर रोड, कावेशर, ठाणे-400601 विदेशी सहयोग: एएचएलए, यूएसए ज्वाइंट डिग्री एंड इनपुट थ्रु रिप्रजेंटेटिव	3 वर्ष बीए और एक वर्ष डिप्लोमा इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट

1	2	3
82.	औद्योगिक शिशांन मंडल पिंपरी छिछवाड मेहराटा चेंबर आफ कामर्स इंडस्ट्रीयल एंड एग्रीकल्चर, पूणे एमआईडीसी, सी ब्लाक चिंचवाड, पुणे-411019 विदेशी सहयोग : लीड मैट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी ट्यूनिंग अरेंजमेंट और फोरेन डिग्री इन इंडिया	मास्टर प्रोग्राम इन बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन (इंटरनेशनल बिजनेस)
83.	कांफेड्रेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री, नौरोजी गोदरेज सेंटर आफ एक्सीलेंस, गोदरेज स्टेशन साइड कालोनी पिराजशाहनगर विखरोली लीस्ट, मुम्बई-400079 विदेशी सहयोग: यूनिवर्सिटी आफ वार्विक, यूके ट्यूनिंग अरेंजमेंट	3 वर्ष बीए और एक वर्ष डिप्लोमा इन होटल एंड रेस्टरोरेंट मैनेजमेंट
84.	डिना इंस्टीट्यूट आफ होटल एंड बिजनेस मैनेजमेंट, नं. 3, तिमाना निवास, 940/2, चतुर्श्रृंगी रोड, मॉडल कालोनी, पूणे-411016. विदेशी सहयोग: एएचएलए, यूएसए और मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन, यूके ज्वाइंट डिग्री एंड इनपुट थ्रु रिप्रजेंटेटिव	एसीई प्रोग्राम लिडिंग टू एमएससी इन इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट 3 वर्ष बीए और एक वर्ष डिप्लोमा इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट
85.	ग्लोबन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट साइंस (जीआईएमएस), सी/2, शैल्टर बंगला, कलीना कुर्ला रोड, एयर इंडिया कालोनी के पास, सांताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई-29 कोलाब्रेशन विद ऐसोसिएट विद लंदन, कालोब्रेशन आफ मैनेजमेंट, विक्रीडिएटेट बाय ब्रिटिश काउंसिल, गवर्नमेंट आफ यूके	डिग्री एंड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल सेंटर फॉर हास्पीटेलिटी
86.	आईआईपीएम, आईआईपीएम टावर, जंक्शन आफ 32 रोड एंड एस.वी. रोड, बांद्रा (वैस्ट), मुम्बई-50 कोलाब्रेशन विद इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (आईएमआई) यूरोप	एमबीए एंड बीबीए
87.	आईटीएम इंटीट्यूट आफ फाइनेंशियल मार्केट, 701 बीएसईएल टेक, पार्क, वाशी, नवी मुम्बई 400705 कोलाब्रेशन विद ऑप्शन आफ ट्रांसफर टू एसएनएचयू एंड ग्रेजुएटिंग इन यूएसए, मेंबर आफ एएसीएसवी इंटरनेशनल	एमबीए-एफएम, पीजीपी-एफएम, मास्टर एंड एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इन इन्श्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनांसियल प्लानिंग, एक्चूरियल साइंस
88.	कोहिनूर कालेज आफ मैनेजमेंट एंड कालेज आफ हास्पिटेलिटी मैनेजमेंट एंड कैटरिंग आपरेशंस, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वैस्ट) मुम्बई 400028 विदेशी सहयोग: कारलेटन यूनिवर्सिटी, कनाडा, इंटरनेशनल होटल मैनजमेंट इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड, टयूनिंग अरेंजमेंट इन कम्पलीट फारेन डिग्री इन इंडिया	हायर डिप्लोमा इन हास्पिटेलिटी मैनेजमेंट, बीए डिग्री इन इंटरनेशनल होटल एंड टूरिजम मैनेजमेंट एंड बीए (एच) इन इंटरनेशनल बिजनेस

1	2	3
89.	मुम्बई कालेज आफ होटल मैनेजमेंट, सेटेलाइट पार्क, जीसीसी, मीरा रोड जिला थाणे विश्वविद्यालय सहयोग-यूएसए नागेश्कर मेमोरियल हास्पिटेलिटी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, 1330, 18/19, छत्रपति कालोनी, शास्त्री नगर, कोल्हापुर-416008. विदेश सहयोग एएचएलए, यूएसए ज्वाइंट डिग्री एंड इनपुट थ्रु रिप्रजेंटेटिव	डिग्री/डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एचएमसीटी, एमबीए
90.	नवी मुम्बई हास्पिटालिटी एजुकेशनल ट्रस्ट (रिजेन्ट एकेडमी आफ कुलीनरी एजुकेशन), द इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियरी, कैंपस, प्लाट नं. 106, सैक्टर 15, बेलापूर सीबीडी, नवी मुम्बई-400614 विदेश सहयोग एएचएलए, यूएसए ज्वाइंट डिग्री एंड इनपुट थ्रु रिप्रजेंटेटिव	3 वर्ष बीए एंड 1 वर्ष डिप्लोमा इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट
91.	एसएमआई आफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नालाजी, इंद्रप्रस्थ, नियर आकाशवाणी मंजिरी फाता, हडपसार, पुणे-400706 विदेश सहयोग एएचएलए, यूएसए ज्वाइंट डिग्री एंड इनपुट थ्रु रिप्रेजेंटेटिव	3 वर्ष बीए एंड 1 वर्ष डिप्लोमा इन होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट
92.	साउथ इंडियन एजुकेशनसोसायटी कालेज आफ मैनेजमेंट स्टडीज, प्लाट 1 ई, सैक्टर 5, नेरूल, नवी मुम्बई-400706 विदेश सहयोग लंदन विश्वविद्यालय, एक्सटरनल प्रोग्रामींग ट्यूनिंग अरेंजमेंट	बीबीए एंड एमबीए
93.	टीएएसएमएसी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन टीएएसएमएसी आउस, प्लाट नं.14, टीएएसएमएसी रोड, विमान नगर, पुणे-411003 विदेश सहयोग यूनिवर्सिटी आफ वेल्स एंड यूनिवर्सिटी आफ साउथ फलोरिडा, टंपा, यूएसए ट्यूनिंग अरेंजमेंट एंड फारेन डिग्री इन इंडिया	बीए (आनर्स) इन बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, एमएससी इनफारमेशन टेक्नालाजी
94.	टीएचआईएनसी (कैम्प्लेन कालेज, वरमुंड, यूएसए), सेंट जेवियर टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, आफ माहीम कास्वे (रहेजा हास्पीटल के सामने) माहीम (पश्चिम) मुम्बई-400016 यूके वेल्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से	एमबीए, एचएमसीटी
95.	ट्रेनिंग एंड एडवांस्ड स्टडीज इन मैनेजमेंट एंड कम्यूनिकेशन लिमिटेड (टीएएसएमएसी), 2/22, तारदेव एसी मार्केट तारदेव मुम्बई 34 यूके वेल्स यूनिवर्सिटी के सहयोग से	एमबीए प्रोग्राम्स-2 वर्ष पीटी एंड विदेश सहयोग कार्यक्रम
96.	वेलिंगकर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, एल नप्पूरोड, माटूंगा (सीआर) मुम्बई-400019 विदेश सहयोग ट्यूनिंग अरेंजमेंट **www. welinkar.org**	एमबीए

1	2	3
97.	विगनएंड ले कालेज (आई लिमिटेड मार्डन मिल्स कम्पाउंड, 101 केशवराव खाडे रोड, जैकोब सर्कल, महालक्ष्मी मुम्बई-400011 विदेश सहयोग विगन एंड ले कालेज यूके फेंचाइजी	बीबीए, एमबीए एंड डिप्लोमा
98.	अभिनव कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड पालिटेक्निक एचओ-601, पैराडाइज टावर, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे (पश्चिम)	एमबीए, डिग्री/डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेस
99.	एईजीआईएस स्कूल आफ टेलीकम्यूनिकेशन महेश, ब्लाक बी, प्लाट नं, 37, सैक्टर-15 सीबीडी बेलापुर-400614 नवी मुम्बई-400709	
100.	आकृति इंस्टीट्यूट आफ रियल एस्टेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च, आकृति ट्रेड सेंटर 6 तल, रोड नं 7 मैरोल एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई 93	पीजीडी-आरईडीएम
101.	एपेक्स इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट पैलेस आरचाड, उन्द्री, पूणे 28	एमबीए, पीजीडीबीएम
102.	ब्रदरहुड एजुकेशन ट्रस्ट, हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, धनराज शापिंग, प्रथम तल, मेन कस्तूरबा रोड बोरीवली (पूर्व) मुम्बई 400066	
103.	देवी महालक्ष्मी कालेज नारत ही म्यूनिसिपल स्कूल प्रिमिसिस टैंक रोड भांडूप (पश्चिम), मुम्बई 78	पीजीडीएमएलटी, फार्मेसी, बिजनिस मैनेजमेंट
104.	एलफिंसटोन कालेज 156 एमजी रोड, फोर्ट, मुम्बई-32	डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा इन एमएमसीटी, एमबीए (हास्पिटेलिटी मैनेजमैंट)
105.	एक्सल इंस्टीट्यूट वाशी, नवी मुम्बई-400705	एमबीए, एचएमसीटी, इंजीनियरिंग
106.	हिन्दुस्तान इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एंड मैनेजमैंट साई लीला, 2 तल एसवीरोड, बोरीवली(पश्चिम) मुम्बई-92	एमबीए, एमसीए
107.	हास्पिटेलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट माटूंगा मुम्बई	एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमैंट
108.	आईसीई कालेज, दादर, मुम्बई	एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, होटल प्रबंध

1	2	3
109.	आईसीएफएआई बिजनेस स्कूल बिल्डिंग नं. 71-सी, निर्लोन काम्पलेक्स, आफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुंबई-400063	
110.	आईसीएफएआई डिस्टेंस एजुकेशन ऑफिस- सं. 2, प्रथम तल, नीलाथर्व, मयूर इलेक्ट्रानिक्स के ऊपर, प्लाट नं. 239 (2), टेलीफोन एक्सचेंज रोड, ओल्ड पनवेल नवी मुम्बई	
111.	आईएमईटी ए एंड बी 1064, द्वितीय तल, चिंचोली बंदर मलाड् लिंक रोड (वेस्ट) मुंबई-64 (मुंबई एवं गोवा)	एमबीए/होटल मैनेजमेंट
112.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ब्लॉक नं. ईएल-39/5, एमआईडीसी भोसारी इंद्रायनी नगर के पास, पुणे-411026	विभिनन एमबीए डिग्री पाठ्यक्रम
113.	इंडो जर्मन ट्रेनिंग सेंटर 2-बी, वल्कन इंश्योरेंस बिल्डिंग, द्वितीय तल, वीएन रोड, चर्च गेट, मुंबई-20	पीजीडीबीए
114.	इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे-411004	
115.	इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614	इंटरनेशनल बिजनेस (एफटी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, मैनेजमेंट (एफटी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
116.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आरसीएस, मार्फ्त केकेडब्ल्यू कैम्पस पिम्पलगांव बावंती, नासिक	
117.	इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मार्फ्त बजाज कैपिटल लिमिटेड, 003, भूतल पेनिनसुलर टावर, पेनिनसुलर कॉरपोरेट पार्क, लोअर परेल, मुंबई-13	वित्तीय आयोजना में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
118.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नॉलोजी, पी-14, राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजावडी पुणे-411057	एमबीए कार्यक्रम, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में एमएस कार्यक्रम, कम्प्यूटेशनल फ्ल्यूड डायनामिक्स, ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन
119.	इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया क्र.सं. 32/2, अशोक प्लाजा, वाईकफील्ड कंपनी नगर रोड, पुणे-411014	प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

1	2	3
120.	इस्माइल यूसुफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साईंस एंड कॉमर्स रेलवे स्टेशन के सामने, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-60	होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा/डिग्री, एमबीए (हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट)
121.	जय हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, पिम्परी, पुणे-400018	
122.	जेएसपीजी सीआईएसबीएमआर, भोसारी, पुणे-411037	
123.	महाराष्ट्र अकादमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गेट नं. 140, लोनी-कलभोर, राजबाग, पुणे-सोलापुर हाइवे, पुणे-412201	बी.टेक मरीन इंजीनियरिंग
124.	मराठवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिट, पुणे-411004	
125.	एनएस दीक्षित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलाजी, हिंजवाडा, पुणे-411027	
126.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐरोनोटिकल इंजीनियरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी, तपस्वी प्लाजा, प्रथम तल, कॉटन ग्रीवज के सामने, मुंबई-पुणे रोड, अकुरदी चौक, छिंछवाड़, पुणे-19	इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में बी.ई./बी.टेक.
127.	ओजार विकास संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर, नासिक-422206	एआईसीटीई के पूर्व अनुमोदन के बिना गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रम आयोजित करना।
128.	पारले तिलक विद्यालय एसोसिएसन इंस्ट्यिूट ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज मुलुंद कॉलेज ऑफ कामर्स कैम्पस, एसएन रोड, मुंबई-80	मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों मे विभिन्न डिप्लोमा
129.	पीपल्ज एम्पावरमेंट ग्रुप इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया, पुणे-411014	पीजीडीएम (मार्केटिंग) पीजीडीबीएम (इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट) पीजीडीबीएम (वित्त) पीजीडीबीएम (एचआर) पीजीडीबीएम (एससीएम एंड ओएम)
130.	प्रेरेक्सिज बिजनेस स्कूल, ओरिजन टेस्ट, रिसर्च एंड इंप्लीमेंटेशन ब्यूरो प्रा.लि., दानी कॉरपोरेट पार्क, विद्यानगरी मार्ग, कालिंगा, सांताक्रूज ईस्ट मुंबई-400098	मैनेजमेंट में कार्यक्रम
131.	प्रेस्टिज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नॉलोजी तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के अंतर्गत, पुणे (समविश्वविद्यालय) क्रं.सं. 140/6, वारजे चौक के निकट, एनडीए रोड, वारजे मालवाडी, पुणे-58	एमबीए, एमपीएम, पीजीडीबीएम, एमएमएम

1	2	3
132.	रेफल्स डिजाइन इंटरनेशनल, रहेजा सेंर लिंकिंग रोड एंड मेन एवेन्यू, सांताक्रूज (वेस्ट) मुंबई-54	इंटीरियर डिजाइन
133.	राय बिजनेस स्कूल प्लॉट नं. 20, सेक्टर-11, फाउंडेशन टावर्स बेलापुर सीबीडी, नवी मुंबई-400614	
134.	राजमाता जीजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडल का कम्प्यूटर एवं प्रबंध शोध संस्थान, दत्ता मंदिर के पास, लांडेवाडी, भोसारी, पुणे-4110039	एमसीएम, पीजीडीबीएम
135.	आरएसपी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कोथरूड, पुणे-411038	
136.	रियॉन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सेंट जोसेफ हाई स्कूल, सेक्टर-5 कालम्बोली, नवी मुंबई	
137.	एसएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अरण्येश्वर, पुणे-411009	
138.	एसपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज दादर एंड वीटी, मुंबई (9833516828)	एमसीए, एमबीए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग
139.	साधना सेंटर फॉर मैनेजमेट एंड लीडरशिप डवलपमेंट, एससीएमएलडी, 392 ए, महाले प्लॉट, दीप बंगला, विटल चौक रोड, मॉडल कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, पुणे-411016	
140.	साई कॉलेज 46, मीठी मंजिल, नवरंग सिनेमा के पास, अनमोल कलेक्शन से आगे, जेपी रोड, अंधेरी	एमबीए, एमसीए
141.	साई कॉलेज राज दर्शन बेसमेंट, बी-7/1, रेलवे प्लेटफार्म नं. 1 के सामने, दादा पाटिलवाडी, ठाणे (पश्चिम)	
142.	संदीप एकेदमी ऑफ इंजीनियरिंग, कोटेश्वर प्लाजा, जेएन रोड, मुलुंड (वेस्ट), मुंबई-80	एमबीए, एमसीए
143.	'सेलटेल' इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी सेंटर ऑफ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय), टी-431, तृतीय तल, टावर नं. 4, इंटरनेशनल इंफोटेक पार्क, वाशी रेलवे स्टेशन काम्प्लेक्स, वाशी, नवी मुंबई-400705	एमबीए

1	2	3
144.	श्री सप्तश्रृंगी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नासिक	
145.	श्रीमती पीडी हिंदुजा ट्रस्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 315, न्यू चर्नी रोड, मुंबई-400004	पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट साईंस
146.	सन हाई-टेक इंस्टीट्यूट, भोसारी, पुणे-411028	
147.	स्वास्तिक कॉलेज, दादर, मुंबई	एमबीए, एमसीए
148.	दि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आईआईपीएम टावर, 32वीं रोड और एसवी रोड का जंक्शन बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050	एमबीए, बीबीए
149.	ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट 510, परारमपुरिया चैम्बर, रेलवे स्टेशन के सामने, मलाड (पश्चिम), मुंबई-64	एमबीए, एमसीए, डिग्री/डिप्लोमा इंजीनियरिंग
150.	वसंतदादा पाटिल प्रतिष्ठान का प्रबंध अध्ययन संस्थान वसंतदादा पाटिल एजूकेशन कॉम्प्लेक्स, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, ईवरार्ड नगर के पास, सिओन-चूनाभट्टी, मुंबई-22	एमएफएम, एमएमएम, एमएचआरडीएम (अंशकालिक पाठ्क्रम)
151.	विश्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी एंड मैनेजमेंट बैस्ट कमर्शियल कॉम्पलेक्स, 'ए'-विग, चतुर्थ तल, एसवी रोड, अंधेरी (वेस्ट)	एमबीए/एमसीए डिग्री, डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में मास्टर्स
152.	विश्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी एंड मैनेजमेंट, 104, ठक्कर टावर, सेक्टर-17, वाशी, नवी मुंबई	
153.	डब्ल्यूएलसी कॉलेज ऑफ इंडिया डब्ल्यूएलसी कैम्पस, डी-विंग, सेंट्रल बॉम्बे इंफोटेक पार्क, 101, सेन गुरूजी मार्ग, जैकब सर्कल, महालक्ष्मी, मुंबई-11 **पंजाब**	विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रम
154.	कनाडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज, मेन कैम्पस: ग्राम जलवेहरा, जीटी रोड एनएच-1, जिला फतेहगढ़-साहिब सिटी कैम्पस: सी-2, फेज-1, इंडस्ट्रियल एरिया, मोहाली पंजाब सीआईआईएस जो जॉर्जियन कॉलेज, फैनशॉ कॉलेज, थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी, कनाडा एंड यूसीओएल, न्यूजीलैंड का भारत में विस्तार केन्द्र है, के सहयोग से	10+2 उत्तीर्ण के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग, बी. टेक-एप्लाइड कम्प्यूटिंग साईंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमोटिव मार्केटिंग, फैशन डिजाइन कम्प्यूटर ग्राफिक डिजाइन में एफटी तीन वर्षीय डिप्लोमा/4 वर्षीय डिग्री, कम्प्यूटर ग्राफिक डिजाइन में पीजी लेवल, पीजी डिप्लोमा/मास्टर, प्री-एमबीए

1	2	3
155.	जीएससी एससीएफ 34, दुखनिवारण साहिब मार्किट, पटियाला	एमबीए, एमसीए
	राजस्थान	
156.	दि होटल स्कूल आफ के.के. रिट्रीट प्राइवेट लि. के.के. हाउस, भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-320001, भारतीय टेलीफोन: 91141क2371128, 2371236, फैक्स: 911412371186; विदेशी पार्टनर: एएचएलए, यूएसए	होटल और रेस्टोरेंट प्रबंध में तीन वर्षीय बी.ए. और एक वर्षीय डिप्लोमा
	तमिलनाडु	
157.	अकादमी इस्टीट्यूट आफ मेरी टाइम एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 5107, एच 2, **II** एवेन्यू, अन्ना नगर, चेन्नई-600040, तमिलनाडु 044 26161438, 26161180, 04426162827 एफ **www.ametindia.com** (1) साउथ टाइनसाइट कालेज, यूके के साथ समझौता ज्ञापन	(1) एमबीए (2) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी
158.	केनन स्कूल आफ कैटरिंग एवं होटल मैनेजमेंट 1/75, पौनामल्ले हाई रोड, नेरकुण्डरम, चेन्नई-600 107 टेली.-044-24872689, 24770104 **(1) http//www.cananschool.org/,** **(2) http//www.collegesintamilnadu.com/catering/canancatering.htm** (1) एएचएलए, यूएसए	होटल और रेस्टोरेंट प्रबंध में (1) बीए, (2) डिप्लोमा
159.	डा. जेसी जॉर्ज मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, मॉडर्न, ग्रुप, चौथा तल, कारपोरेशन बिल्डिंग, चिन्नकदा, कोलाम-6910001, टेली 04724-2741633, 1743690, श्री जेम्स जार्ज, प्रिंसिपल-एमडी विदेशी पार्टनर, एएचएलए, यूएसए	होटल और रेस्टोरेंट प्रबंध में तीन वर्षीय बी.ए. और एक वर्षीय डिप्लोमा
160.	ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, सिद्धार्थ सर्कल, मोगल राजापुरम, केवस के सामने, चेन्नई, तमिलनाडु 91-44-42255855, 42168228, 91-44-42049920एफ **www.glakes.org** (1) स्टूआर्ट ग्रेजुएट स्कूल आफ मैनेजमेंट (2) इलीनायस आफ इंस्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी, शिकागो, (3) याले यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान में सहयोग और (4) नानयांग टेक्नॉलोजी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन	(1) एग्जीक्यूटिव एमबीए, (2) एमडीपी, (3) एफटी पीजी मार्केटिंग प्रोग्राम

1	2	3
161.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस एंड मैनेजमंट प्राइवेट लि. नं. 1, चौथा तल, सिंदूर पैंथीन प्लाजा 346 पैंथीन रोड इगमौर, चेन्नई 600008, तमिलनाडु 44826 5727/826 5728 91-448265728 वेबसाइट का पता नही चल सका (1) हेरियट-वाट यूनिवर्सिटी, इंदीनबर्ग	(1) बीबीए, (2) एमबीए
162.	लेडी डोक/ अमेकिन कालेज तल्लाकुलम, मदुरई-625002, तमिलनाडु 091-452-2530527, 2524575, **infor@ladydoak.org** 091-452-2530293एफ, 2523585एफ **http://www.ladydoak.org/courses.htm** (1) इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, टोक्यो, जापान	(1) पीजीडीसीए, (2) पर्सनल मैनेजमेंट एवं पब्लिक रिलेशन में पीजी डिप्लोमा
163.	मेरिट स्विस एशियन स्कूल आफ होटल मैनेजमेंट 22, हेवलॉक रोड, उटी, 643001, तमिलनाडु 0091-423-2443601-6, 2442486/0091-423-2441098, 2440202एफ **http://www.,meritwarldwide.com/merit.html** (1) अमेरिकन होटल एवं लॉजिंग एसोसिएशन एजूकेशनल इंस्टीट्यूट वाशिंगटन, यूएसए	(1) एमबीए (एचएम और सीएस), (2) एमबीए, (3) पीजीडीबीएम, (4) पीजीडीएसीएम, (5) बीएस, (6) एमएस (7) एएच और एलए, (8) डीएचएम
164.	स्टैंसफील्ड स्कूल आफ बिजनेस स्पैंनसर प्लाजा, माउंट रोड, चेन्नई तमिलनाडु 044-55230000 **www.stansfieldchennai.com/about-sc.html** (1) लंदन यूनिवर्सिटी, (2) नॉर्थोमिया यूनिवर्सिटी, (3) चार्ल्स स्टर्ट यूनिवर्सिटी	(1) एमबीए (आईबी), (2) पीजीडी (आई बी), (3) प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, (4) एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम
165.	डी.बी. जैन इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च नं. 8 लेनवुड लेन (पो.आ. बिल्डिंग) माधवन नायर कालोनी, महालिंगपुरम, चेन्नई-6000 34, तमिलनाडु (044) 5206 8980/28174877, (ओ) 94443 34755, 9382887574/ (044) 28170512एफ **www.ibmrindia.org** (1) सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी	(1) 8 विशेषताओं में 2 वर्षीय एमबीए (2) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (3) एग्जीक्यूटिव एमबीए-1 वर्ष (4) एमबीए-2 वर्ष
166.	आईसीएफएआई (1) 6 ई, छठा तल, 112, इल्डोराडो बिल्डिंग, नूनगमबक्कम, हाई रोड, चेन्नई (3) **http://www.icfai.org/icpe/main/icfai centers. htmlCFAI**	(1) एमबीए

1	2	3
167.	आईसीएफएआई शानमूगम रोड, शानमूगा, पश्चिम तम्बारम, चन्नई-45	
168.	आईसीएफएआई नया नं. 51, तीसरा तल, फर्स्ट मेन रोड, गांधी नगर, अदिरयार, चन्नई-20, तमिलनाडु, 055-52171816, 26205139	
169.	आईसीएफआई आईएनसी (आरओ), ब्लॉक-सीजे 151, सेक्टर-**II**, साल्ट लेक सिटी, करूणामयी	एमबीए
170.	इंटरनेशनल कांउसिल फार मैनेजमेंट स्टीइस 55, लजार्स चर्च रोड, चेन्नई-28, तमिलनाडु उपलब्ध नहीं है **www.iimat.come ro www.aicomas.org** उपलब्ध नहीं है	(1) पत्राचार द्वारा 6 माह का डिप्लोमका और 18 माह का पीजी पाठ्यक्रम (दूरस्थ शिक्षा)
171.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लि. चौथा तल, सिंदूर प्लाजा 347 पैंथीन रोड इगमौर, चेन्नई 600008,	एमबीए
172.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बिजनसे मैनेजमेंट ए.जी. आनंदराज विला, (सीटी), 7, सैकेण्ड कैनल क्रास रोड, गांधी नगर, अदयार, चेन्नई-600020, तमिलनाडु +91-44-2440 1521, +91-44-2440 1521एफ **http.//www.indiastudycenter.com/unive/states/tn/chn/National-Institute-of-Business-Management.asp** उपलब्ध नहीं है	(1) दूरस्थ प्रणाली से विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र में एमबीए, (2) एग्जीक्यूटिव एमबीए (1 वर्ष)
173.	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास संस्थान 151, सनथोम हाई रोड, चेन्नई-600004, तमिलनाडु 044-4950137, 4934501, 4982837, 9849183551 उपलब्ध नहीं हैं	(1) पीजीएचआरडी (पीटी)
174.	नेक्सजेन प्रबंध और प्रौद्योगिकी स्कूल लार्डस 511, 7/1 लार्ड सिन्हा रोड, कोलकाता-71	एमबीए
175.	एनआईएफटी-टीईए, निट वियर फैशन इंस्टीट्यूट 163, टीईकेआईसी, टी नगर, मुदलीप्लयाम, तिरुपुर-641606 तमिलनाडु उपलब्ध नहीं है	(1) अप्लाई आर्टस एण्ड क्राफ्टस

1	2	3
176.	विवेकानंद होटल प्रबंध संस्थान आलमपुर हौज, आगरा रोड, इटावा (उत्तर प्रदेश) 206008 आईओयू दि नीदरलैण्ड के साथ सहयोग	बीएचएमसीटी
177.	एड्वाइजर दि एजुकेशनल अकादमी एफएफ 07एम ग्रिक ओकोसेम बियर केजग्राह नजारम फोजाद रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एमबीए
178.	एड्वाइजर दि एजुकेशनल अकादमी एफएफ-7, गोयल प्लेस, लेखराज मजार के पास, फैजाबाद रोड, लखनऊ	बी.टेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, बायो-टेक्नॉलोजी
179.	आगरा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनपुर, साईट-सी, इंडस्ट्रील एरिया, सिकन्दरा, आगरा-7	बी.टेक एवं पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, एमबीए, एमसीए
180.	एनी बेसेंट इंजीनियरी और प्रबंध कॉलेज विनय खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एमबीए
181.	दीन दयाल उपाध्याय प्रबंध और उच्चतर अध्ययन संस्थान स्वरूप नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	एमबीए
182.	एफएचआरएआई इस्टीट्यूट आफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट प्लाट नं. 45, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोयडा-201 306 (उत्तर प्रदेश)	4 वर्षीय इंटरनेशनल हॉस्टिपटलिटी एड्मिनिस्ट्रेशन
183.	आईसीएफआई राष्ट्रीय कालेज (क्षेत्रीय कालेज), 2/12 सी, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एमबीए
184.	इंडियन बिजनेस अकादमी प्लाट नं. 44, नॉलेज पार्क-III, ग्रेटर नोयडा-201 308 (उत्तर प्रदेश)	प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, रिटेयलमैनेजमेंट में स्नातकोत्तर कार्यक्रम
185.	भारतीय भेषजसंहिता विपणन संस्था 5/28, विकास नगर, लखनऊ-22 (उत्तर प्रदेश)	एमबीए (फार्मा मार्केटिंग, हॉस्पिटल प्रबंध, वित्त, मानव संसाधन विकास, बीमा)
186.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टाडीज 2/268, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10	एमबीए
187.	इंटर नैशनल स्कूल आफ बिजनेस एण्ड मिडिया बी-96/ई-1, सेक्टर-60 गौतम बुद्ध नगर, नोयडा (एनसीआर)-201 301	बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर कार्यक्रम
188.	पी.के. प्रौद्योगिकी संस्थान पुष्प विहार, मसानी रोड, मथुरा	बी.टेक एवं पॉलीटेक्निक

1	2	3
189.	श्री राम प्रबंध और प्रौद्योगिकी संस्थान ग्रेटर नोयडा, (उत्तर प्रदेश)	पीजीडीसीए
	पश्चिम बंगाल	
190.	ग्लॉबसिन बिजनेस स्कूल, प्लाट **XI**-11 और 12 ब्लॉक-ईपी, सेक्टर-**V**, साल्ट लेक इलैक्ट्रॉनिक्स काम्पलैक्स, साल्ट लेक, कोलकाता-700091	पीजीडीबीएम
191.	आईआईएएस ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064, पश्चिम बंगाल	एमबीए
192.	इंटरनेशनल स्कूल आफ बिजनेस एंड मिड्यल बी, ब्लॉक 163, सेक्टर-**III**, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700091	पीजीडीबीएम
193.	प्रजाननन्दा इंस्ट्यिूट रआफ टैक्नॉलाजी 142/4, ए.पी.सी. बोस रोड, कोलकाता-14	एमबीए
194.	साहा इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड एडवान्सड टैक्नॉलाजी, 320, गारिया मेन रोड, महामायातला, कोलकाता-84	एमबीए
195.	ईस्टर्न इंस्टिटयूट फॉर इंटिग्रेटिड लर्निंग इन मैनेजमेंट, 6 वाटर लू स्ट्रीट, द्वितीय तल, कलमत्ता-700069, ब्रैंड्फोर्ड विश्वविद्यालय, रिचमन्ड रोड, बैड्फोर्ड के साथ सहयोग	एमबीए
196.	गोल्डन रिजन्सी गोल्डन रिट्रीट सेन्टर डायरेक्टर आफ स्टडीज, सिटी सेन्टर, देबहाग, हल्दिया, पूर्व मिदनापुर, साउथ आस्ट्रेलिया एडेलेड विश्वविद्यालय के तरह रिजन्सी इंस्टिटयूट आफ टेफ के साथ सहयोग	अतिथ्य प्रबंधन में 3 वर्षीय उच्च प्रबंधन डिप्लोमा
197.	गुड शेपर्ड इंस्टिट्यूट आफ हासपिटैलिटी मैनेजमेंट कुन्जाबन, ईसट मेन रोड, कलिमपोंग, डी.जी.ए.एच.सी, पश्चिम बंगाल-734301 ए.एच.एल.ए, यू.एस,ए के साथ सहयोग	होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में तीन वर्षीय में बीए तथा एक वर्षीय डिप्लोमा
198.	इंस्टिट्यूट आफ एडवान्सड मैनेजमेंट एई-486, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064 क्वीन मार्गिट यूनिवर्सिटी कॉलेज इडिबर्ग के साथ सहयोग	अन्तर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रबंधन में बीए (3 वर्ष)

1	2	3
199.	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल टॉवर, X-I, 8/3 ब्लाक ई पी, साल्ट लेक, इलैक्ट्रॉनिक्स काम्पलैक्स, सेक्टर V, कोलकाता-700091 लेडिनबर्ग, यू.के. में क्वीन मार्गरेट विश्वविद्यालय कॉलेज के साथ सहयोग	अन्तर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रबन्धन में डिग्री
200.	इंटरनेशनल इंस्टिट्यट ऑफ होटल मैनेजमेंट ई सी 37, साल्ट लेक, कोलकत्ता-700064 क्वीन मार्गरेट विश्वविद्यालय कॉलेज कॉरस्टॉरफाइन कैम्पस, इडिनबर्ग के साथ सहयोग	होटल प्रबंधन में डिप्लोमा अन्तर्राष्ट्रीय आतिथ्य प्रबंधन में बीए
201.	टी.ई.सी.एच.एन.ए. इंस्टिट्यूट एस.डी.एफ. भवन, 5वां तल, इलैक्ट्रॉनिक्स काम्पलैक्स, साल्ट लेक, कोलकत्ता-700091 लंदन विश्वविद्यालय (बाह्य), ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कैमब्रिज विश्वविद्यालय के साथ सहयोग	अर्थशास्त्र में डिप्लोमा, प्रबंधन में बीएससी, सूचना प्रणाली और प्रबंधन में बीएससी

विवरण II

फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की राज्यवार सूची

बिहार

1. मैथिली विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार।

दिल्ली

2. वर्णसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) जगतपुरी, दिल्ली।
3. कमर्शयल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, दिल्ली।
4. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
5. व्यवसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली।
6. एडीआर-सेन्ट्रिक ज्यूरीडीकल यूनिवर्सिटी, एडीआर हाउस, 8 जे., गोपाला टॉवर, 25, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110081
7. भारतीय विज्ञान और इंजीनियरी संस्थान, नई दिल्ली।

कर्नाटक

8. बादागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजूकेशन सोसायटील, गोकक, बेगलॉक (कर्नाटक)

केरल

9. सेन्ट जॉन विश्वविद्यालय, किशानतम, केरल।

मध्य प्रदेश

10. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

महाराष्ट्र

11. राजा अरेबिक विश्वविद्यालय, नागपुर।

तमिलनाडु

12. डी.डी.बी. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुतुर, त्रिची, तमिलनाडु।

पश्चिम बंगाल

13. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ आलटरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता।

उत्तर प्रदेश

14. महिला ग्रामविद्यापीठ/विश्वविद्यालय, (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश।
15. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहबाद (उत्तर प्रदेश)
16. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलैक्ट्रो काम्पलैक्स टोमियोपैथी, कानपुर।

17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय), अचलताल, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा (उत्तर प्रदेश)

19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, सांस्थानिक क्षेत्र, खोड़ा, मानकपुर, नोएडा, फेज-II (उत्तर प्रदेश)

21. गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, उत्तर प्रदेश।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन

***466. श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) इसरो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ परिवर्तनों पर भारतीय क्षेत्र के ऊपर उपग्रह आधारित एवं भू आधारित प्रेक्षण कर रहा है। इसमें वायुमंडल एवं हिमालय के हिमनदों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऐरोसाल की सांद्रता में परिवर्तन शामिल हैं।

पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण ने वायुमंडल में ऐरोसाल तथा कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में बढ़ोतरी एवं श्याम कार्बन की सांद्रता में घटने की प्रवृत्ति दर्शाई हैं।

(ग) इसरो ने नवीन उपग्रह संवेदकों का विकास, उपग्रह एवं भू आधारित आंकड़ों का अर्जन एवं अभिसंग्रहण तथा उनका विश्लेषण एवं मॉडलिंग द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समन्वित आधार पर केन्द्रित प्रयास करने का प्रस्ताव रखा है।

पूरे देश में भीषण गर्मी

***467. श्री पी.टी. थॉमस:**
श्री चौधरी लाल सिंह:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस गर्मी के मौसम के दौरान केरल सहित देश के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो भीषण गर्मी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) प्रतिकूल मौसम परिस्थिति के प्रभाव की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान अल्प अवधि (कुछ दिन) के लिए उड़ीसा और झारखंड में प्रचंड लू की स्थिति (सामान्य से 6-7° से. अधिक) बनी रही। 8-12 और 15-20 अप्रैल के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में तथा 8-12 अप्रैल, 2010 के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज लू की स्थिति रही। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गुजरात क्षेत्र में भी लू की स्थिति रही। केरल में मार्च के दूसरे सप्ताह और अप्रैल के दूसरे तथा तीसरे सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक (सामान्य से 3-4° से. अधिक) रहा। परंतु इसे तेज लू की स्थिति नहीं माना जा सकता। उपरोक्त लू की स्थितियों के कारण हैं:

(i) इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण उत्तरी भारत की पहाड़ियों से आने वाली ठंडी हवा अवरुद्ध हो गई जिसके परिणामस्वरूप उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अनियमित रूप से चक्रवातरोधी प्रवाह बना

रहा, जिससे गर्मी हो गई। इस प्रकार हुई इस गर्मी और नमी के अभाव तथा बादल रहित साफ आसमान वाली स्थितियों के सम्मिश्रण से तापमान बढ़ा।

(ii) देश के अन्य भागों में, नमी ले जाने वाले तंत्र के अभाव के कारण, गरज के साथ तूफान की स्थिति नहीं बन पाई जो कि तापमान घटाती है और लू को कम करती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) 1971-80 और 1981-90 के पहले के दशकों की तुलना में 1991-2000 और 2001-2010 के हाल ही के दशकों के दौरान लू/तेज लू की बारंबारता, सततता और आकाशीय कवरेज में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

(ङ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) संबंधित राज्य सरकारों और उनके आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को लू के बारे में चेतावनियां (48 घंटे पहले) जारी करता है। आईएमडी ने फरवरी, 2010 के प्रारंभ में अपनी वेबसाइट पर साप्ताहिक और मासिक आधार पर पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान संबंधी विसंगतियों को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

छात्रों द्वारा आत्महत्या

***468. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:**
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में छात्रों द्वारा विशेषकर परीक्षाओं के दौरान आत्महत्या करने के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार छात्रों में तनाव तथा अवसाद के लक्षणों और कारणों का पता लगाने के लिए विद्यालय शिक्षकों एवं काउंसलरों को प्रशिक्षित करने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छात्रों में परीक्षा से संबंधित तनाव एवं चिंता को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) छात्रों द्वारा आत्महत्या की छुट-पुट घटनाओं के संबंध में मीडिया में रिपोर्ट आई हैं। तथापि, यह कहना मुश्किल है कि ये आत्महत्याएं परीक्षा संबंधी तनाव के कारण की गई हैं, क्योंकि विभिन्न सामाजार्थिक कारकों से भी बच्चों में तनाव तथा चिंता होती है।

2008 में समाचार रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जानकारी में 17 मामले लाए गए हैं जो उससे सम्बद्ध स्कूलों से संबंधित हैं। 2009 में संबंधित आंकड़ा 12 था।

(ग) और (घ) सरकार छात्रों में तनाव तथा परीक्षा के डर को कम करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता को समझती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 में पाठ्यचर्या के भार को कम करने, ज्ञान की समझ तथा उपयोग पर बल देने, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित करने, रट्टा लगाने की प्रवृत्ति के स्थान पर सक्षमताओं की जांच पर ध्यान केन्द्रित करने, परीक्षाओं को और लचीला बनाने, स्कूलों में मार्गदर्शन तथा परामर्श की व्यवस्था करने तथा अध्ययन को बाल-केन्द्रित बनाने जैसे उपायों की सिफारिश की गई है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परामर्शक नियुक्त करने की सलाह दी गई है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को छात्रों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है तथा इससे छात्रों में तनाव कम होने की संभावना है।

(ङ) विद्यार्थियों में परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों जो कक्षा X के बाद केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रणाली से बाहर नहीं जाना चाहते हों, उनके लिए वर्ष 2011 से कक्षा X की बोर्ड की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

- सभी सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा IX में अक्तूबर, 2009 से सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाकर लागू किया गया है। इसको अप्रैल 2010 से कक्षा X तक बढ़ाया गया है।

- शैक्षिक सत्र 2009-10 से माध्यमिक स्कूल स्तर (कक्षा IX तथा X हेतु) पर ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है।

- कक्षा X तथा XII की परीक्षाओं में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना ताकि विद्यार्थीगण प्रश्न-पत्रों को भलीभांति पढ़ सकें।
- प्रश्न-पत्रों को इस प्रकार तैयार करना ताकि इनका उत्तर 3 घंटे के भीतर आसानी से दिया जा सके।
- प्रश्नों के अधिकाधिक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है ताकि विद्यार्थीगण समय तथा उत्तर देने की गति के मामले में सहज रहें।
- परियोजना कार्य और गणित, समाज विज्ञान तथा विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में किए गए कार्यों के आधार पर आंतरिक स्कूल आधारित मूल्यांकन को वरीयता प्रदान की गई है।
- सैम्पल प्रश्न-पत्र, अंकन योजना तथा प्रश्न पत्रों के ब्लूप्रिंट का प्रकाशन किया गया है ताकि प्रश्नों तथा प्रश्न-पत्रों के स्वरूप से शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को परिचित करवाया जा सके।
- कक्षा X में सभी विषयों में सुधार हेतु पांच अवसर दिए गए हैं। कक्षा XII की परीक्षा में एक विषय में कम्पार्टमेंट के पांच अवसर भी प्रदान किए गए हैं।
- परीक्षा व्यवस्था को विषयवस्तु आधारित से परिवर्तित करके प्रश्न हल तथा सक्षमता आधारित बनाना।
- वर्ष भर सीबीएसई के साथ निरंतर वेब आधारित परामर्श करने का अवसर प्रदान किया गया है।
- विद्यार्थियों तथा माता-पिताओं को दूरभाष और साथ ही ऑनलाइन के जरिए भी परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के साथ वार्ता

***469. श्रीमती भावना पाटील गवली:**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक पाकिस्तान के साथ हुई वार्ताओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दोनों देशों द्वारा उठाये गये-चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये वार्ताएं किस स्तर पर आयोजित की गई थी;

(घ) भविष्य में होने वाली वार्ताओं/बैठकों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विचार-विमर्श किये गये मुद्दों और हस्ताक्षरित समझौतों को कार्यान्वित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) विगत 3 वर्षों में भारत तथा पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर संयुक्त वार्ता और संयुक्त आयोग के ढांचे के अंतर्गत बातचीत की गई थी। नवम्बर 2008 में मुम्बई आतंकवादी हमले के बाद संयुक्त वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया तथा इन संरचनाओं के अंतर्गत कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी, तथापि, भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिवों की बैठक के अलावा नवम्बर, 2008 के बाद बहुपक्षीय समारोहों के अवसर पर प्रधान मंत्री, एवं भारत के विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच बैठकें हुई हैं, इन बैठकों में भारत ने पाकिस्तान द्वारा उच्चतम स्तर पर दिए गए आश्वासनों सहित, बार-बार दिए गए अपने आश्वासन को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया कि, वह भारत के विरुद्ध निर्देशित किस प्रकार के आतंकवाद के लिए अपने नियंत्रणाधीन भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे। पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि मुम्बई आतंकवादी हमले के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विगत 3 वर्षों के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच बैठकों की वर्षवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

25 फरवरी 2010 को नई दिल्ली में आयोजित विदेश सचिव स्तर की वार्ता में भारत ने पाकिस्तान के नेताओं द्वारा दिए गए इस आश्वासन को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया कि वे भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भू-भाग का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने यह सूचित किया कि उनकी सरकार मुम्बई हमले के संबंध में पाकिस्तान में चल रहे संबंधित मुकदमें को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की इच्छुक है, दोनों विदेश सचिवों ने सम्पर्क में रहने की सहमति व्यक्त की।

(ङ) से (छ) वार्ता प्रक्रिया से नियंत्रण रेखा पर सीमा-पार व्यापार व यात्रा सहित दोनों देशों के बीच कई परिवहन सम्पर्कों की स्थापना तथा जन केन्द्रित विश्वास निर्माण उपायों के परिणामस्वरूप लोगों के आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने के लिए फरवरी 2007 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। मई 2008 में कौंसुली सहायता करार पर हस्ताक्षर करने तथा कुछ बन्दियों और मछुआरों को रिहा करने जैसे मानवीय मुद्दों पर कुछ प्रगति हुई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच बैठकें

(जनवरी, 2007 से लेकर अब तक)

दिनांक एवं स्थान	बैठक
1	2
2007	
7-8 जनवरी, इस्लामाबाद	सीआईबी (इंडिया) तथा एफआईए (पाकिस्तान) के संयुक्त अध्ययन समूह की बैठक
13-14 जनवरी, 2007 इस्लामाबाद	संयुक्त वार्ता के तीसरे दौर की समीक्षा करने के लिए विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री के मध्य बैठक
14-17 फरवरी, 2007 जालंधर	बीएसएफ तथा पाकिस्तानी रेंजर्स के मध्य छमाही बैठक
20 फरवरी, 2007 नई दिल्ली	संयुक्त आयोग के अंतर्गत शिक्षा और सूचना से संबंधित आठ कार्यसमूहों में से दो कार्यसमूहों की बैठक
21 फरवरी, 2007 नई दिल्ली	भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की पांचवी बैठक-पाकिस्तानी विदेश मंत्री की यात्रा (परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने के लिए करार पर हस्ताक्षर भी किये गये।)
6 मार्च, 2007 इस्लामाबाद	भारत-पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त संरचना की पहली बैठक
14 मार्च, 2007 इस्लामाबाद	भारत-पाक संयुक्त वार्ता के चौथे दौर की शुरुआत
6-7 अप्रैल, 2007 इस्लामाबाद	भारत-पाकिस्तान के संयुक्त वार्ता के चौथे दौर के अंतर्गत सियाचिन पर भारत व पाकिस्तान के बीच रक्षा सचिव स्तरीय बातचीत
30 मई से 4 जून, 2007	स्थायी सिंधु आयोग की 99वीं बैठक
28-29 जून, 2007 इस्लामाबाद	भारत-पाकिस्तान संयुक्त वार्ता के चौथे दौर के अंतर्गत मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान का संवर्धन करने के संबंध में भारत-पाकिस्तान के बीच संस्कृति सचिव स्तरीय बातचीत
3-4 जुलाई से 01 अगस्त, 2007 नई दिल्ली	संयुक्त वार्ता के अंतर्गत आतंकवाद व मादक पदार्थों की तस्करी पर भारत-पाकिस्तान के बीच गृह/आंतरिक सचिव स्तरीय बैठक का चौथा दौर
31 जुलाई से 01 अगस्त, 2007 नई दिल्ली	संयुक्त वार्ता के अंतर्गत आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग पर भारत-पाकिस्तान की बातचीत का चौथा दौर

1	2
02 अगस्त, 2007 नई दिल्ली	वाणिज्य सचिव स्तर पर भारत-पाकिस्तान का संयुक्त अध्ययन समूहों की तीसरी बैठक
8-11 अगस्त, 2007 नई दिल्ली	आईसीजी (भारतीय तटरक्षक) तथा पीएमएसए (पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी) के बीच बैठक
20-8-2007 अटारी/वाघा	भारत व पाकिस्तान के मध्य तकनीकी स्तरीय बैठक-ट्रकों की आवाजाही
30-31 अगस्त, 2007	भारत व पाकिस्तान के जल सचिवों के बीच तुलबुल नौवहन जल परियोजना से संबंधित बातचीत
8-11 सितंबर, 2007 लाहौर	बीएसएफ व पाक रेंजर्स के बीच छमाही बैठक
18 अक्तूबर, 2007 नई दिल्ली	परंपरागत विश्वास निर्माण उपायों के संबंध में भारत-पाकिस्तान विशेषज्ञ स्तर की वार्ता की चौथी बैठक
19-10-2007 नई दिल्ली	परमाणु विश्वास निर्माण उपायों पर भारत-पाकिस्तान विशेषज्ञ स्तर की पांचवी बैठक
22.10.2007 नई दिल्ली	भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त आतंकवाद निरोधक तंत्र की दूसरी बैठक
7 दिसंबर, 2007	सार्क बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री तथा पाकिस्तान के विदेश मंत्री (अंतरिम) के बीच बैठक
2008	
14-15 फरवरी, 2008 रावलपिंडी	वायु सेना करार के संशोधन के संबंध में भारत-पाकिस्तान बैठक
26 फरवरी, 2008 नई दिल्ली	बंदियों पर भारत-पाकिस्तान संयुक्त न्यायिक समिति की पहली बैठक
26-29 मार्च, 2008 चंडीगढ़	बीएसएफ व पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच छमाही बैठक
20 मई, 2008 इस्लामाबाद	भारत-पाकिस्तान संयुक्त वार्ता के चौथे दौर की समीक्षा करने के लिए भारत व पाकिस्तान विदेश सचिवों की बैठक
21 मई, 2008 इस्लामाबाद	भारत-पाकिस्तान संयुक्त वार्ता के चौथे दौर की समीक्षा करने के लिए विदेश मंत्री व पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बीच बैठक
31 मई-5 जून 2008 इस्लामाबाद	स्थायी सिंधु आयोग की 100वीं बैठक
24 जून, 2008 इस्लामाबाद	भारत-पाकिस्तान संयुक्त आतंकवाद विरोधी संरचना की तीसरी बैठक
27 जून, 2008 नई दिल्ली	विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बीच बैठक
18 जुलाई, 2008 इस्लामाबाद	सीमा पार एलओसी, सीबीएम पर भारत-पाकिस्तान कार्य दलों की बैठक (संयुक्त सचिव स्तरीय)
21 जुलाई, 2008	संयुक्त वार्ता के पांचवें दौर की शुरुआत के संबंध में भारत-पाकिस्तान विदेश सचिव स्तरीय वार्ता

1	2
24-31 जुलाई, 2008	स्थायी सिंधु आयोग की 101वीं बैठक
2 अगस्त, 2008 कोलंबो	सार्क सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री युसूफ रजा गिलानी की बैठक
23 अगस्त, 2008 नई दिल्ली	18-23 अगस्त, 2008 को भारत-पाकिस्तान न्यायिक समिति की बैठक
22 सितंबर, 2008 नई दिल्ली	भारत-पाकिस्तान सीमा पार एलओसी सीवीएम बैठक
24 सितंबर, 2008 न्यूयार्क	यूएनजीए के अवसर पर प्रधान मंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच भारत-पाकिस्तान बैठक
13-16 अक्तूबर, 2008 लाहौर, पाकिस्तान	बीएसएफ व पाक रेंजर्स के बीच छमाही बैठक
24 अक्तूबर, 2008 नई दिल्ली	आतंकवाद निरोधी संयुक्त बैठक की विशेष (चौथी बैठक)
24 अक्तूबर, 2008	एसेम सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री व पाकिस्तान के प्रधान मंत्री युसूफ रजा गिलानी के बीच बैठक
23-25 अक्तूबर, 2008	स्थायी सिंधु आयोग की 102वीं बैठक
26 नवंबर, 2008 नई दिल्ली	पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा (26-29 नवंबर, 2008)
26 नवंबर, 2008 इस्लामाबाद	संयुक्त वार्ता के पांचवें दौर के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान के गृह सचिव स्तर की वार्ता
2009	
26 फरवरी, 2009 कोलंबो	सार्क मंत्रालयी बैठक के अवसर पर भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी के बीच बैठक
31 मई-5 जून, 2009	स्थायी सिंधु आयोग की 103वीं बैठक
16 जून, 2009 येकतिबर्ग(रूस)	एससीओ बैठक के अवसर पर प्रधान मंत्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी के बीच बैठक
26 जून, 2009 त्रिइस्त (इटली)	जी-8 आउटरीच बैठक के अवसर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्री की बैठक
16 जुलाई, 2009 शर्म-अल-शेख (मिस्र)	गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अवसर पर प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच बैठक
27 सितंबर, 2009 न्यूयार्क	यूएनजीए के अवसर पर पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ विदेश सचिव की बैठक
27 सितंबर, 2009 न्यूयार्क	यूएनजीए के अवसर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्री की बैठक
2010	
25 फरवरी, 2010 नई दिल्ली	भारत व पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय बातचीत
27-31 मार्च, 2010	स्थायी सिंधु आयोग की 104वीं बैठक
28-31 मार्च, 2010 अमृतसर	बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच छमाही बैठक

हज कोटे का आबंटन

***470. श्री कमल किशोर ''कमांडो'':**
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों और निजी एजेन्सियों को आबंटित किए गए हज कोटे और उसकी प्रतिशतता का राज्य-वार, एजेन्सी और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी एजेन्सियों को हज कोटा आबंटित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्यों के हज कोटे में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित कोटा विवरण-**I** पर संलग्न है। निजी टूर आपरेटरों को पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित हज कोटा का एजेंसीवार ब्यौरा संलग्न विवरण-**II** पर दिया गया है। निजी टूर आपरेटरों को आबंटित कोटा राज्यवार नहीं होता है।

(ख) हज कोटा निजी एजेंसियों को भारत सरकार और सउदी अरब अधिराज्य की सरकार के बीच हुए करार के अनुसार दिया जाता है।

(ग) और (घ) भारत की हज समिति के माध्यम से हजयात्रियों के लिए हज कोटा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उस राज्य में मुस्लिम आबादी के अनुपात में दिया जाता है। यदि राज्य हज समितियां अपने कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त करती हैं तो उनके कोटे से अधिक सीटों का, कोटे से कम आवेदन प्राप्त राज्यों में उपलब्ध सीटों पर आनुपातिक आबंटन कर दिया जाता है।

विवरण I

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हज 1430 (एच) -2009 के लिए हज कोटे का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात	मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात	कोटा	एसएचसी द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या	उपलब्ध अतिरिक्त सीटें	आवेदनों की संख्या	अतिरिक्त सीटों का आबंटन (i)	कुल अंतिम कोटा	अधिकता यदि कोई हो	अंतिम कोटे पर 2% प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सं.शा.)	29,265		22	118		96	96	118	0	
2.	आंध्र प्रदेश	6,986,856	6,986,856	5258	23687			964	6222	17465	124
3.	असम	8,413,252		.6332	3504	2828			3504	0	
4.	बिहार	13,722,048		10327	6499	3828			6499	0	
5.	झारखंड	3,731,308		2808	2983		175	175	2983	0	
6.	चण्डीगढ़ (सं.शा.)	35,548		27	78		51	51	78	0	
7.	छत्तीसगढ़	409,615	409,615	308	1568			57	365	1203	7
8.	दादरा और नगर हवेली (सं.शा.)	6,524		5	103		98	98	103	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	दमन एवं दीव (सं.शा.)	12,281		9	55		46	46	55	0	
10.	दिल्ली (रा.रा.क्षे.)	1,623,520	1,623,520	1222	8661			224	1446	7215	29
11.	गोवा	92,210		69	374		305	305	374	0	
12.	गुजरात	4,592,854	4,592,854	3457	34167			634	4091	30076	82
13.	हिमाचल प्रदेश	119,512		90	149		59	59	149	0	
14.	हरियाणा	1,222,916	1,222,916	920	6126			169	1089	5037	22
15.	जम्मू और कश्मीर	6,793,240	6,793,240	5113	21172			938	6051	15121	121
16.	कर्नाटक	6,463,127	6,463,127	4864	22698			892	5756	16945	115
17.	केरल	7,863,842	7,863,842	5918	44712			1085	7003	37709	140
18.	लक्षद्वीप (सं.शा.)	57,903	57,903	44	781			8	52	729	1
19.	मध्य प्रदेश	6,841,449	3,841,449	2891	16704			530	3421	13283	68
20.	महाराष्ट्र	10,270,485	10,270,485	7730	51002			1418	9148	41854	183
21.	मणिपुर	190,939		144	329		185	185	329	0	
22.	उड़ीसा	761,985	761,985	573	1145			105	678	467	14
23.	पुडुचेरी (सं.शा.)	56,358		45	371		326	326	371	0	
24.	पंजाब	382,045	382,045	288	969			53	341	628	7
25.	राजस्थान	4,788,227	4,788,227	3608	17978			661	4565	13713	85
26.	तमिलनाडु	3,470,647	3,470,647	2612	16735			479	3091	13644	62
27.	त्रिपुरा	254,442		191	72	119			72	0	
28.	उत्तर प्रदेश	30,740,185	30,740,158	23135	63067			4243	27378	35689	548
29.	उत्तराखंड	1,012,141	1,012,141	762	3464			140	902	2562	18
30.	पश्चिम बंगाल	20,240,543		15233	8067	7166			8067	0	
31.	सरकारी कोटा										
	योग	13,188,240	91,281,010	104,000	357,338	13,941	1,341	13,941	104,000	253,337	1,626

हज 1429 (एच) 2008 (एडी) के हज यात्रियों के लिए हज कोटे का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या	मुस्लितम जनसंख्या का अनुपात	मुस्लिम %	हजयात्री कोटा	कोटा
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (सं.शा.)	356152	29265	0.02	22.77	23
2.	आंध्र प्रदेश	76,210,007	6986856	5.06	5435.25	5435
3.	असम	26,655,528	8240611	5.96	6410.57	6411
4.	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	20675	0.01	16.08	16
5.	मेघालय	2318822	99169	0.07	77.15	77
6.	मिजोरम	888573	10099	0.01	7.86	8
7.	नागालैंड	1990036	35005	0.03	27.23	27
8.	सिक्किम	540851	7693	0.01	5.98	6
9.	बिहार	82998509	13722048	9.93	10674.72	10675
10.	झारखंड	26945829	3731308	2.7	2902.68	2903
11.	चंडीगढ़ (सं.शा.)	900635	35548	0.03	27.65	28
12.	छत्तीसगढ़	20833803	409615	0.3	318.65	319
13.	दादरा और नगर हवेली	220490	6524	0	5.08	5
14.	दमन और दीव	158204	12281	0.01	9.55	9
15.	दिल्ली	13850507	1623520	1.07	1262.98	1263
16.	गोवा	1347668	92210	0.07	71.73	72
17.	गुजरात	50671017	4592854	3.32	3572.89	3573
18.	हिमाचल प्रदेश	6077900	119512	0.09	92.97	93
19.	हरियाणा	21144564	1222916	0.88	951.34	951
20.	जम्मू और कश्मीर	10143700	6793240	4.92	5284.63	5285
21.	कर्नाटक	52850562	6463127	4.68	5027.82	5028
22.	केरल	31841374	7863842	5.69	6117.47	6117
23.	लक्षदीप (सं.शा.)	60650	57903	0.04	45.04	45
24.	मध्य प्रदेश	60348023	3841449	2.78	2988.36	2988
25.	महाराष्ट्र	96878627	10270485	7.43	7989.66	7990

1		2	3	4	5	
26.	मणिपुर	2166788	190939	0.14	148.54	148
27.	उड़ीसा	36804660	761985	0.55	592.77	593
28.	पुडुचेरी (सं.शा.)	974345	59358	0.04	46.18	46
29.	पंजाब	24358999	382045	0.28	297.2	297
30.	राजस्थान	56507188	4788227	3.47	3724.88	3725
31.	तमिलनाडु	62405679	3470647	2051	2699.9	2700
32.	त्रिपुरा	3199203	254422	0.18	23913.52	23913
33.	उत्तर प्रदेश	166197921	30740158	22.25	787.37	787
34.	उत्तराखंड	8489349	1012141	0.73	15745.61	15746
35.	पश्चिम बंगाल	80176197	20240543	14.65	2500	2500
36.	सरकारी कोटा					
	योग	1028610328	138188240	100	110000	110000

अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की राज्यवार संख्या तथा हज 1428 (एच) 2007 (एडी) के लिए आवंटित अंतिम कोटा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	राज्य/संघ शासित	प्रतीक	आवेदक कोटा की संख्या	वास्तविक कोटा	आवेदनों की अधिकता	उपलब्ध अतरिक्त सीटें	आवंटित अतिरिक्त सीटें	अंतिम कोटा	अधिकता, यदि हो	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (सं.शा.)	एएन	21	75	54		54	75		
2.	आंध्र प्रदेश	एपी	5187	11967	6780		1633	6820	5147	
3.	असम	एएस	6224	2700		3524		2700		
4.	बिहार	बीआर	10178	2375		7803		2375		
5.	झारखंड	जेआर	2768	1698		1070		1698		
6.	चण्डीगढ़ (सं.शा.)	सीएच	31	28		3		28		
7.	छत्तीसगढ़	सीजी	308	725	417		96	404	321	

1				2	3		4		5
8.	दादरा और नगर हवेली (सं.शा.)	डीएन	5	15	10		10	15	
9.	दमन और दीव (सं.शा.)	डीडी	10	32	22		22	32	
10.	दिल्ली (रा.रा.क्षे.)	डीएल	1199	5220	4021		379	1578	3642
11.	गोवा	जीए	72	74	2		2	74	
12.	गुजरात	जीजे	3403	15450	12047		1073	4476	10974
13.	हिमाचल प्रदेश	एचपी	92	112	20		20	112	
14.	हरियाणा	एचआर	902	1499	597		286	1188	311
15.	जम्मू और कश्मीर	जेके	5043	12500	7457		1587	6630	5870
16.	कर्नाटक	केए	4797	13210	8413		1510	6307	6903
17.	केरल	केएल	5832	20071	14239		1838	7670	12401
18.	लक्षद्वीप (सं.शा.)	एलडी	41	289	248		248	289	
19.	मध्य प्रदेश	एमपी	2850	9000	6150		898	3748	5252
20.	महाराष्ट्र	एमएच	7616	23880	16264		2400	10016	13864
21.	मणिपुर	एमएन	144	207	63		63	207	
22.	उड़ीसा	ओआर	564	589	25		25	589	
23.	पुडुचेरी (सं.शा.)	पीआर	41	147	106		106	147	
24.	पंजाब	पीबी	287	354	67		67	354	
25.	राजस्थान	आरजे	3557	9500	5943		119	4676	4824
26.	तमिलनाडु	टीएन	2573	6800	4227		811	3384	3416
27.	त्रिपुरा	टीआर	185	50		135		50	
28.	उत्तर प्रदेश	यूपी	22806	41985	19179		7183	29989	11996
29.	उत्तराखंड	यूए	748	3564	2816		237	985	2579
30.	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी	15016	5884		9132		5884	
		योग	102500	190000	109167	21667	20667	102500	87500

विवरण II

हज 2009 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों को कोटे का आबंटन

क्र.सं.	निजी टूर ऑपरेटर का नाम	हज 2009 हेतु आवंटित कोटा
1	2	3
1.	तब्बकल टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	103
2.	हजरत ख्वाजा गरीब नबाज हज टूर्स, अहमदाबाद	154
3.	रजाक एंड सन्स (काकी वाला टूर्स एंड ट्रैवल्स), अहमदाबाद	137
4.	ख्वाजा गरीब नबाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	89
5.	अल हाशिम हज टूर्स, अहमदाबाद	62
6.	जिगर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	89
7.	अकबरी टूर्स (अकबरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद)	69
8.	अल अख्श टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	69
9.	अल फारूखी हज उमरा टूर्स इदार, सावरकंठ	86
10.	सफर एंड टूर्स, अहमदाबाद	69
11.	अलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स अहमदाबाद	50
12.	जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	120
13.	दि बफादार टूर्स एंड ट्रैवल्स, सावरकंठ	51
14.	अदेन वाला टूर्स, अहमदाबाद	86
15.	अल खिजर टूर्स, वडोदरा	55
16.	हज कारपोरेशन ऑफ इंडिया, बंगलौर	69
17.	मुकदस टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	69
18.	सी एयर हज सर्विस, बंगलौर	137
19.	अल सईद टूर इंटरनेशनल, बंगलौर	137
20.	लाबेक टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	154
21.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलौर	69
22.	तब्बकल टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	69
23.	अलमदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	69
24.	अल्ला हू अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	69
25.	अल मनासिक टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	69
26.	अल रहमान हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	55
27.	बिसमिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	50
28.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्ग	120
29.	अतीक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश	103
30.	जे.एस. टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	50
31.	अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	50
32.	अराफत टूर्स (अराफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप हैदराबाद)	69
33.	दीन हज सर्विस, चेन्नै	271
34.	अल नूर हज सर्विस, तंजावुर, तमिलनाडु	171
35.	अल अमरनाथ हज सर्विस प्राइवेट लिमि. चेन्नै	271
36.	अल हरामिन हज सर्विस (प्रा.) लिमि. चेन्नै	103
37.	अल हसम ट्रेवल एंड टूर्स इंडिया (प्रा.) लिमि. पुरसावा तमिलनाडु	206
38.	अल फतेह हज सर्विस (प्रा.) लिमि. कायलपत्तनम, तमिलनाडु	103
39.	शाह हज सर्विस, कोयंबटूर	69
40.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, रामनाद, तमिलनाडु	69
41.	अलमदीना हज सर्विस, चेन्नै	50
42.	फतिमा गंज हज सर्विस, रामानंतपुरम, तमिलनाडु	69
43.	कालांतर हज सर्विस, पुदुकोताई, तमिलनाडु	69
44.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नै	51
45.	रिचवे टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोयंबटूर	51

1	2	3
46.	अल सफा हज सर्विस, पुदुकोताई, तमिलनाडु	79
47.	अल हुदा हज सर्विस (प्रा) लिमि., कोयंबटूर	51
48.	अल मिसवा हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नै	50
49.	बादशाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, कादपा, आंध्र प्रदेश	69
50.	सलीम हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नै	50
51.	अल ईरशाद हज ग्रुप (अल ईरशाद टूर्स एंड ट्रैवल्स, पतांबी, केरल)	171
52.	माबरूक हज ग्रुप, मल्लापुरम	120
53.	एसवाईएस हज सेल, कोजीकोड	480
54.	अल फलाह ट्रेवल एंड हज ग्रुप, मल्लापुरम	411
55.	अलवन हज उमरा सर्विस, कोचीन	137
56.	अराफत हज ग्रुप मल्लापुरम	151
57.	अल्लाह फारूख हज सर्विस, फिरोके, केरल	137
58.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मेनेजमेंट, कोचि, केरल	271
59.	अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स, कालीकट	411
60.	वाजको हज ग्रुप, कोजीकोड	377
61.	सलामत हज सर्विस, कालीकट	377
62.	बक्काह हज उमरा सर्विस, मल्लापुरम	50
63.	असलम हज ट्रैवल्स एंड टूर (असलम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मल्लापुरम)	103
64.	अल हिदाया हज सर्विस पलकाड, केरल	69
65.	अल जामिया हज ग्रुप, मल्लापुरम	89
66.	उम्मूल खुरा हज सर्विस, मल्लपुरम	103
67.	द ग्रेट इंडिया टूर्स कंपनी प्रा. लिमि., त्रिवेंद्रम	50
68.	एयर ट्रैवल इंटरप्राइजेज इंडिया लिमि., त्रिवेन्द्रम	65
69.	जमजम हज सर्विस, कालीकट	103
70.	मालावार हज ग्रुप सर्विस (मालावार हज ग्रुप, मल्लापुरम)	206

1	2	3
71.	नुसरत हज ग्रुप एंड ट्रैवल्स एंड टूर्स (नुसरत हज उमरा सर्विस टूर्स एंड ट्रैवल्स मल्लापुरम)	195
72.	अल रिफाई हज उमरा सर्विस पलकाड, केरल	69
73.	केरल इस्लाम हज एंड उमरा सर्विस, कालीकट	394
74.	हिजरा हज ग्रुप मल्लापुरम	137
75.	पीकेएम ट्रैवल्स (यासीन हज ग्रुप), पुनातला, केरल	103
76.	एसवाई एस हज ग्रुप, मल्लापुरम	137
77.	फादहिल ग्रुप टूर्स एंड ट्रैवल्स, कनौर, केरल	50
78.	मुस्लिम टूर्स कारपोरेशन मुंबई	274
79.	कोसमिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	250
80.	मर्चेट टूर्स सर्विस प्रा. लिमि.ए मुंबई	69
81.	अरफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	137
82.	अल हाफिज टूर्स एंड ट्रैवल्स, धुले, महराष्ट्र	69
83.	अराफात ट्रैवल्स सर्विस, ठाणे	58
84.	अल खालिद टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	240
85.	वेलकम टूर्स एंड ट्रैवल्स,मुंबई	51
86.	तंबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदनगर	274
87.	मक्का हज कारपोरेशन, मुंबई	206
88.	एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	171
89.	मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	82
90.	अल उकवा टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	69
91.	एटलस टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	548
92.	अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया, मुंबई	411
93.	बेंजी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	411
94.	डेल्टा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	411
95.	अल सफा टूर्स, पुणे	123

1	2	3
96.	मुखलिश हज एंड उमरा सर्विस, ठाणे	50
97.	अकोला हज टूर्स, अकोला, महाराष्ट्र	137
98.	सूरत हज टूर्स, सूरत	55
99.	पूना टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	69
100.	अल अंसर हज एंड उमरा ओरगेनाइजर, मुंबई	69
101.	मार्शल ट्रैवल्स, मुंबई	69
102.	अल इरफान टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	137
103.	क्वादरी हज सर्विस, जबलपुर मध्य प्रदेश	58
104.	इकरम हज कारपोरेशन, मुंबई	86
105.	अल मुलताजिम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, ठाणे	50
106.	अल मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
107.	दरवेश टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	120
108.	कोलापुर हज कारपोरेशन, कोलापुर	50
109.	अल अकबर टूर्स, मुंबई	69
110.	हाजी पीर हज टूर्स, मुंबई	103
111.	अमन टूरिज्म, कोलापुर	62
112.	एमके ट्रैवल्स, मुंबई	171
113.	साइदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	154
114.	काजी सरकार, ट्रैवल्स निमच, मध्य प्रदेश	50
115.	हिना ट्रैवल्स सर्विस लखनऊ	50
116.	मासूम टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच, गंजरात	50
117.	अल हिजाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच गुजरात	240
118.	एमके हज एंड उमरा ट्रैवल्स, कलकत्ता	69
119.	मदीना हज टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी, बंगाई गांव, असम	50
120.	तब्बकल टूर्स, बड़ौदा	147
121.	अल अख्श टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	69
122.	अल हिदायत टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	55
123.	मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	51
124.	मुलाताजिम हज कारपोरेशन ठाणे	50
125.	अल अराफात हज एंड उमरा टूर्स, नागपुर	51
126.	मास्टर ट्रैवल्स, पुणे	82
127.	कोलकाता टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रा. लिमि., कोलकाता	50
128.	मोलवी हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	69
129.	बिलाल हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	55
130.	अल हामद हज एंड उमरा टूर्स मुंबई	103
131.	सुजे इंटरनेशनल, नबासारी, गुजरात	123
132.	मतिन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	69
133.	अल मुलताजिम हज एंड उमरा सर्विस, मुंबई	50
134.	इंडियन हज कारपोरेशन ठाणे	55
135.	अस सिरात टूर्स, मुंबई	103
136.	जीबी टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	82
137.	रिलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, (रिलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, गोदरा)	103
138.	सागर टूर्स एंड ट्रैवल्स, गोरखपुर	50
139.	रजा टूर्स एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा, राजस्थान	69
140.	शाहिन हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरेली	69
141.	गुजरात हज टूर्स, अहमदाबाद	206
142.	मोहमदिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	137
143.	अलक्यूबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	50
144.	सरकार टूर्स ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	69
145.	अल आकिब, ट्रैवल्स, सर्विस ठाणे	69
146.	ट्रैवल्स हाउस ट्रैवल एंड टूर, भोपाल	50
147.	अरेबिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा, पुणे	137
148.	रिलायवल हज उमरा टूर्स, मुंबई	51
149.	अल मेंहदी टूर्स, मुंबई	240

1	2	3
150.	अल जामील हज टूर्स, ठाणे	86
151.	बाखला हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	154
152.	कादरी हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स (कादरी हज एंड उमरा टूर्स ओरगेनाइजर, अहमदनगर, महाराष्ट्र)	62
153.	इमान इंटरनेशनल, मुंबई	69
154.	एयरफ्लो ट्रैवल्स, मुंबई	69
155.	रूमानी इंटरप्राइजेज, मुंबई	69
156.	अल हसन ट्रैवल्स, मुंबई	69
157.	मोलाना टूर्स कारपोरेशन, मुंबई	86
158.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा. लिमि., मुंबई	206
159.	अल हबीब टूर्स, मुंबई	69
160.	अराफात हज टूर्स, बिरमगांव, अहमदाबाद	69
161.	असरफ हज उमरा टूर्स, अमरावती, महाराष्ट्र	62
162.	रिगल टूर्स सर्विस, मुंबई	69
163.	अलवाह हज टूर्स, मुंबई	51
164.	रेपिड ट्रैवल्स एंड टूर्स, मुंबई	127
165.	कोतवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	69
166.	घोष टूर्स एंड ट्रैवल्स, बेलारी, कर्नाटक	103
167.	मीरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
168.	एलाइंस टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	69
169.	अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स (अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई)	308
170.	तबाफे मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	171
171.	ताज टूर्स एंड ट्रैवल्स, हुबली पश्चिम बंगाल	86
172.	अल आमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	55
173.	अजीम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	96
174.	अल बरहान टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरहानपुर, मध्य प्रदेश	69

1	2	3
175.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज मुंबई	271
176.	अल जिनेद हज एंड उमरा कंपनी, मेरठ	137
177.	अल खुदाम हज एंड उमरा सर्विस, श्रीनगर	103
178.	रोशन हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, ठाणे	50
179.	आवालिया हज टूर्स, इंदौर	50
180.	मेंहदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	103
181.	रूबी टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	96
182.	मुकद्दस हज कारपोरेशन, ठाणे	69
183.	वाखला इंटरनेशनल (वाखला इंटरनेशनल ट्रैवल्स, मुंबई)	110
184.	अरेबियन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	110
185.	अससफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
186.	जमजम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	69
187.	अल मिराज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जोधपुर	69
188.	जन्नत टूर्स एंड ट्रैवल्स, फैजाबाद	51
189.	अल उमेर टूर्स एंड ट्रैवल्स, भुवंडी	103
190.	हमदान ट्रैवल्स सर्विस, कोलकाता	69
191.	अल हमजा ट्रैवल्स, मुंबई	50
192.	अल अतर हज कारपोरेशन, मुंबई	51
193.	अल सलाम हज ओ उमरा टूर्स, अकोला	69
194.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुंबई	103
195.	साहेब हज सर्विस, गुलबर्गा, कर्नाटक	69
196.	असफान टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	69
197.	तब्बकल टूरिज्म कारपोरेशन, नागपुर	62
198.	अल अमाल हज उमरा सर्विस, इरनाकुलम, केरल	69
199.	मुलताजम टूर्स प्रा. लिमि., मुंबई	137
200.	मरहब्बा हज उमरा टूर्स, मुंबई	50

1	2	3
201.	अल बोरोक टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	50
202.	हुजा हद टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	51
203.	मोलाना हज एंड उमरा ओरगनाइजर (मोलाना हज सर्विस, मुंबई), चेन्नै, तमिलनाडु	69
204.	अल इखलाश हज कारपोरेशन रेगात, महाराष्ट्र	50
205.	अल आमिन हज कारपोरेशन रेगात, महाराष्ट्र	51
206.	बेतुला टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	240
207.	मरहब्बा मुकदस्स उमरा हज टूर्स, मुंबई	50
208.	मिजाबे रहमत हज उमरा एंड जियारात टूर्स, नासिक	50
209.	न्यू मिजावे रहमत हज उमरा एंड जियारात टूर्स, नासिक	50
210.	कोंकण टूर्स, कारपोरेशन, ठाणे	69
211.	सऊदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
212.	रहबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	69
213.	सफी हज एंड उमरा टूर्स, अहमदनगर, महाराष्ट्र	69
214.	अल मदीना हज उमरा टूर्स, मुंबई	50
215.	ए-1 टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	86
216.	अलिफिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	103
217.	ताशंकद टूर्स एंड ट्रैवल्स, सूरत	55
218.	अल तवाफ हज उमरा ट्रैवल एंड टूरिज्म, कोमल, केरल	103
219.	अल हरमाइनी हज ग्रुप मल्लापुरम	206
220.	आल्टर्न ट्रैवल एंड कर्गा, हैदराबाद	103
221.	मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	55
222.	अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	171
223.	किबला हज उमरा सर्विस, मुंबई	50
224.	अस सोद टूर्स, नबासारी, गुजरात	69
225.	दारूल हरम, टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	82
226.	लवायक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नवासारी, गुजरात	50

1	2	3
227.	रोयल ट्रैवल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	50
228.	गोल्डन ट्रैवल्स, हैदराबाद	154
229.	अल हीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	103
230.	शरीफे टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	69
231.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुंबई	69
232.	दायरे हबीब टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	154
233.	अस सफा हज टूर्स, नवासारी, गुजरात	120
234.	हज टूर्स कारपोरेशन, इंदौर	69
235.	अल अकरभ हज टूर्स, मुंबई	50
236.	अल हुसामी हज उमरा टूर्स, ठाणे	50
237.	लवायक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	103
238.	खादिम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	137
239.	नबाव ट्रैवल्स प्रा. लिमि., दिल्ली	50
240.	हादी टूर्स हज एंड उमरा, मालेगांव, महाराष्ट्र	55
241.	रजाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	69
242.	शुक्रिया ट्रैवल्स, मुंबई	171
243.	दायरे हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	55
244.	मिलात हज सर्विस चैन्ने	103
245.	क्लासिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	123
246.	क्रिएटिव टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया प्रा. लिमि. मुंबई	127
247.	इफ्तेखां ट्रैवल सर्विस, प्रीतमपुरा, दिल्ली	103
248.	एआरके इंटरप्राइजेज ट्रैवल एजेंसी हैदराबाद	58
249.	3एन ट्रैवल्स एंड टूरिस्ट, मुंबई	171
250.	अहलान हज एंड उमरा सर्विस, दिल्ली	50
251.	अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	103
252.	बिसमिल्लाह हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	69

1	2	3
253.	अजमेरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा, राजस्थान	103
254.	आसियाना टूर्स एंड ट्रैवल्स, दिल्ली	137
255.	एएस इंटरप्राइजेज दिल्ली	206
256.	ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स, श्रीनगर	50
257.	हामिदिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	206
258.	सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल्स, जयपुर	206
259.	यूनाइटैड टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	51
260.	हिजाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
261.	यूनाइटेड ट्रैवल्स सर्विस, दिल्ली	206
262.	अल-हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूड़की	206
263.	इस्लामिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	69
264.	अनाम टूर्स एंड ट्रैवल्स, दिल्ली	92
265.	सुलतान जी इंटरप्राइजेज, दिल्ली	69
266.	अल बुरक ट्रैवल्स, दिल्ली	137
267.	मदनी ट्रैवल्स, वाराणसी	50
268.	चिस्ती टूर्स एंड ट्रैवल्स (चिस्ती टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर)	69
269.	संजय ट्रैवल्स, अहमदाबाद	69
270.	अल मीनार टूर्स एंड ट्रैवल्स, हिम्मतनगर, अहमदाबाद	86
271.	अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स, तारापुर गुजरात	50
272.	नोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	51
273.	अलतिमा टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रा.लि. (अलतिमा टूर्स एंड ट्रैवल्स, त्रिवेंद्रम, केरल)	274
274.	एमजी टूर्स एंड ट्रैवल्स, पश्चिम बंगाल	50
275.	मरियम हज टूर्स (मरियम हज टूर्स, इंदौर)	75
276.	रविता हज उमरा टूर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	103
277.	अल फरीद टूर्स एंड ट्रैवल्स, नवासारी, गुजरात	86
278.	फैजल टूर्स एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली	50

1	2	3
279.	खनदेश हज कारपोरेशन जल गोवा महाराष्ट्र	86
280.	मोमिन हज उमरा टूर्स, मुंबई	103
281.	हाजिर टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिकदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
282.	मेंहदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	50
283.	अल अजीज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नासिक	50
284.	नौरूल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूड़की	50
285.	अल माबरूक हज ग्रुप मल्लापुरम	116
286.	मैट्रो टूर्स एंड ट्रैवल्स, कटक	50
287.	अल मंसूर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	50
288.	अल हमदा हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	69
289.	मैसर्स दरबार टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदनगर, महाराष्ट्र	50
290.	मैसर्स वैस्टन ट्रैवल्स सर्विस, मुंबई, महाराष्ट्र	50
291.	मैसर्स इलाफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, अकोला महाराष्ट्र	50
292.	मैसर्स अल हुदा हज उमरा टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
293.	मैसर्स अल फलाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, अकोला महाराष्ट्र	50
294.	मैसर्स मरवाह हज टूर्स अमरावती, महाराष्ट्र	50
295.	मैसर्स अकबर हज कारपोरेशन, ठाणे महाराष्ट्र	50
296.	मैसर्स अल हति टूर्स, एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
297.	मैसर्स बोम्बे हज टूर्स, ठाणे महाराष्ट्र	50
298.	मैसर्स भदिहा हज कारपोरेशन, ठाणे, महाराष्ट्र	50
299.	मैसर्स स्टार टूर्स एंड ट्रैवल्स, ठाणे, महाराष्ट्र	50
300.	मैसर्स ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स, सूरत, गुजरात	50
301.	मैसर्स अल बाक्खा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50

1	2	3
302.	मैसर्स महादूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
303.	मैसर्स अल माज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
304.	मैसर्स सुदैस हज टूर्स, नवासारी, गुजरात	50
305.	मैसर्स मुसाविर टूर्स कारपोरेशन, मुंबई	50
306.	मैसर्स चांद टूर्स एंड ट्रैवल्स, भरौच, गुजरात	50
307.	मैसर्स रफीक-ई-हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, लातुर, महाराष्ट्र	50
308.	मैसर्स आवामी टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे, महाराष्ट्र	50
309.	मैसर्स हज-ई-बेतुल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	50
310.	मैसर्स रोयल टूर्स एंड ट्रैवल्स, सूरत, गुजरात	50
311.	मैसर्स ब्लेनेटा ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
312.	मैसर्स अल मोहम्मदी हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अकोला, महाराष्ट्र	50
313.	मैसर्स जेके इंटरप्राइजेज मुंबई, महाराष्ट्र	50
314.	मैसर्स कोसमिक लिंग वेज प्रा. लिमि., मुंबई, महाराष्ट्र	50
315.	मैसर्स साउथ एशियन हज एंड उमरा सर्विसेज, तंजाऊर, तमिलनाडु	50
316.	मैसर्स बरकत हज सर्विस, चेन्नै, तमिलनाडु	50
317.	मैसर्स अल मुंतजर, मुंबई, महाराष्ट्र	50
318.	मैसर्स जुबिया हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
319.	मैसर्स तबाक ए तिबला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई महाराष्ट्र	50
320.	मैसर्स अल तोफिक हज टूर्स बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	50
321.	मैसर्स भटकल हज कारपोरेशन, मुंबई महाराष्ट्र	50
322.	मैसर्स आईटीएल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रा. लिमि., मुंबई, महाराष्ट्र	50
323.	मैसर्स अल-अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	50

1	2	3
324.	मैसर्स अल-ताज हज सर्विस, तंजावुर, तमिलनाडु	50
325.	मैसर्स हाशिमी हज उमरा सर्विस, त्रिसूर, केरल	50
326.	मैसर्स सहारा हज-उमरा सर्विस, मलापुरम, केरल	50
327.	मैसर्स अल हिदाया हज उमरा सर्विस (अलुवा-अंगामली), एमाकुलम, केरल	50
328.	मैसर्स कबाथुला टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर, कर्नाटक	50
329.	मैसर्स कारवां-ए-नावेत हज एंड उमरा सर्विस, मलापुरम, केरल	50
330.	मैसर्स भटकल हज एंड उमरा सर्विस, भटकल, कर्नाटक	50
331.	मैसर्स एअर वर्ल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
332.	मैसर्स सौगात टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर, कर्नाटक	50
333.	मैसर्स अलमदीना हज सर्विस, बंगलौर, कर्नाटक	50
334.	मैसर्स अलमदीना टूर्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
335.	मैसर्स सराह टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
336.	मैसर्स अल सौबिर इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स बडोदरा, गुजरात	50
337.	मैसर्स अल फारूख टूर्स एंड ट्रैवल्स अहमदाबाद, गुजरात	50
338.	मैसर्स मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, खेड़ा, गुजरात	50
339.	मैसर्स ए-वन टूर्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
340.	मैसर्स अल सभा हज टूर्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
341.	मैसर्स अल नूरेन टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
342.	मैसर्स अफजल हज टूर्स अहमदाबाद, गुजरात	50
343.	मैसर्स राजदीप टूर्स एंड ट्रैवल्स, सबरकांथा, गुजरात	50
344.	मैसर्स महफूज इंटरनेशनल, कनॉट प्लेस, दिल्ली	50

1	2	3
345.	मैसर्स परवेज इंटरनेशनल, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश	50
346.	मैसर्स इलाफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, थाने, महाराष्ट्र	50
347.	मैसर्स अल शरीक इंटरप्राइजेज माता सुंदी रोड, नई दिल्ली	50
348.	मैसर्स दनीश टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर उत्तर प्रदेश	50
349.	मैसर्स ब्राइट ट्रेनिंग एंड टूर्स कंपनी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश	50
350.	मैसर्स रायल ट्रैवल्स, भिलवाड़ा, राजस्थान	50
351.	मैसर्स के संस टूर्स एंड ट्रैवल्स, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश	50
352.	मैसर्स यूनीवर्स ट्रैवल्स कोरपोरेशन, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर	50
353.	मैसर्स अल्फा इंटरप्राइजेज, मुंबई, महाराष्ट्र	50
354.	मैसर्स गल्फ हज एंड उमरा सर्विस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	50
355.	मैसर्स होरिजेन टूर्स एंड ट्रैवल्स, आसफ अली रोड, नई दिल्ली	50
356.	मैसर्स रैस इंटरप्राइजेज कानपुर, उत्तर प्रदेश	50
357.	मैसर्स नेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी लिमिटेड रामपुर, उत्तर प्रदेश	50
358.	मैसर्स नेशनल इंफारमेशनल धुबरी, असम	50
359.	मैसर्स अल कौथर हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स दरियागंज, नई दिल्ली	50
360.	मैसर्स सिटी ट्रैवल्स पुल बंगस नई दिल्ली	50
361.	मैसर्स हजरत निजामुद्दीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली	50
362.	मैसर्स रॉयल हज सर्विस जोधपुर, राजस्थान	50
363.	मैसर्स मुसाफिर टूर्स एंड ट्रैवल्स, माता सुंदी रोड, नई दिल्ली	50
364.	मैसर्स अल नूर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
365.	मैसर्स एमआर इंटरनेशनल, थाने, महाराष्ट्र	50
366.	मैसर्स अल मोमिन हज उमरा पिलग्रिमेज गाइडेंस सोसाइटी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	50
367.	मैसर्स अल मनौसिक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, चेन्नई, तमिलनाडु	50
368.	मैसर्स प्लाईवेज ट्रैवल्स कोयम्बटूर, तमिलनाडु	50
369.	मैसर्स एचएम ट्रैवल्स कोयम्बटूर, तमिलनाडु	50
370.	मैसर्स अल सलाम इंडिया हज एंड ओमरा सर्विस खालखाड, केरल	50
371.	मैसर्स एचएडब्ल्यू टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
372.	मैसर्स होरिजन ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
373.	मैसर्स रियाज इंटरनेशनल ट्रैवल्स सर्विस, मुंबई, महाराष्ट्र	50
374.	मैसर्स सरेह ई बोखारी हज एंड उमरा टूर्स थाने, महाराष्ट्र	50
375.	मैसर्स अमना हज टूर इंदौर, मध्य प्रदेश	50
376.	मैसर्स समीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	50
377.	मैसर्स सेंट्रल एजेंसी, मुंबई, महाराष्ट्र	50
378.	मैसर्स अल अजीज टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
379.	मैसर्स जेन ट्रैवल्स आफ इंडिया, गुलबर्ग, कर्नाटक	50
380.	मैसर्स साजिली इंअरप्राइज, अहमदाबाद, गुजरात	50
381.	मैसर्स गल्फ एसोसिएट न्यू फ्रेंडस कालोनी नई दिल्ली	50
382.	मैसर्स लकी इंटरनेशनल थाने, महाराष्ट्र	50
383.	मैसर्स अल्ताफ ट्रैवल्स सर्विस मुंबई, महाराष्ट्र	50
384.	मैसर्स अल एबरार टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
385.	मैसर्स मदिनी टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50

1	2	3
386.	मैसर्स अल्वी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
387.	मैसर्स आरकेडिया टेवल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र	50
388.	मैसर्स अल रयान हज ग्रुप मलपुरम, केरल	50
389.	मैसर्स जफर टूर्स एंड ट्रैवल्स मेरठ, उत्तर प्रदेश	50
390.	मैसर्स अमदाबाद हज टूर्स अहमदाबाद, गुजरात	50
391.	मैसर्स मोहम्मद अली इसटेबैलिसमेंट मुंबई महाराष्ट्र	50
392.	मैसर्स आरिज ट्रैवल एंड टूर्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
393.	मैसर्स आयएसा टूर्स नासिक, महाराष्ट्र	50
394.	मैसर्स असीम टूर्स एंड ट्रैवल्स नंदूबार महाराष्ट्र	50
395.	मैसर्स क्राउन ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
396.	मैसर्स अल कुरेश टूर्स एंड ट्रैवल्स नौसरी, गुजरात	50
397.	मैसर्स सलीमा टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	
398.	मैसर्स अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स रजिस्टर्ड गुलबर्ग, कर्नाटक	50
399.	मैसर्स डाल्फीन एएलएफ सर्विस प्राइवेट लि. त्रिची तमिलनाडु	50
400.	मैसर्स अरब टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
401.	मैसर्स एसएम उमेर एंड ब्रास कोलकाता, पश्चिम बंगाल	50
402.	मैसर्स एटीटी होलीडेज कोचीन, केरल	50
403.	मैसर्स अल फहाद हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
404.	मैसर्स जय हिन्द मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कालीकट, केरल	50
405.	मैसर्स अनफाल टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
406.	मैसर्स अल साया नासेर ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
407.	मैसर्स अल मदीना हज उमरा एंड जियारत टूर्स जबलपुर, मध्य प्रदेश	50
408.	मैसर्स अक्शा हज सर्विस बुलंदशहर उत्तर प्रदेश	50
409.	मैसर्स अल फतेह टूर्स एंड ट्रैवल्स वाराणसी उत्तर प्रदेश	50
410.	मैसर्स सईद इब्राहम बादशाह हज उमरा वीजा सर्विस त्रिचूर केरल	50
411.	मैसर्स मूसा हज सर्विस सलेम, तमिलनाडु	50
412.	मैसर्स एनए टूर्स एंड ट्रैवल्स अहमदाबाद, गुजरात	50
413.	मैसर्स ताहा इज एंड उमरा टूर्स नागपुर, महाराष्ट्र	50
414.	मैसर्स हकुयानी टूर्स एंड ट्रैवल्स कटक उड़ीसा	50
415.	मैसर्स अल मक्का हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
416.	मैसर्स शान ए करीमी टूर ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
417.	मैसर्स राणा हज कमेटी टूर्स एंड ट्रैवल्स मेरठ, उत्तर प्रदेश	50
418.	मैसर्स मुसाफिर टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
419.	मैसर्स अल अमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स पणजी, गोवा	50
420.	मैसर्स लिबर्टी टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई महाराष्ट्र	50
421.	मैसर्स अल मीना टूर्स एंड ट्रैवल्स रांची, झारखंड	50
422.	मैसर्स ट्रैवल होम, मुंबई, महाराष्ट्र	50
423.	मैसर्स स्टैंडर्ड टूर्स, पुणे, महाराष्ट्र	50
424.	मैसर्स अल इमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई महाराष्ट्र	50
425.	मैसर्स अल राजा टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
426.	मैसर्स मौलाना हज एंड उमरा आर्गेनाइजर चेन्नई, तमिलनाडु	50
427.	मैसर्स अल लेबा उमरा एंड हज टूर्स एंड ट्रैवल्स इंदौर, मध्य प्रदेश	50
428.	मैसर्स शोएब टूर्स एंड ट्रैवल्स पटना, बिहार	50

1	2	3
429.	मैसर्स अल हातिम टूर्स एंड ट्रैवल्स अहमदनगर, महाराष्ट्र	50
430.	मैसर्स मोमिनिन हज उमरा टूर्स, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	50
431.	मैसर्स ताज हज सर्विस टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिवाकारी, तमिलनाडु	50
432.	मैसर्स हुसामियह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	50
433.	मैसर्स अल मोहिसन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
434.	मैसर्स मलिक दीनार हज सर्विस, मलपुरम, केरल	50
435.	मैसर्स मेक्का ट्रैवल्स एंड हज ग्रूप, मलपुरम, केरल	50
436.	मैसर्स केरल हज उमरा सर्विस, (केरल नदवाथुल मुजाहिदीन) कालीकट, केरल	50
437.	मैसर्स अल हुधा हज उमरा सर्विस, कोल्म, केरल	50
438.	मैसर्स अरब वर्ल्ड ट्रैवल एंड ट्रेडलिंक्स, त्रिवेंद्रम	50
439.	मैसर्स आस्कर टूर्स एंड ट्रैवल्स (आस्कर हज ग्रुप), मलपुरम, केरल	50
440.	मैसर्स ताहिर ट्रैवल्स एंड हज उमरा सर्विस, मलपुरम, केरल	50
441.	मैसर्स अल आरिफ हज एसोसिएशन, कालीकट, केरल	50
442.	मैसर्स गल्फ इंडिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, (गल्फ इंडिया हज ग्रुप), कोल्लम, केरल	50
443.	मैसर्स अल अमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मलपुरम, केरल	50
444.	मैसर्स बिसमिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
445.	मैसर्स फोजदार ट्रैवल्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
446.	मैसर्स मोइन हज टूर्स, अहमदाबाद, गुजरात	50

1	2	3
447.	मैसर्स अल यासिन हज टूर्स, वडोदरा, गुजरात	50
448.	मैसर्स अल साद टूर्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
449.	मैसर्स मरियम हज कोरपोरेशन, अहमदाबाद, गुजरात	50
450.	मैसर्स अल उमर हज सर्विस, अहमदाबाद, गुजरात	50
451.	मैसर्स आलिफ टूर्स ऑफ इंटरनेशनल, अहमदाबाद, गुजरात	50
452.	मैसर्स सादत हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, वडोदरा, गुजरात	50
453.	मैसर्स रॉयल ट्रैवल्स, हिम्मतनगर, गुजरात	50
454.	मैसर्स मेहर टूर्स, साबरकांथा, गुजरात	50
455.	मैसर्स अल मुरतजा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
456.	मैसर्स अल फजल टूर्स ऑफ इंटरनेशनल, अहमदाबाद, गुजरात	50
457.	मैसर्स अल बरत टूर्स ट्रैवल्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	50
458.	मैसर्स अल हबीब टूर्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	50
459.	मैसर्स हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	50
460.	मैसर्स अलीफ प्राइवेट लिमिटेड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली	50
461.	मैसर्स करवाने जेहरा दिलशाद गार्डेन, नई दिल्ली	50
462.	मैसर्स अल मदीना हज कारपोरेशन, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	50
463.	मैसर्स गुड होप इंटरप्राइजेज माता सुंदरी रोड, नई दिल्ली	50
464.	मैसर्स एकुरेट ट्रैवल कनाट मार्ग दिल्ली	50
465.	मैसर्स न्यू तैयबा टूर्स एंड ट्रैवल्स सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	50
466.	मैसर्स एके एटीएम फोरेक्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	50

1	2	3
467.	मैसर्स बॉब अल सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स, भोपाल मध्य प्रदेश	50
468.	मैसर्स अल हयात हज एंड उमरा ट्रैवल सर्विस श्रीनगर, जम्मू कश्मीर	50
469.	मैसर्स निशा टूर्स एंड ट्रैवल्स जयपुर, राजस्थान	50
470.	मैसर्स अल हुदा ट्रैवल्स बड़गांव, जम्मू कश्मीर	50
471.	मैसर्स खादी इंटरनेशनल, मुंबई, महाराष्ट्र	
472.	मैसर्स अल अदाम हज सर्विस प्राइवेट लि. कोयम्बटूर, तमिलनाडु	50
473.	मैसर्स पैसिफिक ट्रैवल्स टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली	50
474.	मैसर्स अल अबरार टूर एंड ट्रैवल्स, अशोक विहार, दिल्ली	50
475.	मैसर्स अल हबीब टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	50
476.	मैसर्स भीमा एक्सपोर्ट इंडिया, युसुफसराय, दिल्ली	50
477.	मैसर्स हज ए बैतुला हज उमरा टूर कारपोरेशन, इंदौर, मध्य प्रदेश	50
478.	मैसर्स सुहेल हज एंड उमरा टूर्स, नासिक, महाराष्ट्र	50
479.	मैसर्स फरहान टूर्स एंड ट्रैवल्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	50
480.	मैसर्स अल नूर हज एंड उमरा सर्विस, कडपा, आध्र प्रदेश	50
481.	मैसर्स अल्लाह हो अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
482.	मैसर्स असीला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
483.	मैसर्स कालीकट हज ग्रुप कालीकट, केरल	50
484.	मैसर्स मैसर्स जेद्दा ट्रैवल्स एंड जेद्दाह हज ग्रुप मलपुरम, केरल	50
485.	मैसर्स रमजान ट्रैवल्स एंड रमजान ग्रुप, मलपुरम, केरल	50
486.	मैसर्स बिलालहज उमरा सर्विस कोचीन, केरल	50
487.	मैसर्स फजिलात टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
488.	मैसर्स इंडो-मदनी हज टूर्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
489.	मैसर्स नूरजामल हज उमरा सर्विस मलपुरम, केरल	50
490.	मैसर्स ऐश टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
491.	मैसर्स अल अक्श टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
492.	मैसर्स इंटरनेशनल सिटी लिंक्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
493.	मैसर्स कुरैश हज टूर्स थाने, महाराष्ट्र	50
494.	मैसर्स मंसाह हज ग्रुप मलपुरम, केरल	50
495.	मैसर्स नसेमान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स नासिक, महाराष्ट्र	50
496.	मैसर्स एडमिरल हज ग्रुप एंड उमरा सर्विस कोल्लम, केरल	50
497.	मैसर्स अल इस्मायिल हज टूर अहमदाबाद, गुजरात	50
498.	मैसर्स एसएस हज कारपोरेशन सूरत, गुजरात	50
499.	मैसर्स एसएस सारा इंटरप्राइज मुंबई, महाराष्ट्र	50
500.	मैसर्स अल सद्दिक टूर्स एंड ट्रैवल्स औरंगाबाद, महाराष्ट्र	50
501.	मैसर्स अल खलिज ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
502.	मैसर्स अल रज्जाक टूर्स इंटरनेशनल टूमकूर कर्नाटक	50
503.	मैसर्स अल मेहर बंगलौर, कर्नाटक	50
504.	मैसर्स ग्रेस टूर्स एंड ट्रैवल्स पुणे, महाराष्ट्र	50
505.	मैसर्स हिदायत टूर्स एंड ट्रैवल्स वडोदरा, गुजरात	50
506.	मैसर्स अल फौजन टूर्स एंड ट्रैवल्स नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	50
507.	मैसर्स एआर इंटरनेशनल मुंबई, महाराष्ट्र	50

1	2	3
508.	मैसर्स शहंशाहे नासिक टूर्स एंड ट्रेवल्स नासिक, महाराष्ट्र	50
509.	मैसर्स आरए हज उमरा टूर्स हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
510.	मैसर्स एसए हज टूर उमरा टूर्स अकोला, महाराष्ट्र	
511.	मैसर्स सुभग टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
512.	मैसर्स शारा हज सर्विस मुंबई, महाराष्ट्र	50
513.	मैसर्स जाहरेत मक्काह हज सर्विस, नागापत्तनम, तमिलनाडु	50
514.	मैसर्स तिरूर हज ग्रुप (तिरूर बादशाह ट्रैवल्स) मलपुरम, केरल	50
515.	मैसर्स अल अरबी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई महाराष्ट्र	50
516.	मैसर्स अल बुशरा हज एंड उमरा टूर्स रायगढ़, महाराष्ट्र	50
517.	मैसर्स मुमताज हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, थाने, महाराष्ट्र	50
518.	मैसर्स फ्लाईवेल ट्रेवल हज एंड उमरा सर्विस, मुंबई, महाराष्ट्र	50
519.	मैसर्स एमजी हज ग्रुप, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	50
520.	मैसर्स अल हारमेन ट्रैवल्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
521.	मैसर्स फजल हज ग्रुप, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
522.	मैसर्स यूनाइटेड टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर कर्नाटक	50
523.	मैसर्स पानवले हज सर्विसेज, रायगढ़, महाराष्ट्र	50
524.	मैसर्स अल उबेद इंटरनेशनल, मेरठ, उत्तर प्रदेश	50
525.	मैसर्स अल मदीना हज टूर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	50
526.	मैसर्स अल अरीफात ट्रैवल्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	50
527.	मैसर्स खाइर हज उमरा टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50

1	2	3
528.	मैसर्स अहमद वर्ल्ड ट्रैवल्स टूर्स एंड कारगो प्रा.लि. चेन्नई, तमिलनाडु	50
529.	मैसर्स हाजिक इंटरनेशनल, मुंबई, महाराष्ट्र	50
530.	मैसर्स अल हुज्जाह इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
531.	मैसर्स एअरो वाइस ट्रेवल एंड कारगो एजेंसी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	50
532.	मैसर्स एअरो विंग्स ट्रैवल एंड कारगो एजेंसी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
533.	मैसर्स फजल टूर्स एंड ट्रैवल्स, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	50
534.	मैसर्स लिबर्टी ट्रेवल एजेंसी, मुंबई, महाराष्ट्र	50
535.	मैसर्स क्वासवा इंटरनेशनल, मुंबई, महाराष्ट्र	50
536.	मैसर्स सानिया हज सर्विसेज, बेल्लारी, कर्नाटक	50
537.	मैसर्स एम. जाहिद ट्रैवल, मुंबई, महाराष्ट्र	50
538.	मैसर्स अल समिर हज टूर्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
539.	मैसर्स अल जुबेर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
540.	मैसर्स सुप्रीम टूर्स एंड ट्रैवल्स, नवसारी, गुजरात	50
541.	मैसर्स काब हज उमरा एंड जियारत टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
542.	मैसर्स जमाल हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
543.	मैसर्स अरकम टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
544.	मैसर्स अल मोहम्मदी हज टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
545.	मैसर्स अल बगदादिया हज एंड उमरा टूर्स, थाने, महाराष्ट्र	50
546.	मैसर्स हसनेन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
547.	मैसर्स हरमेन टूर्स एंड ट्रैवल्स, करवर, कर्नाटक	50
548.	मैसर्स सिबतेन टूर्स एंड ट्रैवल्स, करबर, कर्नाटक	50

1	2	3
549.	मैसर्स डीआईआईएस हज सर्विस, मुंबई, महाराष्ट्र	50
550.	मैसर्स अल वहाब हज उमरा टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
551.	मैसर्स जमाल टूर्स एंड ट्रैवल्स, थाने, महाराष्ट्र	50
552.	मैसर्स मुबारक हज एंड उमरा सर्विसेज, मदुरै, तमिलनाडु	50
553.	मैसर्स मिजान टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
554.	मैसर्स नबिया ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
555.	मैसर्स अबाबली हज-उमरा सर्विसेज, अलपुजाह, केरल	50
556.	मैसर्स अल मुकददस टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
557.	मैसर्स अल मिजान टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
558.	मैसर्स फॉरेन टूर्स एंड ट्रैवल्स, इंदौर, मध्य प्रदेश	50
559.	मैसर्स रहमानिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, इंदौर, मध्य प्रदेश	50
560.	मैसर्स ए.के. हज कारपोरेशन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
561.	मैसर्स मिल्लत हज-उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	.50
562.	मैसर्स यूनिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई महाराष्ट्र	50
563.	मैसर्स अल राशिद टूर्स हज सर्विस, कडपा, आंध्र प्रदेश	50
564.	मैसर्स अल रॉवला हज उमरा ट्रैवल एंड सर्विस, कोलम, केरल	50
565.	मैसर्स अल सुदेस हज एंड उमरा ट्रैवल, मुंबई, महाराष्ट्र	50
566.	मैसर्स सिल्वर जुबली ट्रेवलर प्रा.लि. पुणे, महाराष्ट्र	50
567.	मैसर्स राशेदिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, कडपा, आंध्र प्रदेश	50
568.	मैसर्स अल अशरफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	50
569.	मैसर्स मुबारक हज एंड उमरा सर्विस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
570.	मैसर्स अल हुदाईबिया हज टूर्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
571.	मैसर्स शुक्रिया ट्रैवल्स, प्रा. लि. कालीकट, केरल	50
572.	मैसर्स हमदम हज टूर, मुंबई, महाराष्ट्र	50
573.	मैसर्स इंडो अरब ट्रेवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
574.	मैसर्स अल हाशिमी हज उमरा सर्विस, त्रिचूर, केरल	50
575.	मैसर्स दुधवाला टूर्स, अहमदाबाद, गुजरात	50
576.	मैसर्स न्यू कालीकट हज ग्रुप, मुंबई, महाराष्ट्र	50
577.	मैसर्स अराफा ट्रैवल्स ऑफ इंडिया, बंगलौर, कर्नाटक	50
578.	मैसर्स अल वाहिद टूर्स एंड ट्रैवल्स मुंबई, महाराष्ट्र	50
579.	मैसर्स अल खिदमाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	50
580.	मैसर्स सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स हज "ओ" उमरा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	50
581.	मैसर्स नूर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई, महाराष्ट्र	50
582.	मैसर्स फारूकी ब्रदर्स एंड कंपनी झुनझुनु, राजस्थान	50
583.	मैसर्स नुसरत हज सर्विस, डिंडीगुल, तमिलनाडु	50
	कुल	45394
584*	फैज-ए-हुसैनी ट्रस्ट-बॉम्बे*	3000
	साऊदी सरकार द्वारा बोहरा समुदाय को तीन हजार हज कोटा आबंटित किया गया, जो फैज-ए-हुसैनी, मुंबई द्वारा निष्पादित किया गया।	
585.	मैसर्स अल मीजान हज उमरा टूर्स	50
586.	मैसर्स एस.एम.के. हज सर्विस	50
587.	मैसर्स अल फहद टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी	50
588.	मैसर्स अल रेहान टूर्स एंड ट्रैवल्स	50
589.	मैसर्स गोकुल ट्रैवल सर्विस	50
590.	मैसर्स अहसान हज सर्विस	50
591.	मैसर्स सुबुहान हज सर्विस कारपोरेशन	50

1	2	3
592.	मैसर्स अराफत ट्रैवल सेंटर	50
593.	मैसर्स अल अलिफ हज सर्विस	50
594.	मैसर्स अल-मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स	50
595.	मैसर्स अहमद हज एंड अमरा टूर्स	50
596.	मैसर्स अल इस्लाम हज एंड उमरा टूर्स	50
597.	मैसर्स अल मकदूम हज उमरा टूर्स	50
598.	मैसर्स अल इस्लाम टूर्स कारपोरेशन	50
599.	मैसर्स अल वहाब टूर्स एंड ट्रैवल्स	50
600.	मैसर्स रिलाएबल इंटरप्राइजेज	50
601.	मैसर्स इंडो-साऊदी सर्विसेज (कैरिअर) प्रा. लि.	50
602.	मैसर्स फारवे ट्रैवल्स प्रा.लि.	50
603.	मैसर्स जरीन ट्रैवल सर्विस (मुंबई)	50
604.	मैसर्स अलमास ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड	50
605.	मैसर्स सुल्तानजी इंटरप्राइजेज	50
606.	मैसर्स फज्र ट्रेवल	50
607.	स्टार टूर्स एंड ट्रैवल्स	50
608.	मैसर्स अल हरामेन हज उमरा ट्रेवल्स, केरल	50
609.	मैसर्स इंडियन हज सर्विस कारपोरेशन	103
610.	मैसर्स नजथ खिदमाथुल हुज्जाज, मन्नारकड, डिस्ट्रिक्ट पोलाखड-678582	240
611.	मैसर्स सलामत हज सर्विस, डिस्ट्रिक्ट रामनाद, 623501 तमिलनाडु	55
612.	मैसर्स हज टूर्स एंड प्राइवेट लि. तमिलनाडु	50
613.	मैसर्स फैज ट्रैवल्स मेरठ, 250002 उत्तर प्रदेश	103
614.	मैसर्स पीरजादा ट्रैवल, मुंबई 400010 महाराष्ट्र	69
615.	मैसर्स अल तैयबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, डिस्ट्र, बेंगलोर 560006 कर्नाटक	69
616.	मैसर्स अंसार टूर्स एंड ट्रैवल्स 1125, 1009 भवानीपेट, एडी कैंप चौक, अपोजिट ऐना मस्जिद डिस्ट्रि, पुणे, 411042 महाराष्ट्र	103

हज 2008- निजी टूर ऑपरेटरों की हज कोटे का आबंटन

क्र.सं.	प्राइवेट टूर ऑपरेटर का नाम	राज्य	हज 2008 के लिए अनुमोदित कोटा
1	2	3	4
	*सऊदी प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आवंटित हज कोटा-2008		
1.	3 एन ट्रैवल्स एंड टूरिस्ट ब्यूरो, मुंबई	महाराष्ट्र	250
2.	ए.एस. इंटरप्राइजेज, दिल्ली	दिल्ली	300
3.	ए-1 टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	125
4.	आदेनवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	125
5.	अफजल हज टूर्स एंड ट्रैवल्स (प्रा.) लि., चेन्नै	तमिलनाडु	50
6.	एहलान हज एंड उमरा सर्विसेज दिल्ली	दिल्ली	50
7.	एयर फ्लोट ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100

1	2	3	4
8.	एयर ट्रैवल्स इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, त्रिवेंद्रम	केरल	95
9.	अजमेरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा, राजस्थान	राजस्थान	150
10.	अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, केरल	केरल	450
11.	अकबर ट्रैवल ऑफ इंडिया, मुंबई	महाराष्ट्र	600
12.	अकबरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
13.	अकोला हज टूर्स, अकोला, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	200
14.	अल अकबर टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
15.	अल अमाल हज उमरा सर्विसेज, केरल	केरल	100
16.	अल अमनाथ हज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, चेन्नै	तमिलनाडु	395
17.	अल आमीन हज कार्पोरेशन, रायगढ़, मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	100
18.	अल आमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	80
19.	अल अंसार हज एंड उमरा ओर्गेनाइजर, मुंबई	महाराष्ट्र	100
20.	अल आक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	100
21.	अल आकिब ट्रैवल्स सर्विस, ठाणे	महाराष्ट्र	75
22.	अल अराफात हज एंड उमरा ट्रैवल्स, नागपुर	महाराष्ट्र	75
23.	अल अतर हज कार्पोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	50
24.	अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	75
25.	अल अजीज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नासिक	महाराष्ट्र	50
26.	अल बोराक टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	50
27.	अल बुरहान टूर्स एंड ट्रैवल्स, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	100
28.	अल फलाह ट्रैवल्स एंड हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	600
29.	अल फरीद टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुजरात	गुजरात	125
30.	अल फारूख हज सर्विस, फिरोके, केरल	केरल	200
31.	अल फताह हज सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, तमिलनाडु	तमिलनाडु	150
32.	अल हबीब टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
33.	अल हमाद टूर्स एंड ट्रैवल्स, धुले, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	100
34.	अल हामिद हज एंड उमरा ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
35.	अल हामिद हज एंड उमरा टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150

1	2	3	4
36.	अल हमजा ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
37.	अल हराम टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूड़की	उत्तर प्रदेश	300
38.	अल हरामिन हज सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, चेन्नै	तमिलनाडु	150
39.	अल हरमान हज उमरा ट्रैवल्स, कोलम, केरल	केरल	100
40.	अल हसन ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
41.	अल हाशिम हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	90
42.	अल हिदाया हज सर्विसेज, केरल	केरल	100
43.	अल हिदायत टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	80
44.	अल हिजाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच, गुजरात	गुजरात	350
45.	अल हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स, कालीकट	केरल	600
46.	अल हुदा हज सर्विस (प्रा.) लिमिटेड, कोयंबटूर	तमिलनाडु	75
47.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मेनेजमेंट, कोची, केरल	केरल	395
48.	अल हसम ट्रैवल्स एंड टूर्स (प्रा.) लिमिटेड, पुरसावा, चेन्नै	तमिलनाडु	300
49.	अल इखियाश हज कार्पोरेशन, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	50
50.	अल इरफान टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	200
51.	अल इरशाद टूर्स एंड ट्रैवल्स, पट्टांबी, केरल	केरल	250
52.	अल जामिया हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	130
53.	अल जमील हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	125
54.	अल जुनैद हज एंड उमराह कंपनी, मेरठ	उत्तर प्रदेश	200
55.	अल खालिद टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	350
56.	अल खिजर टूर्स, बड़ौदा	गुजरात	80
57.	अल खुद्दाम हज एंड उमराह सर्विस, श्रीनगर	जम्मू, और कश्मीर	150
58.	अल मबरूक हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	170
59.	अल मदीना हज सर्विस, चैन्नै	तमिलनाडु	50
60.	अल मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
61.	अल मदनी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
62.	अल मनासिक टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	कर्नाटक	100
63.	अल मंसूर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	50

1	2	3	4
64.	अल मेहदी टूर्स, मंबई	महाराष्ट्र	350
65.	अल मिराज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जोधपुर	राजस्थान	100
66.	अल मीनार टूर्स एंड ट्रैवल्स, हिम्मतनगर अजमदाबाद	गुजरात	125
67.	अल मिसवा हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नै	तमिलनाडु	50
68.	अल मुलताजिम हज एंड उमराह सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	50
69.	अल मुलताजिम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, ठाणे	महाराष्ट्र	50
70.	अल नूर हज सर्विस, तंजावुर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	250
71.	अल क्यूबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	70
72.	अल रहमान हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	80
73.	अल रिफाई हज उमरा सर्विस, पलक्काड, केरल	केरल	100
74.	अल सफा हज सर्विस, पुड्डूकोटाई,	तमिलनाडु	115
75.	अल सफा टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	180
76.	अल सैय्यद टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	कर्नाटक	200
77.	अल तैयबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
78.	अल तवाफ हज उमराह ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, कोलम, केरल	केरल	150
79.	अल उमेर टूर्स एंड ट्रैवल्स, भिवांडी	महाराष्ट्र	150
80.	अल उकबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	100
81.	अल वाह हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	75
82.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुंबई	महाराष्ट्र	150
83.	अल अक्लरम हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	60
84.	अल अक्शा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
85.	अलबन हज उमराह सर्विस, कोचीन	केरल	200
86.	अल फरूखी हज उमरा टूर्स, साबरकंठा	गुजरात	125
87.	अल हरमायिनी हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	300
88.	अल-हीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	150
89.	अल-हुसामी हज उमराह टूर्स, ठाणे	महाराष्ट्र	50
90.	अलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	50
91.	अलफिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150

1	2	3	4
92.	अल कबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
93.	अल्लाहू अकबर टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
94.	एलाइंस इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
95.	अल मदीना हज उमरा टूर्स, नासिक	महाराष्ट्र	50
96.	अल सलाम हज ओ उमरा टूर्स, अकोला	महाराष्ट्र	100
97.	अलतिमा टूर्स एंड ट्रैवल्स, त्रिवेंद्रम, केरल	केरल	400
98.	अलतान ट्रैवल्स एंड कार्गा, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	150
99.	अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	250
100.	अमन टूरिज्म, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	90
101.	अमर टूर्स एंड ट्रैवल्स, तारापुर, गुजरात	गुजरात	70
102.	अनाम टूर्स एंड ट्रैवल्स, दिल्ली	दिल्ली	135
103.	अंसार टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	150
104.	अरेबिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमराह, पुणे	महाराष्ट्र	200
105.	अरेबियन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	160
106.	अराफात ट्रैवल्स सर्विस, ठाणे	महाराष्ट्र	85
107.	अराफात हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	220
108.	अरफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	200
109.	अराफात हज टूर्स, विरामगम, अहमदाबाद	गुजरात	100
110.	अराफात टूर्स हज एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	100
111.	आर्क इंटरप्राइजेज ट्रैवल्स एजेंसी, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	85
112.	अस सफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
113.	अस सेरात टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
114.	असफाहन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
115.	आशियाना टूर्स, एंव ट्रैवल्स, दिल्ली	दिल्ली	200
116.	असरफ हज उमराह टूर्स, अमरावती, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	90
117.	एशियन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
118.	असलम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मल्लापुरम	केरल	150
119.	अस सफा हज टूर्स, नवासारी	गुजरात	175

1	2	3	4
120.	अल साऊद टर्स, नवासरी	गुजरात	100
121.	अतीक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, अनंतपुर,	आंध्र प्रदेश	150
122.	एटलस टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	800
123.	अवालिया हज टूर्स, इंदौर	मध्य प्रदेश	50
124.	अजीम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	140
125.	बादशां टूर्स एंड ट्रैवल्स, काडपा	तमिलनाडु	100
126.	बाखला इंटरनेशनल टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	160
127.	बाखला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	225
128.	बाक्काह हज उमराह सर्विस, मल्लापुरतु	केरल	50
129.	बेतुल्लाह टूर्स इंटरनेशनल, बंगलौर	कर्नाटक	350
130.	बेंजी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	600
131.	बिलाल हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	गुजरात	80
132.	बिसमिल्लाह हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	100
133.	बिसमिल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	70
134.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नै	तमिलनाडु	75
135.	चिश्ती टूर्स एंड ट्रैवल्स, कानपुर	उत्तर प्रदेश	100
136.	क्लासिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	180
137.	कास्मिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	365
138.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुंबई	महाराष्ट्र	395
139.	क्रिएटिव टूर्स एंड ट्रैवल्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, मुंबई	महाराष्ट्र	185
140.	दारूल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	120
141.	दरवेश टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	175
142.	दायर-ए-हबीब टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	225
143.	दायर-ए-हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	80
144.	डेल्टा टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	600
145.	धीन हज सर्विस, चेन्नै	तमिलनाडु	395
146.	इल बुराक ट्रैवल्स, दिल्ली	दिल्ली	200
147.	फधील ग्रुप टूर्स एंड ट्रैवल्स, कन्नूर	केरल	50

1	2	3	4
148.	फजल टूर्स एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली	दिल्ली	50
149.	फैज ट्रैवल्स, मेरठ	उत्तर प्रदेश	150
150.	फतीमगानी हज सर्विस, रामानंतपुरम	तमिलनाडु	100
151.	फैज-ए-हुश्यानी ट्रस्ट, मुंबई	महाराष्ट्र	2300
152.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुंबई	महाराष्ट्र	100
153.	जी.बी. टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	120
154.	घोष टूर्स एंड ट्रैवल्स, कर्नाटक	कर्नाटक	150
155.	ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स, श्री नगर	जम्मू और कश्मीर	50
156.	गोल्डन ट्रैवल्स, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	225
157.	गुजरात हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	300
158.	हादी टूर हज एंड उमराह, मालेगांव, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	80
159.	हज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, बंगलौर	कर्नाटक	100
160.	हज टूर्स कार्पोरेशन, इंदौर	मध्य प्रदेश	100
161.	हाजीपीर हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
162.	हाजिर टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	60
163.	हमदान ट्रैवल सर्विस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	100
164.	हामीदया टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	300
165.	हजरात ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	225
166.	हीना ट्रैवल सर्विस, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	50
167.	हिजाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
168.	हिजरा हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	200
169.	हुदा हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	75
170.	इफ्तेखार ट्रैवल्स सर्विसेज, दिल्ली	दिल्ली	150
171.	इकराम हज कार्पोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	125
172.	इमान इंटरनेशनल, मुंबई	महाराष्ट्र	100
173.	इंडियन हज कार्पोरेशन, ठाणे	महाराष्ट्र	80
174.	इंडियन हज सर्विस कार्पोरेशन, तिरूवनंतपुरम	केरल	150
175.	इस्लामिक टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	100

1	2	3	4
176.	जे.एस. टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	50
177.	जन्नत टूर्स एंड ट्रैवल्स, फैजाबाद	उत्तर प्रदेश	75
178.	जिगर टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	130
179.	काजी सरकार ट्रैवल, नीमच, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	60
180.	कादरी हज एंड उमराह टूर्स ऑर्गेनाइजर, अहमदनगर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	90
181.	कालांतर हज सर्विस, पुड्डूकोटाई	तमिलनाडु	100
182.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलौर	कर्नाटक	100
183.	केरल इस्लाम हज एंड उमरा सर्विस, कालीकट	केरल	575
184.	खादिम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	200
185.	खंडेश हज कार्पोरेशन, जलगांव, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	125
186.	ख्वाजा गरीब नवाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	130
187.	कोंकण टूर्स कार्पोरेशन, ठाणे	महाराष्ट्र	100
188.	कोल्हापुर हज कार्पोरेशन, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	70
189.	कोलकाता टूर्स एंड ट्रैवल्स, प्रा. लिमिटेड, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	50
190.	कोतवाल टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
191.	लब्बैक हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नवासरी	गुजरात	50
192.	लब्बैक टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुबई	महाराष्ट्र	150
193.	लब्बैक टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	225
194.	एम.जी. टूर्स एंड ट्रैवल्स, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	60
195.	एम.के. हज एंड उमराह ट्रैवल, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	100
196.	एम.के. ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
197.	मबरूक हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	175
198.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्गा	कर्नाटक	175
199.	मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	80
200.	मदीना हज टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी, गुवाहटी	असम	50
201.	मदनी ट्रैवल्स, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	50
202.	मेहदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
203.	मक्का हज कार्पोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	300

1	2	3	4
204.	मालाबार हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	300
205.	मरहबा हज उमराह टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
206.	मरहबा मुकद्दास उमराह हज टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
207.	मरीयम ताज टूर्स, इंदौर	मध्य प्रदेश	110
208.	मार्शल ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
209.	मासूम टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच, गुजरात	गुजरात	50
210.	मास्टर ट्रैवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	120
211.	मतीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
212.	मौलाना टूर्स कार्पोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	125
213.	मीरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदनगर	महाराष्ट्र	50
214.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियाराम टूर्स, नासिक	महाराष्ट्र	65
215.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारात टूर्स, नासिक	महाराष्ट्र	65
216.	मेहदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	50
217.	मर्चेंट टूर सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	100
218.	मेट्रो टूर्स एंड ट्रैवल्स, कटक	उड़ीसा	50
219.	मिलात हज सर्विस, चेन्नै	तमिलनाडु	150
220.	मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	120
221.	मॉर्डन टूर्स एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	75
222.	मोहम्मदिया टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	200
223.	मोलवी हज एंड उमराह टूर्स एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	गुजरात	100
224.	मोमिन हज उमराह टूर्स, मुंबई	महाराष्ट्र	150
225.	मोलाना हज सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	100
226.	मुखलिश हज एंड उमरा टूर्स, ठाणे	महाराष्ट्र	50
227.	मुलताजम टूर्स प्रा. लिमिटेड, मुंबई	महाराष्ट्र	200
228.	मुलताजिम हज कार्पोरेशन, ठाणे	महाराष्ट्र	50
229.	मुकद्दस हज कार्पोरेशन, ठाणे	महाराष्ट्र	100
230.	मुकद्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
231.	मुस्लिम टूर्स कार्पोरेशन, मुंबई	महाराष्ट्र	400

1	2	3	4
232.	नजात खिदमातुल हुजाज, मलकाड	केरल	350
233.	नवाब ट्रैवल्स प्रा. लिमिटेड, दिल्ली	दिल्ली	50
234.	नोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	75
235.	नूरूल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूड़की	उत्तर प्रदेश	50
236.	नुसरत हज उमरा सर्विस टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुल्लपुरम	केरल	285
237.	पी.के.एम. ट्रैवल्स, पुनातला, केरल	केरल	150
238.	पीरजादा ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
239.	पूना टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	100
240.	किबला हज उमरा सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	50
241.	कादरी हज सर्विस, जबलपुर	मध्य प्रदेश	85
242.	रबीता हज उमरा टूर्स, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	150
243.	रेपिड टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	185
244.	रजा टूर्स एंड ट्रैवल्स, भिलवाड़ा	राजस्थान	100
245.	रज्जाक एंड संस (काकीवाला टूर्स एंड ट्रैवल्स) अहमदाबाद	गुजरात	200
246.	रज्जाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	100
247.	रीगल टूर्स सर्विस, मुंबई	महाराष्ट्र	100
248.	रेहबार टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
249.	रिलेबल हज उमराह टूर्स, ठाणे	महाराष्ट्र	75
250.	रिलीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, गोधरा	गुजरात	150
251.	रिचवे टूर्स एंड ट्रैवल्स, कायंबटूर	तमिलनाडु	75
252.	रोशन हज उमराह टूर्स एंड ट्रैवल्स, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	50
253.	रोयल ट्रैवल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	50
254.	रूबी टूर्स एंड ट्रैवल्स, पुणे	महाराष्ट्र	140
255.	रूमानी इंटरप्राइजेज, मुंबई	महाराष्ट्र	100
256.	साहेब हज सर्विस, कर्नाटक	कर्नाटक	100
257.	सफर हज टूर्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
258.	सागर टूर्स एंड ट्रैवल्स, गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	70
259.	सलामत हज सर्विस, रमनाद, तमिलनाडु	तमिलनाडु	80

1	2	3	4
260.	सलामत हज सर्विस, कालीकट	केरल	550
261.	सलीम हज एंड उमराह सर्विस, चेन्नै	तमिलनाडु	50
262.	सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल्स, जयपुर	राजस्थान	300
263.	संजार ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	100
264.	सरकार ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	राजस्थान	100
265.	साऊदी टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	50
266.	सियर हज सर्विस, बंगलौर	कर्नाटक	200
267.	शाह हज सर्विस, कोयंबटूर	तमिलनाडु	100
268.	सफी हज एंड उमराह टूर्स, अहमदनगर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	100
269.	शहीन हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरेली	उत्तर प्रदेश	100
270.	शरीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	100
271.	शुक्रिया ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
272.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, मुंबई	महाराष्ट्र	300
273.	स्वेज इंटरनेशनल, नवासरी	गुजरात	180
274.	सुलतानजी इंटरप्राइजेज, दिल्ली	दिल्ली	100
275.	सूरत हज टूर्स, सूरत	गुजरात	80
276.	सैयदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	225
277.	एस.वाई.एस. हज सेल, कोजीकोड	केरल	700
278.	एस.वाई.एस. हज ग्रुप, मल्लापुरम	केरल	200
279.	ताज टूर्स एंड ट्रैवल्स, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	125
280.	तंबोली टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदनगर	महाराष्ट्र	400
281.	ताशकंद टूर्स एंड ट्रैवल्स, सूरत	गुजरात	80
282.	तावफ-ए-मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	250
283.	तबाक्कल टूरिज्म कार्पोरेशन, नागपुर	महाराष्ट्र	90
284.	तबक्कल टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	150
285.	तबक्कल टूर्स एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	कर्नाटक	100
286.	तबक्कल टूर्स, बड़ौदा	गुजरात	215
287.	द ग्रेट इंडियन टूर कंपनी प्रा. लिमिटेड, त्रिवेंद्रम	केरल	50

1	2	3	4
288.	द वफादार टूर्स, साबरकंठा	गुजरात	75
289.	ट्रैवल हाउस ट्रैवल्स एंड टूर्स, भोपाल	मध्य प्रदेश	50
290.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, रमनाड, तमिलनाडु	तमिलनाडु	100
291.	उमूलखुरा हज सर्विस, मल्लापुरम	केरल	150
292.	यूनाइटेड टूर्स एंड ट्रैवल्स, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	75
293.	यूनाइटेड ट्रैवल्स सर्विस, दिल्ली	दिल्ली	300
294.	वाजको हज ग्रुप, कोजीकोड	केरल	550
295.	वेलकम टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	75
296.	जमजम हज टूर्स एंड ट्रैवल्स, मुंबई	महाराष्ट्र	100
297.	जमजम हज सर्विस, कालीकट	केरल	150
298.	जमजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	गुजरात	175

हज 2007- हेतु पंजीकृत निजी टूर ऑपरेटरों की हज कोटे का आबंटन

क्र.सं.	निजी टूर ऑपरेटर का नाम	हज 2007 हेतु आवंटित कोटा
1	2	3
1.	तवाक्कल टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	150
2.	हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हज टूर्स, अहमदाबाद	225
3.	रज्जाक एंड संस (काकीवाला टूर एंड ट्रैवल्स) अहमदाबाद	200
4.	ख्वाजा गरीब नवाज टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	130
5.	अल हासिम हज टूर, अहमदाबाद	90
6.	जिगर टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	130
7.	अकबरी टूर एंड ट्रैवल्स,, अहमदाबाद	100
8.	अल आकाशा टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	100
9.	अल फारूखी हज उमराह टूर, साबरकांठा	125
10.	सफर हज टूर, अहमदाबाद	100
11.	आलीफ टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	50
12.	जम जम टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	175
13.	द वफादार टूर, साबरकांठा	75
14.	अदीनवाला टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	125
15.	अल खिजर टूर, बड़ौदा	80
16.	हज को ऑफ इंडिया, बंगलौर	100
17.	मुकद्दस टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
18.	सीयर हज सर्विस, बंगलौर	200
19.	अल सैय्यद टूर इंटरनेशनल, बंगलौर	200
20.	लबाइक टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	225
21.	कर्नाटक हज ग्रुप, बंगलौर	100
22.	तवाक्कल टूर एंड ट्रैवल्स,, बंगलौर	100
23.	अल मदीना टूर एंड ट्रैवल्स,, बंगलौर	100

1	2	3
24.	अल्ल हू अकबर टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
25.	अल तैयब्बा टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	100
26.	अल मनासिक टर इंटरनेशनल, बंगलौर	100
27.	अल रहमान हज टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	80
28.	बिस्मिल्ला टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	70
29.	मदानी हज ग्रुप, गुलबर्ग	175
30.	अतीक हज टूर एंड ट्रैवल्स, अनंतपुर	150
31.	जे.एस. टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलोर	50
32.	अल आजम टूर एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	50
33.	अराफात टूर हज एंड उमराह ग्रुप, हैदराबाद	100
34.	दीन हज सर्विस, चेन्नई	395
35.	अल नूर हज सर्विस, तंजावुर	250
36.	अल अमानत हज सर्विस, प्रा.लि. चेन्नई	395
37.	अल हरमाइन हज सिर्वस प्रा.लि., चेन्नई	150
38.	अल हसम ट्रैवल्स एंड टूर इंडिया प्रा.लि., पूरासावा	300
39.	अल फतह हज सिर्वस (प्रा.) लि., तमिलनाडु	150
40.	शाह हज सर्विस, कोयम्बटूर	100
41.	सलामत हज सर्विस, रमनाद	80
42.	त्रिची सनसाइन हज सर्विस, रमनाद	100
43.	अल मदीना हज सर्विस, चेन्नई	50
44.	फातिमागंज हज सर्विस, रामनाथपुरम	100
45.	कालांतर हज सर्विस, पुड्कोट्टी	100
46.	बुसरा हज सर्विस, चेन्नई	75
47.	रिचबे टूर एंड ट्रैवल्स, कोयंबटूर	75
48.	अल सफा हज सर्विस, पुड्डकोट्टी	115
49.	अल हुदा हज सर्विस प्रा.लि., कोयंबटूर	75
50.	अल मिस्बाह हज एंड उमरा सर्विस, चेन्नई	50
51.	बादशाह टूर एंड ट्रैवल्स, कडप्पा	100
52.	अफजल हज टूर एंड ट्रैवल्स, प्रा.लि., चेन्नई	50
53.	सलीम हज एंड उमराह सर्विस, चेन्नई	50
54.	अलइरशद टूर एंड ट्रैवल्स, पट्टाम्बी	250
55.	मबरूक हज ग्रुप, मालापुरम	175
56.	एसवाईएस हज सेल, कोझीकोड्ड	700
57.	अल फलाह ट्रैवल्स एंड हज ग्रुप, मालापुरम	600
58.	अलबान हज उमराह सर्विस, कोचीन	200
59.	अराफात हज ग्रुप, मालापुरम	220
60.	अल फारूख हज सर्विस, फिरोक	200
61.	अल हसम इंडिया हज एंड उमरा सर्विस मैनेजमेंट, कोच्ची	395
62.	अल हिंद टूर एंड ट्रैवल्स, कालीकट	600
63.	वाजको हज ग्रुप कोझीकोड़े	550
64.	सलामत हज सर्विस, कालीकट	550
65.	बकाह हज उमराह सर्विस, मालापुरम	50
66.	असलम हज टूर एंड ट्रैवल्स, मालापुरम	150
67.	अल हिदाया हज सर्विस, केरल	100
68.	अल जामिया हज ग्रुप, मालापुरम	130
69.	उम्मउलखुरा हज सर्विस, मालापुरम	150
70.	द ग्रेट इंडिया टूर कं.प्र.लि. त्रिवेंद्रम	50
71.	एयर ट्रैवल्स इंटरप्राइजेज इंडिया लि. त्रिवेंद्रम	95
72.	अल हरमाइन हज उमरा ट्रेवल्स, कोलम	100
73.	जम जम हज सर्विस, कालीकट	150
74.	इंडियन हज सर्विस को तिरूवनंतपुरम	150
75.	मालाबार हज ग्रुप, मालापुरम	300
76.	नुसरत हज उमरा सर्विस टूर एंड ट्रैवल्स, मालापुरम	285
77.	अल रिफाई हज उमराह सर्विस, पालाकड़	100

1	2	3
78.	केरल इस्लाम हज एंड उमराह सर्विस, कालीकट	575
79.	हिज्र हज ग्रुप, मालापुरम	200
80.	पीकेएम ट्रैवल्स, पुनाथला, केरल	150
81.	एस वाई एस हज ग्रुप, मालापुरम	200
82.	फदहिल ग्रुप टूर एंड ट्रैवल्स, कन्नुर	50
83.	नाजथ खिदमातुल हुज्जाज, पालाकड़	350
84.	मुस्लिम टूर को, मुम्बई	400
85.	कॉस्मिक टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	365
86.	मर्चेंट टूर सर्विस, मुंबई	100
87.	अरफा टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	200
88.	अल हाफिज टूर एंड ट्रैवल्स, धुले	100
89.	अराफात ट्रैवल्स, सर्विस, ठाणे	85
90.	अल खालिद टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	350
91.	वेल्कम टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	75
92.	तम्बोली टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदनगर	400
93.	मक्का हज को., मुंबई	300
94.	एशियन टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	250
95.	मिर्जा टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	120
96.	अल उक्वा टूर एंड ट्रैवल्स, कानपुर	100
97.	एटलस टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	800
98.	अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया, मुंबई	600
99.	बेंजी टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	600
100.	डेल्टा टूर एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	600
101.	अल सफा टूर, मुंबई	180
102.	मुखलिस हज एंड उमराह टूर, ठाणे	50
103.	अकोला हज टूर अकोला	200
104.	सूरत हज टूर, सूरत	80
105.	पूना टूर एंड ट्रैवल्स, पुणे	100
106.	अल अन्सार हज एंड उमराह आर्गेनाइजर, मुंबई	100
107.	मार्शल ट्रैवल्स, मुंबई	100
108.	अल इरफान टूर एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	200
109.	कादरी हज सर्विस, जबलपुर	85
110.	इकराम हज को., मुंबई	125
111.	अल मुलताजिम हज टूर एंड ट्रैवल्स, ठाणे	50
112.	अल मदानी टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
113.	दरवेश टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	175
114.	कोल्हापुर हज को., कोल्हापुर	70
115.	अल अकबर टूर, मुंबई	100
116.	हाजीपीर हज टूर, मुंबई	150
117.	अमन टूरिज्म, कोल्हापुर	90
118.	एम के ट्रैवल्स, मुंबई	250
119.	सइदीना टूर एंड ट्रैवल्स, बंगलौर	225
120.	अंसार टूर एंड ट्रैवल्स, पुणे	150
121.	काजी सरकार ट्रैवल्स, नीमच	60
122.	हिना ट्रैवल्स सर्विस, लखनऊ	50
123.	मासूम टूर एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	50
124.	अल हिजाज टूर एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	350
125.	एमकेहज एंड उमराह ट्रैवल्स, कोलकाता	100
126.	मदीना हज टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी, गुवाहाटी	50
127.	तवालकल टूर, बड़ौदा	215
128.	अल अक्सा टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	100
129.	अल हिदायत टूर एंड ट्रैवल्स, मुम्बई	80
130.	मॉर्डन टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	75
131.	मुल्ताजिम हज को., ठाणे	50
132.	अल अराफात हज एंड उमराह टूर, नागपुर	75
133.	मास्टर ट्रैवल्स, पुणे	120

1	2	3
134.	कोलकाता टूर एंड ट्रैवल्स, प्रा.लि., कोलकाता	50
135.	मौलवी हज एंड उमराह टूर एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	100
136.	बिलालहज एंड उमराह टूर एंड ट्रैवल्स, भड़ौच	80
137.	अल हमद हज एंड उमराह टूर, मुम्बई	150
138.	स्वेज इंटरनेशनल, नवासारी	180
139.	मतीन टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
140.	अल मुल्ताजिम हज एंड उमराह सर्विस, मुम्बई	50
141.	इंडियन हज को., ठाणे	80
142.	अस सरीत टूर, मुम्बई	150
143.	जी बी टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	120
144.	रिलीफ टूर एंड ट्रैवल्स, गोधरा	150
145.	सागर टूर एंड ट्रैवल्स, गोरखपुर	70
146.	राजा टूर एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	100
147.	शाहीन हज टूर एंड ट्रैवल्स, बरेली	100
148.	गुजरात हज टूर, अहमदाबाद	300
149.	मोहम्मदिया टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	200
150.	अल कूबा टूर एंड ट्रैवल्स, पुणे	70
151.	सरकार ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	100
152.	अल अकीब ट्रैवल्स सर्विस, ठाणे	100
153.	ट्रैवल्स हाउस ट्रैवल्स एंड टूर, भोपाल	50
154.	अरबिया टूर एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमराह, पुणे	200
155.	रिलायबल हज उमराह टूर, ठाणे	75
156.	अल मेंहदी टूर, मुंबई	350
157.	अल जामिल हज टूर, मुंबई	125
158.	बाकला टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	225
159.	कादरी हज एंड उमराह टूर आर्गेनाइजर, अहमदनगर	90
160.	इमान इंटरप्राइजेज, मुम्बई	100
161.	एयर फ्लोट ट्रैवल्स, मुंबई	100
162.	रूमानी इंटरप्राइजेज, मुंबई	100
163.	अल हसन ट्रैवल्स, मुंबई	100
164.	मौलान टूर को., मुम्बई	125
165.	स्काई शिप इंटरनेशनल प्रा.लि., मुम्बई	300
166.	अल हबीब टूर, मुंबई	100
167.	अरफात हज टूर, विरामगाम, अहमदाबाद	100
168.	असरफ हज उमराह टूर, अमरावती	90
169.	रीगल टूर सर्विस, मुंबई	100
170.	अलवाहा हज टूर, मुंबई	75
171.	रैपिड टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	185
172.	कोटवाला टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
173.	घोष टूर एंड ट्रैवल्स, कर्नाटक	150
174.	मीरा टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदनगर	50
175.	एलांयस इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
176.	अकबर टूर एंड ट्रैवल्स, केरल	450
177.	तवफ ए मक्का टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	250
178.	ताज टूर एंड ट्रैवल्स, पश्चिम बंगाल	125
179.	अल अमीन टूर एंड ट्रैवल्स, कानपुर	80
180.	अजीम टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	140
181.	अल बुरहान टूर एंड ट्रैवल्स, बुरहानपुर	100
182.	क्रिएटिव इंटरप्राइजेज, मुंबई	395
183.	अल जुनैद हज एंड उमराह कं., मेरठ	200
184.	अलखद्दाम हज एंड उमराह सर्विस, श्रीनगर	150
185.	रोशन हज उमराह टूर एंड ट्रैवल्स, महाराष्ट्र	50
186.	अवालिया हज टूर, इंदौर	50
187.	मेंहदी टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	150
188.	रूबी टूर एंड ट्रैवल्स, पुणे	140

1	2	3
189.	मुकद्दस हज को., ठाणे	100
190.	बाखला इंटरनेशनल टूर, मुम्बई	160
191.	अरेबियन टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	160
192.	अस सफा टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
193.	जम जम हज टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
194.	अल मीराज टूर एंड ट्रैवल्स, जोधपुर	100
195.	जन्नत टूर एंड ट्रैवल्स, फैजाबाद	75
196.	अल उमर टूर एंड ट्रैवल्स, भिवंडी	150
197.	हमदान ट्रैवल्स सर्विस, कोलकाता	100
198.	अल हमजा ट्रैवल्स, मुंबई	50
199.	अल अत्तर हज को., मुंबई	75
200.	अलसलाम हज ओ उमराह टूर, अकोला	100
201.	अल जुबी इंटरनेशनल, मुंबई	150
202.	साहेब हज सर्विस, कर्नाटक	100
203.	अश्फहन टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
204.	तबाकल टुरिज्म को., नागपुर	90
205.	अल अमल हज उमराह सर्विस, केरल	100
206.	मुल्ताजम टूर प्रा.लि., मुंबई	200
207.	मरहबा हज उमराह टूर, मुंबई	50
208.	अल बोराक टूर एंड ट्रैवल्स, कोलकाता	50
209.	हुदा हज टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	75
210.	मौलाना हज सर्विस, मुंबई	100
211.	अल इखलस हज को., महाराष्ट्र	50
212.	अल अमीन हज को., रायगढ़	75
213.	बेतुल्लाह टूर इंटरनेशनल, बंगलौर	350
214.	मरहबा मुकद्दस उमराह हज टूर, मुंबई	50
215.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारत टूर, नासिक	65
216.	मिजाब ए रहमत हज उमराह एंड जियारत टूर्स	65
217.	कोंकण टूर को., ठाणे	100
218.	सौदी टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
219.	रहबर टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	100
220.	सफी हज एंड उमरा टूर, अहमदनगर	100
221.	अज मदीना हज उमराह टूर, नासिक	50
222.	ए-वन टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	125
223.	अलीफिया टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	150
224.	ताशकंद टूर एंड ट्रैवल्स, सूरत	80
225.	अल तवाफ हज उमराह ट्रैवल्स एंड टुरिज्म, कोलम	150
226.	अल हरमैनी हज ग्रुप, मालापुरम	300
227.	अल्टन ट्रैवल्स एंड कारगा, हैदराबाद	150
228.	मदीना टूर एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	80
229.	अल यासिन टूर एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	250
230.	पीरजादा ट्रैवल्स, मुंबई	100
231.	किबला हज उमराह सर्विसेज, मुंबई	50
232.	अस-सौदा टूर, नवासरी	100
233.	दारूल हरम टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	120
234.	लब्बाक हज टूर एंड ट्रैवल्स, नवासरी	50
235.	रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो सर्विस, हैदराबाद	50
236.	गोल्डन ट्रैवल्स, हैदराबाद	225
237.	अल हीरा टूर एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	150
238.	शरीफ टूर एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद	100
239.	फ्लाई इंटरनेशनल, मुंबई	100
240.	दयार-ए-हबीब टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	225
241.	अस सफा हज टूर, नवासरी	175
242.	हज टूर को., इंदौर	100

1	2	3
243.	अल अकलरम हज टूर, मुंबई	60
244.	अल हुसामी हज उमराह टूर, ठाणे	50
245.	लब्बाक टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	150
246.	खादिम टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	200
247.	नवाब ट्रैवल्स प्रा.लि., दिल्ली	50
248.	हादी टूर हज एंड उमराह, मालेगांव	80
249.	रज्जाक इंटरप्राइजेज, हैदराबाद	100
250.	शुक्रिया ट्रैवल्स, मुंबई	250
251.	दायर-ए-टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	80
252.	मिल्लत हज सर्विस, चेन्नई	150
253.	क्लासिक टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	180
254.	क्रिएटिव टूर एंड ट्रैवल्स, (इंडिया) प्रा.लि., मुंबई	185
255.	इफ्तेखार ट्रैवल्स सर्विसेज, दिल्ली	150
256.	एआरके इंटरप्राइजेज ट्रैवल्स एजेंसी, हैदराबाद	85
257.	श्रीएन ट्रैवल्स एंड टुरिस्ट ब्यूरो, मुंबई	250
258.	अहलन हज एंड उमराह सर्विससेज, दिल्ली	50
259.	अल कबीर टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	150
260.	बिस्मिल्ला हज टूर एंड ट्रैवल्स, पुणे	100
261.	अजमेरी टूर एंड ट्रैवल्स, भीलवाड़ा	150
262.	आशियाना टूर एंड ट्रैवल्स, दिल्ली	200
263.	ए एस इंटरप्राइजेज, दिल्ली	300
264.	ग्लोबलटूर एंड ट्रैवल्स, श्रीनगर	50
265.	हमीदिया टूर एंड ट्रैवल्स, बॉम्बे	300
266.	सम्राट टूर एंड ट्रैवल्स, जयपुर	300
267.	युनाइटेड टूर एंड ट्रैवल्स, इलाहबाद	75
268.	हिजाज टूर एंड ट्रैवल्स, मुंबई	50
269.	युनाइटेड ट्रैवल्स सर्विस, दिल्ली	300
270.	अल हरम टूर एंड ट्रैवल्स, रूड़की	300
271.	इस्लामिक टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	100
272.	अनाम टूर एंड ट्रैवल्स, दिल्ली	135
273.	सुल्तानजी इंटरप्राइजेज, दिल्ली	100
274.	अल बुर्क ट्रैवल्स, दिल्ली	200
275.	मादनी ट्रैवल्स, वाराणसी	50
276.	फैज ट्रैवल्स, मेरठ	150
277.	चिस्ती टूर एंड ट्रैवल्स, कानपुर	100
278.	फैज ए हुसैनी ट्रस्ट, मुंबई	2300
279.	संजार ट्रैवल्स, अहमदाबाद	100
280.	अल मिनार टूर एंड ट्रैवल्स, हिम्मतनगर, अहमदाबाद	125
281.	अमन टूर एंड ट्रैवल्स, तारापुर, गुजरात	70
282.	नोबल टूर एंड ट्रैवल्स, अहमदाबाद	75
283.	अलतिमा टूर एंड ट्रैवल्स, त्रिवेंद्रम	400
284.	एमजी टूर एंड ट्रैवल्स, पश्चिम बंगाल	60
285.	मरियम ताज टूर, इंदौर	110
286.	रबिता हज उमराह टूर, औरंगाबाद	150
287.	अल फरीद टूर एंड ट्रैवल्स, गुजरात	125
288.	फैसल टूर एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली	50
289.	खानदेश हज को., जलगांव	125
290.	मोमनी हज उमराह टूर, मुंबई	150
291.	हाजिर टूर एंड ट्रैवल्स, सिकंदराबाद	60
292.	मेहदी टूर एंड ट्रैवल्स, लखनऊ	50
293.	अल अजीज टूर एंड ट्रैवल्स, नासिक	50
294.	नुरूल हरम टूर एंड ट्रैवल्स, रूड़की	50
295.	अल मबरूक हज ग्रुप, मालापुरम	170
296.	मेट्रो टूर एंड ट्रैवल्स,	50
297.	अल मंसूर टूर एंड ट्रैवल्स,	50

[अनुवाद]

सुन्दरबन का संरक्षण/बचाव

***471. श्री रुद्रमाधव राय:**
श्री उदय सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुन्दरबन को जलवायु परिवर्तन से कोई खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और बांग्लादेश ने सुन्दरबन के संरक्षण/बचाव के लिए संयुक्त रूप से कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) देश में कच्छ वनस्पति वनों के संरक्षण एवं बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पेनल ने 2007 में रिलीज की गई अपनी चौथी आकलन रिपोर्ट में यह सूचित किया था कि एशिया के बड़े डेल्टा जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। तेज तूफानों और नदी जल निकास द्वारा आने वाली बाढ़ों के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने से बड़े डेल्टाओं के आप्लावन की बारम्बारता और उनके जल स्तर में वृद्धि हो सकती है जिसके फलस्वरूप समुदायों, जैव विविधता और अवसंरचना को खतरा हो सकता है। तथापि, इस रिपोर्ट में सुन्दरबन को प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी जोखिम का हवाला नहीं दिया गया है।

सुन्दरबन को बचाने और उसकी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू करने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन, सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए कच्छ वनस्पतियों, नमभूमिमयों तथा बाघों का संरक्षण और उनका विकास करने के लिए प्रयास करती है। इन स्कीमों के जरिए कच्छ वनस्पति प्रवर्धन, बाघों की संख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों तथा सुन्दरबन की जनसंख्या के क्ल्याण से संबंधित मामलों को एड्रेस किया जाता है।

सरकार विनियामक और प्रोत्साहक उपायों के जरिए देश में कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी कदम उठाती है। सरकार ने कच्छ वनस्पतियों और प्रवाल भित्तियों को तटीय विनियमन जोन अधिसूचना (1991) के अंतर्गत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के तौर पर मान्यता दी है और देश के 38 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए अभिनिर्धारित किया है। सरकार ने कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विभिन्न तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 2008-10 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 334.64 लाख रु. सहित 2008-09 से 2009-10 के दौरान 13.07 करोड़ रु. की धनराशि जारी की है।

[हिन्दी]

मॉडल स्कूल खोलना

***472. श्री गोरखनाथ पाण्डेय:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ब्लॉक स्तर पर प्रस्तावित 6000 उत्कृष्ट मॉडल स्कूल खोलने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) राज्य-वार अब तक ऐसे कितने स्कूल खोले गये हैं तथा इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा कितना परिव्यय किया गया है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उन पर, राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार ने उत्कृष्टता बेंचमार्ग के रूप मे प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में 3500 स्कूल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में राज्य सरकारों के माध्यम से और शेष 2500 स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए स्थापित किए जाने हैं। राज्य सरकारों के तहत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में 2500 स्कूल स्थापित करने हेतु इस कार्यक्रम का पहला चरण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 की लागत साझेदारी पैटर्न के साथ नवम्बर 2008 में प्रारंभ किया गया जिसमें विशेष श्रेणी वाले राज्य शामिल नहीं थे जिनके लिए लागत साझेदारी पैटर्न 90:10 है। इन स्कूलों की परिकल्पना सह-शिक्षा स्कूलों के रूप में की गई है जिनमें कक्षा **VI** से **XII** अथवा कक्षा **IX** से **XII** शामिल हैं।

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान 11 राज्यों में 327 मॉडल स्कूल संस्वीकृत किए गए । इससे संबंधित राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रु. करोड़ में)

राज्य		स्कूलों की संख्या	संस्वीकृत राशि (केन्द्रीय हिस्सेदारी)	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक	74	167.61	83.80
2.	पंजाब	21	47.57	23.78
3.	मिजोरम	1	2.72	1.36
4.	तमिलनाडु	18	40.50	20.25
5.	छत्तीसगढ़	20	45.30	22.65
6.	मध्य प्रदेश	33	74.75	37.37
7.	जम्मू और कश्मीर	19	51.64	25.82
8.	हिमाचल प्रदेश	5	13.59	6.78
9.	बिहार	105	237.83	18.85
10.	पश्चिम बंगाल	20	45.30	3.58
11.	नागालैंड	11	29.90	7.47
	कुल	327	756.69	251.71

अभी तक किसी भी स्कूल को संचालित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अभी तक 21 राज्यों से 1004 ब्लॉकों में मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों तथा उनकी स्थिति से संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मॉडल स्कूल योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों और उनकी स्थिति से संबंधित राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्कूलों की संख्या जिनके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए	संस्वीकृत स्कूलों की संख्या	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	79	0	प्रस्ताव ब्यौरेवार नहीं था और राज्य सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
2.	बिहार	105	105	प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों की संस्वीकृत कर दिया गया है।
3.	छत्तीसगढ़	74	20	प्रथम चरण में संस्वीकृत 20 स्कूलों हेतु प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अन्य 52 स्कूल संस्वीकृत किए जाएंगे।
4.	गुजरात	75	0	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा 55 प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। राज्य सरकार से भवन डिजाइन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
5.	हरियाणा	17	0	राज्य सरकार से एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
6.	हिमाचल प्रदेश	5	5	प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों को संस्वीकृत कर दिया गया है।
7.	जम्मू और कश्मीर	24	19	शेष 5 स्कूलों के लिए, राज्य सरकार से उपयुक्त भूखण्ड निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
8.	झारखंड	41	0	फरवरी 2010 में प्रस्ताव प्राप्त हुए।
9.	कर्नाटक	74	74	प्राप्त हुए सभी प्रस्ताव संस्वीकृत कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5
10.	मध्य प्रदेश	33	33	प्राप्त हुए सभी प्रस्ताव संस्वीकृत कर दिए गए हैं।
11.	महाराष्ट्र	43	0	प्रस्ताव ब्यौरेवार नहीं थे, जिनका ब्यौरा दिनांक 11.03.2010 के पत्र के जरिए मांगा गया।
12.	मेघालय	9	0	मार्च 2010 में प्रस्ताव प्राप्त हुए।
13.	मिजोरम	1	1	प्राप्त हुए एक मात्र प्रस्ताव को संस्वीकृत कर दिया गया है।
14.	नागालैंड	11	11	प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों को संस्वीकृत कर दिया गया है।
15.	उड़ीसा	79	0	प्रस्ताव ब्यौरेवार नहीं थे, जिनका ब्यौरा दिनांक 11.06.2010 के पत्र के जरिए मांगा गया।
16.	पंजाब	21	21	प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों को संस्वीकृत कर दिया गया है।
17.	राजस्थान	95	0	प्रस्ताव अप्रैल 2010 में प्राप्त हुए।
18.	तमिलनाडु	44	18	26 स्कूलों हेतु प्रस्ताव फरवरी 2010 में प्राप्त हुए।
19.	त्रिपुरा	1	0	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित हैं, अंतिम अनुस्मारक जून 2009 में भेजा गया है।
20.	उत्तर प्रदेश	149	0	परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुशंसित 8 स्कूलों का ब्यौरा प्रतीक्षित है। 141 स्कूलों हेतु प्रस्ताव फरवरी 2010 में प्राप्त हुए।
21.	पश्चिम बंगाल	24	20	शेष 4 स्कूलों हेतु राज्य सरकार से प्रर्याप्त भूखण्ड अभिनिर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
	कुल	1004	327	

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

***473. श्रीमती सुप्रिया सुलेः**
डॉ. संजीव गणेश नाईकः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या कोयले का उत्पादन विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि कोयले की ढुलाई हेतु रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता के कारण कोयले की भारी मात्रा पिट हेड या रेलवे साइडिंग पर पड़ी रहती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) मौजूदा वर्ष अर्थात 2010-11 के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का कोयला उत्पादन लक्ष्य 460.50 मिलियन टन था।

(ख) और (ग) 2010-11 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं की कोयले की कुल मांग 442 मिलियन टन होने का अनुमान

लगाया गया है तथा स्वदेशी उपलब्धता 388.92 मिलियन टन होगी। विद्युत उपयोगिताओं द्वारा आयात के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अन्तर को 35 मिलियन टन के योजनाबद्ध आयातों द्वारा पूरा किया जाएगा। सीआईएल स्रोतों से स्वदेशी उत्पादन मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण तथा वानिकी एवं पर्यावरणीय मंजूरियों में विलम्ब से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही नई कोयला परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति के कारण प्रभावित होती रही थी।

(घ) से (च) सीआईएल के पास पिटहेड कोयला भंडार मुख्य रूप से कोयले के निष्कर्षण के लिए रेलवे रेकों की कम उपलब्धता के कारण 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार 47.77 मि.ट. की तुलना बढ़कर 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार लगभग 63.07 मि.ट. हो गया। सीआईएल की कोयला कम्पनियों के पास पिटहेड कोयला भंडारों का परिसमापन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) रेलवे वैगनों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए रेल मंत्रालय के साथ विभिन्न स्तरों पर इस मामले को उठाया गया है।

(ii) पिटहेड भंडार के परिसमापन के लिए औसतन 190 रेकों की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है।

(iii) 2010-11 के दौरान कोयले की निकासी के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु रेल-कोल इन्टरफेस बैठक की व्यवस्था करने के लिए सीआईएल से अनुरोध किया गया है, जिसके लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों का विकास एवं प्रगति

***474. श्री पी. बलराम:**
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में वैज्ञानिक अनुसंधानों के विकास एवं प्रगति हेतु बेहतर वैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में वैज्ञानिकों और राज्य सरकारों की राय मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास एवं प्रगति हेतु बेहतर वैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वैज्ञानिक विभागों का योजना आबंटन Xवीं योजना में 25301.35 करोड़ रु. से XIवीं योजना में तिगुना कर 75304.00 करोड़ रु. कर दिया गया है। सरकार ने संसद के एक अधिनियम के द्वारा हाल ही में देश में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना की है। एसईटारबी का सृजन मौलिक अनुसंधान निधिकरण के स्तर का पर्याप्त उन्नयन करने के अतिरिक्त, अनुसंधान कार्यक्रमों का निर्माण करने में आवश्यक स्वायत्तता, लचीलापन और गति तथा अनुसंधानकर्ताओं को निधियां भी प्रदान करेगा। इनके अतिरिक्त अनुसंधान के लिए वातावरण को उन्नत बनाने हेतु सरकार ने जो सहायक कार्यतंत्र उपलब्ध कराए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

सरकार अनेक राजकोषीय प्रोत्साहनों के द्वारा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करती रही है। इनमें राजस्व और पूंजीगत व्यय को 100 प्रतिशत बट्टे खाते में डालना, प्रायोजित अनुसंधान के लिए 125 प्रतिशत (मूल्यांकन वर्ष 2011-2012 से मौजूदा वित्त विधेयक में 175 प्रतिशत तक की प्रस्तावित वृद्धि) भारित कर कटौती, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्माता कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास के लिए 150 प्रतिशत (मूल्यांकन वर्ष 2011-2012 से 200 प्रतिशत तक प्रस्तावित वृद्धि) भारित कर कटौती। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में भी छूट दी जाती है।

खोली गई कंपनियों का पोषण करने के लिए इंक्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना और वाणिज्यीकरण के अवसरों को सुलभ बनाना;

अनुसंधान अध्येतावृत्तियों की संख्या और उनकी परिलब्धियों में वृद्धि;

प्रतिष्ठित अध्येतावृत्तियों का संस्थापन, यथा

- उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्ति;
- हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए विश्व भर से उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने के लिए रामानुजन और रामलिंगास्वामी अध्येतावृत्तियां;
- सक्रिय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सहायता प्रदान करने के लिए जे.सी. बोस, रमन्ना अध्येतावृत्तियां।

11वीं योजना में स्थापित किए गए नए संस्थान

- 5 स्थानों पर भारतीय विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना;
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्थानांतरीय अनुसंधान हेतु संस्थान
- स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्थानांतरीय अनुसंधान हेतु संस्थान
- स्टेम सेल अनुसंधान और पुनरुत्पादक औषधि केन्द्र आदि।

11वीं योजना में शुरू किए गए नए कार्यक्रम

- अभिप्ररित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इन्सपायर);
- शैक्षिक संस्थानों में चेयर प्रोफेसर और अतिथि प्रोफेसरशिप कार्यक्रम;
- नैनो मिशन;
- विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानक उत्कृष्टता का संवर्धन (पीयूआरएसई)
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क;
- वृहत सुविधाएं;
- मुक्त स्रोत औषधि खोज;
- नेटवर्क परियोजनाएं;
- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास कार्य नीति;

यह योजना अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायक वातावरण के साथ प्रोत्साहन, अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक दक्षता तथा लचीलापन प्रदान करता है। स्वास्थ्य, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के वातावरण को उन्नत बनाने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और पृथ्वी आयोग की स्थापना की गई है।

(घ) और (ङ) पणधारियों और वैज्ञानिकों की राय को ध्यान में रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। इनके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन और मानीटरन को शामिल करते हुए विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट समीक्षा के सिद्धांतों के आधार पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान एवं विकास निधिकरण किया जाता है। तथापि, इनमें से कुछ कार्यक्रमों, जैसे इन्सपायर, फिस्ट आदि का कार्यान्वयन उन राज्यों की राय से किया जाता है जो सहायता की प्रकृति, संस्थानों की प्रकृति, विद्यार्थियों की संख्या और उनके रैंक आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।

वन्य जीवों की हत्या

***475. श्री सी. राजेन्द्रनः**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाणः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में वन्य जीवों की कथित रूप से हत्या की गई/की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने वन्य जीवों के मरने/मारे जाने की सूचना मिली तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वन्य जीवों के अंगों के अवैध रूप से किये गये व्यापार का अनुमानित मूल्य कितना है;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार के पास वन्य जीवों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को डीएनए जांच के माध्यम से रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) वन्य जीवों और उनके उत्पादों की मांग, मानव-पशु संघर्ष और वन्य जीवों के खाद्य पदार्थ के रूप में

उपयोग करने के कारण वन्य जीवों को मारे जाने की सूचनाएं मिली हैं। पिछले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण वन्य जीवों जैसे कि बाघ, शेर, हाथी और गैंडे, जिनके मरने/देश में अवैध शिकारकर्ताओं द्वारा मारे जाने की सूचना है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वन्य जीवों और उनके व्युत्पन्नों का व्यापार गुप्त रूप से किया जाता है और इस प्रकार वन्य जीवों के शरीर अंगों का अनुमानित मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(घ) वन्य जीव अपराधों में लिप्त अपराधकर्ताओं पर वन्य जीव (संरक्षण), 1972 तथा संगत कानूनों के उपबंधों के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

(ङ) और (च) वन्य जीव अपराध से संबंधित मामलों में, जहां कहीं आवश्यक होता है, डीएनए परीक्षण किए जाते हैं।

(छ) भारत सरकार ने देश में वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. वन्य जीवों की संकटापन्न प्रजातियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल किया गया है और इस तरह उन्हें उच्चतम दर्जे की सुरक्षा प्रदान की गई है।
2. दुर्लभ जीवों सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावासों का संरक्षण करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
3. वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।
4. वन्य जीवों की बेहतर सुरक्षा और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों नामशः "वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास", "बाघ परियोजना" और हाथी परियोजना" के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाती है।
5. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–'वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों के लिए रिकवरी प्रोग्राम शुरू करने हेतु एक नया घटक जोड़ा गया है।
6. एक विशेष परामर्श समिति का गठन किया गया है जिसमें विभिन्न आसूचना, सुरक्षा और प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल किया गया है।
7. वन्य जीवों से बनी वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट प्वाइंट्स पर जांच की जाती है।
8. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को समय-समय पर संशोधित किया गया है और वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के मामले में इसे और ज्यादा सख्त बनाया गया है।
9. वन्य जीवों के अवैध व्यापार को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों जैसे सीमा शुल्क, केन्द्रीय पुलिस बल आदि के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

बाघों की मृत्यु का विवरण

वर्ष	अवैध शिकार के कारण मृत्यु
2007	10
2008	07
2009	17

शेरों की मृत्यु का विवरण

वर्ष	अवैध शिकार के कारण मृत्यु
2007	8
2008	शून्य
2009	1

हाथियों की मृत्यु का विवरण

वर्ष	अवैध शिकार के कारण मृत्यु
2007	23
2008	11
2009	13

गैंडों की मृत्यु का विवरण

वर्ष	अवैध शिकार के कारण मृत्यु
2007	21
2008	16
2009	12

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चालू/लंबित परियोजनाओं की समीक्षा

***476. श्री विश्व मोहन कुमार:**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार और देश के अन्य राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चालू/लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सम्मिलित एजेन्सियों सहित राज्य-वार इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा प्राप्त किये गये; और

(घ) उक्त अविध के दौरान चालू-लंबित परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई तथा खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की प्रत्येक छह महीने अर्थात जनवरी और जुलाई में संयुक्त समीक्षा मिशन द्वारा समीक्षा की जाती है जिसमें शैक्षिक विशेषज्ञ और सर्व शिक्षा अभियान के विकास सहभागी नामतः विश्वबैंक, यूनाइटेड किंगडम का अंतर्राष्ट्रीय विभाग और यूरोपियन आयोग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जनवरी मिशन में एक क्षेत्र समीक्षा होती है जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 10 राज्य शामिल होते हैं जबकि जुलाई मिशन में राज्यों की डेस्क समीक्षा होती है। अभी तक ग्यारह संयुक्त समीक्षा मिशन किए जा चुके हैं। 11वां संयुक्त समीक्षा मिशन जो 15 से 29 जनवरी, 2010 के बीच आयोजित किया गया था, में बिहार सहित सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की दिशा में की गई लगातार प्रगति की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान प्रगति के अनुवीक्षण हेतु शिक्षा सचिवों के साथ छमाही समीक्षा बैठकें तथा राज्य परियोजना निदेशकों और समन्वयकों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठके आयोजित करता है। 42 अनुवीक्षण संस्थानों द्वारा क्षेत्र स्तरीय अनुवीक्षण अभी किया गया है जिसमें प्रसिद्ध सामाजिक विज्ञान संस्थान और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य पैरामीटरों नामतः नए स्कूलों का खोला जाना, स्कूल भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण और अध्यापकों की भर्ती के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाला कोटा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्र. सं	राज्य	2007-08									
		स्कूल का खोला जाना				स्कूल भवन		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		अध्यापक की नियुक्ति	
		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक							
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	0	0	0	2	0	50	20	4	0
2.	आंध्र प्रदेश	173	173	429	429	2548	2078	14316	13658	1633	1633
3.	अरुणाचल प्रदेश	230	144	102	51	509	512	697	693	790	1242
4.	असम	0	0	0	0	204	171	34453	11406	0	0
5.	बिहार	2780	1572	4933	3799	15544	1135	60071	57078	35965	2271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	चण्डीगढ़	8	8	4	4	0	0	0	0	0	72
7.	छत्तीसगढ़	399	399	446	446	7205	6799	1727	1785	2605	2188
8.	दादरा और नागर हवेली	16	16	0	0	86	34	13	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
10.	दिल्ली	4	2	0	0	2	2	350	774	8	20
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	95	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	100	98	7145	6708	0	0
13.	हरियाणा	0	0	308	308	527	537	4757	4757	1986	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	140	140	0	0	1275	1020	420	609
15.	जम्मू और कश्मीर	4225	4225	711	711	2236	2052	3336	2880	10583	0
16.	झारखंड	851	799	1482	1247	5949	3863	11415	6410	4448	10635
17.	कर्नाटक	655	0	370	0	743	763	13627	13577	6009	6005
18.	केरल	136	0	2	0	156	155	1389	2169	253	0
19.	लक्षद्वीप	3	0	2	2	5	0	0	0	8	0
20.	मध्य प्रदेश	0	0	1119	1119	11037	9695	15559	13986	2238	0
21.	महाराष्ट्र	3384	0	59	59	427	6481	14458	12613	0	0
22.	मणिपुर	256	0	100	0	283	281	366	331	365	0
23.	मेघालय	267	267	0	0	500	463	1000	1000	534	534
24.	मिजोरम	55	55	67	67	589	839	87	126	287	281
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0	61	61	1556	1556	0	0
26.	उड़ीसा	933	933	708	708	3868	1853	6480	7499	3990	3066
27.	पुडुचेरी	10	5	0	0	0	0	0	-166	12	18
28.	पंजाब	9	5	1	0	88	89	4562	4561	21	0
29.	राजस्थान	2108	1463	6800	6800	817	817	29039	29039	24616	9000
30.	सिक्किम	0	0	0	0	2	15	130	85	0	0
31.	तमिलनाडु	210	210	338	338	672	269	12464	12955	1676	5098
32.	त्रिपुरा	0	0	38	38	488	488	301	301	114	114
33.	उत्तर प्रदेश	813	813	5512	5502	6970	6304	82117	81118	18162	23486
34.	उत्तराखंड	343	326	211	211	926	1842	1641	1628	1319	1319
35.	पश्चिम बंगाल	0	0	1600	398	288	121	38500	39590	4800	2314
	कुल	17879	11415	25482	22377	62832	47817	362978	319159	122849	69905

क्र. सं	राज्य	2008-09									
		स्कूल का खोला जाना				स्कूल भवन		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		अध्यापक की नियुक्ति	
		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक							
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	1	0	64	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	51	51	366	424	7679	6066	153	153
3.	अरुणाचल प्रदेश	213	119	67	45	262	62	840	844	827	827
4.	असम	0	0	0	0	50	-12	-10170	8403	0	0
5.	बिहार	541	541	3141	1246	544	6220	0	13102	31756	3011
6.	चण्डीगढ़	8	0	4	0	-10	3	-10	70	0	398
7.	छत्तीसगढ़	9	9	25	25	5047	2688	4245	4307	1594	6790
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	5	4	86	0	58	0	5	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	4	2	0	0	0	4	160	160	8	0
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	91	136	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	1	1999	2189	0	0
13.	हरियाणा	0	0	0	0	723	269	2249	1210	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	228	13	0	0	1421	1402	684	39
15.	जम्मू और कश्मीर	1797	472	1517	1517	414	205	0	191	8145	4453
16.	झारखंड	378	260	1908	1868	1284	8507	0	4680	5724	3505
17.	कर्नाटक	313	313	450	450	0	528	4743	4778	1266	0
18.	केरल	0	0	0	0	2	48	448	448	0	0
19.	लक्षद्वीप	4	3	3	3	2	0	0	0	13	0
20.	मध्य प्रदेश	919	919	1013	1013	12757	6110	9700	11943	3145	0
21.	महाराष्ट्र	1625	1625	50	50	126	2887	3007	4187	10068	10068
22.	मणिपुर	0	0	0	0	-20	46	614	515	0	0
23.	मेघालय	497	497	298	298	331	635	1396	1387	1888	1888
24.	मिजोरम	13	13	66	66	326	122	176	266	222	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	नागालैण्ड	5	0	4	0	57	81	125	290	22	0
26.	उड़ीसा	1139	775	872	740	1840	1546	12618	11618	4894	18877
27.	पुडुचेरी	5	5	0	0	0	5	0	238	10	0
28.	पंजाब	31	31	134	134	0	9	1421	1425	464	1083
29.	राजस्थान	0	0	1000	1000	103	0	12787	14605	3000	10128
30.	सिक्किम	11	0	1	0	0	2	0	-40	25	0
31.	तमिलनाडु	0	0	1005	1005	894	548	0	0	1577	5098
32.	त्रिपुरा	377	377	118	118	143	38	257	257	1106	1106
33.	उत्तर प्रदेश	3033	3004	4398	4824	9510	7000	31535	33545	19260	4277
34.	उत्तराखंड	217	203	254	223	556	482	762	733	1196	1196
35.	पश्चिम बंगाल	0	0	3300	884	0	-16	33222	-947	10392	3498
	कुल	11139	9168	19912	15577	35393	38443	121373	128072	107444	76617

क्र. सं	राज्य	2009-10									
		स्कूल का खोला जाना				स्कूल भवन		अतिरिक्त कक्षा कक्ष		अध्यापक की नियुक्ति	
		प्राथमिक		उच्च प्राथमिक							
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	37	37	26	26	0	160	9793	11677	152	1680
3.	अरुणाचल प्रदेश	174	174	16	16	308	654	687	687	396	150
4.	असम	1521	1521	0	0	0	15	10758	10779	3042	0
5.	बिहार	0	0	3013	3013	4906	1765	32993	23020	9039	0
6.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	5	0	-6	0	9
7.	छत्तीसगढ़	1	1	404	404	1759	1767	10078	9797	1594	6790
8.	दादरा और नागर हवेली	3	2	4	4	-68	0	-13	0	18	14
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0	4	4	175	175	0	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	-1	2098	2124	0	0
13.	हरियाणा	6	0	0	0	0	1	3437	2969	12	1062
14.	हिमाचल प्रदेश	40	0	0	0	0	0	1036	1045	80	0
15.	जम्मू और कश्मीर	0	0	800	800	2392	4963	0	245	2400	0
16.	झारखंड	442	476	185	185	9486	9037	1030	1122	1439	4152
17.	कर्नाटक	317	317	0	0	313	440	5128	6509	1214	0
18.	केरल	0	0	0	0	0	-10	202	448	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	1	0	0	1	0	9	0	5	7
20.	मध्य प्रदेश	0	0	595	595	1483	633	19448	16031	2798	0
21.	महाराष्ट्र	1015	1015	39	39	840	1269	3664	4418	2119	1026
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0
23.	मेघालय	208	208	425	425	1388	1388	199	199	1691	0
24.	मिजोरम	4	4	0	0	13	13	196	196	479	202
25.	नागालैण्ड	125	130	50	50	5	-72	788	772	400	0
26.	उड़ीसा	2388	2388	928	928	2135	4227	8871	7509	13176	0
27.	पुडुचेरी	0	0	2	2	0	5	108	108	6	29
28.	पंजाब	69	69	599	599	165	45	1621	1953	1935	1908
29.	राजस्थान	1700	0	1864	1864	0	0	16337	14354	0	7486
30.	सिक्किम	4	0	0	0	1	11	0	182	8	0
31.	तमिलनाडु	5	5	831	831	1005	69	6070	6070	2086	0
32.	त्रिपुरा	69	69	167	167	253	253	170	170	1739	0
33.	उत्तर प्रदेश	863	823	1162	1162	7431	7405	17310	18510	5212	9324
34.	उत्तराखंड	53	53	129	80	471	445	1389	1331	493	0
35.	पश्चिम बंगाल	360	1974	776	776	3300	3424	11105	41674	4146	1572
	कुल	9404	9267	12015	11966	37591	37951	164687	184129	55411	35427

विवरण II

क्र. सं	राज्य का नाम	2007-08			2008-09			2009-10		
		भारत सरकार द्वारा दी गई निधि	राज्य द्वारा दी गई निधियां	व्यय	भारत सरकार द्वारा दी गई निधि	राज्य द्वारा दी गई निधियां	व्यय	भारत सरकार द्वारा दी गई निधि	राज्य द्वारा दी गई निधियां	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	28100.00	15107.61	43225.95	71031.78	20995.78	93526.52	38569.90	9046.60	39292.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	11043.55	1250.00	11039.93	13683.64	1306.76	16864.67	11427.95	1300.00	6009.72
3.	असम	28903.62	3180.44	54623.20	42740.91	5000.00	55426.39	47480.00	1137.00	27643.92
4.	बिहार	135417.64	83185.40	194222.17	186158.47	93825.21	209431.20	12739.06	83029.81	149353.45
5.	छत्तीसगढ़	46787.76	25353.16	66685.90	51853.86	27821.08	75100.77	55592.82	23261.57	60604.09
6.	गोवा	899.57	485.30	1269.76	804.41	583.63	1273.85	550.58	200.00	971.35
7.	गुजरात	22658.26	13377.73	27604.61	25432.47	15300.00	34076.51	20031.73	11029.19	25185.35
8.	हरियाणा	14220.00	7656.92	229883.77	20546.87	11063.71	22943.19	27600.00	10657.49	30961.05
9.	हिमाचल प्रदेश	7638.30	4112.96	10882.92	8552.99	3814.76	12284.92	8608.00	2190.67	8319.35
10.	जम्मू और कश्मीर	20063.27	7507.78	27059.15	20532.59	6900.00	26622.06	37363.27	6563.00	23402.88
11.	झारखंड	80748.99	44489.56	80623.91	69041.09	42100.00	122584.26	70940.22	24201.00	66084.16
12.	कर्नाटक	40604.78	25889.66	68739.93	51578.19	33508.87	89806.77	44220.60	20019.37	59010.39
13.	केरल	8323.42	4801.79	13890.13	10854.04	6043.00	17695.88	11989.50	6870.00	12494.69
14.	मध्य प्रदेश	89796.94	37912.21	121186.62	85569.35	48313.51	153094.30	113249.00	29491.22	118494.82
15.	महाराष्ट्र	45729.96	19875.88	76383.12	67386.02	36283.00	98285.15	56432.00	12015.00	62337.20
16.	मणिपुर	1850.95	120.95	2086.24	321.21	396.23	782.48	1500.00	0.00	1045.41
17.	मेघालय	9359.63	1363.20	10854.02	9440.36	865.18	10794.75	9383.00	1705.45	7783.05
18.	मिजोरम	4212.02	1099.70	4718.29	5112.59	500.00	2127.34	6617.75	0.00	3751.71
19.	नागालैंड	4596.00	152.62	4576.17	2867.87	580.00	3203.96	4913.00	0.00	1877.38
20.	उड़ीसा	62853.68	33925.98	80401.37	49080.90	27674.16	84525.30	63061.60	41390.58	68796.50
21.	पंजाब	10493.88	4468.27	12705.46	13808.10	5950.35	26102.20	20044.00	7849.82	22925.97
22.	राजस्थान	101307.20	40577.63	134401.35	108326.80	62058.20	162651.25	127124.00	57000.16	150275.86
23.	सिक्किम	1036.25	363.00	895.76	1075.31	190.26	1890.20	1736.00	52.04	1332.79
24.	तमिलनाडु	53125.09	19712.34	60672.13	45414.47	24960.72	84456.89	48366.00	31551.01	57727.66
25.	त्रिपुरा	4178.49	241.62	4294.16	6464.12	940.84	6937.00	7473.00	498.20	5524.82

1			2	3		4		5	
26. उत्तर प्रदेश	204758.00	114140.39	294482.00	212884.89	114630.00	331477.00	196011.90	75782.82	227258.80
27. उत्तराखंड	13162.80	7149.94	18572.09	11444.45	5078.31	22072.55	16006.29	5809.14	17063.09
28. पश्चिम बंगाल	90571.68	48505.30	101725.21	65169.37	35061.16	124384.20	104142.00	32094.78	102417.53
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	187.10	150.00	261.62	780.54	100.00	1128.42	412.44	50.00	451.19
30. चंडीगढ़	934.95	435.00	1314.98	820.52	441.82	1062.58	1100.72	500.00	1732.47
31. दादरा और नगर हवेली	418.54	278.02	287.19	104.63	400.50	622.73	350.18	0.00	415.19
32. दमन और दीव		90.39	130.91	0.00	90.00	139.06	169.00	187.46	101.68
33. दिल्ली	1671.55	1100.00	2973.37	1529.01	1000.00	3905.77	3088.62	650.00	2240.46
34. लक्षद्वीप		90.00	112.33	70.00	121.54	230.42	143.80	116.63	55.03
35. पुडुचेरी	577.07	142.00	666.52	638.59	277.00	1141.82	669.96	520.00	758.96
कुल	1143203.94	568292.75	1556557.24	1261120.41	634175.46	1905652.36	1278107.89	496770.01	1363701.71

[अनुवाद]

पशुओं का क्लोन तैयार करना

***477. श्री राजू शेट्टी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पशुओं के क्लोन तैयार करने को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान द्वारा क्लोन्ड कटरे तैयार किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त तकनीक सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से किसानों को क्या लाभ होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) क्लोन्ड पशु तैयार करने संबंधी प्रौद्योगिकी प्रायोगिक स्तर पर है। भैंस की क्लोनिंग संबंधी परियोजना हेतु राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना/राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा फरवरी, 2009 में वित्तपोषण किया गया था। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 896.51 लाख रुपये है तथा यह परियोजना जून, 2012 में पूरी हो जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल के दो कलोन्ड कटरे तैयार किए हैं (i) प्रथम क्लोन्ड कटरे का जन्म 6 फरवरी, 2009 को हुआ था लेकिन न्यूमोनिया के कारण एक सप्ताह में उसकी मृत्यु हो गई थी और (ii) दूसरे कटरे का जन्म 6 जून, 2009 को हुआ था और वह ठीक से बढ़ रहा है। दोनों क्लोन्ड कटरों का जन्म नवीन हैन्ड-गाइडेड क्लोनिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से हुआ था।

(ङ) किसानों को उत्कृष्ट नस्ल के नर एवं मादा पशुओं की तेजी से वृद्धि करने वाली प्रजनन प्रणाली से लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त शुक्राणु उपलब्ध हो सकेंगे।

[हिन्दी]

कोयला गैसीकरण योजना

***478. डॉ. चरण दास महन्त:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोई कोयला गैसीकरण योजना तैयार की गई है अथवा तैयार किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस योजना को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है; और

(ग) आम जनता को कुल मिलाकर इस योजना से क्या लाभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सरकार ने कोई कोयला गैसीकरण योजना तैयार नहीं की है और न ही इसे तैयार करने का कोई प्रस्ताव है।

आर्थिक विकास दर की समीक्षा

***479. श्री जगदीश शर्मा:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के अनुमानित आर्थिक विकास की नियमित रूप से समीक्षा करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थव्यवस्था की वार्षिक विकास दर के निर्धारित लक्ष्य का हाल ही में घटा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा पहले क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा अब संशोधित लक्ष्य क्या हैं;

(ङ) वर्ष 2010-11 के लिए क्षेत्र-वार अनुमानित विकास दर तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्राप्त विकास दर कितनी है; और

(च) वांछित विकास दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए नीतिगत उपाय क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (च) सरकार देश की अनुमानित आर्थिक विकास दर की नियमित रूप से समीक्षा करती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में कृषि क्षेत्रक में 4% औद्योगिक क्षेत्रक में 10 से 11% तथा सेवा क्षेत्रक में 9-11% की विकास दर के लक्ष्य सहित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 9% औसत वार्षिक दर की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान जीडीपी की विकास दर 9.2% होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, वर्ष 2008-09 में वैश्विक मंदी और देश में अनियमित वर्षा तथा सूखे जैसी स्थिति के कारण कृषि क्षेत्रक में कम विकास दर होने के कारण विकास दर घटकर 6.7% हो गई। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2009-10 के दौरान, 7.2% की विकास दर प्राप्त कर ली जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके और बढ़ने की संभावना है। सभी क्षेत्रकों में लक्षित और प्राप्त की गई विकास दर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सरकार देश में वांछित विकास दर हासिल करने के लिए कई उपाय कर रही है। सरकार द्वारा घोषित तीन क्रमिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज, जो सक्रिय मौद्रिक समर्थन नीति से युक्त हैं, के परिणामस्वरुप में सुधार हुआ है। करों में कमी और वर्धित सार्वजनिक व्यय हुए वित्तीय विस्तार का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था का त्वरित सुधार, वर्ष 2008-09 में 6.7% से वर्ष 2009-10 में अनुमानित 7.2% तक होना, वित्तीय संकट के बाद सरकार की नीति अनुक्रिया, की प्रभावकारिता को दर्शाता है।

योजना आयोग ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी कार्य से अवगत है, जिसमें योजना के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास परिदृश्य को कवर किया गया है।

विवरण

जीडीपी की विकास दरें: क्षेत्रकवार(% में, कारक लागत पर, 2004-05 के मूल्यों पर)

वर्ष	लक्ष्य ग्यारहवीं योजना	उपलब्धियां 2007-08	2008-09 (क्यूई)	2009-10 (एई)
कृषि	4	4.7	1.6	-0.2
उद्योग	10-11	8.2	3.7	8.1
सेवाएं	9-11	10.6	10.5	8.8
जीडीपी	9.0	9.2	6.7	7.2

क्यूई: त्वरित अनुमान एई: अग्रिम अनुमान

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ)

[अनुवाद]

सी.बी.आई. मामलों के विचारण में अत्यधिक विलम्ब

***480. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नामनिर्दिष्ट फास्ट ट्रैक न्यायालयों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा दर्ज किए गए मामलों के विचारण में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुम्बई उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. मामलों के विचारण के लिए अभियोजकों तथा नामनिर्दिष्ट न्यायालयों की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सी.बी.आई. के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों के विचारण में परंपरागत मामलों की जांच की तुलना में अपेक्षाकृत लंबा समय लग जाता है क्योंकि इनमें सामान्यतया तथ्यों और कानूनों के जटिल प्रश्न होते हैं, वृहद दस्तावेजों को सिद्ध करने के अतिरिक्त बड़ी संख्या में गवाहियों की जांच पड़ताल की आवश्यकता पड़ती है। अभियुक्त भी सामान्यतया मुकदमे की कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए दाण्डिक न्याय व्यवस्था के तहत उपलब्ध सभी संभव अवसरों का उपयोग करता है।

(ग) यद्यपि, सी.बी.आई. की विशेष अदालतों और अभियोजकों की अपर्याप्त संख्या के कारण सी.बी.आई. के मामलों के विचारण में विलंब होने के कारण निवारण का अनुरोध करते हुए माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में एक अपराधिक रिट याचिका संख्या 2166/2009 दायर की गई थी, उपर्युक्त रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निष्फल मानते हुए खारिज कर दी गई।

(घ) सी.बी.आई. द्वारा जांच किए जा रहे मामलों की शीघ्रता से सुनवाई करने के प्रयोजन से सरकार ने 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का निर्णय किया है। सहायक कर्मचारियों सहित अभियोजन अधिकारियों के 284 पद अनुमोदित किए हैं और संविदा आधार पर पांच वर्ष की अवधि तक के लिए विधि अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है।

इसी प्रकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए अनेक कदम उठाए गए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

* अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर आकर्षित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर तक वेतन के 25 प्रतिशत की दर से उस रैंक से ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए 15 प्रतिशत की दर से विशेष पोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाना।
* केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पदों के लिए समय-समय पर भर्ती नियमों में संशोधन और उन्हें युक्तिसंगत बनाना।
* प्रतिनियुक्ति पर निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को लिए जाने का विकेन्द्रीकरण।
* पुलिस उप अधीक्षकों के 77 पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए एकमुश्त उपाय के रूप में इन्हें प्रतिनियुक्ति कोटे से पदोन्नति कोटे में अपवर्तित किया जाना।

जल यग्नम हेतु धनराशि

5255. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में जल यग्नम जल परियोजनाओं हेतु धनराशि मंजूर करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन तथा वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने त्वरित

सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल करने के लिए अपनी कुछ परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं, जो जल यग्नम परियोजना का भाग है, जैसा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया है। निधियों का राज्यवार और परियोजना वार आबंटन एआईबीपी के अंतर्गत नहीं किया जाता है तथा निधियां तभी जारी की जाती हैं, जब कभी एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार एक पूर्णत: पात्र प्रस्ताव प्राप्त होता है। XI योजना में अब तक एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता के परियोजना वार ब्यौरे तथा आंध्र प्रदेश सरकार के जल यग्नम कार्यक्रम में शामिल की गई परियोजनाओं के लिए एआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को शामिल करने के बाद से जारी की गई संचयी केंद्रीय सहायता के परियोजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारत सरकार ने XI योजना में समग्र रूप से देश के लिए एआईबीपी के अंतर्गत 39850 करोड़ रुपये चिन्हित किए हैं।

विवरण

1996-97 से 2010-11 तक एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	एआईबीपी में परियोजना को शामिल करने के समय से कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7
वृहद, मध्यम, सिंचाई परियोजनाएं						
	आंध्र प्रदेश					
1.	वम्सधेरा फेज-I	0.0000	0.0000	0.0000		37.1160
2.	एसआरएसपी फ्लड फ्लो कैनाल	74.0000	61.0000	0.0000		382.4000
3.	श्रीरामसागर परियोजना-II	0.0000	0.0000	65.1980		139.4670
4.	ताडीपुडी एलआईएस	0.0000	0.0000	0.0000		48.2200
5.	पुष्करा एलआईएस	13.9692	0.0000	0.0000		47.0847
6.	रालीवागु	0.0000	0.0000	0.0000		6.7095
7.	गोल्लावागु	32.1200	0.0000	0.0000		60.4700
8.	मथाडीवागु	8.6700	0.0000	0.0000		37.0200
9.	पेड्डावागु (पीएमपी)	0.0000	0.0000	55.4000		106.0250
10.	गुंडलाकाम्मपा जलाशय	0.0000	0.0000	0.0000		99.3525
11.	वल्लागुल्लु जलाशय	26.2500	0.0000	0.0000		62.3355
12.	अलीसागर एलआईएस	2.8700	0.0000	0.0000		16.3700
13.	जे. चोक्काराव एलआईएस	405.0000	0.0000	180.0000		883.1300
14.	ए.आर. गुथपा एलआईएस	6.5500	0.0000	0.0000		17.5000

1	2	3	4	5	6	7
15.	निवलाई	15.5500	0.0000	0.0000		18.4000
16.	खोमाराम भीमा	109.8300	27.9300	0.0000		145.5400
17.	थोटापल्ली बराज	24.6400	11.9500	0.0000		99.7310
18.	ताराकरमा थिरटा सागाराम परियोजना	0.0000	0.0000	0.0000		33.0060
19.	स्वर्णमुखी मेड सिंचाई परियोजना	0.0000	0.0000	0.0000		11.8620
20.	पालेमवागु	0.0000	0.0000	0.0000		9.5355
21.	मुसुरीमिल्ली परियोजना	35.1800	27.7700	0.0000		62.9500
22.	राजीव भीमा एलआईएस	233.1400	269.8700	662.6610		1165.6710
23.	इंद्र सागर पोलावरम		225.0000	337.4690		562.4690
	(आंध्र प्रदेश)-जोड़	987.7692	623.5200	1300.7280		4052.3647

[हिन्दी]

इंदिरा सागर परियोजना

5256. श्री गणेश सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से इंदिरा सागर परियोजना में कुल वर्तमान 159.397 हेक्टेयर वनभूमि में से केवल 65.151 हेक्टेयर वन भूमि शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिससे मुख्य नहर के लिए 94.228 हेक्टेयर वनभूमि कम हो गई है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश के खारगौन जिले में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के पक्ष में इंदिरा सागर परियोजना केनाल के निर्माण हेतु 159.397 हेक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि के डायवर्जन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत नियमानुसार वन भूमि के निवल वर्तमान मूल्य के रूप में 9,88,26,140/-रु. के भुगतान की शर्त का पालन होने के बाद अनुमोदन कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पलार नदी बेसिन

5257. श्री सी. शिवासामी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में 222 किलोमीटर लम्बी पलार नदी बेसिन का उपयोग कूड़ा पाटन के यार्ड के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि 222 किलोमीटर लम्बी पलार नदी बेसिन का उपयोग कूड़ा पाटन के यार्ड के रूप में नहीं किया जा रहा है। तथापि, वनियमबाड़ी, अम्बूर, वेल्लूर, रानीपेट तथा वाल्लाझ के निकट कुछ स्थानों पर अवैध रूप से कूड़े के ढेर देखे गए हैं।

तमिलनाडु सरकार ने आगे सूचित किया है कि राज्य सरकार कूड़े के अवैध ढेर को लगाने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

कैलोरी उपभोग को गरीबी आकलन का आधार बनाना

5258. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैलोरी का उपभोग देश में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए आधार रूप में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न संस्थानों ने कठोर श्रम करने वालों के लिए कैलोरी उपभोग की विभिन्न मात्रा का उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में संस्थान-वार मानदंड क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या मानदंड स्वीकार किए गए हैं तथा इसे स्वीकार करने का क्या आधार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) योजना आयोग ने वर्ष 1977 में "न्यूनतम आवश्यकता एवं प्रभावी उपभोग मांग अनुमान" संबंधी एक कार्यबल का गठन किया था जिसने वर्ष 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। कार्यबल ने ग्रामीण क्षेत्र में औसत व्यक्ति के लिए 2435 कि. कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में औसत व्यक्ति के लिए 2095 किलो कैलोरी की आवश्यकता बताई थी। गरीबी रेखा को राष्ट्रीय स्तर पर 1973-74 के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कि. कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कि. कैलोरी के प्रतिव्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता के मानक पर केन्द्रित वस्तुओं और सेवाओं के बास्केट के समनुरूप है। इस प्रकार परिभाषित गरीबी रेखा में खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं पर किया गया उपभोग व्यय शामिल है। तत्पश्चात् "गरीबों के अनुपात एवं संख्या का अनुमान" संबंधी विशेषज्ञ समूह (लाकड़ावाला समिति) ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत कर दी थी तथा कार्यबल द्वारा सुझाई गई गरीबी की परिभाषा को बनाए रखा था। वर्ष 1997 से ही योजना आयोग विशेषज्ञ समूह द्वारा संस्तुत कार्यप्रणाली के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता रहा है तथा बाद के वर्षों में गरीबी रेखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) तथा शहरी क्षेत्रों के लिए औद्योगिक कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) का प्रयोग करते हुए अद्यतन किया जा रहा है।

पूर्व में, इंडिया स्कूल आफ पालिटिकल इकानॉमी, पुणे (1971) के दांडेकर और रथ ने गरीबी रेखा की परिभाषा के मापदण्ड के रूप में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2250 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की औसत कैलोरी मानक का प्रयोग किया गया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) विशेषज्ञ समूह (1990) ने अपने निष्कर्ष में कहा था कि गरीबी रेखा समूची आबादी के लिए 2200 कि. कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के औसत मानक वेटेज पर आधारित होनी चाहिए। "द स्टेट ऑफ फूड इंसिक्यूरिटी इन द वर्ल्ड 2008" नामक शीर्षक से प्रकाशित एफएओ के प्रकाशन में भारत में आहार ऊर्जा आपूर्ति (डीईएस) 2360 कि. कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन होने का अनुमान लगाया गया है।

बफर क्षेत्रों की अधिसूचना

5259. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से विभिन्न बाघ अभ्यारण्यों सहित भद्रा बाघ अभ्यारणय डांडेली-आंसी बाघ अभ्यारण्य तथा बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य के मध्य के बफर तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की पहचान तथा अधिसूचना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) राज्य से डांडेली-आंसी और बांदीपुर बाघ रिजर्वों के लिए वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इन रिजर्वों की अधिसूचना के लिए "सिद्धांत रूप से" अनुमोदन दे दिया है।

[हिन्दी]

एनसीईआरटी प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु

5260. श्री हर्ष वर्धन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एनसीईआरटी के प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति की आयु केन्द्रीय विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकों की तरह 65 वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

यू.एस.ए के लिए वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयां

5261. **डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इससे परिचित है कि भारतीय पेशेवरों को यू.एस.ए. के लिए वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल में उनके यू.एस.ए. के दौरे के दौरान सरकार ने यू.एस.ए. सरकार के साथ यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो अमेरिकी सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) सरकार इस बात से अवगत है कि ट्रबल्ड एसेट्स रिलीफ प्रोग्राम (टीएआरपी) के तहत बेल आउट धन प्राप्त करने वाली अमरीकी फर्मों द्वारा एच-1 बी वीजा के साथ विदेशी कामगारों को किराए पर लेने पर अमरीकी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी कंपनियां जिनकों फेडरल बेल आउट धन प्राप्त हुआ है, वे हैं: बैंक, बीमा कंपनियां तथा ऑटों कंपनियां। नए मार्गनिर्देशों में आवश्यक है कि टीएआरपी धन प्राप्त करने तथा एच-1 बी के अंतर्गत कामगारों के लिए आवेदन करने वाली कंपनी को "एच-1 बी निर्भर कम्पनी" के रूप में परिचालित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि इनको अमरीकी कामगारों का सक्रिय रूप से भर्ती को सत्यापित करना चाहिए, एच-1 बी वीजा धारक, अमरीकी कामगारों को हटाना नहीं चाहिए; तथा हटाए गए अमरीकी कामगारों के स्थान पर विदेशी कामगारों को नहीं रखना चाहिए। एच-1 बी निर्भर कंपनियां वे कंपनियां हैं, जिनके 15% कार्मिकों के पास एच-1 बी वीजा है। नासकोम के अनुसार एच-1 बी वीजा प्रतिबंध भारतीय आउट सोर्सिंग कंपनियों के कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं डालेंगे क्योंकि उनको टीएआरपी सहायता प्राप्त नहीं होती।

(ख) भारत सरकार अमरीका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के हितों के संरक्षण के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। अमरीकी सरकार के साथ हमारे नियमित वार्तालाप में हम सम्प्रेषित करते रहे हैं कि रोजगार संरक्षणवाद से अमरीका अथवा किसी अन्य देश को सहायता नहीं मिलती, और न ही यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए अच्छा है। हम अमरीकी प्राधिकारियों को निरंतर यह बताने का प्रयास करते रहे हैं कि अमरीकी अर्थव्यवस्था में भारत अति कुशल कामगारों का सबसे बड़ा प्रदाता है तथा किसी भी संरक्षणवाद नीति से सबसे ज्यादा अमरीकी कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचेगा।

(ग) अमरीकी सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार की चिंताओं पर ध्यान दिया है।

संरक्षित स्मारक/धरोहर स्थल

5262. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) विभाग के क्षेत्राधिकार में पूर्ववर्ती विदर्भ क्षेत्र के किलों, मंदिरों जैसे गौंड राजा काल के अवशेष तथा स्मारक तथा बौद्ध काल की गुफाओं तथा अवशेषों को संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में घोषित 3675 प्राचीन स्मारकों तथा अवशेषों की सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) महाराष्ट्र में गौंड काल तथा बौद्ध काल के प्राचीन स्मारकों तथा अवशेषों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/ उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विदर्भ क्षेत्र के लिए पृथक, नागपुर सर्किल स्थापित करने संबंधी मांग सरकार को प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विदर्भ क्षेत्र के प्राचीन धरोहर स्थलों तथा स्मारकों के संरक्षण तथा रख-रखाव हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का उक्त सर्किल कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित गौंड राजा काल के स्मारकों, बौद्ध गुफाओं तथा अवशेषों सहित 93 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित किया गया है। इन समारकों/स्थलों का ब्यौरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट **www.asi.nic.in** पर उपलब्ध है।

(ग) विदर्भ क्षेत्र के स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर संरचनात्मक मरम्मत करके किया जाता है।

(घ) और (ङ) विदर्भ क्षेत्र के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नागपुर मण्डल बनाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(च) फिलहाल, नागपुर मण्डल बनाने का कोई प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

यमुना नदी में क्लोराइड डिस्चार्ज

5263. श्री वरुण गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि हरियाणा तथा अन्य राज्यों के कई औद्योगिक एकक यमुना नदी में रासायनिक अपशिष्ट छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप नदी में क्लोराइड की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार किसी भी रासायनिक उद्योग द्वारा यमुना नदी में सीधे अपशिष्ट जल छोड़े जाने की सूचना नहीं मिली है। कोई भी उद्योग यमुना नदी में उच्च क्लोराइड वाला पदार्थ छोड़ते हुए नहीं पाया गया है। सीपीसीबी 21 स्थानों पर यमुना नदी की जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग कर रहा है। क्लोराइड का जांच किया गया मान पेयजल विनिर्देशों (बीआईएस: 10500:1993) के अनुसार अनुमेय सीमाओं में है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्धारित विसर्जन मानकों के अनुसार उद्योगों की अनुपालन स्थिति की मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

कोयला जलाने वाले संयंत्रों से कार्बन उत्सर्जन

5264. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र लगभग 60 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है क्योंकि देश में लगभग 2/3 विद्युत कोयला जलाने वाले संयंत्रों द्वारा उत्पादित किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए /उठाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विद्युत क्षेत्र से देश में उत्पन्न कुल कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनों का लगभग 60 प्रतिशत उत्सर्जन होता है।

(ख) देश में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 64 प्रतिशत थर्मल पावर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कोयला, गैस तथा डीजल आधारित विद्युत उत्पादन का थर्मल उत्पादन का क्रमश: 82%, 17% तथा 1% योगदान है।

(ग) सरकार ने थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले के दक्षतापूर्ण उपयोग हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अति विशिष्ट बॉयलर प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, कोयला धुलाई, कोयला मिश्रण और अधिकतम विद्युत उत्पाद और ट्रांसमिशन के प्रवर्तन के लिए विद्युत विनियामकों का गठन किया जाना शामिल है। इसके साथ-साथ थर्मल पावर स्टेशनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए उनका नवीयन और आधुनिकीकरण किया जाता है। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हाइड्रो पावर नीति भी संशोधित की गई है।

विश्वविद्यालयों का उन्नयन

5265. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके लिए कौन-कौन से विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है; और

(ग) नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इस समय देश के कई राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना

5266. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री सी.आर. पाटिल:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में नि:शक्त बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना बहाल करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) "विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा" स्कीम के स्थान पर 01.04.2009 से "माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा" स्कीम को प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा स्कीम में स्कूल शिक्षा स्तर सभी कक्षाओं को शामिल किया जाता था। प्रारंभिक स्तर पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किए जाने पर विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा स्कीम के स्थान पर माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा स्कीम को प्रतिस्थापित किया गया था जिसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर (कक्षा IX से XII) पर विकलांग बच्चों को शामिल किया गया है। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा स्कीम का उद्देश्य उन विकलांग बच्चों जिन्होंने आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, को नियमित स्कूलों में समावेशी वातावरण में माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने योग्य बनाना है। स्कीम के घटकों में शामिल हैं: (i) शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, (ii) छात्र विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान, (iii) अध्ययन सामग्री का विकास, (iv) विशेष अनुदेशकों जैसी सहायता सेवाओं का प्रावधान, (v) संसाधन कक्षों का प्रावधान, (vi) समावेशी वातावरण में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सामान्य स्कूल शिक्षकों को उनकी क्षमता में सुधार के लिए प्रशिक्षण, तथा (vii) माध्यमिक स्कूलों को अड़चन मुक्त बनाना। स्कीम के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम (1955) तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) के अंतर्गत यथा-परिभाषित एक अथवा अधिक विकलांगता वाले बच्चों को शामिल किया गया है। स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित है तथा इसे राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) देश में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि प्रारंभिक स्कूल शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान का समावेशी शिक्षा घटक तथा माध्यमिक स्तर पर विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा स्कीम मिलकर विकलांग बच्चों हेतु स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को शामिल करते हैं।

अनिवासी भारतीय को मताधिकार

5267. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकर 'इंडियन ओरिजिन कार्ड' धारक भारतीयों को मताधिकार देने के पक्ष में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) पीआईओ कार्ड धारक भारतीय मूल के लोगों को मताधिकार देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपग्रहों को प्रति वर्ष छोड़ा जाना

5268. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की प्रतिवर्ष 10 उपग्रह छोड़ने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपग्रहों के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) इसरो वर्ष में 10 उपग्रहों की प्राप्ति की योजना बना रहा है। राष्ट्रीय विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर प्रमोचित किए गए जाने वाले उपग्रहों की वास्तविक संख्या के बारे में निर्णय किया जाएगा।

(ग) इन उपग्रहों के लक्ष्य एवं उद्देश्यों में प्राकृतिक संसाधन, प्रबंधन, संचार अवसंरचना का संवर्धन, उपग्रह नौवहन, आपदा प्रबंध सहायता, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान एवं ग्रहीय अन्वेषण शामिल हैं।

(घ) इस संदर्भ में विभाग की कार्य योजना के अंतर्गत इसरो के अंदर तकनीकी अवसंरचना का संवर्धन एवं प्राक्कलित मांग की पूर्ति करने के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय उद्योग में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना शामिल होगा।

अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड

5269. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री गणेश सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य स्तर के शिक्षा बोर्ड दोनों मिलकर देश की शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समेकित शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए एक अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) देश में केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर शिक्षा बोर्ड उनसे सम्बद्ध स्कूलों के लिए परीक्षाओं का संचालन करते हैं। वे सभी भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद नामक संगठन के सदस्य हैं और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा मुद्दों पर और विशेषता परीक्षा सुधारों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक वर्ष बैठक का आयोजन करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आईआईटी तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नवीकरणीय ऊर्जा पर नए पाठ्यक्रम

5270. श्रीमती जे. शांता: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नवीकरणीय ऊर्जा पर नए पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये पाठ्यक्रम कब तक शुरू कर दिए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) स्वायत्त संस्थाएं होने के कारण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को समय-समय पर अपने पाठ्यक्रम में अधिगम की विभिन्न शाखाओं को शुरू करने का अधिकार दिया गया है। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नवीकरणीय ऊर्जा सहित परम्परागत तथा गैर परम्परागत ऊर्जा पर विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

विदेश में महिलाओं हेतु गैर-सरकारी संगठन

5271. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उन गैर-सरकारी संगठनों तथा कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में ऐसी कितनी महिलाएं रह रही हैं जिन्हें उनके मंत्रालय द्वारा उक्त सहायता प्रदान की गई तथा यह सहायता किस प्रकार की थी; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) गत् 3 वर्षों के दौरान प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों को स्वीकृत निधियां नीचे दर्शायी गई हैं:-

2007–08	50.00 लाख रुपये
2008–09	56.38 लाख रुपये
2009–10	35.60 लाख रुपये

विवरण

क्रमांक	मिशन/पोस्ट का नाम	सहायता प्रदान करने के लिए विदशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा चयन किए गए गैर-सरकारी संगठन/कानूनी दल	मामलों की कुल संख्या जिनमें गत् 3 वर्षों के दौरान प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत मिशनों/पोस्टों द्वारा सहायता दी गई थी	सहायता की राशि/दी गई सहायता का स्वरूप
1	2	3	4	5
1.	सं.रा.अ. भारतीय दूतावास, वाशिंगटन	(आशा), रॉकविले, मेरीलैंड 20847	2007-08-2 मामले	प्र.भा.का.मं. की योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता 2007–08–80,000 रु.
2.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, शिकागो	अपना घर, शिकागो	शून्य	शून्य
3.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, न्यूयॉर्क	स्नेहा, वेस्ट हार्टफोर्ड, सीटी–06127	2008–09–1 मामला	1 मामले में कानूनी मामला दायर करने के लिए शुरुआती वित्तीय सहायता दी गई। अमेरिका में सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों, कानूनी सलाहकार और इस मिशन के कई मामलों में, छोड़ दी गई महिलाओं को उत्प्रवास और अन्य मामलों के बारे में कानूनी परामर्श दिया है।
4.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, हॉस्टन	दया, हॉस्टन	शून्य	दया, दक्षिण एशियाई समुदाय में परिवार के झगड़ों, बलात्कार और अन्य परेशानियां से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को सेवाएं प्रदान करती है, जैसे परामर्श, कानूनी वकालत और वित्तीय सहायता
5.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, सेन फ्रांसिस्को	नारिका, केलिफोर्निया मैत्री, केलिफोर्निया सेवा (कानूनी सहायता), केलिफोर्निया	2007–08 1 मामला 2008–09 2 मामले	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता 2007–08 39,890 रु. 2008–09 86,380 रु.

1	2	3	4	5
6.	खाड़ीदेश भारतीय दूतावास, बहरीन	उत्प्रवास कामगार संरक्षण समिति	उत्प्रवासी कामगार संरक्षण समिति ने गत् 3 वर्षों में 179 भारतीय महिलाओं को सहायता दी है उन्हें आश्रय, भोजन और कुछ मामलों में हवाई टिकट दिए गए हैं	भारत सरकार ने वर्ष 2008 के दौरान उत्प्रवासी कामगार संरक्षण समिति को 6000 बीडी (लगभग 7, 20, 000 रु.) स्वीकृत किए थे और उनका भुगतान कर दिया गया था।
7.	भारतीय दूतावास, कुवैत	कुवैत में 5 सुयोग्य वकीलों का एक दल भारतीय समुदाय की सहायता करता है। सभी भारतीयों को निःशुल्क कानूनी सलाह देने के लिए मिशन ने सुयोग्य कुवैतियों और भारतीय वकीलों का एक कानूनी सलाह क्लीनिक बनाया हुआ है।	शून्य	शून्य
8.	ऑस्ट्रेलिया भारतीय उच्चायोग, केनबरा और	फेडरेशन ऑफ इन्डियन एसोसिएशन्स ऑफ विक्टोरिया, मेलबर्न एनएसडब्ल्यू में कुछ वकील, जो भारतीय समुदाय के सदस्यों को निःशुल्क प्रारम्भिक सलाह देते हैं जिन्हें इस तरह की सहायता की आवश्यकता होती है।	2006–07 10 मामले 2007–08 9 मामले 2008–09 शून्य	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता 2006–07 4,58,821 रु. 2007–08 3,59,010 रु.
9.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, मेलबर्न	यूनाइटिड इन्डियन एसोसिएशन, सिडनी	शून्य	
10.	भारत के महावाणिज्यिक दूत, सिडनी		शून्य	
11.	न्यूजीलैंड भारतीय उच्चायोग, वेलिंगटन	शक्ति कम्यूनिटी काउन्सिल ऑकलैंड, न्यूजीलैंड	2008–09 4 मामले 2009–10 5 मामले	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता 2008–09 1,75,600 रु. 2009–10 3,51,825 रु.

1	2	3	4	5
12.	ब्रिटेन भारतीय उच्चायोग, लंदन	एशियाई महिला स्रोत केन्द्र और मोरगोन एंड वाकर, लंदन नामक एक कानूनी फर्म के एक वकील के नेतृत्व में एक कानूनी दल	शून्य	जबकि 2009-10 के वित्तीय वर्ष से पूर्व कोई कानूनी और वित्तीय सहायता नहीं दी गई, मोर्गान और वाकर के संबंधित कानूनी दल ने 2009-10 में 12 भारतीय महिलाओं को कानूनी सहायता दी थी जिन्हें ब्रिटेन स्थित उनके पतियों द्वारा छोड़ दिया गया/परेशान किया गया था। पीड़ितों को सहायता का स्वरूप कानूनी सहायता देने, अपराधियों को नोटिस भेजने, पुलिस और न्यायिक प्राधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने और न्यायालयों में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने तक सीमित था।

[अनुवाद]

कोल बेड मीथेन की खोज

5272. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या सरकार कोल बेड मीथेन तथा अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन की खोज के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के पक्ष में है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) योजना आयोग द्वारा किए गए कोयले की मांग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए कोयले की कुल आवश्यकता 656.31 मि.ट. है। इसमें से कोकिंग कोयले की आवश्यकता 50.51 मि.ट. है तथा नान-कोकिंग कोयले की आवश्यकता 605.81 मि.ट. है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार न तो भूमिगत कोयला गैसीकरण अथवा न ही कोल बेड मीथेन में निवेश करने का प्रस्ताव कर रही है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रचालनों को करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं तथा संभावित उद्यमियों को पेशकश करने के लिए 5 लिग्नाइट और 2 कोयला ब्लाकों की पहचान की है। इसके अलावा, सरकार ने सीबीएम अन्वेषण तथा दोहन के लिए विभिन्न कम्पनियों को 26 ब्लाक आबंटित किए हैं।

ईस्टर्न कोल बेल्ट से कोयले का आवंटन

5273. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः**
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री नारनभाई कछाड़िया:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात तथा अन्य राज्यों को ईस्टर्न कोल बेल्ट से कोयला आवंटित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में किन मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को कोयले का आवंटन राज्य के नजदीक स्थित वेस्टर्न/नार्दर्न कोलफील्ड्स तथा अन्य कोलरीज से करने के संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) गुजरात की विद्युत उपयोगिताओं को मुख्य रूप से केन्द्रीय और पूर्व केन्द्रीय भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) के

कोलफील्डों से कोयले की आपूर्ति (लगभग 95%) की जाती है। मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य में स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल) की कोलफील्डों से भी कोयले की थोड़ी मात्रा आबंटित की जाती है। महाराष्ट्र की विद्युत उपयोगिताओं को उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों से लगभग 35% कोयले तथा शेष कोयले की आपूर्ति वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से की जा रही है। कोयले के स्रोत आबंटन पर निर्णय स्रोत में कोयले की दीर्घावधिक उपलब्धता वृद्धिक उत्पादन की संभावना, परिवहन व्यवस्था आदि के आधार पर लिया जाता है।

(ग) और (घ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स की कोलियरियों से गुजरात राज्य को कोयले के आबंटन के सुझाव के साथ एक पत्र माननीय संसद सदस्य से कोयला मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। इस समय गुजरात की विद्युत उपयोगिताओं को 95% कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) की कोलफील्डों से की जाती है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. निकटतम कोलफील्ड हैं, जहां कोयला दीर्घावधिक आधार पर उपलब्ध है। गुजरात के सभी विद्युत गृह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों के अधीन हैं और उन्हें 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले का उपयोग करना आवश्यक है जो एसईसीएल के कोलफील्डों में उपलब्ध है। इसके अलावा, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की मौजूदा कोयला प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में आगामी वर्षों में कोयला उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होने की संभावना के साथ इस स्तर पर गुजरात के विद्युत संयंत्रों के लिए डब्ल्यूसीएल से स्रोतों के और यौक्तिकीकरण स्तर पर विचार करना संभव नहीं है।

हाथी पुनर्वास केन्द्र

5274. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कप्पूकाडू में एक हाथी पुनर्वास केन्द्र शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल के रूप में भी कार्य करेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 10 करोड़ रुपयों की राशि मांगी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने केरल सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, कप्पूकाडू में हाथी पुनर्वास केन्द्र आरंभ हो गया है और यह एक पारिपर्यटन स्थल के रूप में कार्य करेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत वर्ष 2008-09 और 2009-10 में क्रमशः 63.50 लाख रुपये और 65.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी। इस मांग के प्रति राज्य को वर्ष 2008-09 और 2009-10 में क्रमशः 46.00 लाख रुपये और 65.50 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्डों का एकीकरण

5275. **श्री अमरनाथ प्रधान:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्डों को मिलाकर एक बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो बोर्डों के एकीकरण के बाद पाठ्यक्रम तथा परीक्षा के पैटर्न का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एनईटी प्रमाणपत्रों के वितरण में देर

5276. **श्री नीरज शेखर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) प्रमाणपत्रों के वितरण में देर हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे उम्मीदवार विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों हेतु आवेदन करने में समर्थ नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या एनईटी परीक्षा का आईसीटी का प्रयोग कर ऑटोमेशन करने की जरूरत है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, जून, 2009 में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में कुल 9528 अभ्यार्थियों ने अर्हता प्राप्त की थी। ये परिणाम दिनांक 14 दिसम्बर, 2009 को घोषित किए गए थे तथा परिणामों को प्रकाशित करते समय यह बताया गया था कि सफल अभ्यार्थियों के प्रमाण-पत्र मार्च, 2010 से प्रेषित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, लगभग 3140 प्रमाण-पत्र पहले ही प्रेषित किए जा चुके हैं तथा शेष प्रमाण-पत्र भी इसके द्वारा दो माह के भीतर प्रेषित कर दिए जाएंगे।

(ग) से (ङ) यूजीसी नेट परीक्षा में अर्हता प्राप्त सभी अभ्यार्थी विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों हेतु यूजीसी नेट प्रवेश-पत्र की एक प्रति तथा प्रकाशित परिणाम की एक प्रति संलग्न करके अस्थाई रूप से आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता किसी अभ्यर्थी को अयोग्य नहीं ठहराती है।

जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2010 में आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए "आवेदन पत्रों को आनलाइन जमा करवाने" की योजना लागू कर दी है, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भी स्वचालित प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई है।

विद्यालयों में पर्यावरण विषय

5277. श्री सुखदेव सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने स्कूलों एवं कॉलेजों में पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पर्यावरण को विषय के तौर पर शामिल नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार पाठ्यक्रम में पर्यावरण विज्ञान के घटकों को शामिल किया गया है जो निम्नानुसार है:

(i) कक्षा I और II में इसे भाषा और गणित पाठ्यक्रम के साथ समेकित किया गया है।

(ii) कक्षा III से V के लिए इसका अलग पाठ्यक्रम है।

(iii) कक्षा VI से आगे सभी विषय क्षेत्रों में आवश्यक ईवीएस घटकों को समेकित किया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा I से X तक की सभी कक्षाओं में ईवीएस को एक कार्यकलाप आधारित विषय के रूप में शुरू किया है।

उच्चतर शिक्षा के मामले में बहुत से विश्वविद्यालयों में पर्यावरण विज्ञान एक विषय या अध्ययन पाठ्यक्रम के रूप में हैं।

स्मारकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि

5278. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि आयोग ने ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए कार्पोरेट क्षेत्र के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार और कार्पोरेट क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित संरक्षित स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के संरक्षण तथा परिरक्षण में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए उत्सुक है।

विवरण

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तहत चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा

1. **ताजमहल**

आगरा स्थित ताजमहल में संरक्षण कार्य करने के लिए 21 जून, 2001 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.), राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ.) और इंडियन होटल्स कम्पनी

लिमिटेड (आई.एच.सी.एल.) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आई.एच.सी.एल. एक करोड़ सत्तासी लाख रुपये की निधि प्रदान करने के लिए सहमत हो गया था। कार्य प्रगति पर है।

2. **जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली**

जन्तर मन्तर के प्रदीप्तिकरण, सूचनापट्ट और संरक्षण के लिए 11 दिसम्बर, 2000 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.), राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ.) और एपीजी सुरेन्द्र पार्क होटल्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जन्तर-मन्तर परिसर के अन्दर स्मारकों के सूचनापट्ट और प्रदीप्तिकरण का कार्य पूरा हो गया है।

3. **लोदी गार्डन, नई दिल्ली**

लोदी गार्डन में स्थित पांच स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण, रख-रखाव और भू-दृश्य निर्माण के लिए 10 जनवरी, 2006 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.), राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ.) और स्टील अर्थॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था। इस उद्देश्य के लिए सेल एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। इन्टैक, दिल्ली चैप्टर को निष्पादन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है और पहले चरण का कार्य पहले ही पूरा हो गया है।

4. **जैसलमेर किला, जैसलमेर (राजस्थान)**

जैसलमेर किले के जीर्णोद्धार के लिए 13 अगस्त, 2003 को विश्व स्मारक निधि (डब्ल्यू.एम.एफ.), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.), राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन.सी.एफ.) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व स्मारक निधि ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि को 4,39,000 यूएस डॉलर का वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इस परियोजना के लिए बराबर अनुदान के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति के पास चार करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। प्रायोगिक परियोजना के अधीन यह कार्य प्रगति पर है।

5. **सूर्य मंदिर, कोर्णाक**

सूर्य मंदिर, कोर्णाक पर पर्यटन संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, इण्डियन ऑयल फाउन्डेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 30 मई, 2001 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के लिए आबंटित कुल बजट 13 करोड़ और 8 लाख रुपये हैं। विस्तृत विकास योजना तैयार कर ली गई है और उन्हें अनुमोदन प्राप्त हो गया है। कार्य के वास्तविक निष्पादन से पहले जीपीआरएस सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

6. **खजुराहो मन्दिर, खजुराहो**

खजुराहो स्थित मन्दिरों के समूह के विकास के लिए एक व्यापक विकास योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि और इंडियन ऑयल फाउन्डेशन (आईओएफ) द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित की गई है। परामर्शदाता विस्तृत प्रारूप योजनाओं के विकास की प्रक्रिया में है। विस्तृत योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस परियोजना के अधीन कार्य शुरू किया जाएगा।

7. **कन्हेरी गुफाएं, मुम्बई**

राष्ट्रीय संस्कृति निधि और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से इंडियन ऑयल फाउन्डेशन परियोजना के अधीन कुछ विकास कार्य शुरू करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि और इंडियन ऑयल फाउन्डेशन द्वारा मुम्बई में कन्हेरी गुफाओं की भी पहचान की गई है। कन्हेरी गुफाओं के लिए अवधारणा योजना तैयार करने का कार्य चल रहा है।

8. **वारंगल किला, वारंगल**

वारंगल किला, वारंगल में कुछ विकासात्मक कार्यों को शुरू करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा इंडियन ऑयल फाउन्डेशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्मारक पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है।

9. **बौद्ध स्तूप, वैशाली तथा कोल्हुआ, बिहार**

इन स्मारकों/स्थलों को हाल ही में इंडियन ऑयल फाउन्डेशन प्रायोजित परियोजना के अंतर्गत चुना गया है। कार्य क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए इंडियन ऑयल फाउन्डेशन तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकार के अन्य प्राधिकारियों के एक दल ने हाल ही में प्राचीन स्थलों का दौरा किया है।

10. लौरिया नन्दन गढ़, चंकी गढ़ तथा रामपूर्वा, पश्चिम चम्पारन, बिहार

स्मारक के आसपास के खुले क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं के विकास तथा भूदृश्य निर्माण के लिए 18 दिसम्बर, 2007 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा भारतीय स्टील प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड, बोकारो इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि का अंशदान देने के लिए सहमत हुआ है। विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

11. गोल गुम्बज, बीजापुर

गोल गुम्बज में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा राज्य व्यापार निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य व्यापार निगम 50 लाख रुपये देने के लिए सहमत हुआ है। विस्तृत अनुमान तथा डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं।

12. वजीरपुर का गुम्बद, मुनीरका, नई दिल्ली

वजीरपुर का गुम्बद, मुनीरका, नई दिल्ली में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा पी.ई.सी. लि. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पी.ई.सी. लि. ने 25 लाख रुपये देने की सहमति दी है। पीआईसी की बैठक तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और पीईसी लि. द्वारा स्थल का संयुक्त रूप से दौरा किए जाने के पश्चात किसी अन्य स्मारक का चुनाव करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि वजीरपुर का गुम्बद में कार्य करने की अधिक गुंजाइश नहीं है।

13. कृष्णा मंदिर परिसर, हम्पी, कर्नाटक

कृष्णा मंदिर परिसर, हम्पी के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा हम्पी फाउन्डेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस उद्देश्य के लिए हम्पी फाउन्डेशन ने चार करोड़ रुपये जुटाने की सहमति प्रदान की है।

14. हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली

हिडिम्बा देवी मंदिर, मनाली के संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए 15 जुलाई, 2008 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा यूको बैंक, कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यूको बैंक ने 30 लाख रुपये देने पर सहमति प्रदान की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विस्तृत स्थल प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है।

15. तुगलाकाबाद किला, दिल्ली

तुगलकाबाद किला, दिल्ली के संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए 13 अप्रैल, 2009 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लि. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय गैस प्राधिकरण लि. ने इस परियोजना के लिए 30 लाख रुपये देने की सहमति प्रदान की है।

16. शिवमंदिर, अम्बरनाथ

केन्द्रीय संरक्षित शिव मंदिर, अम्बरनाथ के रखरखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि तथा नागरिक सेवा मंडल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

17. हुमायूं का मकबरा–सुन्दर नर्सरी–निजामुद्दीन बस्ती–शहरी नवीकरण परियोजना

हुमायूं का मकबरा–सुन्दर नर्सरी–निजामुद्दीन बस्ती क्षेत्र के शहरी नवीकरण के लिए 11.7.2007 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम, आगा खां संस्कृति न्यास तथा भारतीय आगा खां फाउन्डेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना मुख्य रूप से निजामुद्दीन क्षेत्र में निम्नलिखित संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा विकास से संबंधित हैं:

1. अताघ खान का मकबरा
2. चौंसठ खम्भा
3. वाउली
4. तिलंगानी का मकबरा
5. लाल महल
6. सुन्दरवाला बुर्ज
7. सुन्दरवाला महल
8. लक्खरवाला मकबरा

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत अन्य प्रस्ताव

(i) लाइट ऑफ बुद्ध धर्म फाउन्डेशन इंटरनेशनल (एलबीडीएफआई)–इण्डिया समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ii) मांडु, जागेश्वर तथा धोली समझौते पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

[हिन्दी]

सरयू नहर परियोजना को मंजूरी

5279. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरयू नहर परियोजना को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना से कितने वन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) प्रभावित वन क्षेत्र की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरयु नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश को अप्रैल, 1979 और जून, 2000 में क्रमश: वन और पर्यावरण दोनों प्रकार की मंजूरी प्रदान की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) इस परियोजना में 398.15 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है और प्रतिपूरक वनीकर करवाने के लिए राज्य सिंचाई विभाग द्वारा पश्चिमी बहराईच प्रभाग को 427.84 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध कराया गया था।

केजीबीवी में शिक्षकों की नियुक्ति

5280. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत शिक्षकों तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन घटक के लिए 100 बालिकाओं तथा 50 बालिकाओं (मॉडल 1 तथा 2) के लिए छात्रावासों वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12.00 लाख रु. प्रति वर्ष तथा मौजूदा स्कूलों (मॉडल 3) में छात्रावासों के लिए 6 लाख रु. प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकारों के निबंधन और शर्तों के अनुसार स्थाई या संविदा आधार पर की जाती है।

वनों के संरक्षण

5281. श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 13वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों को वन संरक्षण हेतु 5000 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को लागू करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 13 वें वित्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि वनों के विकास और संरक्षण के लिए हरित बोनस दिया जाना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। तेहरवें वित्त आयोग ने वनों के संरक्षण हेतु राज्यों को 5000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है।

(ख) से (घ) सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। अनुदान के राज्य-वार आबंटन को निर्धारित करने के फॉर्मूले में तीन कारकों पर विचार किया जाता है अर्थात देश के कुल वन क्षेत्र का उस राज्य विशेष में आने वाला हिस्सा, क्या राज्य के कुल क्षेत्रफल का वनीकृत क्षेत्र का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से अधिक है या नहीं तथा सघनता के आधार पर मापते हुए प्रत्येक राज्य में वन की गुणवत्ता।

(ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष (2010-2011) के दौरान निर्धारित की गयी राज्यवार निधियां संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2010-11) के दौरान निर्धारित राज्यवार निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटित धनराशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	90.98
3.	असम	23.08
4.	बिहार	4.80
5.	छत्तीसगढ़	51.39
6.	गोवा	4.61
7.	गुजरात	10.24
8.	हरियाणा	1.10
9.	हिमाचल प्रदेश	12.58
10.	जम्मू और कश्मीर	16.63
11.	झारखंड	18.93
12.	कर्नाटक	27.63
13.	केरल	16.94
14.	मध्य प्रदेश	61.29
15.	महाराष्ट्र	38.70
16.	मणिपुर	18.79
17.	मेघालय	21.01
18.	मिजोरम	21.40
19.	नागालैंड	17.32
20.	उड़ीसा	41.37
21.	पंजाब	1.15
22.	राजस्थान	11.04
23.	सिक्किम	5.07
24.	तमिलनाडु	17.81
25.	त्रिपुरा	11.94
26.	उत्तर प्रदेश	10.06
27.	उत्तराखंड	25.68
28.	पश्चिम बंगाल	9.88
	कुल	625.00

[अनुवाद]

शास्त्रीय भाषाओं के लिए प्रोफेशनल चेयर्स

5282. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुनिंदा विश्वविद्यालयों में विद्वानों के लिए शास्त्रीय भाषाओं हेतु प्रोफेशनल चेयर्स का गठन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर तेलुगू भाषा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रत्येक भाषा के लिए निर्धारित एवं खर्च की गई धनराशि कितनी है; और

(घ) सरकार के पास प्रत्येक भाषा के लिए कितनी मांगे अब भी लंबित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। तमिल, कन्नड़ और तेलुगू की शास्त्रीय भाषाओं में प्रोफेशनल चेयर्स का गठन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निर्धारित और खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

भाषा	संस्कृत		तमिल		तेलुगु और कन्नड़	
वर्ष	बजट अनुमान	खर्च	बजट अनुमान	खर्च	बजट अनुमान	खर्च
2007-08	3600.00	3745.00	500.00	410.00	0.00	0.00
2008-09	4600.00	4600.00	1200.00	450.00	0.00	0.00
2009-10	4900.00	6092.00	1500.00	859.00	0.00	0.00
2010-11	5200.00	0.00	1600.00	0.00	150.00	0.00

(घ) शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में इस मंत्रालय के पास कोई मांग लंबित नहीं है।

सागर विकास परियोजना

5283. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सागर विकास परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च 2010 तक देश में लागू की जा रही विभिन्न सागर विकास परियोजनाओं का प्रत्येक परियोजना की स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अगले दो वर्षों में बजटीय आबंटन बढ़ाने तथा सागर विकास परियोजनाओं पर और अधिक संकेन्द्रण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान महासागर विकास परियोजनाओं के लिए आबंटित कोष की राशि क्रमश: 354.00 करोड़ रु., 255.00 करोड़ रु. और 401.62 करोड़ रु. थी। कुल 24 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से 19 तय समय के अनुसार अच्छी तरह चल रही हैं। इनमें शामिल हैं: (1) समुद्री प्रेक्षण एवं सूचना प्रणाली (ओओआईएस), (2) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र, (3) ध्रुवीय विज्ञान, (4) राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र (एनसीएओआर), (5) आर्कटिक अभियान, (6) हिम श्रेणी अनुसंधान जलयान, (7) बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम, (8) महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं का सीमांकन, (9) व्यापक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, (10) गैस हाइड्रेट अन्वेषण एवं दोहन के लिए प्रौद्योगिकी विकास, (11) विलवणीकरण प्रौद्योगिकी, (12) एकीकृत समुद्र वेधन कार्यक्रम (आईओडीपी), (13) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), (14) मानवयुक्त पनडुब्बीनुमा यंत्र का विकास, (15) प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से तट संरक्षण उपायों का प्रदर्शन, (16) तटीय अनुसंधान जलयान (सीआरवी), (17) सागर निधि का प्रचालन एवं रखरखाव, (18) समुद्री अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं तथा (19) सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली।

शेष पांच परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

(20) मुख्यत: पैसा बरबाद होने के कारण डेटा ब्यॉय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में समस्या हो रही है। सागर मंजूषा का उपयोग करके पैसा बरबाद होने की समस्या से निजात पाने के लिए नए डिजाइन के ब्यॉय के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। (21) बहु-चैनल भूकंपीय प्रणाली-ओआरवी सागर कन्या को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। (22) सी-फ्रंट वाली आवश्यक भूमि को प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ चर्चा करने के बाद सी-फ्रंट सुविधा परियोजना चालू की जाएगी। (23) एनआईओटी विस्तार केंद्र, पश्चिम बंगाल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। (24) राष्ट्रीय समुद्रशाला भूमि प्राप्त करने की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संभवत: केरल और गोवा में कार्यान्वित की जानी है।

(ग) और (घ) जी हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अगले दो वर्षों में महासागर विकास परियोजना के लिए मंत्रालय के

आबंटन की राशि बढ़ाकर वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमश: 464.55 करोड़ रु. और 693.77 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव है।

मुल्लापेरियार बांध संबंधी पैनल

5284. श्री जी.एस. बासवराज: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने केरल में मुल्लापरियार बांध की शक्ति और क्षमता की परीक्षा हेतु तकनीकी विधिक पैनल की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पैनल की लागत को साझा करने के संबंध में केन्द्र सरकार, केरल तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों के बीच कोई सहमति हो पाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य विरुद्ध केरल राज्य के बीच 2006 के मूल वाद सं. 3 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.02.2010 और 29.03.2010 के अपने आदेशों द्वारा केन्द्र सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा माननीय डॉ. ए.एस. आनंद, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के साथ परामर्श से तमिलनाडु और केरल राज्य, प्रत्येक द्वारा नामित एक सदस्य और अध्यक्ष के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा नामित विवाद से असंबद्ध दो तकनीकी विशेषज्ञों वाली एक अधिकारप्राप्त समिति स्थापित करने का निर्देश दिया। समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक सीमित ना रहते हुए उनके समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों पर वाद के पक्षकारों को सुनेगी।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार, समिति के सभी खर्चों का वहन करेगी।

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला अनुबंधन

5285. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रचुर कोयला भंडार होने के बावजूद देश के कोयला भंडारों का लगभग एक-तिहाई खनन हेतु अनुपलब्ध रहेगा क्योंकि इन क्षेत्रों को अब खनन की अनुमति हेतु पारिस्थितिकीय दृष्टि से बेहद भंगुर के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चार विभिन्न स्थानों पर अल्ट्रा मेगा ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विचाराधीन आकस्मिक योजना क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, नहीं। श्रेणी ए तथा श्रेणी बी के कोयला ब्लाकों में कोयला ब्लाकों को निर्धारित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अधीन एक अध्ययन किया जा रहा है। जब एक कोयला ब्लाक में विशाल वन क्षेत्र अथवा घना वन अथवा विशाल भू-भाग का स्वरूप होता है अथवा यह महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्र में स्थित होता है तो यह श्रेणी "ए" में आएगा। ऐसे क्षेत्रों में वन स्वीकृति के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शेष क्षेत्र "बी" श्रेणी में आएंगे जहां स्वीकृति के आवेदनों पर विचार किया जाएगा और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तथापि, यह अध्ययन आरंभिक अवस्था में है और आगे की योजनाओं पर उपर्युक्त अध्ययन के पूरा हो जाने के पश्चात ही विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) विशिष्ट अभिज्ञात कोयला ब्लाकों को चार अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के साथ लिंक किया गया है जिन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा टेरिफ आधारित बोली के आधार पर आबंटित किया जा रहा है और कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए ऐसी विद्युत परियोजना के लिए कोई आकस्मिक योजना कोयला मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

साइंस मैग्नेट स्कूल

5286. श्री प्रदीप माझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों से आगे के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं संस्कृति की शिक्षा देने के लिए आवासीय साइंस मैग्नेट स्कूल प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे स्कूलों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में साइंस मैग्नेट स्कूलों की स्थापना हेतु स्थानों तथा अन्य क्रियाविधियों के चयन हेतु मानदंड को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष में राज्य-वार ऐसे कितने स्कूलों की स्थापना किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं वाले आवासीय विज्ञान मैग्नेट विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि प्रतिभावान विद्यार्थियों में मौलिक विज्ञान के प्रति रुचि विकसित की जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ब्रिक सम्मेलन

5287. श्री अब्दुल रहमानः क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्राजील में हाल ही में हुए सम्मेलन में नई विश्व व्यवस्था प्राप्त करने के क्रम में विकासशील देशों को ग्रेटर वॉयस ग्रुप बनाने के लिए ब्राजील, रूस, भारत और चीन (बीआरआईसी) ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सरल सुधार पर जोर डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिकी डॉलर को बाईपास करते हुए सभी व्यापार संरक्षणवाद का प्रतिरोध करने और एक-दूसरे के साथ वाणिज्य बढ़ाने हेतु स्थानीय मुद्राओं में कार्य करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। ब्रासिलिया में हाल ही में आयोजित ब्राजील, रूस, भारत और चीन (बीआरआईसी) शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के सुधार का आह्वान किया गया। शिखर सम्मेलन के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि इन संस्थानों के शासन-संरचनाओं में सुधार के लिए उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के पक्ष में मताधिकार में पर्याप्त बदलाव जरूरी है और साथ ही इसमें आईएमएफ और विश्व बैंक में प्रमुखों की स्थिति के लिए एक खुली एवं योग्यता आधारित चयन विधि एवं इन संस्थानों के कर्मचारियों में विकासशील देशों की बढ़ी हुई भागीदारी का आह्वान किया गया।

(ग) और (घ) बीआरईसी शिखर सम्मेलन में सभी देशों से व्यापार संरक्षणवाद के सभी रूपों का विरोध करने की अपील की गई। बीआरआईसी देश में बीआरआईसी देशों के बीच स्थानीय मुद्रा व्यापार समाशोधन व्यवस्था सहित मौद्रिक सहयोग की अध्ययन व्यवहार्यताओं पर सहमत हैं, ताकि व्यापार और निवेश को सरल बनाया जा सके।

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर डाटाबेस

5288. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक ज्ञान का स्वयं का डाटाबेस बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करने के लिए छात्रवृत्ति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इस मिशन में एक डेटा बेस सहित जानकारी संबंधी एक प्रणाली तैयार करने पर विचार किया गया है जो पारिस्थितिकीय रूप से सतत विकास के उद्देश्य के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने में राष्ट्रीय कार्रवाई को सूचित करेगी और इसमें सहायता करेगी।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत में चुनिंदा पर्यावरणीय विद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनुसंधान करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों हेतु राष्ट्रीय पर्यावरणीय विज्ञान फैलो कार्यक्रम आरंभ किया है।

नदियों का पुनरुद्धार

5289. श्री प्रबोध पांडाः क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न नदियों के पुनरुद्धार एवं विकास संबंधी सरकार की योजनाओं के इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पुनरुद्धार और विकास हेतु राज्य-वार कितनी नदी परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को उक्त उद्देश्य हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) देश में नदियों के जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। प्रदूषण कम करने के कार्यों में नदी में आने वाले अपरिष्कृत सीवेज को रोकने के लिए अवरोधन एवं डाइवर्जन कार्य, सीवेज उपचार संयंत्रों का विकास; नदी तटों के समीप अल्प लागत स्वच्छता कार्य; विद्युत और/अथवा सुधार किए गए लकड़ी आधारित क्रेमेटोरिया कार्य; स्नान घाटों का सुधार आदि जैसे नदी के सम्मुख विकास कार्य शामिल हैं। शहरी जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद कुछ क्षेत्रों में विभिन्न नदियों की जल गुणवत्ता जैविक प्रदूषण में कमी दर्शाती है।

वर्तमान में योजना में 38 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के साथ-साथ 20 राज्यों में 167 नगर शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आबंटित एवं जारी की गई निधि का विवरण दर्शाते हुए राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों एवं व्यय का ब्यौरा

सं.	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या		व्यय (करोड़ रुपये में)		
		स्वीकृत	पूर्ण	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	25	20	67.96	25.38	36.89
2.	बिहार	18	14	0.00	0.00	15.37
3.	दिल्ली	23	12	14.87	47.57	66.50
4.	गोवा	5	1	0.70	0.00	0.00
5.	गुजरात	13	13	0.25	1.49	0.00
6.	हरियाणा	127	117	3.15	20.80	14.90
7.	झारखंड	15	6	0.00	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	42	27	2.75	2.25	0.00
9.	केरल	6	0	1.00	1.00	0.00
10.	मध्य प्रदेश	69	57	6.75	3.35	0.90
11.	महाराष्ट्र	31	21	5.21	0.35	7.38
12.	नागालैंड	6	0	0.00	0.00	0.00
13.	उड़ीसा	22	13	7.06	16.44	0.00
14.	पंजाब	60	50	44.30	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
15.	राजस्थान	8	5	0.00	0.00	20.00
16.	सिक्किम	5	0	4.79	5.00	15.00
17.	तमिलनाडु	83	51	18.40	9.52	3.10
18.	उत्तर प्रदेश	257	214	37.66	105.60	112.80
19.	उत्तराखंड	51	29	3.37	2.50	17.93
20.	पश्चिम बंगाल	219	152	23.70	29.60	57.08
	कुल	1085	802	241.92	270.85	367.85

जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन संस्थान

5290. श्रीमती मीना सिंहः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन संस्थान की स्थापना करने हेतु बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किए हैं अथवा जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक राज्य-वार कितने जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सरकार ने जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन संस्थान की स्थापना करने के लिए बिहार सहित राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं और न ही जारी करने का प्रस्ताव है। अब तक ऐसा कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

कार्बन स्पेस की इक्विटी

5291. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मीः क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्बन स्पेस की इक्विटी पर कोई अध्यय प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्यय के कब तक पूरे किए जाने की संभावना है और सरकार को कब तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार समानता और साझा किंतु भिन्न-भिन्न दायित्वों और अपनी-अपनी कार्यक्षमताओं के सिद्धांत पर जलवायु परिवर्तन के हल के लिए भारत सहित सभी देशों की कठिनाई को निर्देशित करता है। सरकार ने इस मामले और विशेष रूप से कार्बन स्पेस की समानता के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

मझोले उद्योगों के लिए धनराशि

5292. श्री आनंद प्रकाश परांजपेः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव क्लिनिकल शोध, कृषि-जैव प्रौद्योगिकी, स्टेम कोशिकाओं आदि जैसे कार्यकलापों में लगे मझोले उद्योगों को मदद करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ तथा ऐसोसिएशन ऑफ बायोटेक लेड इंटरप्राइजेज के साथ काम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज

चव्हाण): (क) और (ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास क्लिनिकल शोध, कृषि जैवप्रौद्योगिकी, स्टेम कोशिकाओं आदि जैसे कार्यकलापों में लगे मझोले उद्योगों को सहायता देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ और एसोसिएशन ऑफ बायोटेक लेड इंटरप्राइजेज के साथ काम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि जैवप्रौद्योगिकी विभाग जैवप्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से (i) "लघु व्यवसाय नवीन अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) और (ii) "जैवप्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारिता कार्यक्रम (बीआईपीपी)" के अंतर्गत मझोले उद्योगों को सहायता प्रदान करता है। योजना और निधियन तंत्र का विवरण विभाग की वेबसाइट www.dbtindia.nic.in पर देखा जा सकता है।

पगलाडिया बांध परियोजना

5293. श्रीमती रानी नरह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में पगलाडिया बांध परियोजना के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान परियोजना के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार आबंटित की गई कितनी धनराशि है;

(घ) क्या उक्त परियोजना के निर्माण में विलम्ब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) इस परियोजना के समय पर पूरा किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 542.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जनवरी, 2001 में पागलाडिया बांध परियोजना के निर्माण एवं निष्पादन को स्वीकृति दे दी थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया था। परियोजना में पगलाडिया नदी के अंदर स्पिलवे के साथ 26.20 मीटर ऊंचे और 23 किमी. लंबे भूमि बांध की परिकल्पना की गई है। परियोजना 40000 हेक्टेयर के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए बाढ़ में कमी, 54,160 हेक्टेयर के क्षेत्र की सिंचाई और विद्युत के सृजन (3 मेगावाट) के लिए है। हालांकि असम की राज्य सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण पूरा ना किए जाने के कारण परियोजना का कार्य रुका हुआ है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संघ सरकार द्वारा आबंटित की गई निधि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित की गई निधि
1.	2007-09	1.00
2.	2008-09	2.00
3.	2009-10	0.50
4.	2010-11	0.50

(घ) से (च) पगलाडिया बांध परियोजना का कार्य जिरात सर्वेक्षण (संपति आकलन) के पूरा ना होने और असम की राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिप्राप्ति के कारण लंबित हो रहा है। असम सरकार और साथ ही बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के साथ समन्वय से मुद्दे के समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव, असम सरकार द्वारा 23.10.2009 को ली गई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान बांध स्थल पर सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुत्र बोर्ड को असम-भूटान सीमा के नजदीक वैकल्पिक परियोजना स्थल के लिए अन्वेषण शुरू करना चाहिए। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वैकल्पिक स्थल पर अन्वेषण कार्य शुरू कर दिए हैं।

दत्तक ग्रहण अवकाश

5294. डॉ. मन्दा जगन्नाथ: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने दिन के अवकाश की अनुमति है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिशु दत्तक-ग्रहण अवकाश कार्यालय ज्ञापन सं. 13018/4/2004-स्थापना (एल) दिनांक 31.3.2006 द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में, 180 दिवस का शिशु दत्तक-ग्रहण अवकाश ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी को उपलब्ध है, जिसके एक वर्ष से कम आयु के शिशु के वैद्य दत्तक-ग्रहण पर, दो जीवित बच्चों से कम बच्चे हों। शिशु दत्तक-ग्रहण अवकाश अवधि के दौरान, सरकारी कर्मचारी को अवकाश पर जाने से तुरंत पूर्व आहरित वेतन के समकक्ष अवकाश वेतन का भुगतान किया जाता है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

5295. डॉ. मुरली मनोहर जोशी: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2009 में ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सुचकांक से अधिक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामान्य परिस्थितियों में थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अधिक रहता है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) वर्ष 2009 तथा वर्ष 2010 के पिछले कुछ माह के दौरान देश में थोक की तुलना में खुदरा में अधिक अंतर रहने के कारण क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में 2009 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित (बिंदुवार) मासिक खाद्य स्फीति सामान्यत: खाद्य के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित स्फीति से अधिक रही है। वर्ष 2009 और 2010 के उपलब्ध महीनों के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण-**I** पर विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में, डब्ल्यूपीआई पर आधारित स्फीति, सामान्यत: सीपीआई पर आधारित स्फीति से अधिक नहीं होती जैसा कि संलग्न विवरण-**II** पर ग्राफ में दर्शाया गया है।

(ङ) सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में शामिल वस्तुओं के अधिमानों और संघटन में अन्तरों के कारण, वस्तुओं के मूल्य सूचकांकों से समाहारित करने पर ये दो सूचकांक सामान्यत: भिन्न-भिन्न होते हैं। अत: खुदरा और थोक भावों के अंतरों में रुझानों के अनुमकों का सही-सही आकलन नहीं किया जा सकता।

विवरण I

ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पर आधारित खाद्य (प्रतिशत)

माह	खाद्य (सीपीआई आरएल)	खाद्य (डब्ल्यूपीआई)
जनवरी, 2009	12.96	9.50
फरवरी, 2009	11.59	9.07
मार्च, 2009	9.98	7.38
अप्रैल, 2009	9.09	9.04
मई, 2009	11.16	9.56
जून, 2009	12.44	10.80
जुलाई, 2009	14.22	12.67
अगस्त, 2009	14.13	13.32
सितंबर, 2009	14.63	14.67
अक्तूबर, 2009	15.33	14.24
नवंबर, 2009	18.14	19.33
दिसंबर, 2009	20.43	20.47
जनवरी, 2010	20.78	20.4
फरवरी, 2010	19.26	19.05 (अनं.)
मार्च, 2010	उ.न.	17.66 (अनं.)

उ.न: उपलब्ध नहीं
अनं अनंतिम

टिप्पणियां:

1. खाद्य (सीपीआईआरएल): ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में सीपीआई का खाद्य समूह

2. खाद्य (डब्ल्यूपीआई): मिश्रित खाद्य सूचकांक जिसमें ऑयल केक्स और पशु आहार को छोड़कर प्राथमिक खाद्य वस्तुएं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद शामिल होते हैं।

विवरण II

वर्ष 2005 से 2009 के दौरान सीपीआई (आरएल) और डब्लूपीआई पर आधारित मुद्रा स्फीति

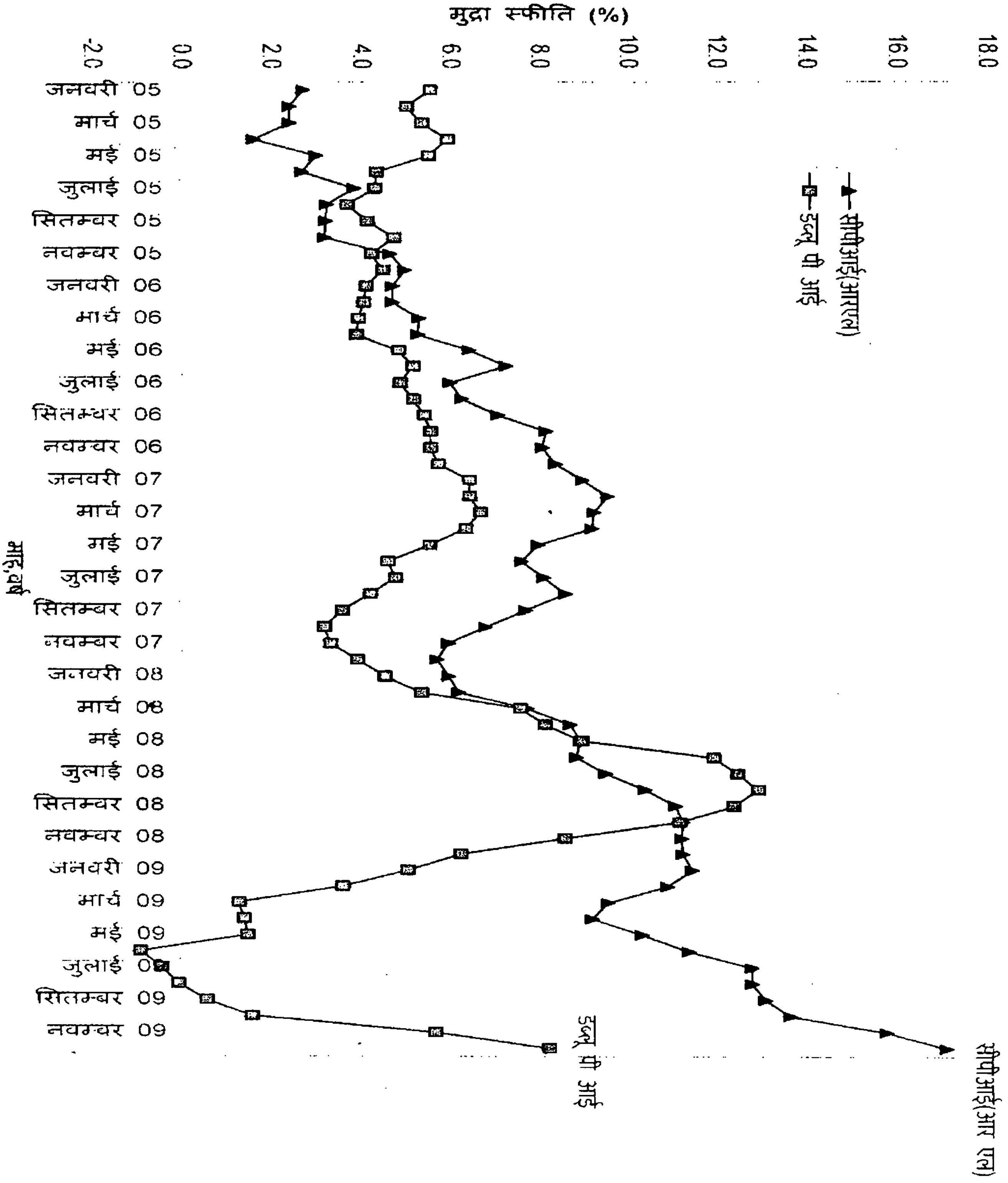

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

5296. श्री अर्जुन मेघवाल:
श्रीमती भावना पाटील गवली:
श्री भक्त चरण दास:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री सी. राजेन्द्रन:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री राकेश सिंह:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री पी.आर. नटराजन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु संसद सदस्य विवेकाधिकार कोटा को निरस्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय विद्यालय ने प्रस्याशा में शिक्षा वर्ष 2010–11 के लिए संसद सदस्य कूपन जारी करना बंद कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की गुणवत्ता और अधिदेश को कमजोर होने से बचाने तथा कक्षाओं में विद्यालयों की अत्यधिक संख्या को रोकने के मद्देनजर अकादमिक सत्र 2010–11 से केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में दाखिले के लिए संसद सदस्यों के विशेष छूट के कोटे को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। क्योंकि विशेष छूट के कोटे को समाप्त कर दिया गया है इसलिए संसद सदस्यों का कूपन जारी करने का कोई मुद्दा नहीं है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कार्यों को स्वीकृत न किया जाना

5297. श्री यशवीर सिंह: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एमपीलैड्स के तहत कार्यों को स्वीकृत न करने के संबंध में कतिपय शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को एमपीलैड्स कोष से कमीशन की मांग करने वाले कतिपय संसद सदस्यों के खिलाफ भी शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एमपीलैड योजना के अंतर्गत कार्यों की मंजूरी न देने के बारे में इस मंत्रालय में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि, यह मामला जिला प्राधिकारियों से संबंधित है, इसलिए ये शिकायतें, दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन अनुपालन के लिए उन्हें भेजी जाती हैं। मंजूरी देने में विलंब के कारणों में, जैसा कि जिला प्राधिकारियों द्वारा बताया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ, तकनीकी व्यवहार्यता, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लागत प्राक्कलन तैयार करना, भूमि की उपलब्धता, वन अनुमति, इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय में, कुछ सांसदों द्वारा कथित रूप से कमीशन की मांग करने के संबंध में, जनता से दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। उन्होंने सूचित किया है कि कार्यों के निष्पादन से पूर्व, सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों को स्वयं रद्द कर दिया गया था, जो दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमेय है। इसलिए, ऐसी शिकायतों में कोई सार नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय तीर्थ स्थल

5298. श्री एम. पीताम्बर कुरूप: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने राष्ट्रीय तीर्थस्थल हैं;

(ख) राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से सबरीमाला संस्था मंदिर को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में घोषित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय तीर्थ केन्द्र घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने देश भर के 3675 स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है जिनमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, महल, गुफाएं, उत्कीर्ण लेख, आदि शामिल हैं।

(ख) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के उपबंधों के अंतर्गत 100 वर्षों से अधिक समय से विद्यमान ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक महत्व के स्मारकों/स्थलों को केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है।

(ग) ऐसा कोई अनुरोध संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.आई.टी. में निदेशकों/प्रोफेसरों की नियुक्ति

5299. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टी.) में निदेशकों/प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या आई.आई.टी. में इन पदों पर नियुक्ति में एससी/ओबीसी के लिए आरक्षण लागू है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के अध्यक्ष खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, विजिटर, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात एक प्रख्यात अकादमिक व्यक्तित्व को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक नियुक्त करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद की अगली बैठक में इस मामले का अनुसमर्थन किया जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसरों की नियुक्ति संबद्ध निदेशक की अध्यक्षता में चयन समिति, जिसमें विजिटर के एक नामिति, सीनेट के एक नामिति (सीनेट के सदस्य से इतर) और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दो नामिति (जिनमें एक विशेषज्ञ हो परंतु बोर्ड का सदस्य न हो) शामिल होंगे, की सिफारिश पर संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा की जाती है। पदधारियों के पास प्रथम श्रेणी में पी.एच.डी. अथवा उसी के समकक्ष बहुत अच्छा अकादमिक रिकार्ड होना चाहिए तथा न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए जिसमें से आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आईआईएसईआर अथवा एनआईटीआईई में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर अथवा किसी अन्य भारतीय अथवा विदेशी संस्था/समतुल्य मानकों वाली संस्थाओं में समान स्तर का कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ख) और (ग) आरक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में सहायक प्रोफेसर और लेक्चरर के पदों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इतर विषयों के सभी संकाय पदों में लागू होता है।

पशु कल्याण बोर्ड

5300. श्री रमाशंकर राजभर:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पशुओं के प्रति बढ़ते अत्याचार को देखते हुए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पशुओं के प्रति बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम, 1960 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के

अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए एडब्ल्युबीआई को निधियां प्रदान करती है। वर्तमान सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, सरकार द्वारा एडब्ल्यूबीआई के निष्पादन की नियमित रूप से मॉनीटरी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुओं पर की गई क्रूरता के पंजीकृत मामलों की संख्या निम्नलिखित है।

1. 2007-08 (123 मामले)
2. 2009-09 (110 मामले)
3. 2009-10 (140 मामले)

सरकार पीसीए अधिनियम के अधिदेश के पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है ताकि पशुओं के प्रति क्रूरता को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

माइक्रो/नैनो प्रौद्योगिकीय आविष्कारों हेतु धनराशि

5301. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाजार में माइक्रो/नैनो प्रौद्योगिकीय आविष्कार शुरू करने के लिए किसी विशेष कोष की स्थापना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) देश में माइक्रो/नैनो प्रौद्योगिकीय आविष्कारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का संवधन और नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुप्रयोगों का विकास देश में इस उभर रही प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने हेतु सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण अंग हैं। यह सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रु. के आबंटन के साथ वर्ष 2007 में शुरू किए गए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) का एक महत्वपूर्ण घटक है। नैनो मिशन के अंतर्गत, ताप–नियंत्रित वस्त्रों, एंटीबैक्टीरियल युक्त स्मार्ट टेक्सटाइल्स, सेल्फ क्लीनिंग एवं ज्वलन रोधी गुणों, नैनो फाइबर्स पर आधारित नव-उत्पाद ऑटो फिल्टर्स, टायर अनुप्रयोगों के लिए नैनोफिलर्स, जल परिशोधन प्रणालियों, नैनो पदार्थ–आधारित सौर कोशिकाओं आदि का विकास शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया है। नैनो मिशन के अंतर्गत 142.45 करोड़ रु. की कुल लागत पर मोहाली (पंजाब) में एक नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएनएसटी) की भी स्थापना की जा रही है जिसके द्वारा कृषि एवं जैव नैनो प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग पर बल दिया जाएगा। सरकार की अन्य वैज्ञानिक एजेंसियां तथा संस्थान भी अपने अधिकार क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी विकास एवं आविष्कारों को प्रोन्नत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, माइक्रो एवं नैनो-इलेक्ट्रोनिक्स में अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों के लिए समुन्नत सुविधाओं की स्थापना की गई है। नैनो-सिल्वर-आधारित एक जल परिशोधन प्रणाली पहले ही उद्योग को अंतरित की जा चुकी है। जले हुए तथा जख्म संक्रमणों के उपचार के लिए एक नैनो-सिल्वर आधारित जेल का नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है। कुछ नैनोसाइड्स, जो कीटों की व्यापक प्रजातियों को नियंत्रित कर सकते हैं, का विकास किया गया है और ये मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में नैनो पार्टिकल-आधारित ड्रग डिलिवरी, नैदानिक प्रणालियों, ऊत्तक इंजीनियरी, स्मार्ट पैकेजिंग सामग्रियों, काष्ठ अनुप्रयोगों के लिए नैनोफिलर्स आदि पर कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

सरस्वती नदी की खोज

5302. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भूमिगत सरस्वती नदी की खोज करने और उसके जल का दोहन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप इसमें कितनी सफलता मिली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय का भूमिगत सरस्वती नदी की खोज तथा इसके जल का दोहन करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने (क) लिबियन ग्रेट मैनमेड नदी परियोजना के समान परिस्थितियों के होने तथा भारत के सूखा प्रवण शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उनके दोहन की जांच तथा (ख) वैकल्पिक रूप से, राज्य भूजल बोर्डों तथा केन्द्रीय भूजल निकायों जैसे अभिकरणों द्वारा अन्यथा काम में ना लाए जाने वाले भारत के सूखा प्रवण शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में भूजल के दोहन हेतु गहरे जलभृतों का निर्धारण करने के उद्देश्य

से भारत के सूखा प्रवण शुष्क/अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में गहरे भूजल संसाधनों की खोज करने के लिए "ओएनजीसी परियोजना सरस्वती" नामक एक परियोजना आरंभ की है। ओएनजीसी ने सूचित किया कि वर्टिकल इलैक्ट्रिकल साउंडिंग सर्वेक्षण परिणाम के आधार पर निर्धारित किए गए एक स्थापना स्थल पर ड्रिलिंग का कार्य आरंभ किया गया तथा जैसलमेर शहर के निकट 554 मीटर तथा कुएं (सरस्वती-I) की ड्रिलिंग की गई तथा प्रति घंटे 76000 लीटर की दर से पर्याप्त रूप से कम लवणीय जल (3050 मिलिग्राम प्रति लीटर) प्राप्त किया गया।

रोक बांधों का निर्माण

5303. श्री मुकेश भैरवदानजी गढवी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रोक बांधों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गुजरात सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) भारत सरकार "भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन" के लिए एक योजना स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन से संबंधित प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं ताकि विभिन्न जल विज्ञानीय तंत्र के लिए उपयुक्त भूमि जल पुनर्भरण तकनीकों को लोकप्रिय बनाया जा सके। इन परियोजनाओं के अंतर्गत चैक बांधों, टपक टैंकों, पुनर्भरण शाफ्ट इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार की कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। XIवीं योजना के दौरान प्रदर्शनात्मक पुनर्भरणीय परियोजनाओं के वास्ते 100 करोड़ रुपये का प्रावधान मौजूद है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) में 8 राज्यों से चैक बांधों के घटक वाले 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि गुजरात सरकार से चैक बांधों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 18 परियोजनाओं में से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 5.30 करोड़ रुपये की लागत से 175 चैक बांधों के निर्माण से संबंधित 5 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा राज्यों को 3.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। चैक बांधों के निर्माण के लिए आबंटित और जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान चैक बांधों के निर्माण के लिए राज्यों को सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.स.	राज्य	2007-08 में आबंटित	2007-08 में जारी	2008-09 में आबंटित	2008-09 में जारी	2009-10 में आबंटित	2009-10 में जारी
1.	तमिलनाडु	0	*66.94	0	0	76.400	53.480
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	*39.120	110.670	77.470
3.	केरल	0	0	4.995	1.498	0	0
4.	कर्नाटक	0	0	0	*22.110	82.450	57.715
5.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	260.00	182.00
6.	मध्य प्रदेश	0	0	0	*16.267	0	0
	कुल	0	66.94	4.995	78.995	529.520	370.665

*XIवीं योजना स्कीम से आगे लाया गया।

[हिन्दी]

मदरसों को वित्तीय सहायता

5304. श्री राम सुन्दर दास:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री महेन्द्रसिंह पी चौहाण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उन मदरसों का ब्यौरा क्या है जहां धार्मिक शिक्षा के अलावा अधुनिक शिक्षा भी दी जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन मदरसों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) इन मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने और रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना के अंतर्गत मदरसों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10	
		मदरसों की संख्या	जारी की गई राशि	मदरसों की संख्या	जारी की गई राशि	मदरसों की संख्या	जारी की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	81	48.60	73	39.6		
2.	असम	–	–	500	360		
3.	बिहार	111	79.92	–	–		
4.	उड़ीसा	145	104.4	151	108.72		
5.	मध्य प्रदेश	889	75.11	979	350.64	329	561.35
6.	महाराष्ट्र	–	–	4	2.87		
7.	केरल	–	–	425	291.03		
8.	त्रिपुरा	1.27	45.72	127	45.72	129	374.18
9.	उत्तर प्रदेश	4178	3010.54	3217	4479.3	1356	3190.47
10.	छत्तीसगढ़	–	–	191	112.92		
11.	चंडीगढ़	–	–	1	0.36		
12.	झारखंड	5531	3364.29	5668	5791.1	164	497.18

(ग) मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना मुख्य रूप से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को समतुल्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं के छात्रों को अवसर प्रदान करती है। यह योजना मदरसों को अपने पाठयक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि छात्र वरिष्ट माध्यमिक स्तर तक इन विषयों में अकादमिक प्रवीणता प्राप्त कर सकें। इससे उन्हें अध्ययन के उच्चतर स्तर तक प्रगति करने के और रोजगार बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे।

[अनुवाद]

रिक्तियों का भरा जाना

5305. श्री एस. अलागिरी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देश और नियमावली के अध्यधीन सरकारी विभागों में आवश्यकतानुसार रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दिशानिर्देशों/नियमावली के परिणामस्वरूप कालांतर में समूह और के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है; जबकि समूह- के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (घ) सभी रिक्त पद संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी कार्यात्मक जरूरतों के अनुरूप विभिन्न पदों के लिए तैयार किए गए संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाते हैं।

दिनांक 31.03.2009 तक प्रचलन वाले सिविल पदों, पर सीधी भर्ती को इष्टतम बनाने की स्कीम के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से दो-तिहाई सीधी भर्ती वाले पदों को सरेन्डर करना अपेक्षित था तथा उन्हें एक-तिहाई सीधी भर्ती वाले पदों को भरने की अनुमति दी गई थी। तथापि, स्कीम में इस आशय के लचीले खण्ड का प्रावधान किया गया था कि संबंधित मंत्रालय/विभाग कार्यात्मक जरूरत पर निर्भर बचाव/सुरक्षा/संचालनात्मक आधारों पर, उन पदों, जो कम संवेदनशील हों, के स्थान पर कुछ पदों को भर सकते हैं। इसलिए किसी विशेष वर्ष में भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या की समग्र सीमा के भीतर मंत्रालयों/विभागों की अपनी जरूरतों के अनुसार रिक्त पदों को भरने की स्वतंत्रता थी। व्यय विभाग द्वारा संकलित तथा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 तथा 2007-08 के दौरान नियमित केन्द्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारियों (संघशासित क्षेत्रों सहित) की समूहवार अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'
2003-04	73,800	1,62,110	20,45,291
2007-08	80,738	1,37,131	21,31,284

ऑप्टीमाइजेशन स्कीम को अब दिनांक 1.4.2009 से बंद कर दिया गया है, जिससे प्रतिवर्ष दो-तिहाई सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को सरेन्डर करने की जरूरत नहीं रही है। दिनांक 31.3.2009 के बाद उत्पन्न होने वाले सभी रिक्त पदों को अब संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भरा जा सकता है।

हिंद महासागर में सुरक्षा सुविधा

5306. शेख सैदुल हक: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार कमान में सुखोई 30 एम के स्क्वाड्रन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) भारतीय महासागरीय क्षेत्र में द्वीप-प्रदेशों की सुरक्षा सहित भारत के समुद्रवर्ती हित अपतटीय संसाधनों और परिसंपत्तियों तथा समुद्रवर्ती व्यापार-मार्ग हमारी सुरक्षा योजना के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का कार्य करते हैं।

(ग) और (घ) चुनौतियों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसके आधार पर सरकार द्वारा परिसंपत्तियों के नियोजन का निर्णय लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

पम्प एवं बोरिंग सेट की आपूर्ति में अनियमितताएं

5307. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में सिंचाई हेतु स्वीकृत किए गए बोरिंग सेट/पम्प सेट की आपूर्ति में हुई अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ङ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सार्क मानदंडों में रियायत

5308. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्क मानदंडों में रियायत से एशियाई अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार, यात्रा, परिवहन और वीजा के क्षेत्रों में सार्क मानकों से क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति में वृद्धि हो सकती है। तथापि, मानकों में इस तरह की शिथिलता के लिए सभी सार्क सदस्य राष्ट्रों के बीच सहमति होनी चाहिए।

(ख) सार्क सदस्य राष्ट्रों ने सार्क मानकों में शिथिलता के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) किया जाना और उसका कार्यान्वयन और साफ्टा के अंतर्गत हाल में लिया गया निर्णय शामिल है, जिसके तहत सार्क सदस्य राष्ट्रों से अपेक्षा की गई है कि वे अपनी मौजूदा संवेदन सूचियों में बीस प्रतिशत तक की कटौती करने के लिए कार्य करें; सार्क परिवहन मंत्रियों द्वारा क्षेत्र में संबंध तंत्र बढ़ाए जाने की इच्छा प्रकट की गई है, जिसके अंतर्गत मोटर वाहन और रेलवे में कराए किए जाने की भी इच्छा शामिल है; सार्क वीजा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा की जाए जिसमे सार्क गृह मंत्रियों द्वारा अपनी बैठकों में व्यवसायियों/उद्योगपतियों, पत्रकारों, वरिष्ठ शिक्षाविदों और अन्य पहचान की गई श्रेणियों के लिए सार्क वीजा से छूट दिए जाने की इच्छा प्रकट किया जाना भी शामिल है।

(ग) भारत सार्क क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए असममित और गैर-सदृशी जिम्मेदारी उठाता है जिसमें साफ्टा के अंतर्गत सार्क न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) के लिए अपनी एकतरफा संवेदी सूची को 744 से घटाकर 480 मदों तक करना भी शामिल है।

नृत्य महोत्सव

5309. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को नृत्य महोत्सव के जरिए प्रोत्साहन देने और उन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र में लाने व मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर में आयोजित राज्यों, विशेषकर नागालैंड के वार्षिक नृत्य महोत्सव में भाग लेने वाले विदेशी नृत्यमंडलों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) सरकार ने दीमापुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (एनईजेडसीसी) तथा कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी) सहित पूरे देश में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनका उद्देश्य इन विभिन्न क्षेत्रों की लोक/पारम्परिक कलाओं का परिरक्षण, संवर्धन व प्रसार करना है। ये केन्द्र अपने-अपने क्षेत्र के भीतर राज्यों की विभिन्न कलाओं की समृद्ध विविधता तथा विलक्षणता का विकास व संवर्धन करने में प्रयासरत हैं और अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार अपने क्षेत्र तथा उससे बाहर नृत्य व उत्सवों के आयोजन जैसे विभिन्न कार्यकलाप करते आ रहे हैं। जबकि एनईजेडसीसी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा के कार्यकलापों का कार्यान्वयन करता है, साथ ही ईजेडसीसी भी असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में कार्यकलाप करता है।

वर्ष 2009-10 के दौरान ईजेडसीसी ने पूर्वोत्तर की कलाओं तथा शिल्पों के संवर्धन हेतु पूर्वोत्तर में अपनी ही ओर से 42 उत्सव/कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस केन्द्र ने अन्य सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से नागालैंड और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में और 31 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वर्ष 2009-10 में, एनईजेडसीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा देश के अन्य भागों में आयोजित 34 कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों से सांस्कृतिक मंडलियों को प्रायोजित किया।

वर्ष 2006 में, सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध संस्कृति का प्रसार करने के उद्देश्य से 'पूर्वोत्तर का उत्सव–ऑक्टेव' नामक विशेष कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2009-10 के दौरान, ऑक्टेव का आयोजन सूरत, अमृतसर, लखनऊ, सूरजकुण्ड तथा कोलकाता में किया गया।

वर्ष 2008 में, संगीत नाटक अकादमी ने समूचे पूर्वोत्तर की मंच कला परम्पराओं के परिरक्षण के उद्देश्य से शिलांग में पूर्वोत्तर केन्द्र स्थापित किया। इसी वर्ष शास्त्रीय संगीत, नृत्य व रंगमंच परम्पराओं के केन्द्र, शास्त्रीय केन्द्र की स्थापना की गई। संगीत नाटक अकादमी तथा सभी जेडसीसी नियमित रूप से देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों में उनके द्वारा आयोजित संगीत व नृत्य उत्सवों में पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकारों/कलाकार समूहों को भेजते हैं।

(ख) 'हार्नबिल उत्सव' का आयोजन नागालैंड सरकार द्वारा किया जाता है जिसमें नागालैंड सरकार द्वारा विदेशी मंडलियां आमंत्रित की जाती हैं। गत तीन वर्षों में आयोजित उत्सवों में भाग लेने वाली विदेशी मंडलियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) 2007 – शून्य

(ii) 2008 – नृत्य के लिए कोई विदेशी भागीदारी नहीं थी, केवल कोरियाई संगीतकारों ने भाग लिया और संगीत प्रस्तुति पेश की।

(iii) 2009-10 निम्नलिखित विदेशी मंडलियों ने कला प्रस्तुतियां पेश कीं:

(1) म्यांमार की 15 सदस्यीय सांस्कृतिक मंडली

(2) थाईलैंड की 26 सदस्यीय सांस्कृतिक मंडली

(3) कोरिया का 12 सदस्यीय सांस्कृतिक समूह

(iv) 2010 – अभी तक शून्य

भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण विकास

5310. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री प्रदीप मांझी:
श्री दत्ता मेघे:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत निर्माण योजना के तहत ग्रामीण विकास के संदर्भ में विभिन्न वास्तविक घटकों के अंतर्गत वास्तविक घटक-वार और राज्य-वार कितनी प्रगति और उपलब्धि हासिल की गई;

(ख) क्या योजना आयोग का मानना है कि लक्ष्यों को हासिल करने में भारत निर्माण योजना अपनी निरन्तरता बनाए रखने में पीछे है जैसा कि मीडिया में खबर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) योजनाओं के विभिन्न वास्तविक घटकों के मामले में गुणवत्ता के साथ उपयोगिता को हासिल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में घटक-वार, राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) भारत निर्माण ग्रामीण भारत को अवसरों के साथ जोड़ने के लिए एक कार्ययोजना है–सड़क, बिजली तथा टेलीफोन के माध्यम से वास्तविक संयोजन, आवास एवं जल आपूर्ति के माध्यम से मूलभूत सेवाएं तथा एक तय समय सीमा के अंतर्गत (2005-09) सिंचाई में निवेश से कृषि उत्पादकता तथा आय में सुधार करना।

छ: घटकों में से तीन ने अर्थात ग्रामीण आवास, ग्रामीण जल आपूर्ति तथा ग्रामीण टेलीफोनी ने वर्ष 2005-09 के लक्ष्यों के 85 से 100% के बीच तक निष्पादन किया। जहां तक ग्रामीण सड़क, विद्युत तथा सिंचाई क्षमता के अंतर्गत निष्पादन का संबंध है, भले ही लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके थे परंतु योजना के परिणामस्वरूप, विशेषत: दूरदराज के क्षेत्रों में, लोगों को सड़क के माध्यम से संयोजन, असंयोजित परिवारों के लिए बिजली तथा सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकी।

लक्ष्य–समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति तथा सुविधाओं के उपयोग में कमी मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से रही।

(1) **ग्रामीण सड़कें:** लक्ष्यों में 90% तक की कमी केवल 5 राज्यों में सीमित है जो मुख्यत: राज्यों की संविदा क्षमता में कमी के कारण है।

(2) **ग्रामीण विद्युतीकरण:**

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को जारी रखने के लिए अनुमोदन में विलम्ब।

(ख) नए सब-स्टेशनों के लिए भूमि आवंटन एवं परियोजनाओं को निर्णित करने में अधिक समय लगाना।

(ग) राज्यों द्वारा बीपीएल सूची जारी करने में विलंब।

(घ) प्रविष्टि कर एवं वे-बिल के निपटान में राज्यों द्वारा लिया गया अधिक समय।

(3) **सिंचाई:**

(क) बांध, जलाशय तथा नहर व्यवस्था के लिए भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

(ख) परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की पुर्नबहाली एवं पुन:स्थापन के कार्य को पूरा करने में विलम्ब।

(ग) निर्माण सामग्री तथा श्रम की लागत में वृद्धि।

(घ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की असंतोषजनक मूलभूत अवसंरचनाएं।

(ङ) संविदा प्रबंधन समस्याएं एवं कानूनी विवाद।

(च) राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त राज्य अंश का प्रावधान।

विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों में सम्मिलित हैं (i) संस्थागत क्षमता को मजबूत करना (ii) संविदा क्षमता में वृद्धि, (iii) वन एवं पर्यावरण संबंधी संस्वीकृति-प्राप्त करने हेतु सक्रिय प्रत्यक्ष कार्रवाई (iv) निजी भूमि को ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय राजस्व प्रशासन के माध्यम से प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं पर काबू पाना।

भारत निर्माण के घटकों के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन के राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध हैं।

वर्षा जल का उपयोग

5311. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्षा जल का उपयोग करने के लिए उसका समुचित तरीके से संचयन करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कितना वर्षा जल होने का अनुमान है और इसमें से कितना उपयोग में लाया जाता है;

(घ) वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप लोगों को कितना लाभ हुआ है या होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ग) देश में औसत वार्षिक वर्षण 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) होने का अनुमान लगाया गया है। वाष्पीकरण इत्यादि की प्राकृतिक प्रक्रिया को ध्यान में रखने के पश्चात, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता का 1869 बीसीएम के रूप में आकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्थलाकृतिक, जल-वैज्ञानिक तथा अन्य दबावों के कारण उपयोग करने योग्य जल 1123 बीसीएम है, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 433 बीसीएम पुर्नभरणीय सतही जल संसाधन हैं। राष्ट्रीय जल नीति में बताया गया है कि "देश में उपलब्ध जल संसाधनों को अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग करने योग्य संसाधनों की श्रेणी के भीतर लाया जाना चाहिए"। उपयोग करने योग्य जल संसाधन में आगे वृद्धि करने के विचार से जल के उपयोग का गैर-परंपरागत प्रणालियों पर यथोचित ध्यान दिया गया है जैसे अंतर-बेसिन अंतरण, भू-जल का कृत्रिम पुर्नभरण तथा खारे अथवा समुद्री जल का अलवणीकरण तथा पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों जैसे रूफ टॉप वर्षा-जल संचयन सहित वर्षा जल संचयन। विभिन्न उपायों के माध्यम से मौजूदा उपयोग को लगभग 690 बीसीएम आंका गया है।

(घ) भारत सरकार विवरण-I में यथा प्रस्तुत वर्षा जल संचयन और भू-जल पुर्नभरण की स्कीमों का कार्यान्वयन करके राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित कर रही है तथा इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य, उपयोग हेतु वर्षा जल का संचयन करने के लिए इन स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाएं आरंभ कर सकते हैं।

(ङ) IX और X योजनाओं के दौरान केन्द्रीय भू जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीम के प्रभाव-मूल्यांकन से भूजल स्तरों में स्थानीय चढ़ाव तथा डगवेलों/ट्यूबवेलों में सुधरी हुई निरंतरता, भूमि कटाव में कमी और फसल वाले क्षेत्र में किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार का पता चला है।

विवरण-I

वर्षा-जल संचयन और भूमि-जल पुर्नभरण के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के ब्यौरे

- भारत सरकार की "भू-जल प्रबंधन तथा विनियमन" के लिए एक योजना स्कीम है, जिसके अंतर्गत कृत्रिम पुर्नभरण और वर्षा जल संचयन पर प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका उद्देश्य विविध जल भू-वैज्ञानिक विन्यास के लिए उपयुक्त लागत प्रभावी तकनीकों को लोकप्रिय बनाना है। स्कीम में पूरे देश को शामिल किया गया है तथा देश के अति दोहित/गंभीर ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों पर प्राथमिकता पूर्वक ध्यान दिया गया है।
- "डगवेलों के माध्यम से भूजन का कृत्रिम पुर्नभरण" के लिए सरकार द्वारा 1798.71 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से वर्ष 2008 में एक स्कीम आरंभ की गई थी। स्कीम की समस्त लागत का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस स्कीम में सात राज्य अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के 180 अतिदोहित/गंभीट/अर्द्ध-गंभीर ब्लॉक/तालुका/मंडल शामिल हैं।
- X योजना के दौरान, 299.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से "कृषि से सीधे जुड़े हुए जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार" के लिए प्रायोगिक स्कीम का 15 राज्यों में कार्यान्वयन किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 1098 जल निकायों को शामिल किया गया है, जिसमें से 1033 जल निकायों को पूर्ण किया गया है। 2007-08 तक स्कीम के अंतर्गत 197.30 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। XI योजना के दौरान, मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए दो स्कीम हैं। इनमें से एक बाह्य सहायता के साथ है और अन्य घरेलू सहायता से युक्त है और इसके पास 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय है तथा उसके पास 1250 करोड़ रुपये का केन्द्रीय परिव्यय है। XI योजना के दौरान जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए 459.01 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

विवरण II

वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए स्कीमों के अधीन जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण

I. वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर प्रदर्शनात्मक परियोजनाएं:

क्र.सं.	राज्य	Xवीं योजना स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			XIवीं योजना स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)		
		2006-07	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	91.32	0	39.12	0	0	91.014
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	77.908	181.760
3.	कर्नाटक	64.53	0	22.11	0	0	76.410

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	केरल	0	0	0	0	11.715	0.00
5.	मध्य प्रदेश	104.21	0	16.267	0	0	302.302
6.	पंजाब	0	0	0	0	53.836	0.00
7.	तमिलनाडु	156.21	66.94	0	0	33.300	368.445
8.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	504.44
9.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	33.327	0.00
	कुल	416.27	66.94	77.497	0	210.086	1523.975

II. डगवेलों के माध्यम में भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण:

क्र. सं.	राज्य	आईईसी (करोड़ रुपये में)			सब्सिडी (करोड़ रुपये में)		
		2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1.	तमिलनाडु	0	2.0	3.75	0	86.97	18.33
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	मध्य प्रदेश	0	2.0	0	0	0	40.15
4.	महाराष्ट्र	0	2.0	0	0	9.32	4.73
5.	गुजरात	0	2.0	1.25	0	34.71	18.08
6.	कर्नाटक	0	2.0	0	0	0.19	27.39
7.	राजस्थान	0	2.0	0	0	0.15	27.75
	कुल	0	12.0	5.0	0	131.34	136.41

*0.2417 करोड़ रुपये डगवेलस्कीम के अंतर्गत डीएवीपी के माध्यम से विज्ञापन के लिए भी जारी किए गए।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

5312. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पहल का वृहत उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या प्रस्तावित नेटवर्क से हमारे विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को जोड़ा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की एक परियोजना 25.3.2010 को अनुमोदित की है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य हाई स्पीड सूचना नेटवर्क के द्वारा देश भर के आंकड़ों एवं संसाधनों को बांटने के लिए सभी विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों और कृषि संस्थाओं को परस्पर जोड़ना है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से देश की बड़ी भागीदार संस्थाओं के बीच ज्ञान के संसाधनों का सृजन, अधिग्रहण और बांटना सुसाध्य होगा। यह देश में ज्ञान के क्षेत्र में मौजूद अंतराल को पाटेगा। यह देश को एक प्रबुद्ध समाज के रूप में विकसित होने और ज्ञान जगत में आर्थिक कार्यकलापों को गति प्रदान करने में सहायक होगा। इस परियोजना के लिए 10 वर्ष की समयावधि के लिए 5990 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय अनुमोदित है। वित्त वर्ष 2009-10 के लिए 240 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। वर्ष 2010-11 के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सिफारिशें

5313. श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005 से आज की तारीख तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है;

(ग) क्या परिषद् द्वारा सरकार के लिए विधिक तथा संवैधानिक स्थिति सहित कोई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा सन् 2005 से निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें की गई हैं–जनजातीय विकास, देश में अनुसूचित जनजातियों की दुर्दशा, सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण (पंचायती राज), महिला समानता, न्यायिक सुधार, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सामाजिक सुरक्षा विधेयक, राजस्व प्रशासन का आधुनिकीकरण, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का पुनरुद्धार, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित ऊर्जा नीति, भारतीय कृषि को मजबूत करना, सहकारी संस्थाओं का संविधान संशोधन, ग्राम न्यायालय विधेयक 2005, बायोमॉस के माध्यम से गांवों में ऊर्जा सुरक्षा सृजित करना, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद् द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति और शासन से संबंधित विभिन्न मुद्दे।

(ख) 1. सरकार द्वारा लिए गए/प्रस्तावित कानूनों/निर्णयों, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की सिफारिशों से महत्त्वपूर्ण सूचनाएं (इनपुट्स) प्राप्त हुईं:

(क) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008

(ख) ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008

(ग) बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009।

(घ) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम।

(ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए निधियों में अधिक वृद्धि।

(च) पूर्ण रूप से सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना पर खर्च किए जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा कोष को सृजन। यह एक अव्यपगम्य कोष है तथा शिक्षा उपकर की राशि इसमें डाली (क्रेडिट की) जाती है।

(छ) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का सार्वभौमिकीकरण।

(ज) सर्वशिक्षा अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

(झ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

(ञ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

(ट) सहकारी संस्थाओं को स्वायत्तशासी बनाने के लिए संविधान (111 वां संशोधन) विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया गया।

(ठ) दीर्घावधिक सहकारिता ऋण ढांचे को पुनर्जीवित करना।

(ड) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्गठन बोर्ड के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप देना।

(ढ) राष्ट्रीय भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम।

(ण) कतिपय कानूनों में संशोधन ताकि उन्हें अधिक लिंग-संवेदी और लिंग-हितैषी बनाया जा सके।

(त) समेकित ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति और राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 तैयार करना।

(थ) राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण और एक उच्च स्तरीय विनिर्माण समिति का गठन।

(द) सरकारी संगठनों में कार्यान्वयन हेतु "सेवोत्तम" नामक सेवा प्रदायगी उत्कृष्टता मॉडल।

(ध) 13 राज्यों/संवर्गों के लिए भा.प्र.से. के संवर्ग पदों (मुख्य सचित के पदों को छोड़कर) हेतु कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल देने के संबंध में अधिसूचना।

(ग) और (घ) परिषद् द्वारा 2004 से विधिक तथा संवैधानिक स्थिति सहित निम्नलिखित नीतियां सरकार के विचारार्थ तैयार की गई हैं:

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2004 का मसौदा

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2004 का मसौदा

(iii) जनजातियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति का मसौदा

(iv) स्थानीय न्यायालय विधेयक, 2005 का मसौदा

(v) असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2005 का मसौदा

(vi) ग्राम न्यायालय विधेयक, 2005 और उसमें संशोधन का मसौदा

(vii) राष्ट्रीय विकास, विस्थापन और पुनर्वास नीति, 2006 का मसौदा

[अनुवाद]

एमपीलैड योजना का प्रभावी कार्यान्वयन

5314. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एमपीलैड योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एमपीलैड योजनाओं के संशोधन दिशा-निर्देश कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) दिशा-निर्देशों में संशोधन के लिए मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, दिशानिर्देशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सहायता

5315. श्री नवीन जिन्दल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका का विचार पाकिस्तान को भारी आर्थिक और सैन्य सहायता पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) ओबामा प्रशासन द्वारा शासन संभालने के बाद से अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता सहित कुल कितना पैकेज दिया गया है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने 15 अक्तूबर, 2009 को 2009 के पाकिस्तान अधिनियम के साथ संवर्द्धित साझेदारी पर हस्ताक्षर किए जो लोकतांत्रिक संस्थानों को सहायता देने के लिए; कानूनी व्यवस्था का विस्तार करने में पाकिस्तानी प्रयासों; आर्थिक स्वतंत्रता तथा विकास; विद्रोह विरोधी प्रयासों के लिए तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सिविलियन सरकार द्वारा सैनिक संस्थानों के नियंत्रण को प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की सहायता करने के लिए 2010-2014 की अवधि हेतु प्रति वर्ष 1.5 बिलियन अमरीकी डालर सहायता प्रदान करने के लिए अमरीकी सरकार को प्राधिकृत करता है। अमरीकी

प्रशासन ने घोषणा की है कि वह आर्थिक सहायता के रूप में उक्त 1.5 बिलियन अमरीकी डालर, पाकिस्तान विद्रोह विरोधी क्षमता धनराशि (पीसीपीएफ) हेतु 1.2 बिलियन अमरीकी डालर तथा विदेशी सैनिक वित्त पोषण में 328 मिलियन अमरीकी डालर सहित राजकोषीय वर्ष 2011 हेतु पाकिस्तान को सहायता के रूप में 3.2 बिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध करवाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस द्वारा वास्तव में कितना अनुमोदित किया गया है अथवा वास्तव में पाकिस्तान को उपलब्ध करवाया गया है। अमरीकी राजकोषीय वर्ष 1 अक्तूबर, 2009 से सितंबर, 2010 तक अमरीका ने पाकिस्तान को सहायता के रूप में कुल 5 बिलियन अमरीकी डालर प्रदान किए हैं अथवा प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसमें सुरक्षा सहायता के 2.23 बिलियन अमरीकी डालर तथा आर्थिक सहायता के 2.77 बिलियन अमरीकी डालर शामिल है। मार्च, 2007 में अमरीकी-पाकिस्तानी कूटनीतिक वार्ता के पश्चात पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र हेतु सहायता, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना के उन्नयन तथा पीआईए उड़ानों के लिए शिकागो तक उड़ान पहुंच सहित एक सहायता पैकेज की घोषणा की थी।

(ग) भारत सरकार के पास पूर्ण अथवा विस्तृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, चूंकि ये अन्य देश को बाह्य देश की सैनिक सहायता से संबंधित है।

(घ) सरकार ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के सैनिक संगठन में इस्तेमाल हेतु पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई गई सहायता के प्रवाह को रोकने के लिए उपयुक्त मानदंड तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए अमरीका तथा अन्य देशों का निरंतर ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने उपलब्ध करवाई जा रही ऐसी सहायता की सतत निगरानी सहित निकट मानीटरिंग की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

आजादी की गाथा के प्रदर्शन हेतु नए संग्रहालय

5316. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आजादी की ऐतिहासिक गाथा के प्रदर्शन के लिए नए संग्रहालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) नए संग्रहालय को कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) नए संग्रहालय की स्थापना में संविदा की प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए एजेंसी की नियुक्ति की तारीख से लगभग एक वर्ष लग सकता है।

विवरण

पर्यटन मंत्रालय का विश्व विरासत स्थल, लाल किला के परिसर के भीतर एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्रहालय–एक बहुआयामी डिजिटल संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रस्तावित संग्रहालय किसी एक उपनिवेशी भवन (बी-3) में स्थापित किया जाएगा। इसके दो संघटक होंगे अर्थात भवन का संरचनात्मक संरक्षण तथा संग्रहालय कर स्थापना। संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा डिपोजित कार्य के रूप में शुरू किया जा रहा है। 1,69,56,000/= रुपये की अनुमानित लागत पहले ही अनुमोदित कर दी गई है तथा इसका वित्त पोषण पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब तक पर्यटन मंत्रालय ने लाल किला स्थित बी-3 तथा बी-4 भवनों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास 2,37,80,000/- रुपये जमा कर दिए हैं। इस धनराशि में से 27,35,436/- रुपये की धनराशि भवन (बी-3) के विकास पर पहले ही व्यय कर दी गई है। भवन सं. 4(बी-4) के लिए 1,91,55,000 रुपये की अनुमानित धनराशि स्वीकृत की गई है तथा इस पर 34,63,000 रु. व्यय किए गए हैं। जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। प्रस्तावित संग्रहालय भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा स्थापित किया जाएगा तथा परियोजना की अनुमानित लागत 816 लाख रुपये है। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विद्यमान स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, लाल किले का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है ताकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संग्रहालय के नाम से एक संग्रहालय की जरूरत पूरी की जा सके। इस संग्रहालय का विस्तार करने के लिए लाल किले के भीतर एक अन्य उपनिवेशी भवन (एल-6) को चुना गया है। इस संदर्भ में 1,27,00,000 रुपये की धनराशि का अनुमान तैयार किया गया है तथा इस पर अनुमोदनार्थ कार्रवाई शुरू की जा रही है।

संस्कृत पढ़ाने का तरीका

5317. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृत शिक्षण प्रणाली में सुधार लाने, संस्कृत में पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन हेतु सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों को कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान संस्कृत के विकास के लिए सैन्ट्रल प्लान स्कीम के तहत संस्कृत माध्यम से संस्कृत पढ़ाने के लिए कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, एक सम-विश्वविद्यालय ने संस्कृत शिक्षण प्रणालियों में सुधार करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को निम्नलिखित अनुदान दिए हैं:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	वर्ष	सरकारी संस्थाएं	गैर-सरकारी संस्थाएं
1.	2007-2008	–	1019.31
2.	2008-2009	6.91	1027.57
3.	2009-2010	21.40	1244.06

संस्कृत में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए दिए गए अनुदानों के संबंध में कोई अलग सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने सूचित किया है कि "विद्यालय प्रशासनम् संगठनम् च" नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की गई है और "संस्कृत शिक्षणविद्या" और "भारतीय शिक्षाय इतिहास समसमायिका समस्यास च" नाम की दो पुस्तकें वर्ष 2009-2010 में मुद्रित की जा रही हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, सम-विश्वविद्यालय ने विद्यापीठ में बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों के लिए शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक सांख्यिकी, व्याकरण की शिक्षण प्रणालियां और साहित्य की शिक्षण प्रणालियों पर चार पाठ्यपुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृत के माध्यम से संस्कृत शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	संस्कृत के माध्यम से संस्कृत शिक्षण के लिए प्रशिक्षित शिक्षक
2007-2008	106
2008-2009	251
2009-2010	174

प्रमुख संस्थानों का आधुनिकीकरण

5318. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चार प्रमुख संस्थानों नामत: एशियाटिक सोसायटी, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल और भारतीय संग्रहालय के आधुनिकीकरण के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन संस्थानों विशेषकर विक्टोरिया मेमोरियल और भारतीय संग्रहालय में वित्तीय अनियमितता बरतने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त जांच के परिणाम क्या रहे; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) चार प्रमुख संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित राशियां आबंटित की गई थीं:

(लाख रु. में)

संगठन	बजट प्राकलन 2009-2010	संशोधित प्राकलन 2009-2010
एशियाटिक सोसायटी	2100.00	1000.00
राष्ट्रीय पुस्तकालय	1850.00	1465.00
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल	2100.00	650.00
भारतीय संग्रहालय	2900.00	950.00

आबंटन को संशोधित प्राकलन स्तर पर घटाना पड़ा क्योंकि अपेक्षित ब्यौरा सहित इन संगठनों द्वारा समय से राशि की मांग नहीं की गई।

(ग) से (च) सीबीआई ने भारतीय संग्रहालय के अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में छह एफआईआर दर्ज की हैं और पांच मामलों में आरोप-पत्र फाईल की गई है। ये मामले माननीय अदालत में लंबित हैं। वे अधिकारी, जिनके खिलाफ आरोप पत्र

फाईल किए गए हैं, में से दो को छोड़कर बाकी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन दो अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के मामले में सीबीआई ने कुछ अनियमितताओं के सत्यापन का काम किया है और सूचित किया है कि ये अधिकांश मामलों में प्रमाणित नहीं किए जा सके हैं। 3 मामलों में सीबीआई ने प्रशासनिक चूक के प्रमाण की सूचना दी है।

[अनुवाद]

एन.एल.सी.पी. के अन्तर्गत झीलों को शामिल किया जाना

5319. श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्यों से एन.एल.सी.पी. के अंतर्गत और अधिक झीलों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है, इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश में बहिरा झील तथा कर्नाटक में गणपति झील जैसी उन प्रदूषित झीलों के संरक्षण का भी कोई प्रस्ताव है जिन्हें एन.एल.सी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) मंत्रालय, देश के शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 70:30 की लागत हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनएलसीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय ने अब तक कुल 1008.26 करोड़ रुपए की लागत से 14 राज्यों में 59 झीलों के संरक्षण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा में 'प्रदूषण निवारण और मानसी गंगा झील के पुनरुद्धार' के लिए और गोरखपुर में 'प्रदूषण निवारण और रामगढ़ ताल का संरक्षण' के लिए परियोजनाओं को क्रमश: 22.71 करोड़ रु. और 124.32 करोड़ रु. की लागत मंजूर की गई है। परियोजना के कार्यान्वियन के लिए 9.22 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई हैं। झांसी में लक्ष्मी ताल और महोबा में मदन सागर के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अन्य प्रस्ताव समग्र और स्कीम की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं थे। कर्नाटक की 16 झीलों के संरक्षण के लिए कुल 69.18 करोड़ रु. की लागत से परियोजनाएं मंजूर हो गई हैं और मार्च, 2010 तक 32.67 करोड़ रु. की धनराशि जारी कर दी गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की बहिरा झील के संरक्षण के लिए विचार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। शिमोगा (कर्नाटक) में 'गणपति झील का एकीकृत विकास' के संबंध में प्रस्ताव झील के आकार, इसमें कैचमेंट की प्रदूषण संभाव्यता, जल गुणवत्ता आदि से संबंधित राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करता है।

नई झीलों के प्रस्तावों की मंजूरी के लिए एनएलसीपी के दिशानिर्देशों, प्रदूषण की स्थिति, योजना के अंतर्गत प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार उनकी स्वीकार्यता के अनुसार विचार किया जाता है।

शिक्षकों के लिए नवीन पाठ्यक्रम

5320. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षकों के लिए नवीन पाठ्यक्रम जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवीन पाठ्यक्रम शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों के गुणवत्ता संबंधी महत्त्व के अनुसार तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिक्षक प्रशिक्षण को और छात्रोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने नई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या अवसंरचना (एनसीएफटीई) तैयार की है जिसे मार्च, 2010 में जारी किया गया था। इस दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ अध्यापकों को तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करने सेवाकालीन अध्यापकों का सतत व्यावसायिक विकास और अध्यापक शिक्षकों के लिए कई अवसंरचना का प्रावधान है।

(ग) से (ङ) एनसीएफटीई अध्यापकों को तैयार करने और उनके पुनः अभिमुखीकरण का कार्य करता है ताकि बच्चे क्रियाकलापों के जरिए सीख सकें, एक बालसुलभ और बाल-केन्द्रित तरीके से अपने वातावरण और आसपास की चीजों की खोज, समेकित शिक्षा, समान और सतत विकास हेतु पहलुओं, शिक्षा में समुदाय ज्ञान की भूमिका और स्कूलों में आईसीटी तथा ई-लर्निंग प्राप्त कर सके साथ ही साथ यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित दिशा-निर्देशी सिद्धांतों को भी शामिल करता है। इस अवसंरचना का जोर ऐसे व्यावसायिक और मानवीय अध्यापक तैयार करना है जो शैक्षिक विचार और प्रक्रिया के प्रतिबिंबित प्रैक्टीशनर बन सकें।

संकायों की कमी

5321. **श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थाओं में अनुसंधान सुविधाओं के खुले माहौल के अभाव और कैरियर की अनिश्चित संभावनाओं के कारण लोग इनमें शिक्षण कार्य करने/संकायों में काम करने से परहेज करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों में शिक्षण/संकाय क्षेत्र में रिक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन रिक्तियों के समय पर भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और 12 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थानों का नाम	2007-08	2008-09	2009-10
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	971	877	345
भारतीय प्रबंध संस्थान	81	97	121
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	766	783	985

बाकी 8 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संकाय सदस्यों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और रिक्त पदों को भरने के लिए संस्थानों द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं। संस्थान गुणवत्तावान संकाय सदस्यों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए उपयुक्त नीतियां लागू करते रहे हैं जिनमें शामिल हैं-आकर्षक वेतन ढांचे, अच्छे आवास का प्रावधान, चिकित्सा सुविधाएं, आरंभिक अनुसंधान अनुदान, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, परामर्श प्रभारों को बांटने की समुचित योजना इत्यादि।

राज्यों की निधियां

5322. **श्री नारनभाई कछाड़िया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से उन राज्यों में वन विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। मंत्रालय को वन विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इंटेंसीफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों से वर्ष 2010-11 के लिए वन संरक्षण के सुदृढ़ीकरण और कुछ क्षेत्र-विशिष्ट प्रबंधन इंटरवेंशनों हेतु वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रस्ताव में शामिल किए गए कार्यकलाप और उन पर होने वाले अनुमानित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जून, 2010 के अंत तक इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं. राज्य	राज्यों के नाम	प्रस्ताव में शामिल किए गए मुख्य कार्यकलाप	अनुमानित व्यय (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		
2.	बिहार		
3.	छत्तीसगढ़		
4.	गोवा		
5.	गुजरात		
6.	हरियाणा	1. दावाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन।	
7.	हिमाचल प्रदेश	2. वन संरक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	
8.	जम्मू और कश्मीर	3. कार्य योजना तैयार करना/सर्वेक्षण और सीमांकन	43.00
9.	झारखंड		
10.	कर्नाटक	4. पवित्र वाटिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण।	
11.	केरल		
12.	मध्य प्रदेश	5. अद्वितीय वनस्पति और पारिप्रणाली का संरक्षण और बहाली	
13.	महाराष्ट्र		
14.	उड़ीसा		
15.	पंजाब	6. आक्रामक वन प्रजातियों का नियंत्रण और उन्मूलन।	
16.	राजस्थान		
17.	तमिलनाडु	7. बांस में फूल आने की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी और बांस वनों के प्रबंधन में सुधार करना।	
18.	उत्तर प्रदेश		
19.	उत्तराखंड		
20.	पश्चिम बंगाल		

1	2	3	4
पूर्वोत्तर एवं सिक्किम			
1.	असम		
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	मणिपुर		
4.	मेघालय		20.80
5.	मिजोरम		
6.	नागालैंड		
7.	सिक्किम		
8.	त्रिपुरा		
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह		
2.	चंडीगढ़		
3.	दादरा और नगर हवेली		
4.	दमन और दीव		0.40
5.	लक्षद्वीप		
6.	नई दिल्ली		
7.	पुडुचेरी		
	कुल		64.20

[हिन्दी]

प्राणी उद्यान विकास

5323. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री देवराज सिंह पटेल:
श्री नाथूभाई गोमनभाई पटेल:
श्री सुदर्शन भगत:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने देश में प्राणी उद्यानों के विकास तथा रख-रखाव के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित किसी राज्य से राज्य में प्राणी उद्यान के पुनरुद्वार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के एक कांसेप्ट पेपर अर्थात् स्थान बाह्य वन्यजीव संरक्षण और भारत में चिड़ियाघर, विजन 2020 तैयार किया है। यह दस्तावेज देश की समृद्ध जैव विविधिता, विशेष रूप से वन्य जीव-जन्तुओं के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों में सहायता करने और सुदृढ़ करने के लिए नेशनल ज़ू-पॉलिसी, 1988 में दिए गए अनुसार चिड़ियाघरों के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। विजन 2020 के महत्त्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं;

मास्टर प्लान, चिड़ियाघरों में उचित ढंग से एनिमल हाउसिंग का निर्माण, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास, चिड़ियाघरों में पशु स्वास्थ्य देखभाल, चिड़ियाघरों में अन्य अवसंरचना का विकास, अनुसंधान, सेवारत चिड़ियाघर कार्मिकों का प्रशिक्षण, रिकॉर्ड रखना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

(ग) चिड़ियाघरों को उपलब्ध कराई गई राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघरों में पशुओं के बेहतर रखरखाव के लिए देश में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के पश्चात और निधियों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के पश्चात और निधियों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्री सहायता जारी की जाती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2009-2010) के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव मिला है जिसका ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2010-2011) में केवल तीन राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चित बंगाल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विवरण

चिड़ियाघरों को उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई धनराशि (रुपए में)		
		2007-08	2008-09	2009-2010
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	17435000	11322000	20500000
2.	अरुणाचल प्रदेश		15870400	5147000
3.	असम	5219000	5198000	178000
4.	छत्तीसगढ़		80000	
5.	दिल्ली	18953000	7041500	
6.	गुजरात	9382761	240000	130000
7.	हरियाणा		40000	
8.	हिमाचल प्रदेश		9571000	
9.	झारखंड	1064900	4210000	440000
10.	कर्नाटक	12255000	17985000	14810000
11.	मध्य प्रदेश	16449000	3093000	8064000
12.	महाराष्ट्र	7324000	480000	18244000
13.	मणिपुर	425000	3000000	2498000

1		2	3	4
14.	मिजोरम	11049000	1040000	15902000
15.	नागालैंड	8906000		
16.	उड़ीसा	5600000	2610000	2000000
17.	पंजाब	2586000	5930000	130000
18.	राजस्थान	6876000	6600000	7840000
19.	सिक्किम			353000
20.	तमिलनाडु	16641000	22709000	27230000
21.	त्रिपुरा		7323000	4045000
22.	उत्तर प्रदेश	394000	1444000	510000
23.	उत्तराखंड			1062000
24.	पश्चिम बंगाल	6085500	13305000	13322000
	कुल योग	146645161	139091900	144007000

[अनुवाद]

निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली

5324. श्री समीर भुजबल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने प्रत्येक द्वितीय वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन की निगरानी हेतु निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यांकन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) निष्पादन की निगरानी करने वाली समिति की संरचना, कार्यकाल और निबंधन की शर्तें क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) कार्य-निष्पादन मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा की प्रति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। समिति की संरचना तथा विचारार्थ संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण I

सरकारी विभागों के लिए कार्य-निष्पादन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा—वर्तमान में यथा प्रस्तावित (रूपांतर 2)

(क) वर्ष के प्रारंभ में

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, संबंधित मंत्री के अनुमोदन से, प्रत्येक विभाग एक परिणाम-रूपरेखा (आरएफ) दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें संबंधित मंत्रालय, घोषणा-पत्र, यदि कोई हो, में दिया गया एजेंडा, राष्ट्रपति का अभिभाषण, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी की गई घोषणां/एजेंडे, द्वारा तय की गई प्राथमिकताएं शामिल होंगी। भारसाधक मंत्री विभागीय उद्देश्यों में परस्पर प्राथमिकता के संबंध में विनिश्चय करेगा।
- भारसाधक मंत्री परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज में दी गई प्राथमिकताओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने के लिए मंत्रालय/विभाग हेतु प्रस्तावित क्रियाकलापों और स्कीमों का अनुमोदन करेगा। भारसाधक मंत्री इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए

तदनुरूप सफलता सूचकों (मुख्य परिणाम क्षेत्रों–केआरए या मुख्य कार्यनिष्पादन सूचकों–केपीआई) तथा समयबद्ध लक्ष्यों को भी अनुमोदित करेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की विविधता को ध्यान में रखते हुए आरएफ दस्तावेज के फार्मेट तथा मूल्यांकन की कार्यप्रणाली के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करेगा।

- आरएफ के प्रारूप, संबंधित वर्ष के लिए प्रस्तावित बजटीय आबंटनों के आधार पर, प्रत्येक वर्ष में 05 मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। विभिन्न विभागों के मध्य एकरूपता, सामंजस्य और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय इन प्रारूपों की समीक्षा करेगा तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को फीडबैक देगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।

- सभी परिणाम-रूपरेखाओं (आरएफ) के अंतिम रूपांतर संबंधित मंत्रालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष में 15 अप्रैल तक वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

- प्रत्येक विभाग/मंत्रालय की परिणाम-रूपरेखा प्रत्येक वर्ष में 15 अप्रैल तक मंत्रिमंडल सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। वह बजट प्रावधानों और विशेषकर परिणाम बजट पर ध्यान देगा। परिणाम-रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाएगी कि तिमाही मॉनीटरिंग संभव हो सके। तिमाही रिपोर्टें मंत्रिमंडल सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) वर्ष के दौरान

- छः माह के पश्चात्, निर्धारित किए गए कार्य-निष्पादन लक्ष्यों की तुलना में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की परिणाम-रूपरेखा के साथ-साथ उसकी उपलब्धियों की समीक्षा सरकारी कार्य-निष्पादन संबंधी एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें मंत्रिमंडल सचिव, वित्त सचिव, व्यय सचिव, सचिव (योजना आयोग), सचिव (निष्पादन प्रबंधन) और संबंधित विभाग का सचिव शामिल होगा। इस चरण पर, उस समय की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए परिणाम-रूपरेखा की समीक्षा की जा सकती है तथा लक्ष्यों को फिर से निर्धारित किया जा सकता है। इससे सूखे की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं अथवा महामारियों जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों को शामिल करना भी संभव हो सकेगा। संबंधित मंत्री के माध्यम से सरकारी कार्य-निष्पादन संबंधी समिति की रिपोर्ट प्रधान मंत्री को आगे की यथावश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) वर्ष के अंत में

- वर्ष के अंत में, सभी मंत्रालय/विभाग, निर्धारित फार्मेट में, तय किए गए परिणामों की तुलना में अपने मंत्रालय/विभाग की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे और उनकी सूचीबद्ध रिपोर्ट तैयार करेंगे। आशा है कि इस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष 01 मई तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

- मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा संवीक्षा के पश्चात इन परिणामों को प्रत्येक वर्ष 01 जून तक मंत्रिमंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण II

(क) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना:

1. मंत्रिमंडल सचिव–अध्यक्ष
2. सचिव (वित्त)
3. सचिव (व्यय)
4. सचिव (योजना आयोग)
5. सचिव (निष्पादन प्रबंधन)
6. संबंधित विभाग का सचिव

(ख) उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

(i) मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए गए परिणाम-रूपरेखा दस्तावेजों के प्रारूपों की जांच करना।

(ii) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की उपलब्धियों की छह माह के बाद समीक्षा करना तथा यदि अपेक्षित हो, तो उस समय की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को फिर से नियत करना।

(iii) संबंधित मंत्री के माध्यम से अपनी अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रधान मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना।

(iv) मंत्रालयों/विभागों के वर्षान्त मूल्यांकन परिणामों की संवीक्षा करना तथा उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 जून तक मंत्रिमंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करना।

(v) कोई भी अन्य मामला, जिसे समिति के पास भेजने का निर्णय लिया गया हो।

परिणाम-रूपरेखा संबंधी कार्य के लिए प्रस्तावित समय-सारणी

प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में

5 मार्च – परिणाम-रूपरेखा (आरएफ) दस्तावेज का अंतिम प्रारूप तैयार करना

31 मार्च – परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज को अंतिम रूप देना

15 अप्रैल – परिणाम-रूपरेखा दस्तावेज को विभागीय वेबसाइट पर रखना

वर्ष के दौरान

15 अक्तूबर – अर्द्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और इसे सरकारी कार्य-निष्पादन संबंधी समिति के समक्ष रखना

1 नंवबर–प्रगति रिपोर्ट को मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर रखना

वर्ष के अंत में

1 मई – वर्ष के दौरान हुई प्रगति पर वर्षान्त मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना

1 जून – मूल्यांकन के परिणामों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखना

1 जून – मूल्यांकन के परिणामों को मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर रखना

राज्यों को राजस्व हानि

5325. श्री मनोहर तिरकी:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री जयराम पांगी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला कम्पनियां राज्य सरकारों के साथ कोई अनुबंध करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण राज्य सरकारों को स्टॉप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क के रूप में कितने राजस्व की हानि होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 का निरसन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा भूमि कोयलाधारी क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (सीबीए (एएंडडी) एक्ट, 1957) के अंतर्गत अधिगृहीत की जाती है और उक्त अधिनियम के सभी उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात कोयला परियोजनाओं के लिए सरकारी कम्पनियों को अंतरित कर दी जाती है। कोयला कम्पनियों द्वारा राज्य सरकारों के साथ किसी प्रकार का ठेका निष्पादित करने का कोई उपबंध नहीं है। राज्य सरकारों को पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क के कारण राजस्व की किसी हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय, इस कारण सीबीए (एएंडडी), अधिनियम, 1957 को रद्द करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) चूंकि भूमि सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के सभी उपबंधों का पालन करते हुए अधिगृहीत की जाती है, इसलिए अन्य किसी उपचारात्मक उपाय की आवश्यकता नहीं है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

5326. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रथम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से परमाणु ऊर्जा के व्यावसायिक उत्पादन में विलंब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस विलंब का क्या कारण है; और

(ग) इसके कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज

चव्हाण): (क) जी, हां, इसमें लगभग एक वर्ष की देरी होने की संभावना है।

(ख) दिसंबर, 2004 में सुनामी की वजह से, सिविल संरचनाओं को अवलंब प्रदान करने वाला रैफ्ट बुरी तरह से प्रभावित हो गया था और उसे पुन: निर्मित करने की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योगों ने कड़े तकनीकी विनिर्देशों को विश्वास के साथ पूरा करने के लिए सिविल और मैकेनिकल दोनों कार्यों से संबंधित कई अभ्यास भी किए थे। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण संबंधी कई कार्यकलाप ऐसे हैं जो उद्योगों के लिए अपनी तरह के पहले हैं।

(ग) इसका कमीशनन मार्च, 2012 तक शुरू किए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखने की योजना

5327. **डॉ. संजय जायसवाल**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार, सांस्कृतिक धरोहरों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से किसी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है/क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) संस्कृति मंत्रालय, समय-समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य सरकारों से संरक्षण में सहायता हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण/उनके सौन्दर्यकरण हेतु बिहार सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उन्हें शुरू किया जा रहा है।

एएसआई, पटना सर्किल बिहार राज्य सरकार के सहयोग से केन्द्रीकृत रूप से संरक्षित स्मारकों के संरक्षण व सौन्दर्यकरण की निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जो इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:

1. केसरिया, जिला चंपारन में बौद्ध स्तूप
2. मकदूम शाह दौलत और इब्राहिम खां का मकबरा, मनेर, जिला पटना
3. रोहतास, जिला रोहतास में रोहतास गढ़ किला
4. शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, जिला रोहतास

इसके अलावा, पटना सर्किल का 'जमा कार्य की स्कीम' के तहत निम्नलिखित स्मारकों के अनुरक्षण व संरक्षण का कार्य सौंपा गया है:

1. पटना, जिला पटना में गोलघर
2. कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, जिला दरभंगा
3. महाबोधि मन्दिर, बोधगया, जिला गया

शिक्षा क्षेत्र में कॉरपोरेट क्षेत्र का प्रवेश

5328. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री गणेश सिंह:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री बदरूद्दीन अजमल:
श्री अर्जुन राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने को अनुमति देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शिक्षा के निजीकरण के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के जरूरतमंद और मेधावी निर्धन छात्र उच्च शिक्षा की पढ़ाई को जारी रखने में असमर्थ हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) देश में निजी शिक्षण संस्थानों की प्रभावी निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (छ) सरकार इस शर्त के साथ शैक्षिक संस्थाओं के वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए और–लाभकारी निजी भागीदारी के सक्रिय सहयोग और भागीदारी का समर्थन करती है कि यथोचित अर्जित अधिशेष राशि का संस्थाओं के विकास में पुनः निवेश किया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथाअनुमोदित 11वीं योजना दस्तावेज में भी शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पहलों का पता लगाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी के विभिन्न स्वरूपों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारों के सक्रिय सहयोग से उच्चतर शिक्षा में असाधारण विकास हुआ है।

सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता की मांगों को पूरा करने हेतु वित्तपोषण सहित शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर सलाह देने के लिए 21 अक्तूबर, 2009 को उच्च शिक्षा पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। विचार-विमर्शों के दौरान, यह महसूस किया गया था कि कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के मामले में और जहां संस्थाओं की स्थापना करने की अवसंरचनात्मक आवश्कताएं अन्य उच्च शैक्षिक संस्थाओं की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं से अधिक लोचशील हैं, एक भिन्न मॉडल विकसित किए जाने की आवश्यकता है जो निजी क्षेत्र को वृहत्तर भूमिका प्रदान करता है। यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे वैकल्पिक मॉडल को विकसित किए जाने की आवश्कता है जो अवसरंचनात्मक लोचशीलता तथा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करता हो।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो 1.4.2010 से प्रभावी हो गया है, प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

सेमेस्टर प्रणाली

5329. श्री धनंजय सिंह:
श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्वविद्यालयों को सत्र प्रणाली शुरू करने सहित अकादमिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं के कुलपतियों को सत्र प्रणाली शुरू करने सहित उच्चतर शिक्षा में अकादमिक सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 6(2) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सत्र प्रणाली शुरू करने सहित कतिपय अकादमिक सुधारों को कार्यान्वित करना अनिवार्य बनाती है। अन्य संसाधन सुधारों के साथ सत्र प्रणाली को शुरू करने से विद्यार्थियों को एक संस्था से दूसरी संस्था में जाने के लिए सक्षम बनाने के साथ-साथ अध्ययन में अधिक विकल्प सुनिश्चित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन पर समझौता ज्ञापन/समझौता

5330. श्री तथागत सत्पथी:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन ने जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा संबंधी किसी समझौता ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों को क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या हाल ही में चीन के साथ कोई मंत्री-स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारत और चीन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एग्रीमेंट ऑन कोआपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की निगरानी और मॉनीटरी में सहयोग तथा उपयुक्त पारस्परिक सहयोग कार्यकलाप और कार्यक्रम शामिल हैं। इस समझौते में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय

ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकियां, सतत कृषि और वनीकरण के क्षेत्र शामिल हैं। इस समझौते में चीन के साथ सहयोग बढ़ाने, पारस्परिक समझदारी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय और अनुसंधान, विकास तथा प्रौद्योगिकियों के प्रसार के क्षेत्र में सहयोग करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया है।

(घ) और (ङ) विदेश मंत्री ने 5-8 अप्रैल, 2010 के दौरान चीन में चीन गणराज्य के विदेश मंत्री के साथ बैठक की थी। यह बैठक मुख्य रूप से वैश्विक विकास के बारे में थी। दोनों देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दों का हल निकालने के लिए सहयोग करने के विचारों का आदान-प्रदान किया।

नई फसलों के विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकीय अनुसंधान

5331. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पानी की कम आवश्यकता वाली नई किस्म की फसलों के विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए विशेष धन आबंटित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त फसलों को विकसित करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सरकार ऐसी फसलों को विकसित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रही है जो सीमित जल की परिस्थितियों में जीवित रह सकें या जिन्हें पानी की कम आवश्यकता हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य संस्थान मुख्य रूप से सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोध क्षमता वाले पराजीनी चावल, सरसों और टमाटर के विकास कार्य में लगे हैं। हाल ही में, इन प्रयासों के अंतर्गत कपास, मूंगफली, चिकपी और अरहर नामक कुछ अन्य फसलों को भी शामिल किया गया है और इन प्रयासों के तहत पराजीनी तथा आणविक उत्पादन अभिगमों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्नत किस्म के फसल जीनोटाइपों को विकसित करने के लिए उपयोगी नये जीनों के विकास हेतु एलेली माइनिंग के संबंध में भी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है। ऐसे अनुसंधान को कृषि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

(घ) पानी की कमी वाली परिस्थिति के प्रति अनुकूल कुछ जीनों की पहचान की गई है और संस्थाएं इन जीनों को फसलों में अन्तरित करने और उनकी उपयोगिता का आकलन करने का प्रयास कर रही हैं। जड़ की विशेषताओं और पानी के उपयोग संबंधी किफायत के लिए क्वान्टीटेटिव ट्रेट लोसाइ वाले पिरामिडेड चावल के संबंध में प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि इसे कम मात्रा में जल का उपयोग करके उगाया जा सकता है। ऐसी सामग्री का विकास मार्कर सहाय्यित उत्पादन के साथ पारम्परिक प्रणाली को सम्मिलित करते हुए किया गया है। कुछ मामलों में, पराजीनियों का भी विकास किया गया है जो परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

[हिन्दी]

भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करना

5332. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री पी.के. बिजू:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:
श्री राकेश सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री सैयद शानवाज हुसैन:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

प्रो. रंजन प्रसाद यादवः
श्री विश्व मोहन कुमारः
श्रीमती जयाप्रदाः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्रीमती सुशीला सरोजः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री पी. विश्वनाथनः
श्री एस.एस. रामासुब्बूः
श्री मिलिन्द देवराः
श्री भक्त चरण दासः
श्री प्रताप सिंह बाजवाः
श्री रामसिंह राठवाः
श्री मन्दा जगन्नाथः
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डीः
श्री निखिल कुमार चौधरीः
श्री हंसराज गं. अहीरः
श्री जोस के. मणिः
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः
श्री एम.आई. शानवासः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसर स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय छात्रों को इससे लाभ होने की संभावना है तथा इससे शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शिक्षा के क्षेत्र में देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को परिसरों की स्थापना की अनुमति देने से शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी अवसंरचना के प्रभावित होने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में ऐसे परिसरों की स्थापना के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (छ) सरकार ने भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन को विनियमित करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव अनुमोदित किया है और संसद को इसके संबंध में सूचना भेज दी गई है। भारत में विदेशी शिक्षा संस्थाओं को विनियमित करने से होने वाले संभावित लाभों में अन्यों के साथ-साथ हमारे उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक रूप से विख्यात और गुणवत्तामूलक अकादमिक संस्थाओं की सहभागिता को सुकर बनाना, मांग और आपूर्ति के मध्य अन्तर को कम करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को भारत में लाना, भारतीय विद्यार्थियों को नवाचारी अध्ययन क्षेत्र सुलभ कराना, अनुसंधान अवसरों में वृद्धि करना, निवेश में और कुछ सीमा तक सकल नामांकन दर में वृद्धि करना शामिल है।

इस विधेयक के प्रावधान केवल संसद के अनुमोदन की शर्त के अधीन प्रभावी हो सकते हैं।

यमुना में बालू का अवैध खनन

5333. **श्री राधा मोहन सिंहः**
श्री नीरज शेखरः
श्रीमती मीना सिंहः

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना नदी तल से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या यमुना नदी से मशीनों द्वारा चोरी से बालू निकासी के कारण इसके प्रवाह मार्ग में बदलाव आया है जो विनाशकारी हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बकाया राशि की वसूली

5334. श्री पकौड़ी लालः
श्री देवजी एम. पटेलः
श्री घनश्याम अनुरागीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति के संदर्भ में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत कम्पनियों पर भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड तथा विद्युत कम्पनी द्वारा अनुषंगी कम्पनी-वार कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) इतनी बड़ी राशि के बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है तथा बकाया राशि की वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कम्पनियों द्वारा विभिन्न राज्य विद्युत बार्डों और विद्युत कम्पनियों को आपूर्ति किए गए कोयले के एवज में उनसे बकाया 1771 करोड़ रु. (अनंतिम) है जो औसतन लगभग 17 दिन आपूर्ति किए गए कोयले के मूल्य के बराबर है।

(ख) सहायक कम्पनी-वार और राज्य विद्युत बोर्डों/ विद्युत कम्पनी-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इसमें उपभोक्ताओं द्वारा विवादित 802 करोड़ रु. की देय बकाया राशि भी शामिल है। एक बार ऐसे विवादों का समाधान हो जाने पर, बकाया राशि कम हो जाएगी। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार अविवादित राशि 969 करोड़ रु. है जो लगभग 9 दिन आपूर्ति किए गए कोयले के मूल्य के बराबर है और यह कुल मिलाकर कोयला आपूर्ति की सामान्य बिलिंग साइकिल को ध्यान में रखते हुए है।

(घ) नयी कोयला वितरण नीति के अनुसार, ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) की नियम और शर्तों के अनुसार कोयला आपूर्तियों के एवज में भुगतान अग्रिम में अथवा ऋण पत्र के माध्यम से किया जाता है, इसलिए कोयला आपूर्तियों के एवज में बकाया राशि के संचय होने की सीमित गुंजाइश है।

विवरण

31.03.2010 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत कम्पनियों की बकाया कोयला बिक्री की राशि

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्डों के नाम	ईसीएल	सीसीएल	बीसी सीएल	डब्ल्यू सीएल	एसई सीएल	एम सीएल	एनसीएल	एनईसी सीएल	कोल इंडिया लि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी)	23.22	155.48	9.64						188.34
2.	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)		210.84							210.84
3.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (यूआरवीयूएनएल)	4.74	1.52	28.25	8.93		1.91	8.89		20.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी)	6.07	32.76	13.48	6.49	18.79				12.07
5.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी)	29.44		1.14	0.03		16.76			47.31
6.	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि. (एचपीजीसीएल)		36.65	28.38	1.10			-91.52		-25.41
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल)		0.86	8.50		77.70		8.09		93.15
8.	महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कंपनी लि. (एमएसपीजीसीएल)				-4.18	-10.12	-18.30			-32.60
9.	मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लि. (एमपीपीजीसीएल)				117.32	175.21				292.53
10.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी)					19.54				19.54
11.	गुजरात ऊर्जा विद्युत निगम लि. (जीयूवीएनएल)				-6.26	-64.26				-70.52
12.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)			1.29						1.29
13.	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	264.78		8.67			15.38			288.83
14.	आन्ध्र प्रदेश जनरेशन कारपोरेशन (एपीजीईएनसीओ)				-0.44		-8.80			-9.24
15.	असम राज्य विद्युत बोर्ड (एएसईबी)								-0.01	-0.01
16.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल)				-12.11	-0.24	-1.36			-13.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	दुर्गापुर परियोजना बोर्ड (डीपीएल)	17.30		9.31			-5.30			21.31
18.	दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी)	64.22	-2.96	173.85			5.48			240.59
19.	दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी)		4.26			0.15	-3.17			1.24
20.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस)	6.10	20.40	6.97						33.47
21.	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी)	128.78	49.97	47.80		-31.16	33.24	21.87		250.50
22.	भारत एलुमिनियम कंपनी लि. (बीएएलसीओ)					1.97				1.97
23.	कलकत्ता विद्युत सप्लाई कंपनी लि. (सीईएससी)	8.08		11.02						19.10
24.	एईसी					0.87				0.87
25.	बीएसईएस					-6.65				-6.65
26.	दिसेरगढ़ पावर सप्लाई का.लि. (डीपीएससी)	1.46								1.46
27.	तेनुघात विद्युत निगम लि. (टीवीएनएल)		256.10							256.10
28.	उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन (ओपीजीसी)						2.99			2.99
29.	बोकारो		19.30	-3.52						-22.82
30.	रोसा		-9.64							-9.64
31.	टाटा हाइड्रो				-0.02					-0.02
32.	कुल	564.19	671.42	286.28	92.94	180.06	42.00	-55.884	-0.01	1771.02

[अनुवाद]

विरासत भवन

5335. श्री मानिक टैगोर:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से सांस्कृतिक विरासत भवन सही स्थिति में नहीं हैं और खराब रख-रखाव के कारण वे कभी भी क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अपनाए जाने वाले प्रस्तावित पेशेवर प्रबंधन/आधुनिक प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक भली-भांति परिरक्षित हैं। संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए प्रत्येक वर्ष संरक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और उन्हें प्रचलित संरक्षण सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। सभी प्रकार के संरक्षण कार्यों के दौरान स्मारकों की मौलिकता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए आधुनिक संरक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। स्मारकों को होने वाली क्षति का आकलन करने, प्रलेखन करने और सर्वेक्षण करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और अन्वेषण किए जाते हैं।

बांध सुरक्षा संबंधी विधान

5336. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बांध सुरक्षा पर कोई विधान लाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों का मत जानना चाहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस विधान को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित बांध सुरक्षा कानून से भारत में सभी बांधों की कतिपय मानदंडों के अनुसार उपयुक्त निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और रखरखाव किया जाएगा, ताकि इनके कार्यों तथा इससे संबंधित एवं प्रासंगिक मामलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्तावित कानून में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और विशिष्ट बांधों के स्वामियों को, ऐसे बांधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बांधों की सतत निगरानी करने, नियमित निरीक्षण, प्रचालन और रखरखाव करने, लॉग बुक का रखरखाव करने, अनुदेशों का पालन करने, मरम्मत और रखरखाव के लिए निधियों, तकनीकी प्रलेखन, रिपोर्ट करने, संबंधित श्रमिकों की अर्हताएं एवं प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में इन संस्थाओं के कर्तव्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है।

(ग) ऐसे कानून को लागू करने की सिफारिश मूलत: अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में बनी स्थाई समिति ने जुलाई, 1986 में अपनी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक "बांध सुरक्षा प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट" है, में की थी। बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस) ने भी अपनी कई बैठकों में कानून बनाने की आवश्यकता के संबंध में बार-बार जोर किया था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बांध सुरक्षा कानून के संबंध में राज्यों के साथ सघन परामर्श किया गया है। प्रस्तावित विधेयक का प्रथम मसौदा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 1987 में तैयार किया गया तथा एनसीडीएस की कई बैठकों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में बातचीत की गई थी। मसौदा विधेयक के बारे में बारह राज्यों (अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) से टिप्पणियां भी प्राप्त की गईं जिन्हें सभी राज्यों को परिचालित किए गए मसौदा (2002) विधेयक में शामिल किया गया ताकि संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा इसे अधिनियमित किया जा सके।

(घ) केन्द्र सरकार ने इस कानून को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित करने के संबंध में दो राज्यों नामत आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अनुरोध प्राप्त किए हैं। आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 24.3.2007 को संकल्प लिया है कि बांध सुरक्षा कानून को संसद के अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने भी एक संकल्प (पश्चिम बंगाल विधान सभा बुलेटिन भाग-1, दिनांक 24.7.07) पारित किया, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आवश्यक

बांध सुरक्षा अधिनियम को पारित करने के लिए भारतीय संसद को शक्ति प्रदान की गई है।

(ङ) बांध सुरक्षा के संबंध में कानून (बांध सुरक्षा विधेयक 2010) बनाने को 15वीं लोक सभा, 2010 के चौथे सत्र के दौरान शुरू किए जाने हेतु अपेक्षित सरकारी कार्यों की अनंतिम सूची में रखा गया है।

नई विकास परियोजनाओं पर प्रतिबंध

5337. श्रीमती दर्शना जरदोश:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री सुखदेव सिंह:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात सहित देश के विभिन्न जिलों में आरंभ की जाने वाली नई विकास परियोजनाओं पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को सौंपे गए अध्ययन कार्य के विचारार्थ विषय को सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है तथा उक्त प्रतिबंध लगाने से पूर्व उनसे परामर्श लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त प्रतिबंध क्षेत्र के सभी जिलों तथा पर्यावरणीय संबंधी मंजूरी के लिए विचारार्थ विषय को जारी करने, मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय मंजूरी आदि को जारी करने जैसे विभिन्न चरणों पर लंबित मामलों पर लागू होते हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 13.1.2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत उन समूहों के सहित जो गुजरात में स्थित है। ऐसे अत्यधिक प्रदूषित समूहों में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए विकासात्मक परियोजना पर विचार करने के लिए अगस्त, 2010 तक 8 महीने की अवधि के लिए अस्थाई प्रतिबंध लगाया है। तथापि जनहित की परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय महत्व, प्रदूषण नियंत्रण, रक्षा और सुरक्षा जैसी परियोजनाओं को मामला दर मामला आधार पर सक्षम प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से इन प्रतिबंधों के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ शासित प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ इन अभिनिर्धारित औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणत्ता बेहतर बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे।

(ग) और (घ) व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूची (सीईपीआई) को प्रयोग करते हुए अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने हेतु आईआईटी, दिल्ली को सौंपे अध्ययन के विचारार्थ विषय 17 अगस्त, 2009 को एसपीसीबी/यूटीपीसीसी के अध्यक्ष/सदस्य सचिवों को कान्फ्रेंस में 17 अगस्त, 2009 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/संघ शासित प्रदूषण नियंत्रण समितियों (यूटीपीसीसी) को वस्तुत: किए गए, जहां यह प्रस्तावित किया गया कि अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषणकारी कार्यों की और स्थापना/विस्तार के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ङ) और (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.3.2010 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में विर्निदिष्ट विशिष्ट औद्योगिक समूहों/क्षेत्रों पर प्रतिबंध लागू है और ये सभी परियोजनाओं को शामिल करते हैं जो कि पर्यावरणीय मंजूरी के लिए इस समय पाइप लाइन में हैं अथवा जो ऐसे प्रतिबंधों को लगाने के उक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि अर्थात 13.1.2010 के बाद प्राप्त होंगे। यह इस कारण से है कि किसी आगे प्रदूषण भार को जोड़ने से चाहे कितना ही कम क्यों न हो, पहले से अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में पर्यावरणीय दृष्टि से समस्या और गंभीर हो जाएगी।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना

5338. डॉ. संजीव गणेश नाईक: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रक्रिया को पूरी करने हेतु समय सीमा निर्धारित करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर लाने हेतु अनेक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालयों/विभागों को कहा गया है कि प्रारूप टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप देकर मंत्रालय को भेजें जिसने 15 दिन के भीतर प्रस्ताव पेश किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केबिनेट सचिवालय ने मंत्रालयों से कहा है कि यदि मंत्रालयों की टिप्पणियां अनुमत समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं तो प्रायोजक मंत्रालयों को यह तथ्य संबंधित सचिव के ध्यान में लाना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो इस निर्णय से प्रस्तावों के कार्यान्वयन में कितनी मदद मिली है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) तीव्रतर गति से निर्णय लेने तथा अपनी नीतियों/कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार संगत प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने हेतु सतत प्रयास करती है। सरकार ने, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के लिए टिप्पणों से संबंधित अंतरमंत्रालयीय परामर्शों को पूरा करने और अन्य संबंधित निकायों द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन/पर विचार करने के लिए संशोधित समय सीमाएं परिचालित की थी।

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसे मंत्रालयों/विभागों, जिनसे मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों के लिए टिप्पणों के संबंध में परामर्श किया जाना अपेक्षित है, की टीका-टिप्पणियों को अंतिम रूप देने के लिए, और मूल्यांकन निकायों/सचिवों की समिति आदि द्वारा मुद्दों का मूल्यांकन/पर विचार करने के लिए समय सीमा को कम कर दिया गया है। तद्नुसार, इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बाह्य समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। मामलों के वर्ग के अनुसार, इन समय सीमाओं का विस्तार 15 दिनों से दो महीने तक है।

(घ) जी, हां। तथापि, जटिल मामलों में मंत्रालय/विभाग, जिनसे परामर्श किया गया, अपनी टीका-टिप्पणियों/अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं।

(ङ) नई प्रक्रिया 03.12.2009 से प्रभावी हुई है। मंत्रालय/विभाग अधिकांशतः संशोधित प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास

5339. श्री एस. सेम्मलई:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में निचले स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा नए निवेशों के लिए कितने पेटेन्ट हेतु आवेदन किए गए हैं;

(ग) क्या अन्य विकासशील देशों की तुलना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत का निवेश कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) स्कोपस अंतर्राष्ट्रीय डाटा बेस के अनुसार, प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किए गए मूल्यांकन के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति में सुधार हुआ है और यह वर्ष 1996 में 13वें स्थान से वर्ष 2009 में 10वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों तथा अन्य विकसित एवं विकासशील देशों के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पेटेन्ट कार्यालय में नए आविष्कारों के लिए दर्ज किए गए पेटेन्ट आवेदनों की संख्या क्रमशः 6040 और 21978 थी।

(ग) और (घ) उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास पर भारत का निवेश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में चीन की तुलना में कम है किन्तु यह कई विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न देशों का अनुसंधान तथा विकास व्यय विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय में वृद्धि लाने हेतु कई उपाय किए हैं। इन उपायों में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना करने हेतु Xवीं योजना में 25,301.35 करोड़ रु. की तुलना में XIवीं योजना में आबंटन को बढ़ाकर 75,304.00 करोड़ रु. करना, अकादमिक एवं राष्ट्रीय संस्थानों में उभर रहे तथा अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों तथा सुविधाओं का सृजन, नई तथा आकर्षक अध्येतावृत्तियां जैसे–कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ), वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) तथा इन्सपायर आरंभ करना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा विकास के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान और उत्कृष्ट अनुसंधान तथा विकास आदि के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सार्वजनिक-निजी अनुसंधान तथा विकास भागीदारी को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं विकास के लिए कर प्रोत्साहन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने घरेलू अनुसंधान तथा विकास पर होने वाले व्यय पर भारित कटौती तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एसोसिएशनों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को किए गए भुगतान पर भारित कटौती को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

विवरण

चुनिंदा देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अनुसंधान तथा विकास पर व्यय 2004-2006

क्रम सं.	देश	सकल घरेलू उत्पाद % के रूप में अनुसंधान तथा विकास व्यय
1	2	3
1.	अर्जेन्टीना	0.49
2.	आस्ट्रेलिया	1.78
3.	आस्ट्रिया	2.46
4.	ब्राजील	0.82
5.	कनाडा	1.97
6.	चीन	1.42
7.	चेक गणराज्य	1.54
8.	डेनमार्क	2.44
9.	फिनलैंड	3.43
10.	फ्रांस	2.12
11.	जर्मनी	2.52
12.	हंगरी	1.00
13.	भारत	0.88
14.	इस्राइल	4.53
15.	इटली	1.10
16.	जापान	3.40
17.	कोरिया गणराज्य	3.23
18.	मेक्सिको	0.50
19.	नीदरलैंड	1.69
20.	नार्वे	1.49
21.	पाकिस्तान	0.44
22.	रूसी फेडरेशन	1.08
23.	सिंगापुर	2.39
24.	स्पेन	1.21
25.	श्रीलंका	0.19
26.	स्वीडन	3.82
27.	यूनाइटेड किंगडम	1.80
28.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2.61
29.	वेनेजुएला	0.23

स्रोत: यूआईएस, यूनेस्को (15 अक्तूबर, 2008 को वेबसाइट से प्राप्त किया गया)
इंडिया–रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेटिस्टिक्स, 2007-08, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार)
नोट: चीन में हांगकांग शामिल नहीं है।

वनों से राजस्व

5340. **श्री भक्त चरण दास:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन राजस्व अर्जित करने वाला संस्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान देश में उड़ीसा सहित राज्य-वार वनों से कितना राजस्व अर्जित किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 का प्रमुख लक्ष्य वातावरणीय संतुलन सहित सभी जीव रूपों, मानव, पशु और पौधों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित करना है। अत: वनों से राजस्व अर्जित करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। राज्य का मामला होने के कारण, वनों से राजस्व आंकड़ों का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मिलान नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

गांवों को अन्यत्र बसाने के लिए निधियां

5341. श्री शिवराज भैया:
श्री विजय बहुगुणा:
श्री देवराज सिंह पटेल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को वन्यजीव अभ्यारण्यों से गांवों को अन्यत्र बसाने के लिए मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड सहित राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी निधि स्वीकृत एवं जारी की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन प्रस्तावों को कब एक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों से अभ्यारण्यों समेत सुरक्षित क्षेत्रों से गांवों के पुन:स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए है। पिछले 2 वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तावित धनराशि और गांवों के पुन:स्थापना के लिए जारी की गई निधियों के ब्यारे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2008-09 के लिए गांवों की पुन: स्थापना

लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य नाम	सुरक्षित क्षेत्र के नाम	गांवों का पुन: स्थापना के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तावित धनराशि	जारी धनराशि
1.	राजस्थान	सरिस्का	1912.00	1979.50
		रणथम्भौर	500.00	464.00
2.	मध्य प्रदेश	कान्हा	1390.00	1390.00
		सतपुड़ा	1024.00	1024.00
		पन्ना	1811.00	1824.00
		बाध्वगढ़	2890.00	1580.00
3.	असम	मानस	1000.00	646.0945
4.	उड़ीसा	सिम्लिपाल	350.00	350.00
5.	तमिलनाडु	मधुमलाई	100.00	100.00
		कुल	28045.49	9258.7145

गांवों की पुन:स्थापना के लिए रिलीज (2009-10)

लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य नाम	सुरक्षित क्षेत्र का नाम	गांवों का पुन: स्थापना के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तावित धनराशि	जारी धनराशि
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़	अचानकमार	1000.00	1000.00
		बरनावापरा	3933.73	540.00
2.	मध्य प्रदेश	कान्हा	140.00	3.12
		सतपुड़ा	1150.00	1035.00
3.	मिजोरम	दाम्पा	2043.00	2043.00
4.	राजस्थान	रणथम्भौर	13000.00	10400.00
	कुल		21266.73	15021.00

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों के आश्रितों के लिए शिक्षा मानक

5342. श्री वैजयंत पाडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में अनिवासी भारतीयों के आश्रितों के लिए शिक्षा मानक विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिविल सेवाओं में रिक्तियां

5343. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में सिविल सेवाओं में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सिविल सेवाओं में विशेषकर आई.पी.एस. तथा आई.ए.एस. पदों पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कितनी रिक्तियां भरी जाएंगी;

(ग) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त आई.पी.एस. अधिकारी कमल किशोर की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग की आंतरिक सुरक्षा आवश्यकता के कारण आई.पी.एस. के पदों में वृद्धि किए जाने की सिफारिश पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों पर सरकार द्वारा कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में सिविल सेवा परीक्षा (सी.एस.ई.), 2009 तथा सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में भरी जाने वाली रिक्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

सिविल सेवा परीक्षा वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा
2009	131	130
2010	150	150

(ग) से (ङ) गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य संवर्गों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कमी का यथार्थवादी मूल्यांकन करने हेतु श्री कमल कुमार, भारतीय पुलिस सेवा (सेवानिवृत्त) की सेवाएं ली थी। उनके द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि संवर्ग पद संख्या का निर्धारण करने के लिए संवर्ग पुनरीक्षण हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन करके एक यथार्थवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाना चाहिए। तदनुसार, मार्गदर्शी सिद्धांतों का संशोधन कर दिया गया है और आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों को परिचालित कर दिया गया है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- संवर्ग की पुनरीक्षा करते समय, दीर्घ अवधि की अपेक्षा वाले मौजूद संवर्ग बाह्य पद संवर्ग में शामिल किए जाएंगे;
- वे नए पद जो संवर्ग-बाह्य पद के रूप में मौजूद नहीं हैं; संवर्ग में शामिल किए जाएंगे, यदि उनकी आवश्यकता कार्यात्मक रूप से न्यायसंगत है और उनकी लम्बी अवधि के लिए आवश्यकता है।
- भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग की पद संख्या का निर्धारण करने में, किसी राज्य की विशेष समस्या जैसे सुरक्षा, तटवर्ती सुरक्षा, मेगा सिटी पोलिसिंग, एल.डब्ल्यू. ई./उग्रवाद/आतंकवाद, संगठित/हाईटेक अपराध आदि पर विधिवत् विचार किया जाएगा।
- जहां तक सम्भव हो, प्रस्तावित संवर्ग संरचना डी.जी., ए.डी.जी., आई.जी., डी.आई.जी. और एस.पी. के पद के लिए क्रमशः 2:7.5:20.5:20:50 के अनुपात में होनी चाहिए।
- जो पद संवर्ग में पहले ही मौजूद है, परन्तु रिक्त पड़े हुए हैं अथवा प्रस्थगन में हैं, जैसे कि उनकी आवश्यकता नहीं है, को वि-संवर्गीकरण हेतु विचार किया जाएगा।

- किसी राज्य के संवर्ग में वृद्धि इस प्रकार होनी चाहिए कि यह 3 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर विद्यमान/अतिरिक्त रिक्तियां भरने के लिए तर्कसंगत रूप से व्यवहार्य हो।

दूतावासों में वीजा जारी किया जाना

5344. श्री मनीष तिवारी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी अथवा अन्य देशों में शरण हेतु वैसे प्रार्थियों के पासपोर्ट नवीकरण आवेदनों को निपटाने के लिए भारतीय दूतावासों द्वारा कोई मानदंड अपनाया जाता है जो कि शरण पाने के पश्चात दुनिया भर के विभिन्न देशों में अब ग्रीन कार्ड धारक अथवा इस प्रकार के अन्ध अर्ध-नागरिकता प्रपत्र धारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वैसे भूतपूर्व भारतीय नागरिकों के वीजा आवेदनों के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने राजनैतिक अथवा अन्य प्रकार की शरण ली तथा अब से विदेशी नागरिक हैं;

(घ) वीजा प्रदान किए जाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए भारतीय दूतावासों में अपनाई जाने वाली लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत से दूरस्थ निगरानी के लिए वीजा आवेदनों का आनलाइन निपटान किए जाने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदकों को परेशान न किया जाए;

(च) यदि हां, तो कार्यान्वयन समय-सीमा संबंधी तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या 1 अप्रैल, 2004 से 1 जनवरी, 2010 की अवधि के दौरान सैन फ्रांसिस्को (संयुक्त राज्य अमेरिका) तथा बैंकूवर (कनाडा) के भारतीय वाणिज्य दूतावासों के वीजा/काउंसेलर अनुभाग में कदाचारों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) जब किसी भारतीय राष्ट्रिक को किसी दूसरे देश में आश्रय दिया जाता है तब उस व्यक्ति को पासपोर्ट सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं और उसे यात्रा दस्तावेज के लिए प्राप्तकर्ता देश से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। केवल बेहद विशेष और उसके नजदीकी पारिवारिक सदस्य जैसे भारत में उसके माता, पिता, भाई या बहन की मृत्यु के संवेदनशील मामले में ही और जब प्राप्तकर्ता देश उसे भारत के लिए यात्रा दस्तावेज जारी करने से इंकार कर दे तब छह माह की सीमित वैधता का पासपोर्ट जारी किया जाता है जो उस देश के लिए वैध होता है जिसने उस व्यक्ति को आश्रय दिया है या जहां वह शरणार्थी है।

(ग) पूर्वकालिक भारतीय राष्ट्रिकों जिन्होंने विदेशों में आश्रय प्राप्त किया था और जो किसी विदेशी देश के नागरिक बन चुके हैं, को पूर्व अनुमोदन श्रेणी में रखा गया है। उन्हें वीजा मानवीय आधार पर ही प्रदान किया जाता है।

(घ) विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्टों जिन्हें बड़ी संख्या में वीजा आवेदनों का निस्तारण, वीजा आवेदन फार्मों का संग्रह और वीजा के साथ पासपोर्ट प्रदान करना होता है। उनके कार्यों को बाहरी स्रोतों से कराया जाता है। चूंकि आवेदक और मिशन/पोस्ट के कर्मचारियों के बीच कोई सम्पर्क नहीं होता, इसलिए वीजा देने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की गुजांइश नहीं है। अधिकांश दूसरे मिशन/पोस्ट जहां उनके द्वारा जारी वीजाओं की संख्या कम होने के कारण बाहरी स्रोतों से कार्य करना आवश्यक नहीं होता वहां वीजा शुल्क बैंकर्स चेक, कैशियर चेक या डेबिट कार्ड के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। मिशन/पोर्ट जो स्थानीय स्थितियों के कारण वीजा शुल्क नकद में स्वीकार करने के लिए विवश हैं, वे मिशन के बैंक खाते में दिन भर की संग्रह राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा कर देते हैं। वीजा अनुभाग के कामकाज की निगरानी एक वरिष्ठ अधिकारी करता है। लेखा परीक्षा दल आवधिक रूप से मिशनों/पोस्टों के दौरे करता है और उनके खाते की बारीकी से जांच करता है। मिशनों/पोस्टों द्वारा मंत्रालय को प्रेषित मासिक रोकड़ लेखों की भी लेखा परीक्षा लेखा नियंत्रक द्वारा की जाती हैं

(ङ) से (छ) पाकिस्तान स्थित हमारे मिशन में वीजा आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रणाली चालू की गई है। इसके अतिरिक्त, एक नियोजित और चरणबद्ध ढंग से बांग्लादेश, ब्रिटेन, अमरीका, जर्मनी आदि देशों में स्थित प्रमुख मिशनों में वीजा आवेदक ऑनलाइन प्रस्तुत करने की प्रणाली चालू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन

5345. श्री पी. करुणाकरन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दलित तथा अल्पसंख्यक अध्ययनों के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस संबंध में कोई योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य एवं लघु अनुसंधान परियोजनाओं, अध्यापकों को अनुसंधान पुरस्कारों सहित मानविकी एवं समाज विज्ञानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने और समाज विज्ञान तथा मानविकी शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलापों को बल प्रदान करने के उद्देश्य से कई स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है। अत: दलित तथा अल्पसंख्यक अध्ययन में अनुसंधान की रुचि रखने वाले विद्वान उपयुक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करके अध्येतावृत्तियों एवं अनुसंधान स्कीमों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो स्कीमों के तहत पात्रता शर्तें पूरा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय विषमताओं, सामाजिक अंतर को कम करने तथा उच्चतर शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी एक स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

वन अधिनियम का सरलीकरण

5346. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री के. सुधाकरण:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **पर्यावरण एवं वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के कारण मध्य प्रदेश सहित देश में खनिज संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इन नियमों को सरल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो इन नियमों को कब तक सरल बनाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत इन नियमों में अपेक्षित स्वीकृत अधिकतम 6 महीनों के अंदर प्रदान करने हेतु उपबंध करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) देश में, मध्य प्रदेश सहित, वन भूमि पर खनिज संसाधनों का दोहन, गैर-वानिकी उपयोग जैसे खान के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण) नियम, 2003 के उपबंधों के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किया गया जाता है। मंत्रालय में अब तक खनन के 2663 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और खनन के 1666 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मामले में, खनन के केवल 9 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित हैं। चूंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण) विनियम, 2003 वांछित परिणाम दे रहे हैं, अत: मंत्रालय में अनुमोदन प्राप्त करने के नियमों में परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पंजाब में विरासत स्थलों का संवर्धन एवं संरक्षण

5347. श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में विशेषकर आनंदपुर साहिब में अनेक विरासत स्थलों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) पंजाब के 32 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार आवश्यकता के आधार पर संरचनागत मरम्मत करके इन

स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव किया जाता है। इस समय आनंदपुर साहिब में कोई केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब के स्मारकों/स्थलों पर गया गया खर्च और चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

2007-08	237.45
2009-10	193.33
2010-11 (आबंटन)	200.23

सूचना के अधिकार के अंतर्गत लंबित मामले

5348. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री बिभू प्रसाद तराई:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्षों में देश में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो लंबित मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ये कितनी अवधि से लंबित हैं; और

(ग) मामलों के निपटान में विलंब के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) यह सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अन्तरनिहित तंत्र है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों का निपटान समय के अंदर हो जाए। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि कोई लोक प्राधिकारी सूचना को समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके ऊपर केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग द्वारा 25,000 रुपये तक की शास्ति लगाई जा सकती है।

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मानदंड

5349. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विद्युत परियोजनाएं अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मानदंडों में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए मानदंड कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) उन्नीस थर्मल पावर और तीन जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित हैं जिसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिसम्बर, 2009 में यथा संशोधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 में ताप विद्युत संयंत्रों सहित परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु प्रावधान है। इसे आगे संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) ऊपर प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.स.	राज्य	थर्मल पावर	हाइड्रो पावर
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	-
2.	छत्तीसगढ़	4	-
3.	गुजरात	2	-

1	2	3	4
4.	हिमाचल प्रदेश	-	1
5.	कर्नाटक	1	1
6.	मध्य प्रदेश	1	-
7.	महाराष्ट्र	3	-
8.	उड़ीसा	2	-
9.	तमिलनाडु	1	-
10.	सिक्किम	-	1

[हिन्दी]

आतंकवाद संबधी भारत-बांग्लादेश समझौता

5350. **श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बांग्लादेश ने आतंकवाद तथा संगठित अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तंत्र की स्थापना करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) 10 से 13 जनवरी, 2010 तक प्रधान मंत्री शेख हसीना के भारत के दौरे के दौरान भारत और बांग्लादेश ने संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। यह करार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद स्वापक द्रव्यों तथा उनके मन: अनुवर्ती रसायनों साहित प्रारंभिक द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने में सहयोग देता है तथा उन्हें जांच, अभियोजन तथा अपराध को रोकने में विधिक सहायता सहित उनके घरेलू कानून और विनियमों के आधार पर एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करता है।

[अनुवाद]

नए कोयला खान

5351. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित नए कोयला खानों का राज्य-वार/खान-वार/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी/सरकारी क्षेत्र में शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित ऐसे कोयला खानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान इन कोयला खानों द्वारा कोयला उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सीआईएल की चार नई कोयला परियोजनाओं और सेल के एक कैप्टिव ब्लॉक ने 2009-10 में योगदान करना आरम्भ कर दिया है। इन परियोजनाओं का राज्य-वार/खान-वार/कंपनी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कम्पनी	परियोजनाओं के नाम	किस्म	राज्य	स्वीकृत क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)
1.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	करमा	ओपनकास्ट (ओसी)	झारखंड	1.00
2.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	सीम III अंजन हिल	भूमिगत (यूजी)	छत्तीसगढ़	0.42
3.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	अमादान्द	ओपनकास्ट	मध्य प्रदेश	1.15
4.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महान II	ओपनकास्ट	छत्तीसगढ़	1.00
5.	स्टील अॅथोरिटी इंडिया लि.	तसरा	ओपनकास्ट	झारखंड	4.00

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं से कोयला उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कम्पनी	परियोजनाओं के नाम	किस्म	वास्तविक 09-10 (मि.ट.)	अनुमानि लक्ष्य 2010-11 (मि.ट. प्रतिवर्ष)	अनुमानित लक्ष्य 2011-12 (मि.ट. प्रतिवर्ष)
1.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	करमा	ओपनकास्ट (ओसी)	0.19	0.30	0.40
2.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	सीम III अंजन हिल	भूमिगत (यूजी)	0.38	0.40	0.42
3.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	अमादान्द	ओपनकास्ट	0.13	0.60	1.05
4.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	महान II	ओपनकास्ट	0.34	0.60	1.00
5.	स्टील ॲथोरिटी इंडिया लि.	तसरा	ओपनकास्ट	0.063	0.50	0.75

[हिन्दी]

पासपोर्ट कार्यालयों का निजीकरण

5352. श्री लालचन्द कटारिया:
डॉ. के.एस. राव:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पासपोर्ट कार्यालयों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) निजीकरण आम आदमी के लिए किस प्रकार लाभदायक होगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार का पासपोर्ट कार्यालयों के निजीकरण का प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने विद्यमान पासपोर्ट कार्यालयों के नेटवर्क के अंर्तगत पासपोर्ट सेवा का व्यापक तौर पर परिवर्तित करने हेतु मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित "पासपोर्ट सेवा परियोजना" शीर्षक मिशन-पद्धति-परियोजना शुरू की है। इसके मूल-स्वरूप में गैर-संवेदी अग्रछोर गतिविधियों का बाह्य स्रोतों के सेवा-प्रदाताओं से कार्य कराना तथा संप्रभु एवं संवेदी कार्य सरकार द्वारा करना/जारी रखना शामिल है। इस परियोजना के तहत, देश भर में 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक पीएसके का अध्यक्ष केन्द्रीय पासपोर्ट, संगठन के एक अधिकारी होगा। इस परियोजना के लिए एक समर्पित डाटा केन्द्र, आपदा उद्धार केन्द्र, केन्द्रीय पासपोर्ट प्रिंटिग सुविधा तथा नेटवर्क प्रचालन केन्द्र होंगे। अनुप्रयोग साफ्टवेयर और प्रणाली साफ्टवेयर के अलावा ये परिसंपत्तिंया सरकार के स्वामित्व में होंगी, ताकि पासपोर्ट सेवा प्रणाली पर कौशलपूर्ण नियंत्रण रखा जा सके।

(ङ) केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के कर्मचारियों ने कतिपय पर्यवेक्षकों के संबंध में अपनी अनापति सूचित कर दी है।

(च) इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नागरिकों को यथा-समय, पारदर्शी अधिकाधिक सुगम्य और विश्वसनीय ढंग से तथा एक निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा सुखद वातावरण में वचनबद्ध, प्रशिक्षित और अभिप्रेरित कार्यदल के माध्यम से पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रत्याशा है।

विकास के लिए अवसंरचना विकास

5353. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विकास के लिए अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है.

(ग) क्या इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधि का भी आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी निधियों की आवश्यकता है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत, सड़क, सिंचाई, पत्तन और रेलवे जैसे अवसंरचना के विकास पर कितनी राशि व्यय की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक अवसंरचना के विकास में कुल 20,56,150 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्रकवार प्रक्षेपित निवेश नीचे दिया गया है:

(2006-07 के मूल्यों पर करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	क्षेत्रक	ग्यारहवी योजना (प्रक्षेपित निवेश)
1	2	3
1.	विद्युत (एनसीई सहित)	6,66,525
2.	सड़क एवं पुल	3,14,152
3.	दूरसंचार	2,58,439
4.	रेलवे (एमआरटीएस सहित)	2,61,808
5.	सिंचाई (जलसंभर सहित)	2,53,301
6.	जलापुर्ति एवं स्वच्छता	1,43,730
7.	बंदरगाह	87,995
8.	हवाई अड्डे	30,968
9.	भंडारण	22,278
10.	गैस	16,855
	कुल	20,56,150

(ङ) योजना आयोग द्वारा एकत्रित प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में वास्तविक/प्रक्षेपित निवेश निम्नानुसार हैं:

(2006-07 के मूल्यों पर करोड़ रुपए में)

क्षेत्रक	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (वास्तविक/अनुमानित)	2009-10 (बजट अनुमान/प्रक्षेपित)
विद्युत	1,11,134	1,17,093	1,25,958
सड़क	42,741	48,108	54,638
सिंचाई	38,789	44,858	49,093
बंदरगाह	4,942	7,148	8,323
रेलवे	31,182	39,095	42,830

[अनुवाद]

शिक्षा पर व्यय

5354. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत तथा अन्य देशों में सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा का योगदान पृथक्-पृथक् कितना है; और

(ख) भारत तथा अन्य देशों में शिक्षा पर व्यय का तुलनात्मक आंकड़ा पृथक्-पृथक् कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) भारत संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में से शिक्षा पर किया गया व्यय 3.64% (अनन्तिम) था। अन्य देशों से संबंधित इस प्रकार के आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान द्वारा प्रकाशित ''ग्लोबल एजुकेशन डायजेस्ट 2009'' में दिए गए आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा का योगदान वर्ष 2007 के दौरान कुछ अन्य देशों में मिस्र (3.8%), बेलारूस (5.2%), यूक्रेन (5.4%), ताजिकिस्तान (3.4%), कम्बोडिया (1.6%), चीन का हांगकांग एसएआर (3.5%), न्यूजीलैंड (6.3%), थाईलैंड (3.9%), पेरू (2.5%), जमैका (6.5%), पाकिस्तान (2.9%), बंगलादेश (2.6%), इथियोपिया (5.5%), दक्षिण अफ्रीका (5.4%) तथा जाम्बिया (1.5%) था।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान भारत में शिक्षा पर 137383.99 करोड़ रु. की राशि (अनन्तिम) खर्च की गई। हालांकि, अन्य देशों हेतु शिक्षा पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है।

वन की परिभाषा

5355. श्री के. सुधाकरण: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वनों की कोई मानक परिभाषा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार की परिभाषा को अंतिम रूप देने पर कार्य कर रही है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे ''वनों'' को कब तक उस प्रकार परिभाषित किया जाएगा जो कि देश में विधिक-पारिस्थितिकीय सामाजिक रूप से स्वीकार्य होगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने, भारतीय संदर्भ में वनों को परिभाषित करने हेतु तकनीकी सेवा प्रदान करने के लिए अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एनवायरनमेंट (एटीआरईई) के साथ एक कन्सलटेंसी कान्ट्रक्ट किया था। एटीआरईई ने अपनी रिपोर्ट और वनों की परिभाषा प्रस्तावित की है जिस पर विचार किया जा रहा है और अन्तिम निर्धारण की प्रक्रिया में है।

भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग

5356. श्री संजय दिना पाटील:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री सोमेन मित्रा:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री प्रबोध पांडा:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की हाल में नई दिल्ली में बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बैठक के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विचार-विमर्श के दौरान तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर भी चर्चा की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों देशों के बीच मतभेद के समाधान के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) दोनों पक्षों के जल संसाधन मंत्रियों की अध्यक्षता में भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) ने नई दिल्ली में भेंट की तथा दिनांक 17-20 मार्च, 2010 को जेआरसी की 37वीं बैठक आयोजित की। दोनों पक्षों ने साझी नदियों के जल बंटवारे, नदी तट संरक्षण कार्यों, दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम शहर को पेय जल की आपूर्ति एवं फेनी नदी पर प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाएं बाढ़ पूर्वानुमान में सहयोग इत्यादि सहित जल संसाधनों में द्विपक्षीय सहयोग के समस्त मुद्दों पर चर्चा की।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) संयुक्त नदी आयोग की बैठक के दौरान, बंगलादेश पक्ष ने सूखे के मौसम (अक्तूबर-अप्रैल) के दौरान तीस्ता नदी के जल के अन्तरिम बंटवारे पर शीघ्र करार करने का प्रस्ताव किया गया तथा सहयोग हेतु अन्तरिम बंटवारे प्रबंधनों पर एक मसौदा प्रस्तुत किया। इस संबंध में, भारतीय पक्ष ने सुझाव दिया कि नदी में जल की कुल उपलब्धता का आकलन करने के लिए संयुक्त जल वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तीस्ता नदी के जल के बंटवारे संबंधी सिद्धांतों का प्रथमत: जल के बंटवारे पर आपसी सहमति होने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है तथा इसके संबंध में एक मसौदा विवरण प्रस्तुत किया। चर्चा के उपरांत इसके लिए सहमति हुई कि दोनों देशों के सचिव (जल संसाधन) बंगलादेश के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में प्रतिबिंबित की गई आपसी सहयोग की भावना में अंतरिम करार के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने हेतु उक्त दस्तावेजों की जांच करेंगे।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा

5357. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर तमिलनाडु में महिलाओं विशेषकर

समाज के पिछड़े वर्गों की महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के लिए वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) इस संबंध में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में महिलाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के लिए 2000 करोड़ रुपये का योजनागत आबंटन है। तथापि, स्कीम को संशोधित नहीं किए जाने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई खर्च नहीं हुआ है।

मानदण्डों में छूट

5358. श्री टी.आर. बालू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा को भरने के लिए इन अभ्यार्थियों की सीधी भर्तियों के संबंध में लिखित परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में मानदंडों में छूट देने के लिए सभी विभागों को कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए भी शिथिलीकृत मानदंड प्रदान करने के लिए इसी प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यार्थियों को प्रदान की गई छूट का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) अनुदेशों में प्रावधान है कि सीधी भर्ती के मामले में, चाहे परीक्षा द्वारा अथवा अन्यथा, यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरे जाने के लिए सामान्य मानक के आधार पर उपलब्ध नहीं हैं, इन समुदायों के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरे जाने के लिए ढील दिए गए मानक द्वारा ऐसे पद/पदों हेतु उनकी उपयुक्तता की शर्त के अध्यधीन चुना जा सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। अनुदेशों में प्रावधान है कि अ.पि. वर्ग हेतु उद्दिष्ट कोटे को भरने के क्रम में, मानकों की ढील अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के मामले जैसी ही ढील अ.पि.व. के उम्मीदवारों को प्रदान की जाए।

पिघलते हिमनदों का प्रभाव

5359. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री के. सुगुमार:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमनदों के पिघलने का हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल प्रवाहों, देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़ों तथा समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार जलवायु परिवर्तन तथा हिमनदों के पिघलने के प्रभाव के अध्ययन के लिए स्वदेशी अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करने का प्रस्ताव है क्योंकि इन्टर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई.पी.सी.सी.) द्वारा जारी किए आंकड़े त्रुटिपूर्ण थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने हिमालय के हिमनदों पर विस्तृत अध्ययन के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ माउंटेन डेवलपमेंट (आई.सी.आई.ओ.डी.) तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यकरण (यूएनईपी) के अनुरोध को नामंजूर कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययन ये उद्घाटित करते हैं कि हिमालयी नदी में रन ऑफ तेजी से बढ़ते रिसेशन के परिणामस्वरूप बर्फ के पिघलने के कारण सीमांत रूप से बढ़ सकते हैं। इससे अन्ततः हिमालय नदियों में जल की कमी हो सकती है। राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि पिछले दशक में समुद्र-स्तर–1.06-1.75 मिलियन लीटर प्रति वर्ष बढ़ा है। सरकार ने हिमनदों के रिसेशन के साथ नदी डिस्चार्ज, बाढ़ और समुद्र स्तर बढ़ोतरी को आकलित अथवा सहसंबंधित करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) सरकार हिमालयी ग्लेशियरों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव सहित ग्लेशियरों के रिसेशन के कारणों को निर्धारित करने के लिए व्यापक और दीर्घ अवधि अध्ययन की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है। सरकार आईपीसीसी के कथन से भी परिचित है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 2035 तक हिमालयी ग्लेशियरों के विलुप्तीकरण को सुझाने वाली जलवायु परिवर्तन (आईपीसीसी), 2007 पर अन्तर सरकारी पैनल की चतुर्थ मूल्यांकन रिपोर्ट रिसेशन के अपर्याप्त प्रमाणीकृत अनुमानों पर आधारित थी।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने श्री वी.के. रैना, पूर्व उप महा निदेशक भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिखित 'हिमालयन ग्लेशियर' ए स्टेट ऑफ आर्ट रिव्यू ऑफ ग्लेशियल स्टडीज, ग्लेशियल रीट्रीट एण्ड क्लाइमेट चेंज पर एक परिचर्चा दस्तावेज प्रकाशित किया। हिमालय ग्लेशियोलोजी पर एक नया रिसर्च सेंटर, वाडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जीओलॉजी, देहरादून में स्थापित किया गया।

(ङ) और (च) इन्टरनेशनल सेंटर फॉर माउंटेन डिवलैपमेंट तथा यूनाईटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) से प्राप्त ऐसा कोई अनुरोध नामंजूर नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विदेश में भारतीय छात्र

5360. श्री जगदीश ठाकोरः
श्री पी. बलरामः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री पोन्नम प्रभाकरः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेश में राज्य-वार और देश-वार कितने भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) क्या इस समय देश के सबसे अधिक छात्र अमरीका में अध्ययनरत हैं;

(ग) यदि हां, तो अन्य देशों में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए इन छात्रों द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(घ) इन छात्रों का विदेशों में पलायन रोकना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों अथवा उनके द्वारा इस बावत खर्च की गई निधियों से संबंधित विशिष्ट सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका स्थिति उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या के मामले में भारत शैक्षिक सत्र 2008-09 में 103260 भारतीय विद्यार्थियों के साथ अग्रणी देश बना हुआ है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान देश के भीतर उच्चतर शिक्षा के सुलभता का विस्तार एवं सुधार करने के लिए पहले ही कई नई उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की जा चुकी हैं। हालांकि, देश के भीतर अथवा विदेश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का मामला किसी व्यक्ति का निजी विकल्प होता है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कॉलेज

5361. डॉ. निशिकांत दुबेः
श्री महाबल मिश्राः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः
श्री कादिर राणाः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों की उपलब्धता में कोई समानता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में स्थित हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं; और

(च) देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की उपलब्धता में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, हां। इंजीनियरी कॉलेजों की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के पश्चात राज्य सरकारों द्वारा निजी उद्यम के माध्यम से की जाती है। चूंकि संस्थाओं की स्थापना का निर्णय या तो राज्य सरकार या स्व-वित्तपोषित संस्थाओं पर निर्भर होता है अत: इंजीनियरी कॉलेजों की उपलब्धता में कोई एकरुपता नहीं है।

(ङ) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में इंजीनियरी कॉलेजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन राज्यों, जहां इंजीनियरी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की संख्या जनसंख्या के प्रति लाख के मुकाबले में अखिल भारतीय औसत से अधिक है, में अनिवार्य अपेक्षा के रूप में कम से कम तीन परंपरागत विषयों के साथ इंजीनियरी संस्थाओं की स्थापना करने की अनुमति दी है। जबकि उन राज्यों में जहां इंजीनियरी कॉलेज में उपलब्ध सीटों की संख्या जनसंख्या के प्रति लाख के मुकाबले में अखिल भारतीय औसत से कम है, वहां इस प्रकार का प्रतिबंध लागू नहीं है।

विवरण

1	2	3
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	203
	छत्तीसगढ़	53
	गुजरात	89
पूर्वी	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
	असम	14
	मणिपुर	1
	मिजोरम	1
	नागालैंड	1
	त्रिपुरा	3
	अरुणाचल प्रदेश	1
	मेघालय	2
	सिक्किम	1
	उड़ीसा	88
	झारखंड	13
	पश्चिम बंगाल	79
उत्तरी	बिहार	17
	उत्तर प्रदेश	313
	उत्तराखंड	27
उत्तर-पश्चिमी	चंडीगढ़	5
	हरियाणा	140
	जम्मू और कश्मीर	8
	नई दिल्ली	24
	पंजाब	83
	राजस्थान	97
	हिमाचल प्रदेश	14
दक्षिण मध्य	आंध्र प्रदेश	593
दक्षिण	तमिलनाडु	433
	पुडुचेरी	11
दक्षिण पश्चिम	कर्नाटक	170
	केरल	114
	महाराष्ट्र	270
पश्चिम	गोवा	3
	दमन और दीव	0
	सकल योग	2872

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पादों की गणना

5362. श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय राष्ट्रीय संसाधन में कमी या बढ़ोत्तरी को आधार बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक राष्ट्रीय संसाधनों में कितनी वृद्धि या कमी हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में, उत्पादित परिसंपत्तियों में बढ़त या घटत, जो कि राष्ट्रीय संसाधनों का एक हिस्सा बनाती हैं, को ध्यान में रखा जाता है। उत्पादित परिसंपत्तियों में निरंतर वृद्धि होती है, जो कि सकल निश्चित पूंजी उपभोग (जीएफसीएफ) के रूप में मापा जाता है। उत्पादित परिसंत्तियों में घटत निश्चित पूंजी के उपभोग (सीएफसी) के रूप में मापी जाती है। 2004-05 से 2008-09 तक के वर्षो के लिए जीएफसीएफ और सीएफसी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

चालू कीमतों पर सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) और निश्चित पूंजी का उपभोग (सीएफसी)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	जीएफसीएफ	सीएफसी
2004-05	931517	321229
2005-06	1126917	369730
2006-07	1347057	424915
2007-08	1630513	489217
2008-09	1838499	575229

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

किलों तथा ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण

5363. श्री रतन सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों की रूचि और ऐतिहासिक विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण राजस्थान में भरतपुर का किला, जल महल डीग, डीग किला, बाणसौर बयाना, फुलवारी के किलों तथा वायर किला कुम्हारी पैलेस और भरतपुर जिले में स्थित कमान के चौरासी खंबों की मजबूती, संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है। ये स्मारक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आवश्यकता के आधार पर, पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन नियमित संरचनात्मक मरम्मत द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण तथा रखरखाव करता है जिसमें भरतपुर जिले में स्थित स्मारक शामिल हैं।

तथापि, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 22.03.2010 का पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को डंग टूरिस्ट सर्किट (सवाई-माधोपुर-करौली-भरतपुर) के अन्तर्गत 5 करोड़ रुपए की धनराशि का एक प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

बी.टी. कॉटन को अनुमति

5364. श्री विभू प्रसाद तराई:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.टी. कॉटन के द्वितीय पीढ़ी के उत्पादन की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उत्पाद का फील्ड परीक्षण सफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो परीक्षण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस फसल का वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। कीट प्रतिरोधी कपास की तीन नई किस्मों (i) मैसर्स डो एग्रो साइंसिस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित (i) क्राई 1 एसी और क्राई आईएफ (वाइड स्ट्राइक = इवेंट 3006-210-23 एण्ड इवेंट 281-24-236) (ii) जेके एग्रीजेनेटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित क्राई 1 एसी (इवेंट-1) और क्राई 1 ईसी (इवेंट-24); और (iii) मैसर्स माहिको द्वारा विकसित क्राई 1 एसी और क्राई 2 एबी (एमओएन 15985) और सीपी 4 ईपीएसपीएस (एमओएन 88913) को जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन कमेटी द्वारा जैव सुरक्षा आंकड़ों के जनरेशन के लिए सीमित फील्ड ट्रायल्स करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(ग) से (ङ) मौजूदा नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, यह आशा की जाती है कि फील्ड ट्रायलों और अन्य जैव सुरक्षा अध्ययनों को पूरा होने में कम से कम दो सीजन लगेंगे। उत्पाद की सफलता सुरक्षा, प्रभावोत्पादकता और कृषि निष्पादन की समीक्षा करने के बाद ही स्थापित की जा सकती है।

[हिन्दी]

कमान क्षेत्र विकास

5365. श्री देवजी एम. पटेल:
श्री भरत राम मेघवाल:
श्री लालचन्द कटारिया:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंग कमान सहित राजस्थान राज्य सरकार से राज्य के विभिन्न भागों में कमान क्षेत्र विकास के लिए कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (कैड एंड डब्ल्यू एम) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य को कमान क्षेत्र विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेट एच. पाला): (क) और (ख) कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) के अंतर्गत शामिल करने के लिए राजस्थान सरकार से दो परियोजनाएं नामत; 538.00 करोड़ रुपए धनराशि की गंग नहर परियोजना, 267.00 करोड़ रुपए धनराशि की भाखड़ा नहर चरण-1 परियोजना प्राप्त हुई थीं। इन परियोजना का इस शर्त के अधीन कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के लिए इस शर्त के अध्यधीन अनुमोदित किया गया है कि इन परियोजनाओं को शामिल करने के आदेश राजस्थान सरकार द्वारा समान संख्या में चालू सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं की पूर्णता रिपोर्ट जमा करने पर ही जारी किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने अब तक किसी चालू परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट जमा नहीं की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान सरकार को 9415.543 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई। चालू वित्तीय वर्ष (2010-11) के दौरान, केन्द्रीय सहायता जारी करने का प्रस्ताव अब तक राजस्थान सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) गंग नहर तथा भाखड़ा नहर चरण-1 परियोजनाओं को शामिल करने के लिए मंजूरी आदेश जारी करना, राजस्थान सरकार द्वारा जल संसाधन मंत्रालय को चालू सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं में से दो की पूर्णता रिपोर्टें जमा करने पर निर्भर करेगा।

अफगानिस्तान में परियोजनाओं का वित्त पोषण

5366. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अफगानिस्तान को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) काबुल स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ग) भारत सरकार द्वारा आगामी दिनों में अफगानिस्तान को किस प्रकार की सहायता प्रदान करने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत ने जलविद्युत, पावर ट्रांसमीशन लाइन, सड़क निर्माण, उद्योग, दूर संचार, सूचना और प्रसारण तथा क्षमता निर्माण

सहित व्यापक क्षेत्रों में अफगानिस्तान के सभी भागों में परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनकी अफगानिस्तान सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत ने पूरे अफगानिस्तान में कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्तर पर कम विकास की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका सामुदायिक जीवन पर सीधा और स्पष्ट प्रभाव पड़ा है और इससे स्थानीय स्वामित्व और प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इसमें अतिरिक्त अफगानिस्तान में पांच भारतीय चिकित्सा मिशनों द्वारा मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाता है। 2007 से विभिन्न परियोजनाओं पर हुआ वर्ष-वार व्यय निम्नानुसार है:-

(i)	2007-08	:	467.55 करोड़ रुपये
(ii)	2008-09	:	410.41 करोड़ रुपये
(i)	2009-10	:	208.49 करोड़ रुपये

अफगानिस्तान में भारत के सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य वहां शांति एवं स्थिरता लाने के साधनों के रूप में पुनर्निर्माण प्रयासों में अफगानिस्तान की सहायता करना है। भारत पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया में हमारे अफगान भागीदारों की सहायता करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि वे एक समृद्ध प्रजातांत्रिक एवं बहुवादी अफगानिस्तान का निर्माण कर रहे हैं।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विशेष प्रकोष्ठ

5367. श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भ्रष्टाचार पर निगाह रखने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालयवार/विभागवार प्रत्येक प्रकोष्ठ में कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का अपना निजी सतर्कता ढांचा होता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव, जिन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं, को विभाग में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार बनाया गया है।

(ग) इस सूचना का रखरखाव केन्द्रीयकृत रूप से नहीं किया जाता है।

शहीदों का राष्ट्रीय रजिस्टर

5368. श्री नृपेन्द्र नाथ राय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहीदों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन नामों के चयन संबंधी निर्णय करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ गठित उच्च स्तरीय समिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) 1846 से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ङ) क्या सरकार को युद्ध क्षेत्र में जनरल शाम सिंह अटारीवाला की ऐतिहासिक शहादत की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो उक्त रजिस्टर में कूका आंदोलन के शहीदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) को "शहीदों की डिक्शनरी: भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1957-1947" नामक भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के शहीदों के राष्ट्रीय रजिस्टर के समेकन पर आधारित एक अनुसंधान परियोजना का काम सौंपा गया है।

(ख) देश के विभिन्न भागों से इतिहासकारों और संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रतिनिधि वाली एक सलाहकार समिति चयन के सिद्धांतों पर सलाह देगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है कि शहीदों की पहचान और उनकी जीवनी संबंधी नोट प्रामाणिक और जहां तक संभव हो, प्राथमिक या अभिलेखीय स्रोतों पर आधारित हों।

(ग) देश के विभिन्न भागों से इतिहासकारों और संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रतिनिधि वाली सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

(1) प्रो. एस. भट्टाचार्य (पदेन अध्यक्ष, आईसीएचआर)

(2) संबंधित संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

(3) प्रो. अर्जुन देव, समन्वयक, स्वतंत्रता की ओर परियोजना, आईसीएचआर

(4) प्रो. वी. रघोत्तम, अध्यक्ष, इतिहास विभाग, पुडुचेरी विश्वविद्यालय

(5) प्रो. स्वराज बसु, प्रोफेसर, इतिहास, इग्नू

(6) प्रो. टी.आर. घोवले, प्रोफेसर, इतिहास, मुम्बई विश्वविद्यालय

(7) प्रोफेसर आर. सुभाष चक्रवर्ती, प्रोफेसर, इतिहास, कलकता विश्वविद्यालय

(8) प्रोफेसर इन्दु बंगा, प्रोफेसर, इतिहास, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

(9) प्रोफेसर वी. रामाकृष्ण, प्रोफेसर, इतिहास, हैदराबाद विश्वविद्यालय

(10) प्रोफेसर एन. राजेन्द्रन, संकायाध्यक्ष कला और प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, भारतीसदन विश्वविद्यालय

(11) डॉ. सुनीता पठानिया, प्रोफेसर, इतिहास, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (सलाहकार उत्तरी क्षेत्रीय समिति)

(12) प्रोफेसर के.एल. टुटेजा, प्रोफेसर, इतिहास, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (सलाहकार उत्तरी क्षेत्रीय समिति)

(13) प्रोफेसर अमित के. गुप्ता, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (सलाहकार उत्तरी क्षेत्रीय समिति)

(14) श्री एस.एम.आर.बाकर, कार्यकारी महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

(15) डॉ. प्रमोद मेहरा, सहायक निदेशक (अभिलेख), भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

(घ) 09.02.2009 को संपन्न सलाहकार समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार वर्तमान परियोजना में वर्ष 1857-1947 की अवधि शामिल है। 1857 से पहले की अवधि के लिए अलग परियोजना पर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) विचार कर रही है और प्राप्त प्रस्ताव को सलाहकार समिति को भेजा जाएगा।

(ङ) यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि अटारी के श्री सरदार निहाल सिंह के सुपुत्र प्रसिद्ध सिख जेनेरल शाम सिंह अटारीवाला फरवरी 1846 के संग्राम में शहीद हुए थे।

(च) 1857 और 1947 की अवधि के बीच कूका आंदोलन के शहीदों के नाम शामिल किए जाएंगे।

मुर्मूगांव पत्तन न्यास पर कोयले की डंपिंग

5369. श्री नरहरि महतो: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुर्मूगांव पत्तन न्यास पर बंर्थिग जेटीस के समीप भारी मात्रा में कोयले को डंप किए जाने के कारण गोवा में बड़े पैमाने पर धूल प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार गोवा में कितना आयातित कोयला डंप किया गया है;

(घ) आयातकों द्वारा अनलोडिंग स्थलों से कोयला उठाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार गोवा में जमा आयातित कोयले की मात्रा लगभग 1.74 लाख टन थी।

(घ) 85% आयातित कोयले/कोक की निकासी सड़क द्वारा तथा शेष 15% की रेल द्वारा की जाती है। बाईपास रोड के अभाव में ट्रकों की आवाजाही शहर से होकर होती है और दिन के समय में शहर से होकर ट्रकों की आवाजाही पर सड़क परिवहन संगठन द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों से कारगो की समय पर निकासी प्रभावित हो रही है। रात के दौरान कोयला ट्रकों की आवजाही का स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा, पोर्ट से कोयला भंडारों की निकासी में आयातकों की वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी विलम्ब हो रहा है।

(ङ) कोयले ढेरों को तरपालों से ढका जा रहा है और धूल सृजन को रोकने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मुर्मूगांव पोर्ट यूजर्स एसोसिएशन ने आसपास की हवा की किस्म को मोनीटर करने के लिए केन्द्र स्थापित किए हैं तथा रीडिंग्स अनुमत्य सीमाओं के भीतर है। पोर्ट ट्रस्ट भी बाई पास रोड को पूरा करने तथा शहर से होकर ट्रकों की आवाजाही को शीघ्रतापूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकार के साथ मामले को आगे बढ़ा रहा है। पोर्ट पर कारगो के अधिक समय तक रहने से बचने के लिए जून, 2009 से भारी विलम्ब शुल्क लागू किया गया है। पोत से कोयले की समय पर निकासी सुनिश्चित करने के लिए कोयला पोतों के लिए नए बर्थिंग दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

पृथक तकनीकी विश्वविद्यालय

5370. श्री अर्जुन मुंडा:
श्री रमेन डेका:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर जनजातीय छात्रों के विकास के लिए पृथक केन्द्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनजातीय छात्रों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने जनजातीय छात्रों की आबादी वाले क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसी राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थाएं स्थापित की हैं। इन संस्थाओं में आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएम, शिलांग तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में संस्वीकृत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और झारखंड राज्य का भारतीय प्रबंध संस्थान शामिल हैं।

[अनुवाद]

मछुआरों को मुआवजा

5371. श्री राजेन्द्र सिंह राणा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से अपनी नावों के बगैर रिहा होने वाले मछुआरों को कोई मुआवजा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय सदस्य जहाजों को लगातार हिरासत में लेने के कारण हुई कठिनाइयों को दूर करने तथा मछुआरों के जीवनयापन पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2007 में एक राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें (क) पाकिस्तान में हिरासत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम सम्बन्धी को 3 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि, (ख) पाकिस्तान के कब्जे में प्रत्येक नाव/ट्रालर के मालिकों को छोटी नाव के लिए 30,000 तथा ट्रालर के लिए 5 लाख रुपये की सीधी सहायता का उल्लेख है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीएडीए) को पैकेज लागू करने के लिए कहा गया है। पैकेज की घोषणा करते समय यह निदेश दिया गया था कि वित्त मंत्रालय नावों को बदलने के लिए उदार दरों पर उचित ऋण पैकेज विकसित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी तथा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन व मात्स्यिकी विभाग से सम्पर्क करेगा।

(ख) और (ग) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार संबंधित विभाग ने मार्च, 2009 में पाकिस्तान के कब्जे में मत्स्य जहाजों को बदलने के लिए 19.56 करोड़ रुपये की कुल लागत पर उदार ऋण पैकेज की योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के कब्जे में मात्स्यिकी जहाजों को बदलने के लिए प्रत्येक जहाज के मालिक को 6 लाख रुपये की सीमा के अध्याधीन प्रत्येक जहाज की लागत के 30% तक की पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार से मत्स्य लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत जो 20 मीटर तक जहाजों के लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। यह योजना समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडीडीए) द्वारा लागू की जाती है। इस विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मार्च, 2009 में एमपीईडीए को 100 लाख रुपये की पहली किश्त भी प्रदान की है।

मल्टीपल शिफ्ट

5372. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शिक्षा की उपलब्ध अवसंरचना का इष्टतम उपयोग करने के साथ-साथ साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों तथा विद्यालयों को मल्टीपल शिफ्टों में चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टैक्टिक और मिस्टिक टेलीस्कोपों की स्थापना

5373. श्री पूर्णमासी राम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा टैक्टिक और मिस्टिक टेलीस्कोपों की स्थापना पर 16.18 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी विभाग अभी तक इनकी स्थापना नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे माउंट आबू से हनले, लद्दाख में स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, नहीं। 'टैक्टिक' टेलीस्कोप को माउंट आबू में स्थापित किया गया और उसका उन्नयन किया गया है। 'टैक्टिक' टेलीस्कोप द्वारा गांगेय और परा-गांगेय पिंडों से एकत्र किए गए उपयोगी आंकड़ों को अधिक प्रभावशाली जर्नलों में प्रकाशित किया गया है। 30 संसूचकों वाले व्यूहयुक्त प्रोटोटाइप 'मिस्टिक' को वर्ष 1995-96 के दौरान स्थापित किया गया था और उसे वर्ष 1999 तक विभिन्न विन्यासों के साथ प्रचालित किया गया। इस अवधि के दौरान वायुमंडलीय चैरेनकोव के ध्रुवण गुणधर्मों के बारे में उपयोगी आंकड़े एकत्र किए गए थे। गामा किरण खगोलिकी में वैश्विक विकास की वजह से 'मिस्टिक' के उन्नयन का कार्य हाथ में नहीं लिया गया।

(ग) एक ही स्थान पर चार टेलीस्कोप (टैक्टिक, मिस्टिक बेस्ट और मेस) स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा इस कार्यक्रम की पुनरीक्षा करने पर, जम्मू व कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हनले नामक स्थल पर एक बड़े व्यास वाले 'मेस' (बृहत् वायुमंडलीय चैरेनकोव अनुप्रयोग) टेलीस्कोप को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। स्थान परिवर्तन के लिए ध्यान में रखी गई मुख्य बातें हनले की अधिक ऊंचाई (4200 मीटर एएसएल) और वर्ष भर आसमान साफ रहने की परिस्थितियां थीं।

[हिन्दी]

पुरातात्त्विक खुदाई कार्य

5374. श्री महेश्वर हजारी:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बिहार सहित देश में राज्य-वार पुरातात्त्विक खुदाई कार्यों का सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित की गई पुरातात्विक खुदाई कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) फतेहपुर सीकरी के समीप शुरू की गई खुदाई किस चरण में है; और

(ङ) राजस्थान और महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ सहित उक्त खुदाई कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य–वार क्या तंत्र मौजूद है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण बिहार सहित देश में पुरातत्वीय उत्खनन कार्यों का सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहा है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू फील्ड सत्र के दौरान किए गए उत्खननों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) हाल ही में फतेहपुर सीकरी के निकट कोई उत्खनन कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ङ) जहां कहीं उत्खनन कार्य शुरू किया जाता है वहां संबंधित उत्खनन स्थलों पर उत्खनन पर निरन्तर निगरानी रखने तथा आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	स्थल का नाम	राज्य	फील्ड सत्र
1	2	3	4
1.	नालगोंडा तथा गुंटूर जिलों में पुलीचिन्तला सिंचाई परियोजना का डूब क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	2008-09
2.	कोंडापुर, जिला मेढ़क	आंध्र प्रदेश	2009-10
3.	अम्बारी, जिला कामरूप	असम	2008-09
4.	जफरडीह, जिला नालन्दा	बिहार	2006-07,
5.	घोरकटोरा, जिला नालन्दा	बिहार	2007-08, 2008-09
6.	कुशी, जिला मुजफ्फरपुर	बिहार	2007-08
7.	निन्दौर, जिला भभुआ	बिहार	2009-10
8.	मल्हार, जिला बिलासपुर	छत्तीसगढ़	2009-10
9.	संत अगस्टाइन परिसर, पुराना गोआ, जिला उत्तरी गोवा	गोवा	2007-08, 2008-09
10.	नेत्र खीरसारा, जिला कच्छ	गुजरात	2009-10
11.	प्राचीन स्तूप अवशेष तथा साथ लगा क्षेत्र मालंगपोरा, जिला पुलवामा	जम्मू और कश्मीर	2009-10
12.	टिब्बा नाम शाह, मढ़ ब्लाक, जिला जम्मू	जम्मू और कश्मीर	2007-08, 2008-09, 2009-10
13.	दौलताबाग किला, दोलताबाग	महाराष्ट्र	2006-07 और 2009-10
14.	बाराबती किला, जिला कटक	उड़ीसा	2006-07 और 2007-08
15.	प्राचीन स्थल बारा, जिला रोपड़	पंजाब	2007-08
16.	मोदीकुप्पम, जिला वेल्लौर	तमिलनाडु	2009-10
17.	सेंगल्लूर तथा वादकीपट्टी तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु	2009-10
18.	अहिछत्र, रामनगर, जिला बरेली	उत्तर प्रदेश	2006-07, 2008-09, 2009-10
19.	लाथिया जिला गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	2009-10
20.	उर्नाह डीह तथा कोट, जिला इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	2007-08
21.	वानगढ़, जिला दक्षिण दीनाजपुर	पश्चिम बंगाल	2006-07, 2008-09, 2009-10

शिक्षा क्षेत्र के लिए धनराशि

5375. श्री महाबल मिश्राः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर पृथक-पृथक कुल सकल घरेलू उत्पाद की कितनी प्रतिशत धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में दिल्ली के लिए इस आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान केन्द्र तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (अनुमानित) की प्रतिशत्ता के रूप में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पर किया गया व्यय इस प्रकार है:-

क्र.सं.	सेक्टर	2006-07	2007-08 (संशोधित अनुमान)	2008-09 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
1.	प्रारंभिक शिक्षा	1.64	1.73	1.71
2.	माध्यमिक शिक्षा	0.85	0.86	0.94
3.	उच्चतर शिक्षा	0.70	0.64	0.57
4.	प्रौढ़ शिक्षा	0.01	0.01	0.01
5.	तकनीकी शिक्षा	0.44	0.49	0.55
	कुल	3.64	3.74	3.78

(ख) से (घ) इस मंत्रालय द्वारा राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। हालांकि, प्राप्त हुए प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक योजना के तहत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संस्थाओं को अनुदान दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

5376. श्री दारा सिंह चौहानः
श्री निलेश नारायण राणेः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों में आय और योग्यता के आधार पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई है; और

(घ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष-वार तथा राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 से "कालेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम" शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत कक्षा XII अथवा समकक्ष परीक्षा में 80 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले "गैर क्रीमी लेयर" के छात्रों के मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर अध्ययन करने के लिए प्रति वर्ष 82,000 तक नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। स्नातक स्तर पर पहले तीन वर्षों के लिए 1000 रु. प्रति माह तथा उसके पश्चात 2000 रु. प्रति माह की दर, से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। छात्रवृत्ति राशि छात्रों के बैंक एकाउंट में जमा की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रवृत्तियों का आवंटन 18-25 वर्ष आयु समूह में मौजूद उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत राशि तथा लाभान्वितों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/बोर्ड	संस्वीकृत राशि 2008-09	संस्वीकृत राशि 2009-10	लाभान्वितों की संख्या 2008-09	लाभान्वितों की संख्या 2009-10
1	2	3	4	5	6
1.	असम	1280000	2760000	128	276
2.	बिहार	20000	20000	02	02
3.	के.मा.शि.बो.	8950000	75520000	4835	7552
4.	गोवा	470000	1300000	80	130
5.	गुजरात	388830000	72800000	3883	7280
6.	हरियाणा	15910000	18910000	1591	1891
7.	हिमाचल प्रदेश	2300000	6910000	109	691
8.	सी.आई.एस.सी.ई.	1010000	4260000	291	426
9.	जम्मू और कश्मीर	60000	430000	06	43
10.	केरल	15360000	29960000	1536	2996
11.	मध्य प्रदेश	25580000	51980000	2558	5198
12.	महाराष्ट्र	9110000	17670000	911	1767
13.	मिजोरम	30000	40000	03	04
14.	नागलैंड	20000	130000	02	13
15.	पंजाब	6530000	14850000	678	1485
16.	राजस्थान	260000	40040000	1167	4004
17.	तमिलनाडु	40290000	–	4883	राज्य बोर्ड द्वारा अभी तक सूचित नहीं किया गया है
18.	उत्तराखंड	1390000	–	158	-वही-
19.	आन्ध्र प्रदेश	23242286	48437451	5246	-वही-
20.	छत्तीसगढ़	5287362	–	राज्य बोर्ड द्वारा सूचित नहीं किया गया	-वही-
21.	झारखंड	7159096	–	19	-वही-
22.	कर्नाटक	16151807	73580000	3794	

1	2	3	4	5	6
23.	मणिपुर	689988	220000	21	22
24.	मेघालय	532806	180000	26	18
25.	उड़ीसा	10429866	2390000	157	239
26.	त्रिपुरा	899651	1430000	75	143
27.	उत्तर प्रदेश	43686504	15160000	39	1516
28.	पश्चिम बंगाल	22647602	19740000	1974	राज्य बोर्ड द्वारा अभी तक सूचित नहीं किया गया है

ऊपर शामिल नहीं किए गए राज्य केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गमत शामिल किए जाते हैं। राज्या बोर्डों आदि से उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त किए जाने हैं।

[अनुवाद]

व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाएं

5377. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:
श्री बलीराम जाधव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य-सरकार विशेषकर महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास निजी-सरकारी भागीदारी के आधार पर विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पीपीपी आधार पर व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की मौजूदा योजना के तहत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि पॉलीटेक्निक उपमिशन के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में 300 पॉलीटेक्निक संस्थान स्थापित किए जाने हैं लेकिन इस योजना के तहत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। आन्ध्र प्रदेश से सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में 53 पॉलीटेक्निकों के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की योजना या पॉलीटेक्निकों के उपमिशन के तहत ऐसे कोई भी दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

शुल्क ढांचे का स्वतः प्रकटन

5378. श्री संजय निरुपम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो शैक्षिक संस्थाओं को इस बात के लिए बाध्य करती हो कि वे अपने शुल्क ढांचे, अवसंरचना की उपलब्धता, तथा शिक्षक और उनकी योग्यताओं का खुलासा अपने विवरण-पत्र में करें और यदि संस्था के दावों में कोई फर्क रहता है या विद्यार्थियों की वास्तविक उपलब्धता कम होती है तो इसके बारे में भी बतायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी हां। तकनीकी तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले कदाचारों के निषेध एवं

दण्ड के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम रूप दिया गया है। इस विधान का मुख्य उद्देश्य; संस्थाओं को दाखिला नीति, शुल्क ढांचे, अवसंरचना की उपलब्धता तथा उनके विवरण पत्र में किए गए स्वत: प्रकटन के माध्यम से संकाय एवं उनकी योग्यताओं तथा छात्रों एवं अन्यों से संबंधित अन्य ऐसे मामलों के संबंध में जवाबदेही बनाना है। अधिदेशात्मक प्रकटन अपेक्षाओं अथवा विवरण पत्र में वर्णित मामलों के उल्लंघन हेतु सिविल, आर्थिक तथा अपराधिक दंडों का प्रस्ताव किया गया है।

सैटेलाइट फोन सेवाएं

5379. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सैटेलाइट फोन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने स्वयं के सैटेलाइट को न रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में विदेशी कंपनियों से किए गए अनुबंध का ब्यौरा क्या है और यह अनुबंध कितने समय के लिए है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) भारत ने इष्टतमी संरूपण में चयनित प्रयोक्ताओं के लिए इनसैट-3 सी पर मोबाइल उपग्रह सेवा (एमएसएस) का प्रयोग करके प्रचालनात्मक उपग्रह फोन प्रणाली की प्राप्ति की है।

(ख) सरकार ने उपग्रह फोन सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी एजेंसी/कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का ठेका तय नहीं किया है।

जूनागढ़ में संरक्षित स्मारक

5380. श्री विलास मुत्तेमवार:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जूनागढ़ (गुजरात) में संरक्षित स्मारकों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या किसी धार्मिक संगठन या किसी अन्य निकाय ने उक्त स्मारकों की मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए अनुमति मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन स्मारकों के संबंध में राज्य सरकार की भूमिका और दायित्व क्या है;

(च) क्या इस बारे में प्रशासन के किसी ऐसे उपेक्षापूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैये की शिकायतें मिली हैं जिसकी वजह से भक्तों के एक वर्ग द्वारा उनके अबाधित पूजा और प्रार्थना के अधिकार की वस्तुत: मनाही हो गई है;

(छ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को यह परामर्श दिया है कि वह उन भक्तों की परंपरा के अनुरूप उनके पूजा और प्रार्थना के मौलिक अधिकार पर अबाध अमल सुनिश्चित करें; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जूनागढ़ (गुजरात) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन संरक्षित स्मारकों का ब्यौरा तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके रखरखाव पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, बैतुलमल फंड, मंगलौर, जिला जूनागढ़ (गुजरात) ने मंगलौर, जूनागढ़ में स्थित जामी मस्जिद की मरम्मत आदि करने के लिए अनुरोध किया है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार आवश्यकता के आधार पर मस्जिद की विशेष मरम्मत शुरू की है।

(ङ) यद्यपि केन्द्र संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण तथा रखरखाव पर सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है, तथापि राज्य सरकार से अवसंरचनात्मक सहायता देने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन की आशा की जाती है।

(च) से (ज) प्रशासन के उपेक्षापूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक संरक्षण में लेने के समय जिन स्मारकों में पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी, उन स्मारकों में पूजा पुन: प्रारम्भ करने का संबंध है, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों में बिना किसी रुकावट के पूजा या प्रार्थना करते रहने की अनुमति है। किन्तु राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षण में लिए जाने के समय जिन स्मारकों

में पूजा या प्रार्थना नहीं की जाती थी प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंध उन स्मारकों में पूजा या प्रार्थना पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं करते।

विवरण

जूनागढ़ (गुजरात) में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची तथा वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (जनवरी 2010 तक) के दौरान इनके रखरखाव पर किये गए व्यय का ब्यौरा

क्रम. सं.	स्मारक/स्थल का नाम	2006-07 (रुपये)	2007-08 (रुपये)	2008-09 (रुपये)	2009-10 (जनवरी 2010 तक रुपये)
1.	मंगरौल स्थित स्मारक (जामी, रावेली, रहमत बीबी की मस्जिद)	-	-	57,966	11,00,028
2.	बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़	39,123	97,441	1,31,624	2,25,802
3.	खपराका कोडिया गुफाएं जूनागढ़	1,17,471	-	34,029	30,878
4.	बाबा प्यारे गुफाएं, जूनागढ़	6,443	-	34,063	34,857
5.	अशोक शिलालेख, जूनागढ़	26,482	1,66,072	40,949	71,715
6.	प्राचीन टीला (बौद्ध) स्थल, इंतवा	2,167	-	-	-
7.	रणछोड़ राय जी मंदिर, मूलद्वारका	-	-	5,000	2,93,807
	कुल	1,91,686	2,63,513	3,03,631	17,57,087

भारत के विरुद्ध प्रयोग किए गए अमरीकी हथियार

5381. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने लंदन में खुलासा किया है कि तालिबान का मुकाबला करने के लिए अमरीका द्वारा पाकिस्तान को आपूर्ति किए गए हथियारों का भारत के विरुद्ध प्रयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) सरकार ने रिपोर्टें देखी हैं कि पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने सितम्बर, 2009 में स्वीकार किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को दी गई सहायता का उपयोग भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। सरकार ने अमेरिकी सरकार को लगातार अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, जो कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए प्रदान की गई अमेरिकी सैन्य सहायता को भारत के विरुद्ध तैनाती के लिए हथियारों का अधिग्रहण करने

से संबंधित है। अमेरिकी सरकार ने हमारी चिंताओं को नोट कर लिया है। सरकार पूरी तरह सतर्क रहती है तथा भारत की सुरक्षा व राष्ट्रीय हितों के सुरक्षा उपायों के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

असैन्य परमाणु समझौते

5382. श्री एम.आई. शानवास: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) को अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों के निरीक्षण की अनुमति देने पर औपचारिक रूप से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आईएईए सैन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या विभिन्न देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौतों के क्रियान्वयन में कोई बाधाएं आ रही हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) परमाणु ईंधन पुनर्प्रसंस्करण के बारे में अमरीका के साथ अंतिम दौर की वार्ता में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) संसद के पटल पर 11.05.2006 को रखी गई भारत की पृथक्करण योजना के अनुसरण में, असैन्य नाभिकीय सुविधाओं पर सुरक्षोपायों को लागू किए जाने के संबंध में भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच 2 फरवरी, 2009 को किए गए करार के तहत अब तक 10 नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को सुरक्षोपायों के अंतर्गत रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में भारत और विभिन्न अन्य देशों के बीच किए गए करारों को सम्मत शर्तों के अनुसार लागू किया जाना है और उनको लागू किए जाने में कोई रुकावटें दिखाई नहीं दे रही हैं।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के संबंध में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच सहयोग हेतु किए गए करार के अनुच्छेद 6 (iii) में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि, भारत, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों अंतर्गत सुरक्षोपाय के अधीन वाले नाभिकीय पदार्थ के पुनर्संसाधन के लिए समर्पित एक नई राष्ट्रीय पुनर्संसाधन सुविधा स्थापित करने के लिए सहमत है। करार के अनुच्छेद 6 (iii) के अनुसार व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के संबंध में एक वर्ष के भीतर परामर्श करना है।

मार्च, 2009 में, संयुक्त राज्य अमरीका ने, भारत-यूएस के बीच हुए करार के अनुच्छेद जो 6 (iii) व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित है, का हवाला देते हुए भारत के अनुरोध का उत्तर देते हुए यह पुष्टि की कि औपचारिक परामर्श का पहला दौर अधिक से अधिक 3 अगस्त, 2009 तक आरंभ होगा तथा व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के संबंध में अंतिम करार अधिक से अधिक 3 अगस्त, 2010 तक कर लिया जाएगा। इस पाठ को, 2-4 मार्च, 2010 में की गई बातचीत के आखिरी दौर में अंतिम रूप दे दिया गया है। व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, आवश्यक अनुमोदन लिए जाना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

घागर स्थायी समिति

5383. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री भरत राम मेघवाल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घागर स्थायी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति के विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) घागर बेसिन में विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति देने हेतु उक्त समिति द्वारा अब तक क्या पहलें की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, हां।

(ख) घागर बेसिन में बाढ़ नियंत्रण और जल निकास की स्कीमों को स्वीकृति देने के लिए शुरुआत में घागर समिति का

गठन 1968 में किया गया था। इसे मई, 1978 में एक स्थाई समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा फरवरी 1990 में इसे निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ आगे संशोधित/पुनर्गठित किया गया:

(i) घागर बेसिन में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास कार्यों की जांच और समन्वय करने तथा इनके कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता का निर्धारण करना।

(ii) घागर बेसिन में अलग अलग स्कीमों को अंतर्राज्जीय दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान करना।

(ग) समिति ने 25.03.2010 को आयोजित की गई अंतिम बैठक सहित अभी तक 23 बैठकें आयोजित की हैं तथा घागर बेसिन में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के विभिन्न मुद्दों/स्कीमों के बारे में विचार विमर्श किया। गत दस वर्षों में इसने घागर बेसिन में अंतर्राज्जीय दृष्टिकोण से पंजाब की छः स्कीमों, हरियाणा की दो और राजस्थान की एक स्कीम को स्वीकृति दी है।

[अनुवाद]

मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय

5384. श्री पी.के. बिजू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्दू में शिक्षा प्रदान करने की सरकार की क्या विशिष्ट योजना है तथा स्कूल बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर पर नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में 9501 प्राथमिक स्कूल और 10875 उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ग) भाषा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दो उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान है।

स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करने और प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाओं में सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना है जिन्हें वर्ष 2009-10 में क्रमशः 13100 करोड़ रुपये और 7359 करोड़ रुपये की केन्द्रीय बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

लद्दाख क्षेत्र के छात्र

5385. श्री हसन खान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख क्षेत्र के छात्र, जम्मू और कश्मीर हेतु स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों का दाखिला, अखिल भारतीय स्तर पर योग्यता आधार पर किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल के सुधार हेतु तकनीक

5386. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने तेल विकास बोर्ड (ओआईडीबी) के वित्तपोषण से जैविक साधनों के माध्यम से कच्चे तेल, अपमिश्रित मृदा में सुधार हेतु एक तकनीकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादनकारी प्रयोजनों हेतु अपमिश्रित मृदा में सुधार के लिए इस तकनीक का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी हां। विकसित की गई इस प्रौद्योगिकी में मृदा की तेजी से कृषि योग्य बनाने और पर्यावरण को पुन:प्रतिष्ठित करने के लिए समाधान के रूप में नवोन्मेषी जैव एवं पादप उपचारण साधनों द्वारा उत्प्रेरित वनस्पति का प्रारंभ शामिल है। इस प्रौद्योगिकी का ओएनजीसी की अमगुरी, बोरहोला तथा गैलिकी नामक साइटों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) द्वारा इन जांचों के परिणाम अत्यधिक संतोषजनक पाए गए हैं।

(ग) इस प्रौद्योगिकी का तेल क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में प्रचार-प्रसार किया गया। परिणामस्वरूप, ओएनजीसी ने इस संस्थान की सहायता से इस प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग अपने छह संदूषित स्थलों में किया है।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा का वाणिज्यिकरण

5387. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा के वाणिज्यिकरण तथा वाउचर प्रणाली को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सरकार का लगातार यह मानना है कि भारत में शिक्षा को व्यावसायिक दृष्टि से नहीं देखा जाता है और भारत में सभी शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक रूप से "अलाभकारी" मोड में स्थापित किया जाना चाहिए। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 की धारा 13 में प्रावधान है कि किसी भी छात्र को दाखिला देते समय कोई भी स्कूल अथवा व्यक्ति किसी प्रकार की भी कोई कैपिटेशन फीस नहीं लेगा और छात्र अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावक को किसी जांच-परख की प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 01 अप्रैल, 2010 से लागु हुआ है।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र में जल की उपलब्धता

5388. श्री समीर भुजबल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भू-जल संरक्षण एवं दोहन के संबंध में भू-जल जियोलोजिस्ट तथा हाइड्रो जियोलोजिस्ट को समान महत्व देते हुए अंत: अनुशासनात्मक टीम के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के जल भंडारों तथा जलाशयों पर जलवायु परिवर्तन परिदृश्य को छोटी अवधि तथा दीर्घावधि के प्रभाव के आकलन हेतु कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत देश में भूजल के क्षेत्र में एक बहुआयामी सर्वोच्च वैज्ञानिक संगठन है जिसमें जल भूविज्ञानियों, जल विज्ञानियों, अभियंताओं, भूभौतिकीविदों, जलभूरसायनज्ञों और जल मौसम विज्ञानियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से तकनीकी व्यक्ति हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन कराए गए हैं। ''इन्डियाज इनिशियल नेशनल कम्युनिकेशन टू यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेनशन ऑन क्लाइमेट चेंज'' में एक अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षेपण किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जलवैज्ञानिक चक्र, जोकि जलवायु का एक आधारभूत घटक है, में जलवायु परिवर्तन के कारण बदलाव आने की संभावना है और प्रारंभिक आकलनों से पता चला है कि भारत के विभिन्न भागों में सूखे की गंभीरता एवं बाढ़ की तीव्रता में तेजी आने की संभावना है। इस रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि अनुमानित जलवायु परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मन, समुद्र स्तर में वृद्धि और ग्लेशियर पिघल जाते हैं, से भारत के विभिन्न भागों में जल संतुलन और तटीय मैदानों के किनारे भूजल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्षा एवं वाष्पन में बदलाव आने के कारण जलवायु परिवर्तन से भूजल प्रभावित होने की संभावना है। समुद्र का स्तर बढ़ जाने से तटीय और अन्तर्देशीय जलभृत्तों में लवणीय जल का प्रवेश बढ़ सकता है। जबकि बाढ़ की तीव्रता और गंभीरता से कछारी जलभृत्तों में भूजल

गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक वर्षा से अधिक अपवाह हो सकता है और संभवत: इसके कारण पुनर्भरण कम हो सकता है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच), रूड़की और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन भी कराए गए हैं। एनआईएच द्वारा कराए गए अध्ययन से ग्लेशियर के घटने एवं उनके क्षेत्र विस्तार में कमी प्रदर्शित हुई है। यह भी देखा गया है कि अपवर्तन अवधि के दौरान, तापमान में वृद्धि के साथ-साथ हिमगलन अपवाह में वृद्धि होती है। आईआईएससी ने यह पाया है कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन में कई अनिश्चितताएं विद्यमान हैं। इसके महत्व और इसकी नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रेक्षित आंकड़ों के आधार पर गहन अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। इन अध्ययनों में प्रख्यात शैक्षणिक संस्थानों को सक्रियता पूर्वक लगाया गया है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में आठ राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ करने की योजना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" शामिल है। जल संसाधन मंत्रालय ने राज्यों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, व्यावसायिकों, विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के प्रारूप में अनुकूलन उपायों सहित जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर प्रभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के मुख्य उद्देश्यों में जल का संरक्षण, जल की बरबादी में कमी लाना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के बाहर और भीतर दोनों में जल का अधिक से अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना शामिल है। इस मिशन दस्तावेज के प्रारूप में उल्लिखित राष्ट्रीय जलमिशन के पांच लक्ष्य हैं: (क) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल आंकड़ा आधार एवं जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव; (ख) जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिकों और राज्य की ओर से किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा देना; (ग) अतिदोहित क्षेत्रों के प्रति अधिक ध्यान देना; (घ) 20% तक जल उपयोग में दक्षता में वृद्धि करना और (ङ) बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन करने और समन्वय करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को रियायत

5389. डॉ. क्रुपारानी किल्ली:
डॉ. जी. विवेकानंद:
श्री एम. आनंदन:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 निजी स्कूलों को कतिपय छूट/रियायत प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिनियम के अनुसार निजी स्कूल मनमाने तरीके से ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस को विनियमित करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ये संशोधन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) "नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" की धारा 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि अपने खर्चों की पूर्ति के लिए उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त न करने वाले गैर-सहायता प्राप्त स्कूल कक्षा 1 में निकटवर्ती कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूहों से संबद्ध बच्चों का उस कक्षा की कुल छात्र संख्या का कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक दाखिला करेंगे और प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

इस प्रकार किए गए व्यय की स्कूल को राज्य द्वारा प्रति बच्चा किए गए खर्च या बच्चे से वसूली गई वास्तविक राशि, जो भी कम हो, की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।

(ग) और (घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को मनमाने ढंग से ट्यूशन फीस बढ़ाने का अधिकार हो।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक मकबरों का विकास

5390. **श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा गुंटूर जिले के अमरावती क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मकबरों हेतु सरकार की कोई विकास योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित तथा खर्च की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में न तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में और न ही गुंटूर जिले के अमरावती क्षेत्र में कोई मकबरा है।

इस समय इनके विकास का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

5391. **श्री विष्णुपद राय:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप पर 250 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के कॉलेजों में अवसंरचना

5392. **श्री एम. आनंदन:**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में वर्तमान अवंसरचना की स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कॉलेजों की अवसंरचना उन्नयन हेतु संस्वीकृत एवं खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इस विश्वविद्यालय के कॉलेजों में मौजूद अवसंरचना की स्थिति दयनीय नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय शिक्षा संस्था अधिनियम, 2007 के तहत क्षमता का विस्तार करने के लिए इसने दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रबंधित दिल्ली कॉलेजों को पांच वर्षों के लिए 1319.99 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। इसकी तुलना में इन कॉलेजों को दिनांक 31 मार्च, 2010 तक 474.37 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है और विश्वविद्यालय ने अब 243.99 करोड़ रुपये की सीमा तक उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

नदियों द्वारा मृदा अपरदन

5393. श्री मोहम्मद असरारूल हक: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों द्वारा मृदा अपरदन के कारण कृषि भूमि समाप्त होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नदियों द्वारा मृदा अपरदन पर रोक लगाने हेतु अपेक्षित उपाए किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अपरदन के कारण नुकसान उठा चुके किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) जी हां। बाढ़ मैदानों में स्थित कृषि (कृषि योग्य) भूमि अथवा टेढ़ी-मेढ़ी बहने वाली नदियों के मार्ग में आने वाली भूमि का बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपरदन होता है। तथापि, बाढ़ प्रबंधन का विषय, जिसमें भूमि अपरदन से सुरक्षा उपाय शामिल हैं, राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। अत: बाढ़ एवं अपरदन नियंत्रण की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर योजना आयोग द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई राज्य योजना निधियों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार बाढ़ प्रवण राज्यों की बाढ़ प्रबन्धन और गंभीर क्षेत्रों में कटाव रोधी कार्यों में भी सहायता करती है। **XI**वीं योजना अवधि के दौरान सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों को एक राज्य क्षेत्र स्कीम नामत: "बाढ; प्रबंधन कार्यक्रम" (एफएमपी) के तहत बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ नियन्त्रण और कटाव रोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। "एफएमपी" के अंतर्गत 19 राज्यों के कुल 311 कार्यों, जिनकी कुल अनुमानित लागत 3232.77 करोड़ रुपये है, को शामिल किया गया है तथा राज्यों को 31.03.2010 को 1571.06 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि जारी की गई है।

(ङ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को आपदा राहत निधि (सीआरएफ) और प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार सीआरएफ और एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए 12वें वित्तीय आयोग द्वारा नदियों द्वारा भूमि के अपरदन को प्राकृतिक आपदा के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है। सीआएफ और एनसीसीएफ के अंतर्गत नदियों के अपरदन से किसानों को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रदूषण

5394. श्री एंटो एंटोनी:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां (एमएनसी) देश में विशेषकर केरल राज्य में पर्यावरण तथा जल को प्रदूषित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) किसी उद्योग के संचालन से अथवा प्रोसेस से प्रदूषण होने की प्रवृत्ति होती है, जो इसकी प्रकृति और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है भले ही उसका स्वामित्व पैटर्न कुछ भी हो। संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां विशेषकर अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों की 17 श्रेणियों के मामले में उद्योगों में बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों को मानीटर करती हैं।

केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई और उपाय निरंतर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, मैसर्स हिन्दुस्तान कोका कोला बिवरेजिर्स प्रा.लि., एक एनएमसी, के मामले में केएसपीसीबी द्वारा बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि उक्त उद्योग बोर्ड की सहमति के बिना कार्य करना शुरू कर सकता है जिसके खिलाफ केएसपीसीबी ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है।

केंद्रीय सरकार ने इसे पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अनुसार पूर्व 'पर्यावरणीय स्वीकृति' प्राप्त करने हेतु औद्योगिक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की अभिज्ञात श्रेणियों के लिए अनिवार्य किया है भले ही वे एमएनसी द्वारा प्रमोट की गई हों अथवा नहीं।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन

5395. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री जोस के. मणि:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनपीसीसी) के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने हेतु भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले विभिन्न मिशन दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो मिशन-वार तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ पृथक बजटीय परिव्यय का प्रावधान किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मिशन हेतु कितना बजटीय आवंटन किया गया; और

(ङ) एनएपीसीसी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से प्रधान मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रीय और मिशन और नेशनल मिशन फॉर इन्हेन्सड एनर्जी एफिशियेन्सी को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदित किया गया है।

प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 11.1.2010 को शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड सौर विद्युत की क्षमता सृजित करने, 2000 मेगा वाट ऑफ ग्रिड सोलर एपलीकेशन्स और सोलर थर्मल कलेक्टर्स का 20 मिलियन वर्ग मीटर सृजित करने का लक्ष्य है। मिशन का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मिशन अवधि के अंत तक ग्रिड पैरिटी प्राप्त करने की दृष्टि से सोलर पैनेल की लागत में कमी लाना भी है।

नेशनल मिशन फॉर इन्हेन्स्ड एनर्जी एफिशियेन्सी में चार पहलें शामिल हैं, अर्थात निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पीएटी), ऊर्जा किफायत हेतु मार्किट ट्रान्सफारमेशन (एमटीईई), ऊर्जा किफायत हेतु वित्तपोषण प्लेटफार्म (ईईएफपी) और ऊर्जा किफायत आर्थिक विकास हेतु फ्रेमवर्क (एफईईईडी)। वर्ष 2015 तक, 19598 मेगावाट के प्रत्याशित वर्जित क्षमता योग सहित, कोयला गैस और पेट्रोलियम उत्पादों में ईंधन बचत का लगभग 23 मिलियन टन प्राप्त करने का उद्देश्य है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2014/15 से प्रति से प्रति वर्ष लगभग 98.55 मिलियन टन प्रति वर्ष कार्बन डाइआक्साईड उत्सर्जन कमी का अनुमान किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सौर मिशन के पहले चरण के लिए लगभग 4337 करोड़ रुपये की निधि अनुमोदित की गई है। वर्ष 2010-12 की अवधि के लिए नेशनल मिशन फॉर इन्हेन्स्ड एनर्जी एफिशियेन्सी के कार्यान्वयन हेतु 235.35 करोड़ रुपये अभिनिर्धारित किए गए हैं।

(ङ) एनपीसीसी के अंतर्गत राज्यों को निधियां आवंटित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

हज कोटे के वितरण में अनियमितताएं

5396. श्री शरीफुद्दीन शारिक: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2009 में निजी टूर आपरेटरों (पीटीओ) को हज कोटे के वितरण में अनियमितताएं एवं कदाचार बरता गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या इस विषय को अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों के साथ किए गए समन्वय का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) जी, नहीं। हज-2009 के दौरान निजी टूर ऑपरेटरों को कोटे का आबंटन पूर्णतः इस मामले में निर्मित नीति के अनुसार ही किया जाता है जिसका व्यापक तौर पर प्रसार-प्रचार किया जाता है। हज-2009 के लिए निजी टूर ऑपरेटरों को कोटे का आबंटन निम्नलिखित नीति के अनुसार किया गया था:

(i) वर्ष 2008 में जिन पुराने निजी टूर ऑपरेटरों को कोटा आबंटित किया गया था और उन्हें इस वर्ष भी कोटे के आबंटन हेतु उपयुक्त पाया गया, उन्हें कम से कम 50 सीटों का कोटा आबंटित किया गया है, बशर्ते कि वर्ष 2008 के दौरान उनको आबंटित कोटे की संख्या 50 या इससे अधिक थी।

(ii) पिछले तीन हज सीजनों से आवेदन करने वाले जिन निजी टूर ऑपरेटरों को, जिन्हें पिछले वर्ष कोई कोटा आबंटित नहीं किया गया था, उन्हें भी कम से कम 50 सीटें आबंटित की गई हैं, बशर्ते कि वे अन्य अर्हताओं को पूरा करते हों।

(iii) पिछले दो हज सीजनों से आवेदन करने वाले जिन निजी टूर ऑपरेटरों को, जिन्हें पिछले वर्ष कोई कोटा आबंटित नहीं किया गया था, उन्हें भी कम से कम 50 सीटें आबंटित की गई हैं, बशर्ते कि वे अन्य अर्हताओं को पूरा करते हों।

(iv) उन टूर ऑपरेटरों को हज-2009 के लिए कोटा आबंटित किए जाने पर विचार नहीं किया गया, जिन्होंने सिर्फ पिछले वर्ष अर्थात हज-2008 में ही आवेदन दिया था और जिन्होंने इस वर्ष भी नया आवेदन दिया है।

(v) पुराने और नए निजी टूर ऑपरेटरों के बीच सदृश ढंग से सरकार द्वारा बनाई गई नीति को लागू करके निजी टूर ऑपरेटरों के कोटे का आबंटन और तर्कसंगत तथा पारदर्शी ढंग से करने और उसे रिलीज करने की कोशिश की गई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुराने और नए निजी टूर ऑपरेटरों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता हो सके और निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से यात्रा करने वाले हज यात्रियों के पास विकल्प रहे। इस संबंध में पूरी जानकारी भारत की हज समिति और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। हज समिति अधिनियम, 2002 द्वारा विदेश मंत्रालय को हज से संबंधित कार्य के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

उचित आकलन हेतु चयन बोर्ड में यूजीसी नामिती

5357. श्री जोस के. मणि: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में फैक्ल्टी की नियुक्ति हेतु चयन बोर्ड में आवेदनों का उचित आकलन सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का एक नामिती शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चयन बोर्ड में यूजीसी के नामिती की अनुपस्थिति में चयन प्रक्रिया में खामियों की रिपोर्ट मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लेक्चररशिप हेतु न्यूनतम योग्यता पीएचडी अथवा नेट निर्धारित की गई है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का लेक्चररशिप हेतु वर्तमान मानदंडों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ की न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2000 के अनुसार कॉलेजों/विश्वविद्यालय में संकाय की सीधी नियुक्ति हेतु चयन समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामिती का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के तहत रीडर से प्रोफेसर की प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया की जांच हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

(ग) और (घ) केरल विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया में होने वाली कमियों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना, न्यूनतम पात्रता शर्त है बशर्ते उन अभ्यर्थियों जिन्हें "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री के लिए न्यूनतम स्तर तथा प्रक्रिया), अधिनियम, 2009" में निर्धारित मानक तथा स्तरों के अनुपालन में पीएचडी डिग्री प्रदान की गई है को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षा से छूट दी जाएगी।

(च) और (छ) सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए मौजूदा अर्हता मानदण्डों को संशोधित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सांपों को अवैध रूप से पकड़ना

5398. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सपेरा समुदाय सांपों को पकड़ने तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने में लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सांपों को पकड़ने को प्रतिबंधित करने वाले नियमों का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सपेरा समुदाय के पुनर्वास हेतु सरकार की कोई नीति है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधि ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 सांपों की 8 प्रजातियों और 14 परिवारों, जो अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध हैं, के संग्रहण और अधिग्रहित करने को निषिद्ध करता है, परन्तु जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण के लिए सर्प-विष की व्युत्पत्ति, संग्रहण अथवा तैयारी हेतु सांपों को पकड़ने की अनुमति, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य/संघ शासित प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डनों द्वारा दी जा सकती है। तथापि, सांपों को अवैध रूप से पकड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जहां भी सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आते हैं, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ङ) नियमों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में सख्त दण्डों का प्रावधान है।

(ii) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने के लिए शक्ति सम्पन्न बनाया गया है।

(iii) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की वन्यजीव, इसके अंगों और उत्पादों में अवैध व्यापार के नियंत्रण हेतु स्थापना की गई है।

(iv) अवैध शिकार के विरुद्ध वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तटवर्ती क्षेत्रों पर बढ़ते समुद्री स्तर का प्रभाव

5399. श्री एम.के. राघवन: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल तथा लक्षद्वीप सहित तटवर्ती क्षेत्रों पर बढ़ते समुद्री स्तर के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या बढ़ते समुद्र स्तर को रोकने हेतु किसी निगरानी केंद्र की स्थापना की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य

मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) समुद्री स्तर के समग्र डेटा से भारतीय तटरेखा की उच्च विविधता का पता चलता है। भारत की तटरेखा पर स्थित प्रदेशों के पिछले ज्वारभाटामापी रिकार्डों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि पिछले 40 वर्षों में समुद्र स्तर में औसतन 1.29 मिमी./वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। भारतीय ज्वारभाटा मापी डेटा से ज्ञात किए अनुसार पिछली शताब्दी के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्थानीय समुद्र-स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) कोचीन (1939-1991) = 1.2 मिमी./वर्ष

(ii) विशाखापट्टनम (1937-1991) = 0.9 मिमी./वर्ष

(iii) मुंबई (1870-1990) = 0.8 मिमी./वर्ष

(iv) सुंदरबन (1985-2000) = 3.14 मिमी./वर्ष

समुद्र स्तर में वृद्धि होना एक धीमी प्रक्रिया है, जो तूफान महोर्मि और ज्वारीय उतार-चढ़ाव, सामान्य डेल्टा अवतलन, तटीय कटाव तथा नदी मुहानों और तटरेखा पर गाद एकत्र होने जैसे अधिक प्रभावशाली आविर्भाव की पृष्ठभूमि में होती है। केरल तट और लक्षद्वीप द्वीपसमूह तटीय कटाव का सामना कर रहे हैं, परंतु यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि समुद्र स्तर में वृद्धि ही कटाव का मुख्य कारण है।

(ग) भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 26 ज्वारभाटामापी स्थापित किए हैं जिनमें क्रमशः केरल तट और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के किनारे 2 गेज स्टेशन स्थापित करना भी शामिल हैं। ये सभी ज्वारभाटा मापी स्टेशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के नियंत्रणाधीन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र (इंकॉइस) को वास्तविक समय में डेटा भेज रहे हैं। संबंधित सरकारें और केंद्रीय जल आयोग, दोनों के संयुक्त प्रयास से तटीव कटाव के लिए उपयुक्त संरक्षण उपाय तैयार कर इस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण हेतु धनराशि

5400. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री अर्जुन राय:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने बाढ़ के पानी के व्यर्थ होने के बारे में कोई आकलन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा बाढ़ के पानी के उचित उपयोग हेतु क्या कार्रवाई की गई है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) बाढ़ प्रबंधन, राज्य का विषय होन के कारण, बाढ़ नियंत्रण की स्कीमों की योजना बनाना, वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी निजी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी राज्य योजना निधियों में से किया जाता है, जो उन्हें योजना आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को केन्द्रीय रूप से, बाढ़ प्रबंधन करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। **XI** योजना के दौरान, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने 02.11.2007 को आयोजित अपनी बैठक में 8080 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक राज्य क्षेत्र स्कीम नामतः 66 "बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम (एफएमपी)" को 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदित किया है। योजना आयोग द्वारा एफएमपी के लिए **XI** योजना परिव्यय को 2715 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया था।

2634 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए, एफएमपी के अंतर्गत 3233 करोड़ रुपये की कुल लागत से 19 राज्यों के कुल 311 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। **XI** योजना के दौरान, 31.03.2010 तक, राज्यों को 1571.06 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता (**XI** योजना के आगे ले जाए गए कार्यों के लिए 85.15 करोड़ रुपये सहित) जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, 601 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम नामतः "नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य" को दसवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, बांगलादेश और पाकिस्तान के साथ समान सीमा नदियों किनारे तट संरक्षण/कटाव-रोधी कार्य, नेपाल में कोसी और गंडक परियोजनाओं के बाढ़ संरक्षण कार्यों का अनुरक्षण, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित बाढ़ प्रबंधन/कटाव-रोधी कार्य, बंगलादेश तथा अन्य पड़ोसी देशों के लिए समान नदियों पर संयुक्त अवलोकन इत्यादि किए जा रहे हैं। इसमें **XI** योजना में गंगा बाए नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड को जारी रखने के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था करना भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, बाढ़ नियंत्रण के लिए गैर-संस्कारात्मक उपाय करने के लिए 130 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम नामतः "बाढ़ पूर्वानुमान" को **XI** योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है।

(ख) और (ग) व्यर्थ हो रहे बाढ़ जल का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग की "भारत के जल संसाधन क्षमता का पुर्नमूल्यांकन" संबंधी रिपोर्ट के अनुसार देश की औसत वार्षिक जल संसाधन क्षमता का लगभग 1868 बीसीएम रूप में मूल्यांकन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्थलाकृतिक, जल-वैज्ञानिक तथा अन्य दबावों के कारण, उपयोग योग्य जल 1123 बीसीएम है, जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 433 बीसीएम पुर्नभरणीय भू-जल संसाधन हैं।

(घ) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) ने 1980 में जल संसाधन विकास संबंधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अन्तर-बेसिन हस्तांतरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। तरह-तरह की तकनीकी अध्ययन कराने की दृष्टि से 1982 में जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन किया गया था। विभिन्न प्रकार के कराये गए अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है।

एनडब्ल्यूडीए ने पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्टें (पीएफआर)/व्यवहर्यता रिपोर्टें (एफआर)/एनपीपी के अंतर्गत संपर्क प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने के लिए मार्च, 2010 तक 1982–83 से 238.17 करोड़ रुपये का व्यय किया है। **XI** योजना (2007-12) के दौरान, सरकार ने एनडब्ल्यूडीए के लिए 182.80 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय प्रदान किया है, जिसके लिए एनडब्ल्यूडीए ने मार्च, 2010 तक 81.98 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

[अनुवाद]

भारत-ईरान संबंध

5401. श्री संजय भोई: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और ईरान के बीच संबंध कथित रूप से तनावपूर्ण हैं, जैसा कि मीडिया में आया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ईरान के साथ मंत्री स्तरीय वार्ता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वार्ता की कार्य-सूची क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) जी, नहीं। भारत और ईरान के बीच वर्षों पुराना सभ्यतासम्मत और ऐतिहासिक संबंध है। इन तत्वों से व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सहयोग, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान और एक-दूसरे के यहां उच्च स्तरीय दौरे पर बल देते हुए समृद्ध एवं बहुआयामी समकालीन संबंध का आधार मजबूत हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत और ईरान के बीच मंत्री स्तर पर परामर्श सहित बार-बार उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री महामहिम मनोशेहर मोतक्की ने 16-17 नवंबर, 2009 के दौरान भारत की सरकारी यात्रा की। विदेश सचिव ने 2-3 फरवरी, 2010 के दौरान विदेशी कार्यालय परामर्श के सातवें दौर की बातचीत के लिए ईरान का दौरा किया। भारत और ईरान के बीच संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री और ईरान के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री करेंगे। इस साल के बाद नई दिल्ली में आयोजित किए जाने की संभावना है। ईरान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हुई चर्चा के मुद्दों में ऊर्जा, विद्युत, भूतल परिवहन और अवसंरचना परियोजनाएं, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय स्थिति के साथ-साथ सीमा पर आतंकवाद का खतरा शामिल है।

[हिन्दी]

जन शिक्षण संस्थान

5402. योगी आदित्यनाथ: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साक्षरण दर बढ़ाने के लिए देश में "जन शिक्षण संस्थान" खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) "जन शिक्षण संस्थान" खोलने के लिए सरकार ने क्या मानदंड अपनाया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी, हां। अशिक्षित अथवा निम्न स्तर की शिक्षा वाले प्रौढ़ों को उनके स्थापना के क्षेत्र में बाजार के लिए ऐसे कौशलों का अभिनिर्धारण करके व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए देश में 271 जन शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। कोई पंजीकृत स्वैच्छिक सोसाइटी अथवा सार्वजनिक न्यास अथवा लाभ अर्जित करने वाली कोई कम्पनी जो तीन या उससे अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, जिसका वार्षिक कारोबार पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 5 लाख रु. से अधिक है, स्कीम के अंतर्गत सहायता हेतु पात्र है।

[अनुवाद]

नर्मदा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लंघन

5403. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वन सर्वेक्षण के निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 1987 में नर्मदा परियोजना के लिए दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति में हुए अनेक उल्लंघनों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने बांध की ऊंचाई को और बढ़ाने की अनुमति न देने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) डॉ. डी पांडे, महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की अध्यक्षता में सरदार सरोवर और इंदिरा सागर परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण/अध्ययन/योजना के आकलन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जुलाई 2008 में समिति गठित की गई थी।

(ग) समिति ने दो अंतरिम रिपोर्ट, एक फरवरी 2009 और दूसरी फरवरी 2010 में प्रस्तुत कर दी थी। समिति ने निर्धारित पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन में कुछ कमियां देखी थी।

(घ) समिति की रिपोर्ट, दिनांक 26 मार्च 2010 को पर्यावरण उप-समूह (ईएसजी) की आयोजित की गई 47वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी। खम्भों, ओवरहेड, पुलों का प्रस्तावित निर्माण और दरवाजों की स्थापना (खड़ी स्थिति में रखा जाना है) के विषय में ईएसजी की 1 अप्रैल 2010 को आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी। ईएसजी ने निर्णय लिया कि केंद्रीय जल आयोग स्पष्ट लिखित आश्वासन प्रस्तुत करे कि प्रस्तावित निर्माण के कारण कोई अतिरिक्त कार्य हेतु यह निर्णय, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में केवल एक कदम है।

सुबर्णरेखा बहु-उद्देशीय परियोजनाएं

5404. श्री अर्जुन चरण सेठी:
श्री सुदर्शन भगत:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी तादाद में जनजातीय जनसंख्या वाले झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में अत्यधिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को संभावित लाभ पहुंचाने वाली सुबर्णरेखा बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना 1970 से निर्माणाधीन है और अभी भी पूरी नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और एआईबीपी के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि में से अभी तक राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं वित्तपोषण संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है। सुवर्णरेखा परियोजना के कार्य Vवीं योजना में शुरू हुए थे। कार्य झारखंड और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा प्रगति पर है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा परियोजना पर वास्तविक कार्य शुरू नहीं किए गए हैं और केवल अवसंरचना संबंधी कार्य जारी हैं। कार्य के संयुक्त घटकों की स्थिति निम्नानुसार है:

1. गलुदिह बैराज: 98% कार्य पूरा हो गए हैं और 18 गेटों में से 13 गेट आंशिक रूप से खड़े किए गए हैं।
2. गलुदिय दायां तट नहर: नहर उत्खनन का कार्य 96% कार्य और 76% संरचनाएं पूरी कर ली गई हैं।
3. इच्छा बांध: 30% कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

वर्तमान में, परियोजना का केवल उड़ीसा घटक एआईबीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का लाभ ले रहा है। परियोजना के पश्चिम बंगाल घटक को 2001-02 में एआईबीपी में शामिल किया गया था। परियोजना के लिए 2001-02 में 2.05 करोड़ रुपये की और 2002-03 में 11.238 करोड़ रुपये की केन्द्रीय

सहायता जारी की गई थी। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के अनुरोध पर सुवर्णरेखा परियोजना के लिए जारी की गई 10.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता को तीस्ता बैराज परियोजना को हस्तांतरित कर दिया गया। तब से पश्चिम बंगाल सरकार से एआईबीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सुवर्णरेखा परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

परियोजना को पूरा करने में देरी के लिए मुख्य कारण भूमि अधिप्राप्ति की समस्याएं हैं। वन स्वीकृति में देरी, झारखंड में श्रम समस्याओं और उड़ीसा में पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की समस्याओं के कारण भी देरी हुई। सुवर्णरेखा परियोजना का उड़ीसा घटक 2012-13 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

1996-97 से 2010-11 के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में शुरू की गई)	राशि (करोड़ रुपये में)										
		1996-97 से 2002 ऋण	2001-2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल योग
	वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं											
	उड़ीसा											
1.	सुवर्णरेखा बहुउद्देश्ययीय (VII)	119.6600				12.4272	8.9600	179.9500	178.7654	341.7710		841.5336

[हिन्दी]

छात्रों को छात्रवृत्तियां

5405. श्री दत्ता मेघे: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने के लिए गरीब परिवारों के छात्रों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों के चयन हेतु प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने के लिए भविष्य में छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. ने सरकारी इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में अध्ययन करने के लिए गरीब परिवारों के छात्रों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृति प्रदान करने के लिए सिद्धान्ततः निर्णय लिया है जिसका ब्यौरा निम्नवत है:

(i) शैक्षिक सत्र 2010-2011 और उससे आगे ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस (आवास शुल्क) और मेस शुल्क के रूप में केवल 10,000-/ रु. की आनुंषगिक फीस अथवा वास्तविक मेस शुल्क इसमें से जो भी कम हो, प्रति शैक्षिक सत्र की प्रतिपूर्ति को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष बीपीएल श्रेणी के छात्रों को 100 कोल इंडिया छात्रवृति तथा भूवंचितों/विस्थापित व्यक्तियों के बच्चों को 25 कोल इंडिया छात्रवृति का भुगतान जो आईआईटी, एनआईटी में डिग्री पाठ्यक्रम (स्नातक पाठ्यक्रम) जहां सीआईएल कैम्पस सेलेक्शन के द्वारा भर्ती कर रही है तथा सरकारी मेडिकल कालेजों (एमबीबीएम) पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं।

(ii) छात्रवृतियां केवल उन्हीं छात्रों को प्रदान की जाएंगी जिन्होने उपर्युक्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया हो।

(iii) इस संबंध में देशभर के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(घ) और (ङ) इस योजना की परिस्थितियों/अनुरोधों आदि के आधार पर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर समीक्षा की जाएगी।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5406. श्री सोमेन मित्रा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नई उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की किसी योजना पर योजना विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सरकार ने शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 अभिनिर्धारित उन जिलों जिनमें उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात; राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम है, में 8.00 करोड़ रु. के बजट अनुमान से एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र राज्य सरकार के निधियन से एक नई योजना को अनुमोदित किया है। शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 अभिनिर्धारित जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उन जिलों जो विशेष श्रेणी राज्यों में नहीं आते, में कालेज खोलने के लिए विशेष श्रेणी राज्यों में पूंजीगत लागत जिसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है, के 50 प्रतिशत भाग की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी, केन्द्र सरकार पूंजीगत लागत (जिसमें जमीन की लागत जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, शामिल नहीं है)। 9.02.2010 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समुचित अनुदेश जारी किए गए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के प्राथमिकता वाले निर्धारित जिलों तथा कमजोर वर्गों एवं अल्पसंख्यक बहुल जिलों तथा अनुसूची V तथा अनुसूची VI क्षेत्रों के अन्य जिलों में 200 माडल डिग्री कॉलेज खोलने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

विवरण

उच्चतर शिक्षा में शैक्षणिक रूप से पिछड़े चिन्हित किए गए 374 जिलों की सूची

1	2
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**
	अंडमान
	निकोबार
2.	**आन्ध्र प्रदेश**
	आदिलाबाद
	अनन्तपुर
	पूर्वी गोदावरी
	कुरनूल
	महबूब नगर
	मेडक
	निजामाबाद
	प्रकाशम
	श्रीकाकुलम
	विजयनगरम
	पश्चिमी
	गोदावरी
3.	**अरुणाचल प्रदेश**
	चांगलांग
	दीवंगवेली
	पूर्वी कामेंग
	लोहित
	लोअर

1	2
	सुबनसिरी
	तवांग
	तीराप
	अपर सियांग
	पश्चिम सियांग
4.	**असम**
	बोगाईगांव
	कछार
	दारांग
	धुब्री
	गोलपाड़ा
	हैलाकांडी
	कार्बी अंगलूंग
	करीमगंज
	मारीगांव
	नौगांव
	सोनितपुर
	तिनसुखिया
5.	**बिहार**
	अररिया
	औरंगाबाद
	बंका
	बेगूसराय
	दरभंगा
	गोपालगंज
	जमुई
	कैमूर (भबुआ)
	कटिहार
	खगरिया

1	2
	किशनगंज
	लखीसराय
	माधेपुरा
	मधुबनी
	नवाडा
	पश्चिमी
	चम्पारण
	पूर्वी चम्पारण
	पूर्णिया
	सहरसा
	श्योहर
	सीतामढ़ी
	सीवान
	सुपौल
	वैशाली
6.	**छत्तीसगढ़**
	बस्तर
	बिलासपुर
	दांतेवाड़ा
	धामतरी
	दुर्ग
	जंजगीर-चम्पा
	जसपुर
	कानकेर
	कावर्धा
	कोरिया
	महासमुंद
	रायगढ़
	रायपुर

1	2
	राजनंदगांव
	सरगूजा
7.	**दादरा और नगर हवेली**
	दादरा और नगर हवेली
8.	**दमन तथा दीव**
	दमन
	दीव
9.	**गुजरात**
	अमरेली
	बानसकंठा
	भरौच
	भावनगर
	दोहाड
	जामनगर
	जूनागढ़
	कच्छ
	खेड़ा
	मेहसाना
	नर्मदा
	पंचमहल
	पाटन
	पोरबन्दर
	राजकोट
	सबरकांठा
	सूरत
	सुरेन्द्रनगर
	दडांगा
	वलसाड

1	2
10.	**हरियाणा**
	फतेहबाद
	गुड़गांव
	जींद
	कैथल
	करनाल
	पानीपत
	सिरसा
11.	**हिमाचल प्रदेश**
	चम्बा
	कन्नौर (पू.)
	लाहौल तथा स्पीति
	सिरमौर
12.	**जम्मू और कश्मीर**
	अनंतनाग
	बडगाम
	बारामूला
	डोडा
	कारगिल
	कथुआ
	कुपवाड़ा
	लेह (लद्दाख)
	पूंछ
	राजौरी
	ऊधमपुर
13.	**झारखंड**
	छतरा
	देवघर
	दुमका

1	2
	गरहवा
	गिरडिह
	गोड्डा
	गुमला
	कोडरमा
	पाकुर
	पलामू
	पश्चिमी सिंहभूम
	साहिबगंज
14.	**कर्नाटक**
	बगलकोट
	बंगलौर ग्रामीण
	बेलगाम
	बीजापुर
	चामराजनगर
	चिकमंगलूर
	चित्रदुर्ग
	दक्षिण कन्नाडा
	गडग
	गुलबर्गा
	हसन
	हवेरी
	कोडागु
	कोलार
	कोप्पल
	मंध्या
	रायचूर
	तुमकुर
	उदुपी (उडुपी)
	उत्तर कन्नड़

1	2
15.	**केरल**
	कसरगोड
	मालापुरम
	पलाक्कड
	वेनाड
16.	**लक्षद्वीप**
	लक्षद्वीप
17.	**मध्य प्रदेश**
	बालाघाट
	बरवानी
	बेतुल
	भिंड
	छतरपुर
	छिंदवाड़ा
	दमोह
	दतिया
	देवास
	धार
	डिंडोरी
	ईस्ट नीमर
	गुना
	हरदा
	झाबुआ
	कटनी
	मांडला
	मंदसौर
	मोरेना
	नरसिंहपुर
	नीमच

1	2
	पन्ना
	रायसेन
	रायगढ़
	रतलाम
	सागर
	सतना
	सिहोर
	सिओमी
	शहडोल
	शाजापुर
	शिओपुर
	शिवपुरी
	सिंधी
	टीकमगढ़
	उज्जैन
	उमरिया
	विदिशा
	वेस्ट नीमर
18.	**महाराष्ट्र**
	बुल्दाना
	गडचिरौली
	हिंगोली
	जालना
	रायगढ़
	रत्नागिरी
	सिद्धदुर्ग
19.	**मेघालय**
	ईस्ट गारो
	हिल्स

1	2
	जैनतिया हिल्स
	रीभोई
	साउथ गारो
	हिल्स
	वेस्ट खासी
	हिल्स
20.	**मिजोरम**
	चम्फाई
	कोलासिब
	लोंगतलाई
	लंगलई
	मामित
	सेहा
	सरपिच
21.	**नागालैंड**
	मोन
22.	**उड़ीसा**
	अंगुल
	बालांगीर
	बारगढ़
	बौद्ध
	देवगढ़
	धनकनाल
	गजपति
	गंजम
	कालाहाण्डी
	कंधामल
	केन्दुझर
	कोरापुट

1	2
	मल्कानगिरी
	नवरंगपुर
	नयागढ़
	नूपाड़ा
	रायगाड़ा
	सोनपुर
23.	**पुडुचेरी**
	यनम
24.	**पंजाब**
	अमृतसर
	भटिंडा
	फरीदकोट
	फतेहगढ़ साहिब
	फिरोजपुर
	गुरुदासपुर
	कपूरथला
	मांसा
	मोगा
	मुक्तसर
	नवनशहर
	पटियाला
	संगरूर
25.	**राजस्थान**
	अजमेर
	अलवर
	बांसवाड़ा
	बारन
	बाड़मेर
	भरतपुर

1	2
	भीलवाड़ा
	बीकानेर
	बुन्दी
	चित्तौड़गढ़
	चुरू
	डोसा
	धौलपुर
	डुंगरपुर
	गंगानगर
	हनुमानगढ़
	जैसलमेर
	जालोर
	झालावार
	झुनझुनु
	जौधपुर
	करौली
	नागौर
	पाली
	राजसामन्द
	सवाई माधोपुर
	सिकर
	सिरोही
	टॉक
	उदयपुर
26.	**सिक्किम**
	पूर्व
	उत्तर
	दक्षिण
	पश्चिम

1	2
27. तमिलनाडु	
अरियालुर	
कोयमबटूर	
कुडालूर	
धर्मपुरी	
डिण्डीगुल	
इरोड	
कांचीपुरम	
कन्याकुमारी	
करूर	
मदुरई	
नागापट्टीनम	
पैरमबल्लूर	
पुडुकोट्टई	
रामानाथापुरम	
स्लेम	
शिवगंगा	
तंजावुर	
दॉ नीलगिरीस	
यणी	
थिरूवल्लूर	
थ्रूवरूर	
थूथुकुकड़ी	
तिरूवन्नमलई	
वेलोर	
विरुद्धनगर	
28. त्रिपुरा	
धलाइ	
उत्तर त्रीपुरा	
दक्षिण त्रीपुरा	
पश्चिम त्रीपुरा	

1	2
29. उत्तर प्रदेश	
बहरांइच	
बलरामपुर	
बंदा	
बराबंकी	
बरेली	
बस्ती	
रबजनौर	
बुलन्दशहर	
चित्रकूट	
ठटा	
फरुखाबाद	
फतेहपुर	
गंडा	
लमीरपुर	
हरदोई	
हाथरस	
ज्योतिबा फूले नगर	
कन्नौज	
कानपुर देहात	
कौशाम्बी	
खीरी	
कुशीनगर	
ललितपुर	
महाराजगंज	
महोवा	
मथुरा	
मुरादाबाद	
मुज्जफरनगर	
पीलीभीत	

1	2
	रायबरेली
	रामपुर
	सहारनपुर
	संत कबीर नगर
	शहाजहांपुर
	श्रावस्ती
	सिद्धार्थ नगर
	सीतापुर
	सोनभद्र
	सुलतानपुर
	उन्नाव
30.	**उत्तरांचल**
	बागेश्वर
	बंकुरा
	वर्धमान
	बीरभूम
	दक्षिण दिनाजपुर
	दार्जीलिंग
	हावड़ा
	हुगली
	जलपाईगुड़ी
	कोच बिहार
	मालदा
	मीदनापुर
	मुर्शीदाबाद
	नोडिया
	उत्तरी 24 परगना
	पुरुलिया
	दक्षिणी 24 परगना
	उत्तर दिनाजपुर
	कुल जिले = 374

[हिन्दी]

फिरोजशाह का मकबरा और किला

5407. **प्रो. रामशंकर:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फिरोजशाह के मकबरे और किले के संरक्षण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस स्मारक को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं/प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित फिरोहशाह का मकबरा और किला केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ख) जो स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन नहीं हैं उनमें हस्तक्षेप करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कोई प्राधिकार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता

5408. **डॉ. निलेश नारायण राणे:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर महाराष्ट्र से अपने राज्यों में इंजीनियरिंग कॉलेजों के उन्नयन के लिए धनराशि के आबंटन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की विभिन्न योजनाएं हैं, नामत:, डिप्लोमा और डिग्री स्तरीय संस्थानों के लिए संकाय सुधार हेतु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम योजनाएं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान का संवर्धन करने हेतु अनुसंधान संवर्धन योजना। इसके अतिरिक्त, देश में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता को एक संशोधित प्रत्यायन प्रणाली, जो परिणाम आधारित है, के जरिए विनियमित करने तथा उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रोन्नयन की योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार से आठ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योजना तैयार करने तथा चयन हेतु मानदंड निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति तथा विकास संबंधी अनुमान

5409. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2009-2010 के दौरान मुद्रास्फीति की दर 8.5 प्रतिशत तथा विकास दर 7.5 प्रतिशत बनी रहने का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आकलन से सहमत है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का अनुमान क्या है;

(घ) मुद्रास्फीति की दर से वार्षिक विकास दर में कमी का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) उपर्युक्त अनुमांन के मद्देनजर प्रस्तावित विशेष कार्य-योजना क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही के दौरान समीक्षा (29 जनवरी, 2010) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास के लिए वर्ष 2009-10 में 7.5% तथा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रा स्फीति के लिए मार्च 2010 की समाप्ति तक 8.5% का बेसलाइन अनुमान लगाया है।

आरबीआई ने अप्रैल 2010 के अपने वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण में नोट किया है कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने वर्ष 2009-10 के अपने अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक जीडीपी विकास 7.2% दिखाया है। आरबीआई ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि वर्ष 2009-10 के लिए इसके आकलन में अंतिम वास्तविक जीडीपी विकास 7.2% के बीच हो सकता है। मुद्रा स्फीति के संदर्भ में आरबीआई ने नोट किया है कि डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति आंकड़ा (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तथा जारी) गत वर्ष के तदनुरूपी महीने की तुलना में मार्च 2010 के लिए 9.9% था।

आरबीआई का आकलन इसके विचारों को प्रस्तुत करता है जबकि जीडीपी का अग्रिम अनुमान एवं डब्ल्यूपीआई आंकड़े सरकारी स्रोतों से जारी किए जाते हैं। वास्तविक जीडीपी विकास दर स्थिर मूल्यों पर मापी जाती है अत: सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ोतरी का माप करती है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9% वार्षिक औसत विकास लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान विकास दर सही दिशा में थी तथा इसके 9.2% होने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, वर्ष 2008-09 में वैश्विक मंदी और कृषि क्षेत्रक में कम विकास दर होने के कारण विकास दर घटकर 6.7% हो गई। सरकार द्वारा घोषित तीन क्रमिक वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज, जो सक्रिय मौद्रिक समर्थन नीति से युक्त हैं, के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। करों में कमी और वर्धित सार्वजनिक व्यय द्वारा हुए वित्तीय विस्तार का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान दर्शाते है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2009-10 के दौरान,7.2% की विकास दर प्राप्त कर ली जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष में इसके बढ़ने की संभावना है।

[अनुवाद]

उपकुलपति की नियुक्ति

5410. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई व्यवस्था के अनुसार उप-कुलपतियों की नियुक्ति अधिक पारदर्शी होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपकुलपतियों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र प्रोफेसरों का एक डाटाबेस सेंट्रलाइज्ड इन्फो सिस्टम शुरू करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा उच्चतर शिक्षा के कायाकल्पन एवं नवीकरण पर सलाह देने के लिए प्रो. यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कृषि तथा चिकित्सा शिक्षा के अलावा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सर्वसमावेशी प्राधिकरण की स्थापना करना; सरकार के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक है। इस प्रयोजन के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया है तथा इस बल ने मसौदा विधान तैयार किया है जिसे व्यापक विचार-विमर्श हेतु सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। मसौदा विधान में विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के रूप में पात्र तथा योग्य व्यक्तियों की राष्ट्र रजिस्ट्री (संघ) की स्थापना करने का प्रस्ताव है। विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त सुझावों एवं टिप्पणियों पर विचार करने के उपरान्त ही कार्यबल मसौदा विधान के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा।

[हिन्दी]

सीआईएल अधिकारियों का विदेश दौरा

5411. डॉ. बलीराम: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के कितने वरिष्ठ अधिकारियों ने अन्य देशों का दौरा किया और उनके दौरों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए सीआईएल अधिकारियों की विदेश यात्राओं को प्रतिबंधित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कम्पनियों के जिन वरिष्ठ अधिकारियों (बोर्ड स्तर सहित एम-2 और उससे उपर के रेंक के अधिकारी) ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशों का दौरा किया, उनकी संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	ईसीएल	बीसीसीएल	सीसीएल	एनसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसीएल	एमसीएल	सीएमपीडीआई	सीआईएल	कुल
2007-08	7	13	10	11	6	12	5	13	25	102
2008-09	6	7	7	7	10	14	5	23	32	111
2009-10	13	11	7	7	9	11	5	16	24	103

उपर्युक्त दौरो पर खर्च की गई राशि के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है

(ख) और (ग) सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख करते हुए सितम्बर 2009 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मितव्ययता के उपायों और व्यय के योक्तिकीकरण पर अनुदेश जारी किए हैं कि जहां यात्रा अपरिहार्य हो, यह सूनिश्चित किया जाएगा कि उच्चतर स्तर के अधिकारियों के बजाय विषय से संबंधित उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को ही प्रायोजित किया जाए। प्रतिनिधि मंडल के आकार और दौरे की अवधि को बिल्कुल न्यूनतम रखा जाएगा। प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित किए जाने के अलावा अध्ययन दौरों, कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/विदेशों में कागजात के प्रस्तुतीकरण में सहकारी खर्चे पर भाग लिए जाने के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

5412. **श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक रही है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के आरम्भ में अनुमानित प्राक्कलन क्या थे और अंतिम रूप से क्या प्राक्कलन हासिल किए गए;

(ग) जीडीपी में क्रमशः कृषि, अवसंरचना और सेवा क्षेत्रों द्वारा किए गए योगदान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संशोधित जीडीपी वृद्धि के आधार पर चालू वर्ष के दौरान रोजगार की वृद्धि दर क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 8 फरवरी, 2010 को जारी किए गए वार्षिक राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2009-10 के दौरान स्थिर मूल्यों पर (2004-05) कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रक द्वारा किया गया योगदान क्रमशः 14.6%, 28.2% और 57.2% परिकल्पित है। योजना आयोग ने चालू वर्ष के दौरान रोजगार की वृद्धि दर का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

कुशल जल प्रबंधन

5413. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुशल जल प्रबंधन अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) देश में राज्यवार सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह किस प्रकार से लाभकारी साबित होगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं। इस समय, जल संसाधन मंत्रालय के पास "कुशल जल प्रबंधन प्रणाली" अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आईजीएनटीयू के उप-केन्द्र की स्थापना

5414. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का महाराष्ट्र सरकार से जनजातीय बहुल जिलों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के उप-केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनजीआरबीए की कार्य-योजना

5415. **श्री वरुण गांधी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) द्वारा आरंभकाल से शुरू की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनजीआरबीए को इस संबंध में सभी संबंधित राज्यों से प्राथमिकता वाली परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गंगा नदी के प्रबंधन और संरक्षण में प्राधिकरण को क्या सफलता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण

(एनजीआरबीए) की दिनांक 5 अक्तूबर, 2009 को आयोजित पहली बैठक में यह संकल्प किया गया कि वर्ष 2020 तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गंगा में कोई अशोधित नगर पालिका मल जल अथवा औद्योगिक बहिस्राव को प्रवाहित न किया जाए। वर्तमान समय में, गंगा नदी के साथ-साथ स्थित शहरों में उत्पन्न किए जा रहे लगभग 3000 एमएलडी के विरुद्ध 1025 मिलियन लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता है। आवश्यक शोधन और मल निर्यास अवसंरचना सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश उपयुक्त रूप से केन्द्र और राज्यों के बीच शेयर किया जाना है।

चूंकि अधिकार संपन्न विषय निर्वाचन समिति को फास्ट ट्रैक मोड में परियोजना प्रस्तावों को आकलित करने और स्वीकृति देने के लिए गठित किया गया है, राज्यों को संवेदनशील प्रदूषण महत्वपूर्ण स्थलों और गंगा नदी के पास स्थित प्रमुख शहरों के लिए प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाएं तैयार करने और चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन को फास्ट ट्रैक के लिए अनुरोध किया गया है।

पहले चरण में, एनजीआरबीए के अंतर्गत लगभग 1400 करोड़ रुपये की राशि वाले परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें सीवर नेटवर्क, मल जल शोधन संयंत्र और मल जल पम्पिंग स्टेशन, विद्युत शवदाहगृह, धोबीघाट, सामुदायिक शौचालय और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के राज्यों में नदी तटाग्र आदि का विकास और सौंदर्यीकरण शामिल है।

एनजीआरबीए के अंतर्गत समय और लागत ऊपरी व्यय को टालने के लिए कार्यान्वयन में सुधार सुनिश्चित करने और राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा परिलब्धियों का उचित संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बीच त्रिपक्षीय करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में नदी संरक्षण प्रयासों के समन्वय हेतु राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों को गठित किया गया है।

नदियों का संरक्षण केंद्रीय और राज्य सरकारों का सामूहिक प्रयास है। अन्य केंद्रीय स्कीमें जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शहरी, राज्य स्कीमों के तहत तथा छोटे और मध्यम शहरों के अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत मल जल प्रबंधन और निपटान हेतु शहरी अवसंरचना के सृजन की भी मानीटरी की जा रही है।

एमपीलैड के अंतर्गत धनराशि का अल्प उपयोग

5416. श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पी. बलराम:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमपीलैड के अंतर्गत धनराशि के उपयोग/व्यय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जारी की गई, लेकिन उपयोग में नहीं लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान लंबित दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में राज्य सरकारों की मांगों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पिछले तीन वर्षों में जारी की गई निधि तथा किए गए व्यय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों का संचयी अव्ययित शेष निम्नानुसार है:

क्रम सं.	संचयी अव्ययित शेष (करोड़ रु. में)
1.	2136.64 (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)
2.	1788.00 (31.3.2009 की स्थिति के अनुसार)
3.	2307.03* (31.3.2010 की स्थिति के अनुसार)

*अनंतिम

(ग) एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन के बारे में राज्य सरकारों की कोई मांग नहीं है। तथापि, जब कभी अपेक्षित होता है, उनके द्वारा उठाए गए विशेष मामलों के बारे में अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

विवरण

जारी निधि/व्यय का विवरण (करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10*		2010-11
		जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	जारी	उपयोग की गई	
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	मनोनीत	21.00	21.94	29.00	29.29	18.00	17.64	वर्तमान वर्ष के लिए आंकड़े अभी संकलित किए जाने हैं।
2.	आंध्र प्रदेश	101.00	132.96	126.00	148.74	117.00	68.28	
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.0	4.14	5.00	4.67	6.00	5.90	
4.	असम	39.00	38.46	41.00	47.61	37.00	24.56	
5.	बिहार	98.50	91.77	121.00	183.71	100.50	62.85	
6.	गोवा	4.00	3.37	8.00	10.02	6.00	2.00	
7.	गुजरात	66.00	61.91	69.00	93.58	74.00	58.30	
8.	हरियाणा	31.00	26.62	31.00	50.01	25.00	17.27	
9.	हिमाचल प्रदेश	15.00	17.84	14.00	16.30	12.00	9.30	
10.	जम्मू और कश्मीर	23.00	33.96	25.00	30.68	17.00	7.43	
11.	कर्नाटक	71.00	71.38	61.50	64.68	84.50	50.07	
12.	केरल	43.00	38.16	36.00	54.58	85.00	61.33	
13.	मध्य प्रदेश	75.00	79.20	89.00	96.14	78.00	56.08	
14.	महाराष्ट्र	120.00	124.36	135.00	147.54	154.00	121.35	
15.	मणिपुर	6.00	1.78	6.00	16.99	6.00	3.45	
16.	मेघालय	5.00	4.59	6.00	9.45	5.00	4.38	
17.	मिजोरम	4.00	3.04	4.00	5.22	4.00	3.73	
18.	नागालैंड	3.00	2.00	5.00	6	5.00	4.00	
19.	उड़ीसा	63.05	72.91	68.00	73.26	47.00	36.54	
20.	पंजाब	40.00	57.52	43.00	50.16	43.00	30.66	
21.	राजस्थान	75.00	76.36	60.00	70.95	53.00	31.56	
22.	सिक्किम	4.00	4.54	4.00	5.57	4.00	3.47	
23.	तमिलनाडु	117.00	139.14	116.00	131.01	107.00	66.71	

1		2	3	4	5	6	7	8
24.	त्रिपुरा	5.00	3.63	5.00	7.42	6.00	3.41	
25.	उत्तर प्रदेश	207.00	174.77	246.00	331.82	190.00	124.35	
26.	पश्चिम बंगाल	117.00	113.60	114.00	137.94	133.00	97.47	
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	3.00	3.87	2.00	0.00	
28.	चंडीगढ़	3.00	1.79	2.00	3.08	1.00	1.26	
29.	दादरा एवं नगर हवेली	2.00	2.23	1.00	0.61	1.00	0.24	
30.	दमन एवं दीव	2.00	2.27	3.00	3.48	1.00	0.00	
31.	दिल्ली	4.00	8.94	11.00	17.25	20.00	14.82	
32.	लक्षद्वीप	1.00	0.57	2.00	1.74	2.00	2.73	
33..	पुडुचेरी	4.00	5.47	1.00	1.37	7.00	5.16	
34.	छत्तीसगढ़	36.00	24.44	36.00	38.74	30.00	22.74	
35.	उत्तराखंड	17.00	15.90	15.00	14.42	13.00	9.75	
36.	झारखंड	42.00	44.88	38.50	54.75	37.50	18.58	

* टिप्पणी–अनंतिम आंकड़े

स्कूल फीस में संशोधन

5417. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों ने हाल ही में स्कूल फीस में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीब और वंचित परिवारों को फीस में रियायत देने और फीस में रियायत के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों में ट्यूशन फीस को दिनांक 1.10.2009 से संशोधित किया गया है। इस संशोधन का विवरण इस प्रकार है:

ट्यूशन फीस

कक्षा	संशोधन पूर्व मासिक फीस	संशोधित मासिक फीस
IX-XII	45/- रु.	250/- रु.

कम्प्यूटर निधि

कक्षा	संशोधन पूर्व मासिक फीस	संशोधित मासिक फीस
III-XII	20/- रु.	50/- रु.

(ग) और (घ) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को शुल्क भुगतान में रियायत पहले ही प्रदान की गई.है। फीस में रियायत प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया विधि में प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रदान करना शामिल है।

जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए धनराशि

5418. श्री एल. राजगोपाल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने नोडल मंत्रालय को भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के संबंध में पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का आश्वासन दिया है, जैसा कि मीडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए गठित कस्तूरीरंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) वर्ष 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अनुसार, 8 राष्ट्रीय मिशनों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करने के लिए एक बहु-आयामी, दीर्घावधिक और एकीकृत पहल शुरू की है। एनएपीसीसी ने भी कुछ अन्य पहलें की हैं जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं कार्य को बढ़ावा देना है। नोडल मंत्रालयों द्वारा मसौदा मिशन दस्तावेज तैयार किए गए हैं तथा अनुमोदन के लिए विभिन्न स्तरों पर हैं। इन मिशन दस्तावेजों से न केवल आगे की कार्रवाई तथा समय-सीमा बल्कि अपेक्षित निधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होने की आशा है। योजना आयोग में रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसके लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।

(ग) से (ङ) भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, योजना आयोग के पूर्व सदस्य (ऊर्जा), डॉ. किरीट पारिख की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2010 को लो-कार्बन इकॉनामी के संबंध में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। आशा है कि समूह अप्रैल, 2010 की समाप्ति तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट तथा सितम्बर, 2010 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के लिए योजनाएं

5419. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के नागरिकों के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या दूतावासों में उनके लिए कोई मिलन समारोह आयोजित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ दूतावासों में कौन-कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) मंत्रालय, प्रत्येक वर्ष 7-9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस नामक एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के अलावा अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों के लिए निम्न योजनाएं चलाता है–

(i) प्रवासी भारतीय नागरिकता योजना

(ii) भारत जानो कार्यक्रम

(iii) डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम

(iv) प्रवासी भारतीयों पतियों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहयता योजना

(v) भारतीय समुदाय कल्याण कोष

(ख) से (घ) स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिशन प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों को एक मिलन समारोह में आमंत्रित करते हैं।

अप्रयुक्त एमपीलैड धनराशि

5420. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी अप्रयुक्त एमपीलैड धनराशि संचित हुई है;

(ख) इनके संचित होने के क्या कारण हैं;

(ग) समय-सीमाबद्ध तरीके से अप्रयुक्त धनराशि को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार लोक निर्माण विभाग और जिला परिषदों के सिविल विंग पर कार्यभार को विकेन्द्रीकृत करने के उद्देश्य से एमपीलैड धनराशि से कार्य शुरू करने हेतु एक पृथक तकनीकी विंग की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) योजना की शुरुआत से, पिछले तीन वर्षों में संचयी अव्ययित शेष निम्नानुसार है:

क्रम सं.	संचयी अव्ययित शेष (करोड़ रु. में)
1.	2136.64 (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार)
2.	1788.00 (31.3.2009 की स्थिति के अनुसार)
3.	2307.03* (31.3.2010 की स्थिति के अनुसार)

*अनंतिम

(ख) एमपीलैड योजना के अंतर्गत निधि सीधे सांसदों के नोडल जिला प्राधिकारियों को भेजी जाती है, जो सांसदों द्वारा अनुशंसित पात्र विकासात्मक कार्यों की जांच करते हैं तथा कार्यान्वित करते हैं। निधि के जमा होने के मुख्य कारण: सांसदों द्वारा अनुशंसा करने में विलंब, जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यों को मंजूर करने और निष्पादित करने में विलंब, चालू कार्यों तथा शुरू किए जाने वाले कार्यों के लिए अग्रिम राशि जारी करना, क्योंकि अग्रिम राशि को खर्च नहीं माना जाता है, इत्यादि हैं।

(ग) मंत्रालय ने देश में सभी जिला प्राधिकारियों को, सांसदों द्वारा अनुशंसा किए जाने के तुरंत बाद कार्यों की समय पर मंजूरी और निष्पादन में शीघ्रता करने के निदेश दिए हैं। इसके अलावा, उनसे यह कहा गया है कि वे 14वीं लोकसभा तक संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित लंबित कार्यों को 30 सितम्बर, 2010 तक पूरा करें।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आद्रभूमि का संरक्षण

5421. श्रीमती जे. शांता:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के अनुमान के अनुसार देश में चालू दशक के दौरान हमारी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के रूप में 38 प्रतिशत स्वच्छ जल स्रोत वाली आद्रभूमि नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक आद्रभूमियों का अपशिष्ट पाटन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो गंभीर पर्यावरणीय खतरा भी पैदा कर रही है;

(ग) यदि हां, तो देश की आद्रभूमि को संरक्षित करने और आद्रभूमि के अन्य उपयोग हेतु बदलाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश में ताजा जल आद्रभूमियों के ह्रास के संबंध में कोई प्रामाणिक डाटा उपलब्ध नहीं है। तथापि, अनेक आद्रभूमियां आकार में, मानवजनित दबावों, अनियंत्रित गाद, वीड होने, सीवेज और औद्योगिक बहिस्रावों के डिस्चार्ज होने, सरफेस-रन-ऑफ, रसायन कीटनाशकों और उर्वरकों के कारण सिकुड़ रही है।

(ग) और (घ) मंत्रालय 100 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय आद्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत 115 आद्रभूमियां 26 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर करते हुए संरक्षण कार्य करने के लिए अभिज्ञात की गई हैं, ताकि उनको आगे अवक्रमित होने से रोका जा सके। इन कार्यों में सर्वेक्षण और चिन्हिकरण, सुरक्षा, गाद नियंत्रण, प्रदूषण उपशमन, कैचमेंट क्षेत्र उपचार, वीड निकालना, जैव संरक्षण, प्रतिपूरक और उन लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका समर्थन जो आद्रभूमियों, समुदाय सहभागिता और शिक्षा तथा जागरूकता पर निर्भर करते हैं। विभिन्न संरक्षण कार्यों के लिए 86.98 करोड़ रुपये की धन राशि 1987-88 से 2009-10 तक देश में अभिज्ञात आद्रभूमियों के संरक्षण हेतु रिलीज की जा चुकी है।

[हिन्दी]

विज्ञान के पाठ्यक्रम में एकरूपता

5422. श्री राजू शेट्टी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सभी विश्वविद्यालयों के विज्ञान के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालयों को अकादमिक मामलों में स्वायत्ता प्राप्त है तथा किसी पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम की पाठ्य विषय-वस्तु को परिभाषित करने की स्वतंत्रता है।

जेलों में भारतीयों से मुलाकात करने वाले राजनयिक

5423. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब राष्ट्रों में भारतीय राजनयिक मिशन के अधिकारी और राजनयिक समय-समय पर तथा जब आवश्यक हो तब जेलों में बंद भारतीयों की स्थिति जानने के लिए उनसे मुलाकात करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की कुल कितनी मुलाकातें की गई; और

(ग) इन जेलों का दौरा करने के बाद कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले

5424. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सी.बी.आई. द्वारा भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक संपत्ति के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) राजपत्रित अधिकारियों तथा अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध श्रेणीवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) उनमें से कितने मामलों को चुनौती दी गई है और चुनौती वाले मामलों का श्रेणीवार प्रतिशत क्या है;

(घ) चुनौती वाले ऐसे कितने मामले हैं जिनके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है और दोषसिद्धि का श्रेणीवार प्रतिशत क्या है; और

(ङ) कुल दोषी राजपत्रित अधिकारियों का सेवावार (आईएएस, आईपीएस, आईआरएस आदि) ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए आय से अधिक परिसम्पत्ति रखने से संबंधित सहित भ्रष्टाचार के मामले निम्नलिखित हैं:

वर्ष	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए आय से अधिक परिसम्पत्ति के मामलों सहित भ्रष्टाचार के मामले
2007	688
2008	744
2009	795
2010*	212

*(दिनांक 31.3.2010 तक)

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों में लिप्त सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	मामलों की संख्या	
	राजपत्रित	अराजपत्रित
2007	580	700
2008	660	1634
2009	775	532
2010*	193	126

*(दिनांक 31.3.2010 तक)

(ग) आरोप पत्र दाखिल किए गए भ्रष्टाचारर के मामलों की वर्ष वार संख्या तथा आरोप पत्र की प्रतिशतता निम्नलिखित है:

वर्ष	भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए	भ्रष्टाचार के मामलों का प्रतिशत जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए गए
2007	507	77.28
2008	521	77.52
2009	269	82.76
2010*	5	83.33

*(दिनांक 31.3.2010 तक)

(घ) मामलों की वर्ष वार संख्या जिनमें दोषसिद्धि हुई तथा दोषसिद्धि का प्रतिशत निम्नलिखित है:

वर्ष	मामले जिनमें दोषसिद्धि हुई	दोषसिद्धि की दर का (प्रशित)
2007	426	67.7
2008	382	66.2
2009	719	64.4
2010'	149	72.71

*(दिनांक 31.3.2010 तक)

(ङ) यह सूचना केन्द्रीकुत रूप में नहीं रखी जाती है।

तकनीकी शिक्षा

5425. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में स्थापित अथवा प्रस्तावित तकनीकी विद्यालयों/संस्थाओं के राज्यवार नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय की कोई अलग योजना नहीं है।

(ग) राज्य-वार स्थापित या स्थापित किए जाने वाले तकनीकी स्कूलों/संस्थाओं के नाम नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	स्थापित/स्थापित की जाने वाली संस्था का नाम	राज्य
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश
2.	भारतीय प्रबंध संस्थान	मेघालय, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड और राजस्थान
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, पुडुचेरी, उत्तराखंड और सिक्किम
4.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश और केरल
5.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय संबंधी कोर समिति

5426. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शैक्षणिक तथा शोध निष्पादन के निर्धारित मानकों से पीछे चल रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कुलपतियों की सात सदस्यों वाली कोर समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय तथा कार्यकाल क्या हैं और इसमें कौन-कौन सदस्य शामिल हैं;

(ग) सरकार को समिति की रिपोर्ट कब तक सौंपी जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में अभी हाल ही में एक सात सदस्यों वाली कोर समिति का गठन किया है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इस समिति की उच्चतर शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने तथा अधिक जवाबदेही के साथ विश्वविद्यालयों के लिए अधिक स्वायत्ता के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के साथ व्यापक सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक चार माह में बैठक आयोजित किए जाने की संभावना है। समिति का संघटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुलपतियों की कोर समिति

1. श्री नजीब जंग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
2. प्रोफेसर राजशेखरन पिल्लई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. प्रोफेसर प्रमोद टंडन, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
4. प्रोफेसर बी. हनुमाई, डॉ. बाबासाहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
5. प्रोफेसर सैयद ई. हसनायन, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6. प्रोफेसर बी.बी. भट्टाचार्य, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
7. प्रोफेसर डी.पी. सिंह, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी और

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि

भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना

5427. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई योजना "भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना" (आईएसएसपी) का अनुमोदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईएसएसपी में कौन-कौन सदस्य शामिल हैं, इसके विचारार्थ विषय, लक्ष्य, उद्देश्य और प्रकार्य क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल-समिति (सीसीईए) ने 19 मार्च, 2010 को केंद्र प्रायोजित एक नई योजना के रूप में 650.43 करोड़ रु. के कुल बजट से युक्त भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (आईएसएसपी) के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया, जिसका 80 प्रतिशत वित्त पोषण विश्व बैंक के ऋण से होगा और 20 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। जहां तक 20 प्रतिशत घटकों का प्रश्न है, सिविल अवसंरचना की लागत के संबंध (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों पर आने वाली लागत को छोड़कर) परियोजना के तहत निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत सहभागी राज्य/संघशासित राज्य वहन करेंगे जबकि इस बारे में होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर के मामले में, निर्माण कार्यकलापों पर व्यय के बंटवारे का पेटर्न 10:90 होगा। यह प्रतिबद्धता, कार्यान्वयक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य संगत प्रतिबद्ध दायित्वों के अतिरिक्त होगी तथा जब कभी और जहां कहीं भी जरूरत होगी, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भूमि और/अथवा भवन, कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे तथा राज्य कार्यनीतिक सांख्यिकीय योजना (आईएसएसपी) के कार्यान्वयन और एमओयू के विशिष्ट प्रावधानों से संबद्ध सभी आवर्ती-व्यय भी वहन करने होंगे।

(ग) यह परियोजना, राज्य सांख्यिकी प्रणाली की क्षमता और कार्यकलापों को सुदृढ़ करने और राज्यों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों की व्याप्ति तथा गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होने के लिए अभिकल्पित की गई है। यह राष्ट्रीय स्तर की सांख्यिकी संकलित करने में और राज्य स्तर के नियोजन और नीति-निर्माण में सुधार लाने, दोनों ही में सहायता देगी।

यह स्थान-विशिष्ट परियोजना नहीं है। इस परियोजना में भाग लेने के लिए देश के सभी राज्य और संघ राज्यक्षेत्र (यूटीस) पात्र हैं।

यह परियोजना, प्रत्येक प्रतिभागी राज्य में, राष्ट्रीय कार्यनीतिक सांख्यिकीय योजना (एनएसएसपी) में निहित समग्र दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की जाने वाली राज्य कार्यनीतिक सांख्यिकीय योजना के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी। यह परियोजना निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी:

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकीय कार्यकलापों के समन्वयन और प्रबंधन में सुधार लाना।

(ii) मानव संसाधन विकास।

(iii) सांख्यिकीय अवसंरचना का विकास।

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी सहित भौतिक अवसंरचना में निवेश; और

(v) सांख्यिकीय कार्यकलापों में सुधार लाना।

सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना

5428. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकार आठ सार्क देशों के विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) विश्वविद्यालय बनाने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सार्क विश्वविद्यालयों का कार्य किस तारीख तक प्रारंभ होने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) 3 व 4 अप्रैल, 2009 को नई दिल्ली में हुए 14वें सार्क सम्मेलन में सार्क के सदस्य राज्यों ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक अन्तः सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क सम्मेलन में, माननीय प्रधानमंत्री ने, सार्क सदस्य राज्यों के छात्रों व शोध कर्ताओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं और व्यावसायिक शिक्षण संकाय प्रदान करने के लिए दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना करने की पेशकश की थी। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सार्क सदस्य राज्यों ने एक अन्त-सरकारी संचालन समिति की स्थापना की थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय के लिए एक परियोजना कार्यालय भी बनाया जाएगा और विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की देखरेख करने के साथ-साथ यह इसके चार्टर, सांविधियां, बाई-लॉज, व्यवसाय योजना, प्रशासन का ढांचा, विषयों के पाठ्यक्रम आदि भी तैयार करने के लिए दो वर्ष तक उसका वित्त पोषण भारत द्वारा किया जाएगा। यह भी निर्णय किया गया था कि विश्वविद्यालय की स्थापना की पूंजी लागत शत प्रतिशत भारत द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) और (घ) विदेश मंत्रालय द्वारा, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के लिए 5.65 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है।

(ङ) सदस्य राज्य इस बात पर सहमत हुए कि विश्वविद्यालय का प्रथम सत्र अगस्त, 2010 से आरम्भ होना चाहिए।

सूचना का विस्तार करने के लिए जन प्राधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति

5429. श्री जी.एस. बासवराज: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरटीआई अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो जन प्राधिकारी को किसी आवेदक को इस प्रकार की सूचना अन्य किसी व्यक्ति को देने से रोकने की शक्ति प्रदान करता हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे लोक प्राधिकारी आवेदक को उनके द्वारा प्राप्त सूचना को किसी अन्य व्यक्ति को देने से रोकने हेतु समर्थ बन सके।

जोनल सांस्कृतिक कार्यक्रम

5430. श्री सी. शिवासामी: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के अविनाशी में जोनल स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश की प्राचीन संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए आवधिक रूप से देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, उदयपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, दीमापुर, नागपुर तथा तंजावुर में हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य देश की पारम्परिक/लोक कलाओं का परिरक्षण, संवर्धन व प्रसार करना है। ये केन्द्र संबंधित क्षेत्र की विभिन्न कलाओं की समृद्ध विविधता तथा विलक्षणता के विकास व संवर्धन तथा सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों की जानकारी का उन्नयन करने तथा उसे समृद्ध बनाने में प्रयासरत हैं। ये केन्द्र अपने लक्ष्यों व उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर विभिन्न कार्यकलाप व कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इसके अलावा, संगीत, नाटक अकादमी, नई दिल्ली भी भारत की पारम्परिक मंच कलाओं के परिरक्षण व संवर्धन का कार्य करती है और समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में संगीत, नृत्य, रंगमंच व कठपुतली कला के उत्सव आयोजित करती है।

खिलाड़ियों के लिए कोटा

5431. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार में समूह 'ग' और 'घ' पदों की भर्ती के लिए कोई कोटा अथवा बोनस अंक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन खेलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त कोटे का लाभ लेने के लिए खिलाड़ियों को खेलना होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) सिविल पदों/सेवाओं में समूह 'ग' और 'घ' श्रेणियों में मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार में एक स्कीम मौजूद है। इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग संलग्न विवरण में यथा प्रदत्त सूचीबद्ध 43 खेलकूद में से कोई भी खेल खेलने वाले मेधावी खिलाड़ियों को किसी वर्ष में भरी जाने वाली सीधी भर्ती रिक्तियों के 5 प्रतिशत की सीमा तक नियुक्ति कर सकता है।

विवरण

खेल कूद के ब्यौरे जो खेल कूद कोटा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी खेलेंगे

1	2
1.	धनुर्विद्या
2.	एथेलेटिक्स
3.	अत्या-पत्या
4.	बैडमिन्टन
5.	बॉल-बैडमिंटन
6.	बास्केट बॉल
7.	बिलियडर्स और स्कूनर
8.	मुक्केबाजी
9.	ब्रिज
10.	कैरम
11.	शतरंज
12.	क्रिकेट
13.	साइकिल चलाना
14.	घुड़सवारी
15.	फुटबॉल
16.	गोल्फ
17.	जिम्नास्टिक्स्स (बाडी बिल्डिंग सहित)
18.	हैंडबॉल

1	2
19.	हाकी
20.	जूडो
21.	कबड्डी
22.	कराटे-डो
23.	काइएंकइंग और कैनूइंग
24.	खो-खो
25.	पोलो
26.	पावर लिफ्टिंग
27.	राइफल शूटिंग
28.	रॉलर स्केटिंग
29.	रोइंग
30.	साफ्ट बॉल
31.	स्कवॉश
32.	तैराकी
33.	टेबल टेनिस
34.	ताएक्वान्डो
35.	टेनी-क्वाइट
36.	टेनिस
37.	वॉलबॉल
38.	वेटलिफ्टिंग
39.	कुश्ती
40.	नौका विहार
41.	आइस स्कीइंग
42.	आइस-हाकी
43.	आइस-स्केटिंग

वेतन में विसंगतियां

5432. **डॉ. विनय कुमार पाण्डेयः** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालीय सेवा तथा अन्य सम्बद्ध कार्यालयों के सहायकों/वैयक्तिक सहायकों का ग्रेड वेतन बढ़ाने के निर्णय लेने के परिणामस्वरूप प्रवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड वेतन के बीच का अंतर बढ़ गया है तथा इस सेवा के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के ग्रेड वेतन का अंतर कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को विसंगतियों को समाप्त करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अभ्यावेदनों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क)केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों/वैयक्तिक सहायकों के ग्रेड वेतन में 16 नवम्बर, 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत 4200/- रुपये से 4600/- रुपये की वृद्धि हो जाने से, उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों ग्रेड 'डी' तथा सहायकों/वैयक्तिक सहायकों के बीच ग्रेड वेतन का अन्तराल भी बढ़ गया है। इससे सहायकों/वैयक्तिक सहायकों और अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के बीच ग्रेड वेतन का अन्तर कम हो गया है।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय के विभिन्न सेवा संघों से उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिक ग्रेड 'डी' के ग्रेड वेतन में 2400/- रुपये से 4200/- रुपये की वृद्धि की मांग करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनुभग अधिकारियों के ग्रेड वेतन को अपग्रेड करने हेतु अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों ग्रेड 'डी' के ग्रेड वेतन के बारे में मामला जांचाधीन है।

खाड़ी देशों के लिए विदेश नीति

5433. **श्री पी. बलरामः** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत की विदेश नीति खाड़ी क्षेत्र के देशों को विशेष महत्व देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) भारत के खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंधों में हाल ही के वर्षों में विस्तार हुआ है व सुदृढ़ता आई है। भारत और खाड़ी क्षेत्र के देशों में परस्पर उच्च स्तरीय विनिमय और संस्थागत संयोजन हुए हैं। यह क्षेत्र हमारे एक प्रमुख व्यापार भागीदार के रूप में उभर कर आया है और संयुक्त रूप से प्रवासी भारतीय समुदाय को परिपोषित करता है।

अंग्रेजी में प्रवीणता

5434. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को अंग्रेजी में प्रवीणता के कारण चीन की तुलना में कोई लाभ मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने ऐसी कोई आशंका व्यक्त की है कि अंग्रेजी प्रवीणता में चीन भारत को पीछे छोड़ देगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या यह सही है कि चीन की तुलना में देश में कक्षा-प्रथम के केवल 43.8 प्रतिशत बच्चे ही अक्षर पढ़ सकते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों का कार्य निष्पादन क्या है; और

(छ) इस मामले का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (छ) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं। जहां तक हाल के समय तक अंग्रेजी भाषा के शिक्षण का संबंध है अंग्रेजी विषय की पढ़ाई कक्षा IV, V अथवा VI से शुरू की गई है। हालांकि, 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में कक्षा I से अंग्रेजी विषय की पढ़ाई प्रारंभ की है। छः राज्यों अर्थात असम, बिहार, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में अंग्रेजी की पढ़ाई कक्षा III से और तीन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात दमन, दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, गुजरात तथा कर्नाटक में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई कक्षा V से प्रारंभ की जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित उपलब्धि सर्वेक्षणों में अंग्रेजी विषय में प्रवीणता शामिल नहीं है। हालांकि 'प्रथम' नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित वार्षिक शैक्षिक स्थिति संबंधी रिपोर्ट, 2009 में यह जानकारी दी गई है कि 43.8 प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी अक्षरों को पढ़ सकते हैं।

द्विपक्षीय संबंध

5435. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) दोनों देशों के बीच गठजोड़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ग) मार्च, 2010 में विदेश सचिव ने श्रीलंका की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के विदेश मंत्री, श्रीलंका के विदेश सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की थी।

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत पर बल देते हुए विदेश सचिव ने यह आशा प्रकट की थी कि पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है, ताकि आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति फिर से सामान्य जीवन जीने लगें। विदेश सचिव ने श्रीलंका में सभी समुदायों के लिए स्वीकार्य समाधान किए जाने की जरूरत को दोहराया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए तथा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्स्थापना के लिए भारत की ओर से की गई उल्लेखनीय सहायता की सराहना की। दोनों पक्षों ने अक्तूबर, 2008 के समझौते के बाद भारती मछुआरों को पकड़े जाने की घटनाओं में आई कमी को नोट किया।

भारत ने भारत-श्रीलंका प्रतिष्ठान के 1.5 करोड़ रुपये के योगदान, मन्नार में थिरूकेटीश्वरम मंदिर की पुनर्स्थापना में सहायता की घोषणा की और उत्तरी, पूर्वी तथा मध्य श्रीलंका में स्थित विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों तथा स्थानीय निर्वाचित निकायों को 55 बसों की स्वीकृति प्रदान किया जा सके और इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाया जा सके।

अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने पेराडेनिया, कैण्डी में स्थित श्रीलंका-भारत अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन किया। केन्द्र की स्थापना भारत सरकार की सहायता से की गई है। इसमें अत्याधुनिक डिजीटल भाषा प्रयोगशाला स्थित है।

जनजातीय विद्यार्थियों को शिक्षा

5436. श्री रमेश राठौड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा परिवर्तनों विशेषकर जनजातीय लोगों के अनुकूल बनाने हेतु विद्यालयों के पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने का काम चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों से क्या टिप्पणियां मिली हैं; और

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय विद्यार्थियों हेतु शेष ग्यारहवीं और आगामी बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ 2005) में यह उल्लेख है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केवल तभी सफल होगा जब यह समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के बावत किए गए उपायों के साथ-साथ संचालित हो। बच्चों के लिए अध्ययन को एक रुचिकर अनुभव बनाने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 में पाठ्यचर्या विकास हेतु पांच मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया है।

(i) स्कूल के बाहर के जीवन के साथ ज्ञान का संबंध जोड़ना,

(ii) यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन को रटने की पद्धतियों से अलग किया जाए;

(iii) पाठ्यचर्या को और समृद्ध बनाना ताकि बच्चे किताबों तक ही सीमित न रहकर अपना चहुमुखी विकास कर सकें।

(iv) परीक्षा को अधिकाधिक उदार बनाते हुए इसे क्लासरूम जीवन के साथ समेकित करना और,

(v) देश की जनतांत्रिक राज्य व्यवस्था के दायरे में सुविचारित सरोकार जनित आविर्भावी पहचान को पोषित करना।

राज्य सरकारों समेत सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 तैयार किया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल के सभी स्तरों तथा सभी विषयों हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण बोर्ड द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों को अपनाया एवं अनुकूलित किया है।

राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पाठ्यचर्या विषयवस्तुओं, अध्ययन-अध्यापन सामग्री, विधियों तथा मूल्यांकन प्रणालियों में परिवर्तन करके लोगों की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 के अनुसार अपने-अपने पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्या को संशोधित करें। 18 राज्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 के मद्देनजर अपनी पाठ्यचर्या को संशोधित किया है।

तटीय प्रदूषण

5437. श्री महेंद्रसिंह पी. चौहाण: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय जल प्रदूषकों तथा भारतीय उप-महाद्वीप में समुद्री तटों के प्रदूषण स्तर का मूल्यांकन करने के लिए 'समुद्र तटीय निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली' (सी.ओ.एम.ए.पी.एस.) पर राष्ट्रीय रूप से समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नाइट्रेट जैसे पोषण तत्वों में वृद्धि के अलावा किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन का पता लगा है और इस प्रकार के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारतीय तटीय जल की स्वच्छता का मूल्यांकन करने के लिए "तटीय समुद्र मॉनीटरन और पूर्वानुमान प्रणाली" (कॉमेक्स) पर राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है। कॉमेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय तट पर स्थित 76 स्थानों पर प्रदूषण के स्तर की निगरानी की जाती है, जिनमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी हां। पोषक तत्वों के अलावा निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन पाए गए: कई स्थानों पर (i) घुलित ऑक्सीजन (डीओ) तथा (ii) पीएच। डीओ का स्तर पोरबंदर, मंगलौर, तूतीकोरिन, मंडापम, एन्नौर और विशाखापट्टनम में कम हुआ है। कॉमेक्स कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित किए गए डेटा समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत किए जाते हैं। समुद्रों में प्रदूषण रोकने के लिए नगर के अपशिष्ट और औद्योगिक बहि:स्त्राव के शोधन के लिए मलजल शोधन संयंत्र और सामूहिक बहि:स्त्राव संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। केरल में वेली के साथ-साथ औद्योगिक बहि:स्त्राव के कारण पीएच आरंभ में बहुत कम था, लेकिन अब यह बढ़कर सामान्य स्तर पर पहुंच चुका है। तट पर स्थित सभी स्थानों पर तलछट में पारे की सांद्रता में पिछले कई वर्षों में घटती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है जिससे समुद्र में छोड़े जाने वाले औद्योगिक बहि:स्त्राव में पारे की कमी का पता चलता है।

संवेदनशील संस्थानों की गूगल मैपिंग

5438. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के संवेदनशील संस्थान/स्थान इंटरनेट पर गूगल मैपिंग उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सुरक्षा पहलू के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। गूगल साइट पर कुछ संस्थापनाएं (इंस्टालेशन्स) दर्शाई गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में इनका ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

(ग) यह मामला पहले से ही सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कर्मचारियों को एल.टी.सी.

5439. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमान द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की एल.टी.सी. लेने के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तय समय-सीमा में विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) एल.टी.सी. नियमावली, 1988 में छूट देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने के लिए समय-सीमा 1.5.2010 से और आगे दी दो वर्षों हेतु बढ़ा दी गई है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5440. श्री इज्यराज सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्याप्त निधियों के अभाव में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है;

(ख) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभ देश के गरीबों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों तक नहीं पहुंच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ताकि गरीबी उन्मूलन हेतु निर्धारित हेतु लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी योजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,94,933.28 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 1,94,933.28 करोड़ रुपए के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के मुकाबले प्रथम चार वर्षों के योजना परिव्यय निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	योजना परिव्यय (करोड़ रुपए में)
2007-08 (स.अ.)	28,500
2008-09 (स.अ.)	56,854
2009-10 (स.अ.)	62,160
2010-11 (ब.अ.)	66,100
कुल	2,13,614

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विशेष रूप में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त योजना निधियां उपलब्ध कराई गई है।

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मॉनीटरण की व्यापक प्रणाली विकसित की है, जिसमें आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों, क्षेत्र अधिकारी की स्कीम, सतर्कता तथा मॉनीटरण समितियों के माध्यम से राज्य तथा जिला स्तरों पर निधियों का उपयोग शामिल है इसमें कार्य गुणवत्ता के मॉनीटरण पर ध्यान तथा कार्यक्रम दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन के अनुपालन के लिए संसद सदस्यों, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरों इत्यादि की अधिक भागीदारी की गई है।

[अनुवाद]

विरासत स्थलों का कायापलट

5441. श्री नरहरि महतो: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के मद्देनजर दिल्ली के अलावा देश के अन्य भागों में विरासत स्थलों की कायापलट करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कोलकाता सहित राज्य-वार किन विरासत स्थलों के कायापलट विचाराधीन हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त कायापलट कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं। आगामी राष्ट्रमंडल खेल, 2010 को ध्यान में रखते हुए संवारने के लिए केवल दिल्ली स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की पहचान की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दुष्प्रभाव

5442. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 मई, 2007 को बैंकाक में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के दुष्प्रभावों तथा वैश्विक तापन द्वारा पर्यावरण को होने वाले खतरों के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किस बात पर सर्वसम्मति हुई;

(ग) क्या बैठक में विश्व भर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात पर सर्वसम्मति हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर शासकीय पैनेल (आईपीसीसी) के वर्किंग ग्रुप-III का नवां सत्र दिनांक 30 अप्रैल से 4 मई 2007 को बैंकाक में आयोजित किया गया था। आईपीसीसी चौथी आकलन रिपोर्ट (एआर4) में किए वर्किंग ग्रुप-III योगदान में आईपीसीसी-III आकलन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय, इकानामी पर नए साहित्य और जलवायु परिवर्तन के उपशमन पर सामाजिक पक्षों पर फोकस किया गया है।

वर्किंग ग्रुप बैठक में व्यापक रूप से अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य पर सहमति हुई है कि 1970-2004 के बीच 70% की वृद्धि सहित पूर्व औद्योगिक काल से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। ग्रुप ने आने वाले दशकों में वैश्विक जीएचजी उत्सर्जनों के उपशमन के लिए पर्याप्त आर्थिक संभावना को माना और यह राय व्यक्त की कि वातावरणीय उत्सर्जन में जीएचजी के सांद्रण में वृद्धि व गिरावट स्थिर होने के लिए आवश्यक है। ग्रुप ने सतत विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया किंतु सहमति व्यक्त की कि इसके लिए जलवायु परिवर्तन के उपशमन के कुछ पक्षों और शामिल अवरोधकों को दूर करने

के लिए पर्याप्त संसाधनों से संबंधित उपलब्ध जानकारी में संगत अंतरालों की पहचान करना अपेक्षित है।

(ग) वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट में स्थिरीकरण सांद्रणों में विभिन्न समूहों के लिए अपेक्षित उत्सर्जन स्तरों और संबंधित संतुलन वैश्विक औसत तापमान वृद्धि होने का सार दिया गया है। तथापि, ग्रुप ने पूर्व औद्योगिक स्तरों के तुलना करने पर विश्व के तापमान वृद्धि को 2°C सीमित करने के सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया।

(घ) उपशमन हेतु स्वैच्छिक घरेलू कार्रवाई के रूप में, भारत ने उल्लेख किया है कि यह 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन सघनता को 20-25% तक कम करने का करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार ने भारत की कम कार्बन वृद्धि के लिए रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ दल को गठित किया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में उन उपायों की भी पहचान की गई है जो जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए सह-लाभों को प्राप्त करते हुए भारत के विकास उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं। आठ मिशनों में से दो मिशन इन्हेन्सेड ऊर्जा किफायत और सौर मिशन से संबंधित हैं। इन दोनों मिशनों का उद्देश्य सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के पथ का अनुपालन करते हुए कार्बन उत्सर्जनों में कमी लाना लक्षित है।

[हिन्दी]

जीनोम टू ड्रग इनिश्येटिव लेबोरेट्री

5443. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवविज्ञान में जीनोम टू ड्रग इनिश्येटिव लेबोरेट्री सिस्टम नाम के कोई प्रोग्राम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रोग्रामों के उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस सबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) जी नहीं, जीवविज्ञान में जीनोम टू ड्रग इनिश्येटिव लेबोरेट्री सिस्टम नामक कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने 30.06.2008 को अन्तर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी तथा जैवप्रौद्यागिकी केन्द्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली में तीन वर्ष की अवधि के लिए 101.59 लाख रुपए की कुल लागत से "आइडेन्टीफाइंग द होस्ट-डिपेन्डेन्ट सर्वाइवल एक्सिस ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम टयूबरकुलोसिस: एन अप्रोच टूवर्ड्स सिस्टम्स फार्माकोलॉजी" नामक एक परियोजना को मंजूरी दी है। जीवविज्ञान संस्थान (आईएलएस), हैदराबाद ने भी उपर्युक्त परियोजना में 195.40 लाख रुपए की धनराशि का अंशदान किया है। इस परियोजना का लक्ष्य पोषी कोशिका, जिन्हें माइकोबैक्टीरिया संक्रमित करते हैं, के अणुओं को प्रभावित करते हुए ट्यूबरकुलोसिस चिकित्सा के लिए एक नए मार्ग का पता लगाना है। परियोजना का उद्देश्य ऐसे प्रमुख पोषी अणुओं की पहचान करना है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उत्तरजीविता को सहायता प्रदान करते हैं और उनमें से कुछेक को औषधि के साथ अवरोधित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप संक्रम समाप्त हो सकता है।

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित जल परियोजनाएं

5444. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**
श्री जोसेफ टोप्पो:
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक सहित विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित पूर्ण की गई तथा चालू जल परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजनाओं को कितनी निधियां आबंटित की गई;

(ख) प्रत्येक चालू परियोजनाओं की क्या स्थिति है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने कुछ परियोजनाओं की ऋण प्रदान करने पर कोई शर्त लगाई हैं

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.जा.जा. बहुत राज्यों पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) देश में विश्व बैंक सहित विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित पूर्ण की गई जल क्षेत्र परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण I में दिया गया सलग्न है। देश में विश्व बैंक सहित विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित चालू जल क्षेत्र परियोजनाओं का, प्रत्येक परियोजना को आबंटित निधियों सहित राज्यवार-ब्यौरा तथा इसकी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) विश्व बैंक ने कुछ परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए कोई विशिष्ट शर्त नहीं रखी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

31.3.2010 तक बंद की गई/पूरी की गई जल क्षेत्र परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	ऋण संख्या	दाता	परियोजना का नाम	राज्य का नाम
1	2	3	4	5
1.	1251-आईएन	आईबीआरडी	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	आन्ध्र प्रदेश
2.	4166-आईएन	आईबीआरडी	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	आन्ध्र प्रदेश
3.	2115-आईएन	आईडीए	हैदराबाद जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	आन्ध्र प्रदेश
4.	2952-आईएन	आईडीए	तीसरी आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	आन्ध्र प्रदेश
5.	आईडीपी-113	जापान	करनोल-कुडडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना	आन्ध्र प्रदेश
6.	एनएलजीजी 001011	नीदरलैंड	एपीडब्ल्यूईएलएल परियोजना आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
7.	एनएलजीजी 01011 ई	नीदरलैंड	एपीडब्ल्यूईएलएल परियोजना आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश
8.	टीएफ 057071	आईडीए	बिहार बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली	बिहार
9.	एफआरहीएल 4001	फ्रांस	जीयू में फ्यूज गेटों की संस्थापना (376 एमडीटी.30.1.	केन्द्र सरकार
10.	एफआरहीएल 4001 ई	फ्रांस	जीयू में फ्यूज गेटों की संस्थापना (376 एमडीटी.30.1.	केन्द्र सरकार
11.	1937197 ई	जर्मनी	डीएम 23 एम आरडब्ल्यूएस एम.पी	केन्द्र सरकार
12.	27057-आईएन	आईबीआरडी	जल संसाधन नवाचार एवं टीआरजी. परियोजना	केन्द्र सरकार
13.	टीएफ 053745	आईबीआरडी	मलिन बस्ती उन्नयन एवं राष्ट्रीय स्वच्छता परियोजना	केन्द्र सरकार
14.	टीएफ 056284	आईडीए	जल संसाधन मंत्रालय में क्षमता निर्माण के लिए डीए	केन्द्र सरकार
15.	आईडीपी-079	जापान	शहरी शहर जलापूर्ति परियोजना	केन्द्र सरकार
16.	आईडीपी-084	जापान	यमुना कार्यवाही योजना	केन्द्र सरकार
17.	जेपीजीजी 008	जापान	केवल प्रिकशन टाइप ड्रिलिंग का आयात	केन्द्र सरकार
18.	एनएलजीजी 003	नीदरलैंड	ग्रांट इंडिया 1996-04 प्रशिक्षण एवं प्रलेखन केन्द्र	केन्द्र सरकार
19.	आईएनडी/97/946	यू.एन.डी.पी.	जल क्षेत्र के लिए लघु अनुदान सुविधा	केन्द्र सरकार
20.	एफआरजीएल 4008	फ्रांस	जीयू-376 एम में बांधी पर फ्यूज गेटस प्रणाली	गुजरात
21.	एफआरजीएल 4008 ई	फ्रांस	जीयू-376 एम में बांधी पर फ्यूज गेटस प्रणाली	गुजरात
22.	1280-आईएन	आईडीए	गुजरात जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना	गुजरात

1	2	3	4	5
23.	एनएलजीजी 001013	नीदरलैंड	जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम चरण-1	गुजरात
24.	एनएलजीजी020ई	नीदरलैंड	जल का समुदाय प्रबंधित विकास एवं स्वच्छता-जीयू	गुजरात
25.	2592-आईएन	आईडीए	हरियाणा जल संसाधन सुदृढ़ीकरण	हरियाणा
26.	305205	जर्मनी	कर्नाटक वाटरशेड विकास कार्यक्रम	कर्नाटक
27.	305205 ई	जर्मनी	कर्नाटक वाटरशेड विकास कार्यक्रम	कर्नाटक
28.	पी 368-0 आईएन	आईबीआरडी	कर्नाटक जल आपूर्ति प्रबंधन एवं एमएस परियोजना	कर्नाटक
29.	2483-आईएन	आईडीए	कर्नाटक आरडब्ल्यूएस एवं ईएसपी परियोजना	कर्नाटक
30.	आईडीपी-059	जापान	मैसूर कागज मिल परियोजना	कर्नाटक
31.	एनएलजीजी001014	नीदरलैंड़	तुगभद्रा सिंचाई प्रायोगिक परियोजना चरण II	कर्नाटक
32.	एससीजीजी001	स्विटजरलैंड	इंडो-स्विस सहभागिता वाटरशैड विकास कर्नाटक	कर्नाटक
33.	यूकेजीजी014	ग्रेटब्रिटन	यूके/भारत कर्नाटक वाटरशेड विकास परियोजना	कर्नाटक
34.	इसीजीजी011	ई.ई.सी.	केरल लघु सिंचाई परियोजना	केरल
35.	1622-आईएन	आईडीए	केरल जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	केरल
36.	आईडीपी-123	जापान	केरल जल आपूर्ति परियोजना	केरल
37.	एनएलजीजी001006	नीदरलैंड	केरल सामुदायिक सिंचाई	केरल
38.	एनएलजीजी001017	नीदरलैंड	केरल जल आपूर्ति, पावर्ती	केरल
39.	एनएलजीजी001018	नीदरलैंड	जल आपूर्ति, कुन्दरा	केरल
40.	एनएलजीजी001019	नीदरलैंड	केरल जल आपूर्ति, मालपुरा	केरल
41.	एनएलजीजी1006ई	नीदरलैंड	केरल सामुदायिक सिंचाई	केरल
42.	3413667	जर्मनी	डीएम 45 एम दिनांक 20.8.87 एमपी ग्रामीण जल आपूर्ति	मध्य प्रदेश
43.	341367 ई	जर्मनी	डीएम 45 एमपी ग्रामीण जल आपूर्ति	मध्य प्रदेश
44.	आईडीपी-126	जापान	राजघाट नहर सिंचाई कार्यक्रम	मध्य प्रदेश
45.	इसीजीजी002	ई.ई.सी.	फसल विकास के लिए जल नियन्त्रण प्रणाली, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
46.	एफआरजीजी3614	फ्रांस	मजाल गांव सिंचाई परियोजना का सशक्त विनियमन	महाराष्ट्र
47.	एफआरजीएल 3614	फ्रांस	मजाल गांव सिंचाई परियोजना का सशक्त विनियमन	महाराष्ट्र
48.	एफआरजीएल361ई	फ्रांस	मजाल गांव सिचाई परियोजना का सशक्त विनियमन	महाराष्ट्र
49.	7649867	जर्मनी	ग्रामीण जल आपूर्ति महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
50.	764987 ई	जर्मनी	ग्रामीण जल आपूर्ति महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
51.	9361337	जर्मनी	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-एमएच	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
52.	0390-आईएन	आईडीए	बाम्बे जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-एमएच	महाराष्ट्र
53.	0842-आईएन	आईडीए	दूसरी बाम्बे जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजना	महाराष्ट्र
54.	0899-आईएन	आईडीए	महाराष्ट्र जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना	महाराष्ट्र
55.	1383-आईएन	आईडीए	महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना	महाराष्ट्र
56.	1750-आईएन	आईडीए	तीसरी बोम्बे जल आपूर्ति एवं जल विकास परियोजना	महाराष्ट्र
57.	2234-आईएन	आईडीए	महाराष्ट्र ग्रामीण जी आपूर्ति कार्यक्रम	महाराष्ट्र
58.	यूकेजीजी020	ग्रेटब्रिटन	महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता	महाराष्ट्र
59.	एफआरजीएल 4106	फ्रांस	भूजल अन्वेषण परियोजना-इम्फाल-125 एम	मणिपुर
60.	एफआरजीएल4106ई	फ्रांस	भूजल अन्वेषण परियोजनाइम्फाल-125 एम	मणिपुर
61.	2100-आईएन	आईडीए	बांध सुरक्षा परियोजना	बहुराज्य
62.	2241-आईएन	आईडीए	बांध सुरक्षा परियोजना	बहुराज्य
63.	2774-आईएन	आईडीए	जलविज्ञान परियोजना	बहुराज्य
64.	इसीजीजी014	ई.ई.सी.	उड़ीसा में लघु सिंचाई	उड़ीसा
65.	99350	जर्मनी	उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	उड़ीसा
66.	99350इ	जर्मनी	उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	उड़ीसा
67.	2801-**B**-आईएन	आईडीए	उड़ीसा जल संसाधन समेकन-भाग-एच	उड़ीसा
68.	2801-आईएन	आईडीए	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	उड़ीसा
69.	टीएफ 057792	आईडीए	उड़ीसा सामुदायिक टैंक प्रबंधन परियोजना	उड़ीसा
70.	आईडीपी-135	जापान	रेंगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा
71.	एफआरजीएल 4010	फ्रांस	नर्मदा जल संसाधन, गुजरात सरकार	अन्य
72.	2186-आईएन	आईबीआरडी	कालूदा सिंचाई एवं वृक्ष फसल परियोजना	अन्य
73.	2295-आईएन	आईबीआरडी	हिमालयी वाटरशेड प्रबंधन परियोजना	अन्य
74.	2497-आईएन	आईबीआरडी	नर्मदा नदी विकास सरदार सरोवर परियोजना	अन्य
75.	3050-आईएन	आईबीआरडी	उपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना	अन्य
76.	0014-आईएन	आईडीए	सालन्दी सिंचाई परियोजना	अन्य
77.	जेपीजीजीयू 06	जापान	ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल के अन्वेषण के लिए अनुदान	अन्य
78.	जेपीजीजीयू 07	जापान	जीए-भूजल का अन्वेषण	अन्य
79.	ईसीजीजी 017	ई.ई.सी.	एएलए 95/16 टैंक पुनर्वास परियोजना पुडुचेरी	पुडुचेरी
80.	0848-आईएन	आईडीए	पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज	पंजाब

1	2	3	4	5
81.	2076-आईएन	आईडीए	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	पंजाब
82.	29473-आईएन	आईडीए	पंजाब जल संसाधन एमजी परियोजना	पंजाब
83.	टीएफ054594	आईडीए	पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	पंजाब
84.	सीएजीजी002	कनाडा	राजस्थान कृषि जल निकास	राजस्थान
85.	ईसीजीजी012	ई.ई.सी.	ईईसी सिद्धसुख एवं नोहर सिंचाई परियोजना, राजस्थान	राजस्थान
86.	119975	जर्मनी	राजस्थान ग्रामीण एवं जल आपूर्ति	राजस्थान
87.	119975इ	जर्मनी	राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति एवं जल निकास	राजस्थान
88.	2253720	जर्मनी	डीएम 2.70 एम. राजस्थान लघू सिंचाई परियोजना चरण	राजस्थान
89.	2253720इ	जर्मनी	डीएम 2.70 एम. राजस्थान लघू सिंचाइ परियोजना चरण	राजस्थान
90.	3420922	जर्मनी	डीएम 12.3 एम दिनांक 29.04.81 राजस्थान लघु सिंचाई	राजस्थान
91.	3420922इ	जर्मनी	डीएम 12.3 एम राजस्थान लघु सिंचाई कार्यक्रम	राजस्थान
92.	1046-आईएन	आईडीए	राजस्थान जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना	राजस्थान
93.	एसईजीजी002	स्वीडन	डूंगरपुर एकीकृत जल भूमि विकास परियोजना	राजस्थान
94.	ईसीसीजी004	ई.ई.सी	तमिलनाडु में टैंक सिंचाई प्रणाली (चरण II)	तमिलनाडु
95.	2846-आईएन	आईबीआरडी	मद्रास जल आपूर्ति एवं प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम	तमिलनाडु
96.	3907-आईएन	आईबीआरडी	दूसरी चेन्नई जल आपूर्ति परियोजना	तमिलनाडु
97.	3907-आईएन	आईबीआरडी	दूसरी मद्रास जल आपूर्ति परियोजना	तमिलनाडु
98.	1454-आईएन	आईडीए	तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	तमिलनाडु
99.	1822-आईएन	आईडीए	मद्रास जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	तमिलनाडु
100.	2745-आईएन	आईडीए	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	तमिलनाडु
101.	**SF**12-आईएन	आईडीए	तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	तमिलनाडु
102.	टीएफ 052426	आईडीए	तमिलनाडु ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	तमिलनाडु
103.	0124-आईएन	आईएफएडी	दूसरी यू.पी.टयूबवैल परियोजना	उत्तर प्रदेश
104.	जेपीजीजी035	जापान	यू.पी.में भूजल विकास	उत्तर प्रदेश
105.	एनएलजीजी001003	नीदरलैंड	यू.पी. सब परियोजना **VI**	उत्तर प्रदेश
106.	एनएलजीजी002	नीदरलैंड	अनुदान भारत 1995.04 बुदंलखंड एकीकृत जल	उत्तर प्रदेश
107.	एनएलजीजी002**E**	नीदरलैंड	अनुदान भारत 1995.04 बुदेलखंड एकीकृत जल	उत्तर प्रदेश
108.	एनएलजीजी01003**E**	नीदरलैंड	यू.पी सब परियोजना **VI**	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
109.	टीएफ053147	आईबीआरडी	उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छा	उत्तर प्रदेश
110.	एफआरजीएल42002	फ्रांस	एफएफ 105 मिलियन फ्रैंच प्रोटोकोल दिनांक 23.11.98	पश्चिम बंगाल
111.	आईडीपी-040	जापान	तीस्ता नहर जलविद्युत परियोजना	पश्चिम बंगाल
112.	आईडीपी-098	जापान	पुरलिया पम्पड भण्डारण परियोजना	पश्चिम बंगाल
113.	एनएलजीजी001012	नीदरलैंड	उत्तरी बंगाल तिराई परियोजना चरण-III	पश्चिम बंगाल
114.	एनएलजीजी01012इ	नीदरलैंड	उत्तरी बंगाल तिराई विकास परियोजना चरण-III	पश्चिम बंगाल

आईबीआरडी	अन्तराष्ट्रीय पुनसंरचना एवं विकास बैंक
आईडीए	अन्तराष्ट्रीय विकास संघ
आईएफएडी	अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि
ईईसी	यूरोपीय आर्थिक समुदाय
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

विवरण II

निर्माणाधीन जल क्षेत्र परियोजनाओं का ब्यौरा

23.04.2010 की स्थिति के अनुसार एलसी मिलियन में करोड़ रुपये में

ऋण/अनुदान	समझौते की तारीख	ऋण/अनुदान की राशि	टर्मिनल संवितरण की तारीख	मुद्रा		संचयी आहरण	ऋण/ अनुदान के संबंध में उपयोग का %
1	2	3	4	5	6	7	8
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
जीओडीई	जर्मनी						
7649867 ई	28.12.200	यूरो 1.38	17.04.2009	एलसी	0.00	0.96	69.42
ग्रामीण जल आपूर्ति महाराष्ट्र				आईएनआर	0.00	5.34	
आईबीआरडी	अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक						
टीएफ094443	26.08.2009	अमेरिकी डालर 7.49	31.08.2013	एलसी	0.00	0.87	11.66
वाटरशेड प्रबंधन निदेशालय-उत्तराखंड				आईएनआर	0.00	4.04	
4730-आईएन	18.02.2005	यूएस डालर 39.50	31.032011	एलसी	0.00	32.74	82.90

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना				आईएनआर	0.00	144.15	
4750-आईएन	30.11.2004	यूएस डालर 387.40	31.03.2011	एलसी	0.00	123.28	31.82
मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना				आईएनआर	0.00	589.12	
4796-आईएन	19.08.2005	यूएस डालर 325.00	31.02.2012	एलसी	0.00	129.39	39.81
महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना				आईएनआर	0.00	629.78	
4846-आईएन	12.02.2007	यूएस डालर	31.03.2013	एलसी	0.00	46.13	13.77
तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकाय पुनरूद्धार				आईएनआर	0.00	203.38	
4857-आईएन	08.06.2007	यूएस डालर 94.50	31.12.2012	एलसी	0.00	10.88	11.51
आंध्र प्रदेश सामुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	48.05	
4872-आईएन	17.01.2008	यूएस डालर 32.00	31.01.2012	एलसी	0.00	0.76	2.38
कर्नाटक सामुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	3.52	
75-76-आईएन	27.01.2009	यूएस डालर 56.00	31.12.2014	एलसी	0.00	2.41	4.30
कर्नाटक सामुदाय टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	12.02	
जीओजीपी	जापान						
आईडीपी-149	31.03.2003	जापानी येन 13,333.00	31.07.2010	एलसी	0.00	5,746,78	43.10
यमुना कार्य योजना परियोजना(II)				आईएनआर	0.00	268.69	
आईडीपी-154	31.03.2004	जापानी येन 6,342.00	31.05.2011	एलसी	0.00	6,142.63	96.86
रेंगाली सिंचाई परियोजना (II)				आईएनआर	0.00	251.37	
आईडीपी-155	31.03.2004	जापानी येन 4,773.00	18.06.2012	एलसी	0.00	6,142.63	61.74
कुरनुल-कुउप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना-II				आईएनआर	0.00	118.48	
आईडीपी-174	31.03.2006	जापानी येन 7,773.00	24.07.2016	एलसी	0.00	1,090.19	14.11
हुसैन सागर झील और आवाह क्षेत्र सुधार परियोजना				आईएनआर	0.00	52.47	

1	2	3	4	5	6	7	8
आईडीपी-210	31.03.2006	जापानी येन 3,052.00	24.04.2010	एलसी	0.00	0.00	0.00
रेगाली सिंचाई परियोजना				आईएनआर	0.00	0.00	
आईडीपी-210ए	31.03.2010	जापानी येन 20.00	20.04.2015	एलसी	0.00	0.00	0.00
रेगाली सिंचाई परियोजना (III)				आईएनआर	0.00	0.00	
ओपीईसी	पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन						
1251-पी	12.03.2009	यूएस डालर 30.00	31.10.2003	एलसी	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	0.00	
एडीबी	एशियाई विकास बैंक						
2159-आईएनडी	20.03.2006	यूएस डालर 16.50	31.03.2013	एलसी	0.000	0.69	4.21
उड़ीसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश परियोजना				आईएनआर	0.00	3.18	
आईडीए	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ						
क्यू6120	1.05.2008	यूएस डालर 2.94	30.06.2010	एलसी	0.00	0.43	14.59
पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना का त्वरित विकास				आईएनआर	0.00	1.91	
3602-आईएन	08.03.2002	एक्सडीआर 90.47	31.10.2010	एलसी	0.00	60.82	67.22
यूपी जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना				आईएनआर	0.00	419.12	
3603-आईएन	15.03.2002	एक्सडीआर 93.45	31.03.2013	एलसी	0.00	71.14	76.12
राजस्थान जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना				आईएनआर	0.00	472.84	
4255-आईएन	12.02.2007	एक्सडीआर 99.80	31.07.2013	एलसी	0.00	48.84	48.93
तमिलनाडु एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकाय एवं प्रबंधन				आईएनआर	0.00	369.32	
4291-आईएन	08.06.2007	एक्सडीआर 63.00	31.12.2012	एलसी	0.00	6.75	10.71
आंध्र प्रदेश सामुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	46.87	
4499-आईएन	27.01.2009	एक्सडीआर 34.50	31.12.2012	एलसी	0.00	1.50	4.35

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा समुदाय टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	11.31	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					5.34	3,722.17	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	3,722.17	
एमएच (महाराष्ट्र)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
जीओडीई		जर्मनी					
7649867ई	28.12.2000	यूरो 1.38	17.04.2009	एलसी	0.00	0.96	69.42
ग्रामीण जल आपूर्ति महाराष्ट्र				आईएनआर	0.00	5.34	
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	24.00	22.86
भारत: जी विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	105.45	
4796-आईएन	19.08.2005	यूएस डालर 325.00	31.03.2012	एलसी	0.00	129.39	39.81
महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना				आईएनआर	0.00	629.78	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					5.34	740.57	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	740.57	
यूआर (उत्तराखंड)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
टीएफ094443	26.08.2009	यूएस डालर 7.49	31.08.2013	एलसी	0.00	0.87	11.66
वाटरशेड प्रबंधन निदेशालय-उत्तराखंड				आईएनआर	0.00	4.04	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					3.26	4.04	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	4.04	
सीएन (केन्द्र सरकार)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
जीओजीपी जापान							
आईडीपी-149	31.03.2004	जापानी येन 13,333.00	31.07.2010	एलसी	0.00	5,746.78	43.10
यमुना कार्य योजना परियोजना (II)				आईएनआर	0.00	268.69	
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	125.04	119.11

1	2	3	4	5	6	7	8
भारतः जल विज्ञान परियोजना-फेज (II)				आईएनआर	0.00	568.39	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					268.69	837.09	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	837.09	
ओआर (उड़ीसा)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
जीओजीपी	जापान						
आईडीपी-154	31.03.2004	जापानी येन 6,342.00	31.05.2011	एलसी	0.00	6,142.63	96.86
रेंगाली सिंचाई परियोजना (II)				आईएनआर	0.00	0.00	
आईडीपी-210ए	31.03.2010	जापानी येन 20.00	20.04.2015	एलसी	0.00	0.00	0.00
रेंगाली सिंचाई परियोजना (III)				आईएनआर	0.00	0.00	
ओपीईसी	ओपीईसी						
1251-पी	12.03.2009	यूएस डालर 30.00	31.10.2013	एलसी	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	0.00	
एडीबी	एशियाई विकास बैंक						
2444-आईएनडी	25.02.2009	यूएस डालर 16.50	31.03.2013	एलसी	0.00	0.69	4.21
उड़ीसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम				आईएनआर	0.00	3.18	
आईबीआरडी	अंतर्राष्ट्रीय पुनःसंरचना एवं विकास बैंक						
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	20.30	19.34
भारतःजल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	89.56	
7576-आईएन	27.01.2009	यूएस डालर 56.00	31.12.2014	एलसी	0.00	2.41	4.30
उड़ीसा समुदायिक टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	12.02	
आईडीए	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ						
4499-आईएन	27.01.2009	एक्सडीआर 34.50	31.12.2014	एलसी	0.00	1.50	4.35

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा समुदायिक टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	11.31	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					251.37	367.44	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	367.44	
एपी आंध्र (आंध्र प्रदेश)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
जीओजीपी जापान							
आईडीपी-155	31.03.2004	जापानी येन 4,773.00	18.06.2012	एलसी	0.00	2,946.96	61.74
कुरनुल-कुउप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना-II				आईएनआर	0.00	118.48	
आईडीपी-174	31.03.2006	जापानी येन 7,729.00	24.07.2016	एलसी	0.00	1,090.19	14.11
हुसैन सागर झील और आवाह क्षेत्र सुधार परियोजना				आईएनआर	0.00	52.47	
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुनःसंरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	12.39	11.80
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	55.78	
4857-आईएन	08.06.2007	यूएस डालर 94.50	31.12.2012	एलसी	0.00	10.88	11.51
आंध्र प्रदेश सामुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	48.05	
आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ							
4291-आईएन	08.06.2007	एक्सडीआर 63.00	31.12.2012	एलसी	0.00	6.75	10.71
आंध्र प्रदेश सामुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	46.87	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					118.48	321.66	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	321.66	
सीजी (छत्तीसगढ़)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
एडीबी एशियाई विकास बैंक							
2159-आईएनडी	20.03.2006	यूएस डालर 46.11	31.03.2013	एलसी	0.00	14.47	31.38

1	2	3	4	5	6	7	8
छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना							
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	10.32	9.83
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	46.77	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					66.51	113.97	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	113.97	
केएन (कर्नाटक)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी अंतराष्ट्रीय पुन:सुंरचना विकास बैंक							
आईबीआरडी अंतराष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4730-आईएन	18.02.2005	यूएस डालर 39.50	31.03.2011	एलसी	0.00	32.74	82.90
कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना				आईएनआर	0.00	144.15	
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	20.71	19.73
भारत:जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	9059	
4872-आईएन	17.01.2008	यूएस 32.00	31.10.2012	एलसी	0.00	0.76	2.38
कर्नाटक सामुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना				आईएनआर	0.00	3.52	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					144.15	238.25	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	65.86	
जीओ (गोवा)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईसीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	14.47	13.78
भारत: जल विज्ञान परियोजन-फेज II				आईएनआर	0.00	65.86	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					65.86	65.86	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	65.86	
जीयू (गुजरात)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							

1	2	3	4	5	6	7	8
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	12.51	11.91
भारत: जल विज्ञान परियोजना II				आईएनआर	0.00	56.56	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					56.56	56.56	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	56.56	
एचपी (हिमाचल प्रदेश)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	49.27	46.93
भारत:जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	25.39	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					221.99	221.99	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	221.99	
पीओ (पुडुचेरी)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	5.68	5.41
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	115.93	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					115.93	115.93	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	25.39	
पीयू (तमिलनाडु)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	22.38	21.32
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	101.15	
4846-आईएन	12.02.2007	यूएस डालर 335.00	31.03.2013	एलसी	0.00	46.13	13.77
तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकाय पुनरुद्धार				आईएनआर	0.00	203.38	

1	2	3	4	5	6	7	8
आईडीए	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ						
4255-आईएन	12.02.2007	एक्सडीआर 99.80	31.07.2013	एलसी	0.00	48.84	48.93
तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण एवं जल निकाय पुनरूद्धार एवं				आईएनआर	0.00	369.32	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					101.15	673.85	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	673.85	
पीओ (पुडुचेरी)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी	अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक						
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	19.92	18.98
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	89.92	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					89.92	89.92	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	89.92	
पीओ (पुडुचेरी)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी	अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक						
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	19.92	18.98
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	89.92	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					89.92	89.92	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	89.92	
पीओ (पुडुचेरी)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईबीआरडी	अंतर्राष्ट्रीय पुन:संरचना एवं विकास बैंक						
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	7.05	6.72
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	31.49	
4750-आईएन	30.11.2004	यूएस डालर 387.40	31.03.2011	एलसी	0.00	123.28	31.82
मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना				आईएनआर	0.00	589.12	

1	2	3	4	5	6	7	8
आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुन: संरचना एवं विकास बैंक							
4749-आईएन	19.01.2006	यूएस डालर 104.98	30.06.2012	एलसी	0.00	0.00	0.00
भारत: जल विज्ञान परियोजना-फेज II				आईएनआर	0.00	0.00	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					0.00	0.00	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	0.00	
डब्ल्यूबी(पश्चिम बंगाल)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ							
क्यू 6120	19.05.2008	यूएस डालर 2094	30.06.2010	एलसी	0.00	0.43	14.59
पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना का त्वरित विकास				आईएनआर	0.00	1.91	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर):					1.91	1.91	
राज्य जोड़ (आईएनआर):					0.00	1.91	
यूपी (उत्तर प्रदेश)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ							
3602-आईएन	08.03.2002	एक्सडीआर 90.47	31.10.2010	एलसी	0.00	60.82	67.22
यूपी जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना				आईएनआर	0.00	419.12	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर)					419.12	419.12	
राज्य जोड़ (आईएनआर)					0.00	419.12,	
आजे (राजस्थान)							
डब्ल्यूआरएमएन (जल संसाधन प्रबंधन)							
आईडीए अंतराष्ट्रीय विकास संघ							
3603-आईएन	15.03.2002	एक्सडीआर 93.45	31.03.2013	एलसी	0.00	71.14	76.12
राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना				आईएनआर	0.00	472.84	
क्षेत्र जोड़ (आईएनआर)					471.49	472.84	
राज्य जोड़ (आईएनआर)					0.00	472.84	
कुल जोड़ (आईएनआर)					0.00	9,109.17	

ईयूआर: यूरों, आईएनआर: भारतीय रुपया, यूसएडी: अमेरिकी डालर, एलसी: ऋण मुद्रा, एसडीआर: विशेष आ:आहरण अधिकार, जेपीवाई: जेपीवाई: जापानी येन

[अनुवाद]

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा

5445. श्री प्रबोध पांडा:
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री जगदीश शर्मा:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा जारी की है जिसमें आयोग ने सर्वशिक्षा अभियान, एमजीएनआरईजीए, इंदिरा आवास योजना आदि में कमियों को दूर करने की आवश्यकता महसूस की है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा नोट की गई कमियों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) योजनाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए जाने का प्रस्ताव है तथा इससे किस हद तक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शेष भाग में लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) केंद्रीय स्कीमों में से कुछ स्कीमों के मूल्यांकन सहित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर 23.3.2010 को आयोजित योजना आयोग की पूर्ण बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। मध्यावधि मूल्यांकन के मसौदे को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। एमटीए की कोई भी अनुशंसा इसके एनडीसी के अनुमोदन पश्चात ही उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

विकास क्रियाकलापों पर प्रभाव

5446. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने में अत्यधिक विलम्ब देश में विभिन्न राज्यों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे राज्यों ने अपने राज्यों में विकास परियोजनाओं में लागत उपरि व्यय की क्षतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों की तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन्हें राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता क्या ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ऐसे राज्यों को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो पर्यावरण तथा वन के संरक्षण तथा विकास में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना-2006 उपबंधों और इसके संशोधनों के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति के लिए विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अधिसूचना में समय से निर्णय लेने के लिए परियोजनाओं पर विचार करने के लिए कुछ समय सीमा है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति हेतु मेकेनिजम को सुग्राही बनाने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं, परियोजनाओं के विलंबन की पुनरीक्षा की जाती है और परियोजनाओं की स्थिति सभी स्टेक होल्डरों की सूचनार्थ मंत्रालय की वेबसाईट पर डाली जाती है।

(ग) और (घ) पर्यावरणीय उपशमन उपायों की लागत कुल परियोजना लागत में शामिल है। मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ विकास परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर सकती है।

(ङ) और (च) मद (ग) और (घ) में दिए गए प्रत्युत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षकों का अनुपस्थित रहना

5447. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एजूकेशनल कन्सलटेंट्स ऑफ इंडिया (ईसीआईएल) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विभिन्न राज्यों में शिक्षक वर्ष

में दो महीने से अधिक अवधि तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अध्ययन करने के लिए ईसीआईएल द्वारा कितना शुल्क प्रभारित किया गया तथा इसमें कितना समय लगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) एजूकेशनल कन्सलटेंट्स ऑफ इंडिया (एड.सिल), जो सर्व शिक्षा अभियान के तकनीकी सहायता समूह का घटक है, ने 2006-07 में 20 राज्यों में ग्यारह एजेंसियों के माध्यम से "छात्र एवं अध्यापक उपस्थिति" पर एक अध्ययन आयोजित किया था। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार अध्यापकों की औसत उपस्थिति दर प्राथमिक स्तर पर 81.7 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 80.5 प्रतिशत थी। इन निष्कर्षों को अध्यापकों और छात्रों की उपस्थिति की मॉनीटरिंग हेतु कदम उठाने के अनुरोध के साथ राज्यों को बताया गया है। राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ब्लॉक एवं कलस्टर संसाधन केन्द्रों और ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा स्कूलों का कड़ा पर्यवेक्षण तथा गैर-शिक्षण कार्यों के लिए अध्यापकों की सेवाओं का प्रयोग करने से अधिकारियों को निरुत्साहित करना है।

अध्ययन की लागत सरकारी मानदंडों के अनुसार सेवा कर को छोड़कर 1.68 करोड़ रुपये (1,68,27,500 रुपये) थी। अध्ययन की अवधि आरंभ में 7 माह थी, तथापि फील्ड स्तर पर एजेंसियों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कुछ मामलों में इसके पूरा होने की अवधि 3-4 माह की अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय अवशेष अधिनियम में संशोधन

5448. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित किया है जो 30 मार्च, 2010 को अधिनियमित किया गया है तथा 30.03.2010 को भारत के राजपत्र में भारत का राजपत्र सं. 13 में प्रकाशित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कुछ कार्यों के विधिमान्यकरण के लिए तथा निषिद्ध क्षेत्र (संरक्षित स्मारक तथा संरक्षित क्षेत्र से 100 मीटर) में निर्माण गतिविधियों का कड़ाई से निषेध लागू करके तथा विनियमित क्षेत्र (निषिद्ध क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर) में निर्माणों को विनियमित करके राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के बेहतर संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए उपबंध करने हेतु मुख्य अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ई-अपशिष्ट

5449. प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री रुद्रमाधव राय:
श्री के. सुगुमार:
श्री उदय सिंह
श्री आर.के. सिंह पटेल:
श्री बदरुद्दीन अजमल:
डॉ. संजय सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री नीरज शेखर:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
श्री संजय भोई:
श्री एस. अलागिरी:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री पी.टी. थॉमस:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खतरनाक/ई-अपशिष्ट जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा वर्ष में कितना खतरनाक/ई-अपशिष्ट पैदा होता है;

(ग) क्या ऐसे पैदा हुए ई-अपशिष्ट को सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेन्सियों/इकाईयों द्वारा पुनर्चक्रित या पुन:उपयोग किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या संघ राष्ट्र की रिपोर्ट ने भी इंगित किया है कि विकासशील देश सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं;

(च) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाली इकाइयों की निगरानी करने के लिए कौन सा तंत्र स्थापित है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ज) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट सहित उपयुक्त प्रबंधन और खतरनाक अपशिष्टों के हथालन के लिए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पारीय आवाजाही) नियमावली, 2008 को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार देश में 36,165 खतरनाक अपशिष्ट पैदा करने वाले उद्योग हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 6.2 मिलियन मी. टन खतरनाक अपशिष्ट पैदा करते हैं, जिनमें से भूमि को भरने योग्य अपशिष्ट 2.7 मिलियन मी. टन हैं, इंसिनेरेबल 0.41 एम टी मिलियन है और पुन: चक्रण योग्य खतरनाक अपशिष्ट 3.08 एम टी मिलियन है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमानित किया जाता है कि वर्ष 2005, को देश में ई-अपशिष्ट का 1.47 लाख मी. टन उत्पन्न किया गया जिसकी 2012 तक लगभग 8.00 लाख मी. टन तक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

''रिसाईक्लिंग फ्राम ई बेस्ट टू रिसोर्सिज'' के शीर्षक से जुलाई 2009 की यूएनईपी की रिपोर्ट में भारत सहित चयनित देशों के लिए ई-अपशिष्ट के पुन: चक्रण के बाजार की संभाव्यता और नवाचार प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया है।

इन नियमों के अनुसार, ई-अपशिष्ट सहित खतरनाक अपशिष्टों का हथालन करने वाले इकाइयों को सीपीसीबी के साथ रजिस्टर करवाना अपेक्षित है। पृथक किए गए अपशिष्ट को रजिस्टर्ड अपशिष्ट को रजिस्टर्ड अथवा प्राधिकृत रिसाईकलर अथवा प्रि-प्रोसेसर अथवा रि-यूजर जिनके पास पर्यावरणीय रूप से धातुओं, प्लास्टिक आदि की रिकवरी के लिए उत्तम व्यवस्था है, को भेजना अथवा बेचना अपेक्षित है। खतरनाक अपशिष्ट के पुन: चक्रण अथवा रिप्रोससिंग में शामिल उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) से खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पारीय आवाजाही) नियमावली, 2008 के अंतर्गत प्राधिकार के प्रावधानों के अनुसार संचालन करने हेतु सहमति प्राप्त करना अपेक्षित है। प्राधिकार पत्र में निर्धारित स्थियितों के लिए अनुपालन स्थिति संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा मॉनीटर की जाती है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में दाखिले हेतु कैपीटेशन शुल्क/दान

5450. श्री हरीश चौधरी:
श्री अर्जुन राय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोड (सीबीएसई) से संबद्ध कतिपय विद्यालयों के विरुद्ध विद्यालय में दाखिले के लिए कैपीटेशन शुल्क या दान की मांग करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों में अधिनियम/नियमों का संगत उपबंध क्या हैं, जिसके तहत सरकार इन विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दाखिले के लिए कैपीटेशन शुल्क और दान की मांग सहित विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में अपने संबद्ध स्कूलों के विरुद्ध छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दाखिले के लिए कैपीटेशन शुल्क अथवा दान की मांग करने वाले स्कूलों के संबंध में 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उप-नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नालिखित निर्धारित हैं:

"संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले शुल्क उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुरूप होने चाहिए। सामान्यत:

शुल्क राज्य/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के स्कूलों हेतु निर्धारित शीर्षों के तहत लिया जाना चाहिए। स्कूलों में दाखिले प्राप्त करने अथवा किसी अन्य प्रयोजनार्थ स्कूल के नाम पर किसी प्रकार का कोई कैपिटेशन शुल्क अथवा स्वैच्छिक दान लिया/संग्रह नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कदाचारों के मामले में बोर्ड कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल का संबंधन समाप्त कर सकता है।"

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कठोर अनुपालन के लिए उपर्युक्त प्रावधानों को दोहराते हुए समय-समय पर परिपत्र जारी किए हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई करता है और गंभीर उल्लंघन के मामले में संबंधन वापस लेने जैसी कठोर कार्रवाई भी संभव है।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन

5451. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने तथा इसमें नवाचार लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में सभी अंशधारियों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) शैक्षिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रक्रिया को संस्थागत एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से विस्तार, समावेशन तथा गुणवत्ता सुधार के जरिए और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के जरिए आगे बढ़ाने की मंशा है। सीबीएसई के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों तथा कक्षा X के बाद सीबीएसई प्रणाली से बाहर न जाने के इच्छुक छात्रों के लिए 2011 से कक्षा X की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तथापि, सीबीएसई के माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्र यदि कक्षा X के बाद उस स्कूल को छोड़ना चाहें तो उनके लिए बोर्ड की बाह्य परीक्षा में बैठना अपेक्षित होगा। कक्षा IX में अक्तूबर, 2009 से सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त सभी स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सुदृढ़ किया गया है। 2009-10 के शैक्षिक सत्र से माध्यमिक स्कूल स्तर (कक्षा IX और XI के लिए) पर नई ग्रेडिंग प्रणाली शुरू की गई है। पणध ारियों के साथ विभिन्न बैठकों, सर्वेक्षण आदि के दौरान सीबीएसई को उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाता है और कतिपय मानदंडों के अध्यधीन नए प्राथमिक स्कूल खोलने, प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में स्तरोन्नत करने, स्कूल भवनों का निर्माण करने, छात्र-शिक्षण-कक्ष अनुपात में सुधार हेतु शिक्षण-कक्षों का निर्माण करने, छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करने, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षक प्रशिक्षण और अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान करने, अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण, स्कूल और शिक्षक अनुदान तथा शिक्षण-कक्ष प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और कलस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से स्कूल को नियमित शैक्षिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

निम्नतर सकल नामांकन अनुपात वाले शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों में प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। ये मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक जनसंख्या की बहुलता और महिला सकल नामांकन अनुपात वाले क्षेत्रों को सेवा प्रदान करते हैं।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 अधिनियमित हो गया है जिसमें विनिर्दिष्ट मानदंडों एवं मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों में सभी बच्चों के दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता के विशेष संदर्भ में प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की परिकल्पना की गई है।

बी.टी. बैंगन

5452. श्री सी. राजेन्द्रन:
चौधरी लाल सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बी.टी. बैंगन को वाणिज्यिक रूप से खेती करने/उपभोग पर अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) उस निकाय या एजेंसी का ब्यौरा क्या है जिसे बी.टी. बैंगन की सुरक्षा का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) सरकार ने बी.टी. बैंगन इवेन्ट ईई-। के वाणिज्यिकरण पर ऐसे समय तक विलंबन लागू किया है जब तक कि स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन जनता और व्यवसायियों दोनों की संतुष्टि के लिए उत्पाद की सुरक्षा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके दीर्घावधि प्रभाव की दृष्टि से हमारे देश में बैंगन में विद्यमान समृद्ध अनुवांशिक गुणों सहित स्थापित न हो जाए।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को 'पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम,' 1986 की विनिर्माण, उपयोग/आयात/निर्यात और खतरनाक माइक्रो आर्गेनिजम्स एचएमओज/जेनेटिकली इंजीनियर्ड आर्गेनिजम्स (जीएमओज) अथवा सैल नियमावली, 1989 के अंतर्गत अधि सूचित एक शीर्ष निकाय है, विख्यात वैज्ञानिकों के परामर्श से बी.टी. बैंगन की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट जांच के लिए नए प्रोटोकॉल तैयार करेगी।

(घ) बी.टी. बैंगन इवेन्ट ईई-। की वाणिज्यिक रिलीज पर विलंबन तब तक बना रहेगा जब तक स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन यह स्थापित न कर दे कि बी.टी. बैंगन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है।

[हिन्दी]

विदेशों में सेवारत भारतीय चिकित्सक

5453. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में कितने भारतीय चिकित्सक, वैज्ञानिक तथा कम्प्यूटर पेशेवर देश-वार सेवारत हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें देश में वापिस लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) इस प्रकार का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) इस प्रकार की कोई योजना प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निधियां

5454. श्री धर्मेन्द्र यादव:
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के कार्यान्वयन के लिए निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन राज्यों ने अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु निधियों की मांग की है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 7 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए निधियां प्रदान करने का उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों का होगा। अधिनियम के प्रावधानों का पृष्ठांकन करते हुए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार और अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों ने अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) 13वें वित्त आयोग ने विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा के लिए 24,068 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए संसद को 15,000 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट प्रावधान किया गया है।

आरटीआई अधिनियम का मूल्यांकन

5455. श्री एस. अलागिरी:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा अध्ययन में किन उपायों की सिफारिश की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अध्ययन के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण मुद्दों और बाधाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र संगठन के माध्यम से अध्ययन करवाया गया है। अध्ययन में यह निर्दिष्ट किया गया है कि सूचना प्रदान करने के संबंध में लोक प्राधिकारियों द्वारा अपर्याप्त आयोजना है; अधिनियम के बारे में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता काफी कम है; पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जागरूकता अत्यंत कम है; अधिनियम के कार्यान्वयन में अंतराल, विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में स्पष्ट जवाबदेही के अभाव के कारण है, आदि। इस संबंध में अध्ययन में, सूचना का अधिकार के संबंध में जागरूकता में सुधार करने; सूचना का अनुरोध करने की सुविधा में सुधार करने; सूचना आयोगों की दक्षता में सुधार करने; विभिन्न पणधारियों की जवाबदेही और स्पष्टता को बढ़ाने आदि के उपायों की सिफारिश की गई है।

(ग) सरकार ने जागरूकता लाने के प्रयोजन से दूरदर्शन तथा रेडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाने का अभियान शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में आर.टी.आई. के संबंध में पोस्टरों को प्रदर्शित करके इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया है। केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना के अंतर्गत सूचना आयोगों को क्षमाता निर्माण हेतु सहायता प्रदान की गई है। सरकार लोक सूचना प्राधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और अन्य पणधारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। सरकार ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए अनेक ज्ञापन जारी किए हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में पांच निर्देशिकाएं भी प्रकाशित की हैं।

[हिन्दी]

शैक्षणिक परिषदों/संस्थानों के प्रमुख

5456. श्री हर्ष वर्धन:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक शैक्षणिक परिषदों/संस्थानों की अध्यक्षता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन संस्थानों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) जी, नहीं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय जिसके अध्यक्ष श्री विभूति नारायण राय, कुलपति, जो एक आईपीएस अधिकारी हैं, को छोड़कर अधिकतर शैक्षिक परिषदों/संस्थानों की अध्यक्षता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों द्वारा की जाती है।

विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधि

5457. श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री नित्यानंद प्रधान:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री गणेश सिंह:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब तथा अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत की वर्तमान में किन देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है; और

(घ) इन देशों के साथ उक्त संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कितने वांछित अपराधियों/आतंकवादियों को भारत वापस लाया गया?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) से (ख) मुकदमे के लिए भगोड़े अपराधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यथासम्भव कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि करना भारत सरकार की नीति है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान 28 फरवरी, 2010 को सऊदी अरब के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

(ग) भारत की 31 देशों/क्षेत्रों के साथ प्रत्यर्पण संधि है, नामतः बैल्जियम, नेपाल, कनाडा, द नीदरलैण्डस, यूनाइटेड किंगडम, स्विजरलैण्ड, भूटान, हांग कांग, संयुक्त राज्य अमरीका, रूसी फेडरेशन, संयुक्त अरब अमीरात, उजबेकिस्तान, स्पेन, तुर्की, मंगोलिया, जर्मनी, तुनीशिया, कोरिया गणराज्य, ओमान, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, पोलैण्ड, यूक्रेन, बुलगारिया, कुवैत, बेलारूस, मॉरीशस, पुर्तगाल, मैक्सिको तथा तजाकिस्तान। इसके अतिरिक्त, भारत की 9 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है नामतः आस्ट्रेलिया, फिजी, ईटली, पपुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया तथा थाईलैण्ड।

(घ) 2002 से अब तक वाह्य देशों द्वारा भारत को 42 भगोड़े अपराधी सौंपे गए हैं।

कोयला खनन से होने वाली क्षति

5458. डॉ. चरण दास महन्तः क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन के फलस्वरूप विशेषकर बड़े कोयला उत्पादन राज्य जैसे छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में पर्यावरण, भूजल तथा इन क्षेत्रों में बसे व्यक्तियों को होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला साथ ही, आज की तिथि के अनुसार कोयला खनन से कितने शहर/कस्बे प्रभावित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, देश के विभिन्न भागों में 88 औद्योगिक समूहों (क्षेत्र में सभी उद्योगों के सयुक्त प्रभाव को इंगित करते हुए) के पर्यावरणीय प्रदूषण का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के तत्त्वावधान में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आईआईटीडी) द्वारा हाल में एक अध्ययन किया गया था। आन्तरिक रूप से तैयार की गयी व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूची (सीईपीआई) यह दर्शाती है कि कोयला खानों का प्रदूषण स्तर सीपीसीबी द्वारा पहचान किए गए समूहों के कुल प्रदूषण स्तर की तुलना में काफी कम है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रत्येक परियोजना की पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) पर्यावरण, भू-जल, मानव आदि पर सम्भावी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है जिसमें, स्टेकहोल्डरों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना शामिल है। ईएमपी, स्टेकहोल्डरों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करके तैयार की जाती है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय एमओइएफ द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होता है।

नवाचार विश्वविद्यालय

5459. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधियाः
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः
श्री जोस के. मणिः
श्री पी.सी. गद्दीगौदर
श्री नामा नागेश्वर रावः
श्रीमती दर्शना जरदोशः
श्री सी.आर. पाटिलः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वस्तरीय मानकों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नवाचार विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अवधारणा को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) प्रस्तावित अवधारणा को अब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित भूमि प्रदान की जा चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ चिन्हित स्थानों पर तेजी से इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) विश्व-स्तरीय मानकों वाले 14 नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना की अवधारणा को जनता के लिए वेबसाइट **http:/wwweductation.nic.in/uhe/universitiesconceptnote.pdf.** पर डाल दिया गया है।

(घ) से (च) नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने कतिपयों स्थलों का प्रस्ताव किया है। नवाचारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए ज्यादा शहरी जनसंख्या की नजदीकी तथा अच्छी कनेक्टिविटी और परिवंहन सुविधाओं को उपयुक्त स्थल की आवश्यक विशेषताएं माना जाता है। स्थल चयन समिति ने उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थलों का दौरा करने का कार्य शुरू कर दिया है।

नाभिकीय ऊर्जा परियोजना

5460. श्री जगदीश शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री नारनभाई कछाडिया:
श्री एम.बी. राजेश:
श्रीमती रमा देवी:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अनुमोदन उपरांत देश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु किन देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा संयंत्रों की स्थापना के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है तथा उनकी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता क्या है; और

(ख) इन नाभिकीय ऊर्जा संयत्रों द्वारा कब तक उत्पादन आरंभ किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) नाभिकीय आपूर्तिकर्ता वर्ग (एनएसजी) की अनुमति मिलने के बाद, नाभिकीय विद्युत रिएक्टर स्थापित करने सहित सहकार के ढांचे की रूपरेखा निर्दिष्ट करने वाले सक्षम अंत: सरकारी करारों (आईजीए) पर रूसी परिसंघ, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, इस समय, रिएक्टरों को स्थापित करने के लिए वाणिज्यिक समझौतों के बारे में विचार-विमर्श किया जा रहा है, सरकार ने विदेशों के सहयोग से रिएक्टर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित स्थलों के संबंध में 'सिद्धांतत:' अनुमोदन दे दिया है:

देश	निर्दिष्ट स्थल	सामान्य क्षमता (मेगावाट)
रूसी परिसंघ	कुडनुकुलम, तमिलनाडु	**4 × 1000***
	हरिपुर, पश्चिम बंगाल	**6 × 1000**
फ्रांस	जैतापुर, महाराष्ट्र	**6 × 1650**
संयुक्त राज्य अमरीका	कोव्वाडा, आंध्र प्रदेश	**6 × 1000**
	छायामिथि विरदी, गुजरात	**6 × 1000**

*इस स्थल पर 2 × 1000 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कार्य पहले से जारी है।

(ख) इन स्थलों पर परियोजन-पूर्व के कार्यकलाप इस समय किए जा रहे हैं, उपर्युक्त स्थलों पर द्वि-यूनिटों के पहले सैट का निर्माण कार्य वर्ष 2012 में शुरू करने का विचार है, बशर्ते कि भूमि का अधिग्रहण हो जाए, कंकरीट की पहली खेप डालने से लेकर 6 वर्ष के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रतिपूरक वानिकी कार्यक्रम

5461. चौधरी लाल सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिपूरक वानिकी कार्यक्रम के तहत क्रियाकलापों की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में देश में प्रतिपूरक वानिकी कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार प्रतिपूरक वानिकी कार्यक्रम के लिए विभिन्न एजेंसियों को कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10 जुलाई, 2009 के अपने आदेश द्वारा राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य काम्पा) पर अपने दिनांक 2 जुलाई, 2009 के दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया। तद्नुसार, अब तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 29 राज्य काम्पाओं को स्थापित किया गया है। तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (तदर्थ काम्पा) के खातों में प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 30 जून, 2009 को लगभग 10% राशि तक जमा की गई निधियां 29 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में से 28 को जारी की गई हैं, जिन्होंने राज्य काम्पा की स्थापना की है। राज्य काम्पा स्थापित करने के पश्चात शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निधियां जारी की जाएंगी।

राज्य काम्पा पर दिशानिर्देशों में राज्य काम्पाओं द्वारा शुरू किए गए कार्यों की मॉनीटरिंग हेतु तंत्र की व्यवस्था है। राज्य काम्पाओं के अधीन गठित विषय निर्वाचन समितियों को उनके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ राज्य काम्पा द्वारा जारी निधियों की उपयोगिता की प्रगति को मॉनीटर करना, समन्वित कार्यकारी समितियों द्वारा तैयार राष्ट्रीय कार्य योजना (एपीओ) को अनुमोदित करना और राज्य काम्पाओं की वार्षिक योजना और लेखा परीक्षित खातों को अनुमोदित करना अपेक्षित है। इसके अलावा राज्य काम्पाओं की विषय निर्वाचन समिति, राष्ट्रीय काम्पा सलाहकार परिषद (एनसीएसी) जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित की गई है, राज्य काम्पाओं द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं को राज्यों के परामर्श से नियमित रूप से मॉनीटर और मूल्यांकन करेंगी।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 3 मार्च, 2010 को राज्यों/संघ शासित प्रदेश सरकारों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित राज्य काम्पाओं की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की। यह नोट किया गया था कि इस दिशा में प्रगति संतोषजनक है। राज्य काम्पाओं को निधियों की रिलीज दिनांक 10 जुलाई, 2009 को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 2009-10 के दौरान प्रारंभ की गई। राज्य काम्पाओं को जारी किए गए निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(रुपये में राशि)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश के नाम	राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई निधि
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,09,90,000.0
2.	आंध्र प्रदेश	89.78,32,000.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	16,36,76,000.00
4.	असम	6,71,74,000.00
5.	बिहार	7,73,00,000.00
6.	चंडीगढ़	17,65,000.00
7.	छत्तीसगढ़	1,23,21,35,000.00
8.	दादरा और नगर हवेली	16,82,000.00
9.	दमन और दीव	-
10.	दिल्ली#	1,84,71,000.00
11.	गोवा	12,11,97,000.00
12.	गुजरात	24,96,47,000.00
13.	हरियाणा	19,11,41,000.00
14.	हिमाचल प्रदेश	36,67,71,000.00
15.	जम्मू और कश्मीर	-
16.	झारखंड	95,00,28,000.00
17.	कर्नाटक	58,55,73,000.00
18.	केरल	1,75,09,000.00
19.	लक्षद्वीप	-
20.	मध्य प्रदेश	53,04,82,000.00
21.	महाराष्ट्र	89,35,49,000.00
22.	मणिपुर	74,56,000.00
23.	मेघालय	9,67,000.00
24.	मिजोरम	-

1	2	3
25.	नागालैंड	-
26.	उड़ीसा	1,31,06,18,000.00
27.	पुडुचेरी	-
28.	पंजाब	33,05,47,000.00
29.	राजस्थान	32,59,08,000.00
30.	सिक्किम	8,00,92,000.00
31.	तमिलनाडु	1,97,13,000.00
32.	त्रिपुरा	3,54,18,000.00
33.	उत्तर प्रदेश	-
34.	उत्तराखंड	81,65,32,000.00
35.	पश्चिम बंगाल	5,29,57,000.00
	कुल	9,35,71,30,000.00

सांस्कृतिक संगठन

5462. श्री मनोहर तिरकी:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार सांस्कृतिक संगठनों और उन्हें प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संगठनों को किस आधार पर ऐसी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार को इन संगठनों से सहायता प्रदान करने हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा का स्तर

5463. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री राकेश सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में उच्च शिक्षा में अकादमिक सुधार का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा प्रणाली के स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसी योजना की परिकल्पना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कौन-सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ङ) अंतिम रूप दिए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने हेतु शेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों को सत्र प्रणाली शुरू करने, विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति, पाठ्यचर्चा तैयार करने, दाखिला प्रक्रिया में सुधार तथा परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करने सहित अकादमिक सुधार लागू करने के लिए पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे विनियमों को भी अधिसूचित किया है जिनमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) को पास करना न्यूनतम पात्रता मानदंड होगा तथा इसमें उन लोगों को छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने विनियमों के तहत निर्धारित मानकों तथा कठिनाईयों के अनुसरण में पीएच.डी डिग्री प्राप्त की है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से कई स्कीमें तैयार की हैं। इनमें अनुसंधान अवसंरचनाओं के स्तरोन्यन हेतु निधियां प्रदान करके कालेज तथा विश्वविद्यालयों में मूल विज्ञान अनुसंधान का सुदृढ़ीकरण, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं तथा वरिष्ठ अनुसंधान

अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति की दरों में वृद्धि करना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किए गए कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को उनके विकास एवं असंरचना सुधार हेतु सहायता प्रदान करने, महिला छात्रावासों के निर्माण की स्कीम, विश्वविद्यालयों और कालेजों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (आईक्यूएसी) की विज्ञान, समाज विज्ञान एवं मानविकी स्थापना में आगे अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति स्कीम तथा डा. एस. राधाकृष्णनन पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति स्कीम, उत्कृष्टता की संभावना वाले कालेजों एवं विश्वविद्यालयों तथा स्वायत्त कालेजों को अनुदान की स्कीम शामिल हैं।

(ङ) नए विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की स्थापना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की स्कीम तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(8) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त उन कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को एकमुश्त सहायता प्रदान करने की स्कीम को अभी कार्यान्वित किया जाना है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12(ख) के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

कृषि मौसम विज्ञान परामर्शदात्री सेवा

5464. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री सुरेश अंगडी:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से मौसम संबंधी भविष्यवाणी पर किसानों को सटीक परामर्श देने के लिए कृषि मौसम विज्ञान परामर्शदात्री सेवा आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा कृषि मौसम विज्ञान सेवाएं कृषि जलवायु जोन से चलाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सेवा के माध्यम से क्या उपलब्धि हासिल की गई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) अधिक छोटे भौगोलिक पैमाने पर कृषि प्रबंधन के लिए अधिक सही मौसम सूचना की आवश्यकता को महसूस करते हुए, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) तथा भारत मौसम विज्ञान (आईएमडी) द्वारा वर्ष 2008 तक प्रदत्त कृषि मौसम-विज्ञान परामर्शी सेवा (एएएस) का विस्तार कर दूरदराज तक पहुंचाने के लिए अब इसे एकीकृत कर दिया गया है। देश के सभी कृषि-जलवायवीय क्षेत्रों को कवर करते हुए 130 कृषि-मौसम विज्ञानी इकाइयों के माध्यम से सेवा को चलाया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) वर्तमान में, एएएस अगले पांच दिनों तक के लिए दिन-प्रतिदिन की औसत मौसम स्थितियों का सप्ताह में दो बार (मंगलवार एवं शुक्रवार) प्रसारण कर चलाई जा रही है जिसमें 23 राज्य कृषि-मौसम विज्ञान केंद्रों के लिए वर्षा, बादल छाने, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, वायु गति तथा दिशा संबंधी पूर्वानुमान सूचना शामिल है। कृषि-मौसम वैज्ञानिक इकाई स्तर पर राज्य केंद्रों से गठित एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा फसल विशिष्ट के बारे में कृषकों के लिए परामर्श सूचनाएं तैयार कर प्रसारित की जाती हैं। कृषि मौसम-विज्ञानी इकाइयों को संचयी साप्ताहिक वर्षा संबंधी सूचना भी उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय और अन्य प्रयोक्ताओं को एक साप्ताहिक राष्ट्रीय कृषि मौसम विज्ञानी परामर्शी बुलेटिन द्वारा किया जाता है, जिससे वर्तमान वर्षा संबंधी परिदृश्य और उपयुक्त कृषि संबंधी नीति विकल्पों की योजना बनाने के लिए आगामी सप्ताह के वर्षा पूर्वानुमान की संभावना भी व्यक्त की जाती है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में आधारसंरचनागत उद्यमों का अंशदान

5465. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनियादी आधारसंरचना से जुड़े उद्यमों के बढ़ते लाभ और कारोबार ने, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की तुलना में, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में उनके अंशदान को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-2005 और 2008-2009 के दौरान उक्त दोनों क्षेत्रों का अनुमानित अंशदान कितना रहा;

(घ) क्या बुनियादी आधारसंरचना से जुड़े उद्यमों के बढ़ते लाभ के कारण बुनियादी रूप से जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं जिसका विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) वर्ष 2004–05 में जीडीपी के 10.5% की तुलना में वर्ष 2008-09 में जीडीपी का लगभग 9.6% विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति और परिवहन, भंडारण एवं संचार सहित मूलभूत अवसंरचना क्षेत्रक के कारण है, जबकि जीडीपी को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक का योगदान जो वर्ष 2004-05 में 2.3% था वर्ष 2008-09 में बढ़कर 3.2% हो गया।

अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सामान्यतया दीर्घ परिपक्वना अवधि और उच्च लागतें आवश्यक होती हैं। चूंकि अवसंरचना की कमी का विनिर्माण क्षेत्रक पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, इसलिए सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम सहित गुणवत्ता युक्त अवसंरचना के त्वरित विकास पर बल देती है।

सिंचाई परियोजनाओं की समयावधि और लागत में वृद्धि

5466. श्री पकौड़ी लाल:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वित्त पोषित अनेक सिंचाई परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही है/अभी तक काम करना शुरू नहीं कर सकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना की समयावधि और लागत में परियोजना-वार तथा राज्य-वार कितनी वृद्धि हो जाने का अनुमान है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा गठित कृतक बल ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का भी जायजा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) 2009-10 के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा एआईबीपी के तहत अब तक 281 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया, जिनमें से 110 परियोजनाएं पूरी की गई तथा वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 15 और परियोजनाओं के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एआईबीपी के तहत परियोजना में शामिल वर्ष को इंगित करते हुए, लंबित हुई, चालू परियोजनाओं के ब्यौरे, उनकी वर्तमान स्थिति तथा जितने वर्षों के लिए परियोजना लंबित हुई उनकी संख्या संलग्न विवरण **I** में दी गई है।

(ख) सामान्यतया, अल्प कार्यावधि, स्थल निर्धारण तथा इसकी स्थिति जैसी पहाड़ी राज्यों की विशेष समस्याओं अल्प कार्यावधि, कानून तथा व्यवस्था समस्याओं जैसी पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष समस्याओं, कानून तथा व्यवस्था संबंधी समस्याओं अर्थात् नक्सलवादी समस्याएं मुकदमेबाजी, परियोजना कार्यान्वयन के दौरान भूवैज्ञानिक आश्चर्य, तकनीकी समस्याएं, पुनर्स्थापना एवं पुनरुद्धार समस्याएं, संविदात्मक समस्याएं, भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण विलंबित हो जाती हैं। समय का लंघन तथा अनुमानित लागत संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण **I** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्य बल ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यों की जांच नहीं की है।

(ङ) जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की निरंतर मॉनीटरिंग करता है। मॉनीटरिंग रिपोर्ट में परियोजना कार्यान्वयन में अवरोधों को इंगित किया जाता है तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु उपचारी उपायों का भी सुझाव दिया जाता है। सचिव (जल संसाधन) तथा मंत्रालया के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक भी की। ये उपाय अत्यंत उत्साहवर्धक पाए गए।

विवरण I

एआईबीपी के अंतर्गत विलंबित निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	एआईबीपी के अंतर्गत वर्तमान स्थिति	एआईबीपी में शामिल किए जाने का वर्ष	2009-10 तक परियोजना विलंबित होने के 5 वर्षों से अधिक वर्षों की सं.	राज्य सरकार द्वारा पूर्ण करने का संभावित वर्ष	विलंबित परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमानित लागत	विलंबित परियोजनाओं के लिए नवीनतम अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं							
आंध्र प्रदेश							
1.	कानपुर नहर	आस्थगित					
2.	येरोकलावा	निर्माणाधीन	2000-01	4	2011	46.52-1993	*
असम							
3.	धनसिरी	निर्माणाधीन	1996-97	8	2012	15.83-1975	371.46
4.	चम्पामती	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	15.32-1980	309.22
5.	बोरोलिया	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	6.78-1980	142.88
6.	बूरही दिहांग एलआईएस	निर्माणाधीन	1997-98	7	2011	46.08	*
7.	पश्चिमी कोसी नहर	निर्माणाधीन	1996-97	8	2010	13.49-1961	1307.21
8.	दुर्गावती	निर्माणाधीन	1996-97	8	2012	25.30-1975	968.47
9.	बताने	निर्माणाधीन	2000-01	4	2012	4.01.1974	113.81
छत्तीसगढ़;							
10.	कोसरटेडा	निर्माणाधीन	2002-03	2	2011	6.01.1981	154.64
गोवा							
11.	तिल्लारी	निर्माणाधीन	2000-01	4	2011	217.22.1990	1281.22
12.	सरदार सरोवर	निर्माणाधीन	1996-97	8		6406.04-1988	35045
13.	अजी-**IV**	निर्माणाधीन	2000-01	4	2013	75.16-1997	123.95
14	ओजट-**II**	निर्माणाधीन	2000-01	4	2013	43.037-2000	93.52

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	ब्राह्मणी-II	निर्माणाधीन	2000-01	राज्य सरकार परियोजना की पुनः आयोजना की जा रही है			
16.	भादर-II	निर्माणाधीन	2002-03	2	2013	73.086-1997	138.55
हरियाणा							
17.	जेएलएन लिफ्ट सिंचाई	निर्माणाधीन	**Deferred**				
हिमाचल प्रदेश							
18.	शाहनहर सिंचाई	निर्माणाधीन	1997-98	7	2012	143.32-1997	278.36
19.	सिधाता	निर्माणाधीन	2000-01	4	2012	33.62-2000	54.51
20.	चागर लिफ्ट	निर्माणाधीन	2000-01	4	2012	28.37-2000	75.3
जम्मू और कश्मीर							
21.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	1999-2000	5	2012	84.40-1998	175.57
22.	तराल लिफ्ट	निर्माणाधीन	2000-01	4	2011	6.13-1979	140.76
23.	रफियाबाद लिफ्ट	निर्माणाधीन	2001-02	3	2012	35.60 2001-02	63.62
झारखंड							
24.	गुमानी	निर्माणाधीन	1997-98	7	2012	3.89-1976	85.55
25.	तोराई	**Deferred**					
26.	कसजोर	निर्माणाधीन	1997-98	7	2012	20.91-1992	52.97
27.	सोनुआ	निर्माणाधीन	1997-98	7	2012	8.92-1981	82.65
28.	सुरंगी	निर्माणाधीन	1997-98	7	2012	2.15-1982	41.17
कर्नाटक							
29.	मलप्रभा (पीएमपी)	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	19.91-1963	1383.48
30.	घटप्रभा (पीएमपी)	निर्माणाधीन	1997-98	7	2011	90.54-1976	1210.51
31.	करंजा	निर्माणाधीन	1997-98	7	2011	98.00-1992	532
32.	यूकेपी चरण II	निर्माणाधीन	2001-02	3	2011	2358.86-2000	3959.8
33.	गंडोरीनाला	निर्माणाधीन	2001-02	3	2010	7.70-1978	240

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	यूकेजी चरण I फेज III	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	58.20-1963	6891.59
केरल							
35.	मुवाट्टुपुझा	निर्माणाधीन	2000-01	4	2012	48.08-1983	684
मध्य प्रदेश							
36.	इंदिरा सागर	निर्माणाधीन	1996-97	8	2012	1993.67-1989	2642.53
	बाणसागर (यूनिट-II)	निर्माणाधीन	2003-04	1	2012	344.66-2001	751.02
37.	सिंध फेज II	निर्माणाधीन	1998-99	6	2012	607.67-1998	2002.2
38.	माही	निर्माणाधीन	2000-01	4	2012	61.52-1985	490.39
39.	बरियारपुर	निर्माणाधीन	2000-01	4	2012	18.40-1978	328.89
40.	बावनथाडी	निर्माणाधीन	2003-04	1	2011	161.57-1999	1000.32
41.	महान	निर्माणाधीन	2003-04	1	2011	140.51-2003	140.51
42.	ओंकारेश्वर फेज-I	निर्माणाधीन	2003-04	1	2012	1784.29-2001	2504.4
43.	वाधुर	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	12.28-1975	842.22
44.	ऊपरी मनार	निर्माणाधीन	2002-03	2	2011	26.18	502.99
45.	ऊपरी पेन गंगा	निर्माणाधीन	2004-05	1	2015	84.48-1976	3038.42
मणिपुर							
46.	खुगा	निर्माणाधीन	1996-97	8	2010	15.00-1980	381.28
47.	थोबल	निर्माणाधीन	1997-98	7	2011	47.25-1980	982
48.	दोलाईथाबी बैराज परियोजना	निर्माणाधीन	2002-03	2	2011	18.86-1992	215.52
मेघालय							
49.	रोंगाली घाटी	**Deferred**					
उड़ीसा							
50.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके)	निर्माणाधीन	1996-97	8	2013	136.67-2003	564.77
51.	सुबर्णरेखा बहुउद्देश्यीय	निर्माणाधीन	1996-97	8	2013	790.32-1995	4049.93
52.	रेंगाली	निर्माणाधीन	1996-97	8	2012	208.16-1996	1290.93

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	आनंदपुर बैराज एकीकृत आनंदपुर बैराज (केबीके)	निर्माणाधीन निर्माणाधीन	1996-97	8	2013	581.40-2003	617.47
54.	तितलागढ़	निर्माणाधीन	1998-99	6	2010	21.12-1993	126.37
55.	निचली इंद्रा	निर्माणाधीन	1999-2000	5	2013	211.70-1999	1182.23
56.	निचली सुकतेल	निर्माणाधीन	1999-2000	5	2013	217.13-1999	1041.81
57.	तेलनगिरी सिंचाई परियोजना (केबीके)	निर्माणाधीन	2003-04	1	2013	106.18-2003	474.05
58.	रेत सिंचाई परियोजना (केबीके)	निर्माणाधीन	2003-04	1	2012	86.14-2003	273.81
59.	कानपुर	निर्माणाधीन	2003-04	1	2012	428.32-2002	1067.51
60.	छेलीगाडा	निर्माणाधीन	2003-04	1	2012	52.96-2003	201.01
पंजाब							
61.	तलवाड़ा के नीचे एच.पी. का सिंचाई	निर्माणाधीन	2000-01	4	2010	*	*
62.	शाहपुर कांडी	निर्माणाधीन	2001-02	3	2015	1324.18-2001	23369
63.	कांडी नहर विस्तार चरण-II	निर्माणाधीन	2002-03	2	2011	147.13-2002	326.3
राजस्थान							
64.	आईजीएनपी चरण II	निर्माणाधीन	1997-98	7		3398.99	3398.99
65.	नर्मदा नहर	निर्माणाधीन	1998-99	6	2012	467.53-1993	1541.367
66.	गंग नहर का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	2000-01	4	2011	445.79-2000	490.36
त्रिपुरा							
67.	गुमती	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	5.88-1979	83.01
68.	मानु	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	8.18-1981	98.71
69.	खोवाई	निर्माणाधीन	1996-97	8	2010	7.10-1980	83.01

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश							
70.	सरयू नहर	निर्माणाधीन	1996-97	8	2011	570.35-2004	7330.68
71.	बाणसागर	निर्माणाधीन	1997-98	7	2012	2053.60-2007	3164.4
72.	लखवर व्यासी	**Deferred**	1997-98				
73.	पूर्वी गंगा नहर	निर्माणाधीन	1999-2000	5	2010	48.46	892.44
पश्चिम बंगाल							
74.	तीस्ता बैराज	निर्माणाधीन	1996-97	8	2013	69.72-1975	2486
75.	तटको	निर्माणाधीन	2000-01	4	2011	0.9875-1975	12.56
76.	पतलोई	निर्माणाधीन	2000-01	4	2011	0.90-1976	13.341
77.	सुबर्णरेखा बैराज	**Deferred**					

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पुरालेख-विज्ञान संस्थान

5467. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय पुरालेख-विज्ञान संस्थान के गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस संस्थान के लिए भूमि देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय पुरालेख संस्थान की स्थापना करने के लिए सिफारिश की है और इसके लिए भूमि आबंटित करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

वन क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

5468. श्री शिवराज भैया: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों को जिनका वनक्षेत्र राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक हैं, प्रोत्साहनकारी सहायता मुहैया कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रोत्साहनकारी सहायता कब तक दे दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी हां। विभिन्न राज्यों को तीन कारकों नामत: **(i)** किसी विशेष राज्य में पड़ने वाले देश में कुल वन क्षेत्र का शेयर, **(ii)** उन राज्यों के कुल जहां के लिए वर्धित शेयर राष्ट्रीय औसत से अधिक राज्य के कुल क्षेत्र में वनीकृत क्षेत्र के शेयर से अधिक है। **(iii)** प्रत्येक राज्य में वन की गुणवत्ता के अनुसार "वन अनुदानों" के रूप के रूप में 5000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। "वन अनुदानों" के रूप में आबंटन

2010-11 से 2014-15 से पांच वर्षों की अवधि के लिए दिया गया हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विश्व में दिया गया है।

(घ) "वन अनुदानों" के रूप में आबंटन 5 वर्ष की अवधि के लिए 2010-11 से 2014-2015 तक दिया गया है।

विवरण

वन अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	33.58	33.58	67.16	67.16	67.16	268.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	90.98	90.98	181.96	181.96	181.96	727.84
3.	असम	23.08	23.08	46.16	46.16	46.16	184.64
4.	बिहार	4.80	4.80	9.60	9.60	9.60	38.40
5.	छत्तीसगढ़	51.39	51.39	102.78	102.78	102.78	411.12
6.	गोवा	4.61	4.61	9.22	9.22	9.22	36.68
7.	गुजरात	10.24	10.24	20.48	20.48	20.48	81.92
8.	हरियाणा	1.10	1.10	2.20	2.20	2.20	8.82
9.	हिमाचल प्रदेश	12.58	12.58	25.16	25.16	25.16	100.64
10.	जम्मू और कश्मीर	16.63	16.63	33.26	33.26	33.26	133.04
11.	झारखंड	18.93	18.93	37.86	37.86	37.86	151.44
12.	कर्नाटक	27.63	27.63	55.26	55.26	55.26	221.04
13.	केरल	16.94	16.94	33.88	33.88	33.88	135.52
14.	मध्य प्रदेश	61.29	61.29	122.58	122.58	122.58	490.32
15.	महाराष्ट्र	38.70	38.70	77.40	77.40	77.40	309.60
16.	मणिपुर	18.79	18.79	37.58	37.58	37.58	150.32
17.	मेघालय	21.01	21.01	42.02	42.02	42.02	168.08
18.	मिजोरम	21.40	21.40	42.80	42.80	42.80	171.20
19.	नागालैंड	17.32	17.32	34.64	34.64	34.64	138.56
20.	उड़ीसा	41.37	41.37	82.74	82.74	82.74	330.96
21.	पंजाब	1.15	1.15	2.30	2.30	2.30	9.20
22.	राजस्थान	11.04	11.04	22.08	22.08	22.08	88.32

1	2	3				4
23.	सिक्किम	5.07	5.07	10.14	10.14	10.14	40.56
24.	तमिलनाडु	17.81	17.81	35.62	35.62	35.62	142.48
25.	त्रिपुरा	11.94	11.94	23.88	23.88	23.88	95.52
26.	उत्तर प्रदेश	10.06	10.06	20.12	20.12	20.12	80.48
27.	उत्तराखंड	25.68	25.68	51.36	51.36	51.36	205.44
28.	पश्चिम बंगाल	9.88	9.88	19.76	19.76	19.76	79.04
	योग	625.00	625.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00

[अनुवाद]

परित्यक्त कोयला खानों का विकास

5469. श्री वैजयंत पांडा: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश की परित्यक्त कोयला खानों के विकास का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थल-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन खानों को चिन्हित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का उक्त खानों के विकास हेतु कतिपय कंपनियों को काम से लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने अपने क्षेत्राधिकार के तहत कुछ पहचान की गई। परित्यक्त कोयला खानों को विकसित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में, प्रत्येक में 10 मिलियन टन से अधिक कोयला होने के अनुमान वाली 18 अभिज्ञात परित्यक्त भूमिगत खानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.स.	अभिज्ञात खान का नाम	कोलफील्ड	जिला/राज्य
1	2	3	4
1.	संग्रामगढ़	रामगढ़ कोलफील्ड	वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल
2.	शीतलपुर	रामगढ़ कोलफील्ड	वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल
3.	कपसारा	एमसीएफ	धनबाद / झारखंड
4.	शामपुर ए	एमसीएफ	धनबाद / झारखंड
5.	श्रीपुर	रामगढ़ कोलफील्ड	वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल
6.	गिरमिंट	रामगढ़ कोलफील्ड	वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल
7.	धर्माबन्द	झारिया कोलफील्ड	धनबाद / झारखंड

1	2	3	4
8.	गसबटांड	झारिया कोलफील्ड	धनबाद / झारखंड
9.	इंडस्ट्री	झारिया कोलफील्ड	धनबाद / झारखंड
10.	केन्डवाडीह	झारिया कोलफील्ड	धनबाद / झारखंड
11.	कुस्तोर	झारिया कोलफील्ड	धनबाद / झारखंड
12.	खुजामा	झारिया कोलफील्ड	धनबाद / झारखंड
13.	विक्टोरिया	रानीगंज कोलफील्ड	वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल
14.	बेगुनीया	रानीगंज कोलफील्ड	वर्द्धवान, पश्चिम बंगाल
15.	एसोसिएटेड करनपुरा	साउथ करनपुरा	हजारीबाग/झारखंड
16.	हिंदगिर	साउथ करनपुरा	हजारीबाग/झारखंड
17.	पिपराडीह	ईस्ट बोकारो	बोकारो/झारखंड
18.	खास करनपुरा	साउथ करनपुरा	हजारीबाग/झारखंड

(ग) और (घ) निविदा प्रक्रिया के द्वारा इन 18 परिपत्यक्त खानों में से प्रत्येक को विकसित करने के लिए कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का संयुक्त उद्यम भागीदार (रों) का चयन करने का प्रस्ताव है तथा वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से सीआईएल द्वारा शार्टलिस्ट की गई पार्टियों के बीच निविदा जारी करने के लिए सीआईएल द्वारा सहायक कंपनियों को निविदा दस्तावेज आमंत्रित करते हुए नोटिस (एनआईटी) भेजा गया है।

[हिन्दी]

अवैध परिसंपत्तियों संबंधी जानकारी

5470. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवैध परिसंपत्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जांच-एजेंसियां, विशेषकर सी.बी.आई., को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) झारखंड राज्य सहित देश में विगत तीन वर्षों के दौरान अवैध रूप से एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य के लोकायुक्त ने बताया है कि विगत तीन वर्षों में मारे गए 196 छापों के दौरान, अधिकारियों द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 316.37 करोड़ रुपए की धनराशि जब्त की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लोकायुक्त की कार्यशैली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास गैर कानूनी परिसम्पत्तियों के बारे में सूचनाएं एकत्र करने हेतु एक सुस्थापित पद्धति है और सार्वजनिक कर्मचारियां द्वारा इकट्ठी की गई आय से अधिक परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने के अपने अधिदेश के भाग के रूप में नियमित छापे मारती है।

(ख) तथापि, आय से अधिक इकट्ठी की गई परिसम्पत्तियों के मामले में धन के उपयुक्त मूल्य का निर्णय, जांच के पूर्ण होने के बाद किया जाता है, जांचाधीन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार और जांच के अधीन मामलों में चार्जशीट के अनुसार इकट्ठी की गई आय से अधिक तथाकथिक कुल परिसम्पत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) लोकायुक्त संस्था संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है और इस बारे में आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

वर्ष	पंजीकृत डी.ए. मामलों की संख्या	कॉलम '2' के अलावा जांचाधीन मामलों की संख्या	प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आय से अधिक इकट्ठी की गई कुल परिसम्पत्तियों के कॉलम 3 में मामलें	कॉलम 2 के अलावा जांचाधीन मामलों की संख्या	जार्चशीट के अनुसार आय से अधिक इकट्ठी की गई कुल परिसम्पतियों के कॉलम 5 में दर्शाए गए मामले
1	2	3	4	5	6
2007	86	5	8,00,83,121	54	70,44,63,074
2008	87	13	14,19,47,031	55	49,68,10,964
2009	84	78	72,44,51,903	3	90,88,917
2010 (31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	25	25	19,82,22,895	0	0
कुल	282	121	1,14,47,04,950	112	1,21,03,62,955

[अनुवाद]

ईरान यात्रा को रद्द किया जाना

5471. श्री गुरुदास दासगुप्तः
श्री पी. लिंगमः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि उन्हें इस वर्ष मार्च माह के अंत में ईरान की अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द करनी पड़ी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर): (क) और (ख) विदेश मंत्री को नौरोज उत्सव के समारोह में तेहरान और शिराज में आयोजित होने वाले समारोह में उपस्थित होने के लिए ईरान के इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री का निमंत्रण प्राप्त हुआ था। इस समारोह के लिए अन्य देशों के मान्यगण भी आमंत्रित थे। बाद में ईरानी पक्ष ने समारोह की तारीखों में दो बार परिवर्तन किया। तारीखों में प्रथम परिवर्तन के बाद विदेश मंत्री ने ईरान के इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री को यह सूचित किया था कि वे नौरोज उत्सव में भाग लेने के उत्सुक हैं। दुर्भाग्यवश जब दूसरी बार तारीखों में परिवर्तन हुआ तो उनकी पूर्व वचनबद्धताओं के चलते वे इस समारोह में भाग नहीं ले सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समापन की योजना

5472. श्री आनंदराव अडसुलः क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को समाप्त करके नकद अंतरण की योजना बना रहा है, जैसा कि मीडिया में खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को नकद-अंतरण प्रणाली के समर्थन की प्रमुख वजह माना जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि सरकार की अन्य नकद-अंतरण योजनाओं के संयोजनकारी परिणाम मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली तंत्र की अनुपस्थिति में गरीबों को खाद्यान्न की उपलब्धता, जिसका खाद्य सुरक्षा विधेयक में वायदा किया गया है, कैसे कराई जाएगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) से (ङ) जी नहीं। योजना आयोग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को समाप्त करने की योजना नहीं बनाई है।

(च) सरकार वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में, पणधारी मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए कानून बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुपुर्दगी में सुधारों के बारे में अवगत है।

पार्श्विक योजनाओं के लिए संस्वीकृत धनराशि

5473. **श्री प्रदीप माझी:**
श्री यशवंत लागुरी:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कंपनियों विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) ने विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुषंगी कंपनी-वार, वर्ष-वार तथा खान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा निगमित क्षेत्र का सामाजिक दायित्व (सीएसआर) शीर्ष के अंतर्गत हस्तगत किए गए कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट/संस्वीकृत धनराशि का अनुषंगी कंपनी-वार, खान/क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) कंपनी ने अपनी कुल लाभराशि का कितना प्रतिशत उक्त सीएसआर कार्यक्रमों के लिए संस्वीकृत किया है;

(ङ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ संस्वीकृत धनराशि का उक्तावधि के दौरान पूरी तरह उपयोग नहीं किया;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) धनराशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सीआईएल की सहायक कम्पनियों द्वारा 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान हुए लाभ और हानि (कर पूर्व लाभ-पीबीटी) की स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रु. में)

कम्पनी	2008-09	2007-08	2006-07
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	-2105.70	-1026.66	118.12
भारत कोकिंग कोल लि.	-1376.99	97.05	52.30
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	763.80	1035.75	1020.30
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	3131.01	2763.22	2177.61
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	516.12	930.22	1054.44
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1817.93	2067.37	1777.83
महानदी कोलफील्ड्स लि.	2580.25	2504.79	2081.39
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टीटयूट लि.	6.74	5.00	4.47
कुल	5744.10	8738.46	8602.46

(ग) 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए सामुदायिक विकास, चिकित्सा, जलापूर्ति और सहायता अनुदान के तहत कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए निर्धारित/आबंटित निधियों का सहायक कम्पनीवार ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रु. में)

कम्पनी	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	26.70	23.36	28.80
भारत कोकिंग कोल लि.	18.82	50.59	48.59
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	50.89	35.70	30.07
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	37.14	36.59	41.24
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	72.21	76.80	92.68

1	2	3	4
महानदी कोलफील्ड्स लि.	23.71	22.65	27.13
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	47.03	48.52	42.26
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1.41	1.36	1.19
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इस्टीटयूट लि.	4.05	4.54	4.36
कुल	281.96	300.08	316.33

(घ) 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा अर्जित कुल लाभ (पीबीटी) में से सीएसआर कार्यक्रमों तथा सम्बद्ध मदों के लिए निधि के आबंटन का प्रतिशत निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कर पूर्व लाभ	सीएसआर कार्यक्रम के लिए निधि का आबंटन	कुल लाभ के आबंटन का प्रतिशत
2006-07	8602.46	281.96	3.28%
2007-08	8738.46	300.08	3.43%
2008-09	5744.10	316.33	5.51%

(ङ) और (च) निर्धारित/आबंटित निधियों का लगभग उपयोग कर लिया गया किन्तु निम्नलिखित कारणों से शत-प्रतिशत उपयोग नहीं किया जा सका:

(i) प्रस्ताव समय पर तथा समुचित रूप में प्राप्त नहीं हुए।

(ii) बाहरी एजेंसियों अर्थात राज्य सरकार, गांव सरपंच/पंचायत आदि (समय सीमा के भीतर) से देर से मंजूरी।

(ii) भिन्न-भिन्न समय पर विभिन्न राज्यों में संसदीय तथा विधानसभा चुनावों के होने के कारण आचार संहिता का लागू होना।

(छ) निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नवत हैं:

(i) कार्य योजना को शीघ्र अंतिम रूप देना।

(ii) नियमित अंतराल पर कार्य योजना की मॉनीटरिंग।

(iii) राज्य सरकार/ग्राम सरपंच/पंचायत आदि के साथ निकट सम्पर्क।

(iv) उन विकास कार्यों को आरंभ करने के लिए सरकारी संगठन तथा एजेंसियों की पहचान करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना जिसके द्वारा निविदा प्रक्रिया की जटिलता से बचा जा सके और न्यूनतम किया जा सके।

(v) कार्य के स्वरूप के आधार पर विभिन्न समूहों में समस्त सीएसआर कार्यकलापों को इकट्ठा किया गया है ताकि कार्यान्वयन निर्धारित समय के भीतर तेजी से हो सके।

[हिन्दी]

आर्थिक विकास पर जलवायु-परिवर्तन का असर

5474. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या जलवायु-परिवर्तन का देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पर भू-मंडलीय तापवृद्धि के असर का आकलन करने के लिहाज से कोई विशेषज्ञ सलाहकार समिति गठित की गई /गठित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (छ) भारत ने हमेशा जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रतिकूल प्रभावों का सामना किया है जो जलवायु परिवर्तन द्वारा बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक मौसमी घटनाओं, बाढ़, सूखा, समुद्री जल स्तर का बढ़ना और प्राकृतिक आपदाओं आदि के

अनवारण द्वारा आजीविकाओं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने की क्षमता है।

जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद का गठन जून 2007 में जलवायु परिवर्तन के आकलन अंगीकरण और उपशमन के लिए राष्ट्रीय कार्य को समन्वित करने हेतु गठित किया गया था।

प्रधान मंत्री ने 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भारत की कार्यनीति को रेखांकित करने हेतु जारी किया। एन.ए.पी.सी. उन उपायों को निर्धारित करता है जो जलवायु परिवर्तन को अपनाने में देश को समर्थ बनाएंगे और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकीय सततता को बढ़ाएगा। एन.ए. पी.सी.सी. में आठ मिशन शामिल हैं, जिनमें से पांच अंगीकरण से, दो उपशमन से और एक जलवायु परिवर्तन पर स्ट्रेटजिक नॉलेज से संबंधित हैं। राष्ट्रीय और मिशन और इन्हेन्स्ड इनर्जी एफिसिएन्सी मिशन जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित किया गय है।

प्रधान मंत्री परिषद जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विशिष्ट पहलों के फार्मूलेशन और अनुमोदन सहित जलवायु परिवर्तन नीति के अप्रोच का देखने और मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर बैठकें करती है।

[अनुवाद]

अवैध कोयला-खनन

5475. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री वरुण गांधी:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री नरहरि महतो:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खान के गढ़ों से काफी मात्रा में कोयले के उत्सर्जित हो जाने तथा अवैध कोयला-खनन के कारण देश को प्रतिवर्ष राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवैध खनन के कारण होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं के फलस्वरूप लाचार श्रमिकों की जान जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी, नहीं। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के पट्टाधारी क्षेत्रों में स्थित खानों से ऐसी अवैध गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है। तथापि, सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के बिना लीज होल्ड वाले क्षेत्रों में चोरी छिपे और गुप्त रूप से चोरी की जाती है। इसलिए कोयले की चोरी/उठाईगिरी/अवैध खनन के कारण कोयले की चोरी और हानि की निर्धारित मात्रा विनिर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से मारे गए छापों के अनुसार 2007-08, 2008-09 और 2009-10 (जनवरी, 2010 तक) (अनंतिम) के दौरान बरामद किए गए कोयले की मात्रा और इसका अनुमानित मूल्य निम्नवत है:

कोयले की चोरी/उठाईगिरी

कंपनी	2009-10 (जन. 2010 तक)		2008-09		2007-08	
	बरामाद मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुं. में)	बरामद मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	बरामद मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	3428.00	34.280	9152.00	91.52	13117.00	131.170
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि.	6351.09	135.480	9714.54	189.66	11071.52	186.895

1	2	3	4	5	6	7
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	306.75	3.296	2524.00	27.60	1803.07	23.095
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.000	0	0
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	191.31	3.180	353.15	5.99	250.01	4.078
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	371.17	5.453	843.98	15.04	1910.57	32.030
महानदी कोलफील्ड्स लि.	1329.80	10.785	607.10	4.42	343.55	2.761
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	15.00	0.330	2.80	0.08	0	0
कोल इंडिया लि.	11993.12	192.804	23197.57	334.31	28495.72	380.03
कोयले का अवैध खनन						
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	6892.00	66.920	6529.00	65.290	2497.00	24.970
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि.	1970.31	32.502	2050.96	35.920	131.00	2.034
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	5.00	0.050	93.00	0.855	429.90	7.549
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.000	0	0
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.00	0.00	11.00	0.110	41.00	0.800
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.000	40.00	0.600
महानदी कोलफील्ड्स लि.	0.00	0.00	0.00	0.000	0	0
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	0.00	0.00	0.00	0.000	0	0
कोल इंडिया लि.	8867.31	99.472	8683.96	102.175	3138.9	35.953

(ग) अवैध खनन के निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव है

1. दुर्घटनाएं और जीवन की हानि होती है।
2. अवैध खनन में लगे व्यक्ति को सुरक्षा का खतरा।
3. निकटवर्ती क्रियाशील खानों में असुरक्षित स्थितियां उत्पन्न करती है।

(घ) कोयला कंपनियों द्वारा ऐसा ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ङ) चूंकि कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए कोयले के अवैध खनन को रोकने हेतु आवश्यक निवारक कार्रवाई करना राज्य/जिला प्रशासन का प्रमुख उत्तरदायित्व है। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा इसकी सहायक कंपनियां भी इस समस्या से निपटने के लिए संबंधित राज्य एवं जिला प्राधिकारियों के साथ निकट रूप से सम्पर्क बनाए हुए हैं। अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए कोयला पीएसयू की सहायता से सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) अवैध खनन से उत्पन्न रैट होलों को, जहां भी संभव होता है, पत्थर तथा मलबे से डोज आफ किया जा रहा है तथा भरा जा रहा है।

(ii) अवैध खनन स्थलों को अलग करने के लिए खाइयां बनाई जा रही हैं।

(iii) परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंकरीट की दीवारें बनाई गई हैं, ताकि इन क्षेत्रों में पहुंच तथा अवैध खनन को रोका जा सके।

(iv) विभिन्न अवैध खनन स्थलों की फेसिंग की जा रही है जिस पर "खतरनाक तथा निषिद्ध स्थान" वाले साइनबोर्ड लगाए जा रहे हैं।

(v) खनिज क्षेत्रों में ओवरबर्डन की डम्पिंग की जा रही है।

(vi) रात में हथियारबंद गार्डों की तैनाती सहित पिटहेड डिपुओं के चारों तरफ कंटीले तार लगाना/दीवार की चाहरदीवारी करना, स्थिर सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(vii) अवैध खनन स्थलों को सील किया जाता है। चोरी या उठाईगिरी में पकड़े गए परिवहन वाहनों वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

(viii) सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सुरक्षा विभाग में नए भर्ती किए गए लोगों को मौलिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ix) कोयले की चोरी/उठाईगिरी में महिलाओं और बच्चों के लिप्त होने को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्डों को लगाना, सुरक्षा कार्मिकों की आवश्यकता का पुनः आकलन करके सुरक्षा स्कंध को सुदृढ़ बनाना, सुरक्षा कार्य की क्षमता वाले अधिकारियों का होरीजोंटल मूवमेंट एवं कनिष्ठ, मध्यम तथा परिष्ठ स्तरों पर योग्य सुरक्षा कार्मिकों को लगाना।

(x) कोयला मंत्रालय कोयला उत्पादक राज्यों से अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर अनुरोध करता रहा है। अवैध गतिविधियों को रोकते हुए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई करने हेतु अपने राज्य के कानून प्रवर्तक प्राधिकारियों को निर्देश देने के लिए राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया।

(xi) कोयला मंत्रालय ने अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करने हेतु कोयला उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। जहां बड़े पैमाने पर ऐसे अवैध खनन के होने को माना जाता है, उन स्थानों पर इन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को समुचित निदेश देने के लिए राज्यों को भी निर्देश दिया गया। ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिला प्राधिकारियों को सुदृढ़ करने हेतु खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अधीन उपयुक्त नियम, यदि पहले से बनाया नहीं गया हो, बनाने पर विचार करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिया गया।

(xii) सचिव (कोयला) और मुख्य सचिव (झारखंड) के बीच 17.05.2005 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) तथा भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) ने अवैध खनन को रोकने हेतु कार्रवाई कर दी है। कोयला कम्पनियों के प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। झारखंड सरकार ने इस उद्देश्य हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यबल का गठन किया है।

(xiii) माननीय कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 24.06.2009 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा 26.05.2009 को झारखंड के महामहिम राज्यपाल के साथ उनके संबंधित राज्यों के अंतर्गत अवैध खनन गतिविधियों को रोकने/कम करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुरोध करने हेतु बैठक की थी।

(xiv) कोयला मंत्रालय ने सितम्बर, 2009 में कोयलाधारी राज्यों के मुख्य सचिवों से राज्य में अवैध खनन की गतिविधियों की रोकथाम के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई करने के लिए अपने संबंधित राज्यों के कानून प्रवर्तक प्राधिकारियों को समुचित निर्देश देने के लिए पुनः अनुरोध किया।

(xv) अध्यक्ष, सीआईएल ने अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने हेतु अपनी सभी सहायक कंपनियों को 13.02.2010 को पत्र लिखा है।

(xvi) अध्यक्ष, सीआईएल ने कोयले की चोरी और अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए मामले को गंभीरतापूर्वक लेने के लिए कोयला कंपनियों, राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच अत्यंत आवश्यक निकट समन्वय लाने के लिए सीबीआई की भागीदारी के लिए दिनांक 18.02.2010 को निदेशक, सीबीआई को भी पत्र लिखा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग

5476. श्री लालचंद कटारिया:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री रमेश राठौड़:

श्री उमाशंकर सिंह:
श्री रायापति सांबा सिवा राव:
श्री के. सुधाकरण:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री पी. करुणाकरन:
श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री समीर भुजबल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान (एनसीएचईआर) के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनपीटीई) इत्यादि, संस्थानों के विद्यमान के विद्यमान कृत्यों का सन्निवेश कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त संस्थानों के कर्मचारियों को एनसीएचईआर में समामेलित करने का भी सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सभी पक्षों से भी विचार-विमर्श किया गया है;

(च) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या नई व्यवस्था में उक्त एनसीएचईआर संस्थान अन्य क्षेत्रगत विद्यमान संस्थानों जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् और भारतीय उपचर्या परिषद् की विनियामक शक्तियों को भी स्वयं में सन्निविष्ट कर लेगा;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) उक्त एनसीएचईआर संस्थान को कब तक गठित किए जाने की संभावना है; और

(ञ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (च) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा उच्चतर शिक्षा के नवीनीकरण तथा कायाकल्प पर सलाह देने के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर कृषि एवं चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर उच्चतर शिक्षा में मौजूदा विनियामक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) का सन्निवेश करके एक सर्वसमावेशी प्राधिकरण की आवश्यकता को सरकार ने अपनी एक प्राथमिकता के तौर पर स्वीकार कर लिया है। सर्वसमावेशी प्राधिकरण की स्थापना में सहायता तथा सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्यबल ने एक प्रारूप कानून तैयार किया है जिसे व्यापक परामर्श के लिए आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया गया था। कार्यबल ने शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, कुलपतियों, अध्यापक यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए देश के विभिन्न स्थलों का दौरा किया है। कार्यबल परामर्श के दौरान प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर प्रारूप कानून के प्रावधानों को पुन: तैयार कर रहा है। सरकार मौजूदा विनियामक निकायों के कर्मचारियों को प्रस्तावित सर्वसमावेशी प्राधिकरण या उच्चतर शिक्षा के अन्य निकायों में समायोजित करने हेतु सिफारिशें करने तथा विचार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन कर रही है।

(छ) और (ज) प्रारूप विधायी प्रस्ताव में यह अभिकल्पना की गई है कि चिकित्सा शिक्षा में ज्ञान के क्षेत्रों को वर्तमान में विनियमित कर रहे प्राधिकरणों जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद् (एनसीआई), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) तथा भारतीय नर्सिंग परिषद (एनसीआई) को प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 4 जून, 2009 को संसद संबोधन में सरकार के एजेंडा को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव संसाधन परिषद (एनसीएचआरएच) के गठन का आशय प्रकट किया था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव संसाधन परिषद में यह अभिकल्पना की गई है कि यह स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में एक सर्वसमावेशी प्राधिकरण होगा।

(झ) और (ञ) चूंकि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के गठन हेतु विधायी प्रस्ताव को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, इसलिए सरकार द्वारा इसके लिए कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं होगा।

पंचवर्षीय योजनाएं

5477. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकास की दस पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में आठवीं, नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर व्यय राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्ययार्थ कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए आबंटन में से मार्च, 2009 तक कितनी धनराशि खर्च हुई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री में (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी हां।

(ख) आठवीं, नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "विकास" शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण विकास संबंधी केंद्रीय योजनाओं में किया गया वास्तविक व्यय क्रमशः 25,372/- करोड़ रुपये, 27,271/- करोड़ रुपये और 65,935/- करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान "विकास" शीर्ष के अंतर्गत ग्रामीण विकास संबंधी केंद्रीय योजनाओं में आवंटित/खर्च की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

(करोड रुपये में)

वित्तीय वर्ष	बीई	एई/आरई
2007-08	16706	19897
2008-09	18972	39767*
2009-10	43851	43642(आरई)
2010-11	46194	एनए

नोट: बीई = बजट अनुमान; आरई = संशोधित अनुमान; एई = वास्तविक व्यय; *अनन्तिम वास्तविक व्यय, एनए = उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

जलीय निकायों पर जलवायु-परिवर्तन का प्रभाव

5478. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के जलीय निकायों पर जलवायु-परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल संसाधनों पर जलवायु-परिवर्तन के प्रभाव को उपशमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अनुसंधान एवं सूचना प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ङ) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए समय-समय पर अध्ययन कराए गए हैं। "इन्डियाज इनिशियल नेशनल कम्युनिकेशन टू यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज" में एक अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षेपण किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जलवैज्ञानिक चक्र, जोकि जलवायु का एक आधारभूत घटक है, में जलवायु परिवर्तन के कारण बदलाव आने की संभावना है और प्रारंभिक आकलनों से पता चला है कि भारत के विभिन्न भागों में सूखे की गंभीरता एवं बाढ़ की तीव्रता में तेजी आने की संभावना है। इस रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है कि अनुमानित जलवायु परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मन, समुद्र स्तर में वृद्धि और ग्लेशियर पिघल जाते हैं, से भारत के विभिन्न भागों में जल संतुलन और तटीय मैदानों के किनारे भूजल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्षा एवं वाष्पन में बदलाव आने के कारण जलवायु परिवर्तन से भूजल प्रभावित होने की संभावना है। समुद्र का स्तर बढ़ जाने से तटीय और अन्तर्देशीय जलभृत्तों में लवणीय जल का प्रवेश बढ़ सकता है जबकि बाढ़ की तीव्रता और गंभीरता से कछारी जलभृत्तों में भूजल गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक वर्षा से अधिक अपवाह हो सकता है और संभवतः इसके कारण पुनर्भरण कम हो सकता है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच), रूड़की और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी),

बंगलौर के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन भी कराए गए हैं। एनआईएच द्वारा कराए गए अध्ययन से ग्लेशियर के घटने एवं उनके क्षेत्र विस्तार में कमी प्रदर्शित हुई है। यह भी देखा गया है कि अपवर्तन अवधि के दौरान, तापमान में वृद्धि के साथ-साथ हिमगलन अपवाह में वृद्धि होती है। आईआईएससी ने यह पाया है कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन में कई अनिश्चितताएं विद्यमान हैं। इसके महत्व और इसकी नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रेक्षित आंकड़ों के आधार पर गहन अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। इन अध्ययनों में प्रख्यात शैक्षणिक संस्थानों को सक्रियता पूर्वक लगाया गया है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में आठ राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ करने की योजना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" शामिल है। जल संसाधन मंत्रालयों ने राज्यों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, व्यवसायिकों, विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मिशन दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया है। मिशन दस्तावेज के प्रारूप में अनुकूलन उपायों सहित जलवायु परिवर्तन के जल संसाधनों पर प्रभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। राष्ट्रीय जल मिशन के मुख्य उद्देश्यों में जल का संरक्षण, जल की बरबादी में कमी लाना और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से राज्यों को बाहर और भीतर दोनों में जल का अधिक से अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना शामिल है। इस मिशन दस्तावेज के प्रारूप में उल्लिखित राष्ट्रीय जलमिशन के पांच लक्ष्य हैं: (क) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जल आंकड़ा आधार एवं जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव; (ख) जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिकों और राज्य की ओर से किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा देना; (ग) अतिदोहित क्षेत्रों के प्रति अधिक ध्यान देना; (घ) 20% तक जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और (ङ) बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में अनुसंधान एवं अध्ययन करने और समन्वय करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु मानदंड

5479. श्री ए. सम्पत:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री देवेन्द्र नागपाल:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढवी:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री दारा सिंह चौहान:
श्री बाल कुमार पटेल:
श्री रमेश राठौड़:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु वर्तमान मानदंड में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार देश के राज्यों के प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) नए केन्द्रीय विद्यालयों को खोलना प्रस्तावों की व्यवहार्यता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जलवायु परिवर्तन के संबंध में कोपेनहेगन समझौता

5480. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन जलवायु-परिवर्तन संबंधी कोपेनहेगन समझौते का समर्थन करने पर औपचारिक रूप से सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या-क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) कोपेनहेगन समझौता जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकारों द्वारा अंगीकार नहीं किया गया था और इसे उनके द्वारा केवल 'नोट' किया गया था। तथापि, विभिन्न देशों, जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं, ने इस समझौता के लिए इस समझ के आधार पर अपना समर्थन संप्रेषित किया है कि यह समझौता एक राजनीतिक दस्तावेज है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इस समझौता का तात्पर्य यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल और बाली कार्य योजना के सिद्धांतों और उपबंधों के अनुरूप दो मार्गों में चालू विचार-विमर्शों को सुविधा प्रदान करना है। इस समझौता की तभी वैल्यू होती यदि समझौता में समग्रता के प्रतिबिंबित क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय वार्ताओं के अंतर्गत दो मार्गों में अर्थात दीर्घ अवधि को-ऑपरेटिव एक्शन पर तदर्थ कार्य ग्रुप और क्योटो प्रोटोकॉल पर तदर्थ कार्य ग्रुप के तहत सहमत परिणामों पर पहुंचने के लिए पक्षकारों की सहायता के लिए उपयोग में लाए जाएं।

तमिलनाडु का वार्षिक योजना परिव्यय

5481. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों में तमिलनाडु के वार्षिक योजना परिव्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस आबंटन में राज्य में नदियों के अंतर्सयोजन हेतु धनराशि भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत राशि व्यय की गई; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उक्त की निगरानी हेतु क्या प्रणाली अपनाई गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) तमिलनाडु के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वार्षिक योजना	कुल परिव्यय
1.	2007-08	14,000
2.	2008-09	16,000
3.	2009-10	17,500

(ख) से (घ) पानी एक राज्य विषय है और राज्य में नदियों को आपस में जोड़ने को मिलाकर नियोजन, कार्यान्वयन, विकास, अनुरक्षण और जलसंसाधन परियोजनाओं का मॉनीटरण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्रमुख और मध्यम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक के तहत वहन किया गया परिव्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	वार्षिक योजना	कुल परिव्यय
1.	2007-08	220.42
2.	2008-09	384.12
3.	2009-10	531.37

इन परिव्यय में राज्य सरकार द्वारा निम्न परियोजनाओं को आपस में जोड़ने के लिए खर्च किया गया धन शामिल है:

(i) कावेरी–अग्नियार–दक्षिणी वेल्लार–मणिमुथार–वैगई–गुंदार

(ii) तंबीरपारानी–करुमेनियार–नांबियार

(iii) पैननीयर–चैय्यार

केंद्र सरकार केंद्र समर्थित परियोजनाओं को मॉनीटर करती है।

शिथिल मानदण्डों का लाभ

5482. श्री टी.आर. बालू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अ.पि.वि., अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों के उम्मीदवारों, जिन्हें शिथिल मानदंडों का लाभ प्राप्त होता है, की गिनती केवल रिक्तियों के लिए ही की जानी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय (दिनांक 8.1.2010 के सी.ए. 74, वर्ष 2010) से अवगत है जिसके अनुसार आरक्षित श्रेणी के उन उम्मीदवारों, जिन्हें शिथिल मानदण्डों का लाभ प्राप्त होता है; को खुली श्रेणी के पदों पर भी चयनित होने की अनुमति होनी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8 जनवरी, 2010 के निर्णय के अनुरूप, 1 अगस्त, 1998 के विद्यमान सरकारी आदेश को आशोधित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) अनुदेशों में प्रावधान है कि जब अनु.ज./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग के किसी उम्मीदवार का चयन करने में छूट के मानदण्ड अपनाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अवसरों की स्वीकृत संख्या, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों आदि के लिए बनाए गए विचारण-क्षेत्र से अधिक बढ़े क्षेत्र आदि की छूट दिए जाने पर अनु.ज./अनु. ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर गिना जाना होता है।

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवाएं (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के आलोक में उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि "आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से प्रतिस्पर्धा हेतु योग्य बनाने की दृष्टि से ही आयु सीमा में छूट प्रदान की जाती है जबकि अन्य सभी बातें बराबर हैं। राज्य ने आयु सीमा तथा शुल्क में छूट को चयन परीक्षा में उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर अर्थात मुख्य लिखित परीक्षा तथा उसके बाद साक्षात्कार को चयन हेतु मानदण्डों में छूट के रूप में नहीं माना। अत: इस प्रकार प्रदान की गई छूट, किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को, प्रतियोगी परीक्षा में योग्यता के आधार पर उसके सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में विचार किए जाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

(घ) से (छ) सरकार मामले की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

जलवायु परिवर्तन का महिलाओं पर प्रभाव

5483. श्री ए.टी. नाना पाटिल: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से महिलाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या प्रभाव होते हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विश्व जनसंख्या, 2009 पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (एनयूएफपीए) रिपोर्ट ने संकेत किया है कि महिलाएं विशेष रूप से गरीब देशों में, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अधिक भेद हैं जैसा कि वे जलवायु परिवर्तन द्वारा खतरे वाले प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका हेतु अत्याधिक निर्भर है। सूखा और नियमित वर्षा महिलाओं को अपने घरों के लिए खाद्य, जल और ऊर्जा को सुनिश्चित करने हेतु कठिन कार्य करने को बाध्य करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं से परिचित हैं और 30 जून, 2008 को जलवायु परिवर्तन (एनपीसीसी) पर राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। एनएपीसीसी में आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जिनमें से जल, सौर ऊर्जा सतत् कृषि और हरित भारत पर राष्ट्रीय मिशन महिलाओं से संबंधित मुद्दों का निराकरण करते हैं।

[अनुवाद]

परमाणु दायित्व संबंधी विधेयक

5484. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री अब्दुल रहमान:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सिविल परमाणु दायित्व संबंधी विधेयक लाने का विचार कर रही है जिसके तहत विदेशी परमाणु कंपनियों को भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित करने की अनुमति होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु दुर्घटना होने की दशा में इसके तहत संभावित पीड़ितों को मुआवजे का भी कोई प्रावधान होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावित विधेयक के कब तक लागू होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक; लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) सरकार नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व के प्रावधान हेतु लोक सभा में एक विधेयक लाना चाहती है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत किसी भी विदेशी कम्पनी को भारत में नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करने की अनुमति नहीं है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं ही अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण अथवा निगम द्वारा अथवा केन्द्र सरकार की कम्पनी के माध्यम से की जा सकती है।

(ख) प्रस्तावित विधान में नाभिकीय घटना के पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से नाभिकीय संस्थापना के प्रचालक पर दोष-रहित दायित्व के प्रवर्तन द्वारा मुआवजे का भुगतान करना सुगम होगा। विधेयक में प्रत्येक नाभिकीय घटना के लिए प्रचालक का दायित्व 500 करोड़ रुपये और किसी नाभिकीय घटना के लिए दायित्व की अधिकतम राशि तीन सौ मिलियन विशेष आहरण अधिकार के समकक्ष रुपये (वर्तमान में विनिमय दर 2,163 करोड़ रुपये) निर्धारित की गई है। इसमें सरकार को जोखिम के स्वरूप के आधार पर प्रचालक के दायित्व की राशि बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी दिया है।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में असैन्य नाभिकीय दायित्व के मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (जिसे 1984 में भोपाल में हुई दुर्घटना के कारण हुई त्रासदी के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था) नाभिकीय घटनाओं पर लागू नहीं होता है। अतः इस समय किसी नाभिकीय घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कोई कानून नहीं है।

(ङ) इस विधेयक को सभी अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद कानून के रूप में अधिनियमित किया जाएगा। यह अधिनियम, सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी करने के बाद ही प्रवृत्त होगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2256/15/10]

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, सम्भलाई और ट्रांसबाउंड्री संचलन) तीसरा संशोधन नियम, 2010 जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 710 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2257/15/10]

(2) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2258/15/10]

(4) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2259/15/10]

(6) (एक) वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2260/15/10]

(8) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राणी उद्यान की मान्यता नियम, 2009 जो 11 नवम्बर के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 807 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2261/15/10]

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 619(अ) जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 को अधिूसचना संख्या का.आ. 1174 (अ)में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2262/15/10]

(10) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2263/15/10]

(12) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2264/15/10]

(14) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, उत्तराखंड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, उत्तराखंड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2265/15/10]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या अट्ठाईस चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2266/15/10]

ग्यारहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या उनतालीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2267/15/10]

तेरहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या इकतालीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2268/15/10]

4. विवरण संख्या अट्ठाईस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2269/15/10]

5. विवरण संख्या पच्चीस चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2270/15/10]

चौदहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या बाईस दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2271/15/10]

7. विवरण संख्या बीस तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2272/15/10]

8. विवरण संख्या बीस चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2273/15/10]

9. विवरण संख्या अठारह पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2274/15/10]

10. विवरण संख्या सत्रह छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2275/15/10]

11. विवरण संख्या सोलह सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2276/15/10]

12. विवरण संख्या चौदह आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2277/15/10]

13. विवरण संख्या तेरह नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2278/15/10]

14. विवरण संख्या बारह दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2279/15/10]

15. विवरण संख्या दस ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2280/15/10]

16. विवरण संख्या नौ बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2281/15/10]

17. विवरण संख्या सात तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2282/15/10]

18. विवरण संख्या पांच चौदहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2283/15/10]

19. विवरण संख्या चार पंद्रहवां सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2284/15/10]

पंद्रहवीं लोक सभा

20. विवरण संख्या तीन दूसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2285/15/10]

21. विवरण संख्या दो तीसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2286/15/10]

22. विवरण संख्या एक चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2287/15/10]

(2) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2288/15/10]

(4) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2289/15/10]

(6) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2290/15/10]

(8) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2291/15/10]

(10) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2292/15/10]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गुवाहाटी के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2293/15/10]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2294/15/10]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2295/15/10]

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2296/15/10]

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षिता लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2297/15/10]

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वर्ष 2008-2009

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2298/15/10]

(13) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2299/15/10]

(15) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2300/15/10]

(16) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2301/15/10]

(17) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2302/15/10]

(19) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2303/15/10]

(21) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षिता लेखे।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2304/15/10]

(23) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी बाम्बे, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी बाम्बे, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी बाम्बे, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2305/15/10]

(25) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2306/15/10]

(27) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वष्र 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, लक्षद्वीप के वष्र 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2307/15/10]

(29) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2308/15/10]

(31) (एक) यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्टब्लेयर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूटी मिशन अथॉरिटी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्टब्लेयर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2309/15/10]

(33) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 51-1/2009-एनसीटीई (एनएण्डएस) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2310/15/10]

(34) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2311/15/10]

(36) (एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2312/15/10]

(38) (एक) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फार प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2313/15/10]

(40) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2314/15/10]

(42) (एक) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2315/15/10]

(44) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2316/15/10]

(46) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2317/15/10]

(48) (एक) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस, फिलॉस्फी एण्ड कल्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2318/15/10]

(50) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय, शिलांग के वष्र 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय, शिलांग के वष्र 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2319/15/10]

(52) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 2320/15/10]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2321/15/10]

(2) वैपकास लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, **देखिये** संख्या एल.टी. 2322/15/10]

अपराह्न 12.01 बजे

संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न) कार्य का सारांश

[अनुवाद]

महासचिव: मैं संसदीय समितियों (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न) के कार्य का सारांश (1 जून, 2008 से 18 मई, 2009 तक) नामक प्रकाशन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 2323/15/10]

अपराह्न 12.01½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति
सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, मैं कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों

(2010-2011) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति 39वां से 42वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदया, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

(2) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

(3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 41वां प्रतिवेदन।

(4) एड्स नियंत्रण विभाग की अनुदानों की मांगों (2010-2011) के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 120.2½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।*

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदया, मैं विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अध्यक्ष के निदेश 73क के अंतर्गत वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति की अनुदानों की मांगों (2009-2010) के पहले प्रतिवेदन को 3 दिसम्बर, 2009 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और 3 दिसम्बर, 2009 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। समिति के सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उत्तर (एटीआर) समिति को 10 मार्च, 2010 को भेजे गए।

जैसी आवश्यकता थी, स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन जो कि सभा पटल पर रखा गया था; की सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा यहां संलग्न है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट होंगे।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, **देखिए** एल. टी. 2324/15/10

अपराह्न 12.03 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा 26 अप्रैल, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा द्वारा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 26 अप्रैल, 2010 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): महोदया, हम सब प्रधान मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना दे

चुके हैं तथा विशेषाधिकार का उल्लंघन सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे पहले आता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हां, मुझे भी अभी कुछ कहना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुझे लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के अधीन प्रधान मंत्री के विरुद्ध श्री गोपीनाथ मुंडे तथा 44 अन्य सदस्यों द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2010 को विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह मेरे विचाराधीन है। हम अभी मामले की योग्यता पर बात नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं कह चुकी हूं कि यह मेरे विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम शून्य काल पर विचार करेंगे और डॉ. ज्योति मिर्धा बोलेंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: केवल डॉ. ज्योति मिर्धा जो कहेंगी उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): महोदया, आज मैं सदन के अंदर एमसीआई और केतन देसाई से रिलेटिड अपनी बात रखना चाहती हूं कि समय-समय पर इस तरीके से...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): महोदया, हमारी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह मेरे विचाराधीन है। मैं यह बता चुकी हूं

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: यह मेरे विचाराधीन है। कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। यदि कोई मामला मेरे विचाराधीन है तो आपको उसका सम्मान रखना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. ज्योति मिर्धा: महोदया, केतन देसाई और एमसीआई में जो अनियमितताएं हो रही हैं, उनके बारे में अभी हाल ही में मैंने अखबारों में खबर पढ़ी थी। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि केतन देसाई के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. ज्योति मिर्धा: महोदया, केतन देसाई हाल ही में अरेस्ट हुए थे और उन पर इल्ज़ाम यह था कि वे इररेग्युलरटीज़ के चलते पंजाब के एक प्राइवेट मैडिकल कॉलेज को रिकग्नॉईज करने में लगे हुए थे। इस तरीके की शिकायतें सदन में पहले भी आयी हैं। ये जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, एमसीआई टाइप की और बॉडीज जो हैं, एमसीआई का मुख्य काम मैडिकल कॉलेजों के अंदर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मैनटेन करना है और उन्हें रेग्युलराईज या डी-रिकग्नॉईज करना। इसके अंदर रह-रहकर इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि जो प्राइवेट मैडिकल कॉलेजेज़ होते हैं, उन्हें पहले खबर मिल जाती है कि इंस्पेक्शन कब होने वाला है और वे वहां पर किराये पर स्टाफ लाकर खड़ा कर देते हैं। इंस्पेक्शन के दौरान वह चीज पास हो जाती है और वे मैडिकल कॉलेजेज़ चलते रहते हैं चाहे वे स्टैंडर्ड हों या सब-स्टैंडर्ड हों। गवर्नमेंट कॉलेज़ इन प्रैक्टिसिस में नहीं लग सकते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर एक मैडिकल कॉलेज के अंदर, शायद उन्हें पहले खबर नहीं लगी थी कि इंस्पेक्शन के लिए टीम आ रही है।...*(व्यवधान)* जो बैरे या क्लिनर थे, उन्हें डॉक्टर बनाकर वहां इंस्पेक्शन में खड़ा कर दिया गया। मेरा यही कहना है कि जो ऐसी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके अंदर जो हैम्म पर आदमी होता है, उन्हें समय-समय पर इन बॉडीज को डिजोल्यूट करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम आपको बुलाएंगे। आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ ज्योति मिर्धा: ताकि उनकी ऑटोनॉमी और उनका जो अनएम्प्लायस नैचर है, उसे मैनटने किया जा सके। क्योंकि इन

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सारे आदमियों के रूप में, एक आदमी बीस साल तक वहां बैठा रहता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: निम्नलिखित सदस्यों ने अपने आपको डॉ. ज्योति मिर्धा द्वारा उठाए गए मामले के साथ जोड़ा है:

1. श्री पी.के बिजू
2. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण
3. डॉ. तरुण मंडल
4. डॉ. अनूप कुमार साहा

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. तम्बिदुरई द्वारा कही गई बातों के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): महोदया, मैं तत्कालिक लोक महत्व के एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को; जो कि इस सभा और सरकार के लिए भी उपयुक्त है, आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* पूरा देश जानता है कि माननीय मंत्री की गलत नीतियों के कारण देश को एक लाख करोड़ रुपये की हानि हुई है। जब कभी भी हम इस मामले को उठाते हैं मंत्री केवल यही कहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आरोप न लगाएं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो केवल इतना बता रहा हूं कि देश को एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आरोप न लगाएं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: मैं इसी बात को उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: मैं उन्हें बता रही हूं कि आरोप न लगाएं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ...*(व्यवधान)*। मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि गलत नीतियों के कारण देश को एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जब कभी भी हमने इस मामले को उठाया है मंत्री जी ने यही कहा है कि उन्होंने पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई थी।

महोदया, यहां तक की दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह पाया कि गलत नीतियों के कारण ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय सभा स्थगित होने से पहले मैंने अध्यक्ष पीठ की अनुमति से एक महत्वपूर्ण मामला उठाया था ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप पुनः 'शून्यकाल' पर चर्चा कराएंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इस विषय पर अध्यक्ष महोदया ने रूलिंग दे दी है, अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

अपराह्न 2.00 बजे

इस समय श्री सी. शिवसामी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। वे सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाने की अनुमति दी गई है तथा यदि वे उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं तो बीस मिनट में सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्ची सौंप सकते हैं। केवल उन्हीं मुद्दों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाएगा जिनके लिए निध रित समय में सभा पटल पर पर्चियां प्राप्त होंगी तथा शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) सभी राज्यों द्वारा समयबद्ध रूप से अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं यूपीए सरकार द्वारा अपने पहले शासन काल में अधिनियमित अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की कर्नाटक सहित कुछ अन्य राज्यों में बेहद सुस्त गति पर चिंता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कई राज्य के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के दावों की शीघ्रता से छानबीन और उन पर तेजी से कार्रवाई करके तथा उन निवासियों जो कि निर्धारित तारीख अर्थात 13.12.05 को अथवा उससे पहले वन भूमि पर काबिज थे, को स्वामित्व विलेख बांटकर केन्द्र की पहल पर काफी आगे तक की कार्रवाई कर चुके हैं।

मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि उन राज्यों पर जो कि अधिनियम के कार्यान्वयन के पीछे चल रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए जोर डाला जाना चाहिए कि केन्द्र सरकार द्वारा सदाशयता की भावना से की गई यह पहल वन निवासियों के उत्थान हेतु उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियम की वास्तविक भावना के अनुरूप समयबद्ध रूप से ही कार्यान्वित की जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) केरल में भारी आंधी और वर्षा के कारण प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत दिए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अप्रैल, 2010 के पहले सप्ताह में आए भीषण तूफान और वर्षा की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिसके कारण केरल के अलेप्पी जिले के चार तालुकों अर्थात मावेलीकारा, चेंगनूर, कुटनाड़ और कार्तिकापल्ली बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तूफान और वर्षा के कारण 2000 से अधिक घर आशिंक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे कई लोग भी घायल हुए हैं। संपूर्ण कृषि फसल नष्ट हो गई हजारों एकड़ धान के खेत क्षतिग्रस्त हो गए। कई प्रकार के अमूल्य वृक्ष टूट गए। इन क्षेत्रों में बिजली नहीं है और बिजली के खंभे टूटे पड़े हैं और इन्हें अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है और इन क्षेत्रों के लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा के कारण इन तालुकों में जल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है और लोगों को पेयजल प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है।

आरंभिक आकलन के अनुसार, कुल नुकसान 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक किसी आपदा राहत की घोषणा नहीं की है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि कुल नुकसान का आकलन करने के लिए यहां एक उच्च-स्तरीय दल को भेजा जाए और इन तालुकों में तत्काल राहत कार्य आरंभ करने हेतु पर्याप्त राशि यथाशीघ्र जारी की जाए।

(तीन) आंध्र प्रदेश में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेज-2 की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुरेश कुमार शेटकर (जहीराबाद): मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश में एमएमटीएस परियोजनाओं के द्वितीय चरण को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

पिछले दशक में जनसंख्या में तीव्र बढ़ोतरी के कारण हैदराबाद एक अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र बन गया है और यात्रियों को अपनी रोजमर्रा की यात्राओं में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने तथा उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए हैदराबाद क्षेत्र के एमएमटीएस फेज-2 परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एमएमटीएस

फेज-2 के अंतर्गत हैदराबाद-सिकंदराबाद-मिरयालागुंडा, हैदराबाद-सिकंदराबाद-महबूबनगर रूट के लिए डीजल मल्टीपल यूनिट लगाई जाएं। अन्य चिन्हित रूट हैं–28 किमी. का सिकंदराबाद -बोल्लाराम-मेद्चल, 20 किमी. का फलकनुमा-उमदानगर-शम्साबाद, 19 किमी. का सिकंदराबाद-घाटकेसर, कोर्ड लाइन के माध्यम से 21 किमी. का मोलाली-सनतनगर, काचीगुडा-सीताफलमंडी, 10 किमी. का मल्काजगिरी-मोलाली कोर्ड लाइन और 9 किमी. का तेल्लापुर-पटनचेरू। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय से 641 करोड़ रुपये अपेक्षित हैं।

अत:, मैं माननीय रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश हेतु विशेष पैकेज की घोषणा कर शेष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एमएमटीपएस फेज-2 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियां जारी की जाएं।

(चार) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नासीपुर और अजीमगंज के बीच भागीरथी नदी पर रेल पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): भागीरथी नदी पर नशीपुर-अजीमगंज रेल पुल मुर्शिदाबाद के लोगों का सपना था जो उन्होंने स्वतंत्रता के बाद से देखना आरंभ किया था। संप्रग के शासन में पुल को संस्वीकृति मिली।

इस रेल पुल से मेरे जिले की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है क्योंकि इससे एक नया रेलमार्ग बनेगा और उत्तर तथा उत्तर-पूर्व भारत तक पहुंच बनेगी। रेल पुल का निर्माण कार्य जोर-शोर से आरंभ किया गया जिससे मेरे जिले के आम लोग उल्लास से भर गए।

लेकिन हाल ही में यह देखने में आया कि भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण नदी के पश्चिमी भाग पर निर्माण कार्य रुका हुआ है।

मेरा संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और यदि कोई शिकायत मिले तो उसका समाधान करें तथा यह सुनिश्चित करें कि पुल का निर्माण शीघ्र पूरा हो।

(पांच) उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में बुनकरों के लाभ हेतु कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

डॉ. निर्मल खत्री (फैज़ाबाद): मैं सरकार का ध्यान जनपद-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश, के जलालपुर, टांडा, भूलेपुर, इल्तिफातगंज आदि स्थानों पर बुनकरों की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। पिछले दो माह में बुनकरों के प्रयोग में आने वाले सूत (यार्न) की कीमत काफी बढ़ गई है, जबकि केन्द्र सरकार ने कोई टैक्स इस पर नहीं लगाया है।

उत्तर प्रदेश में बुनकरों को सूत स्थानीय तौर पर मिल सकें, इसके लिए सूत मिलों को स्थापित करना, सरकारी डिपो सूत की बिक्री और बुनकरों को बनाये सामान की खरीद के लिए स्थापित हो।

बुनकरों को बिजली आपूर्ति ठीक कराई जाये व कृषि ऋणों को माफ करने की केन्द्र सरकार की पिछली योजना की भांति बुनकरों के कर्जे को भी माफ किया जाये।

(छह) सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के अंतर्गत एलपीजी की एजेंसियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना केन्द्र सरकार की एक विशेष योजना है, जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का कार्य करती है। लेकिन सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 306 एजेंसियां, तमिलनाडु में 134 एजेंसी, तमिलनाडु में 134 एजेंसी, कर्नाटक में 48 और गुजरात में 41 एजेंसी आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

महोदया, मैं मंत्री महोदया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन-जिन प्रदेशों में एल.पी.जी. एजेंसियां दी जा रही हैं, उन प्रदेशों में जनसंख्या के अनुपात के अनुपात में एजेंसियां दी जायें और जिन-जिन प्रदेशों में नई एजेंसियां अभी तक नहीं दी गई हैं, वहां भी आबंटित की जायें।

(सात) बिहार के नवादा जिले में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ढाढ़र और तिलैया नदियों पर बांध निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): बिहार राज्य के नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ एवं नरहट प्रखंडों के दो सौ गांवों की एक लाख की आबादी की जीविका तिलैया और ढाढ़र नदियों के जल से होने वाली सिंचाई पर ही निर्भर है। इन दो नदियों में डैम बनाकर सिंचाई की परियोजना का कार्यान्वयन अपेक्षित है। 1980-85 के मध्य केन्द्र सरकार के जल-संसाधन मंत्रालय ने योजना के प्राक्कलन बनाने का कदम उठाया था, पर उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह ढाढ़र और तिलैया

नदियों में डैम बनाकर सिंचाई परियोजनाओं का शीघ्रता शीघ्र कार्यान्वयन करे।

(आठ) सन् 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय से ही लापता असम रेजिमेंट के कैप्टन कल्याण सिंह, हरि सिंह राठौड़ के बारे में जानकारी प्राप्त किए जाने की आवश्यकता।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) के हिम्मतनगर तहसील के अंतर्गत गांव चांदरणी के निवासी कैप्टन कल्याण सिंह हरीसिंह राठौड़-असम रेजीमेंट बै. नं. आईसी 23148 जम्मू कश्मीर के छांव सेक्टर में बलसारा पाईन्ट पर दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में युद्धभूमि पर दुश्मनों के साथ लड़ते-लड़ते गुमशुदा हो गये। आज वे किस हालत में हैं, किसी को नहीं पता। शायद जिंदा है या नहीं वो भी मालूम नहीं। उनका शरीर भी आज तक नहीं मिला, इसलिए संभव है कि उन्हें युद्धकैदी बना लिया गया हो।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस विषय में सही जांच की जाये। अगर कल्याण सिंह नहीं मिले तो उन्हें शहीद घोषित करके मरणोपरान्त मिलने वाला सम्मान शौर्य चक्र या अन्य नियमानुसार जो मेडल मिलना चाहिये, उससे सम्मानित किया जाये ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे क्षेत्र को भी गौरव मिले और साथ उनके परिवार को भी नियमानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाये, जिनके लिए वे हकदार हैं।

(नौ) चुरू से होकर जोधपुर और दिल्ली को जोड़ने वाली जोधपुर मेल को फिर से चलाए जाने और सराय रोहिल्ला (दिल्ली) और सादुलपुर के बीच रतनगढ़ तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का विस्तार किए जाने की आवश्यकता।

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): जोधपुर से दिल्ली वाया चुरू जोधपुर मेल मेरे संसदीय क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण रेलगाड़ी थी, जिसे लगभग 15 वर्ष पूर्व डेगाना-दिल्ली वाया चुरू रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कारण बंद कर दिया गया था, तब से मेरे सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र का संबंध दिल्ली से कटा हुआ है। आज आमान परिवर्तन का कार्य भी पूर्ण हो गया है। उक्त गाड़ी को पुनः चालू करने के लिए इस क्षेत्र की जनता एवं मेरे द्वारा बार-बार मांग करने के बाद भी उक्त गाड़ी के संचालन की घोषणा रेल बजट में नहीं की गई है। मात्र रेवाड़ी-डेगाना पैसेंजर गाड़ी से संचालन की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली-सरायरोहिल्ला से सादुलपुर तक सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में 6 दिन संचालित करने की घोषणा की है, इसे अविलम्ब चालू करते हुए इसे रतनगढ़ तक बढ़ाया जाये।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र की महत्ती आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त गाड़ियों का संचालन अविलम्ब किया जाये।

(दस) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): देश में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना एक प्रभावकारी कदम है। मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी जिलों में लगभग सैंकड़ों गांवों एवं पुरवों का इस हेतु सर्वे हो चुका है एवं इसका एस्टीमेट भी बनाकर विभाग ने केन्द्र सरकार को भेजा है लेकिन केन्द्र सरकार ने आज तक इस परियोजना के लिए धनराशि राज्य सरकार को नहीं भेजी है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु धन मेरे संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी के लिए तत्काल भेजे ताकि उपरोक्त सैंकड़ों ग्रामों एवं पुरवों में विद्युतीकरण हो सके।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया एवं कुशीनगर के जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और केन्द्र सरकार अपने निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 1600 के आसपास गांव हैं, जिसमें अभी तक 700 गांव में ग्रामीण विद्युतीकरण हो पाया है, जिससे छात्रों के पठन पाठन एवं खेती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दियारा मोड़ एवं नदियों के आसपास के गांव में भी विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। यहां अभी सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली गांव तक पहुंचाई जा सकती है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया के देवरिया एवं कुशीनगर जिलों में राजीव गांधी

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यों में तेजी लाई जाये, जिससे उपरोक्त जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया जा सके एवं इन कार्यों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाये।

(बारह) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने तथा इसके समग्र विकास हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): कुछ वर्ष पूर्व बिहार राज्य का विभाजन कर बिहार एवं झारखंड राज्य बना दिये गये। झारखंड जब बिहार का हिस्सा था तो उत्तर बिहार में बाढ़ जैसे प्रकोप के चलते उद्योग वगैरह मध्य बिहार में जो आज झारखंड में हैं, ज्यादातर लगाये गये। खनिज सम्पदा के चलते बिहार की पूर्व सरकारों ने बिहार के राजस्व का अधिकांश हिस्सा झारखंड में निवेश किया एवं उत्तर बिहार का हिस्सा औद्योगिक निवेश से वंचित रहा, जिसके कारण रोजगार झारखंड में ही बढ़ा। परिणामस्वरूप आज बिहार के पास आय के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं, जिसके चलते बाढ़ जैसी समस्या का समाधान एवं विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। बिहार सरकार बराबर बिहार को विशेष दर्जा देकर वित्तीय सहायता की मांग करती रही है, परंतु केन्द्र सरकार ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाये, जिससे बिहार भी अन्य राज्यों की तरह अपना विकास कर सके और बिहार से अन्य राज्यों को होने वाले पलायन को रोका जा सके।

(तेरह) पश्चिम बंगाल में आम आदमी की सेवा करने वाले संगठन 'कृषि विकास शिल्प केंद्र' को फिर से चालू करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर (बनगांव): मैं आम जनता, दलितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मुख्यत: महिलाओं और बच्चों की सेवा हेतु भूतपूर्व सैनिकों द्वारा वर्ष 1975 में आरम्भ किए गए एक संगठन से संबंधित मुद्दा उठा रहा हूं। इस संगठन की हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने भी काफी प्रशंसा की थी। वास्तव में उन्होंने एक बार वर्ष 1983 में लाल किले से अपने एक भाषण में जनता की सेवा में समर्पित आदर्श संगठन के रूप में 'कृषि विकास शिल्प केन्द्र' के नाम का उल्लेख किया था।

उनकी प्रशंसा से उत्साहित होकर इस संगठन ने अपने कम से कम समूह 'घ' श्रेणी के लगभग 4200 से 6500 कामगारों की सेवाएं नियमित करना चाहा था। हमारी प्रिय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के दु:खद निधन के उपरांत उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी और हर सम्भव प्रयास किया परंतु सारे प्रयास विफल हो गए। ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख और पेयजल के लिए जागरूकता क्षेत्र में उनका कार्यकलाप पूरे पश्चिम बंगाल राज्य के 204 ब्लॉकों में फैला है जो प्रशंसनीय है। इस संगठन ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री को काफी प्रभावित किया था जिन्होंने आदेश सं. एफ-2-39 (4) 83 पीएमपीआई दिनांक 16/4/83 द्वारा इसे राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी। तथापि उनकी मृत्यु के पश्चात कामगारों के भावी रोजगार सम्भावनाओं में अनिश्चितता के कारण इस संगठन के कार्यकलापों में धीरे-धीरे कमी आई।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे जीवन्त संगठन को बंद नहीं होने देना चाहिए और केन्द्र सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर इसके पुनरुद्धार के लिए हर प्रयास किए जाने चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार भी इस प्रस्ताव से सहमत होगी और इसके अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(चौदह) दियासलाई उद्योग को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.आर. जेयदुरई (थूथुकुडी): केन्द्र सरकार ने रोजगार प्रदान गारन्टी कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने और इसके सृजन हेतु 40,100 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की है।

लेकिन श्रम प्रधान माचिस उद्योग पर 8% से बढ़ाकर 10% की गई दर से भारी शुल्क लगाया जाता है। यह हाथ से कार्य करने वाले श्रमिकों के रूप में लाखों लोगों को सेवायोजित करने वाली और इस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली अर्द्ध यांत्रिकृत इकाइयों पर भी लगाई जाती है। ये इकाइयां भारी कर के कारण बन्दी के कगार पर हैं। तमिलनाडु में लगभग 5 लाख लोगों को जिसमें से लगभग 1 लाख लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र थूथुकुडी के हैं, को अपना रोजगार गंवाना पड़ेगा। अब यह खतरा मंडरा रहा है।

यांत्रिकृत या अर्द्ध यांत्रिकृत किसी भी रूप में तैयार माचिसों पर 8% की दर से एक समान शुल्क लगा करता था। चूंकि हाथों से उत्पादन करने वाली छोटी माचिस इकाइयां प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकती थी उन्होंने माचिस निर्माण के लिए अपने आपको अर्द्ध यांत्रिकृत इकाइयों में परिवर्तित कर लिया।

मैंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि या तो शुल्क को घटा कर 8% कर दिया जाए या इसे पूर्णत: शुल्क से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन इस वर्ष के बजट में इस शुल्क को 8% से बढ़ा कर 10% कर दिया गया है।

चूंकि छोटी अर्द्ध-यांत्रिकृत माचिस इकाइयां अनेक लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि शुल्क को 10% से घटाकर तत्काल 8% कर दिया जाए और बाद में अर्द्ध यांत्रिकृत इकाइयों को पूर्णत: इस शुल्क से मुक्त कर दिया जाए।

(पन्द्रह) लोकप्रिय मलयालम समाचार पत्र 'केरल कौमुदी' की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): प्रसिद्ध और प्रमुख मलयालम दैनिक 'केरल कौमुदी' वर्ष 1911 में आरम्भ की गई थी और इसलिए आनेवाला वर्ष 2011 इसका शताब्दी समारोह वर्ष है। यह दैनिक समाचार पत्र सर्वप्रथम तिरुवनन्तपुरम से प्रकाशित किया गया था और इसके संस्थापक सम्पादक श्री के. सुकुमारन, बी.ए. थे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर और 'केरल कौमुदी' की सहायता से पीड़ित और दलितों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इस दैनिक का इतिहास सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सौहार्द के साथ-साथ राष्ट्रीय एकीकरण के लिए संघर्ष का भी इतिहास है। इसने राज्य के पुनर्गठन और केरल के सामजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि 'केरल कौमुदी' की जन्म शती के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाए।

(सोलह) पश्चिम-बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बलुरघाट में नई एलपीजी एजेंसियां खोले जाने की आवश्यकता।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): मेरा निर्वाचन क्षेत्र बलूरघाट पश्चिम बंगाल में है। बलूरघाट दक्षिण दिनाजपुर का जिला मुख्यालय है। बलूरघाट एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है और इसकी आबादी 2 लाख से ज्यादा है लेकिन गत 25 वर्षों से यहां केवल एक एलपीजी गैस डिलरशिप है। वर्ष 2004 में नए एलपीजी डिलरशिप के आबंटन के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। वर्ष 2007 में नए डिलरशिप के लिए दूसरा विज्ञापन आया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए माननीय मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलूरघाट में एलपीजी आपूर्ति की अत्यन्त कमी है। मैं पुन: माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे एलपीजी की कमी की जांच करें और इस मामले में उचित कार्रवाई करें।

(सत्रह) केरल के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन का नवीकरण कार्य आरंभ कराए जाने की आवश्यकता।

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्दिष्ट): एर्नाकुलम रेलवे जंक्शन केरल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और नजदीक और दूर स्थित स्थानों से हजारों यात्री अपनी दैनिक यात्रा के लिए इस स्टेशन का उपयोग करते हैं क्योंकि कोचीन इस रेलवे स्टेशन के निकट स्थिति है। इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए समुचित प्रतीक्षालय और शौचालय जैसी पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। टिकट काउंटर इतना ज्यादा छोटा है कि सामान्यतया आम समय में भी यात्रियों के लिए पंक्ति में खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और व्यस्त कार्य समय के दौरान यहां बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और यह अस्वास्थ्यकर हो जाता है। क्योंकि इस स्थान पर वायु निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है तथा यात्रियों की भारी भीड़ के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

2002-2003 में एर्नाकुलम रेल यात्री संघ (एर्नाकुलम ट्रेन पैसेंजर्स एसोसिएशन) से मिले एक ज्ञापन पर तत्कालीन रेल मंत्री ने इस स्टेशन का पुनरुद्धार करने का आदेश दिया तथा इस स्टेशन के पुनरुद्धार के लिए एर्नाकुलम जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और समिति ने इस स्टेशन के लिए प्लान तैयार किया परंतु उसके बाद अब तक ठोस कुछ नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष इस संघ ने एक बार पुन: माननीय रेल मंत्री तथा माननीय रेल राज्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसके परिणामस्वरूप, जुलाई, 2009 के अंतरिम रेल बजट में यह घोषणा की गई थी कि एर्नाकुलम रेलवे जंक्शन को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा। परंतु पता चला है कि इसके लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई। रेलवे बजट 2010-11 से पहले मैंने पुनरुद्धार के मामले पर माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित किया और पुन: इस वर्ष के रेल बजट में भी उक्त स्टेशन के पुनरुद्धार के बारे में उल्लेख किया गया था।

अतएव, मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ किया जाए।

अपराह्न 2.02 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2007-08

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद सं. 14 पर कार्य करेगी।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय मामला है। आप जब चाहे अपना मुद्दा उठा सकते हैं *...(व्यवधान)*। सरकार मौन नहीं है। आपकी बात सब सुन रहे हैं। कोई आपकी बात अनसुनी नहीं कर सकता। परंतु यह एक वित्तीय मामला है *...(व्यवधान)*

माननीय सदस्यों से मेरा सादर निवेदन है कि हम अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य), 2007-08 को बिना चर्चा पारित करने का निर्णय ले चुके हैं। मैं विपक्ष के नेता तथा अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं का आभारी हूं कि वे अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) को बिना चर्चा पारित करने को सहमत हो गए हैं। यह एक संवैधानिक आवश्यकता भी है और बीएसी ने भी इसकी सिफारिश की है। अतएव, जैसा कि सुझाव दिया गया है, मैं अध्यक्ष पीठ की अनुमति से विनियोजन विधेयक पेश कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप यदि अनुमति दें तो मैं इसे प्रस्तुत कर दूं *...(व्यवधान)*

मैं इस पर विचार करूंगा और आपको कल बताऊंगा *...(व्यवधान)* पहले मैं इसे देख लूं। मैं आपको पूरा-पूरा आश्वासन नहीं दे सकता। मैं देखूंगा कि आपने किन-किन बिन्दुओं को उठाया है। मैं अपने साथियों के साथ उन पर विचार करूंगा। उसके बाद, मैं कल उनके उत्तर दूंगा *...(व्यवधान)* पहले मुझे उसे देखने दीजिए। मैंने आपकी बाता सुन ली है। पहले मुझे दस्तावेजों की जांच तो कर लेने दें, अपने साथियों के साथ परामर्श करने दें। सरकार के पास निर्णय लेने की एक प्रणाली है। संसद में वक्तव्य देना आसान बात नहीं है। इसलिए पहले मैं इसको देखूंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं 2007-08 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर मतदान कराऊंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाई गई अतिरिक्त मांग सं. 22, 39, 59 और 95 के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई वर्ष 2007-08 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य)

मांग की संख्या एवं शीर्षक		सभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई मांग राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
22	रक्षा सेवाएं-थल सेना	71,18,78,075	...
39	पेंशन	98,23,60,536	...
59	श्रम तथा रोजगार मंत्रालय	...	1,79,64,968
95	चंडीगढ़	4,77,412	...
	जोड़	169,47,16,023	1,79,64,968

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 2.05 बजे

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद सं. 15 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-2, दिनांक 28.4.10 में प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

"कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाला विधयेक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुरस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को विचारार्थ लेगी।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक को खण्ड वार विचारार्थ लेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: अगली मद वित्त विधेयक पर विचार करना है ...*(व्यवधान)* मेरी आपसे सादर अपील है कि कृपया अपनी सीटों पर चले जाइए। यह वित्त विधेयक है ...*(व्यवधान)* 543 सदस्यों की सभा में से केवल दस ही ऐसे सदस्य हैं जो सभा का कार्य अवरुद्ध कर रहे हैं। यह वित्त विधेयक है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. तम्बिदुरई, आप कल पुन: एक सूचना दें। माननीय अध्यक्ष कल समुचित निर्णय लेंगी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बार पुन: अपने साथियों से अपील है कि वे अपनी सीटों पर वापिस चले जाएं क्योंकि यह इस सत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। हम वित्त विधेयक पर चर्चा करने वाले हैं और कुछेक माननीय सदस्य मेरे और विपक्ष के सदस्यों के बीच खड़े होकर कार्य बाधित कर रहे हैं। यह सही नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे वापिस अपनी सीटों पर चले जाएं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

आईपीएल में अनियमितताओं और कदाचार तथा राजनीतिक नेताओं के कथित फोन टेप किए जाने की जांच करने हेतु संयुक्त समिति की मांग के बारे में

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, यह बेहद गंभीर मुद्दा है। यह वह मुद्दा है जो आईपीएल से भी जुड़ा हुआ

है। ऐसी फोन टैपिंग हुई है जो दर्शाती है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी भी हुई है और इसलिए हम अपनी पुरानी मांग पर ही लौट रहे हैं कि आईपीएल तथा सभी संबंधित मामलों की जांच जेपीसी बनाई जानी जरूरी है ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि सरकार इसका उत्तर दे। हमने प्रधानमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का नोटिस दिया है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर सभा से बाहर बोला है। अब सभा के नेता जवाब जरूर दें और बताएं कि जेपीसी बनाने की हमारी मांग पर सरकार का जवाब क्या है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है। आईपीएल के संबंध में जेपीसी बनाने का प्रश्न भी पहले उठाया गया है। मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और सभा को सूचित करेगी। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इसी वक्तव्य में मैंने कहा था कि सभा चल रही है और सभा चलती रहेगी। परंतु चूंकि हमारे पास कुछ समयबद्ध कार्य हैं जो हमें नियत समय पर ही पूरा करना होगा और यह वित्तीय कार्य हैं जो हर स्थिति में पूरा करना ही होगा। माननीय सदस्यों के सहयोग से अभी तक हम केवल एक ही मद का कार्य पूरा कर पाए हैं। मैंने विपक्ष के नेता तथा अन्य नेताओं से बात की है कि मुझे आशा है कि कल शाम तक हम वित्त विधेयक पारित करके बजटीय प्रक्रिया का तीसरा चरण भी पूरा कर लेंगे।

उसके बाद निश्चित रूप से हम उन सब मुद्दों का समाधान करेंगे जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है जिसमें आईपीएल का मुद्दा और आज उठाया गया मुद्दा भी शामिल है और इस संबंध में मैं सभा को बताऊंगा कि सरकार इस दिशा में क्या समुचित कदम उठाएगी। मैं सभा से भाग नहीं रहा हूं। सभा 7 मई तक चलेगी। अभी समय है। आप थोड़ा सब्र रखिए और वित्तीय कार्य होने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष जी, नेता सदन ने जो फाइनेंस बिल को पारित करने की बात कही है, मैंने सदन के बाहर भी उन्हें आश्वस्त किया और मैं सदन के अन्दर भी खड़ी होकर उन्हें आश्वस्त करती हूं कि किसी भी वित्तीय कार्य में बाधक नहीं बनेंगे। वित्त बिल पारित होगा और कल ही पारित होगा, हम परसों तक नहीं ले जाएंगे। अगर शाम को भी देर रात तक बैठना होगा तो हम बैठेंगे, लेकिन वित्त विधेयक पारित करेंगे। वित्त विधेयक पारित करना केवल सरकार की नहीं, विपक्ष की भी बराबर की जिम्मेदारी है और हम अपनी भूमिका को निभाएंगे।

जो सवाल यशवन्त सिन्हा जी ने उठाया, मैं केवल उसके बारे में जानना चाह रही हूं कि नेता सदन ने मेरे द्वारा उठाई गई मांग पर उस दिन भी यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि हम आपकी बात को कन्सीडर कर रहे हैं और मैं आपकी भावनाओं से प्रधानमंत्री को अवगत करा दूंगा, जब मैंने आई.पी.एल. पर जे. पी.सी की मांग की थी। आपने यह प्रतिक्रिया दी थी और मैं बैठ गई थी, लेकिन हमें दुख इस बात का हुआ कि प्रधानमंत्री ने बजाय सदन में कहने के बाहर हमारी मांग को खारिज किया, इसलिए हमारे लोगों की तरफ से प्रिवलेज दिया गया है। मैं यह कह रही हूं कि आप फिर कह रहे हैं कि हम कन्सीडर करेंगे। हम केवल यह जानना चाह रहे हैं कि कंसीड्रेशन के बाद आप मानें या नकारें, यह आपका अधिकार है, आपके प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष मांग कर सकता है, हम नकार सकते हैं, बिल्कुल नकार सकते हैं, मगर सदन के भीतर नकारिये, सदन के बाहर नहीं।

इसलिए मेरा आपसे महज़ यह कहना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। आप फिर टोका-टोकी क्यों कर रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मेरा नेता सदन से विनम्र अनुरोध यह है कि आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं और इस सदन के ही नहीं, इस समय की पूरी संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, इसलिए आपको यह मालूम है कि जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो प्रधानमंत्री का पहला दायित्व सदन के प्रति होता है, बाहर नहीं। जो मांग सदन के अंदर उठायी गयी, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठायी गयी और नेता सदन द्वारा प्रतिक्रिया करके यह कहा गया कि मैं प्रधानमंत्री जी को भावनाओं से अवगत करा दूंगा, उसका जवाब मुझे अखबार में पढ़ने को क्यों मिला, सदन के अंदर क्यों नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री सदन में आएंगे और हमारी बात का जवाब देंगे? यह हमारा आपसे प्रश्न है। वित्त विधेयक पारित होगा, आप इसकी चिंता मत करिए। इसे हम सब बैठकर पारित करायेंगे। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए, तब तो यह पास भी नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि फोन टेपिंग, आईपीएल और करप्शन ये जुड़े हुए सवाल हैं। जब फोन टेपिंग का सवाल उठा, तो नेता सदन ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे और उसके बीच में चेयर ने कहा कि सारे अपोजीशन को बुलाने के बाद ही इसका जवाब दिया जाएगा। चिदंबरम साहब,

होम मिनिस्टर खड़े हुए और उन्होंने पूरा बयान पढ़ दिया। ...*(व्यवधान)* वे खड़े हुए और उन्होंने बयान दे दिया। मैं इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि आपके कहे अनुसार हम बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने बात पढ़ दी और उनकी बात देश में चली गयी। हम इस पर कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी पार्टी को लक्ष्य बनाकर नहीं कहना चाहते या किसी पक्ष के अनुसार नहीं कहना चाहते हैं। ये सारी इंटरलिंक्ड हैं। एक नए तरीके से जो टेप हुआ, उसमें जो अंतिम टेप है, उसका आईपीएल से भी संबंध है। इसलिए मेरा कहना है कि जो टेपिंग मामला है, उस पर भी, क्योंकि वह आइसोलेटिड मामला नहीं है, मिला हुआ मामला है, सदन में उसको उठाने का मौका हमको मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब हो गया। इसे बहस का विषय मत बनाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने बोल दिया है। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि तीन या चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें आईपीएल मुद्दा, उसके बाद मीडिया में छाया रहा फोन टैपिंग का मुद्दा और माननीय गृह मंत्री द्वारा फोन टैपिंग पर दिया गया वक्तव्य शामिल हैं, पर हमें विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करने का अवसर मिलेगा। सरकार उसके बाद यह तय करेगी कि वह क्या रवैया अपनाएगी और उसके बाद या तो मैं स्वयं अथवा प्रधानमंत्री सभा में आकर सभा को सूचित करेंगे। परंतु यह इस सभा में कल वित्तीय कार्य पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।

अपराह्न 2.18 बजे

वित्त विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: हम अब मद सं. 17 को विचारार्थ लेंगे। माननीय वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता** हूं:

> "कि वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

सामान्य प्रथा यह है कि वित्त विधेयक, बजट को सदन में प्रस्तुत करने के तत्काल बाद रखा जाता है। वित्त विधेयक 26 फरवरी, फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया गया था। आज जब मैं इस सदन में बोल रहा हूं, अप्रैल माह समाप्त होने को है और इस बीच कुछ नई घटनाएं घटित हुई हैं। मैं वित्त विधेयक पर इस चर्चा में भाग लेने वाले सदन के सदस्यों को सुनने के बाद उन पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन अब मैं इस अन्तराल के दौरान उस घटनाक्रम की मुख्य बातों पर प्रकाश डालूंगा।

इस माननीय सभा के विचारार्थ मेरे द्वारा वित्त विधेयक 2010 के प्रस्तुत किए जाने के साथ ही मैं गत कुछ महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हुए सकारात्मक घटनाक्रम के बारे में मैं प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था में बेहतरी जो वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही में आरम्भ हुई, के परिणामस्वरूप 2009-10 के पूरे वर्ष के लिए वृद्धि की दर जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम आकलन में दर्शाया गया है 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है।

भारत के वृद्धि प्रक्षेप में ऊपर की ओर प्रगति खपत में सशक्त वृद्धि द्वारा समर्थित है। आरबीआई द्वारा कार्यान्वित मौद्रिक उपायों के साथ वित्तीय प्रोत्साहनों के सकारात्मक प्रभाव ने निवेश और निजी व्यय को पुनः प्रेरित कर आर्थिक विकास को सुकर बनाया है।

वर्ष 2010-11 के बजट में मैंने प्रोत्साहन उपायों को आंशिक रूप से वापस लेना आरम्भ किया था और सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे के साथ वित्तीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया पुनः आरम्भ हुई। मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण 2010-11 में एक कार्य योजना दर्शाई गई है जिसके अनुसार वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 34.8 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में यह और कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.1 प्रतिशत रह जाएगा।

सम्भवत: पहली बार तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की परिकल्पनानुसार सरकारी ऋण के स्तर को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर और वर्ष 2010-11 के बजट में की गई घोषणा से

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II खण्ड-2, दिनांक 28.4.10 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

वित्तीय सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया को एक सतत ऋण ढांचे में बनाए रखने में मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था का सर्वाधित चिन्तित करने वाला पहलू मुद्रास्फीति है जो पूरे सदन और सदन के बाहर लोगों को आन्दोलित करता है। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ताओं से सहमत हूं।

वर्ष 2009 का आरम्भ अप्रैल 2009 में 1.3 प्रतिशत के कम थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े के साथ आरम्भ हुआ जो जून, जुलाई और अगस्त 2009 में घटकर नकारात्मक हो गया। सितम्बर 2009 में थोक मूल्य सूचकांक सकारात्मक हो गया और तत्पश्चात इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें निरन्तर वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है। स्पष्टत: मुद्रास्फीति का वर्तमान स्तर बढ़ा हुआ है और ज्यादा व्यापक है और मार्च 2010 में थोक मूल्य सूचकांक दो अंकों से कुछ ही कम 9.9 प्रतिशत पर था। ज्यादा चिन्ता का विषय दो अंकों की खाद्य मुद्रास्फीति है। दिसम्बर 2009 तक देखी गई खाद्य मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी कठिनाइयों विशेषकर प्रतिकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण है। वर्ष 2009-10 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम आकलन के अनुसार कुल 216.85 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है जो कि गत वर्ष के दूसरे अग्रिम आकलन से लगभग पांच प्रतिशत कम है।

वर्तमान मूल्य स्थिति के बारे में सरकार काफी चिन्तित है। हमने आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता में सुधार और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अनेक अल्पावधि और मध्यावधि उपाय किए हैं। इनमें चावल, गेहूं, दाल, कच्ची खाद्य तेल और चीनी के आयात शुल्क को कम करके शून्य करना, खुले सामान्य लाइसेन्स के अंतर्गत शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति देना, आयातित कच्ची चीनी और सफेद/शोधित चीनी के लिए लेवी को समाप्त करना; गैर बासमती चावल, खाद्य तेल और दालों के निर्यात पर रोक लगाना और धान, चावल, दाल, चीनी और खाद्य तिलहनों के मामले में स्टाक सीमा आदेश लगाना शामिल है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए 15 मार्च, 2010 को मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का एक कोर ग्रुप गठित किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, निर्धन परिवारों के हितों की रक्षा के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गत मूल्य को वर्ष 2002 के स्तरों पर स्थिर रखा गया है।

हमारे पास जन वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक है। दिनांक 15/4/2010 की स्थिति के अनुसार आरएमएस 2009-10 में 25.4 मिलियन टन गेहूं और 25.9 मिलियन टन चावल का खरीफ बाजार मौसम 2009-10 में अर्थात अक्तूबर से सितम्बर तक, प्रापण किया गया था। गेहूं का केन्द्रीय पूल स्टाक दिनांक 1/3/2010 को 183.88 लाख टन के उच्च स्तर पर और चावल का भंडार 269.50 लाख टन था।

दालों के मामले में घरेलू उत्पादन में कमी को ज्यादा आयात कर पूरा किया गया है। जन वितरण प्रणाली को काफी समर्थन दिया गया है। दालों और खाद्य तेल के लिए सरकार पीडीएस और उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए क्रमश: 10 रु. प्रति किलोग्राम और 15 रु. प्रति किलोग्राम की राजसहायता वहन कर रही है। मुख्य मंत्रियों और केंन्द्रीय मंत्रियों के विशेष समूह की पहली बैठक 8 अप्रैल, 2010 को हुई। विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के तीन कार्य समूह गठित किए गए थे जो अब कृषि उत्पादन, उपभोक्ता मामले और खाद्य और जन वितरण पर अनुशंसाएं तैयार करने में संलग्न है। प्रतिवेदन मध्य जून 2010 तक आने की संभावना है।

खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि में गिरावट के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। दिसम्बर 2009 में 20 प्रतिशत से अधिक की खाद्य पदार्थों की चरम मूल्य वृद्धि मार्च 2010 में कम होकर 17.7 प्रतिशत रह गई है। अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें जो जनवरी 2010 में चरम पर 23.8 प्रतिशत थीं, भी मार्च 2010 में घटकर 19.8 प्रतिशत हो गई हैं। आशा की जाती है कि आने वाले महीनों में यह गिरावट निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

आर्थिक दृष्टि से भी हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 20 अप्रैल के नीति संबंधी हाल ही के विवरण में कुछ कदम उठाए हैं जिन्हें मूल्य वृद्धि संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए भा. रि.बैं. द्वारा क्रमिक रूप से बेहतर बनाया गया है। पुन: खरीद दर (रेपो रेट) 5 प्रतिशत से बढ़कर 5.25 प्रतिशत हो गई है और रिवर्स रेपो रेट 3.50 प्रतिशत से बढ़कर 3.75 प्रतिशत हो गया है। सीआरआर भी 5.75 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गया है। आशा है कि इन उपायों से मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशा नियंत्रित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब विकास संभावनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जहां मानसून के कारण कृषि क्षेत्र में आई गिरावट खाद्यान्न और खाद्य पदार्थों के मूल्य के संबंध में चिंता का विषय है वहीं हाल के महीनों में भारतीय उद्योग द्वारा की गई प्रभावी प्रगति खुशी की बात है। अप्रैल-फरवरी 2009-10 में अप्रैल-फरवरी 2008-2009 के तीन प्रतिशत की तुलना में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-फरवरी 2009-10 के दौरान विनिर्माण और खनन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और विद्युत क्षेत्र में 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई।

गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के अतिरिक्त उद्योग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति हुई है। अप्रैल-फरवरी 2009-10 में मध्यवर्ती वस्तुओं में 13.7 प्रतिशत और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 25.5 प्रतिशत की सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई। पूर्व वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं में समुचित वृद्धि होने के साथ-साथ अप्रैल-फरवरी 2009-10 में इनमें 18.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि निवेश में बढ़ोतरी का सूचक है।

मैं सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्सेज कोड) तथा वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से व्यापक कर सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध है। मुझे माननीय सदस्यों को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड) के संबंध में पहले प्रारूप में संशोधन हेतु स्टेकहोल्डरों से विचार-विमर्श लगभग पूरा हो चुका है। आशा है कि हम अगले माह तक संशोधित चर्चा पत्र जनता के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। कुछ प्रमुख स्टेकहोल्डरों के साथ शीघ्र परामर्श करने के पश्चात संभावना है कि हम प्रारूप विधान को मानसून सत्र में संसद में प्रस्तुत कर देंगे।

मैंने 1 अप्रैल 2011 से देश में जीएसटी को लागू करने की इच्छा व्यक्त कर दी है। केन्द्र सरकार जीएसटी डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत समिति के संपर्क में है। कुछ राज्यों को आशंका है कि उन्हें जीएसटी के आरंभिक वर्षों में राजस्व की कुछ हानि हो सकती है। केन्द्र सरकार राज्यों को इन प्रारंभिक वर्षों के लिए मुआवजा देने को तैयार है बशर्ते कि केन्द्र और राज्यों के बीच माल और सेवाओं के लिए सामान्य उच्चतम सीमा हेतु व्यापक स्तर पर एक करार हो, केन्द्र और राज्यों के मध्य सामान्य छूट संबंधी सूची हो तथा समग्र जीएसटी दरों में विचलन को नियंत्रित करने और स्वीकार्य स्तर का तंत्र हो। यह मुआवजा कैसा होगा तथा किस प्रकार दिया जाएगा इस पर निर्णय राज्य सरकारों तथा प्राधिकृत समिति के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा और मुझे आशा है कि विभिन्न दलों के मेरे सहयोगी जिनकी विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं, इसमें समर्थन और सहयोग देंगे क्योंकि ये सबसे अधिक प्रभावी कर संबंधी सुधार होंगे जिनसे कि हम जीएसटी का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर सकते हैं। अतः इस क्षेत्र में सदन के प्रत्येक सदस्य का सहयोग नितान्त आवश्यक है।

मुझे विश्वास है कि हमें आप सभी का सहयोग मिलेगा।

उपाध्य महोदय, इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर मुझे लगता है कि वर्ष 2010-11 के अंत में हाल की अवधि में अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन से कई कारक सामने आए हैं जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रगति के मद्देनजर निवेश तथा निजी खपत मांग में कुछ सुधार हुआ है यद्यपि मांग संबंधी विकास में 2008 से पूर्व वाली गति अभी प्राप्त नहीं हुई है। पूंजी प्रवाह और व्यापार संबंधी प्रवृत्तियों में सुधार से अनुकूल पूंजीगत बाजार दशाओं का होना भी उत्साहजनक है। कारपोरेट आय और लाभों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।

यह दृष्टिकोण इस तथ्य से और मजबूत हो जाता है कि इस वर्ष सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की गई है और मैं आशा करता हूं कि यह भविष्यवाणी सही साबित हो।

इन संकेतों और इस बात को देखते हुए कि 2009-10 में कृषि क्षेत्र काफी पिछड़ गया था और धीरे-धीरे लक्षित पथ की ओर अग्रसर हो रहा है, वर्ष 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 8.5 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है और 2011-12 में यह 9 प्रतिशत से भी आगे बढ़ जाएगा।

26 फरवरी, 2010 को बजट प्रस्तुत करने के बाद से हमें व्यापार और उद्योग जगत तथा इस सम्मानीय सभा में बैठे मेरे साथियों से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं। कुछ ने विद्यमान प्रस्तावों में अशोधनों की इच्छा व्यक्त की है तो अन्य ने नई राहतें देने का आग्रह किया है। इस सत्र के पहले चरण में बजट पर आम चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा भी कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए गए थे। मैं आशा करता हूं कि अभी होने वाली चर्चा में कुछ और सुझाव भी प्राप्त होंगे। मैं, जैसा प्रक्रियानुसार होता है, अपने उत्तर में उन राहतों जो हम प्रदान करना चाहते हैं, विधेयक में आशयति संशोधनों तथा चर्चा में उठाए गए मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक, 2010 को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

"कि वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदय, संविधान के अनुच्छेद 110 और 112 के अंतर्गत जैसा हमारी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह हमारा उत्तरदायित्व है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के साथ ही हमारा सहयोग भी है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो फाइनेंस बिल पर मतदान कराकर सरकार को गिरा सकता है, लेकिन हमारी प्रतिपक्ष की नेता ने इसे जिम्मेदारी माना है और हम इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक की बातों पर आने से पहले मैंने अपने मन में कुछ और सोचा था, मगर अब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक सामने रखने से पहले कुछ आंकड़े दिए और सारी बातें सदन के सामने रखीं, मैंने उनको सुना। मैं उनके एक शब्द से अपनी बात को, अपने वक्तव्य, अर्थशास्त्र का कहीं से प्राप्त किया हुआ अपना थोड़ा सा ज्ञान और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टैक्स रिफार्म से बहुत फायदा होने वाला है और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण टैक्स रिफार्म से होगा। मैं उसी टैक्स रिफार्म पर ही अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है? हम सबकी प्राथमिकता है कि इस देश का आम आदमी खुशहाल हो। देश की आजादी के 62 साल बाद, प्रजातंत्र आने के बाद भी आज उसकी क्या स्थिति है, यह हम सब जानते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की बात और अन्य स्रोतों की बात कही। आपने अपने बजट में सरकार की मंशा को व्यक्त किया था। मैं कहना चाहता हूं कि हम सबकी भी वही मंशा है कि देश की आम जनता खुशहाल हो। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में पेज नम्बर 29 के पैराग्राफ 188 में आपने हमारे सामने महत्त्वपूर्ण बात को रखा है। उनसें क्या ऐसी बात लिखी है, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जिसका बार-बार जिक्र करके आप चुनावों में जाते हैं और जीतते हैं। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वर्ष 2010-2011 के बजट भाषण में पैराग्राफ 188 को कोट करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"यह बजट आम आदमी के लिए है।"

[हिन्दी]

यह बजट आम आदमी के लिए है।

[अनुवाद]

"यह खेतिहर किसान, उद्यमी और निवेशक के लिए है। इसमें काफी अवसर हैं।"

[हिन्दी]

काफी लम्बा पैराग्राफ है, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि पिछले दो-तीन दिनों से मुझे गले में तकलीफ है। हम सब मानते हैं कि हमारा मेन थ्रस्ट आम आदमी है। ...*(व्यवधान)* लाल सिंह जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। आज देश में आम आदमी की क्या स्थिति है, वह शायद सरकार को मालूम नहीं है। कल हमने कोशिश की कि आम आदमी से, किसानों से जुड़े हुए मामलों को, समस्याओं को लेकर यहां आए और कटमोशन्स के जरिए उसे उठाया। हमने उस मामले को यहां रखने का काम किया, जिससे देश की 90 प्रतिशत से ज्यादा जनता जुड़ी हुई है। इसलिए हम कल सदन में कटौती प्रस्ताव के जरिए आम आदमी की बात करने आए थे। लालू जी, वैसे मुझे आपका नाम नहीं लेना चाहिए, पता नहीं सरकार के प्रभाव में या सीबीआई के दबाव में आपने और कुछ अन्य साथियों ने गरीबों के प्रति अपनी निष्ठा बदल दी, जिसके फलस्वरूप कल यह सरकार बच गई, वरना आम आदमी की, बात जो हम कर रहे थे, वह देश के कोने-कोने में जाती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों को बढ़ाने के सम्बन्ध में हमने कटौती प्रस्ताव दिया था। अगर उस पर हम सब एक हो जाते तो किसान भी खुशहाल होता ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): ऐसा नहीं है, हमने सरकार को 15 दिन का समय दिया है कि इस दौरान वह महंगाई कम करे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी आप बैठ जाएं।

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का और विशेषकर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): आपने मेरा नाम लिया इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां तो आप कल सरकार गिराने आए थे, वहां झारखंड में आपकी सरकार गिर गई है।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): जनता के हित के सवाल पर हम एक सरकार नहीं, हजारों सरकारें कुर्बान कर देंगे।

श्री हरिन पाठक: उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की भावना व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* मैं वही कह रहा हूं, कल रात से आप तकलीफ में हैं, लेकिन अब मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आप मेरे परम मित्र हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं।

मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि आपने टैक्स रिफॉर्म्स की बात कही है। बजट में उसकी चर्चा हुई। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं।

लेकिन मैं कहूंगा कि आम जनता से जुड़ा हुआ, लगातार 7 बार चुनाव जीतकर, संसद में आने वाला मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं। मेरे पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुझे भी संस्कृत पढ़ने का मौका मिला। मैं चाहता था कि यहां पुस्तकें लेकर आता और चाणाक्य के एक-एक नीतिसूत्र, कौटल्य के अर्थशास्त्र और

विष्णुगुप्त के धर्मशास्त्र का, तीनों शास्त्रों का यहां उल्लेख कर सकता, लेकिन फिर मेरे बाकी मुद्दे रह जाते। यह जो आपने टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है, कृपया करके यह जो आपने पिलर बनाया है, यह आम आदमी के लिए नहीं है, वह पैसे वालों के लिए है, उस पिलर को उल्टा कर दो, तभी फायदा होगा। अभी स्थिति क्या है? जो 8 लाख से ऊपर कमाएगा यानी जिसकी आय 8 लाख रुपया है, सबसे ज्यादा फायदा उसे होगा। अस्सी हजार कमाने वाले को 51,500 रुपये का फायदा होगा। इसे 51,500 रुपये का फायदा होगा। इस 51,500 रुपये का मतलब हुआ 45,00 रुपया मासिक। अब जो आदमी अस्सी हजार रुपया प्रतिमाह कमाता है, उसे 45,00 रुपया मिले या नहीं मिले उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। पांच लाख वाले को 20 हजार रुपये का फायदा है और जो सबसे कम 12 हजार, 15 हजार, 16 हजार कमाने वाले हैं... *(व्यवधान)* 90 करोड़ लोगों की स्थिति आज दयनीय है। उनको आपने सबसे कम फायदा करवाया है। चाणक्य का कहना यह है कि पैसे वालों से ज्यादा लो और गरीब को ज्यादा दो और गरीब से ज्यादा मत लो। एक लाख साठ हजार से तीन लाख रुपया कमाने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, छोटे कोरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी, जिनकी 15 हजार, 16 हजार रुपये आय है। एक लाख साठ हजार से तीन लाख कमाने वाले को कोई फायदा नहीं है, आम आदमी इसमें आता है। पांच लाख रुपया कमाने वाले कर्मचारी को मैं आम आदमी नहीं कहता हूं। जिसकी मासिक आय 50 हजार है मेरी पार्टी उसे आम आदमी नहीं मानती है, 8 लाख कमाने वाले को आम आदमी नहीं मानती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं करबद्ध प्रार्थना करके यह जानना चाहता हूं कि तीन करोड़ 80 लाख जो टैक्स पयेर हैं, उनमें से 8 लाख से ऊपर कमाने वाले कितने हैं...*(व्यवधान)* ये जो हमारे मध्यम और गरीब वर्ग के सामान्य नागरिक हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है कि अगर आप आईएएस और वर्ल्ड बैंक के पंजे से निकलोगे और आम आदमी की बात सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि हमने ज्यादा रियायतें, ज्यादा राहत छोटे आदमी को देनी चाहिए, जिसे उसकी जरूरत है।

आप लिमिट बढ़ा दीजिए, लिमिट बढ़ जाएगी क्योंकि छोटे आदमी पैसे वालों में भी नहीं गिने जाते, मध्यम श्रेणी में भी नहीं गिने जाते हैं। गुजरात भवन में काम करने वाला जिसकी मासिक आमदनी 15 हजार है।

वह एक लाख साठ हजार से तीन लाख के बीच आ गया। उसके तीन बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ठीक नहीं रहता है, उसकी दवाई करनी है, स्कूल भी भेजना है। अभी उसे दस परसेन्ट तो देना पड़ेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कीजिए। सदन के सभी माननीय सांसद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस पिलर को आप उल्टा कर दीजिए, इसका यही एक सॉल्यूशन है। पैसे वालों को अगर 4500 के बदले पांच सौ का फायदा होगा तो चलेगा। मगर जो बिल्कुल गरीब है, उसे हजार, बारह सौ के बदले टैक्स में ज्यादा रियायत दीजिए। आप सीनियर सिटीजन भूल गये पश्चिमी अनुकरण के कारण वृद्धाश्रम खुलते रहेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए वही दो लाख चालीस हजार हैं। क्या उन पर महंगाई का असर नहीं होता? सीनियर सिटीजन के ऊपर अमरीका की पूरी सरकार बनती है। बहनों के लिए हम यहां संसद में इतनी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उन्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आम आदमी को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, सीनियर सिटीजन्स की समाज में आज जो स्थिति बनी है, हमारे लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारी पार्टी सही कहती है कि देश में आज जो पश्चिमी अनुकरण आया है, उसके कारण संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं, आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थाएं बनने जा रही हैं। उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि इस टैक्स स्ट्रक्चर पर आप दोबारा सोचिये, जिसके कारण काम आदमी परेशान है। गरीब की बात तो बहुत हो चुकी है, मैं उस पर और नहीं बोलूंगा, देश में आज गरीबों की क्या स्थिति है, वह सभी जानते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री हरिन पाठकः यदि मैं गरीबों की चिंता नहीं करता तो मैं सात बार संसद में नहीं आता। आप क्या जानते हो, मेरे क्षेत्र में गरीब रहते हैं। मैं अहमदाबाद के उस इलाके का और किसानों को प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां गरीब बसते हैं। मैं कोई पैसे वालों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप क्या करोगे गरीबों की चिंता, मैंने एक गरीब शिक्षक के बेटे के नाते गरीबी देखी है। ...*(व्यवधान)* मैंने गरीबों को पढ़ाया हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप आसन की तरफ देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री हरिन पाठकः आप पहली बार चुनाव जीतकर आये हो और गरीबों की बात करते हो। मैं आप सबकी बात करता हूं। आप गरीबों की बात कहिये।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया आपस में टोका-टाकी न करें।

श्री हरिन पाठक: मैंने कोई आखेप नहीं लगाया, मैंने बीस सालों में कोई असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया। मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूं, जो हमारे मन में है, आपने भी कहा है कि गरीब के बारे में सोचें, मध्यम वर्ग के बारे में सोचें और इस पिरामिड में थोड़ा का चेंज करके, बदलाव करके उसकी लिमिट बढ़ा दीजिए तो बढ़ती हुई महंगाई में उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। यही मुख्य बात मुझे आपसे कहनी है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हमने बजट में...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहे, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलियेगा।

श्री हरिन पाठक: मैं चार-पांच मुद्दों पर ही बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य आप इधर देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री हरिन पाठक: ये मजाक में लेते हैं। मैं उन गरीबों की बात करना चाहता हूं...*(व्यवधान)* नहीं होगा तो मैं चुप बैठूंगा। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है और न कोई एकसी बात कही है, जिससे किसी को कोई दुख पहुंचे। यदि कोई अच्छे सुझाव देता है, आपको वह भी पसंद नहीं है। मैं गरीबों के लिए सुझाव दे रहा हूं। मैंने सरकार के खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। मैं तो केवल गरीब की बात करता हूं। क्या मुझे गरीब की बात करने का अधिकार नहीं है?

उपाध्यक्ष जी, मेरा दूसरा मुद्दा फाईनेस बिल पर हाऊसिंग सेक्टर के बारे में है। जो टेक्नीकल मुद्दा था, वह मैंने कह दिया है। अब फाईनेंस बिल की यह जो लाल किताब है उसमें वित्त विधेयक, 2010 के उपबंधों की व्याख्या संबंधी ज्ञापन है। मुझे फाईनेंस बिल पर बोलना है, कोई भाषण नहीं करना है। बजट और वित्त विधेयक में अंतर है। मैं वित्त विधेयक पर बोल रहा हूं। जो टेक्नीकल्स पाइंट्स आयेंगे, मैं उन्हें रखना चाहूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं हाऊसिंग सेक्टर की तरफ फाईनेंस मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने फाईनेंस बिल के पेज 21 पर II पाईप-5 पर कहा है कि दस लाख तक का जो लोन होगा, उसपर एक परसेंट इंटरैस्ट माफ होगा। जहां तक मैं समझाता हूं और मैंने देखा है कि आज तक 10 से 20 लाख तक के लोन पर 10 परसेंट टैक्स लगेगा। जो आदमी 20 लाख का घर बनायेगा और अगर वह दस लाख लोन लेगा तो एक परसेंट के हिसाब से उसे केवल दस हजार रुपये का फायदा होगा। आज तक क्या होता था? जब वह मकान बनाया था तो धीरे-धीरे वह किश्त देता था लेकिन अब बीस लाख के लोन पर, जहां तक मेरा ज्ञान है, आप सही हो सकते हैं और जो लिखा है कि जो मकान बनायेगा, उसका दो तिहाई अभी तक आपके बजट में रिलीफ में आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन जो एक तिहाई बचा है उस पर 3.40 प्रतिशत टैक्स लगेगा और वह टैक्स होगा 66,666 रुपये। आपने दस हजार रुपये का फायदा करवाया लेकिन उससे लिया 66,666 रुपये। उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा जो अभी तक नहीं था। वित्त मंत्री ने कहा है कि हाऊसिंग सेक्टर में तीन हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलेगा 25 नई सर्विसेज डाली हैं जिन पर सर्विस टैक्स डाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि उन पर रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से नहीं होता है। उसे आप अगले साल से लीजिये। जो आपने लिखा है कि नई 25 सर्विसेज हैं जिनमें 5 नई हैं। उन पर रैट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से टैक्स नहीं होना चाहिये। जैसा आपने कहा कि अगर कोई किराये पर मकान लेगा या जो अपना घर किराये पर देगा और अगर उसका किराया आयेगा तो वह दस लाख से ज्यादा आयेगा और उस पर टैक्स लगेगा। वह भी रिट्रोस्पैक्टिवली लगेगा। अब किरायेदार भाग गया, किरायेदार चला गया, वह किरायेदार कब का निकल गया है, कैसे रिट्रोस्पैक्टिवली, किससे पैसा लोगे? आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है,

> ''दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट निर्णय दिया है कि संपत्ति किराए पर देना किसी प्रकार की सेवा नहीं है।''

अगर आप किसी को घर किराये पर देते हो, यह कोई सर्विस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हाई कोर्ट को अंदाज करके धीरे से पीछे से दरवाजे से इसे डाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है इसलिए हम डाल देते हैं कि नहीं, मकान किराये पर दोगे तो उसके पैसे पर भी टैक्स लगेगा। यह रिट्रोस्पैक्टिव जो आपने डाला है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उस पर विचार कीजिए। जो मुझे सबसे बड़ी बात कहनी है, वह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की है। यह थोड़ा आगे तक की बात मैं सदन के सामने गंभीरतापूर्वक रखना चाहूंगा। वित्त विधेयक, 2010 के उपबंधों की व्याख्या संबंधी ज्ञापन सामने गंभीरतापूर्वक रखना चाहूंगा। पेज 21.3, अगर कोई भी संस्था किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग और कोचिंग चलाती है, हमारे देश में कोई सरकार देश नहीं चलाती है? सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, कोई संस्था अगर ट्रेनिंग, रिसर्च और ऐसे अन्य काम कम पैसे में गरीबों के लिए करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उसमें आगे गलती से एक शब्द उन लोगों ने लिख दिया है। वह शब्द क्या है? वह शब्द है– हां या नहीं। अगर मानों वह प्रोफिट करती है या नहीं करती है, प्रोफिट करती है तो तब भी कुछ समझ में आता है, अगर वह संस्था प्रोफिट नहीं करती है, तब भी उस पर टैक्स लगेगा, यह समझ से परे है। हमारा देश गांधी जी के सिद्धांतों पर आज भी चलता है। अनेकों-अनेक लोग इस सदन में बैठे

हैं, जिसके पास दो पैसे हैं, वही सब संभाल करके इस देश की 107 करोड़ की जनता को, 11 लाख करोड़ के बजट से अगर देश ठीक होने वाला होता तो 6 साल हो गये हैं, इस देश में कब से खुशियां आ जातीं। अभी भी 90 करोड़ लोग, हमें पता नहीं है कि कितने गरीब हैं? एन.सी.सक्सेना कोई और रिपोर्ट देते हैं, तेंदुलकर जी कोई रिपोर्ट देते हैं, मंत्रालय कोई और रिपोर्ट देता है, अभी बताया गया कि 50 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये जो संस्थाएं हैं, मेरा यही नम्र निवेदन है कि

[अनुवाद]

हां या नहीं, नहीं।

[हिन्दी]

अगर कोई प्रोफिट नहीं करता है तो उससे टैक्स लेने का क्या मतलब? वे संस्थाएं चलाते हैं। अगर प्रोफिट करता है तो आप टैक्स लीजिए। आप उसके सारे चौपड़े देखिए, आप उसकी किताबें देखिए, बुक्स ऑफ एकाउंट देखिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने इसमें भी 11.07.2003 से रिट्रोस्पैक्टिव किया है। यह रिट्रोस्पैक्टिव मेरी समझ में नहीं आता है, मैं एक विद्यार्थी हूं। क्या आपकी समझ में आता है? तीन साल पहले, छह साल पहले का टैक्स वसूल करो। यह पूरा सदन गुमराह हो रहा है, कहीं न कहीं आपको भी अधिकारीगण गुमराह कर रहे हैं। हमारी वित्तीयं परम्पराओं को, इस सदन की गरिमा को चोट पहुंचती है। हम ऐसा कोई कदम न उठायें, जिसके कारण पिछले वर्षों में यदि हमें कोई फायदा मिलने वाला हो, उसका इस बार हम प्रस्ताव करें। पहली बार सदन में मेरे कुछ मित्र मौजूद नहीं होंगे, आदरणीय चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, मैं भाषण सुन रहा था, कैश टैक्स नकद प्रत्याहरण डाला। यानी आप अपने पैसों का टैक्स, यूपीए सरकार के उस समय के वित्त मंत्री ने, आप खुद के पैसे, एक नम्बर के पैसे, वेतन के मिले हुए पैसे, जिस पर आपने टैक्स भरा है, उसे अगर आप बैंक में रखकर विदड्रो करोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सदन शांति से सुन रहा था, लेकिन मैंने शोर मचाया मैंने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है?

अपराह्न 3.00 बजे

दुनिया के किसी भी देश में मेरे खुद के 50 हजार या लाख रुपये बैंक में पड़े हैं और यदि उसमें से मैं तीस हजार रुपये निकालता हूं तो मुझे टैक्स क्यों देना होगा? जबकि मैं तो टैक्स दे चुका हूं। आपने उस बात को माना और चुनाव में फायदा उठाने के लिए प्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से दे दिया कि वर्ष 2010-11 से कैश विड्रा पर टैक्स को विड्रा करता हूं। कहीं आप प्रोस्पैक्टिव करते हो, लेकिन लूटना है तो रेट्रोस्पैक्टिव करते हो।

महोदय, आपने 60 लाख रुपये के ऊपर आपने लिमिटिड लायबिलीट टैक्स लगा दिया है। मैं गुजरात से आता हूं, जहां अधिकतर व्यापारी लोग हैं। ऐसा करने से कोई भी 60 लाख रुपये से ऊपर कोई भी कम्पनी नहीं बनाएगा। ज्यादातर लिमिटेड कम्पनियों में प्राइवेट पार्टनरशिप होती हैं। वह अपने परिवार के तीन लोगों की ही प्राइवेट कम्पनी बना देगा। आपका जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। इन तीन-चार मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए, सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पिस रहा है। आपका बजट आम आदमी के खिलाफ है। आपका बजट किसानों के खिलाफ है। आपका बजट इस देश की 90 करोड़ से ज्यादा जनता के खिलाफ है। आपकी आर्थिक सोच केवल राजनीति के लिए है, मतदाता की सोच है। वोट कैसे मिले?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया शांत रहिए।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): ...*(व्यवधान)* वह केवल कारपोरेट की बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठकः मैंने 20 मिनट ही बोला है। आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। मैंने आम आदमी के बारे में 25 मिनट तक बोला लेकिन उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री हरिन पाठक की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठकः आठ लाख रुपये कमाने वाला कौन है, आम आदमी है? मैंने कारपोरेट सैक्टर का विरोध किया, मैंने पैसे वालों का विरोध किया। मैंने आम आदमी की तरफदारी की, लेकिन आप उसका विरोध करते थे।...*(व्यवधान)* आपने मुझे टोका। मैं तो कहता हूं कि आठ लाख रुपये वालों के लिए टैक्स कम मत करो, छूट मत दो।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: महोदय, मुझे यही कहना है कि आम आदमी के नाम पर यह सरकार वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में चुनाव जीत के आई लेकिन आम आदमी ही महंगाई में पिस रहा है। आप इनफ्लेशन की बात करते हैं। मुझे फिगर्स में नहीं जाना है। पहली बार देश के अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया कि इनफ्लेशन बढ़ता है, तब भी महंगाई बढ़ती है और इनफ्लेशन माइनस होता है तब भी महंगाइ बढ़ती है। मैं नहीं मानता हूं कि विश्व के किसी देश में ऐसा होता होगा। इसके लिए हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन हम पीठ थपथपाते हैं, मुद्रास्फीति चार प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत हो गई है। जीरो पर्सेंट था, तब भी महंगाई बढ़ रही थी। पूरे देश के लोग महंगाई से मर रहे थे। इन आंकड़ों पर मत जाइए, नब्ज़ पकड़िए। गरीबों और मध्यम वर्ग जनता की नब्ज़ पकड़िए, वे क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से इस देश का बजट बनाना चाहिए, उसी के हिसाब से फाइनेंस बिल में आपको जो रियायतें देनी हैं, वह दीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हरिन पाठक का पूरा भाषण सुनने के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हरिन भाई जी ने मूल तौर पर टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में अपनी शिकायत रखी है और यह एक ऐसी चीज है कि जिस पर जितना विवाद करना चाहें, कर सकते हैं। किसे टैक्स रेट में रखना है और किसे नहीं रखना है, यह अपने आप में एक अर्से से विवाद का विषय रहा है। इस पर समय-समय पर सुधार भी होता रहा है। मैं एकक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो इनकम टैक्स के संदर्भ में बातें कहीं, कभी एक समय था जब सिर्फ पच्चास हजार रुपए तक की जो कमाई थी, वहां एक एग्ज़म्प्शन था और वह बढ़ते-बढ़ते आज एक लाख आठ हजार तक हो गया है। प्रणब बाबू के इस बजट में...*(व्यवधान)* हर सरकार ने थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया है, आपने ही सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। यह एक रेग्युलर, नियमित प्रक्रिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि समय-समय पर टैक्स एग्ज़म्प्शन की व्यवस्था होती रहती है, स्लेब चैंज होते रहते हैं। आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने सन् 2010 के विधेयक में जो व्यवस्था की है, स्लेब समझना भी आवश्यक है। एक लाख साठ हजार की कमाई करने वाले लोगों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, यह निर्णय लिया है और उसके बाद आठ लाख की कमाई करने वाला जो व्यक्ति होगा, उससे तीस परसैंट का टैक्स लिया जाएगा, लेकिन एक लाख साठ हजार से लेकर तीन लाख के बीच में कमाई करने वाले जो लोग हैं, उनसे दस परसैंट से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपने यह बात सही कही कि जो बड़ा वर्ग है, उसकी कमाई डेढ़ लाख से तीन लाख के बीच ही है, उसके ऊपर वित्त मंत्री जी ने सबसे कम बर्डन दिया है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और यह सबसे कम बोझ है।...*(व्यवधान)* हरिन भाई, आप मेरे बहुत प्रिय पुराने मित्र हैं, कृपया आप धैर्य रखें।

अपराह्न 3.08 बजे

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सरदीना पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि 18-20 महीनों के बीच पूरी दुनिया की तरह यह देश भी एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा, जब दुनिया की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियां परेशान और तबाह हो गई, जब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया, तब हमारे देश में जो ग्रोथ मोमेंटम था, उसे हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने कहीं से भी खंडित नहीं होने दिया। इसलिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पिछले एक साल में एक सफलता की कहानी लिखी है, ग्रेट सक्सेस स्टोरी है और ग्रेट सक्सेस स्टोरी इस संदर्भ में है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 2.5 हो गया और यू.के. का जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस 4.8 हो गया।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए और जो आप चाहें, वही मैं बोलूं, ऐसा नहीं है। मुझे जो पसन्द है, वह मैं बोलूंगा। आप मुझे बोलने दीजिए। बोलने में एक प्रवाह होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: हां, मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और इस देश की अर्थव्यवस्था बनी रही। यह बताना जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि यू.पी.ए.-2 ने कितना अच्छा काम किया।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: श्री संजय निरुपम, किसी अन्य को संबोधित मत कीजिए। कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: थैंक्यू चेयरमैन साहब।

मैं यह कहना चाह रहा था कि पिछले 18 महीनों में दुनिया की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियों की जो अर्थव्यवस्था थी, वह लड़खड़ा गई। अगर किसी की अर्थव्यवस्था बची रही, लड़खड़ाई नहीं, तो वह हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था थी और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे पूरा हक है और पूरे देश की जवाबदारी बनती है कि अपने वित्त मंत्री महोदय को हम बधाई दें और साधुवाद दें।

मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वर्ष 2009 में अमेरिका का जी.डी.पी. ग्रोथ -2.5 हो गया, यू.के. का जी.डी.पी. ग्रोथ-4.8 हो गया, जापान, जो दुनियां की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थी, उसका जी.डी.पी. ग्रोथ रेट-5.3 हो गया, चायना जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनोमी मानी जाती थी, उसका जी.डी.पी. ग्रोथ, 10.00 से घटकर 8 पाइंट समथिंग हो गया। ऐसे में हिन्दुस्तान का जो जी.डी.पी. ग्रोथ रेट था, वह 5.6 पर टिका रहा, निगेटिव ग्रोथ रेट नहीं हुआ और इसके लिए अगर कोई जवाबदार है, तो भारत सरकार के अपने प्रयास, स्टीमुलस पैकेज और तमाम तरह की सुधारू आर्थिक नीतियां हैं। यह इस सरकार का एक चमत्कार है। यह वर्ष 2009 की बात है। अगर वर्ष 2010 में देखें, तो आज अमेरिका का जी.डी.पी. ग्रोथ रेट सिर्फ 2.7 है, यू.के. का जी.डी.पी. ग्रोथ रेट सिर्फ 1.3 है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री लालू जी, मैं आपको बाद में समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: श्री सैयद शाहनवाज हुसैन आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मैं जानता हूं कि जी.डी. पी. ग्रोथ रेट की बात सुनते ही...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सहयोग करें। कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा हूं कि पिछले एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, इससे किसी ने इंकार नहीं किया। इसी सत्र में, छुट्टियों से पहले इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। उसके कारणों को पहचानते हुए, उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी हो रहा है और उन प्रयत्नों का हमें कुछ फायदा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार चिन्तित नहीं है। कल 13 पार्टियों का भारत बन्द का आह्वान था। भारत बन्द बड़ा सफल रहा, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री संजय निरुपमः सभापति जी, मेरे कहने का आशय यह है कि आर्थिक मंदी और जिस प्रकार का मौसम का वातावरण रहा, पिछले एक-डेढ़ साल में मानसून का जिस प्रकार का वातावरण रहा, उससे बहुत कुछ अपने कंट्रोल के बाहर था, नियंत्रण के बाहर था, लेकिन सरकार ने अपने प्रयासों के जरिये पूरी व्यवस्था को बिखरने। नहीं दिया, संभालकर रखा। हमारा जो फूड प्रोडक्शन था, वह भी थोड़ा कम पड़ा। उसके बाद उसको इम्पोर्ट किया गया। अभी प्रणव बाबू ने बताया कि बहुत सारे जो खाद्यान्न हैं, उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको हमने कम किया है, ताकि हमारे यहां जो माल बाहर से आये, वह सस्ता पड़े, रीज़नेबल प्राइस पर आये, ताकि आम आदमी उसको एफोर्ड कर सके, आम आदमी उसे खरीद सके। यह सरकार की तरफ से चिन्ता हो रही है। आपकी भी चिन्ता है और आपकी चिन्ता से हम और भी चिन्तित होते हैं और निश्चित तौर पर उस दिशा में और भी प्रयास करते हैं।

मैं जो कहना चाह रहा हूं, उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच यह देश जब इतने संकट के दौर से गुजर रहा था, तब हम एक सफलता की कहानी धीरे-धीरे लिखने में लगे थे। आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दें, जहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो या सर्विस सैक्टर के अलग-अलग सेक्टर्स हों। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रयास जारी हैं। पर कैपिटा इन्कम की अगर हम बात करें, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा सर्वे इस देश में आया है, जिसमें कहा गया है कि इस देश के 78 परसेंट लोगों की रोज की कमाई सिर्फ 20 रुपये है। यह सरासर गलत है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्री संजय निरुपम के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री संजय निरुपम आप अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपमः अगर स्कोर सेटल करना है तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कोई अगर अपने सीने पर हाथ रखकर बताये कि क्या इस देश में 78 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनकी कमाई 20 रुपये भी नहीं है? मैं इस चीज को नहीं मानता। हमारे देश में लोगों की कमाई बढ़ी है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया पीठ को संबोधित करें। अन्य कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप बाद में बोलिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया पीठ के साथ सहयोग करें।

श्री हुसैन, आप हर समय व्यवधान डाल रहे हैं। आप अपनी बारी आने पर बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप अपने भाषण में बिन्दुओं का खण्डन कर सकते हैं। कृपया अपनी बारी आने पर ही किसी बात का खण्डन करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए। अन्यथा अव्यवस्था फैल जाती है। श्री शरद यादव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री शरद यादवः सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अर्जुन सेनगुप्ता, जो आपने कहा, उनके सैम्पल सर्वे के बारे में अभी पाठक जी बोल रहे थे। तीन तरह के आंकड़े हैं। नेता सदन ने भी यह बात कही है और इस मामले में उन्होंने प्लानिंग कमीशन से कहा है कि सब तरह से ठीक बात पता लगाई जाये।

मैं आपसे कहूंगा कि यह आंकड़ा हमारा नहीं है। अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी सरकार की कमेटी थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान में पचहत्तर से अस्सी फीसदी लोग ऐसे हैं, बीस तो एवरेज हैं, उसने तो और भी कम बताया।...*(व्यवधान)* महोदय, हम नहीं टोकते, लेकिन वह गलत बोल रहे हैं, सरकार ने जो कमेटी बनायी, ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिन पाठक: लोग मिट्टी खा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, हमारे देश में लोग गरीब हैं, इस बात को मैं भी जानता हूं। लेकिन...*(व्यवधान)* प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात ही कहूंगा। आपकी बात नहीं कह सकता।...*(व्यवधान)* सभापति जी, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर रहा है कि इस देश में गरीबी है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग भी हैं। समय-समय पर इससे संबंधित आंकड़े सामने आते रहे हैं। उन आंकड़ों के ऊपर विवाद भी होता रहा है। एक जमाना था जब 36 पर्सेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन थे। बाद में 26 ...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): नेशनल सर्वे की रिपोर्ट को क्या आप गलत मानते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री संजय निरुपम के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: कभी 36 प्रतिशत लोग देश में बीपीएल की श्रेणी में थे, उसके बाद 26 प्रतिशत हुए और उसके बाद 25 प्रतिशत हुए। पिछले दस वर्षों में एक करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह इस देश की यूपीए सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ये भी आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा था कि चाहे कोई सेन गुप्ता कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री संजय निरुपम के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। यह मुद्दा इस सभा में कई बार उठाया गया है। मैंने स्वयं इस ओर इंगित किया है कि आंकड़ों के निर्धारण हेतु निकाय विशेष को दी गई संदर्भ शर्तें भिन्न-भिन्न हैं। वे प्रत्येक समिति के लिए अलग हैं। अतः, जैसा कि शरदजी ने बताया है, वर्तमान में आंकड़ों के तीन सेट हैं और हमने योजना आयोग से इस मामले को देखने के लिए तथा उन आंकड़ों को निकालने के लिए कहा है जो सभी को स्वीकार्य हों। यह प्रक्रिया आज की नहीं है बल्कि 1951 के पहले दिन से विद्यमान है। ऐसे आंकड़े तब से हैं। अतः, हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। योजना आयोग समायोजन कर लेगा और अंतिम आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। उसके आधार पर केन्द्रीय आबंटन, गाडगिल सूत्र आबंटन किया जाएगा और केन्द्रीय योजना सहायता दी जाएगी। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके आधार पर इस वर्ष के लिए भी आबंटन किया जा चुका है। लेकिन शायद इसमें संशोधन करना पड़े और यह कार्य किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, इस देश में कितने गरीब हैं, इसका अंतिम रुप से फैसला तो प्लानिंग कमीशन करेगा। मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अपनी बात कह रहा था। मेरा मन नहीं मानता है कि...*(व्यवधान)* प्लीज शरद जी, आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे कि मुझे क्या बोलना है?...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: चेयर तय करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम: आप नहीं तय करेंगे, चेयर तय करेंगे। ...*(व्यवधान)* आप नहीं कह सकते,...*(व्यवधान)* चेयर की परमीशन से मैं बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें। कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: क्या यह मुम्बई की सट्टा मार्किट है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया पीठ के साथ सहयोग करें। यह एक गंभीर मुद्दा है। कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): क्या ये नेता, सदन की बात भी नहीं मानेंगे? यह क्या बात हुई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री संजय निरुपम, आप कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब सभी ऐसा करने लगे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: मैं बुनियादी तौर पर सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि कहीं न कहीं मेरा, मेरे देश का, मेरे देश की चिन्ता करने वाले तमाम लोगों का अपमान है यह कहना कि इस देश में 78 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 20 रुपये भी नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं इस चीज को नहीं मानता।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: इन्हें हटाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री संजय निरुपम, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। अन्य किसी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में शिष्टाचार बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, संपूर्ण कार्यवाही का टेलीविजन पर प्रसारण हो रहा है और पूरा राष्ट्र आप सभी को देख रहा है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: मैं अब दूसरे विषय पर आता हूं। ...*(व्यवधान)* दूसरा विषय महत्त्वपूर्ण है कि पिछले छह वर्षों में यूपीए-1 यूपीए-2, अगर तमाम बजट को देखा जाए तो पहली बार हमारे बजट में आम आदमी को एजैंडे पर लाया गया है। ...*(व्यवधान)* पिछले छ: वर्षों में सोशल सैक्टर में जो खर्च किया गया, वह अलग और इस बजट में प्रणब बाबू ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। हैल्थ सेक्टर में 25,154 करोड़ रुपये एनआरएचएम (नेशनल रूरल हैल्थ मिशन) में 15,723 करोड़ रुपये...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: आप अपनी बात कहिए, वे अपनी बात कहेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया पीठ के साथ सहयोग करें। कृपया शिष्टाचार बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: हैल्थ सेक्टर के बाद मैं एजुकेशन सेक्टर की बात बताना चाहता हूं। मैं बहुत फख्र के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि जब विकास की योजनाओं का संदर्भ आया, तो यूपीए सरकार ने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया, बल्कि एनडीए के जमाने की दो फ्लैगशिप योजनाएं–एक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा सर्व शिक्षा अभियान थीं, उन दोनों योजनाओं को यूपीए सरकार ने कंटीन्यू किया, क्योंकि यह कहीं न कहीं यह आम आदमी के हित की बात थी। सवाल राजनीति का नहीं है।...*(व्यवधान)* सवाल राजनीतिक भेदभाव का नहीं है। आम आदमी का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, पिछड़े इलाकों का विकास होना चाहिए?, यह एक बड़ी चिंता थी। उसी बड़ी चिंता के तहत जिस तरीके से इस साल के बजट में हैल्थ सेक्टर में इतना बड़ा एलोकेशन किया, बिल्कुल उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में हमने 49,904 करोड़ रुपये का एलॉटमैंट दिया।...*(व्यवधान)* यह बिल्कुल कमाल है, क्योंकि यह छह गुणा है। पिछले पांच-छह वर्षों का देखेंगे, तो एजुकेशन सेक्टर का बजट छह गुणा तो जाता है। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान पर 15 हजार करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। फूड सब्सिडी को बढ़ाकर 55,578 करोड़ रुपये किया गया है। अब फूड सब्सिडी की सच्चाई मैं यहां रखना चाहूंगा। पिछले दिनों शरद पवार ने एक सवाल के जवाब में यहां बताया था कि इतना बड़ा अमाउंट, लगभग 50 हजार करोड़ रुपया हम फूड सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं। पीडीएस के जरिये जो गरीब आदमी है, उसे सस्ते भाव

पर खाद्यान्न मिले, इस चिंता के साथ 50 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन इस साल दिया जा रहा है। लाखों टन माल अलग-अलग राज्यों में भेजा जा रहा है, लेकिन राज्यों की क्या स्थिति है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वर्ष 2009-10 में टीपीडीएस के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए 476 लाख टन खाद्यान्न के आबंटन में से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने फरवरी, 2010 तक केवल 390 लाख टन खाद्यान्न ही लिया।

[हिन्दी]

मेरे कहने का आशय यह है कि केन्द्र सरकार की तरफ से गरीबों की चिंता रखते हुए बड़े पैमाने पर खाद्यान्न भेजा जा रहा है, लेकिन हमारी राज्य सरकारे उसे लिफ्ट भी नहीं कर पा रही हैं। ...*(व्यवधान)* यह इस साल की बात है। अगर आप कहें, तो पिछले वर्ष 2007-08 में अलग-अलग राज्यों की कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप इसका खंडन बाद में कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: वर्ष 2007-08 में गुजरात को ...*(व्यवधान)* 11 लाख टन माल भेजा गया, आवंटित किया गया और गुजरात की सक्षम सरकार ने सिर्फ 8 लाख टन माल उठाया।...*(व्यवधान)* वर्ष 2008-09 में गुजरात की सरकार, वह सक्षम सरकार है, आम आदमी का ख्याल रखने वाली सरकार...*(व्यवधान)* उसे दस लाख टन माल दिया गया, लेकिन सिर्फ साढ़े आठ लाख टन का माल उठाया गया।...*(व्यवधान)* तमाम राज्यों की स्थिति है।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, दुर्भाग्यवश बाकी राज्यों में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है।...*(व्यवधान)*

हम अपनी तरफ से लोगों की सेवा करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, फण्ड दे रहे हैं, खाद्यान्न भेज रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री संजय निरुपम के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकारों की जवाबदेही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा: वित्त विधेयक पर हो रही यह चर्चा बहुत ही गंभीर है। सभा इस बात से अवगत है कि बजट पर दो भागों में चर्चा की जाती है। सत्र के पूर्व भाग में बजट पर आम चर्चा पहले ही हो चुकी है। इस सत्र में आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। वित्त विधेयक भारत सरकार के कराधान प्रस्तावों से संबंधित है। अब यदि वे असंगत मुद्दे, विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दे उठाएंगे तो सभा में कोलाहल होना स्वाभाविक है।

मैं सभा के नेता से आग्रह करूंगा कि सदस्यों को अनुशासित करें ताकि वे लक्ष्मण रेखा पार न करें। इस चर्चा की एक लक्ष्मण रेखा है। वे इस गंभीर चर्चा को रास्ते से क्यों भटका रहे हैं? वह इस गंभीर चर्चा को रास्ते से भटका रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्होंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने केवल आंकड़े दिए हैं। श्री संजय निरुपम कृपया अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: महोदय, यशवंत बाबू ने बहुत बुनियादी सवाल रखा है, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम सर्व शिक्षा अभियान पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वह रुपया एजुकेशन सेश से आता है जिसका उल्लेख हमारे वित्त विधेयक में होता है। वह एक टैक्स प्रपोजल है और टैक्स रेवेन्यू लेकर हम स्टेट्स को देते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकारें उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं, तो उस पर चिंता जताने का मुझे पुरा हक है।...*(व्यवधान)* मैं लक्ष्मण रेखा बिल्कुल पार नहीं कर रहा हूं। झारखंड के माननीय सदस्य को इस बात को समझना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि सर्व शिक्षा अभयान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: किसने दिया है? यह जनता का पैसा है, देश का पैसा है और आप कहते हैं कि हमने दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम: आपने सही कहा है, यह टैक्सपेयर का पैसा है, टैक्सपेयर पर दो प्रतिशत सेश लगाकर हमने यह पैसा लिया है, उस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को एलिमेंटरी एजुकेशन देने की हमने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। यही मेरा कहने का आशय है। अगर यह कंट्रोवर्शियल है, तो

[अनुवाद]

मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु हमारे राज्य प्रशासन की वास्तविक स्थिति यही है। कृपया इसे स्वीकार करें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वर्ष 2007-08 में अनस्पेंट फण्ड 8728 करोड़ रुपए, जो राज्य सरकारों को खर्च करना था गरीब लोगों को एलीमेंटरी एजुकेशन देने के लिए और वे नहीं कर पाए। वर्ष 2008-09 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो पैसे भेजे गए, उनका पूरे साल उपयोग नहीं किया गया, आखिरी तीन-चार महीनों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन इनको लागू करने की जवाबदारी राज्य सरकारों की है। अगर केन्द्र की योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं, तो यह चिंता का विषय है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): आईपीएल पर टैक्स क्यों नहीं लगाया, उसके बारे में भी बताइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: राज्यों के हिसाब से अगर सर्व शिक्षा अभियान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 90 प्रतिशत से ज्यादा फण्ड खर्च किया।

लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ 57 प्रतिशत सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी फंड का ही इस्तेमाल कर पाई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ और सम्मिलित नहीं किया जाए। श्री संजय निरुपम अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)* *

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार को जो फंड दिया गया था पिछले साल, उसमें वह सिर्फ 42 प्रतिशत फंड का ही इस्तेमाल कर पाई और पूरे फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री संजय निरुपम कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैं आपको एक मिनट और दूंगा। मेरा अन्य सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मैं उन्हें अपनी बात समाप्त करने के लिए कह चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, बाकी सारी जो सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स की क्या स्थिति है और राज्यों में किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वह सारी डिटेल मैं सदन के पटल पर ले कर रहा हूं जिससे सारा सदन देख सके...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: सदन में ले कर देंगे तो सारा रिकार्ड हो जाएगा, इसमें हम तो नहीं जानते हैं कि यह क्या लिखकर लाए हैं और इसमें क्या गड़बड़ी है इसलिए यह सदन में ले नहीं होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, मैंने उन्हें यह सदन पर रखने की अनुमति नहीं दी है। श्री संजय निरुपम, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मैं दूसरे विषय पर आना चाहूंगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, चीजें ट्रैक पर आ रही हैं और उसका असर नौकरियों के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में किन-किन सेक्टर्स में कितनी-कितनी नौकरियां आ रही हैं, यह देखने से पता चल जाता है। मुझे याद है सन् 2008 के आखिरी तीन महीनों में आर्थिक मंदी के चलते साढ़े चार लाख नौकरियां चली गई थीं। लेकिन पिछले छह महीने में पिंक स्लिप का दौर नहीं चल रहा है। चाहे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल

सेक्टर हो या कंज्यूमर्स गुड्स का सेक्टर हो, मतलब यह है कि हर सेक्टर में उछाल आ रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्यों, कृपया सहयोग दें। श्री संजय निरुपम, कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैं आपको एक मिनट और दूंगा।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपमः सभापति जी, लालू जी, मुलायम जी, शरद यादव जी जैसे वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हैं। मैं आप लोगों की टोका-टोकी से त्रस्त होकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे शर्म आ रही है कि आप लोगों ने सहनशीलता नहीं है। आप अपनी कमियां सुनने को तैयार नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे। माननीय सदस्यों बैठ जाइए। श्री शैलेन्द्र कुमार आप अपना भाषण प्रारंभ करें।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपमः मैं एक बात को यहां रखना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* कभी आईपीएल की बात कहते हैं और कभी दूसरी कोई बात कहते हैं। मुझे इस प्रकार के शोर-शराबे और शोरगुल में अपनी बात नहीं रखनी है इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अतिरिक्त अनुदानों की मांग और विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, 2010 पर चर्चा का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों के सम्माननीय सदस्यों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, वे हमारे पुराने वित्त मंत्री रहे हैं। यह बात सच है कि बड़े गंभीर मुद्दे पर यहां सदन में चर्चा चल रही है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहां पर नॉन-सीरियस बातें हो रही हैं। देश के जिलों से लेकर नीचे तक देश आंकड़ों और कागजों पर चल रहा है। सुदूर गांवों में आप चले जाएं तो भारत की असली तस्वीर आपको दिखाई पड़ जाएगी। जिला नियोजन की बैठक, सतर्कता निगरानी की बैठक हम करते हैं तो अधिकारी आंकड़े और कागज दिखाता है लेकिन हकीकत उससे कुछ और होती है। केन्द्र कहता है कि प्रदेश को हमने इतना रुपया भेजा, लेकिन इतना ही खर्च किया, वह भी कागजों में। केन्द्र कहता है कि हमने इससे ज्यादा भेज दिया है तो वह भी खर्च होता है कागजों में, आंकड़ों में। आप गांव में जाएंगे तो आपको इस बात की हकीकत दिखाई पड़ेगी, वहां का असली स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां कुछ खर्च नहीं हुआ है। बड़े अफसोस की बात है।

कल आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बहुत महत्त्वपूर्ण बात कहीं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और दर्शाया कि यह बजट है। यह बात सच है कि जब बजट पेश हुआ तो सामान्य बजट पर, हर विषय पर हमने चर्चा की थी, आज हमें टैक्सेज पर, आंकड़ों पर चर्चा करने की जरूरत है। भाई हरिन पाठक जी ने चर्चा की, मैं सुन रहा था, वे हकीकत बयान रहे थे। एक मुद्दे पर यहां बड़ी चर्चा हुई, उसके लिए जो धन दिया जाता है वह बीपीएल के लिए दिया जाता है। आज बीपीएल की पूरे हिंदुस्तान में सही रिपोर्ट नहीं है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। सक्सेना कमेटी कुछ कहती है, अर्जुन सेन कमेटी कुछ कहती है, योजना आयोग की रिपोर्ट कुछ कहती है, तेंदुलकर रिपोर्ट कुछ कहती है और रूरल डिवेलपमेंट की रिपोर्ट कुछ कहती है। ऐसा लग रहा है कि इस बजट को आम आदमी का बजट तो कह दिया, लेकिन हम आम आदमी और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम सीरियस नहीं हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि देश में, जो रोज का कमाने-खाने वाला आदमी है, जो खेतिहर मजदूर है, जो गरीब है, जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, जो एक वक्त ही रोटी खा रहा है उसके लिए इसमें कुछ गंभीरता से किया जाए। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो जानवरों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मिट्टी खाकर, पत्ते खाकर, जंगली फल खाकर अपना जीवन-व्यतीत कर रहे हैं। जिनके सिर पर आशियाना नहीं वे घुमंतू बनकर घूम रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। यहां केवल आईपीएल की बात, आंकड़ों की बात, कागजों की बात ही हम सुन रहे हैं।

कल भारत बंद हुआ, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से बधाई मिली, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यह बात सत्य है कि आज पूरा हिंदुस्तान महंगाई की चपेट में है। यही कारण है कि कल योग सड़कों पर निकले-चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, वकील हो, सभी ने बंद का समर्थन किया। सबके अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हों, लेकिन आक्रोश सबके प्रति है। हमें आज इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

हमारे नेताजी ने यही बात कही थी कि जो गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मुसलमान हैं, उनकी स्थिति बहुत बदतर है, उनके

लिए आपने इस बजट में क्या प्रावधान किया है? आज बेरोजगारों की पूरी फौज है। पूरे हिन्दुस्तान में रोजगार दफ्तर का आंकड़ा लिया जाए तो करीब 58 लाख नौजवान प्रतिवर्ष वहां पंजीकरण करा रहे हैं। आज आई.टी. सेक्टर के साथ-साथ अन्य तमाम सेक्टरों में हमने बहुत विकास किया है। लेकिन बेरोजगारी हमारे देश से खत्म नहीं हो पा रही है। यह भी बड़ी सोचने की बात है।

सभापति महोदय, टैक्स रिफार्म्स की बात हो रही थी। लेकिन जो टैक्स की चोरी करने वाले बड़े-बड़े धनाढ़य लोग हैं; जिनके पास बेहिसाब पैसा है, जो टैक्सों की चोरी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? अब तक टैक्स की चोरी रोकने के लिए आपने क्या किया है? अभी आईपीएल की बात आई तो वहां इंकम टैक्स वाले पहुंच गये। इंकम टैक्स वाले कुछ घरानों के खिलाफ जांच करने पहुंच गये। इंकम टैक्स वाले कुछ घरानों के खिलाफ जांच करने पहुंच जाते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में टैक्स की चोरी इतने जबरदस्त तरीके से हो रही है कि अगर उस टैक्स की चोरी को हम पकड़ लें तो उस पैसे से हम गरीबों का उत्थान कर सकते हैं, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। देश में आवश्यक वस्तुओं के दामों में जो वृद्धि हुई है, इसके बारे में आज यहां चर्चा हो रही है। लेकिन कल समाचार पत्रों में देखा गया कि अरहर की दाल के दाम में फिर से आठ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। हमारे नेता जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यही कहा था कि किसानों के हितों को बारे में यदि सोचें तो आपने जो फाइनेन्स बिल पेश किया, उसमें डीजल के दाम बढ़ा दिये। जबकि आपको किसानों के हितों को देखते हुए डीजल के दाम कम करने चाहिए थे। जो अरहर की दाल के दाम बढ़े हैं, आप उसे कम करते। जो यूरिया तथा अन्य खादों के दाम बढ़े हैं, उन्हें आप कम करते तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ के लोग तालियां बजाकर इसका स्वागत करते। लेकिन हम लोग कागजों, आंकड़ों और केन्द्र द्वारा राज्यों को पैसे भेजने के बाद उन्हें दोषी ठहराने के अलावा अन्य कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं।

इसलिए महोदय मैं कहना चाहूंगा कि यह बहुत गंभीर बात है और इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी जब खड़े हुए थे और उन्होंने एप्रोपरिएशन बिल पेश किया तो वह मानसून के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि मानसून प्रतिकूल होगा तो खाद्यान्न की कमी होगी और यदि अनुकूल होगा तो हमारा भंडार भरा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भंडार भरा हुआ है तो आज देश के अंदर महंगाई क्यों हैं, आवश्यक वस्तुओं के दाम क्यों बढ़े हैं, इसका क्या कारण है? मैं समझता हूं कि हमें इस ओर भी सोचना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि आयात-निर्यात में कितना संतुलन है। क्या हमने इनकी तरफ कभी ध्यान दिया है।? केवल किसी चीज की कमी होती है तो उसे बाहर से मंगाइये और अपने देश में सप्लाई कीजिए। आज हमारे देश में इतना खाद्यान्न है, हम जब अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए जाते हैं, मैं हर शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र को दौरा करने के लिए जाता हूं। मैं क्षेत्र में जाकर देखता हूं कि वहां फसल की कटाई हो गई है और किसानों के पास गेहूं का भंडार हो गया है। लेकिन आज की तारीख में कहीं भी कांटे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ताकि किसान अपना गेहूं या धान कांटे पर ले जाकर बेच सके। उसकी फसल को साहूकार औने-पौने भाव पर ले जाता है। वह उन्हें बेचने के लिए मजबूर है। लेकिन हम यह व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल कागज और आंकड़ों की बातें यहां करते हैं।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा था कि देश का काला धन जो विदेशों में जमा है, हम उसे वापिस लाने का काम करेंगे और हम स्विस बैंक से वार्ता कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने इस बात की घोषणा की, उसके बाद आप चले जाइये और देखिये कि यदि स्विस बैंक में पैसा होगा तो मैं सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा। वहां से सब पैसा निकल चुका है। वह पूरा पैसा यहां आईपीएल में लग गया। आईपीएल पर यहां चर्चा हुई थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आईपीएल इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसमें देश और विदेश का सारा काला धन लगा था। हमने उस पर चर्चा नहीं की, उसे हमने गंभीरता से नहीं लिया। आज यही कारण है कि महंगाई बढ़ी है और गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। आज देश के अंदर यह स्थिति है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस आईपीएल का मुद्दा यहां उठना चाहिए था और उसके बारे में स्पष्ट फिगर्स यहां आनी चाहिए थी, वह हम सामने नहीं ला पाये। हमने उसी में टैपिंग का मामला घुसेड़ दिया और टैपिंग मामले के कारण आईपीएल दब गया। आज जरूरत इस बात की है कि विदेश में जो काला धन है, उसे देश में लाकर हमारे विकास की जो परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं, उनमें उस पैसे को लगाया जाए और जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उनके बीच में वह पैसा खर्चा करने की आवश्यकता है।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यहां खाद्यान्न की बात हो रही थी। आज भी अगर रेखा जाए तो आस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको या तमाम छोटे-छोटे ऐसे देश हों, जो खाद्य प्रसंस्करण है, चाहे फ्रूट का हो, चाहे सब्जियों का हो, वे 90-95 परसेंट करते हैं, आज हिन्दुस्तान में केवल हम दो परसेंट कर पा रहे हैं। न हमारे पास खाद्य के भंडार हैं, न फूड प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था है, हमें

इस ओर भी सोचना पड़ेगा। अगर हम 40-50 प्रतिशत फूड प्रोसेसिंग भी कर लें तो देश के अंदर महंगाई खत्म हो जायेगी, गरीबों को खाना मिल जायेगा। आज यह स्थिति है। मैं ज्यादा कुछ न कहकर यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे और भी सम्मानित सदस्य इस विषय पर बोलना चाहेंगे।

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, आज हम बहुत ही महत्त्वपूर्ण फाइनेंस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की स्थिति के बारे में इस हाऊस में बताया। उन्होंने अभी हमारे देश की इकोनॉमी की जो स्थिति है, उसके बारे में चर्चा की।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री बहुत वरिष्ठ सांसदविद् और देश के वरिष्ठ राजनेता हैं।

[हिन्दी]

यह बात उन्होंने इस जगह पर रखी है। एक बात यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि पिछली बार जब माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर बजट पेश किया था, उस समय हम लोगों ने देखा कि

[अनुवाद]

बजट आधारभूत कार्यनीति है। अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर राजकोष के घाटे को पूरा करने की कार्यनीति दोषपूर्ण है।

[हिन्दी]

यह जो हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया है, इनडायरेक्ट टैक्सेन बढ़ाने के बाद हमारे देश का जो गरीब आदमी है, हमारे देश का जो मध्यम वर्ग है, उसके ऊपर आपने ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया है। खासकर ये जो पैट्रो प्रोडक्ट्स हैं, जिसके लिए हम लोगों ने यहां पर बहुत सारी चर्चा की। आज टैक्सेशन के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोगों के तीन, चार बारे इस हाऊस में इसके बार में चर्चा की है। यह कोई बात नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ चर्चा करने का मौका मिल गया और इसीलिए हम चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा का सवाल यह है कि आज टैक्स किसके ऊपर ज्यादा है, किसके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा रहा है? पैट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन होने के बाद अगर हम इसका एनालॉसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि

[अनुवाद]

देश में खाद्य मुद्रास्फीति की दर तकरीबन 20 प्रतिशत है। वित्तीय घाटे के बजट का घाटा पूरा करने के लिए अप्रत्यक्ष करों पर इस प्रकार से निर्भर होना गरीबों पर बोझ डालने जैसा होगा। इससे गरीबों पर पूरा दबाव पड़ेगा।

दूसरे, मैं यहां यह कहना चाह रहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क बढ़ाकर राजस्व एकत्र करना देश की आम जनता के विरुद्ध ही होगा।

[हिन्दी]

संजय निरुपम जी हमारे मित्र हैं, पहले यहां ज्यादा टोकाटाकी चल रही थी। यह बात सही है कि सरकार जो बजट को देश के आम आदमी के लिए बता रही है, लेकिन बाहर जो चीज चल रही है, लेकिन आम आदमी के लिए बजट बताना एक चीज है, लेकिन बाहर जो चीज चल रही है, आज पूरा देश इसके बारे मे सोच रहा है कि टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है? पैट्रोलियम प्लानिंग एंड एनॉलासिस सेल, पैट्रोलियम मिनिस्ट्री का है, इसे हम लोगों ने मैन्युफैक्चर नहीं किया है। इसके एनालॉसिस के मुताबिक सेंटर ने उसे कितना एलोकेट किया है, 77000 करोड़ रुपया उन्होंने पैट्रोलियम प्रोडेक्ट से टैक्स लेवी के माफिक वर्ष 2008-09 में किया है। इन कॉटेस्ट सब्सिडीज़ के लिए और दूसरी जगह से 74 हजार करोड़ रुपया वर्ष 2008-09 में सब्सिडी के रूप में दिया है। इससे सरकार ने कलेक्शन कितना किया?

[अनुवाद]

इससे सरकार को निबल कितनी राशि अर्जित हुई है? यह 2,000 करोड़ रुपये से अधिक है, आम जनता से 2,000 करोड़ रुपये अधिक एकत्र करने की बात है। आम लोग बहुत ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाने से आम लोग सर्वाधिक गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग पर बहुत ज्यादा दबाव बन गया है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह तो हुई एक बात। दूसरे, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति की 12वीं रिपोर्ट से कारपोरेट सैक्टर से कर संग्रहण के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। आपको यह देखकर अचंभा होगा। माननीय वित्त मंत्री ने अपने विभाग के माध्यम से स्थायी समिति को यह आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। स्थायी समिति की टिप्पणियां क्या हैं? स्थायी समिति कारपोरेट आय कर संग्रहण के बारे में संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट कहती है:

"इस तथ्य से यह साफ है कि 2008-09 की तुलना में 2009-10 में कारपोरेट आय कर संग्रहण में केवल 13.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि आय कर संग्रहण में 0.41 प्रतिशत की कमी आई है।

इन्कम टैक्स फॉल कर गया जब दूसरे टैक्सिज़ में 63.6 प्रतिशत ज्यादा कलैक्शन हुई।

[अनुवाद]

यह 63.6 प्रतिशत था जिसके परिणामस्वरूप समग्र कर संग्रहण में 8.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

कोरेपोरेट टैक्स के कलैक्शन का जो टारगेट था, उसमें केवल 13.47 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

मैं अब छोड़े गए राजस्व संबंधी अन्य आंकड़ों पर आ रहा हूं। यह भी वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट से ही है। इसमें कहा गया है:

"वर्ष 2009-10 में कर रियायत के परिणामस्वरूप 5,02,299 करोड़ का राजस्व छोड़ना पड़ा जोकि इस वर्ष संग्रहित राजस्व का 79.54 प्रतिशत है। इसी में से कारपोरेट कर के रूप में 79,554 करोड़ रुपये छोड़ने पड़े तथा व्यक्तिगत आयकर राजस्व में 40,929 करोड़ रुपये का राजस्व छोड़ना पड़ा।

अपराह्न 4.02 बजे

[श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, यह सूचना वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में दी गई है और यह सूचना विभाग की ओर से दी गई है। दुख की बात तो यह है कि विभाग कारपोरेट सेक्टर से कर एकत्र नहीं कर पाया। इन करों को एकत्र न कर पाने के लिए विभाग उत्तरदायी है जो कि हमने बजट चर्चा के दौरान बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। अब यह बात हम संसद में बार-बार कह रहे हैं कि सरकार स्पष्ट नीति के चलते कारपोरेट कर एकत्र करने का प्रयास नहीं कर रही है और इसके विपरीत वे आम आदमियों के हाथों से धन बटोरने के लिए आम जनता पर दबाव बनाया जा रहा है। यह आर्थिक परिदृश्य है और अब पूरे देश का यही हाल है।

उस समय माननीय वित्त मंत्री आईआईपी विकास दर की बात कर रहे थे। सच्चाई क्या है? मैं उसी बिन्दु पर आ रहा हूं। अब इस पर चर्चा हो चुकी है और यह उल्लेख किया जा चुका है कि हम वैश्विक आर्थिक संकट से उबर रहे हैं यह कैसा परिदृश्य है?

[हिन्दी]

ग्लोबल रिसैशन से हम लोग कैसे निकलेंगे?

[अनुवाद]

यह तथ्य पर आधारित है।

[हिन्दी]

हमें सरकार के आंकड़े से आगे बढ़ना होगा।

जनवरी 2010 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स 17.6 प्रतिशत और फरवरी महीने में 15.1 प्रतिशत रहा। लेकिन सरकार को छिपी हुई बात को भी लोगों को बताना चाहिए।

[अनुवाद]

यह सही है कि आईआईपी विकास दर में उपभोक्ता डयूरेबल्स में 29.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता डयूरेबल्स का आशय आटोमोबाईल, फ्रिज, टीवी आदि से है। इसमें 29.9 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

कंज्यूमर नॉन डयूरेबल्स पर ज्यादा खर्च किया जाता है, इसमें खाना और छोटे हाउसहोल्ड्स आते हैं।

[अनुवाद]

यहां पर केवल 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यह गरीबों और अमीरों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। इस सरकार की कराधान नीतियों ने अमीर और गरीबों के बीच की खाई को बढ़ा दिया है। सरकार हमेशा से ही एक वर्ग विशेष स्नेह रखती आई है और वह वर्ग है कारपोरेट वर्ग। सरकार कारपोरेट क्षेत्र से धन नहीं ले रही है। इस संबंध में ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं जो वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त संबंधी स्थायी समिति को मुहैया कराए गए हैं।

अब मैं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) से जुड़े बिन्दु पर आ रहा हूं। वित्त मंत्रालय का इस पर क्या रुख है? यहां सरकार को कितना नुकसान सहना पड़ा? हमने वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से

आंकड़े एकत्र किए हैं जिसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों के कारण सरकार को अनुमानत: 48,887 करोड़ रुपये तथा प्रत्यक्ष करों के कारण सरकार को तकरीबन 57,531 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस प्रकार कुल 1,06,412 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस प्रकार कुल 1,06,412 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति होने का अनुमान है। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र पर बल देने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए वे कुछ रियायतें तथा अन्य लाभ भी दे रहे थे। उस समय यही हानि थी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में एक और नुकसान भी हुआ है। आपको यह जानकर विस्मय होगा कि सरकार 'सेज' के लिए कर शुल्क में छूट की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इस पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियां क्या हैं? उन्होंने बताया कि "यह सिफारिश की गई है कि वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग 'सेज' को कर शुल्क में छूट देने की वांछनीयता पर व्यापक समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन करेगा जो अन्य बातों के साथ-साथ लाभों की तुलना में कर शुल्क छूट की लागत का भी पता लगाएगा।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों आपके दल के अन्य वक्ता भी हैं अतएव कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बंस गोपाल चौधरी: जी महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महोदय, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है। हम संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना की मांग पहले ही कर चुके हैं। हमारे दल के नेता माननीय श्री बसुदेव आचार्य ने सदन में आईपीएल मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की मांग की थी। आईपीएल पूरे देश में चल रहा है, यह स्कैंडल चौंका देने वाली बात है, यह तो जुएबाजी, जो सरासर चल रही है। वित्त मंत्रालय द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में क्या है? उन्होंने स्पष्ट रूप से 21 महीने बाद कर जमा करने की अनुमति दी है। ऐसा किसके लिए किया जा रहा है? उन्होंने किसके हित में ऐसा करने की अनुमति दी है?

अतएव, महोदय मैं सरकार की इस राजस्व नीति का समर्थन नहीं कर सकता। कल लाखों लोगों ने सरकार की राजस्व नीति का विरोध किया था और आज मैं भी सरकार की नीति का पुरजोर विरोध करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, वित्त विधेयक 2010 -11 में भाग लेने की अनुमति के लिए धन्यवाद।

अनेक अवसरों पर, प्रधानमंत्री ने दो अंकों की वृद्धि प्राप्त करने की संभावना को उजागर किया है। दस प्रतिशत वृद्धि का सपना पूरा होना संभव नजर आता है। लेकिन इस आशावाद के लघुकालीक कारक कुछ ज्यादा हैं जैसे उच्चस्तरीय उपभोग से प्रेरित मांग और सरकारी व्यय। वे कारक जो वास्तव में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हैं, जैसे उच्चतर उत्पादकता अथवा कामगार हेतु उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकीय प्रगति, भारत के राडार में अभी भी कम हैं।

वित्त मंत्री ने स्वयं दो प्रमुख दायित्व लिए हैं-एक प्रत्यक्ष कर संहिता का कार्यान्वयन और दूसरा, माल और सेवा कर, दोनों। अप्रैल 2011 तक।

प्रारूप संहिता पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, और इस वर्ष के बजट में व्यक्तिगत कराधान में समायोजन से नई संहिता को कार्यान्वित करना अपेक्षाकृत आसान हो गया है। इनमें से, जीएसटी रोल आउट से राजस्व वसूली, कर संग्रहण की पारदर्शिता और प्रशासनिक लागत में कटौती में मूलत: परिवर्तन होगा। यह संभव है कि एक बार जीएसटी के अस्तित्व में आ जाने पर केन्द्र और राज्यों को काफी राजस्व लाभ होगा, और इससे व्यवस्था में राजस्व कमियों का पता चलेगा।

जीएसटी पर 13वें वित्त आयोग की सिफारिश से पता चलता है कि इसे उन लोगों ने किया है जिनके पास माल और सेवाएं कराधान और इसके कार्यान्वयन का कोई ज्ञान और अनुभव नहीं है। जीएसटी हेतु संस्वीकृत दरें, जो केन्द्र के लिए पांच प्रतिशत और राज्यों के लिए 7.5 प्रतिशत है, यथार्थपूर्ण नहीं है क्योंकि अब सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क 10 प्रतिशत है। जीएसटी में मदिरा उत्पाद शुल्क और पावर टैरिफ को सम्मिलित करने की सिफारिश भी यथार्थपूर्ण नहीं है।

स्वरोजगाररत व्यक्तियों और व्यापारियों की परिकल्पित आय को प्रत्यक्ष कर के दायरे में लाना निश्चित रूप से वैध बात है लेकिन इस दिशा में हुई शुरुआत बहुत ही धीमी थी। कर प्रणाली, विशेष रूप में से आय और सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष कर में प्रोत्साहनों और छूट राशि से इतना अधिक बिखराव हुआ है कि स्पष्टता कराधान की जो उच्च दरें हैं वे वास्तव में बिल्कुल कम दरें हैं चूंकि आय कर के मामले में नेशनल 30 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत से कम रहा है।

अस्सी के मध्य दशक में राजकोषीय नीति समायोजना से प्रयोजन प्रोत्साहन राशि मुहैया कराना था जिसके लिए ज्यादा काम करके अधिक अर्जन करके व्यक्तियों और कारपोरेटों को अर्थक्षय वर्ग कहा जाता है और इस प्रक्रिया में न केवल अधिक उपभोग करना होता है बल्कि बचत और निवेश भी अधिकाधिक करना होता है।

प्रत्यक्ष करों का प्रगतिशील ढांचा तैयार करना होता है, अप्रत्यक्ष करों को भी इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उसका प्रभाव उच्चवर्गीय उपभोग की वस्तुओं पर अधिक पड़े और मध्यवर्गीय उपभोग की वस्तुओं पर कम पड़े और आम लोगों की सर्वाधिक उपभोग वाली आवश्यक मदों को कर के दायरे में नहीं लाया जाए। अन्य प्रासंगिक मानक, एक निष्पक्ष और ठीक समाज के लिए भारत में आय का वितरण होना चाहिए।

सरकार ने एक टन कच्ची कपास पर 2500 रुपये का निर्यात शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है। यह गलत और अप्रासंगिक है। इस कार्य हेतु कोई वाणिज्यिक अथवा राजस्व औचित्य नजर नहीं आता है क्योंकि यह सीजन के समाप्त होने के समय आया है। लगभग 55 लाख कच्ची कपास की गांठों की खेप का निर्यात किया जा चुका है और 6000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। कपास निर्यात के लम्बित पंजीकृत करार अनुमानित 20 लाख गांठों की खेप का है। उनसे लगभग 75 करोड़ रुपये का निर्यात शुल्क प्राप्त होगा।

इससे स्पष्ट है कि इस समय निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय राजस्व विचार-विमर्श में सर्वोच्च नहीं होनी चाहिए। अब, देश में कपास की अधिकता है। दूसरी ओर, कपास आयात खुला है और शुल्क मुक्त है। निर्यात पर इस नए राजकोषीय भार से कपास उत्पादकों में नकारात्मक संदेश जा रहा है। एक ओर तो विभिन्न मंत्रालयों—कृषि, वाणिज्य, वित्त और वस्त्र मंत्रालयों में और दूसरी ओर विभिन्न पणधारियों में कपास निर्यात कर लगाने में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। जब 2008-09 में, सरकार ने कपास निर्यातकों के लिए पांच प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया था, तो अब आप उस काम में अड़चन क्यों लगा रहे हैं?

मैं इस संबंध में सरकार से उत्तर चाहता हूं। हमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी हुई है। बंगाल के मेरे मित्र ने इसके कुछ भाग के बारे में बताया था। लेकिन मैं कहूंगा कि प्रत्यक्ष राजस्व कर 2008-09 के 2,30,598 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-10 में 2,50,232 करोड़ रुपये हो गया है जो केवल 8.51 प्रतिशत की वृद्धि है। इस बढ़ोतरी में यह नोट करना और भी रुचिकर है कि अन्य करों का योगदान 63.6 प्रतिशत है जबकि कारपोरेट कर का योगदान केवल 13.47 प्रतिशत है और निजी आयकर वास्तव में शून्य अर्थात -0.41 प्रतिशत है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में बढ़ोतरी प्रतिशत 15 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। तथापि, इस देश में 8.45 लाख पंजीकृत सक्रिय कंपनियां हैं।

मुझे यह जानकर निराशा हुई है कि प्रगति के बावजूद कारपोरेट कर में कंपनियों की संख्या, मात्रा और लाभों में बढ़ोतरी के अनुकूल वृद्धि नहीं हो रही है। निजी आयकर के संबंध में दर्ज नकारात्मक वृद्धि की भी व्याख्या नहीं की जा सकती। जब कारपोरेट कंपनियों के वेतन में अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है तो निजी आयकर के आंकड़े ऋणात्मक क्यों हैं? यह क्या दर्शाता है? क्या यह सरकार के राजस्व संग्रहण का प्रवर्तन करने में लापरवाही को दर्शाता है? अथवा क्या यह अधिकार में कटौती के कारण है? मैं कर मूल्यांकन के संबंध में आयकर विभाग के कार्य-निष्पादन के बारे में जानना चाहता हूं तथा यह भी चाहता हूं कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी के संदर्भ में प्रवर्तन की समीक्षा की जाए।

राजकोष की कर छूट और कटौतियों से राजस्व की भारी हानि होती है जो 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह बताया गया है कि वर्ष 2009-10 के दौरान कारपोरेट आयकर के संबंध में छूट प्राप्त राजस्व बढ़कर 79,554 करोड़ रुपये हो गया जबकि निजी आयकर 40,929 करोड़ रुपये था। निर्यात संवर्धन योजनाओं इत्यादि में दिए गए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहनों अथवा कटौतियों के कारण छूट प्राप्त राशि 30,000 करोड़ रुपये और इससे अधिक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की राशि 2009-10 में 5,02,229 करोड़ रुपये है, जिसे नोट करके आश्चर्य होगा जो कुल संग्रहीत राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत है। इन छूटों में बढ़ोतरी हो रही है और इससे राजस्व वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता तैयार करते समय वित्त मंत्री जी को करों में कटौती और छूट संबंधी वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए जो लघु करदाताओं और वेतनभोगी वर्ग की कीमत पर स्पष्टतः कारपोरेट और बड़े करदाताओं के पक्ष में जाती हैं। इन छूटों में से अधिकांश अपने प्रयोजन में निष्फल हो चुकी हैं। आप छूट संबंधी कोई नीति तैयार क्यों नहीं करते? इससे छूट प्राप्त कर के प्रतिशत में काफी कमी आएगी और घरेलू बचतों को प्रोत्साहन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा की भावना आएगी और सामान्यतः लघुकरदाताओं के पक्ष में होगी।

वित्त विधेयक 2010 में न्यूनतम वैकल्पिक कर अर्थात एमएटी (मैट) की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करना प्रस्तावित है जिससे लोग क्षुब्ध हैं।

यह निश्चित तौर पर अधिक है। मेरा विश्वास है कि मैट की दर संतुलित होनी चाहिए जो 10 प्रतिशत है। जो कंपनियां भारी निवेश से विशेष श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत गठित औद्योगिक उपक्रमों से लाभ प्राप्त कर रही हैं और धारा 801 (क), 801 (ख) और 800 (1) (ग) इत्यादि के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं, वे इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। छूटें जो उनके

लाभ के लिए थीं वे 19.93 प्रतिशत की मैट दर और 20.06 प्रतिशत के प्रभावी कारपोरेट कर दर के मध्य सूक्ष्म अंतर के कारण निष्प्रभावी हो गए। मेरा सुझाव है कि इन कंपनियों के बही लाभ की गणना आयकर अधिनियम के अध्याय 6 (क) के अंतर्गत कटौती हेतु उपलब्ध राशि की कटौती करने के पश्चात की जाए और इसे कंपनी की सकल कुल आय के 70 प्रतिशत तक सीमित किया जाए।

धारा 80-1 ख (10) के अंतर्गत करावकाश केवल 31 मार्च 2008 से पहले अनुमोदित आवासीय परियोजनाओं के लिए है। विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय की आवासीय परियोजनाओं के लिए इस अंतिम तिथि को पांच वर्ष और बढ़ाया जाना चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत गृह संपत्ति से होने वाली 3 लाख रुपये तक की आय से 1.5 लाख रुपये की ब्याज कटौती सीमा को जोड़ा जाना चाहिए।

महोदय, सेवा कर भी अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें विचार-विमर्श करना चाहिए। 12 से अधिक मकानों वाले आवासीय परिसरों के निर्माण पर सेवाकर लगाया गया है और इससे निर्माण लागत बढ़ जाती है।

यह कर भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें आवासीय बंगलों का निर्माण शामिल नहीं है। आप वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के किराए पर सेवा कर क्यों लगा रहे हैं? इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसे स्वास्थ्य देखरेख, गैर-परम्परागत उर्जा परियोजनाओं और लाभ प्राप्त न करने वाली और धर्मार्थ संस्थाओं से प्राप्त किराए पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

वित्त विधेयक आय कर अधिनियम की धारा 2 (15) में संशोधन करता है और यह उपबन्ध करता है कि "आम जनता की उपयोगिता के किसी अन्य विषय को बढ़ावा देना" को धर्मार्थ उद्देश्य माना जाना जारी रहेगा यदि किसी व्यापार, वाणिज्य की प्रकृति के कार्यकलाप या व्यवसाय किसी व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने के किसी कार्यकलाप से कुल प्राप्तियां गत वर्ष 10 लाख रुपये से ज्यादा न हो। इसे धारा 2(15) में एक परन्तुक अन्त: स्थापित कर किया गया है और निम्नवत् पठित है: "आगे यह उपबन्ध किया गया है कि प्रथम परन्तुक लागू नहीं होगा यदि उनमें विनिर्दिष्ट कार्यकलापों से इन प्राप्तियों का कुल मूल्य गत वर्ष 10 लाख या इससे कम हो।" यह प्रस्ताव यद्यपि स्वागत योग्य कदम है और यह कुछ सीमा तक नि:संदेह छोटे धर्मार्थ संगठनों की समस्या का समाधान करेगा लेकिन यह बड़े संगठनों के लिए पर्याप्त नहीं है।

महोदय, मैं केवल तीन-चार पहलुओं पर बात करूंगा। अब मैं धर्मार्थ संगठनों के बारे में बात करूंगा। मूल रूप से धर्मार्थ उद्देश्य पद के अंतर्गत इस धारा को निर्धनों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और आम जन सेवा के किसी अन्य विषय को बढ़ावा देना को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया था। समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि वित्त विधेयक 2008 द्वारा उक्त परिभाषा को धारा 2 (15) में एक परन्तुक अन्त:स्थापित कर संशोधित किया गया था। हमने उस समय इस पर विचार-विमर्श किया था और इसने आम जन सेवा के किसी अन्य उद्देश्य को बढ़ावा देने को स्पष्ट करते हुए बताया कि यह धर्मार्थ विषय नहीं माना जाएगा यदि यह किसी उपकर या शुल्क या किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय की प्रकृति के किसी कार्यकलाप में लिप्त हो।"

तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने 29 अप्रैल, 2008 को इस सदन में आश्वासन दिया था कि "तात्कालिक धर्मार्थ संगठन किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होंगे।"

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से इसके पश्चात कोई भी उपयोगी बात उभर कर सामने नहीं आई है। मेरे विचार से धर्मार्थ संगठन को कर छूट का मूल उद्देश्य इसकी आय के अन्तिम उपयोग पर होना चाहिए न कि आय के सृजन पर। मुझे आशा थी कि इस वर्ष इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा लेकिन जो कुछ भी हुआ है वह संतोषप्रद नहीं है। आप एक परन्तुक प्रतिस्थापित क्यों नहीं करते हैं कि प्रथम परन्तुक लागू नहीं होगा यदि इसमें विनिर्दिष्ट कार्यकलापों से प्राप्तियों का कुल मूल्य कुल प्राप्तियों के कुल मूल्य से 49 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, मेरे विचार से काफी हद तक यह पर्याप्त होगा और धर्मार्थ संगठनों की मदद करेगा।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं। मैं केवल चार पहलुओं में से तीन पर अपना विचार प्रकट करूंगा। प्रोत्साहनों से भारतीय कारपोरेट निगम को अन्य देशों की अपेक्षा वित्तीय संकट से जल्द निपटने में मदद मिली होगी लेकिन साथ ही यह सर्वोच्च अप्रत्यक्ष कर निकाय अर्थात सीबीईसी, जो 40,000 करोड़ रु. एकत्रित करने के लिए दबाव में है, के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। मुझे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि अप्रैल-दिसम्बर 2009 की अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह में गत वर्ष की तुलना में 18.1 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसमें से केन्द्रीय उत्पाद कर में 13.2 प्रतिशत और सेवा कर में 6.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। सरकार इसका कारण यह बता सकती है कि ऐसा वैश्विक मंदी, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद कर और सेवा कर की दरों में कमी के कारण हुआ है लेकिन हमें यह नहीं भूलना

चाहिए कि वर्ष 2009 की दूसरी छमाही में विनिर्माण क्षेत्र ने प्रभावकारी वृद्धि दर्ज की है और सेवा क्षेत्र के दायरे को भी बढ़ाया गया है कर संग्रह में गैर अनुपातिक गिरावट के लिए कर वंचना या प्रवर्तन विभाग की ओर से ढिलाई को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

आज की तारीख में भी हमारे पास सेवा प्रदाताओं जिन्होंने लागू सेवा कर दर्ज न कराकर और इसका भुगतान न करके भुगतान से बचते रहे हैं, के बारे में मैं केन्द्रीय आंकड़े रखने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यदि आप एक सहायक डेटाबेस नहीं रखते हैं तब आप किस प्रकार सेवा कर के दायरे में विस्तार करेंगे? सम्भावित कर दाताओं के साथ-साथ कर अपवंचकों की पहचान करने और कर-दाता और कर अपवंचक सेवा प्रदाताओं के बीच के अंतर को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए सेवा प्रदाताओं का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करने की जरूरत है। मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या यह सत्य है कि गत तीन वर्षों के दौरान सेवा कर के रूप में संग्रहित बड़ी धनराशि सरकारी खजाने में जमा नहीं की गई है? यह सच है कि इस पर होने वाली राजस्व हानि दर वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई और वर्ष 2008-09 के दौरान यह बढ़कर 48.06 करोड़ रुपये हो गई। उसमें से भी अभी तक केवल 27.62 करोड़ की उगाही हो पाई है।

दूसरी समस्या; जिस पर इस सभा में शायद ही चर्चा हो वह है आयकर विभाग में सभी स्तरों पर कर्मचारियों की अपर सीआईटी तथा जेसीआईटी की कार्यशील संख्या स्वीकृत संख्या के 33.51 प्रतिशत से भी कम है तथा डीसीआईटी तथा एससीआईटी की स्थिति भी ऐसी ही है, यहां पर भी 24.25 प्रतिशत कार्मिकों की कमी है जबकि निरीक्षकों के मामले में यह कमी 11.40 प्रतिशत है। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री इस समस्या को समझते हैं परंतु उन्हें इस समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि इसके चलते कार्य प्रभावित न हो।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस सभा का ध्यान पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने की बात की और आकर्षित करना चाहूंगा जो कि कच्चे पेट्रोलियम पर 5% तथा डीजल और पेट्रोल पर 7.5 प्रतिशत आधारभूत उत्पाद शुल्क बहाल करने के साथ जोड़ दी गई है। इससे परिवहन लागत के रूप में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव और ज्यादा बढ़ गया है।

विधेयक में सभी सौर उर्जा संबंधी मामलों पांच प्रतिशत के रियायती उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार से, घरेलू खरीद के लिए उत्पाद कर में पूर्ण छूट दी गई है। परंतु सौर उत्पादन प्रणाली की स्थापना करने और उसे शुरू करने की गतिविधियों परर सेवा कर छूट दिए जाने की आवश्यकता है।

इस विधेयक में भारत में प्रति टन कोयले में उत्पादन पर 50 रुपये की दर से स्वच्छ उर्जा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं बोलने के लिए केवल एक मिनट और लूंगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये बहुत नवोन्मेषी विचार है जो वित्त मंत्री ने बताए परंतु मैं उन पर बेहद संक्षिप्त में विचार व्यक्त करना चाहूंगा। इस विधेयक में भारत में उत्पादित और साथ ही आयातित कोयले पर पचास रुपये प्रति क्विंटल की दर से स्वच्छ उर्जा उपकर लगाने का उपबंध किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे और अधिक स्वच्छ और प्रदूषण रहित प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहायता मिलेगी। चूंकि सीईएनवीएटी (सेनवेट) क्रेडिट कर योग्य सभी वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी आगतों पर अनुमेय है, अतएव मैं यह सुझाव दूंगा कि क्रमिक प्रभाव को सामान्य करने के लिए रक्षित विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित उपकर को सेनवेट योग्य आगतों के रूप में अधिसूचित किया जाए।

अंत में, यह सरकार बीड़ियों और सिगरेटों पर अधिक से अधिक कर क्यों नहीं लगाती? हम सब जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री धूम्रपान छोड़ चुके हैं। यदि करों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित स्तर तक बढ़ाया जाए तो इससे दो करोड़ जीवन बचाए जा सकेंगे। इसके अलावा करों की उच्च दरों के द्वारा सरकार को प्रतिवर्ष 183.20 मिलियन अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): माननीय सभापति महोदय, मुझे वित्त विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

बजट प्रस्तुतीकरण का हमेशा आशा और उत्सुकता के साथ इन्तजार किया जाता है क्योंकि यह करदाताओं को राहत और विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। लेकिन इस वर्ष का बजट गलत आर्थिक नीतियों के कारण मोटे तौर पर राष्ट्र केन्द्रीत और जन-केन्द्रीत न होकर कारपोरेट केन्द्रीत हो गया है। उसी प्रकार इस वर्ष का वित्त विधेयक भी कारपोरेट वर्ग को रियायत प्रदान करने वाला और मध्य वर्ग को दंडित करने वाला दस्तावेज बन गया है।

वित्त विधेयक, 2010 अचल सम्पत्ति पर सेवा कर लगाने का प्रावधान करता है। अधिमान्य अवस्थिति शुल्क पर—जिस पर समुचित स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाता है—पर सेवा कर लगाने से उपभोक्ताओं के लिए घर की लागत में और वृद्धि होगी। किसी भी अचल सम्पत्ति पर अप्रत्यक्ष कर कुल मिलाकर लगभग

16 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में नए सेवा कर लगाने से अचल सम्पति पर कर का स्तर बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा। मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग पहले से ही मूल्य वृद्धि के प्रभाव से त्रस्त है।

अचल सम्पत्ति पर सेवा कर लगाने के साथ ही उनके घर का मालिक बनने की जीवन भर की इच्छा एक सपना बन कर रह जाएगी। क्या मैं वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर पुन: विचार करने और सेवा कर के स्तर में यथेष्ट कमी, यदि इसे पूर्णत: समाप्त करना सम्भव न हो, करने का आग्रह कर सकता हूं?

दूसरा मत यह है कि सम्पत्ति का क्रेता द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने तक विक्रेता ही इसका स्वामी होता है। विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं स्व-सेवा के प्रकृति की होती है और इस पर सेवा कर नहीं लगता है। मुझे आशंका है कि इस मुद्दे से अनावश्यक मुकदमेबाजी आरम्भ होगी।

माननीय सभापति महोदय दूसरा पहलू जिस पर वित्त मंत्रालय को कुछ नरमी दिखानी चाहिए वह है सम्पत्ति कर के आकलन के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा आवेदनों को स्वीकार किया जाना। वित्त विधेयक सम्पत्ति कर अधिनियम की धारा 27 (2ख) में संशोधन का प्रावधान करता है और स्पष्ट करता है कि "उच्च न्यायालय उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट 90 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आवेदन स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि उक्त अवधि के दौरान इसे दर्ज न कराने का पर्याप्त कारण था।" मैं माननीय वित्त मंत्री से आयकर अधिनियम की धारा 256 (2क) में उपबंध किए गए अनुसार समय सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर छ: माह करने का अनुरोध करता हूं। यह कर दाता को उच्च न्यायालय में अपील करने की तैयारी के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराएगा।

अब मैं आयकर से संबंधित उपबन्धों पर अपने विचार प्रकट करूंगा। मैंने मेरी आदरणीय नेता और तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री पुरातची थलैवी अम्मा ने अनुरोध किया है कि प्रथम कर स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रु. किया जाए। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से हमारे नेता द्वारा ली गई अपील के पीछे के कारणों को समझने और छूट सीमा को तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाने का अनुरोध कर सकता हूं? उसी प्रकार महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की सीमा में भी यथेष्ट बढ़ोतरी की जाए।

महोदय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65, खण्ड 105, उपखंड (य.य.ग.) में यह 'वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेन्टर' की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है। इसे दिनांक 1.7.2003 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा रहा है। यद्यपि अनेक न्यायाधिकरण निर्णयों में भूतलक्षी प्रभाव को व्यर्थ करार दिया गया है। इस संबंध में क्या करदाता विगत के कर का भुगतान ब्याज सहित कर सकता है? इस संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मंत्रालय स्पष्ट करे कि क्या वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेन्टर में अध्यात्मिक और धार्मिक केन्द्र और प्रशिक्षण भी शामिल है।

महोदय, इस बिन्दु पर मैं इस तथ्य को रेखांकित करने के लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि केवल इस वर्ष के दौरान ही कारपोरेट सेक्टर के लगभग 5 लाख करोड़ रु. के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को बट्टे खाते में डाला गया है। जहां सरकार ने कारपोरेट क्षेत्र के प्रति अनावश्यक तरफदारी दिखाई है वहीं बजट से किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। पोषक आधारित राजसहायता के कारण उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हुई है। कृषि प्रचालन की लागतें बढ़ी हैं जिससे अन्तत: कृषकों की कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरकार ने खाद्यान्न राजसहायता में भी कमी कर दी है जिससे निर्धन लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

महोदय राजकोषीय घाटा लगातार हमारी चिन्ता का विषय बना हुआ है। वित्त मंत्री वर्ष 2010-11 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत दिखा कर खुश है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन में लगातार हो रही कोताही न केवल चिन्ता का विषय है बल्कि अन्यथा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था में आगे कई समस्याओं को पैदा कर सकता है। मेरे विचार से यहां अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को उद्धृत करना तर्कसंगत होगा जिन्होंने इस विषय पर एक बार कहा था "हम इस तरह से खर्च करना जारी नहीं रख सकते हैं जैसे कि घाटे का कोई परिणाम नहीं होता जैसे मेहनत से अर्जित धन एकाधिकार धन हो।"

महोदय, यद्यपि जो मुद्दा अब मैं यहां उठाना चाहता हूं वह विचाराधीन विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं है तथापि मैं किसी भी प्रकार से इसे सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं जो अव्यचित धनराशि की कुल मात्रा से संबंधित है।

वर्ष 2005-06 और 2007-08 के बीच विभिन्न मंत्रालयों को आबंटित धनराशि में से 1.00 लाख करोड़ रु. अव्ययित रहा। कुल 59,000 करोड़ रु. में से 100 करोड़ या उससे ज्यादा की अव्ययित धनराशि रही है। यदि सरकार पर इन खामियों का कोई असर नहीं पड़ता है तब मुझे आशंका है कि विकास का फल इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाएगा।

मैं समझता हूं कि खराब आर्थिक परिस्थितियों में हमारे वित्त मंत्री ने अपना सर्वोत्तम दिया है। तथापि मेरे कुछ सुझावों जो मैंने अपने भाषण के दौरान दिए हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अच्छा चिकित्सक सही निदान और नुस्खा होता है। अर्थव्यवस्था को समय पर उपचार की जरूरत है। माननीय वित्त मंत्री एक कुशल प्रशासक हैं। मैं आश्वस्त हूं कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए समय पर सटीक और उचित कार्रवाई करेंगे।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विधेयक के पक्ष में नहीं अपितु वित्त विधेयक, 2010 के विरोध में अपने विचारा व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं विधेयक के प्रत्येक बिन्दु पर बात नहीं कर रहा। मैं स्वयं को विशेष रूप से केवल कर ढांचे संबंधी बिंदु तक सीमित रखना चाहूंगा। अनेक वक्ताओं ने पहले ही कर ढांचे के कर स्लैब में बढ़ते अंतर के बारे में बोला है। यह वांछनीय है और सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह सम्पन्न वर्ग, धनाढ्य वर्ग, कारपोरेट क्षेत्र पर और अधिक कर लगाएगी। परन्तु यह कर ढांचा बिल्कुल उल्टा है। यह स्पष्ट है कि वह व्यक्ति जिसकी आय 8.00 लाख रुपये है वह वर्ष 2009-10 की कर दरों की तुलना में अपनी सामान्य कर देयता के 50,000 रुपये से अधिक बचा लेता है। इसी प्रकार 5.00 लाख रुपये से कम आमदनी वाला व्यक्ति मात्र 20,000 रुपया बचा पाता है। जबकि इसके विपरीत होना चाहिए। अतएव मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आयकर स्लैब के संबंध में कर ढांचे की पुनरीक्षा की जाए।

दूसरा बिन्दु सरचार्ज के संबंध में है घरेलू कम्पनियों पर वर्तमान के 10 प्रतिशत सरचार्ज को घटा कर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। स्रोत पर कर कटौती के मामले में भुगतान की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। मैं यहां जिस प्रकार भुगतान होता है उनके संबंध में बात कर रहा हूं। लॉटरी और क्रासवर्ड पहेलियों से धन जीतने के संबंध में 5000 रुपये की वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। घुड़दौड़ से धन जीतने पर स्रोत पर कटौती के लिए अधिकतम सीमा 2500 रुपये है और अब इसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। ठेकेदारों को भुगतान के संबंध में 20,000 रुपये की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एकल सौदे के लिए 30,000 रुपये कर दिया गया है। पहले वर्ष में कुल योग के मामले में यह 50,000 रुपये थी और अब इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।

यह सब किसके लाभार्थ के लिए है? बीमा पर मिलने वाले कमीशन की सीमा को 5000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। कमीशन या दलाली पर मिलने वाली छूट की सीमा को 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। किराए पर मिलने वाली छूट की सीमा को 1,20000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया गया है। व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर छूट की सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। यह अधिकतम सीमा आम आदमी के लिए नहीं बढ़ाई गई है। यह अधिकतम सीमा सम्पन्न वर्गों, ठेकेदारों, दलालों के लिए बढ़ाई गई है।

यह विधेयक छोटी कम्पनियों को पूंजीगत अभिलाभ कर देयता को आकर्षित किए बिना सीमित देयता वाली भागीदारी कम्पनी में परिवर्तित होने की अनुमति देता है। लेखों की लेखापरीक्षा और प्रकल्पित कराधान के उद्देश्य हेतु कुल प्राप्ति के आवर्त की सीमा का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक व्यापारी, को यदि उसका कुल विक्रय आवर्त या व्यापार से कुल प्राप्ति 40 लाख रुपये से अधिक हो तो उसे अपने लेखों की लेखा परीक्षा करानी पड़ती है। अब इसे बढ़ाकर 60 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। होटल व्यवसाय के लिए निवेश से संबद्ध कटौती सभी या पूंजीगत प्रकृति के किसी भी व्यय के मामले में शत प्रतिशत है।

माननीय सदस्य महताब जी ने पहले ही धर्मार्थ उद्देश्य का उल्लेख किया है और मैं भी इसका उल्लेख करूंगा। धर्मार्थ की विद्यमान अवधारणा इस संशोधन से समाप्त हो जाएगी। धर्मार्थ के उद्देश्य हेतु आयकर संबंधी परिभाषा धारा 2 (15) में दी गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य जनोपयोग की किसी भी अन्य मद को प्रोत्साहित करना शामिल है। तथापि किसी अन्य सामान्य जनोपयोगी कार्य को प्रोत्साहित किया जाना धर्मार्थ उद्देश्य नहीं होगा। यदि इसमें व्यापार या व्यवसाय की प्रकृति वाली किसी गतिविधि को करना या व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय से संबंधित कोई अन्य सेवा प्रदान करने अथवा इससे जुड़ी गतिविधि यां शामिल हो। परन्तु संशोधन किसका किया जा रहा है। धारा 2(15) का संशोधन यह प्रावधान करने हेतु प्रस्तावित है कि सामान्य जनोपयोग संबंधी कार्य के उद्देश्य हेतु प्रोत्साहन धर्मार्थ उद्देश्य ही माना जाएगा यदि व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय (पहले इसे शामिल नहीं किया गया था परन्तु अब शामिल किया गया है) की प्रकृति के किसी भी कार्य या व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई कार्य करने से कुल प्राप्ति पिछले वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक न हो। अब इस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है।

अब मैं परियोजनाओं के विषय में बात करूंगा। हमने अनेक अवसरों पर अनेक बार परियोजनाओं के संबंध में बोला है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समयावधि में पूरी की जाएगी। परन्तु जहां तक परियोजनाओं का संबंध है स्थिति क्या है? विद्यमान प्रावधान के तहत उपक्रम द्वारा अर्जित लाभ में शत प्रतिशत कटौती होगी। परियोजना को चार वर्षों के भीतर पूरा करना पड़ेगा। इस अवधि को चार वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष

करने का प्रस्ताव है। अतएव यदि हम इन सभी बातों को जोड़ दें तो स्पष्ट होता है कि यह विधेयक कुछ नहीं अपितु ठेकेदारों, सम्पन्न वर्गों, अत्यधिक वेतन पाने वाले लोगों, कारपोरेट क्षेत्र और कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन पैकेज है।

यही कारण है कि मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। मेरा विचार है कि सरकार आम आदमी के बारे में बात कर रही है परन्तु आम आदमी के लिए कोई चर्चा नहीं होती है और अप्रत्यक्ष करों आदि के संबंध में पहले बहुत कुछ कहा गया है। मैं समय की कमी के कारण वो सब दोहराना नहीं चाहता। यदि सरकार 'आम आदमी' शब्द के प्रति गंभीर और सत्यनिष्ठ है तो इसे विधेयक की पुनरीक्षा करनी चाहिए। मेरी समझ में तो यही है और इन कारणों से मैं विधेयक का विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। फाइनैन्स बिल पर पार्टी की तरफ से मैं अपना रुख स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं उस व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से वह यहां सांसद और मंत्री रहे हैं और मैंने पहला बजट 1980 में सुना, जब मुझे कुछ होश आया तो वित्त मंत्री के नाते माननीय प्रणव मुखर्जी साहब का बजट ही मैंने सुना था। मैं महाभारत को कोट नहीं करना चाहूंगा, चूंकि यहां लड़ाई हो जायेगी कि कौन दुर्योधन है, कौन पांडव है। लेकिन इस हाउस के यह भीष्म पितामह हैं। हमारी विपक्ष की नेता बता रही थीं कि आप सबसे वरिष्टतम हैं। यदि मेरे शब्दों से आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मेरा जितना इंटरैस्ट इस देश के प्रति है, उससे ज्यादा आपका इंटरैस्ट होगा, उससे ज्यादा आपका अनुभव होगा।

महोदय, कुछ बातें जो हमारे मित्र संजय निरुपम साहब ने कहीं, वैसे वह फाइनैन्स बिल पर चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ बातें जो मुझे पता हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हल्ला ब्रिगेड में कुछ उन्हें बोलना नहीं चाहता था। पहली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस के समय में गरीबी घटी है। आज प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 27 परसैन्ट गरीबी है और उसी के आधार पर बीपीएल कार्ड्स बने हुए हैं। उसी के आधार पर आप पैसा दे रहे हैं और जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी इसलिए है, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी, फाइनैन्स का भी मैम्बर हूं। उस नाते तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन ने मान लिया है और वह कह रहा है कि 37 परसैन्ट गरीबी है। अब गरीबी बढ़ी है या घटी है, इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए।

दूसरे सवाल में उन्होंने गुजरात के बारे में कहा कि गुजरात में पीडीएस सिस्टम से चीजें उठाई नहीं जा रही हैं। यहां गुजरात के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। गुजरात के कच्छ इलाके में भूकम्प आया और हम वहां फटे-पुराने कपड़े लेकर गये। क्योंकि हम झारखंड के हैं तो हमें लगता है कि कहीं भूकम्प आ गया, कहीं राष्ट्रीय आपदा आ गई तो हम लोगों को कपड़े-लत्ते लेकर जाना है। इसलिए जब हम लोग फटे-पुराने कपड़े लेकर गये तो वहां के लोगों ने लेने से माना कर दिया। गुजरात गरीब न था, न है और न होगा, यह मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं।

इसके अलावा वहां जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में लोकल लोगों को रोजगार के लिए जो बीस परसैन्ट एमओयू गवर्नमैन्ट ऑफ गुजरात साइन करती है, आज तक वहां एक से दो परसैन्ट आदमी मिले हैं और आज भी वे जगहें खाली रहती हैं या बाहर के लोग वहां जाकर रोजगार करते हैं। गुजरात कभी गरीब नहीं रहा है। इसलिए आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कमैन्ट था, वह कहीं न कहीं गलत था। उसके बाद आपने फाइनैन्स बिल से अलग हटकर चर्चा शुरू की तो आपने कहा कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि टैक्स पेयर्स के पैसे से यह देश नहीं चल रहा है। यह जो प्लान एलोकेशन है, माननीय वित्त मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो वह मुझे सुधारेंगे, 80 परसैन्ट पैसा कर्जा है, यह देश कर्ज से चल रहा है और हम कर्ज से दर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच है और मैं उसी को कोट करना चाहूंगा, जो हरिन पाठक साहब ने सुबह कोट किया था, प्वाइंट नम्बर 188-उसमें उन्होंने आम आदमी के साथ-साथ नेशनल इंटरैस्ट की बात कही थी। मैंने अपना भाषण शुरू करने के पहले ही कहा है कि मेरा जितना नेशनल इंटरैस्ट होगा, उससे ज्यादा प्रणव मुखर्जी साहब का होगा, उनका अनुभव उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इस बजट को देखने के बाद और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनैन्स का मैम्बर होने के बाद जो कुछ मुझे समझ में आया, वह यह है कि इस देश का नेशनल इंटरैस्ट आईपीएल हो गया। आईपीएल क्या है, रहस्य, रोमांच, आनन्द और पैसा है।

उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, यह चंद्रकांता उपन्यास है, चुनार के किले का क्या रहस्य है, वह रहस्य आज तक पता नहीं चला है। जब से स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ने इसके बारे में चर्चा की और जो मैंने पूछा था, उसका कोट मैं बताऊंगा तो लगा कि यह हरि अनन्त: हरि कथा अनन्त: है। जितने मुंह उतनी बातें हैं, दशानन की तरह, कोई कुछ कह रहा है, इकोनॉमिक

टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक लाख बीस हजार करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट कन्सेशन आईपीएल फ्रोंचाइजीज को दे दिया। कोई स्वैप्ट इक्विटी की बात कर रहा है और स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस का मेंबर होने के नाते हमने जब इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा:–

[अनुवाद]

"कर में छूट के माध्यम से उच्चस्तरीय निकायों जैसे बीसीसीआई, आईपीएल और पिछले तीन वर्षों से फ्रैंचाइजी को राजस्व में दी गई छूट के ब्यौरेवार आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित विवरण दिया। विवरण आईपीएल आदि के संबंध में है। आकलन वर्ष 2006-07 तक छूट का लाभ बीसीसीआई को दिया गया था क्योंकि यह एक धर्मार्थ संगठन था।"

[हिन्दी]

बीसीसीआई क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेश है, यह आप खुद बता सकते हैं? मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं बीसीसीआई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वह कहीं से भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह बात सत्य है, लेकिन होता यह है कि:

[अनुवाद]

"आयकर छूट निदेशक मुम्बई ने दिनांक 28.12.2009 के अपने पत्र के द्वारा बीसीसीआई को सूचित किया है कि बीसीसीआई को संस्वीकृत पंजीकरण 12(क) कृषि संस्थान बनाम भारत संघ के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर उस तिथि से मान्य नहीं होगा जब दिनांक 1.6.2006 को बीसीसीआई के उद्देश्यों पर आरोप लगे थे। आयकर विभाग से भेजी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007-08 के लिए आकलन आदेश को पारित कर दिया गया जिसमें बीसीसीआई को व्यक्तियों का संघ माना गया है।"

[हिन्दी]

यह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया है और इसके ऊपर साढ़े तीन सौ करोड़ से ज्यादा बकाया है। हमें उससे डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है, वह अलग है। उसके बाद यह होता है कि:

[अनुवाद]

"इंडियन प्रीमियर लीग वर्ष 2008-09 में शुरू हुआ और इसलिए वर्ष 2009-10 के आकलन वर्ष से आयकर रिटर्नों में फ्रेंचाइजी स्वामियों की आय को दर्शाया गया है, चूंकि आईपीएल के फ्रेंचाइजी की आय का आकलन अभी नहीं किया गया है, इसलिए पिछले तीन वर्षों के लिए आईपीएल और इन फ्रेंचाइजी से आकलित और एकत्रित कुल करों को इस स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकता है।"

[हिन्दी]

इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तीन साल से आईपीएल चल रहा है, रहस्य, रोमांच चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस साल आपको दौ सो करोड़ रुपये टीडीएस मिलता है। पिछले साल जब ये टीमें साऊथ अफ्रीका चली जाती हैं, क्या आपने उसके बारे में कभी अपने अधिकारियों से पूछा है? क्या साऊथ अफ्रीका वह आरबीआई की परमीशन से गया? फॉरेन करेंसी वहां जो खर्चा हुआ, उसका आदेश किसने दिया? हम जब जे.पी.सी. की मांग कर रहे हैं तो आपको वह मांग गलत लगती है। मुझे तो लगता है कि मेरी पार्टी जेपीसी की जो मांग कर रही है, वह कम है।

सभापति महोदय: वह अभी अंडर कंसीडरेशन है।

श्री निशिकांत दुबे: महोदय, अगर हमारी पार्टी वित्त मंत्री जी का इस्तीफा मांग ले तो यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसका कारण भी बताता हूं। आपके पास बहुत से कानून हैं, आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वैल्थ टैक्स एक्ट 1957 है, एक्सपेंडीचर टैक्स एक्ट 1987 है, बेनामी ट्राटक्शन एक्ट 1988 है, सुपर प्रोफिटस एक्ट 1963 है, कम्पनीज एक्ट 1964 है, कम्पलसरी डिपोजिट एक्ट 1974 है, फाइनेंस एक्ट 2004 है, फाइनेंस एक्ट 2005 है, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट 2002 है, कंजरवेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रीवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टीविटीज 1974 है, यदि इनकी बात करें तो आपके पास 20 एक्ट ऐसे हैं, जिनके आधार पर आपको या आपके अधिकारियों को रोकना चाहिए था। इस देश में तीन साल से इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए आपके पास इनफोर्समेंट एजेंसी है। इनफोर्समेंट ऐजेंसी क्या है, कमिश्नर डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, सेंट्रल बोर्ड का सीधा कमिश्नरेट है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट है, डायरेक्टर ऑफ इनफोर्समेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नॉरकोटिक्स है, चीफ कंट्रोलर ऑफ फैक्टरीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेचाइजीज में जो घपले की बात आ रही है, एफआईबीपी बोर्ड आपके पास है।

5.00 बजे अपराह्न

क्या आपके एफआईबीपी बोर्ड ने परमीशन दी थी, जिसके आधार पर यह फ्रेंचाइज़ी आए थे। यह जो फ्रेंचाइज़ी आए थे,

चाहे वे मॉरीशस रूट से आए थे या किसी अन्य रूट से आए थे, क्या आपने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी। मुझे तो लगता है कि मेरी पार्टी जो जेपीसी की बात कर रही है, वह कम है। सरकार को बचाने के लिए उस मांग को मान लेना चाहिए। आपसे पहले के वित्त मंत्री श्री चिदंबरम साहब हों या आप हों, मैं आपको बैनीफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं कि 7-8 महीने तक आप आईपीएल का बेनामी ट्रांजैक्शन देखते रहेंगे। आईपीएल आपके लिए छोटा विषय हो सकता है। 11 लाख करोड़ रुपये के बजट में चार-पांच सौ हजार करोड़ रुपये किसी कागज में खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस देश को इसके बारे में जानने और समझने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

श्री संजय निरुपम: इसका फाइनैंस बिल से क्या लेना-देना है?

श्री निशिकांत दुबे: इसका फाइनैंस बिल से ही लेना-देना है। यह टैक्स का पैसा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री निशिकांत दुबे के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: महोदय, कांग्रेस के सदस्य जो बोल रहे हैं, इन्होंने सभी बातें फाइनैंस बिल से हटकर कही। कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, इस संदर्भ में लखनऊ की एक कहानी है, नवाब वाज़िद अली शाह का ज़माना था और लखनऊ विलासिता में डूबा हुआ था। आपने मुझे छेड़ा है तो सुनिए, कॉरस कॉर्प की डील तीन बार बढ़ाई जाती है, लेकिन रिपोर्ट यह आती है...*(व्यवधान)* अधिकारी गलती के कारण इस तरह का काम कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री दुबे जी, आप कृपया पीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे: कॉमनवेल्थ का बजट तीन बार बढ़ाया जाता है। 2जी और 3जी के बारे में पॉयनियर अखबार में जो दिया गया हैं, जिसे हम सब देख रहे हैं, पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 35 हजार करोड़ रुपये हम 3जी से लाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। आज भी नहीं आ पाया है। यह टैक्स का सवाल है, फाइनैंस बिल का सवाल है। आप विलासिता के रंग से ऊपर उठिए और राजधर्म का निर्वाह कीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: निरुपम जी, आप शांत रहिए।

श्री निशिकांत दुबे: आप सुनना चाहते हैं, तो सुनिए। ...*(व्यवधान)* *

मैं सीएजी की रिपोर्ट को कोट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री शैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय, प्रफुल्ल पटेल जी तो मंत्री हैं, उनका नाम लेना तो सम्मान की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: किस संदर्भ में वे उनके नाम की चर्चा कर रहे हैं?

[हिन्दी]

नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री निशिकांत दुबे: महोदय, यह सरकार कैसे चल रही है, यह सीएजी की रिपोर्ट में है। यह कम्पालायंस रिपोर्ट है। यह टैक्स कलैक्शन और सर्विस टैक्स कलैक्शन के बारे में है–

[अनुवाद]

> "मुम्बई सेवा कर आयुक्तालय में लगी भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड ने गैर अनुसूचित चार्टर्ड उड़ान और हज उड़ानों को शुरू किया और वर्ष 2006-07 से सितम्बर, 2007 की अवधि में 4499 करोड़ रुपये वसूल किए। ये

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उड़ानें सामान्य लोगों के लिए नहीं थी तथा इनका परिचालन प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा से पता चला कि ये उड़ानें गैर-अनुसूचित उड़ानें थी और इसलिए ऐसी सेवाओं पर सेवा कर देने के लिए दायी था।''

[हिन्दी]

लेकिन सरकार क्या कर रही है।

[अनुवाद]

''नवम्बर, 2007 में उठाए गए मुद्दे पर मंत्रालय ने लेखा परीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार किया था।''

[हिन्दी]

इसका मतलब यह है कि उसने मान लिया कि हम से गलती हो गई और हम सरकार को चुना लगा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

''दो कारण बताओ नोटिस जिनमें 189.18 करोड़ रुपये के सेवा कर की मांग की गई थी, प्राप्त हुए थे और करदाता ने मात्र 95 करोड़ रुपये अदा किए।''

[हिन्दी]

आपकी सरकार आपको टैक्स नहीं दे रही है, एक ही चीज नहीं हुई, उससे भी आगे देखिए।

अपराह्न 5.06 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

''मुम्बई आयुक्तालय ने मैसर्स एयर इंडिया ने पीडीपी ऋण, एक्जिम ऋण और वाणिज्यिक ऋण इत्यादि जैसे ऋणों की व्यवस्था के लिए मैसर्स एबीएन एमरो और आईसीआईसीआई बैंक की विदेशी शाखाओं और एसबीआई से सेवाएं ली और 28.52 करोड़ रुपये का शुल्क अदा किया। तथापि, दिसम्बर 2006-08 की अवधि के दौरान 3.49 करोड़ रुपये का प्रयोज्य सेवा कर न तो सेवा प्रदाता द्वारा और न ही सेवा पाने वाले ने अदा किया। यह राशि ब्याज सहित वसूले जाने योग्य थी।''

[हिन्दी]

यह सरकार इस ढंग से चल रही है और केवल सर्विस टैक्स का मामला नहीं है, कस्टम का भी है। ये सारी सीएजी की रिपोर्ट है, कम्प्लायंस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, फाइनेंस बिल पर ही बात हो रही है। हम सर्विस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और कस्टम की बात करते हैं। वह यह कह रहा है–

[अनुवाद]

''मैसर्स एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा घरेलू क्षेत्र में परिचालित उड़ानों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रद्द होने पर उनके ईंधन टैंकों में रखे गए विमानन ईंधन के स्टाक पर उत्पाद शुल्क अदा कर रही थी। लेखा परीक्षा जांच से पता चला कि जबकि मैसर्स इंडियन एयरलाइन्स ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट को समायोजित करने के लिए उत्पाद शुल्क सहित बीपीसीएल द्वारा घोषित आधारभूत मूल्य को अपनाया था...''

[हिन्दी]

इससे 50 लाख का चूना है। बीपीसीएल को पैसा नहीं दे रही है, यह सरकार चल रही है। आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे पता चला कि 5400 करोड़ रुपए का घाटा है और आपने 1200 करोड़ रुपए तेल कम्पनियों के रखे हुए हैं। हमने आठ सौ करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए और इस साल 1200 करोड़ रुपए दिए। मैंने कहा कि ये केवल आग में घी डाल रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, आपको टैक्स नहीं दे रहा है, यह आपका सोचने का विषय है, मेरा नहीं है। आप इसके बदले यह कर रहे हैं कि आप चुन-चुन कर हमारी जो स्मालर स्टेट है, जिसे एन.डी.ए. सरकार ने कंसेशन दिया हुआ था, आपने 31 मार्च को उसका कंसेशन खत्म कर दिया। उसमें दो सरकारें हैं–एक हिमाचल की सरकार और दूसरी उत्तरांचल की सरकार है। आपने यही कंसेशन जम्मू-कश्मीर को सन् 2017 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। जम्मू-कश्मीर प्रोस्पेरस हो, यह हम भी चाहते हैं। मैंने एक व्यक्ति के नाते पिछले साल वहां बीपीओ सेंटर खुलवाया है। अभी दो महीने पहले पांच सौ आदमियों की नौकरी मैंने लगवाई है। उसका जब उद्घाटन हुआ था तो मैं मुख्य मंत्री जी के साथ वहां मौजूद था। जम्मू-कश्मीर से जितना प्यार आपको है, उससे कम प्यार एक व्यक्ति के नाते मुझे नहीं है। मैं साल में पांच बार वहां जाता हूं, लेकिन उत्तरांचल का क्या होगा, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि सन् 2013 तक उसे और हिमाचल को टैक्स कंसेशन मिला हुआ था, वित्त मंत्री जी, आपने उसे किस आधार पर खत्म किया, इसके बारे में आप यदि मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं झारखंड से आता हूं और मैं आप ही के प्लानिंग कमीशन में दस दिन पहले मीटिंग करने गया था। वहां एक भी रोड नहीं है, स्कूल और अस्पताल नहीं है, वहां अस्पताल में आक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें कहीं न कहीं एक पैकेज दीजिए। संथाल-परगना के लिए पैकेज दीजिए, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। आप वहां से कोयला ले जा रहे हैं। आपने अभी क्लीन एनर्जी सेस की बात की है और यह हमारे लिए सबसे बढ़िया टोपिक है कि आप 50 रुपए पर-टन क्लीन एनर्जी के लिए ले रहे हैं। लेकिन वहां के जो लोग टी.बी. से ग्रसित हो रहे हैं, हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की जो छः-सात टन की रोड बना रहे हैं, उस पर जो 40-40 टन के कोयले चल रहे हैं, वहां आप एक अस्पताल नहीं दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान में तीन हजार स्कूल ऐसे हैं, जहां बाउंड्री वाल नहीं है। आप जो पच्चास रुपए की रायल्टी वसूलने की बात कर रहे हैं, क्या आपने उन इलाकों के बारे में सोचा है या उन्हें नक्सलवाद में धकेल देने का, मार देने का इरादा है? द्वादश ज्योर्तिलिंग में से एक लिंग वैद्यनाथ देवघर है, वह बिहार और झारखंड की रिलिजियस केपिटल है। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं लगातार लिख चुका हूं। माननीय बंसल जी यहां बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें भी कहा कि 40-40 साल से हमारे जो प्रौजेक्ट्स रुके हुए हैं, आप उनके बारे में सोचिए।

सभापति महोदय, हमारी पार्टी के पास ढाई घंटे का समय है और हमारी ओर से केवल बोलने वाले तीन स्पीकर हैं। इसलिए मैं एक घंटा बोलूंगा।

इसलिए वित्त मंत्री जी, मेरा यह मानना है कि जब आप प्लान बनाते हैं, जब आप रीजनल डिस्पैरिटी की बात करते हैं, तो उन इलाकों को जरूर ढूंढिए, उन इलाकों में जरूर खर्चा कीजिए। जब आप रिबेट देते हैं और इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन जो छोटे स्टेट हैं, उत्तरांचल है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है और बिहार जैसा राज्य है, जहां कि बंटवारे के बाद केवल पानी और बालू रह गया है। उसके बारे में निश्चित तौर पर सोचिए, ताकि इस देश का समग्र विकास हो पाए।

महोदय, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आपने मिनरल ऑयल की बात कही है। उसमें कहा है कि-

[अनुवाद]

"धारा 44 ख के अनुसार अनिवासी भारतीय, जो खनिज तेल के पर्यवेक्षण अथवा इसे निकालने अथवा उत्पादन में लगे हैं, के मामले में, कुल मिलाकर 10 प्रतिशत तक आयकर की गणना की जाएगी।"

[हिन्दी]

और उसी के आधार पर आपने सैक्शन 115-ए में फी ऑफ टैक्नीकल सर्विसेस की बात कही है, लेकिन मैं दो चीजें कोट करना चाहता हूं। नानी पालकीवाला ने दो बातें कही हैं। वे इस देश के सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि

[अनुवाद]

"गलत तरीके से किए गए बदलावों और जटिलताओं, जिन्हें सम्मिलित रूप से कानूनी कूड़ा कहा जा सकता है, का तुषारापात ही मुख्यतः हमारे कर प्रशासन की बुरी स्थिति के लिए उत्तरदायी है।"

[हिन्दी]

और उससे आगे बढ़कर वे कहते हैं कि

[अनुवाद]

"किसी भी सरकार के लिए कर जीवन रक्त के समान है किंतु इस पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि कर दाताओं की धमनियों से रक्त निचोड़ा जाए और इसलिए न्याय और ईमानदारी के सिद्धान्तों के अनुसार रूधिर-आधान कराया जाए।"

[हिन्दी]

इसमें पेयर प्ले क्या है? नेल्प राउंड के इतने बिडिंग हो चुके हैं और पिछली बार जो नेल्प राउंड हुआ, उसमें से कितने फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट आए? इस देश की किटी में कितने फॉरेन एक्सचेंजेज आए? इस बार नेल्प राउंड करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, वह किस आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ फायनेंस से लड़ रही है, वह किस तरह का कंसेशन मांग रही है, क्या हम उसे टैक्स कंसेशन दे पाने की स्थिति में हैं या जिन्हें हमने हेल्प राउंड में ऑयल एंड गैस एलौट कर दी है, क्या कनक्लूडेड कान्ट्रैक्ट के बाद भी, हमने सभी को एवॉर्ड कर दिया है? मुझे एक कहानी पता है, एक केस पता है, उसे आप जानते हैं। मैं केवल उसे कोट करना चाहता हूं। उसमें जो ओ.एन.जी.सी. का भी 40 परसेंट स्टेक है। उसमें वर्ष 2003-04 से किस चीज की लड़ाई चल रही है; ओल्ड सैशन रायल्टी एंड न्यू सैशन रॉयल्टी। कनक्लूडेड कांट्रेक्ट है। आपका लॉ डिपार्टमेंट बार-बार कह रहा है कि वह कनक्लूडेड कांट्रैक्ट है, आप पी.एस.सी. साइन कर लीजिए, लेकिन आप लाइन नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम न्यू सैशन रायल्टी लगाएंगे, वे कह रहे हैं कि हम ओल्ड सैशन रॉयल्टी

देंगे। यदि हम, वित्त मंत्री जी, ओल्ड रॉयल्टी कांट्रैक्ट पर ही साइन कर लेते, तो आप यह बताइए कि अभी तक कितना पैसा आपकी किटी में आ गया होता और आप जिस प्रकार से सात-आठ साल से किसी प्रोजैक्ट को डिले किए हुए हैं या आपकी सरकार डिले किए हुए हैं या आपकी सरकार डिले कर रही है, तो जब न्यू सैशन रॉयल्टी मिलेगी, तो क्या आपने फॉरेन एक्सचेंज की टर्म में देखा है या टैक्स कलैक्शन के टर्म में देखा है कि किस तरह की पॉलिसी हम यहां लाना चाहते हैं। इसके बारे में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट करिए। नेल्प राउंड में कितना टैक्स कलैक्शन होगा, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए।

आपने सैटलमेंट कमीशन की एक बात अपनी बजट में कही थी। आपने सैटलमेंट कमीशन बनाया है और उसमें असैलमेंट होकर जो सैटलमेंट ऑफीसर आएगा वह आपका ही होगा। आपने इसमें कहा है कि–

[अनुवाद]

"अब छानबीन के फलस्वरूप किए जाने वाले आकलन अथवा पुर्नआकलन हेतु कार्यवाहियों अथवा किसी मामले, जिसे निपटान आयोग द्वारा जांच हेतु लिया जा सकता है, की परिभाषा के अंतर्गत लेखा बहियों अथवा अन्य दस्तावेजों अथवा किन्हीं परिस्थितियों की मांग के कारण की जाने वाली कार्यवाहियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।"

[हिन्दी]

सैटलमेंट कमीशन में कौन अफसर जाएंगे। सैटलमेंट कमीशन में वे ऑफीसर जाते हैं, जो आपके कृपापात्र हों और यह सरकार केवल आप ही चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है।

हम कम से कम ऐसा केस नहीं बनायें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां कहीं न कहीं परेशान हों। यही जे.एम.एम. ब्राइबरी केस में हुआ, यहीं वोट दिया गया, यह तो पता चला कि हमारे कुछ सदस्यों के एकाउण्ट में पैसे चले गये, तीन करोड़, चार करोड़, पांच करोड़ पकड़े गये, लेकिन किसने पैसे दिये, क्या आज तक हम उसका पता लगा पाये हैं? इस तरह के असैसमेंट्स जो हम सर्च के बाद सैटिलमेंट कमीशन को देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इसके पीछे उद्देश्य सी.बी.आई. के बाद कहीं सैटिलमेंट कमीशन का यूज़ करना तो नहीं है? कहीं ...*(व्यवधान)** जैसे लोगों को बचाने की साजिश तो नहीं है या हमको बचाने की बात करें, चाहे आपको बचाने की बात करें, हमको चन्दा देने की बात करें या आपको चन्दा की बात करें,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कि गलत धन्धा कर रहे हैं, जो कि टैक्स बचा रहे हैं, उसे बचाने के लिए तो कहीं यह सैटिलमेंट कमीशन नहीं है? कहीं न कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जब सरकार में कल से हम इधर से चिल्ला रहे हैं कि आप सी. बी.आई. का मिसयूज कर रहे हैं, कल हम कहेंगे कि सैटिलमेंट कमीशन का मिसयूज़ हो रहा है। हो सकता है कि कल जब आप इस तरफ आयें तो हम पर इस तरह से आरोप लगायें। मेरा यह मानना है कि जो प्रोसेस चलता है, जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसके बारे में अपने भविष्य को देखकर यदि इसका निर्णय करें तो ज्यादा बैटर होगा।

कुछ चीजें, जो मैं सी.ए.जी. रिपोर्ट से कोट करना चाहूंगा, उसमें सी.ए.जी. रिपोर्ट क्या कह रही है, सी.ए.जी. रिपोर्ट कस्टम्स के बारे में कहती है, अभी आपने यह रिपोर्ट ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस रखी है:

[अनुवाद]

"मार्च 2009 तक मांगी गई 5,136 करोड़ रुपये सीमा शुल्क राजस्व की वसूली विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंत तक नहीं की गई थी। इसमें से 1,947.81 करोड़ रुपये की राशि अविवादित थी।"

[हिन्दी]

इस देश में दो लाख करोड़ रुपया ऐसा है जो कि हमारा पैसा है, आपका पैसा है, सरकार का पैसा है, इस पार्लियामेंट का पैसा है, लेकिन हमने नहीं लिया। हम कर्जा ले रहे हैं, 80 परसेंट कर्जे से यह देश चल रहा है, लेकिन यह जो अनडिस्प्यूटिड पैसा है, यह भी हम नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं:

[अनुवाद]

"तथापि, दस वर्षों की अवधि में भी यह राशि वसूली नहीं गई थी। विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।"

[हिन्दी]

वह क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट जो है, वह गड़बड़ चल रहा है। क्या हमने किसी को आज तक इसके लिए जिम्मेदार बनाया है? आज सर्विस टैक्स की चोरी हो रही है, इनडायरैक्ट टैक्स की चोरी हो रही है, अभी रेवेन्यू फोरगोन के बारे में कई बातें भर्तृहरि महताब साहब ने बताई कि एस.ई.जैड. क्या कर रहा है, ई.ओ.यू. से डी.टी.ए. में जब जा रहा है, उसकी कैसे टैक्स चोरी हो रही है। एक-एक केस के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। क्या एस.ई.जैड. पालिसी को ओवरलुक करने की आवश्यकता

है, क्या उससे मैक्सीमम कैसे टैक्स आये, उसके बारे में अपने को जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हम इस देश को बेच देने की स्थिति में आ जाते हैं तो मेरा यह मानना है कि सी.ए.जी. ने जब इस तरह के क्वश्चंस उठाये हैं तो डिपार्टमेंट में हमने कभी किसी को इस तरह से रैस्पोंसिबल बनाने की कोशिश की है?

2-3 चीजें और मैं कहना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी, हम आपसे मिले थे और कुछ सजेशंस पार्टी के नाते हमने डी.टी.सी के बारे में दिये थे। दो चीजें जो आप 2011 से लेकर आ रहे हैं, मैं यह मानता हूं कि पार्टी के नाते जो हमने व्यक्तिगत कहा था, ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस मेरी आपसे अपेक्षा है कि जो आप नया टैक्स कोड ला रहे हैं, इसमें जो स्माल और मिडिल इन्कम ग्रुप है। उसे डेढ़ लाख रुपये शायद 2004 में माननीय यशवन्त सिन्हा जी ने किया था, अभी 1.60 लाख रुपये है। हम लोगों ने यह डिमांड की हुई है कि आप उसको टैक्स कन्सेशन में तीन लाख रुपये तक ले जाइये, जो पर्सनल इण्डीविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनकी लिमिट तीन लाख रुपये कर दीजिए, जो महिलाएं हैं, उनकी 3.5 लाख रुपये कर दीजिए और जो सीनियर सिटीजंस हैं, उनके लिए आप चार लाख रुपये कर दीजिए। अभी डी.टी.सी. आने वाला है, इसलिए सजेशन के नाते मैं कुछ आपसे आग्रह करना चाहता हूं। जो गवर्नमेंट एम्पलाइज़ हैं, वे कहीं न कहीं परेशान हैं। उनका हाउसिंग और कन्वेंस का सवाल है, वह यदि अभी प्रजेण्ट रिजीम में ही आप रखें तो शायद उचित होगा। जो फारेन कंपनीज के टैक्स हैं, वह 40-50 पर्सेंट से घटाकर 25 पर्सेंट कर दिया है। इसीलिए मेरा मानना है कि जो आल इंडिविजुअल्स फंड्स के एलएलपी की जो टैक्स रिबेट हैं, उसे 30 पर्सेंट से घटाकर 25 पर्सेंट कर दें, तो शायद हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए ज्यादा बढ़िया होगा।

हाउसिंग सेक्टर के संदर्भ में हरिन पाठक जी ने कुछ सजेशन दिए हैं। यदि उस सजेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हों, यदि दस लाख से बीस लाख तक के टैक्स को जो अभी 66 हजार या एक लाख रुपए जो एडीशनल टैक्स देना पड़ता है, यदि इसके लिए डीटीसी में इस तरह का कोई प्रोवीजन हो सकता है, जो उसको करना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के ईश्यू हैं, क्योंकि आजकल हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं जो हमारे पुराने या बुजुर्ग लोग हैं, वे कहीं न कहीं दुखी हो रहे हैं। उनके रहने के लिए कोई विशेष व्यवस्था में मुश्किल पड़ रही है। उनकी टैक्स की लाइबेलिटी बढ़ रही है। उनके लिए, बीपीएल फेमिली के जो लोग हैं, एपीएल फेमिली के लोग भी बहुत ज्यादा अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का आस्पेस्ट हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्रिन्योर हैं, उनके लिए प्रिजम्प्टिव टैक्स के रेट्स को हम कैसे कर सकते हैं? डीमिंग आफ लोन्स को कैसे कर सकते हैं? मेंटेनिंग रिकार्ड्स एंड बुक प्राफिट्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए।

महोदय, चेरिटेबल रिलीजियज ट्रस्ट के बारे में अभी बातचीत हुयी। पिछली बार तो आपने दस लाख का कंसैशन भी खत्म कर दिया था। यह देश मठ से मलता है, यह देश मंदिर से चलता है। आज भी कोई जब भुखा या बुजुर्ग हो जाता है और जब भूखा होता है तो कहीं न कहीं वह मंदिर की आस में जाता है और वही उसको खिलाता है। मैं हरिद्वार कुंभ गया था, वहां बहुत सारे रिलीजियस ट्रस्ट चलते हैं। वहां भूखे अपने कपड़े और सामान लेकर जाते हैं और वहां खाते हैं। गीता प्रेस एक ऐसी प्रेस है जिसकी किताबें आज भी सबसे सस्ती हैं। आप इस तरह के टैक्स रिलीजियस ट्रस्ट पर लगा देंगे, तो जो जेन्युइन रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में सोचें । सभी को एक समान हांकने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, इसके बारे में भी रीलुक करना चाहिए कि इसमें किस आधार पर एमेटी को हम रख सकते हैं? जो नॉन रेजीडेंट इंडियंस हो गयी है। उसको हम किस तरह से हम स्ट्रेंग्थेन कर सकते हैं और उनके ऊपर कैसे विश्वास डाल सकते हैं? यह डीटीसी में इंक्ल्यूड करना चाहिए। टैक्स हैवेन की बात आयी है, कभी मॉरीशस रूट की बात होती है, तो यह कैसे खत्म हो जिससे कि हमारा फारेन डायरैक्ट रेवेन्यू, एफडीआई जो आ रहा है, वह भी कहीं परेशान न हो और हमारे कानून में जो इस तरह के लूप होल्स हैं, वे कैस रूकेंगे? इसके बारे में विशेष तौर पर आपको डीटीसी में देखना चाहिए। को-आपरेटिव कैसे आगे बढ़ेगा? टैक्स हालीडे के बारे में जैसा मैंने कहा कि एरिया बैस्ड टैक्स हालीडे हो, उसमें जो एरिया है, अपने को प्लानिंग कमीशन से चूज कर लेना चाहिए, तब जाकर डायरेक्ट टैक्स कोड का मामला कहीं न कहीं निपटेगा।

महोदय, जीएसटी आ रही है। जीएसटी के बारे में राज्यों के कुछ कंसर्न हैं। जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, तो राज्यों के जो कंसर्न हैं, उसकों कहीं न कहीं देखना चाहिए। उनका जो कंसर्न है, जो निम्न आय वाले राज्य हैं, उनको लगता है कि इस जीएसटी से कहीं न कहीं उनको नुकसान होगा। निम्न आय राज्य में झारखंड भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और छत्तीसगढ़ भी आता है, तो कहीं न कहीं उनके जो कंसर्न हैं, उसको जीएसटी में हमें देखना चाहिए। राज्यों की स्वायत्ता पर उनको लगता है कि कहीं न कहीं जो हम सॉवरेन स्टेट हैं, कहीं न कहीं फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे ऊपर कुछ न कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, वह खत्म होंगी। इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जीएसटी के कारण उनका जो नुकसान होगा, उसकी कैसे भरपाई करेंगे? जीएसटी के कुछ मुद्दे हैं।

वित्त मंत्री जी माफ करिएगा, आपके मंत्री जितनी भी स्पीच देते हैं, वह यह कहते हैं, कि आपके एनडीए के शासन में क्या था और हमारे शासन में क्या है? यह सुनते-सुनते 11 महीने से मैं थक गया हूं। मुझे यह लगा कि 63 साल इस आजादी को

हो गए, मुश्किल से 7-8 साल दूसरे ने शासन किया होगा, 55 साल तो आप ने ही शासन किया है।

यदि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे कि एनडीए के शासन में यह टैक्स रिजीम था, उसके ऊपर इतना टैक्स कलैक्शन था, इतना रूरल डैवलपमैंट में खर्च हो रहा था, इतना इरीगेशन में खर्च हो रहा था, सर्व शिक्षा अभियान में इतना खर्च हो रहा था, तो हम केवल ढसना ढसाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। 2800 बीसी और 1800 बीसी में देश की क्या स्थिति थी, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जब हम उससे आगे बढ़े, 1872 का सैन्सस कह रहा है कि 99 प्रतिशत जनता के पास रोजी-रोटी के लिए बहुत चीजें थीं। अकबर का मुगल अम्पायर कह रहा है कि 1600 ईस्वी में हमारा फाइनैंस साढ़े सत्रह मिलियन पौंड सत्रह मिलियन पौंड था। ग्रेट ब्रिटेन का 1800 में 16 मिलियन पौंड था, मतलब हम 1600 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन से ज्यादा आगे थे।

[अनुवाद]

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के इतिहासकार श्री एंगस मेडिसन ने कहा:

"वर्ष 1700 में वैश्विक आय में यूरोप के 23.3 प्रतिशत की तुलना में भारत का शेयर 22.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1952 में 3.8 प्रतिशत हो गई।"

[हिन्दी]

एंगस मेडिसन कह रहे हैं कि इंडिया का शेयर 22.6 प्रतिशत था और 1700 में यूरोप की इनकम 23.3 प्रतिशत थी। मेरा कहना है कि आप जब देश के बारे में बात करने जाएंगे, तो जो भी जवाब दीजिए कि 1991 में बजट क्या था, 1996 में बजट क्या था, अगर आप कहेंगे तो मैं वह आंकड़ा भी बता दूंगा। जितने लोग हुए हैं, वेद, पुराण है, महात्मा गांधी ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, सबने अंतिम आदमी की बात कही है, सबने गरीब की बात कही है। इसीलिए हमारे वेद में कहा गया है, पंडित कहते हैं- यानि कानिश्च् पापानि, जन्मांतर कृपानिच् तानि-तानि विनश्यन्ति प्रदशिण पदे-पदे। वे कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म केवल एक बार होता है और उसे अपने को गरीबों के प्रति लगाना चाहिए। हमारे वेद-पुराण की स्थिति रही है-सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। यदि उसे देखना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठकर अपने को उद्देश्य बनाने के लिए लगना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति महोदय, आज मान्यवर वित्त मंत्री जी न जो फाइनैंस बिल उपस्थित किया है, मैं उसके समर्थन में दो शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी राष्ट्र के वित्त के संदर्भ में नीति बनानी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी हो, कोई भी पार्टी सरकार में रहे, उस पार्टी की विचारधारा और उस नीति को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके अनुभव और विचाराधारा को साथ रखते हुए नीति बनाई जाती है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं और न ही मुझे अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान हैं। मैं जमीन का आदमी हूं। और पिछले 35 साल से सांसदीय राजनीति में काम कर रहा हूं। मैं इस संसद में तीसरी बार चुनकर आया हूं। मैं बहुत कूलली सबकी चर्चा सुनता हूं, देखता हूं और सारी चीजों का अध्ययन भी करता हूं। मैं किसी की आलोचना, समालोचना करने में विश्वास नहीं करता। यह जाहिर है कि संसद में हर व्यक्ति की सोच अलग-अलग होगी, विचार अलग-अलग होंगे और बोलने का तरीका अलग-अलग होगा। मुझे नहीं मालूम कि अगर हम सब लोगों के भाषण से देश में आर्थिक विकास हो जाए या देश प्रगति की ओर जाए, तो हम अभी तक उसे कहां तक ले आए हैं। इसलिए मुझे किसी के भाषण की ओर नहीं जाना है। जो वास्तविकता है, उसे देखना है। अगर पोलिटिकल पार्टीज के विचार आज जिन्दा हैं तो कहां तक हैं, इसे देखना होगा। हम देखते हैं कि जिस देश में सोशलिज्म के नाम पर, कम्युनलिज्म के नाम पर चर्चा हुआ करती थी, उस देश में गरीब के बारे में सोचने वालों का विचार आज डिरेल है। जिस तरह से इकोनॉमिक पालिसी बननी चाहिए, वह आज डिरेल है। हमने पिछले एक दशक से देखा है कि किस तरह से कम्युनल फोर्सेल को भी लोगों ने नकारा है। आइडियलिज्म नाम की बात पोलिटिक्स में जिंदा नहीं रही। मैं नहीं कहता कि मेरी पार्टी में यह नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने यहां तक अपने सैक्युलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेनटेन किया है, इसका इतिहास साक्षी है। हम उससे भी ज्यादा बढ़कर हम मानववादी बनें। मैं कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार के पिछले कार्यक्रमों को अच्छी तरह से देख रहा हूं कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच यूपीए सरकार की हर पालिसी में दिखाई दे रही है। हमने विद्यार्थी जीवन से ही आदरणीय प्रणब दा के जीवन का अनुभव देखा है। वे एक आर्थिक इकोनॉमिस्ट हैं। पता नहीं किस तरह से हमारे साथी, मित्र या हमसे कम उग्र के लोग उनको क्रिटिसाइट करते हैं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर उनसे कोई बड़ा अर्थशास्त्री इस हाउस में है, तो मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड की मेल्ट डाउन इकोनॉमिक सिचुएशन में वे किस तरह की अर्थनीति इस देश के लिए ला पाते। आज भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी हैं, जिनकी पालिसी फ्रेमवर्क, जिनकी नॉलेज के बारे में, पूरा वर्ल्ड जानता है कि वे एक वर्ल्ड लैवल के इकोनॉमिस्ट हैं। वे किस तरह से अपने देश की इकोनॉमी को फ्रेमआउट करेंगे, इस बात को भी तमाम वर्ल्ड जानता है। यूपीए सरकार के समय में कितनी क्रांतिवादी विचारधारा संविधान के अन्तर्गल लायी गयी। यूपीए की

अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी किस तरह से मानवीय विचार, यहां आम आदमी की बात हो रही है, मैं आम आदमी पर आने के लिए यह बात रख रहा हूं इसलिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है कि हमारी पार्टी के नेता लोग गरीब जनता को किस लैवल तक जाकर अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन सारे अध्ययनों को लेकर अपनी पालिसी बनाने की बात कर रहे हैं।

अभी यहां गरीबी की परिभाषा कही गयी। सब जानते हैं कि मैं कालाहांडी क्षेत्र से आता हूं। कालाहांडी मेरा संसदीय क्षेत्र है। इस कालाहांडी को मैंने पैदल ही नापा है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां गाड़ी, घोड़ागाड़ी, हवाईजहाज या हेलीकॉप्टर में गया, मैं वहां पैदल गया हूं। केवल कालाहांडी ही नहीं, बल्कि कलाहांडी के साथ-साथ पूरे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सें पिछले इलाकों, महाराष्ट्र के पिछले इलाकों में विद्यार्थी जीवन से काम करता आया हूं। आम आदमी की परिभाषा शायद मैं ठीक से जानता हूं। मेरी परिभाषा में अगर आम आदमी को देखा जाये, तो आम आदमी जो कमाई करते हैं, आज हमारी सरकार, यूपीए सरकार इस पालिसी को, अर्थनीति का संसद में किसके लिए लेकर आयी है, इस बात की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो लोग जंगल में लकड़ी संग्रह करके बेचते हैं, पत्ता कलैक्ट करके बेचते हैं, फल-फूल और पेड़ों के रस को संग्रह करके बेचते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में है। उनकी ट्रेडीशनल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। प्रकृति ने उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन उनकी आमदनी क्या होती है? मैं इस बात को मानता हूं कि उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा पर डे 20 से 30 रुपये होगी और मैक्सिमम साल में 10 हजार रुपये से 60 हजार रुपये तक होगी। दूसरे केटेगिरी के लोग कौन हैं।? जो एनआरजीएम में काम करते हैं, कृषि मजदूर का काम करते हैं, वे रोज सौ रुपये से ज्यादा कमाते हैं, तो उनकी आमदनी 12 हजार रुपये से 50-55 हजार रुपये तक पर ईयर होगी। सबसे ज्यादा संख्या में लोग इन दो कैटेगरीज में हैं। उसके बाद की कैटेगरी में सेमी स्किल्ड लेबरर्स लोग आते हैं, जो 35 से 70 हजार रुपए साल में कमाते हैं। उसके बाद स्किल्ड लेबर लोग होते हैं, जिनको मिस्त्री, टैक्नीशियन कहा जाता है, उन लोगों को 200 से 300 रुपए प्रतिदिन और 70 हजार से 1,50,000 सलाना आय होती है। इसके बाद छोटे कर्मचारी हैं, जिनमें कैजुअल लेबर, पियन, क्लर्क, टीचर आदि होते हैं, इनकी बहुत व्यापक संख्या होती है। आप अगर इन सभी लोगों को जोड़ दीजिए, तो यही लोग 1,60,000 रुपए सेलरी के अंदर आते हैं। हमारी सरकार ने इन लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया। इस बात से जाहिर है कि जो 90 प्रतिशत लोग हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? ये लोग इंसान हैं, उनको इंसानियत की जिंदगी चाहिए। इसके लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रहन-सहन और जीवनयापन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया। हैल्थ के लिए 1,40,135 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। यह एनडीए पीरियड से 227 प्रतिशत ज्यादा हैं। यह पैसा कहां से आएगा? उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के बजट को पिछले साल के 19534 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22300 करोड़ रुपए किया गया है।

आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य। देश के जिस 90 करोड़ गरीब और आम आदमी की बात हमारे विपक्ष के लोग करते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। इसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मित्र संजय जी बता रहे थे कि 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में 16 प्रतिशत की वृद्धि इस साल की है। कैसे इस पैसे की व्यवस्था की जाएगी अगर कुछ जगहों पर बढोत्तरी नहीं की जाएगी? गरीब मरते हैं, बिना अनाज के लोग मरते हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जाए, तो गरीब जो सबसे कम कमाता है, कहां से पैसा लाएगा और चावल एवं गेहूं खरीदेगा? उसकी खरीदने की कैपिसिटी नहीं है, इसीलिए सब्सिडी देनी पड़ती है, इसीलिए फूड एनश्योर करना पड़ता है, इसीलिए 55,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात हमारी सरकार ने कही है। कृषि क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में कांग्रेस की या यूपीए की सरकार नहीं है, इन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, लेकिन ईस्टर्न एरिया में ग्रीन रिवोल्युशन के लिए, कृषि के विकास के लिए, रेनफेड एरिया में विकास के लिए भारत सरकार ने चार सौ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। यह एक उपलब्धि है, इसमें राजनीतिक सोच नहीं होती है। इस एरिया में जो समस्याएं हैं, उनको दूर करके वहां समृद्धि लाने का यह एक प्रयास है, सतत प्रयास है, सचेत प्रयास है, यह साधु प्रयास है। आप हर चीज को राजनीतिक बातों पर कहकर, तर्क देकर नकार नहीं सकते हैं। जो ग्रीन रिवोल्यूशन ऑलरेडी हुई है, अलग-अलग प्रोग्राम्स में उसको मेंटेन करने के लिए कृषि क्षेत्र में अभी 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों के क्रेडिट के लिए 3,75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए छः महीने का और समय दिया गया है। किसानों के सम्बन्ध में जो सरकार की सोच है, यह प्रगतिशील विचारधारा की बात है, मानवीय विचारधारा है।

भारत वर्ष का निर्माण कैसे होगा, अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप नहीं किया जाएगा, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा।

इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए 1,73,352 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 13 प्रतिशत राशि की बढ़ोत्तरी की गई है और 950 करोड़ रुपए रेलवे के विकास के लिए अलाट किए गए हैं। इस तरह यदि देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारी सरकार इन्क्लूसिव डवलमेंट की बात कर रही है।

सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तू निरामया
सर्वेभद्राणि पश्चयन्तु मा कश्चित दुख भाग भवत।

हमारी सरकार की पूरी अर्थनीतिक एप्रोच इन्क्लूसिव ग्रोथ है और उसके लिए ईमानदारी से हमारे वित्त मंत्री जी ने उसे सदन में पेश करने का काम किया है।

आज जिन बातों की चर्चा यहां होती है, तनाव की स्थिति आ जाती है तो कभी-कभी मुझे लगता है कि यहां शत्रुता का वातावरण बनने की परिस्थिति पैदा हो गई है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है और मैं सोचता हूं कि हमारे मित्र क्यों ऐसी बातें करते हैं। सबको सरकार बनाने को मौका मिला है और अपनी नीतियां बनाकर राष्ट्र को मजबूत बनाने का मौका मिला है। कौन कितना कर पाया, कौन नहीं कर पाया, इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं, मैं इस सदन में तीसरी बार चुनकर आया हूं और मैं बहुत कम बोलता हूं। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं कि यूपीए सरकार ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, यह केवल मानवीय सरकार ही उठा सकती है, दूसरी अन्य कोई सरकार नही उठा सकती है, सदन में बातें करने वाले बहुत हैं। मैंने साथ काम किया है और सबकी राजनैतिक सोच मैं जानता हूं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे और आपके भाषणों से ही राष्ट्र मजबूत नहीं होगा।

इस राष्ट्र में जो खामियां हैं, इतनी योजनाओं के बावजूद, इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद, सरकार की मानसिकता और योजनाएं बनाने वालों की मानसिकता के बावजूद इस राष्ट्र में वह माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि जो नौकरशाही है, जो काम करने वाली है, वह सही रूप से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाई है। हमने संसद के माध्यम से जिन योजनाओं को बनाया, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी को एक उचित माहौल बनाना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए ताकि हर योजना कामयाब हो और हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर चर्चा करने का मौका दिया।

इस सम्मानित सदन के अनेक सदस्यों ने आज वित्त विधेयक की चर्चा में भाग लिया।

महोदय, हम सभी वित्त विधेयक से अवगत हैं। हम सभी ने पहले भी इस चर्चा में भाग लिया था और वित्त विधेयक के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। यह कोई नया मुद्दा नहीं है।

विगत छह वर्षों में, जब भी बजट पर चर्चा हुई तब कर प्रणाली का उल्लेख किया गया।

महोदय, वित्त विधेयक अचल सम्पति पर सेवा कर लगाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वह कर ढांचे पर पुनर्विचार करें।

महोदय वित्तीय ढांचा विकास को तेज अथवा धीमा कर सकता है। इसलिए इसका विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की वृद्धि के लिए प्रमुख है। सामाजिक सेवाओं पर केन्द्रीय सरकार का व्यय जिसमें ग्रामीण विकास सम्मिलित है बढ़ गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम में केन्द्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह राजकोषीय प्रबंधन में अन्तरसृजनात्मक साम्या और दीर्घकालिक व्यष्टि अर्थव्यवस्था स्थायित्व सुनिश्चित करे जिसके लिए उसे पर्याप्त राजस्व अधिशेष अर्जित करना चाहिए और मध्यम-अवधि ढांचे में मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यकरण में राजकोषीय बाधाओं को दूर करना चाहिए।

महोदय, अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाएगी जिससे कि परियोजना विकास व्यय में सहायता मिले और परियोजना तैयारियों की प्रक्रिया में त्वरित वृद्धि हो। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को इसलिए प्रदान की जानी चाहिए कि सामान्य केन्द्रीय सहायता निधियों के अतिरिक्त जो राज्य सरकारों को विभिन्न नियमित योजना स्कीमों के अंतर्गत मुहैया कराई जाती है विभिन्न राज्य योजना स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा सके।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की कीमतों में पिछले छह महीनों में दुगने से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इस मुद्दे पर, यूपीए मौन है। मैं यहां मूल्य वृद्धि के बारे में बात नहीं करूंगा। परन्तु मैं इस सम्मानित सदन के ध्यान में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें लाना चाहता हूं। आज हमारे देश में कुपोषण मामले

का प्रतिशत बहुत अधिक है जो नाइजीरिया और अन्य दक्षिण अफ्रीकी देशों जैसे निर्धनतम देशों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं हमारा पड़ोसी देश, बांग्लादेश में कुपोषण केवल पांच प्रतिशत है जबकि हमारा देश, भारत में कुपोषण 45 प्रतिशत है। कुपोषण केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, इसने हमारी पूरी जनसंख्या को प्रभावित किया है।

महोदय, कुपोषण एक प्रमुख समस्या है। अनेक राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से पुरुलिया, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पश्चिम मिदनापुर में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बहुत जनसंख्या है। वे बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं अथवा वो चाय बागानों और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। उनकी औसत मासिक आय 1500 रु. से कम है। आज, बाजार सब के लिए एक समान है, चाहे मैं हूं, आप हों, यहां काम करने वाले हैं, किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, किसान इत्यादि हों। हम कैसे यह आशा कर सकते हैं कि वे गरीब लोग जो 1500 रु. प्रतिमाह से कम कमा रहे हों, हमारी तरह का भोजन पा सकते हैं? वे कुपोषण का सामना करेंगे। एकमात्र कारण मूल्यवृद्धि है और कुछ नहीं।

इसलिए सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहिए। जब हम दो अंकों की वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो सरकार को जमीनी स्तर पर सभी योजनाएं कार्यान्वित करनी चाहिए। वे सब भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। तब ही हम 45 प्रतिशत कुपोषण को शून्य प्रतिशत करके अपनी नाक कटने से बचा सकते हैं।

महोदय, आजादी के 63 वर्ष बाद भी, धनवानों और निर्धनों के बीच अन्तर दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। कल, भारत बन्द का आयोजन 12 घंटे के लिए मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर किया गया। बन्द खूब सफल रहा, जो कि यूपीए-II सरकार की वित्तीय नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया।

अपनी पार्टी, आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक की ओर से मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा बजट में जो घोषणा की गई थीं, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैं सिर्फ फाइनैन्स बिल पर अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करूंगा। फाइनैन्स बिल में जो उपबंध और प्रोविजंस होते हैं, उन तक ही मैं अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा बजट में जो घोषणा की गई थी, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश में वैट (वैल्यू एडिड टैक्स) लागू होने की बात हुई और उस समय इसी सदन में 2005 में घोषणा की गई थी कि वैट जैसे ही लागू होगा, हम सीएसटी को समाप्त कर देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि वैट लागू हुए बहुत समय हो गया, परंतु आज भी सीएसटी समाप्त नहीं हुआ है। देश में दो परसैन्ट की दर से सीएसटी आज भी प्रचलित है। मैं कहना चाहता हूं कि जो घोषणा 2005 में सदन में हुई थी, वह पूरी होनी चाहिए और चूंकि वैट लागू हो गया, इसलिए सीएसटी जीरो स्लैब पर आना चाहिए। यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं।

मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूं, वह इंकम टैक्स स्लैब के बारे में हैं। यह बात चर्चा में काफी आ गई है, लेकिन मैं इसे थोड़ा रिपीट इस सैंस में करना चाहता हूं कि अभी यह बात आई थी कि **UPA** मानवतावादी दृष्टिवादी या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं और एक लाख साठ हजार से नीचे जिनकी इंकम है, उनके बारे में हमने ज्यादा सोच-विचार किया है। यह बात ठीक है कि जो एक लाख साठ हजार पर एनम की इंकम वाले लोग हैं, उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन क्या एक लाख साठ हजार से दो लाख पचास हजार तक इंकम करने वाले लोग मानवता की श्रेणी में नहीं आते? मैं कैटेगरिकली जानना चाहता हूं कि वे भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इस देश में जो विभिन्न कारपोरेशंस हैं, उनके कर्मचारी हैं। वे भी अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक लाख साठ हजार से तीन लाख तक पहले स्लैब दस परसैन्ट था और उन्हें नौ हजार रुपये तक का टैक्स देना पड़ता था। अब भी इसमें एक लाख साठ हजार से तीन लाख तक वही दस परसैन्ट का स्लैब रखा है और उसमें नौ हजार रुपये टैक्स अभी भी देना पड़ता है। इसलिए जिनकी इंकम दो लाख पचास हजार से नीचे हैं, उन्हें इस बजट में कोई लाभ नहीं हुआ और यदि इस स्लैब से ऊपर चलते हैं तो ढाई लाख से पांच लाख वालों को 25 हजार रुपये तक का लाभ हुआ और जिनकी सालाना इंकम पांच लाख से आठ लाख रुपये तक हैं, उन्हें लगभग 55 हजार रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से आपने ऊपर वालों को ज्यादा लाभ दिया और जिनकी इंकम कम थी, उन्हें कम लाभ दिया। यह बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो विसंगति है, इसे दूर करने की जरूरत है। यदि आप लाभ देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऊपर की

इंकम वालों को लाभ कम देना चाहिए और जिनकी इंकम कम है, उन्हें ज्यादा लाभ देना चाहिए। लाभ देते समय यदि आप ऐसा सोचते तो आप ज्यादा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते।

इसके अलावा मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने फाइनैन्स बिल में 44 एबी सैक्शन का संशोधन किया, इसमें कम्पलसरी ऑडिट का प्रावधान है। 1 जून, 1984 से यह सीमा चालीस लाख थी और जिसे आपने बढ़ाकर साठ लाख कर दिया। 26 सालों के बाद यह सीमा बढ़ी, 26 सालों के बाद सरकार को ध्यान आया कि इसमें सीमा बढ़नी चाहिए। वित्त मंत्री जी इंकम टैक्स का जो इंफ्लेशन का फार्मूला है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। 1981 का जो इंडैक्स है, उसके आधार पर आईटी डिपार्टमैन्ट इंफ्लेशन का एक फार्मूला तय करता है। मान लीजिए वर्ष 1981 में 100 इंडेक्स था तो वह 2010 में इन्हीं के फॉर्मूले के आधार पर 652 आता है। अगर उसका इंफ्लेशन रेट जोड़ें तो वह 6.5 परसेंट आती है। यह **I.T.** की जो पॉलिसी है, इसे ये लांग टर्म कैपिटल गेन इंफ्लेशन का फॉर्मूला कहते हैं। इसके आधार पर यह 6.5 परसेंट आती है। इन्होंने 26 साल बाद इसमें अमेंडमेंट किया और उसे 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया। अगर हम उसे देखें तो यह रेट 1.5 परसेंट आती है। जब आई.टी डिपार्टमेंट इंफ्लेशन के लिए फॉर्मूला तय करता है, तब तो यह रेट लेता है और जब किसी को छूट देने की बात आती है तो वह अपने फॉमूले से ही मुंह मोड़ लेता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इफ्लेशन रेट का जो फॉर्मूला आई.टी. डिपार्टमेंट में लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत लागू करते हैं, वही फॉर्मूला धारा 44 (एबी) में अमेंडमेंट करते समय लागू करना चाहिए। यह जो 60 लाख की सीमा है, यह कम है। उस फॉर्मूले के अनुसार यह सीमा 2.5 करोड़ पड़ती है। यह सीमा 2.5 करोड़ होनी चाहिए थी, अगर आप इसे 2.5 करोड़ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 करोड़ तो कर दीजिए। यह डिमांड बहुत से ग्रुपों से आ रही है। आपने 26 साल बाद इसके बारे में सोचा, यह अच्छी बात है और मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बारे में सोचते समय आई.टी. डिपार्टमेंट का जो लांग टर्म कैपिटन गेन का जो फॉर्मूला है, उसे ध्यान रखना चाहिए था। यह 6.5 परसेंट के अनुसार बढ़नी चाहिए थी। यह बढ़ी नहीं है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अगर आप इसे 2.5 करोड़ नहीं कर सकते तो कम से कम इसे एक करोड़ करने की व्यवस्था करें, इसे 60 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की बात करें, जिससे स्मॉल बिजनेसमैन, हम एसएसआई की बात करते हैं, छोटे लघु उद्यमों की बात करते हैं, उन्हें इसमें लाभ मिल सके। मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह बहुत जरूरी है और इसके बारे में बहुत कम चिंता की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आई.टी. ट्रिब्यूनल है। इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो लांग पैंडिंग लिटीगेशन आई.टी. में करीब एक लाख के आसपास हैं। मैं आपके माध्यम से मानवयी वित्त मंत्री जी से अपील करता हूं कि क्या ट्रिब्यूनल में मेंबर पूरे हैं, ट्रिब्यूनल की कितनी शाखाएं हैं और वे कहां-कहां स्थापित हैं? अगर ऐसे मामले ज्यादा आ जाते हैं तो जैसा कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम आया है। इससे कोर्ट से मामले जल्दी डिस्पोजल होने लगे हैं, क्या आई.टी. ट्रिब्यूनल में भी फास्ट ट्रैक जैसा कोई सिस्टम लागू करेंगे, अगर इसे लागू करेंगे तो एक लाख के आसपास जो पैंडिंग मामले हैं, उनका जल्दी डिस्पोजल होगा और लोगों को सीए के भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आई.टी. डिपार्टमेंट में भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ज्यूडिशरी ने अपने को जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो यह जो आई.टी. ट्रिब्यूनल है, इसमें जो छोटे बिजनेस मैन हैं या जो छोटे उद्यमी हैं, जिनके मामले **I.T.** ट्रिब्यूनल में बहुत लंबे समय से मामले पैंडिंग हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है।

[अनुवाद]

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदयः माननीय सदस्य महोदय, आपको कितना समय चाहिए?

श्री अर्जुन राम मेघवालः महोदय, मुझे छह मिनट और चाहिए। इससे ज्यादा नहीं।

सभापति महोदयः दो या तीन मिनट में पूरा करने का प्रयास कीजिए। तब हम "शून्य काल" शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्य के भाषण समाप्त करने तक का समय बढ़ाया जाता है। श्री मेघवाल शीघ्र भाषण पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवालः महोदय, हिमाचल और उत्तराखण्ड की टैक्स होलीडे की छूट समाप्त कर दी गई है, जबकि जम्मू-कश्मीर की बढ़ा दी गई है। जे एण्ड में छूट बढ़ाई गई हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हिमाचल और उत्तराखण्ड भी जे एण्ड के की तरह पहाड़ी क्षेत्र हैं। उसकी भी छूट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसी के साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोग दुर्गम स्थानों में रहते हैं, डिफकल्टीज में रहते हैं, उसी प्रकार से रेगिस्तानी लोग भी डिफकल्टीज में रहते हैं। रेगिस्तान में दूर-दूर तक गांव नहीं होते हैं। मैं बीकानेर से आता हूं। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट रेगिस्तान हैं। यहां निवेश बहुत कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी अपील

करता हूं कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड का टैक्स होलीडे बढ़ाया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कई बिज़नेस ऐसोसिएशन्स में रहा हूं और आईएएस आफिसर के तौर पर भी उनमें गया हूं। उनके अधिकतर लोगों की राय है कि आयकर की तीस प्रतिशत की स्लैब को 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। इससे रेवैन्यू ज्यादा आएगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा अंतिम प्वाइंट है कि आपने एसैसमेंट के लिए तो ई-फाइलिंग लागू कर दिया है, लेकिन रिफण्ड के लिए ई-रिफण्ड नहीं किया गया है। आयकर विभाग में रिफण्ड के केसीज बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से आपने एसैसमेंट के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है, उसी प्रकार से ई-रिफण्ड सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट पर एक स्टडी आयी थी कि रिफण्ड के लिए लोगों को विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए ई-फाइलिंग के साथ-साथ ई-रिफण्ड का सिस्टम लागू करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अब हम 'शून्य काल' आरंभ करेंगे।

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): सभापति महोदय, भारत विविधताओं का देश है। इसकी संस्कृति, विश्वास, रस्में, भोजन, पहनावा और भाषाओं में विविधता ही भारत को एक अनन्य देश बनाता है। विविधता में एकता के प्रति हमारी सत्यनिष्ठा को पुन: दोहराते हुए, हम कभी भी अपनी भाई और सांस्कृतिक विरासत के विविध पहलुओं को एक बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में सभी संभावित साधनों से समृद्ध बनाने में नहीं हिचके।

हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार 22 अनुसूचित भाषाएं हैं। केन्द्र सरकार को आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध प्रमुख आंचलिक भाषाओं में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सरकार को कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा केन्द्रों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम के लिए अलग केन्द्र आरंभ करने के लिए समयबद्ध पहलें करनी चाहिए।

अनुसूचित भाषाओं में एक मलयालम नई दिल्ली में कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में मलयालम भाषा में अनुसंधान तथा साहित्यिक अध्ययन की सुविधा थी। यह स्पष्ट नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय दीर्घावधि में ऐसी पहलें करने से क्यों हिचक गया।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है वहां भारतीय भाषाओं के लिए एक केन्द्र है। हिन्दी, उर्दू और तमिल के अलावा अन्य अनुसूचित भाषाओं जिनमें मलयालम भी शामिल है को जेएनयू में भारतीय भाषाओं के इस अति विख्यात केन्द्र में स्थान नहीं मिल रहा है। यह हमारी समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत, जिस पर हमें गर्व है और जिसका हम दावा करते हैं के लिए शर्मनाक है।

मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत की राजधानी, नई दिल्ली में उच्च शिक्षा केन्द्रों में मलयालम और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): सभापति महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुदुकोट्टि जिले में किसान और कृषक मजदूर हैं। कुल जनसंख्या लगभग 15 लाख है। अधिकांश लोग केवल कृषि पर निर्भर हैं। कृषि योग्य कुल भूमि 2,87,475 हैक्टेयर है। चूंकि नहर से सिंचाई नहीं होती इसलिए वे अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए वर्षा के जल तथा भूमिगत जल पर निर्भर हैं। वे ट्यूब वैल के माध्यम से भूमिगत जल प्राप्त करते हैं, जिसके लिए विद्युत आपूर्ति अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में उन्हें राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार दिन के नौ घंटे के स्थान पर मात्र 2 घंटे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है।

अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण वे अपने कृषिगत कार्यकलापों को जारी नहीं रख पाते, जो जनता की मुख्य जीवनधारा है। इसके अतिरिक्त जिले में कोई मुख्य उद्योग भी नहीं हैं जिनसे लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। अपर्याप्त जलापूर्ति के कारण लोगों को जॉब न मिलने के कारण साथ के जिले में प्रवास करना पड़ रहा है। पुदुकोट्टि जिले के कृषकों की ऐसी दयनीय स्थिति है।

मैं इस पवित्र सभा के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि पुदुकोट्टि जिले के उन कृषकों को अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाए ताकि वे अपने कृषि कार्य कर सकें।

श्री नरहरि महतो (पुरुलिया)**:** सभापति महोदय, मुझे 'शून्य काल' में बोलने देने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में एक हॉल्ट स्टेशन है ग्रहजयपुर जो दक्षिण पूर्व रेलवे के आंध्र मंडल में आता है। ग्रहजयपुर खंड मुख्यालय भी है। यहां अनेक महत्वपूर्ण संस्थान जैसे पुलिस स्टेशन, लड़कों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय और लड़कियों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय और एक महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के ब्लॉक स्तरीय कार्यालय भी यहां स्थित हैं। 50 से अधिक ग्रामों के लाखों लोग ग्रहजयपुर रेलवे स्टेशन का उपयोग अप और डाउन यात्राओं के लिए करते हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व पहले वहां छोटी रेलवे लाइन थी। तब इस स्टेशन को पूरे स्टेशन का दर्जा प्राप्त था परन्तु जब छोटी रेल लाइन को बड़ी (ब्रॉड गेज) लाइन में परिवर्तित किया गया तब इसे उन्नयन करके पूर्ण स्टेशन का दर्जा नहीं दिया गया अपितु इसकी अवनति कर इसे हॉल्ट स्टेशन बना दिया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्रहजयपुर रेलवे हॉल्ट स्टेशन को पूर्ण (फुल फ्लेजेड) स्टेशन घोषित किया जाए और इसे 'आदर्श' स्टेशन भी बनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी)**:** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, हाउस में हमेशा इस बात की चिन्ता रहती है कि देश की बाहरी और आन्तरिक सुरक्षा को उत्पन्न खतरों से कैसे बचाया जाए। मैं अपने देश की खुफिया एजेंसी को बधाई देना चाहता हूं कि उसने कल-परसों, एक आई.एफ.एस. अधिकारी, इस्लामाबाद के दूतावास में जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है। उससे बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश को हुई है। अगर देखा जाए, तो इसी खुफिया एजेंसी और सूचना की चूक के कारण अपने देश के लिए जो आन्तरिक और बाहरी खतरे हुए हैं, उन से सैकड़ों और हजारों आदमियों की जानें गई हैं। इस बात से हम पीछे नहीं हट सकते हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए, सुरक्षा की चूक, चाहे आन्तरिक खतरे हों या बाहरी, हमेशा हुई है। पूर्व में सूचना भी रही है कि यहां पर यह घटना घटने लगी है, फिर भी हम से चूक हुई है। इस्लामाबाद की जो घटना हुई है, उसमें एक आई.एफ.एस अधिकारी गिरफ्तार की गई हैं। इस प्रकार की तमाम घटनाएं हुई हैं, जिनमें हमारी खुफिया एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हमें और कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें और अधिक सफलता मिल सके।

महोदय, चूंकि आनंद शर्मा जी, हमारे विदेश मंत्री भी रहे हैं और इस समय भी यहां उपस्थित हैं और देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पूरे विश्व में, जहां-जहां भी, जिन-जिन देशों में भारतीय दूतावास हैं, वहां की खुफिया एजेंसी, इतनी चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि जो हमारे बाहरी खतरे हैं, जो बहुत सारी खुफिया जानकारी देने का काम अन्य देशों को करते हैं, उन पर हमारी निगरानी चाहिए और प्रति माह इसकी हमें समीक्षा करना चाहिए। ताकि बाहरी और देश के अंदर होने वाले जो खतरे हैं, उनसे निजात मिले और जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, वे न मारे जाएं। इस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए और इसकी समीक्षा करते हुए हमें उन जानों से रोकना चाहिए। इस प्रकार की जो भी एजेंसियां देश के अंदर और बाहर है, उनकी समय-समय पर समीक्षा करते हुए, इन जानों को जाने से हम बचा सकते हैं। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी: (धारवाड़)**:** महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। कर्नाटक राज्य में बंगलौर के बाद हुबली धारवाड़ दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इन राजमार्गों में से एक पर अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 63 पर रेलवे समपार है जिसे गेट संख्या एक कहते हैं। यह शहर के के मध्य में है जिससे बहुत ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक खतरे उत्पन्न हो रहे हैं।

बार-बार अपील, अनुरोध और आंदोलनों के पश्चात रेलवे ने इन जाम और खतरों से बचने के लिए इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे ने एक आरयूबी (अधोपुल) बनाने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा 2009-2010 को रेल बजट में की गई और इसके लिए रेलवे के भाग के रूप में 6.5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। यह रेलवे 'आरयूबी' की लागत का लगभग 50% है। परन्तु चूंकि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और अभी तक कुछ नहीं किया गया है, इसलिए मैं रेल मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय दोनों ही से अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग 63 पर गेट संख्या एक पर रेलवे उपरि पुल का कार्य तत्काल आरंभ किया जाए। अन्यथा लोग आन्दोलन करेंगे क्योंकि यहां ट्रैफिक का खतरा बहुत अधिक है और इससे बहुत सी समस्याएं भी आ रही हैं क्योंकि यह शहर के भीतर है। मैं एक बार पुनः दोनों मंत्रालयों से अनुरोध करता हूं कि कार्य तुरंत आरंभ किया जाए।

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी)**:** माननीय सभापति महोदय, मुझे शून्य काल में बोलने की अनुमति के लिए आपका धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के 19 चाय बागानों के मालिकों द्वारा पैसा न जमा कराए जाने के गंभीर तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस संबंध में, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि चाय बागानों के मालिकों ने पिछले कुछ वर्षों से पीएफ के खाते में पैसा जमा नहीं कराया है। यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि पीएफ देयताओं में वह धन शामिल है जो नियोक्ताओं ने कामगारों की मजदूरी में से भविष्य निधि के लिए अंशदान के रूप में काट लिया है। उन्होंने वह पैसा भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराया है। यह समझ नहीं आता है कि उत्तरी बंगाल के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को चाय बागानों के उन मालिकों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है।

मैं केन्द्रीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी तक भविष्य निधि चूककर्ताओं अर्थात उत्तरी बंगाल क्षेत्र के जलपाईगुड़ी जिले में बन्द हो चुके या परित्यक्त चाय बागानों के नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। मुझे पता चला है कि उत्तरी बंगाल में ही 19 चाय बागानों के कामगारों के भविष्य निधि देय 168 करोड़ रुपये हैं।

मुझे उम्मीद है कि आप मामले की गंभीरता को समझेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि कामगारों को बिना किसी विलंब के उनके कानूनी देय मिल सके।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति महोदय, मैं एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रही हूं और स्वामी जी को कहूंगी कि मंत्री जी तक यह बात पहुंचायें। हमारे बच्चों ने जो रेलवे की विश्व टेबल टेनिस स्पर्धा रशिया में हुई थी, इस विश्व रेलवे टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में हमारे यहां की जो टीम गई थी, उन्होंने दो स्वर्ण पदक वहां पर प्राप्त किये हैं। मुझे इसलिए गर्व होता है कि एक स्वर्ण पदक लाने वाला लड़का अर्पित भोपालकर मेरी कांसटीट्वेंसी इन्दौर का ही है। यही नहीं, जो पूरी दूसरी टीम गई थी, पुरुष युगल में, महिला युगल में और मिक्स डबल में तीनों में कांस्य पदक भी इन लोगों ने जीते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मुख्य मुद्दे की बात करें। आपकी सूचना राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विज्ञापनों हेतु एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को स्पान्सरशिप देने के संबंध में है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मैं उसी पर आ रही हूं। यह एक अच्छी बात है, वे बधाई के पात्र हैं। रेल मंत्रालय उन्हें बधाई तो दे।

लेकिन जो दूसरी बात आती है कि हमारे खिलाड़ी तो अच्छा खेल खेलते हैं, लेकिन यहां कई बार जो व्यवस्थाएं होती हैं, मैं उसका प्रश्न उठाना चाहूंगी। अभी जो जानकारी मिली है, वह थोड़ी चिन्ताजनक इसलिए है कि हमारे यहां जो कॉमनवैल्थ गेम्स हो रहे हैं, उसमें जानकारी यह है कि इन कॉमनवैल्थ गेम्स में एड लाने के लिए, स्पॉन्सशिप लाने के लिए सिंगापुर की कोई स्पोर्ट्स मार्केटिंग एण्ड मैनेजमेंट कम्पनी है, मालूम नहीं कैसे, इस कम्पनी को एक प्रकार से ठेका दिया गया है और ठेका भी ऐसा दिया गया है कि 15 परसेंट या 22 परसेंट कमीशन जो वे स्पॉन्सरशिप लाएंगे, उस पर दिया जायेगा। उसमें भी उन्होंने बाहर से तो स्पॉन्सरशिप नहीं लाई, लेकिन हमारे यहां के जो पी.एस.यूज़. हैं, जैसे एन.टी.पी.सी. ने 50 करोड़ रुपये दिये हैं, सैण्ट्रल बैंक ने 51 करोड़ रुपये दिये हैं, इनके ऊपर अगर इनको 15 से 22 परसेंट हम कमीशन देने लग जायें तो यह कहां का औचित्य है, यह किसने इस प्रकार से तय किया? इस कमीशन में वे कितनी स्पॉन्सरशिप बाहर से लाये और पहली बात तो यह है कि 22 प्रतिशत तो जो कमीशन दिया गया है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस बात की जांच होनी चाहिए कि हमारे ही पी.एस. यूज़. ओलम्पिक्स में कुछ मदद करें और उसमें किसी बाहर की कम्पनी को कमीशन दें, यह कतई उचित प्रतीत नहीं होता है। इस पूरे मामले की कहीं न कहीं जांच चाहिए, ऐसी मैं मांग करती हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा उठाए गए मामले के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: कृपया पर्ची पटल पर भेजें।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, आपने शून्य काल में हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

भारत नेपाल सीमा पर बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में जमुनिया प्रखंड क्षेत्र में केन्द्रीय सीमा शुल्क कार्यालय स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। यहां पर खुले आम अवैध तस्करी

हो रही है। जो सही व्यापारी हैं, उनका सीमा सुरक्षा बल द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें बहुत सताया जाता है और विधिवत् वसूली नहीं होने के कारण अवैध लोगों के प्रवेश की स्वतंत्रता एवं प्रभुत्व वहां बनता जा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। वहां नेपाल सीमा से ही जाली नोटों को आवागमन होता रहता है। अधिकतर जो क्रिमनल हैं, वे मर्डर करने के बाद नेपाल सीमा में घुस जाते हैं, यह भी सोच का विषय है और इसे रोकने की आवश्यकता है। इसके साथ ही केंद्रीय सरकार को जो सबसे ज्यादा राजस्व की हानि हो रही है, इस पर निगरानी करने की आवश्यकता है।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ्फरपुर): महोदय, आपने शून्यकाल में अतिआवश्यक लोकमहत्व के मामले को उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नरेगा के तहत भारत सरकार साल में सौ दिन मजदूरों को काम देने की योजना को पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है। इसके लिए मजदूरों को जॉब कार्ड भी वितरण किए गए हैं। नरेगा शुरू होने से खेती के लिए किसानों को खेती के समय मजदूर मिलने में दिक्कत होती है। इसलिए इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इसमें से साठ रुपए किसानों को दिए जाएं और चालीस रुपए मजूदर को सीधे-सीधे मिले। उस साठ रुपए से किसान सिंचाई हेतु बिजली का बिल भी अदा करेगा और अपनी तरफ से और पैसा मिलाकर मजदूरों का भुगतान भी करेगा। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। इसके लिए सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, क्योंकि सरकार को पेट्रोल से प्रति लीटर एक रुपया और डीजल से पचास पैसे राजस्व मिलता है। इस तरह मजदूरों को साल के 365 दिन काम मिलता रहेगा और सरकार द्वारा विकास कार्य हेतु मजदूर भी समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। मजदूरों का अपने गृह स्थान पर 365 दिन काम मिलने लगेगा। महंगाई भी कम होगी और किसान समय पर खेती करा सकेगा। किसानों की आत्महत्या रुकेगी और हर कृषि क्षेत्र का समान रूप से विकास होगा तथा राष्ट्र भी आत्म निर्भर होगा।

अत: केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि यह विषय काफी गंभीर है और इस मामले को सरकार संज्ञान में लेकर नरेगा में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करे।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, बिहार बाढ़, सुखाड़, तूफान को झेलने के बाद आगजनी का शिकार है। गरीबी के कारण ग्रामीण आवास आज भी मुख्यत: फूस के बने हुए हैं। गंगा के दियारे में तो सत्तर-अस्सी फीसदी आवास झोपड़ी के बने हैं। आग लगने के बाद गांव के गांव पूर्णतया जल जाते हैं, तथा पूरी आबादी गृहविहीन हो जाती है। इस वर्ष गंगा के किनारे बसी आबादी समय से पूर्व भयानक तपिश का शिकार है। अकेले बक्सर, कैमूर, रोहताश में सैंकड़ों गांव आगजनी के शिकार हो चुके हैं। हजारों लोग गृहविहीन हो गए हैं तथा खलिहान में रखा अनाज जल जाने के कारण लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। राज्य सरकार के द्वारा आग से पीड़ित परिवारों को सहायता देने में लापरवाही बरतने के कारण केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल घर बनाने तथा खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित कर लोगों की जान माल की हिफाजत करे। यह एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन की सभी शर्तें लागू होनी चाहिए।

महोदय, बारिश का समय दो माह में आने वाला है। सिर पर छप्पर नहीं है और किसानों का अनाज जल जाने के कारण उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। आने वाली खेती के लिए उनके पास पूंजी नहीं है। बहुत भायानक स्थिति उस इलाके की है। बिहार की यह स्थिति है, चाहे वह मध्य बिहार हो या उत्तर बिहार के कोशी के इलाके के लोग हों, आगजनी के शिकार गांवों में हजारों लोग बहुत पीड़ित हैं। तत्काल वहां हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार सहायता करे, उसकी मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलंगिर): सभापति महोदय मैं केबीके क्षेत्र से संसद सदस्य हूं जिसमें अविभाजित कालाहांडी, बोलंगिर और कोरापुर जिले आते हैं। यदि आपको याद हो ये क्षेत्र अस्सी के दशक में बहुत सी खबरों का विषय बने रहे जब एक बच्चे को कथित रूप से मात्र दस या पन्द्रह रुपये के लिए बेचा गया था। संभवत: यह क्षेत्र देश के सर्वाधिक गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में से है। वास्तव में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा किए गए अध्ययन में उन्हें देश के 10 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में सूचीबद्ध किया है। यहां गरीबी का स्तर 87% से अधिक है। इन क्षेत्रों में 68 प्रतिशत से अधिक गांवों की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है। इन क्षेत्रों में मानव विकास सूचकांक न्यूनतम है। वर्ष 1995 से केबीके दीर्घावधि कार्य योजना लागू की गई जिसके बाद संशोधित दीर्घावधि कार्य योजना लागू की गई जिसके परिणामस्वरूप अब गरीबी का स्तर लगभग 24% गिरकर 87% से 62% हो गया है। इस कार्यक्रम के लिए आवंटित 99% निधियों का उपयोग हो चुका है और इन्हें व्यय किया गया है।

सभापति महोदय, यूपीए सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया है। बिहार को विशेष पैकेज मिले हैं, बुंदेलखंड को विशेष पैकेज मिले हैं और मैं उसका समर्थन करता हूं। उनके जैसे अन्य क्षेत्रों को ये पैकेज मिलने चाहिए। तथापि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि केबीके क्षेत्र को

वो पैकेज दिया जाए जिसकी मांग राज्य सरकार ने की है। उड़ीसा राज्य सरकार ने योजना आयोग की अनुमति के लिए 4550 करोड़ रुपये की 8 वर्षीय संदर्शी योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कार्य योजना को शीघ्र अनुमति देना सुनिश्चित किया जाए।

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण): सभापति महोदय, वर्तमान में सेंट थॉमस माउंट कैन्टोनमेन्ट बोर्ड हाई स्कूल चला रहा है जिनमें लगभग 2000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जिनमें 1000 छात्राएं हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति निराशाजनक है। चूंकि लगभग 10 वर्ष से अध्यापकों के 20 पद खाली हैं। न तो कैन्टोनमैन्ट बोर्ड न ही राज्य सरकार की अध्यापकों के रिक्त पद भरने में कोई रुचि है जिससे उन बच्चों की शिक्षा पर प्रश्न चिह्न लग गया है।

यदि इतिहास में झांके तो 2001 में कैन्टोनमैंट बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने तमिलनाडु सरकार, जो वित्तपोषक अभिकरण है, के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अध्यापकों की नियुक्ति की थी इस कारण से राज्य सरकार ने उन अनियमित नियुक्तियों का अनुमोदन नहीं किया था और उन्हें भुगतान करना बंद कर दिया था तब से कैन्टोनमैंट बोर्ड ने उनका वेतन भुगतान आरंभ कर दिया जो एक करोड़ रुपये से अधिक है। कैन्टोनमैंट बोर्ड और तमिलनाडु सरकार के मध्य इस विवाद के चलते इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं।

इन स्थितियों में मैं माननीय केन्द्रीय रक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मामलों को शान्तिपूर्वक सुलझा कर बच्चों का बचाव करें।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश में चिकित्सा कालेजों की व्यवस्था पर नियंत्रण करने वाले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डा. केतन देसाई को दो करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा है और छापे के दौरान 1800 करोड़ रुपये नकद एवं डेढ़ टन सोना मिला है जो साबित करता है कि ...*(व्यवधान)* * गलत कालेजों एवं अयोग्य डाक्टरों को बनाने का सिलसिला लम्बे समय से चल रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मेडिकल काउंसिल ने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी की बहुत तारीफ की और स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेडिकल काउंसिल की काफी प्रशंसा की थी और बताया था कि काउंसिल इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं मेडिकल काउंसिल के बीच बहुत ही मधुर संबंध थे।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, माननीय सदस्य सीधा-सीधा मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): सभापति महोदय, किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप को रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: मैं एलीगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं इन्फार्मेशन दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री के विरुद्ध आरोप कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल की जाएगी। किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप का लोप किया जाए।

श्री वी. नारायणसामी: महोदय माननीय सदस्य डॉ. ज्योति मिर्धा ने पहले ही यह मामला सुबह उठाया था। वही विषय वह दोबारा कैसे उठा सकते हैं? यदि वह चाहें तो स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: सभापति महोदय, यह केवल इन्फोर्मेशन है।...*(व्यवधान)*

उनकी जुगलबंदी देखने लायक थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अन्य माननीय सदस्य का साथ दे सकते हैं जिन्होंने पहले ही इस मुद्दे को उठाया है।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: सभापति महोदय, मेरी केवल दो लाइन बाकी है।...*(व्यवधान)* मैं एलीगेशन नहीं कर रहा हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा इरादा भी ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)* मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं किसी पर एलीगेशन करूं।...*(व्यवधान)* जो भी प्रस्ताव मेडिकल काउंसिल से नये कालेज खोलने का आता था, उसे आंख बंद करके मंजूर कर दिया जाता था। देसाई पर आरोप पहले भी लगे थे और एनडीए शासन में उसे हटा भी दिया गया था। लेकिन बाद में वे दोबारा अध्यक्ष बन गये। इस तरह हमारे देश के डाक्टरों को बनाने के लिए जिन गलत कालेजों को मान्यता डॉक्टर केतन देसाई ने दी है, उसकी जांच की जाये और भ्रष्ट आचरण के लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाये।

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): सभापति महोदय, मैं भी इस विषय के साथ अपने को एसोसियेट करता हूं।

श्री मनोहर तिरकी (अलीपुरद्धार): सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को सरकारी सहायता देने के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, कूचबिहार और दीनाजपुर जिले के कई ब्लाकों में भयंकर रूप से आंधी, तूफान और ओले पड़े। उन ओलों का वजन आधा किलो के लगभग था। इस घटना के कारण वहां बहुत बर्बादी हुई है। वहां 20 से 25 हजार घर बिल्कुल टूट गये हैं और लगभग 50 हजार से ज्यादा घर टूटने के कगार पर हैं। वहां सौ से ज्यादा आदमी मर गये हैं और काफी लोग घायल भी हुए हैं। वहां लगभग 26 हजार एकड़ खेती बर्बाद हो गयी है। वहां की असली फसल चाय बागान के खेत भी काफी नष्ट हो गये हैं। इन क्षेत्रों में जो बर्बादी हुई, उसके लिए राज्य सरकार ने कुछ सहायता दी है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र में सरकारी सहायता दे। सबसे मुसीबत की बात यह है कि जब हम गांव में विजिट करने जाते हैं, तो गांव के पंचायत, एमएलए कुछ तिरपाल वगैरह दे देते हैं लेकिन एमपी केवल मुंह दिखाकर चले आते हैं। हम लोग उन लोगों को कुछ दे नहीं सकते हैं। इसलिये इस संबंध में कुछ प्रावधान होना चाहिए कि प्राकृतिक आपदा आने से एमपी भी उन लोगों की कुछ सहायता कर सकें। एमपीलैड फंड के पैसे से उन्हें कुछ तिरपाल आदि दी जाये। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि पीड़ित लोगों को जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार से मदद दी जाये।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस विषय पर बोलना चाहती हूं, उसके बारे में माननीय स्पीकर महोदया ने कल शोक प्रस्ताव रखा था। हरियाणा के हिसार जिले के मिदपुर गांव से जो घिनौनी हरकत हुई । मैं 25 अप्रैल को वहां गयी थी। जिन लोगों के साथ वह घटना घटी, मैं उन लोगों से जाकर मिली। वह विकिटम जहां रुके हैं, जिन्हें जलाया गया था। वह लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके बाबा ताराचंद को भी जलाया गया। दोनों की मौत हो गयी। हमने देखा कि यह घटना टोटली कास्टिज्म पर हुई। दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। हम जानते हैं कि कांस्टीट्यूशन में सबको इक्विल राइट्स हैं। लेकिन देखते हैं कि अभी भी हम लोग काफी पीछे हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है। जब वहां घटना घट रही थी तब तहसीलदार और स्टेशन हाउस आफिसर्स मौजूद थे, लेकिन वे उस घटना को रोक नहीं पाये और वह घटना घटी। मैं वहां गयी और एसपी, डीएम से मिली। मैंने उनसे बात की, मैं उनकी सारी फैमिली को मिली। जो 18 घर जले हुए थे, मैंने उनको देखा। वे लोग बोल रहे हैं कि अभी इनिशियली एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन एक लाख रुपए ज्यादा नहीं हैं, इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उनको दस से बारह लाख रुपए दिए जाएं और सुमन, जिसकी मृत्यु हुई, उसके परिवार को नौकरी दी जाए। जिन लोगों ने यह काम किया है और जो खाप पंचायत है, उनको कड़ी सजा दीजिए क्योंकि वे लोग कुछ काम नहीं करते हैं और जब दलितों पर अत्याचार होता है, तो वे लोग उसे और बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि इस तरह घटना दुबारा न घटे इसके लिए व्यवस्था करे। वहां जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस घटना को अनफार्चुनेट बोला है, उनको इस घटना को कंडेम करना चाहिए था और उधर जाना चाहिए था।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, आप सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में तीन क्षेत्र हैं-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। उन तीनों की अपनी-अपनी आइडेण्टिटी है, कल्चर है, रहन-सहन है, हर चीज अलग है। जब भी कोई चीज स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाती है, तो अगर उसको सीरियसली ठीक तरीके से न देखा जाए, तीनों को ध्यान में न रखा जाए, तो वहां एकदम झगड़ा पैदा हो जाता है। झगड़ा पैदा करने के लिए कश्मीर में हुर्रियत वाले और दूसरे लोग बैठे हैं, जम्मू में हमारे बीजेपी के कुछ लोग बैठे हैं, इन दोनों की आदत है हमारा नुकसान करने की। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर तीन-चार महीने बंद रहा, बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद एक गलती हुई, यूनिवर्सिटी का मसला बना। एक टेक्नीकल यूनिवर्सिटी की बात हुई और दूसरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई। जब सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज आईं, दोनों गलती से कश्मीर में चली गयी। जब तैनात करने की बात हुई, तो उन्होंने वहां वीसी भी तैनात कर दिए। इससे जम्मू में एक मसला बन गया, बनना जरूरी भी था। उसके बाद जब भारत सरकार को यह बात ध्यान में आई, मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा पहले ध्यान आना चाहिए, तो उन्होंने उसको सीरियसली देते हुए, जम्मू में यूनिवर्सिटी दे दी। उसके लिए यहां से आर्डिनेंस जारी किया, पिछले दिनों यहां बिल लाए और वह पास हो गया। उसके बाद कश्मीर में वीसी बन गया, टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में भी कश्मीर का ही वीसी बन गया। वहां टेक्नीकल

यूनिवर्सिटी का बन गया, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का भी बन गया और जो वहां दूसरी यूनिवर्सिटी है, उसका भी वीसी वहां का ही आदमी बन गया। अच्छी बात है, बनना चाहिए, वे काबिल हैं। लेकिन जम्मू में नया पंगा खड़ा हो गया, कल जम्मू बंद था। मुझे इससे बहुत अफसोस होता है। सरकार को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि यह मसला हम क्यों दूसरे लोगों के हाथ में देते हैं। जम्मू में जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी दी गयी है, उसमें अभी तक वीसी तय नहीं हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों का इंटरव्यु हो रहा है। किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह, पंजाब में यूनिवर्सिटी बनी, छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी, यहां तक कि कश्मीर में बनी, तो अपने-अपने इलाकों से, वहीं के सीनियर प्रोफेसरों को वहां एडॉप्ट किया गया और वे वहां लग गए। यह बहुत अच्छी बात है। अब जम्मू को देखिए। वहां पहले से जो यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी दिल्ली से आदमी आया, वह बन गया। दूसरी एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी के लिए भी वीसी बाहर से आया, इसी तरह वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए भी आदमी बाहर से आया। इससे जम्मू के लोगों को कहने के लिए मसला बन गया है कि क्या जम्मू के लिए सारी दुनिया नालायक है। यह एक सेंसिटिव इश्यू है, इसीलिए मैं इस मामले को यहां उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह स्थिति केवल उस विश्वविद्यालय में नहीं है। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्थिति ऐसी ही है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ होता है, वैसा ही जम्मू के साथ होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के तीनों क्षेत्रों को यूनाइटेड रहने की जरूरत है। इसमें किसी किस्म का झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर आगे बढ़े, लेकिन सीरियसनेस रहनी चाहिए। सरकार जब भी कोई चीज देती है, तो सीरियसली सोचकर करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: ठीक है, यह पर्याप्त है। आपको अपनी बात 2 मिनट में कहनी है। यह चर्चा नहीं है। जो आप सरकार से करवाना चाहते हैं वह आपको कहना पड़ेगा। परन्तु अभी आप मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वहां पर जम्मू का ही व्यक्ति लगना चाहिए।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सूखा पिछले साल पड़ा और राहत की रेवड़ियां अब बंटने वाली हैं। रेवड़ियों की इस बंदरबांट में उत्तर प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है, जबकि चुनाव साल होने के नाते बिहार ने बाजी मार ली है। उन राज्यों को भी यूपी से अधिक धन दिया गया, जिन्होंने खुद को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। सूखा राहत के लिए गठित उच्चतर समिति ने राहत पैकेज पर अपनी मोहर लगा दी है। वर्ष 2009 के पड़े सूखे की बहुत बड़ी त्रास्दी घोषित की गई है, जिसमें देश के 15 राज्यों में 352 जिले सूखे की चपेट में आ गए। इन राज्यों ने 72,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसमें से मात्र 4800 करोड़ रुपए ही इन राज्यों को देने का काम अब तक हुआ है। खास तौर से उत्तर प्रदेश को 515 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इतनी कम राशि और उस पर उत्तर प्रदेश के 48 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं। उन 58 जिलों की हालत यह है कि वहां खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई और पूरी तरह से खरीफ तथा रबी की फसल बर्बाद हो गई है। समूचे पूर्वांचल में खरीफ की फसलें सूखे की भेंट चढ़ गईं। देश के 59.3 लाख हेक्टेयर खेतों में धान की खेतों में धान की रोपाई नहीं हो सकी, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के 20 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई नहीं हो पाई है। इसके मुकाबले चुनावी संवेदना को देखते हुए बिहार को 1200 करोड़ रुपए और जिन राज्यों ने अपने आपको सूखाग्रस्त घोषित किया था, उन्हें ज्यादा पैसा दिया गया। हरियाणा को, पंजाब को और जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, वहां भी केन्द्र सरकार ने ज्यादा पैसा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत सामग्री देने के नाम पर पैसा नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राहत का पैसा जनपद चंदौली, जौनपुर आदि में दिया था, वह वापस ले लिया है। यह सरकार भी पैसा न दे और प्रदेश सरकार जो पैसा मिला, वह भी काट दे तो मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वहां के किसानों को सिंचाई के लिए, ट्यूबवैल्स के लिए, नगरों के लिए पैसा दिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वांचल के, जनपद चंदौली, वाराणसी के किसानों की खेती बचाई जा सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। केन्द्र और राज्य सरकार के झगड़े में उत्तर प्रदेश का किसान

बर्बाद हो रहा है और उसकी हालत यह है कि न केन्द्र मदद कर रही है, न ही प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं यहां किसी प्रकार का विवाद उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.43 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 29 अप्रैल 2010/9 वैशाख, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री महेन्द्र कुमार राय श्री राम सिंह कस्वां	461
2.	श्री एस.एस. रामासुब्बू श्री नीरज शेखर	462
3.	श्री गोपीनाथ मुंडे डॉ. भोला सिंह	463
4.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण डॉ. संजय सिंह	464
5.	श्री इज्यराज सिंह श्री हरीश चौधरी	465
6.	श्री मधु गौड यास्खी श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	466
7.	श्री पी.टी. थॉमस चौधरी लाल सिंह	467
8.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव श्री ए.टी. नाना पाटील	468
9.	श्रीमती भावना पाटील गवली श्री जय प्रकाश अग्रवाल	469
10.	श्री कमल किशोर "कमांडो" श्री सोनवणे प्रताप नारायण राव	470
11.	श्री रुद्रमाधव राय श्री उदय सिंह	471
12.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय श्री यशवंत लागुरी	472
13.	श्रीमती सुप्रिया सुले डॉ. संजीव गणेश नाईक	473
14.	श्री पी. बलराम श्री पोन्नम प्रभाकर	474
15.	श्री सी. राजेन्द्रन श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	475
16.	श्री विश्व मोहन कुमार श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय	476
17.	श्री राजू शेट्टी	477
18.	डॉ. चरण दास महन्त	478
19.	श्री जगदीश शर्मा श्री किसनभाई वी. पटेल	479
20.	श्री आर. ध्रुवनारायण	480

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	5354, 5475
2.	आदित्यनाथ, योगी	5402
3.	अडसूल, श्री आनंदराव	5320, 5331, 5332, 5349, 5472
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	5339, 5361, 5442, 5464
5.	अग्रवाल, श्री राजेन्द्र	5317
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	5262, 5328, 5332, 5389, 5414
7.	अजमल, श्री बदरुद्दीन	5328, 5386, 5449
8.	अलागिरि, श्री एस.	5305, 5449, 5455
9.	आनंदन, श्री एम.	5389, 5392
10.	अंगड़ी, श्री सुरेश	5314, 5329, 5331, 5464
11.	एंटोनी, श्री एंटो	5394
12.	अनुरागी, श्री घनश्याम	5280, 5334, 5444
13.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	5309, 5457
14.	बालू, श्री टी.आर.	5358, 5482
15.	बाबर, श्री गजानन ध.	5296, 5320, 5331, 5332, 5464

1	2	3
16.	बहुगुणा, श्री विजय	5341
17.	बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल	5383
18.	बैस, श्री रमेश	5446
19.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	5332, 5347
20.	बलराम, डॉ.	5411
21.	बलीराम, श्री पी.	5360, 5416, 5433
22.	बासवराज, श्री जी.एस.	5284, 5429
23.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	5311
24.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	5302
25.	भगत, श्री सुदर्शन	5323, 5404
26.	भैया, श्री शिवराज	5341, 5468
27.	भोई, श्री संजय	5401, 5449
28.	भुजबल, श्री समीर	5324, 5388, 5476
29.	बिजू, श्री पी.के.	5332, 5384
30.	चौधरी, श्री हरीश	5450
31.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	5300, 5304, 5437
32.	चौहान, श्री संजय सिंह	5389, 5479
33.	चौहान, श्री दारा सिंह	5376, 5479
34.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	5311, 5314, 5420
35.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	5412
36.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	5332, 5366
37.	दास, श्री भक्त चरण	5296, 5332, 5340
38.	दास, श्री राम सुन्दर	5304
39.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	5348, 5471
40.	डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन	5367
41.	डेका, श्री रमेन	5370
42.	देवरा, श्री मिलिंद	5332

1	2	3
43.	देवी, श्रीमती रमा	5460, 5465
44.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	5285, 5476
45.	धुर्वे, श्रीमती ज्योति	5296, 5479
46.	दुबे, श्री निशिकांत	5361, 5473
47.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	5377
48.	गद्दीगौदर, श्री पी.सी.	5310, 5337, 5459, 5484
49.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	5303, 5479
50.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	5477
51.	गांधी, श्रीमती मेनका	5403
52.	गांधी, श्री वरुण	5263, 5415, 5475
53.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	5331, 5464
54.	गवली, श्रीमती भावना पाटील	5296, 5439
55.	हक, श्री मोहम्मद असरारुल	5393
56.	हक, शेख सैदुल	5306
57.	हजारी, श्री महेश्वर	5374, 5394
58.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	5353, 5362, 5409
59.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	5269, 5328, 5332, 5361
60.	जाधव, श्री बलीराम	5377
61.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	5294, 5332, 5457
62.	जायसवाल, डॉ. संजय	5296, 5327
63.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	5311, 5328, 5400
64.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	5337, 5459
65.	जावले, श्री हरिभाऊ	5359, 5364
66.	जयाप्रदा, श्रीमती	5332, 5484
67.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	5291, 5389, 5392
68.	जिन्दल, श्री नवीन	5315
69.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	5295, 5477

1	2	3
70.	जोशी, श्री प्रहलाद	5328, 5337, 5463
71.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	5273, 5322, 5460
72.	करुणाकरन, श्री पी.	5345, 5476
73.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	5313
74.	कटारिया, श्री लालचन्द	5352, 5365, 5476
75.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5351, 5475
76.	खान, श्री हसन	5385
77.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	5447
78.	किल्ली, डॉ. क्रुपारानी	5389
79.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	5279, 5443
80.	कुमार, श्री विश्व मोहन	5332
81.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	5479
82.	कुमार, श्री वीरेन्द्र	5479
83.	कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	5298
84.	लागुरी, श्री यशवंत	5346, 5456, 5473
85.	लाल, श्री पकौड़ी	5334, 5466
86.	लिंगम, श्री पी.	5471
87.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	5273, 5332, 5431, 5459
88.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5462
89.	महन्त, डॉ. चरण दास	5458
90.	महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद	5332, 5362, 5409
91.	महतो, श्री नरहरि	5369, 5441, 5475
92.	माझी, श्री प्रदीप	5286, 5310, 5349, 5460, 5473
93.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	5318, 5448
94.	मणि, श्री जोस के.	5332, 5395, 5397, 5459

1	2	3
95.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	5310, 5395
96.	मेघे, श्री दत्ता	5310, 5405
97.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	5296
98.	मेघवाल, श्री भरत राम	5365, 5383
99.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	5410
100.	मिश्रा, श्री महाबल	5361, 5375
101.	मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद	5321
102.	मित्रा, श्री सोमेन	5356, 5406
103.	मुंडा, श्री अर्जुन	5370
104.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	5332, 5446, 5480
105.	मुत्तेमवार, श्री विलास	5296, 5374, 5380
106.	नागपाल, श्री देवेन्द्र	5479
107.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	5332, 5338, 5356, 5451
108.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	5381
109.	नरह, श्रीमती रानी	5293
110.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	5425
111.	नटराजन, श्री पी.आर.	5296
112.	निरूपम, श्री संजय	5378
113.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5264, 5332, 5434
114.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	5339, 5372
115.	पांडा, श्री वैजयंत	5330, 5342, 5457, 5469
116.	पांडा, श्री प्रबोध	5289, 5356, 5445, 5475
117.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	5466, 5470
118.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	5332
119.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	5261, 5335, 5356, 5432, 5445

1	2	3
120.	पांगी, श्री जयराम	5325
121.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	5281, 5292, 5310, 5326
122.	पाटिल, श्री सी.आर.	5266, 5273, 5459
123.	पटेल, श्री देवराज सिंह	5323, 5341
124.	पटेल, श्री देवजी एम.	5334, 5365, 5466
125.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	5299, 5449
126.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	5266, 5273, 5337, 5459
127.	पटेल, श्री बाल कुमार	5343, 5479
128.	पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई	5323
129.	पाटील, श्री संजय दिना	5332, 5356, 5359
130.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	5483
131.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	5398
132.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	5255, 5332, 5360, 5416
133.	प्रधान, श्री अमरनाथ	5275
134.	प्रधान, श्री नित्यानंद	5330, 5342, 5457
135.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	5423
136.	राघवन, श्री एम.के.	5399
137.	रहमान, श्री अब्दुल	5287, 5454, 5484
138.	राजगोपाल, श्री एल.	5267, 5418
139.	राजभर, श्री रमाशंकर	5300, 5479
140.	राजेन्द्रन, श्री सी.	5296, 5452
141.	राजेश, श्री एम.बी.	5359, 5460
142.	राम, श्री पूर्णमासी	5373
143.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	5312, 5323, 5332, 5435
144.	रामशंकर, प्रो.	5407
145.	राणा, श्री कादिर	5361
146.	राणा, श्री राजेन्द्रसिंह	5371
147.	राणे, श्री निलेश नारायण	5376, 5408
148.	राव, डॉ. के.एस.	5352
149.	राव, श्री नामा नागेश्वर	5312, 5459
150.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5288, 5476
151.	राठौड़, श्री रमेश	5436, 5476, 5479
152.	राठवा, श्री रामसिंह	5266, 5272, 5332, 5424
153.	रावत, श्री अशोक कुमार	5350, 5466, 5474, 5479
154.	राय, श्री अर्जुन	5328, 5450, 5400
155.	राय, श्री विष्णु पद	5391
156.	राय, श्री रुद्रमाधव	5356, 5449, 5476
157.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	5296
158.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5359, 5476
159.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	5283, 5332, 5428, 5449
160.	रेड्डी, श्री के.जी.एस.पी.	5308, 5480
161.	रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल	5390
162.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	5368
163.	सेम्मलई, श्री एस.	5339, 5476
164.	सम्पत, श्री ए.	5479
165.	सरोज, श्रीमती सुशीला	5332, 5476
166.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	5282, 5426, 5474, 5476
167.	सत्पथी, श्री तथागत	5330
168.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	5323, 5449, 5459
169.	सेठी, श्री अर्जुन राज्जया	5404

1	2	3
170.	शानवास, श्री एम.आई.	5332, 5352, 5382
171.	शांता, श्रीमती जे.	5270, 5421
172.	शारिक, श्री शरीफुद्दीन	5396
173.	शर्मा, श्री जगदीश	5364, 5445, 5460
174.	शर्मा, श्री मदन लाल	5395
175.	शेखर, श्री नीरज	5276, 5333, 5449
176.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	5255, 5360, 5413, 5416
177.	शेट्टी, श्री राजू	5422
178.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	5332, 5459
179.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	5259, 5319, 5419, 5463
180.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	5281, 5312, 5325, 5346, 5351
181.	सिंह, श्री दुष्यंत	5379
182.	सिंह, श्री गणेश	5256, 5269, 5325, 5328, 5457
183.	सिंह, श्री इज्यराज	5311, 5440, 5449
184.	सिंह, श्रीमती मीना	5290, 5333
185.	सिंह, श्री राधा मोहन	5333
186.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	5311, 5454
187.	सिंह, श्री राकेश	5296, 5332, 5463
188.	सिंह, श्री रतन	5363
189.	सिंह, श्री रवनीत	5347
190.	सिंह, श्री उदय	5449
191.	सिंह, श्री यशवीर	5297
192.	सिंह, चौधरी लाल	5452, 5461
193.	सिंह, श्री धनंजय	5329
194.	सिंह, श्री रेवती रमन	5387

1	2	3
195.	सिंह, श्री सुखदेव	5277, 5337
196.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	5353, 5445, 5477
197.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	5305, 5449
198.	सिंह, श्री उमाशंकर	5476
199.	सिंह, डॉ. संजय	5449, 5455
200.	सिरिसिल्ला, श्री राज्जया	5268, 5360, 5416
201.	शिवासामी, श्री सी.	5257, 5430
202.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	5273, 5337, 5459
203.	सुधाकरण, श्री के.	5346, 5355, 5476
204.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5316
205.	सुगुमार, श्री के.	5359, 5449
206.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	5356, 5451, 5460, 5480
207.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	5274
208.	स्वामी, श्री एन. चेलुवराया	5258, 5304, 5421, 5463, 5478
209.	टैगोर, श्री मानिक	5335
210.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	5348, 5364
211.	तिवारी, श्री मनीष	5344
212.	ठाकोर, श्री जगदीश	5360
213.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	5313
214.	थामराईसेलवन, श्री आर.	5336, 5337, 5467, 5476
215.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	5357, 5481
216.	थॉमस, श्री पी.टी.	5427
217.	तिरकी, श्री मनोहर	5325, 5462
218.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	5319, 5453

1	2	3
219.	टोप्पो, श्री जोसेफ	5444
220.	वर्धन, श्री हर्ष	5260, 5456
221.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5271, 5346, 5456
222.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	5278, 5438
223.	विश्वनाथ, श्री अदगुरु एच.	5328
224.	विश्वनाथन, श्री पी.	5265, 5332, 5352, 5417
225.	विवेकानन्द, डॉ. जी.	5389
226.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	5301, 5444

1	2	3
227.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	5331, 5395, 5464
228.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	5271, 5300, 5423
229.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	5320, 5331, 5332, 5349, 5454
230.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	5332, 5364, 5465
231.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	5296, 5332, 5380, 5449
232.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	5307
233.	यास्खी, श्री मधु गौड	5447

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	463, 473, 478
संस्कृति	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	467
पर्यावरण और वन	:	461, 462, 464, 471, 475
विदेश	:	469, 470
मानव संसाधन विकास	:	465, 468, 672, 476
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	480
योजना	:	479
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	474, 477
अंतरिक्ष	:	466
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	5313, 5324, 5338
परमाणु ऊर्जा	:	5326, 5373, 5382, 5391, 5460, 5484
कोयला	:	5272, 5273, 5285, 5325, 5334, 5351, 5369, 5405, 5411, 5458, 5469, 5473, 5475
संस्कृति	:	5262, 5278, 5298, 5309, 5316, 5318, 5327, 5335, 5347, 5363, 5368, 5374, 5380, 5390, 5407, 5430, 5441, 5448, 5462, 5467
पृथ्वी विज्ञान	:	5283, 5399, 5437, 5464
पर्यावरण और वन	:	5256, 5259, 5263, 5264, 5274, 5279, 5281, 5288, 5290, 5291, 5300, 5319, 5322, 5323, 5330, 5333, 5337, 5340, 5341, 5346, 5349, 5355, 5359, 5364, 5394, 5395, 5398, 5403, 5415, 5421, 5442, 5446, 5449, 5452, 5461, 5468, 5474, 5480, 5483

विदेश	5261, 5287, 5306, 5308, 5315, 5344, 5350, 5352, 5366, 5371, 5381, 5396, 5401, 5433, 5435, 5457, 5471
मानव संसाधन विकास	5260, 5265, 5266, 5269, 5270, 5275, 5276, 5277, 5280, 5282, 5286, 5296, 5299, 5304, 5312, 5317, 5320, 5321, 5328, 5329, 5332, 5342, 5345, 5354, 5357, 5360, 5361, 5370, 5372, 5375, 5376, 5377, 5378, 5384, 5385, 5387, 5389, 5392, 5397, 5402, 5406, 5408, 5410, 5414, 5417, 5422, 5425, 5426, 5434, 5436, 5447, 5450, 5451, 5454, 5456, 5459, 5463, 5476, 5479
प्रवासी भारतीय कार्य	5267, 5271, 5419, 5423, 5428, 5453
संसदीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	5294, 5305, 5307, 5343, 5348, 5358, 5367, 5424, 5429, 5431, 5432, 5439, 5455, 5470, 5482
योजना	5258, 5310, 5353, 5362, 5409, 5412, 5418, 5440, 5445, 5465, 5472, 5477, 5481
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	5292, 5301, 5331, 5339, 5386, 5438, 5443
अन्तरिक्ष	5268, 5379
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	5295, 5297, 5314, 5416, 5420, 5427
जल संसाधन	5255, 5257, 5284, 5289, 5293, 5302, 5303, 5311, 5336, 5356, 5365, 5383, 5388, 5393, 5400, 5404, 5413, 5444, 5466, 5478.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/9/25/2010 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।